राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] ग्यारहवीं विधान सभा के छठे सत्र का पैंतीसवां दिवस [संख्या : 15

सोमवार;

30 अप्रैल, 2001

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या 119, श्री हरजीराम बुरड़क।

सहकारिता उपभोक्ता संघ में हुई अनियमितता की जांच

119. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ में चीनी परिवहन व घटिया किस्म की चीनी प्राप्त करने का प्रकरण सरकार के ध्यान में आया है? यदि हां, तो कब और क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त संबंध में कोई जांच की गई? यदि हां, तो कब तथा जांच में क्या तथ्य सामने आये? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई और क्या कार्यवाही की जानी शेष है जो कब तक की जा सकेगी?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य तिलम संघ में भी बोरियों की खरीद में अनियमितता हुई थी? यदि हां, तो किसके द्वारा कब कितनी राशि की तथा इसमें क्या कार्यवाही की गई?

सहकारिता मंत्री (श्री खेतसिंह राठौड़) : (1) जी, हां। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ में लेवी चीनी परिवहन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है। कब-कब और क्या-क्या अनियमितता हुई, की जानकारी हेतु राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत जांच की कार्यवाही शुरू करवा दी गई है।

घटिया चीनी प्रकरण में माह जनवरी, 2001 में रायबहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स लि., लक्सर द्वारा खराब एवं गीली चीनी आपूर्ति करने का प्रकरण प्रकाश में आया। इस पर संघ द्वारा त्वरित कार्यवाही कर उक्त मिल द्वारा आपूर्ति की गई 3000 बोरी खराब चीनी बदलने की सहमति मिल से प्राप्त कर ली गयी है। 1500 बोरी खराब चीनी मिल द्वारा बदल दी गई है एवं शेष 1500 बोरी चीनी बदलने की

(सहकारिता मंत्री)

कार्यवाही तत्परता से चल रही है। मिल द्वारा उक्त 3000 बोरी खराब चीनी स्वयं के खर्चे पर एफ.ओ.आर. बदल दी जाएगी।

(2) जी, हां। लेवी चीनी परिवहन मे अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर प्रकरण के संबंध में प्रारम्भिक जांच के आदेश दिनांक 4.12.2000 को दिये गये। जांच रिपोर्ट में उपभोक्ता संघ के प्रबन्ध निदेशक द्वारा लेवी चीनी परिवहन हेतु प्राप्त न्यूनतम दरों से अधिक दरें स्वीकृत कर उपभोक्ता संघ को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के क्रम में कतिपय बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचना हेतु अनुपूरक जांच भी कराई गई। जांच रिपोर्ट व अनुपूरक जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है और आपको दे दी गई है।

घटिया चीनी प्राप्त करने के प्रकरण में कोई वैधानिक जांच नहीं करवाई गई अपितु उपभोक्ता संघ स्तर से निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण की प्रति संलग्न है।

(3) उपभोक्ता संघ में लेवी चीनी परिवहन में की गई अनियमितता के संबंध में करायी गई प्राथमिक जांच में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। इसी क्रम में कराई गई अनुपूरक जांच में निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी पाया :—

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद	
1.	श्री डी. आर. मीणा	प्रशासक	उपभोक्ता संघ
2.	श्री आर. के. मीणा	प्रबंध संचालक	उपभोक्ता संघ
3.	श्रीमती हिमकन्या शर्मा	प्रबंधक (नागरिक आपूर्ति)	उपभोक्ता संघ
4.	श्री घनश्याम माहेश्वरी	सुपरवाइजर	उपभोक्ता संघ
5.	श्री योगेन्द्र शर्मा	सहायक प्रबंधक	उपभोक्ता संघ (वित्त)

जांच में दोषी पाये गये प्रबंध संचालक, श्री आर. के. मीणा का स्थानान्तरण उपभोक्ता संघ से अन्यत्र कर दिया गया है। विभाग के दोषी अधिकारियों के संबंध में प्रस्तावित आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र विभाग द्वारा कार्मिक विभाग को दिनांक 28.3.2001 को भिजवा दिये गये हैं। उपभोक्ता संघ के दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। उन्हें इस कार्य से मुक्त करने के लिए दिनांक 21.3.2001 को प्रबन्ध संचालक, उपभोक्ता संघ को निर्देशित किया जा चुका है।

घटिया चीनी प्राप्त करने में कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के लिए उपभोक्ता संघ के निम्नलिखित कर्मचारियों को निलम्बित किया जा चुका है :—

(सहकारिता मंत्री)

नाम कर्मचारी	पद
1. श्री घनश्याम माहेश्वरी	प्रभारी अधिकारी, जयपुर लेवी चीनी
2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	सुपरवाइजर
3. श्री सहीराम विश्नोई	गोदाम कीपर

लेवी चीनी परिवहन में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का स्पष्ट वित्तीय दायित्व निर्धारित करने के लिए राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत जांच करवानी शुरू कर दी गई है।

(4) जी, नहीं। राजस्थान राज्य तिलम संघ में बोरियों की खरीद में घोटाले के बारे में कोई प्रकरण सामने नहीं आया है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है पहला आपने यह कहा है कि शिकायत प्राप्त होने पर परिवहन व्यय में की गई गड़बड़ियों की जांच करायी गयी। तो क्या परिवहन व्यय ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी कोई रैगुलर जांच हो रही है या नहीं? इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि सरकार की तरफ से इसकी खुली छूट है चाहे जैसे ट्रांसपोर्ट करो और चाहे जैसे इसमें खर्चा करो। अगर यह शिकायत नहीं होती तो आप जांच नहीं कराते, क्या यह बात सही है?

दूसरा इसमें यह है कि जब आपने जांच करायी तो यह जो ताजा मामला आपके हाथ में आया इससे पहले कोई ट्रांसपोर्ट में गड़बड़ हुई या नहीं, इस बात की कोई जांच की गयी या आप कराएंगे?

तीसरा इसमें यह है कि खराब चीनी के मामले में आपने अभी तक कोई जांच ही नहीं करायी। आपने सिर्फ गोदाम का इंस्पेक्शन करा लिया। तो गोदाम में चीनी कोई अपने आप तो आयी नहीं, आपके अधिकारियों और कर्मचारियों ने बिल्टी छुड़ायी होगी, माल को उतराया होगा तब आपने देखा नहीं। यह भी किसी ने शिकायत कर दी तब आपने जांच करवा दी। इससे पहले खराब चीनी कितनी आयी, क्या इस बात की आपने जांच की? इतने बड़े घोटाले को आप लाइटली ले रहे हैं। अभी एक मामले में आप धारा 70 की जांच करवा रहे हैं, 70 की जांच तो छोटे-मोटे मामले में, आर्थिक रूप से छोटा-मोटा नुकसान हो उसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए होनी चाहिए इतना बड़ा घोटाला आपके सामने आ गया, तो भी आपने प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट दी है। उसमें किस प्रकार से फर्जी बिल बनाकर ट्रांसपोर्ट कम्पनियों से मिलकर ट्रांसपोर्टरों को लाभ पहुंचाया गया और जो उपभोक्ता हैं उन पर कितना भार डाला गया और संघ को कितना नुकसान हुआ, इसके लिए तो आपको सीधा आपराधिक मामला दर्ज कराना चाहिए था।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा कि चीनी आने के बाद में आपने कितने दिन बाद में कार्यवाही की और आपने तो इसमें कार्यवाही की नहीं, दूसरे की शिकायत पर कार्यवाही हुई। यह हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि तीसरे दिन हमको मालूम हो गया। जब जाकर गोदाम को अधिकारियों ने देखा तो इन्होंने कहा कि इसमें तो चीनी ठीक नहीं आयी है, भीगी हुई आयी है। तुरन्त भागदौड़ शुरू कर दी गई। मिल को भी इंफार्मेशन भेज दी गई, मिल के आफिसर्स भी यहां आ गये, उन्होंने भी देख लिया और देखने के बाद उन्होंने इस बात को मान लिया। मानने के बाद में उन्होंने यह कहा कि हम वापस ले जाएंगे और आपको नयी शक्कर हम दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : कौनसी तारीख को मालूम हुआ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : शक्कर आने के...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो बात कह रहे हैं उसी दिन हमको मालूम हो गया?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जिस रोज शक्कर आयी उसके तीसरे ही दिन मोर्निंग में 10 बजे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौनसी तारीख को?

श्री खेतसिंह राठौड़ : तारीख? इस छोटे सवाल से क्या फायदा हो जाएगा, तारीख कोई भी हो। (व्यवधान) हमने कहा है तीन दिनों में। फिर भी बता देता हूं। (व्यवधान) शक्कर आयी जो तो बतायी मैंने आपसे तीन हजार बोरी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौनसी तारीख को?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : और कौनसी मिल से आयी?

श्री खेतसिंह राठौड़ : वो तो बता दिया।

श्री हरजीराम बुरड़क : आप उत्तर देने दो न एक बार।

श्री खेतसिंह राठौड़ : रायबहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स लिमिटेड, लक्सर से आयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ठीक है। तारीख बताओ आप। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसमें था नहीं तो पूछने से क्या एतराज है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बताओ न तारीख।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जरूर बता रहा हूं। 17.1 को आयी, 21.1 को मालूम पड़ गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 17.1.2001 या 1999?

श्री खेतसिंह राठौड़ : 2001.

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिया नहीं, तारीख बता दी विरोधी दल के नेता महोदय को। मैंने यह पूछा था कि इससे पहले भी कोई खराब चीनी आयी, ऐसी जांच आपने करायी है क्या? दूसरा, मैंने यह कहा था कि परिवहन व्यय का जो यह घोटाला हुआ है उससे पहले कोई घोटाला हुआ है क्या? आपने इसमें उत्तर यह दिया है कि शिकायत मिलने पर जांच करायी है। तो जांच इसी पीरियड में करायी या इससे पहले भी ऐसा हुआ था?

दूसरी बात, आपने अभी यह कहा कि हमने गोदाम देख लिया चीनी का। वास्तविकता यह है कि आपकी खराब चीनी आयी, आपने उसको रिटेलरों तक पहुंचा दिया और जब उपभोक्ताओं ने शिकायत की कि यह चीनी खराब है तब जाकर आप चेते हो। इससे पहले जब यह चीनी गोदाम में आयी, वह कैसे आयी इस बात की आपने कोई जांच नहीं की। उसमें दोषी कौन था, कोई उसकी आपको जानकारी नहीं। यह चीनी गोदाम में किसने रखवायी, किसने बिल्टी छुड़वाई, यह है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, मेरे भी दो-तीन सवालों का जवाब साथ ही दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर मामला है, एक-एक करके पुछवा लीजिए।

श्री अध्यक्ष : पहले प्रश्नकर्ता का जवाब दीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, मैं जवाब दे देता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : पोस्टपोन करा लो, आप तैयारी करके नहीं आये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्यों करा लो पोस्टपोन? मैं सब जवाब बाकायदा दे रहा हूं।

लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने यह पूछा कि सबसे पहले किसने देखा और उन लोगों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की। हमने आपसे निवेदन किया कि उनमें से तीन आदमियों को सस्पैंड कर दिया गया है। इससे ज्यादा कोई पनिशमेंट हो नहीं सकता।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, इन्होंने क्या किया था, यह तो बताइये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : घनश्याम माहेश्वरी, जगदीश प्रसाद और सहीराम विश्नोई इनके खिलाफ में कार्यवाही चल रही है। इनके ऊपर के जितने अधिकारी वहां लगे हुए हैं, सभी को एक-एक करके बदल दिया गया।

श्री हरजीराम बुरड़क : इनका क्या दोष था? उन्होंने छुड़वाई है क्या बिल्टी? उन्होंने रखवाई है क्या गोदाम में? यह तो बताया नहीं आपने।

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्या?

श्री हरजीराम बुरड़क : जिनको आप सस्पैंड किया उस समय क्यों नहीं देखा? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : बिल्टी विभाग ने ही छुड़ाई। और किसने छुड़ाई, यह कोई बात हुई।

श्री हरजीराम बुरड़क : विभाग का कोई आदमी होगा या विभाग ही है? विभाग में तो आप भी शामिल हैं, आपने छुड़ाई है क्या?

श्री खेतसिंह राठौड़ : बिल्टी किसने छुड़ाई, यह भी क्वेश्चन होते हैं? गीली चीनी आई हमने यह मान लिया। गीली चीनी आई, जब हमने यह कह दिया...

श्री हरजीराम बुरड़क : एक मिनट, आप सुन लें। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मंत्री महोदय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बिल्टी चार बजे आई या बिल्टी दो बजे आई, ये ऐसे प्रश्न हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : आपने जो यह जांच की है और जो रिपोर्ट दी है, एक मिनट, आप यह सुन लीजिए आपने यह रिपोर्ट दी है कि इन तीन अधिकारियों ने जाकर गोदाम का निरीक्षण किया। मैं यह पूछ रहा हूं कि यह जरूरत क्यों पड़ी? छुड़ाई किसने थी उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? गोदाम में अपने आप आ गई चीनी? आप सीधी बात कहें। विभाग ने छुड़ाई, विभाग में तो आप भी शामिल हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इन तीन आदमियों ने छुड़ाई जिन तीनों को सस्पैंड कर दिया गया है। इन तीनों आदमियों ने बिल्टी छुड़ाई, छुड़ाकर गोदाम में डाली। यह उनकी लापरवाही है कि उन्होंने उस वक्त देखा नहीं, नहीं देखने की वजह से ही उनके खिलाफ में यह एक्शन लिया गया। They are being suspended.

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, इसके पहले मैंने यह भी पूछा है कि परिवहन वाले मामले में आपने जांच शुरू इसी बिन्दु की करवाई या इससे पहले वाले मामले में कोई घोटाला हुआ उसकी आपने जांच नहीं करवाई, क्या अब आप जांच करवाएंगे उसकी? इससे पहले भी परिवहन में जो घोटाला हुआ है? उसकी जांच आपने की कि नहीं की, या अब कराएंगे?

श्री खेतसिंह राठौड़ : चीनी के मामले में तो आप संतुष्ट हैं, मेरा जहां तक खयाल है और अब रहा परिवहन का। परिवहन में भी मैंने आपसे निवेदन किया कि हमने हमारे डिपार्टमैंट के सीनियर आफिसर हैं आई.ए.एस. मिस्टर धीरेन्द्र, उनसे जांच करवाई है और उस जांच में यह पाया है कि इसमें अनियमितताएं हुई हैं और ज्यादा दे दिया गया है इनको परिवहन का पैसा। उस पर उन्होंने कोई नाम नहीं लिखे थे, सिर्फ यह जनरल लिखा था कि इसमें ऐसा लगता है। तो हमने दूसरी जांच हमारे चीफ आडिटर से करवाई ताकि वह एक सही रिपोर्ट दें। उन पर यह विश्वास भी है और चीफ आडिटर की अभी अच्छी इमेज है, वह निश्चित तौर पर हमको सही

(श्री खेतसिंह राठौड़)

बात बता देंगे कि इसमें कितना घोटाला हुआ है, किस-किस ने किया है और उसमें उसको पनिशमैंट मिल जाएगा। यह तो हमारे डिपार्टमेंट में चल रहा है, बाकी हमने सारे के सारे केस डी.ओ.पी. को दे दिये हैं क्योंकि ये सभी गजेटेड आफिसर्स थे। इसके साथ ही, हमने पुलिस में भी इत्तिला कर दी कि आप भी इनके खिलाफ में कार्यवाही करिये क्योंकि ऐसी हमारे पास में सूचना आई है। टोटल मिलाकर हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि सही कल्प्रिट पकड़े जाएं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए या जिन्होंने घोटाला किया है, They should be punished.

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, आप इनका तो उत्तर दीजिए, साहब, कि पहले कोई घोटाला हुआ है या एकमात्र घोटाला है परिवहन में? आज तक इससे पहले कभी कोई नहीं हुआ है? आप यह बता दीजिए नहीं हुआ अगर आपने यह जांच नहीं की तो आप जांच करिये। पहले भी कई घोटाले हुए हैं ऐसे परिवहन में, यह कोई एक घोटाला नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह तो, श्रीमान् आपने इस क्वेश्चन में पूछा नहीं कि पहले कितने घोटाले हुए हैं। घोटाले तो हुए ही होंगे। मैं कब कहता हूं नहीं हुए होंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, अब पूछ रहा हूं, अब उनकी जांच कराएंगे क्या?

श्री खेतसिंह राठौड़ : छोटे मोटे तो होते हैं, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है। इसमें यह कभी हुए होंगे लेकिन जब भी हुए होंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लिये होंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो आपने पहले भी पूछा था।

श्री हरजीराम बुरड़क : लेकिन जब मैं यह पूछ रहा हूं कि अब जांच कराएंगे क्या पहले की?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर आप दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे और जिसमें आप चाहेंगे कि कितने घोटाले सन् 1990 से जब से...

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं यह पूछ रहा हूं कि परिवहन में हुए घोटालों की जांच कराएंगे क्या?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जब से विपक्ष की गवर्नमेंट राजस्थान में आयी तब से कितने घोटाले हुए, अगर आप पूछेंगे तो मैं सब बता दूंगा कि भैरोंसिंहजी साहब के राज में ये ये इस साल, इस साल ये हुए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, यह बताएं कि घटिया चीनी से मतलब केवल यही है कि घटिया चीनी भीगी हुई थी या और भी कारण थे? मैं अब यह पूछना चाहता हूं कि जिस कम्पनी ने आपको घटिया चीनी उपलब्ध करायी है उसके खिलाफ क्या एक्शन आपने लिया, नम्बर एक? दूसरा, मैं यह पूछना चाहूंगा कि घटिया चीनी का जनता में वितरण करने के लिए कितनी चीनी बाहर भेजी गयी?

श्री खेतसिंह राठौड़ : घटिया चीनी की तीन बात आपने पूछी, तीनों का एक-एक करके मैं उत्तर दे देता हूं। एक तो आपने यह जानना चाहा कि हमने किस-किस को घटिया चीनी दी है, कब कैसी थी, कौन-सी फर्म से आयी और उसका वितरण किस प्रकार से हुआ। वितरण तो बहुत ही कम...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कितना हुआ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब पूरे फिगर्स मेरे पास नहीं है। एक रोज जो कोई ले गये थे वह वितरण हुआ। उसी रोज जब उन्होंने बोरियां बाहर निकाली उसी से पता पड़ गया कि इसमें तो घोटाला है। डाली थी उस वक्त उनको पता नहीं पड़ा। डाली थी उस वक्त में ये तीन आदमी थे जिन्होंने अन्दर डलवायी थी। (व्यवधान) जब अन्दर चीनी चली गई तब तो किसी को मालूम नहीं था, जब बाहर निकाली तो मालूम पड़ा कि यह शक्कर ठीक नहीं थी और तब आफिसर्स ने आकर देखा। यह तीसरे दिन की बात है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। मेरे यहां सच्चाई के सिवाय झूठ एक शब्द भी नहीं। तीसरे दिन यह इस तरह का मालूम भी इसलिए पड़ा कि शक्कर है तो कोई न कोई बाहर भिजवा रहा था, वह नकली तो उसने कहा कि यह तो सब भीगी हुई है। तब इसके ऊपर यह एक्शन हुआ है। इस एक्शन के अन्दर जो ट्रांसपोर्टर है उसका बिल भी रोक दिया गया, मिल का पेमेंट भी रोक दिया गया और मिल से यह कहा गया है कि जब तुम पूरी हमको यह शक्कर लाकर दे दोगे तो हम तुम्हारा पेमेंट कर देंगे। कार्यवाही मुकम्मिल हो रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पूछा उसका जवाब नहीं दिया। मैंने यह पूछा था कि घटिया किस प्रकार की थी—केवल भीगी हुई थी या उसमें और भी किसी प्रकार के तत्व थे जिससे घटिया इसको कहा जा सके? दूसरी बात मैंने पूछी थी कि घटिया चीनी का वितरण कितना हुआ, आपने जवाब दिया कि तीन दिनों के बाद में उसकी बोरियां निकालीं, तो क्या वे बोरियां जनता में वितरण करने के लिए बेच दी गयीं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब यह, अध्यक्ष महोदय, कि गीली चीनी किस कैटेगरी की थी और उसमें क्या रखवाया था और इसमें और कोई चीज मिली हुई थी, यह डिटेल तो मेरे पास नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : फिर क्या जांच की आपने?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह कोई ऐसे डिटेल्स नहीं है कि जिससे आप चाहते यह थे कि जो चीनी आई वह गलत आई। आप चाहते यह थे कि चीनी रद्दी थी, अच्छी नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, हम तो कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं...

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने मान लिया चीनी रद्दी थी, गलत थी और उसी आधार पर हमने उस चीनी को लोगों में बंटवाया नहीं। एकाध आदमी आया उसको उठाकर

(श्री खेतसिंह राठौड़)

जब दिखाया, यह मालूम पड़ गया कि यह घटिया चीनी है। उसी वक्त हमने रोक दिया और मिल वाले को बुला लिया, मिल वाले को दिखा दिया। कार्यवाही चल रही है। आधी बोरियां हमने दे दीं, बढ़िया आधी बोरियां आ जाएंगी। अब आप बताइये, उसमें कौन-सी बोरियों पर क्या लिखा हुआ था, ऐसे कोई सवाल होते हैं क्या जो असैम्बली में पूछे जाएं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसे कोई सवाल नहीं है। मैं आपसे चाहूंगा इजाजत, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने सारे काम की जांच कराई, लेकिन चीनी घटिया किस प्रकार की है, ह्यूमन कंजम्पशन के लायक है या नहीं है, इसकी आपने जांच नहीं कराई। आपने स्वीकार कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। दूसरी बात, आपने स्पष्ट शब्दों में यह नहीं बताया कि इस घटिया चीनी का वितरण बिलकुल नहीं हुआ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जहां तक मुझे विभाग से सूचना मिली है और मैंने जैसा आपसे कहा कि यह घटिया चीनी अगर हम बांट देते तो बहुत बड़ा हल्ला हो जाता। लेकिन वह हमने बांटी नहीं, वापस भेज दी और मिल ने भी मान ली।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल ही नहीं बांटी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बांटी है, बांटी है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले दिन जितने भी आये थे उनको दी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जवाब साफ क्यों नहीं दे रहे हैं? आप यह बता दीजिये कि घटिया चीनी जिसको आप मानते हैं, उसका वितरण हुआ या नहीं हुआ? हुआ तो कितना हुआ?

दूसरा, मेरा क्वेश्चन था कि घटिया चीनी किस प्रकार की थी? इस संबंध में कम्पनी के ख़िलाफ आपने एक्शन लिया या नहीं लिया? यह तो यह बात हो गयी कि एक आदमी चोरी करके 50 रुपये ले गया और 50 रुपये वापस जमा करा दिया तो छूट हो गयी। जिसने चीनी गीली दी उसके खिलाफ आपने एक्शन क्या लिया?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जिसने चीनी यहां पर जमा करायी उसके खिलाफ एक्शन हो गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या हुआ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : तीनों को सस्पैण्ड कर दिया न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सवाल नहीं है। चीनी मिल के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मिल के बारे में, उनका पेमेंट रोक दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पेमेंट रोकने से मतलब नहीं है। क्या कोई क्रिमिनल एक्शन...

श्री खेतसिंह राठौड़ : उनको ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने खुद ने स्वीकार किया है कि अगर घटिया चीनी का वितरण कर देते तो बहुत बड़ा सत्यानाश हो जाता। इस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रकार की सत्यानाशी चीनी जिस आदमी ने सप्लाई की है उसके खिलाफ क्या क्रिमिनल एक्शन आपने लिया है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवायी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : काहे की?

श्री खेतसिंह राठौड़ : उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवायी है कि आपने यह जो माल दिया है यह बहुत घटिया दिया है। बाकी वितरण नहीं हुआ है। एक रोज जो चीनी ले गये थे उनसे भी सब से वापस यह रिक्वैस्ट की गयी है कि आप यह चीनी वापस जमा कराएं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, वितरण तो हुआ है चीनी का, हमारे दौसा में हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहता हूं, आप जब यह कह रहे हैं कि आपने इसकी जांच करवाई है, चीनी गीली होना आप स्वीकार कर रहे हैं तो वह चीनी मिल क्या चीनी मिल से ही गीली है?

श्री अध्यक्ष : आजाद साहब, आप बैठिये, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह बताया कि उन्होंने प्रारम्भिक जांच की और अनुपूरक जांच की। मेरा निवेदन है कि क्या जांच के बाद जिन व्यक्तियों को आपने दोषी पाया और दोष साबित हुआ उन व्यक्तियों को अपने नैचुरल प्रिंसिपल आफ जस्टिस के मुताबिक कोई सुनवाई का मौका दिया या आपकी जांच विभागीय स्तर पर एक्स-पार्टी है?

श्री अध्यक्ष : इसका रिप्लाई आने दीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक साथ ही आ जाएगा, साहब, छोटा-सा सवाल है। आप कह रहे हैं कि आपने जांच करायी है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जांच का निष्कर्ष क्या है? क्या चीनी, चीनी मिल से ही गीली आयी या ट्रांसपोर्टर ने लोडिंग-अनलोडिंग में गीली की या आपके गोदाम में आने के बाद वह गीली हुई? किस स्तर पर हुई? आपकी जांच रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या है। आपने एफ.आई.आर. दर्ज करायी है तो कब करायी है और उसके नम्बर क्या हैं, जरा यह बताएं।

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब जनवरी में यह गीली चीनी प्राप्त हुई तो मैसर्स साहिल ट्रांसपोर्ट, लक्सर को आपके विभाग ने 17 फरवरी को वापस टैण्डर क्यों दिया जबकि उसकी लोएस्ट रेट भी नहीं थी?

दूसरा, आप यह फरमा रहे हैं कि जनवरी में चीनी आने के बाद आपको 2-3 दिन में मालूम पड़ गया कि चीनी आपको घटिया क्वालिटी की प्राप्त हुई,

(श्री संयम लोढ़ा)

जबकि आपने एम.डी. ने 23 फरवरी को अपने मैनेजर, सिविल सप्लाई को चिट्ठी लिखी है कि मुझे अखबारों के माध्यम से यह घटिया चीनी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। जब आपके एम.डी. को ही जानकारी नहीं थी तो आपके विभाग ने कहां से कार्यवाही कर दी?

तीसरा, खराब चीनी की छंटाई, मजदूरी के जो 64 हजार रुपये संघ के खर्च हुए हैं उसको कौन वहन करेगा? आप करेंगे या वह कम्पनी जिसने आपूर्ति की वह उसको वहन करेगी?

चौथा, घटिया चीनी प्राप्त करने के प्रकरण में आपने कोई वैधानिक जांच नहीं करवायी है, आपने मात्र निरीक्षण करवाया है और उसमें भी मैनेजर, सिविल सप्लाई को आपने शामिल रखा है जिसकी पहली जिम्मेदारी इस प्रकरण के लिए होनी चाहिए। उसको निरीक्षण में आपने शामिल रखा है। ऊपर के प्रकरण में आपने जवाब दिया है जिसमें प्रशासक, प्रबन्ध संचालक सबको आपने जिम्मेदार ठहराया, लेकिन यह जो घटिया चीनी का प्रकरण है उसका आपने मात्र निरीक्षण करवाया इसलिए दोषी अधिकारी का सही रूप में पता नहीं चल सका है। तो क्या आप इस प्रकरण में भी उच्च. स्तरीय जांच करवाने का इरादा रखते हैं?

श्री अध्यक्ष : अब लम्बा सवाल मत पूछिये। राजेन्द्र सिंहजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 4.12.2000 को रजिस्ट्रार ने 9 प्रकरणों में जांच के आदेश दिये यानी एक वर्ष चार माह बीत गये, लेवी चीनी के परिवहन में आप जांच पूरी नहीं करा सके। आपने अपने उत्तर में कहा है कि 21.3.2001 को आपने जो भी दोषी कर्मचारी, अधिकारी थे उनको कार्यमुक्त करने का आदेश दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 21.3.2001 के पश्चात् जिन लोगों को आडिट ने दोषी माना है आज भी वे उसी स्थान पर क्यों कार्यरत हैं?

नम्बर तीन, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या लेवी की चीनी के परिवहन में ए.जी. ने आडिट पैरा बनाकर कोई रिपोर्ट दी है कि उसमें इतने रुपये का घाटा संघ को हुआ है और इसमें ये-ये लोग इन्वाल्व हैं? उनकी रिपोर्ट के बाद आप दोषी अधिकारियों को क्यों बचाना चाहते हैं? आपने छोटे अधिकारियों पर तो कार्यवाही कर ली पर सुपरवाइजरी स्तर के जिन लोगों के नियंत्रण में सारा काम हुआ है, घटिया चीनी वितरण हो गयी, आपने उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की?

क्या यह सही है कि यह चीनी उपभोक्ता को वितरित करने के लिए अनिवार्य दुकानों तक पहुंच गयी थी और उसके बाद आपने वापस मंगाई? अगर वापस मंगाई तो उसके परिवहन में जो व्यय हुआ उसका भुगतान कौन करेगा?

श्री खेतसिंह राठौड़ : शक्कर 17.1 को आयी, निरीक्षण हमने 22.1 को किया, उनके खिलाफ एफ.आई.आर. 28.2 को कर दी गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले पाजामा खींच लो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पाजामा खींचनें में, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें भी कोई नाराजगी है?

श्री संयम लोढ़ा : आपको इस बारे में 2-3 दिन में पता चल गया तो डेढ़ महीने बाद एफ.आई.आर. क्यों हुई? 2-3 दिन में ही पता चल गया जनवरी में तो 28 फरवरी को आपने एफ.आई.आर. लॉज क्यों करवायी? 23 फरवरी को आपके एंम.डी. लिख रहे हैं कि मुझे अखबारों से मालूम पड़ा है, सवा महीने तक आपके मैनेजर और दूसरे लोग क्या कर रहे थे? उन्होंने अपने एम.डी. को भी नहीं बताया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब आप 20 सवाल पूछते हैं। मैं आपसे मुद्दे की...

श्री संयम लोढ़ा : सवाल तो एक ही है। बिलकुल एक सवाल है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुद्दे की बात बताओ आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : देखिये, सवाल में दो क्वश्चन हैं। एक तो शक्कर गीली आयी और एक परिवहन में गड़बड़ की। क्वेश्चन तो दो ही हैं। अब आप इसको 20 दफे घुमाओ तो वह की वह बात है। मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि शक्कर आयी उसके लिए हमनें तुरन्त उनको लिखा। वहां उस मिल के आफिसर आ गये, उन्होंने खुंद ने देख लिया, उन्होंने मान लिया, उन्होंने कहा कि हम पूरी की पूरी शक्कर वापस बदल देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने ब्लैक लिस्ट तो नहीं किया न मिल को?

डा. किरोड़ी लाल : दुबारा टेण्डर कैसे दे दिया उस मिल को?

श्री खेतसिंह राठौड़ : उसके बाद में आधी शक्कर तो आ गयी और आधी के लिए कार्यवाही चल रही है। मेरा खयाल है कि इस हफ्ते में निश्चित तौर पर बाकी की शक्कर भी आ जाएगी। तो शक्कर तो पूरी आ गयी और अच्छी आयी। अब गीली वाली तो वापस गयी, उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं रहा।

दूसरा, यह कहते हैं परिवहन का। परिवहन के अन्दर भी हमने यह कहा है कि उसकी जांच हो रही है, हम बड़े आफिसर से जांच करवा रहे हैं। जांच में जो-जो दोषी पाये जाएंगे उनके खिलाफ में कार्यवाही की जाएगी। जांच नहीं हो उसके पहले ही आप यह चाहो कि मैं सस्पैण्ड कर दूं जैसे पिछली बार कर दिया तो अब नहीं करने वाला हूं।

श्री संयम लोढ़ा : घटिया चीनी कि मामले में आप वैधानिक जांच करवाएंगे क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि 4.12.2000 को आपने लेवी की चीनी के परिवहन की जांच के आदेश दिये और आज एक वर्ष चार महीना हो गया, आपकी जांच रिपोर्ट नहीं आयी। आपने दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जबकि एजी. की रिपोर्ट इसमें आ गयी? यह तो बता दो आप।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ जांच की गयी उन व्यक्तियों को भी सुनवाई का मौका दिया जाएगा क्या?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जरूर। जिन-जिन के खिलाफ हमने डी.ओ.पी. को लिखा है और जिनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, जिनके खिलाफ 70 के तहत कार्यवाही हो रही है, जिनके खिलाफ हम पुलिस की भी कार्यवाही करना चाहते हैं, ऐसा थोड़े ही है कि उनको मौका नहीं मिलेगा? उनको हर जगह मौका मिलेगा। पहले जब जांच की तब भी उसको बुलाकर पूछा और उसके बाद में आडिटर जनरल जो जांच कर रहे हैं। उसमें भी वे बुलाकर उनसे पूछ लेंगे।

श्री महोदव सिंह : मेरा निवेदन है कि इस जांच को पुनः करवाया जाए और इनको सुनवाई का मौका दिया जाए। यह जांच हुई है वह एक तरफा जांच हुई है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी पुनः जांच करवाई जाए और उनको मौका दिया जाए।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय मंत्री महोदय, क्या आपने चीनी का केमिकल एनेलिसिस करवाया था? यदि हां, तो उसके इन्ग्रेडिएण्ट्स क्या थे?

श्री खेतसिंह राठौड़ : उसकी आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी कि मिल ने मान लिया कि हमने गलत दे दी। अब उसके बाद में जांच की क्या आवश्यकता थी?

डा. किरोड़ी लाल : आपने ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया? उनको दुबारा टैण्डर कैसे दे दिया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया? अध्यक्ष महोदय, यह छोटी बात नहीं है, यह लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है। मिल ने गड़बड़ कर चीनी गीली भर दी—

डा. किरोड़ी लाल : ह्यूमेनिटेरियन मामला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसी को आपने दुबारा टेण्डर दे दिये। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : ह्यूमेनिटेरियन मामला है और उसी को दुबारा टेण्डर क्यों दे दिया? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह जो चीनी खराब थी उसको वापस भेज दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक और बात आ रही है। मंत्रीजी आप तैयार होकर नहीं आये। अध्यक्ष महोदय, मेरी गुजारिश है कि यह सवाल पेस्टपोन कर दीजिये। (व्यवधान) इसके अन्दर जो दोषी मिल है उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बना दिया, बड़े कर्मचारी बैठे रह गये।

डा. किरोड़ी लाल : आप दोषी मिल के खिलाफ आई.पी.सी. की कौनसी धारा में मुकदमा दर्ज करेंगे, वह आप बताना थोड़ा?

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, इसका तो जवाब दिलवाइये कि घटिया

(श्री संयम लोढ़ा)

चीनी के प्रकरण में वैधानिक जांच करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? वैधानिक जांच का आदेश तक नहीं दिया है, अध्यक्ष महोदय, अभी तक। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वैधानिक जांच कब करवाएंगे? वैधानिक जांच के आदेश तक नहीं दिये हैं अब तक। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, जो मंत्रीजी ने जवाब दिया है उससे तो यह जाहिर होता है कि यह सारी शुगर मिल से ही आई है। वह घटिया किस्म की है, कैसी है, वह मिल की शुगर है, उसने वापस ली है। इसमें मुलजिम है, दोषी है वह तो मिल है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिलकुल सही है। अध्यक्ष महोदय, यही बात हम कहना चाहते हैं। (व्यवधान) माननीय रामनारायणजी ने जो बात कही है, वही हम कहना चाहते हैं। आप मिल को क्यों बचाना चाहते हैं? मिल मालिक को क्यों बचाना चाहते हैं? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मूल रूप से मिल बहुत दोषी है। (व्यवधान) मिल को बचा कर दुबारा टेण्डर दे देते हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप उनको तो बचा रहे हैं, छोटे मुल्जिम को फंसा रहे हैं। आप मिल के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं, यह बताओ आप तो? मिल के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप मिल मालिक से मिले हुए हैं, मंत्रीजी, मेरा आरोप है। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : मिल के खिलाफ हमने उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया।

डा. किरोड़ी लाल : कब किया?

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, इसमें अधिकारियों का क्या दोष है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कब किया? आप तारीख बताएं. कौनसी तारीख को किया? (व्यवधान) आज की तारीख में ब्लैक लिस्ट नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। जो कह रहे हैं, हाउस में कह रहे हैं तो सत्य कह रहे हैं, सत्य के सिवाय कुछ नहीं कह रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या अभी किया है क्या? माननीय सहकारिता मंत्रीजी, अभी-अभी किया है क्या? मिल को ब्लैक लिस्ट आपने अभी किया है? अभी-अभी?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न, के. सी. चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें दोषी मिल है। (व्यवधान) इसमें मिल के अलावा कौन दोषी है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, नहीं, पहले कर दिया है।

ब्यावर मुख्यालय पर अल्प बचत अधिकारी की नियुक्ति

120. डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : क्या अल्प बचत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उपखण्ड, ब्यावर में अल्प बचत हेतु कुल कितने अभिकर्ता कार्यरत हैं और वे कुल कितनी राशि संग्रह करते हैं ?

(2) उक्त अभिकर्ताओं को क्या सरकार मुख्यालय पर ही कोई सक्षम अधिकारी लगाकर सुविधा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, अल्प बचत (श्री परसादी लाल) : (1) उपखण्ड, ब्यावर में 162 अभिकर्ता कार्यरत हैं और वर्ष 2000-2001 में (माह फरवरी, 2001 तक) रुपये 5492.54 लाख का विनियोजन किया गया है।

(2) जी, नहीं। ब्यावर मुख्यालय पर अभिकर्ताओं की सुविधा हेतु अधिकारी लगाये जाने का औचित्य नहीं है, जिसके निम्न कारण हैं :—

(अ) अजमेर जिले में कुल अभिकर्ता 1368 कार्यरत हैं जिसमें से ब्यावर में केवल 162 अभिकर्ता नियुक्त हैं जो नियुक्त अभिकर्ताओं का मात्र 11.84 प्रतिशत है।

(ब) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संचालित प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ निवेशकों को प्रदान करने हेतु ब्यावर में स्थित विभिन्न कार्यालयों को अधिकृत किया हुआ है। अभिकर्ताओं को एजेंसी देने का कार्य, एजेंसी नवीनीकरण का कार्य एवं प्रोत्साहन राशि भुगतान करने का कार्य जिला अल्प बचत कार्यालय, अजमेर द्वारा किया जाता है। अभिकर्ताओं को अधिकृत अभिकर्ता एवं महिला प्रधान अभिकर्ता की एजेंसी जिला कलक्टर द्वारा तीन वर्ष के लिए प्रदान की जाती है। एजेंसी नवीनीकरण का कार्य तीन वर्ष में एक बार कराना होता है। लोक भविष्य निधि अभिकर्ता की एजेंसी देने एवं उसका नवीनीकरण करने का कार्य राष्ट्रीय बचत संगठन के क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय, जयपुर द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा देय प्रोत्साहन राशि का भुगतान अभिकर्ताओं को तीन माह में एक बार किया जाता है। अतः ब्यावर में अभिकर्ताओं के लिए एक अलग कार्यालय स्थापित करने जितना कार्य नहीं है।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, रुपये 5492.54 लाख का विनियोजन आपने ब्यावर में बताया है तो इस विनियोजन को प्रोत्साहित करने का आपका कोई विचार है ? ब्यावर में अल्प बचत की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं उसी को देखते हुए हमने आपसे रिक्वैस्ट की थी। आपने जैसा बताया अपने उत्तर में कि विभिन्न

(डा. के. सी. चौधरी)

कार्यालयों द्वारा प्रोत्साहित करने का लाभ दिया जाता है, तो विभिन्न कार्यालयों से आपका तात्पर्य क्या है? तीसरा मेरा प्रश्न है, ब्यावर उपखण्ड के जो आंकड़े दिये हैं, ये विजयनगर, मसूदा को सम्मिलित करते हैं या नहीं? ब्यावर उपखण्ड के जो आंकड़े हैं वे विजयनगर, मसूदा सहित पूरे एरिये को सम्मिलित करते हैं या नहीं? ब्यावर उपखण्ड में मसूदा, विजयनगर आता है और 162 एजेंट्स ब्यावर में काम कर रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए छोटा-सा चाहे आप उप कार्यालय खोल दें या जूनियर आकउंटेंट कर दें। रोजाना उनको हर काम के लिए अजमेर जाना पड़ता है, उनकी सुविधा के लिए सरकार कुछ विचार रखती है क्या?

श्री परसादी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जैसा मैंने अभी बताया, अभी किसी भी जिले में उपखण्ड स्तर पर अल्प बचत का कार्यालय नहीं है, जिला मुख्यालय पर कार्यालय स्थापित है। एजेंसी और कमीशन वगैरह का कार्य तीन माह में एक बार दिया जाता है, इसलिए इसका कोई औचित्य भी नहीं है कि हर उपखण्ड स्तर पर कोई कार्यालय हो। आपने कहा कि वहां पर 162 अभिकर्ता हैं, मैंने आपको अपने जवाब में कहा कि यह कुल जिले के अभिकर्ताओं का 11.84 प्रतिशत है। अगर ज्यादा अभिकर्ता होंगे, हमारे नार्म्स हैं कि 3000 पर एक अभिकर्ता होता है। उसके अनुसार अगर आप अभिकर्ता बनाएंगे, कुछ औचित्य होगा तो इसके बारे में विचार कर लिया जाएगा, फिलहाल तो कोई विचार नहीं है। उपखण्ड, ब्यावर में जिले में सबसे ज्यादा निवेश होगा तो उसके बारे में आगे जाकर विचार किया जा सकता है।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ब्यावर को सही मायने में जिला बनाने की मांग होती रही है, एक छोटा-सा अल्प बचत का कार्यालय करके प्रारम्भ कर दें माननीय परसादी लालजी तो कम से कम शुरूआत तो हो। बड़ा व्यापार क्षेत्र वहां पर है और अल्प बचत की संभावनाएं ज्यादा हैं तो शुरूआत करें। एक छोटा-सा आदमी या एक अधिकारी वहां लगा दें, अगर आपके विभाग का जूनियर अकाउंटेंट लगा दें तो क्या फर्क पड़ता है? मैं सोचता हूं कि आप शुरूआत करें। माननीय परसादी लालजी, आप खुद उस जिले से आते हैं, खुद आपने दौसा को जिला बनवाया तो शुरूआत तो करें, अल्प बचत से ही करें।

श्री अध्यक्ष : जिला और अभिकर्ता में बहुत फर्क है।

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी हर जिले में हमारा एक अल्प बचत अधिकारी होता है, उसके दो सहायक कर्मचारी होते हैं। इस तरह से फिलहाल कोई विचार नहीं है कि हम किसी उपखण्ड स्तर पर भी कार्यालय खोलें, सरकार का फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री जनार्दन गहलोत : आपसे बड़ी आशाएं हैं।

डा. के. सी. चौधरी : मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माननीय मंत्रीजी, कि ब्यावर भले ही उपखण्ड हो, जिला सी.एम.एच.ओ. का मुख्यालय ब्यावर में है, जिला परिवहन अधिकारी वहां है, जिला रोजगार कार्यालय वहां है, जिले के कई सारे कार्यालय वहां खुले हुए हैं। ब्यावर में संभावना है अल्प बचत की मैं तो आपको भी निवेदन कर रहा हूं कि ब्यावर में अगर आपने अल्प बचत को थोड़ा प्रोत्साहित किया तो आप ही को लाभ होगा, सरकार को लाभ होगा भले ही आप उप कार्यालय वहां खुलवा दीजिये।

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, उप कार्यालय खोलने का फिलहाल विचार नहीं है सरकार का। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न, श्री ललित भाटी।

पुलिस थाना सामोद (जयपुर) में दर्ज दहेज हत्या प्रकरण

121. **श्री ललित भाटी** (अजमेर-पूर्व) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पुलिस थाना, सामोद, जिला जयपुर में मार्च, 2001 में दहेज हत्या सम्बन्धी कितनी रिपोर्ट कब-कब दर्ज हुई? विवरण प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त थाने में प्रकरण संख्या 50/2001 भी दर्ज हुआ है? उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? उक्त प्रकरण में मृतका के शव का पोस्टमार्टम किस किस चिकित्सक द्वारा किया गया? पोस्टमार्टम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में जांच अधिकारी द्वारा अभी तक भी मुल्जिमों (नामजद) को गिरफ्तार नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कर उक्त प्रकरण में पीड़ित पक्षकार को न्याय दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में मृतका के परिजनों ने संबंधित पुलिस अधीक्षक एवं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मिलकर जांच अधिकारी द्वारा की जा रही लापरवाही के संबंध में निवेदन किया था? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच अधिकारी को क्या-क्या निर्देश दिये गये एवं जांच अधिकारी द्वारा उनकी पालना किस प्रकार एवं कहां तक की गई? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक उक्त प्रकरण के मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा?

गृह मंत्री (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : (1) पुलिस थाना, सामोद (जयपुर) में मार्च, 2001 में दहेज हत्या का एक प्रकरण दिनांक 4.3.2001 को दर्ज हुआ। श्री सोहन लाल पुत्र श्री गुलाब चन्द, निवासी 68, विजय बाड़ी, पथ नं. 1 सीकर रोड,

(गृह मंत्री)

जयपुर ने दिनांक 4.3.2001 कि पुलिस थाना, सामोद पर लिखित रिपोर्ट पेश की कि उसकी बहिन सावित्री को ससुराल वालों ने दहेज की खातिर मार दिया, आदि रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 50/2001 धारा 498ए, 304बी, भा.दं.सं. में पंजीबद्ध किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। घटित घटना के संबंध में अभियोग संख्या 50/2001 थाना सामोद पर दर्ज किया जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, संबंधित वस्त्रादि जब्त किये गये, गवाहान के बयान लिये गये। मृतका का पोस्टमार्टम एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर के डाक्टर सर्वश्री एन.एल. दिसानिया व डाक्टर बी.एन. उपाध्याय द्वारा किया गया। अब तक के अनुसंधान से मृतका के पति श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री शिवदयाल शर्मा निवासी मोरीजा थाना सामोद को गिरफ्तार किया गया है। पोस्टमार्टम की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) अब तक के अनुसंधान से प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद व्यक्तियों में से श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा को अनुसंधान से आरोप प्रमाणित पाये जाने पर दिनांक 18.3.2001 को गिरफ्तार किया गया। शेष नामजद व्यक्तियों के बारे में अनुसंधान किया जा रहा है।

(4) उक्त प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा कोई अनियमितता करना नहीं पाया गया है। अभियोग का अनुसंधान जारी है। अनुसंधान पूर्ण होने पर ही तद्नुसार कार्यवाही की जाएगी।

(5) अभियोग का मुस्तगीस श्री सोहन लाल का परिवाद मुख्य मंत्री महोदय के सचिवालय में पेश किया गया था। उसी परिवाद को अनुसंधान में आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक, जयपुर (ग्रामीण) को भेजा गया, जिसका वृत्ताधिकारी चौमूं को परिवाद में वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अनुसंधान करने हेतु निर्देशित किया गया। जांच अधिकारी द्वारा निर्देशों की पालना की जा रही है। अनुसंधान शीघ्रपूर्ण कर समुचित कार्यवाही की जाएगी।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, खंड तीन के जवाब में यह बताया जा रहा है कि शेष नामजद व्यक्तियों के बारे में अनुसंधान किया जा रहा है जबकि मृतका के पति को रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। 498ए, में आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, एक नोन बेलेबल आफेंस हैं, उस नान बेलेबल आफेंस के अंदर जो नामजद लोग हैं उनमें एक को तो गिरफ्तार कर लिया जाए लेकिन बाकी को किस आधार पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? यह रियायत कौन-से कानून के नियम में दी जा रही है? गृह मंत्री महोदय बताएं कि उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? खंड चार के अंदर जो बात है, अध्यक्ष महोदय,

(श्री ललित भाटी)

अनुसंधान अधिकारी मृतका के परिवारजनों के घर पर जाकर इस बात का दबाव डाल रहा है कि वे यह केस वापस ले लें, उनसे राजीनामा कर लें। मैं गृह मंत्रीजी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि दहेज का जो एक सामाजिक राक्षस पैदा हो गया है, इसके प्रति कठोर कदम उठाने के लिए क्या ऐसा कुछ प्रावधान सरकार रखना चाहती है कि अनुसंधान अधिकारी एक नियत समय के अंदर उसकी रिपोर्ट और उसका चालान पेश करें? इस तरीके से अनलिमिटेड टाइम मिलने से अनुसंधान अधिकारी दूसरे पक्षकार के साथ मिलकर रिपोर्ट करने वालों के ऊपर दबाव डालता है, ऐसी घटनाएं आम देखने को आती हैं, मैं तो सिर्फ दो स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो दूसरे नामजद व्यक्ति हैं उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, उन्हें कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : प्रथम दृष्ट्या अनुसंधान से यह पाया गया कि उसका पति उसमें दोषी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके सास और ससुर के बारे में भी नामजद रिपोर्ट पेश की गई, यह बात सही है। शिकायतकर्ता ने उसमें नाम लिखे हैं, उसकी गवाही और उसकी जानकारी की जा रही है। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ढिलाई बरती गई है। मेरे सामने जब मामला आया, मैंने इस सारे प्रकरण को सी.आई.डी. (क्राइम ब्रांच) को ट्रांसफर कर दिया और उसको निर्देश दिये हैं कि शीघ्र कार्यवाही करके इस प्रकरण को जल्दी निबटा दें।

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, सी.आई.डी. को ट्रांसफर गृह मंत्री महोदय ने किया है। मेरा तो कहना बहुत स्पेसिफिक है, यह सब जानते हैं कि सी.आई.डी. में गया, एक लम्बी प्रक्रिया से गुजरता है, कई बार मामला ठंडा हो जाता है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : निश्चित अवधि में इस प्रकरण की जांच पूरी करके जो भी दोषी हैं, उसका चालान किया जाएगा।

श्री ललित भाटी : मंत्री महोदय, निश्चित अवधि को ही मैं समय सीमा में बांधना चाह रहा हूं कि वह समय सीमा क्या होगी। निश्चित तो एक साल भी हो सकता है, दो साल भी हो सकता है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : एक महीने के भीतर-भीतर जांच पूरी करके आवश्यक कार्यवाही कर ली जाएगी।

श्री ललित भाटी : धन्यवाद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह है, खेतसिंहजी, जवाब।

प्रश्न संख्या-122

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री ज्ञानदेव आहूजा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हीरासिंह चौहान।

कोटा सम्भाग में अन्नपूर्णा योजना

123. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा संभाग के अटरू, छबड़ा, नैनवां व मनोहरथाना विधान सभा क्षेत्रों में तथा पाली जिले के रायपुर विधान सभा क्षेत्र में अन्नपूर्णा योजना के तहत कितने व्यक्तियों को गेहूं का निःशुल्क वितरण कब से किया जा रहा है ?

(2) उक्त योजनान्तर्गत अब तक कितने व्यक्तियों को कितना गेहूं वितरित किया गया ?

(3) क्या उक्त अन्नपूर्णा योजना शत प्रतिशत भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है ? यदि हां, तो फिर लोगों को उक्त योजना का लाभ देने में देरी क्यों हो रही है ?

(4) क्या उक्त क्षेत्रों में अब कोई उक्त योजना से वंचित नहीं रहा है ? क्या उक्त योजना से कुछ व्यक्ति वंचित हैं ? यदि हां, तो कितने ? अब कब तक उक्त व्यक्तियों को उक्त योजना का लाभ दिला दिया जाएगा ?

खाद्य मंत्री (श्री रामकिशन वर्मा) : (1) कोटा संभाग के अटरू, छबड़ा, नैनवां व मनोहरथाना विधान सभा क्षेत्रों में तथा पाली जिले के रायपुर विधान सभा क्षेत्र में अन्नपूर्णा योजना के तहत अप्रैल, 2000 से वितरण प्रारम्भ किया गया था। जितने व्यक्तियों को निःशुल्क गेहूं का वितरण किया जा रहा है, वह निम्नप्रकार है :—

नाम विधान सभा क्षेत्र	व्यक्तियों की संख्या
1. अटरू	237
2. छबड़ा	431
3. नैनवां	98
4. मनोहरथाना	153
5. रायपुर	85

(2) इस योजना के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 1 में वर्णित विधान सभा क्षेत्रों के 1004 व्यक्तियों को 625.1 क्विंटल गेहूं वितरित किया गया है।

(3) जी, हां। उक्त योजना का लाभ देने में कोई देरी नहीं हुई है।

(4) उक्त योजना में चयनित अटरू विधान सभा क्षेत्र के 44 व्यक्ति एवं रायपुर विधान सभा क्षेत्र के नये चयनित किये गये 152 व्यक्तियों को छोड़कर कोई चयनित व्यक्ति इस योजना से वंचित नहीं रहा है। अब इन शेष व्यक्तियों को भारत सरकार से द्वितीय छमाही की राशि प्राप्त होने के बाद लाभ दिया जा सकेगा।

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा निर्देश आपको क्या प्राप्त हुए हैं ? दूसरा, क्या सभी चयनित परिवारों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा ? लाभान्वित करने के लिए किस प्रकार के चयनित

(श्री हीरासिंह चौहान)

परिवारों को इसमें सलेक्शन किया गया? तीसरा, प्रश्न यह है कि कौन-सी एजेंसी है जिसके मार्फत इस प्रकार के गरीब परिवारों का चयन करने के लिए अधिकृत किया गया है? चौथा प्रश्न है, अब तक भारत सरकार द्वारा गेहूं या अन्य प्रकार की खाद्य सामग्री जो आवंटित की गई है, क्या यहां के अपने गोदाम हैं, यहीं से सप्लाई ली जा रही है या किसी अन्य जगह से सप्लाई ली जा रही है? सप्लाई ली जा रही है तो क्या पूरी ली गई है? ऐसे परिवारों को चयन के अनुसार किसके माध्यम से चयन किया जा रहा है? इसके अलावा यह जो रायपुर का चौथा सवाल आया कि अब तक 152 परिवारों का और चयन किया गया है, यह नये चयनित करने का क्या आधार है, चयनित तो आलरेडी 98 में पहले हो रखे हैं? इनका जवाब दीजिये।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्नपूर्णा योजना भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2000 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना में 65 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के लोग जो अशक्त हैं, जिनको राज्य सरकार से और भारत सरकार से, दोनों से वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं होती है, उनका चयन जिलाधीश के माध्यम से पंचायत समिति द्वारा कराया जाता है। इसलिए चयन में कहीं कमी रही, ऐसा तो कहीं सम्भव लगता नहीं। अगर कहीं आपको ऐसा लगा कि ऐसा है तो मैं उसकी दोबारा जांच करवा दूंगा, उसका फिर भी चयन करवा देंगे। भारत सरकार से पहली छमाही किस्त के तीन करोड़ अठारह लाख रुपये हमको मिले । उसका सम्पूर्ण अनाज हमने उठा लिया और सबका वितरण करा दिया गया है। दूसरी छमाही किस्त आना बाकी थी इसलिए जो लोग दोबारा चयनित किये गये, जैसा कि मैंने रायपुर के लिए कहा, अटरू के लिए कहा, दोबारा जो किस्त आई है उनमें से इनको भी वितरण करा दिया जाएगा।

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय खाद्य मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि जिस शीघ्रता से कार्य योजना लागू की जानी चाहिए, आपने कहा 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं, उन सब महिलाओं और पुरुषों का चयन नहीं किया गया है। एजेंसी बहुत शिथिलता से चयन कर रही है और जो लाभ भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट इस प्रकार के लोगों को दिया जा रहा है उसका अभी तक बराबर लाभ नहीं मिल रहा है। इसके लिए आप क्या-क्या दिशा-निर्देश अपने जिला कलक्टर को या पंचायत समितियों को और जारी करने के प्रयास करेंगे, इससे अवगत कराएं।

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो जिला कलक्टर के माध्यम से पंचायत समितियां इनका सलैक्शन करती हैं, फिर भी कहीं कोई कमी रह गई हो, खामी रह गई हो तो हम दोबारा निर्देश देंगे कि उन लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए जो इस योजना में शामिल होने के सक्षम हैं, अधिकृत हैं ताकि उनको

(श्री रामकिशन वर्मा)

यह लाभ मिले। हमको इस बात में कहीं कोई दिलचस्पी नहीं कि जिसको लाभ मिल रहा है उसके लाभ में हम कमी करें या उसको वह लाभ नहीं दिलाएं।

श्री हीरासिंह चौहान : क्या आप संतुष्ट हैं कि अब तक सारे ही परिवार इस योजना के तहत चयनित हो चुके हैं?

श्री रामकिशन वर्मा : हम संतुष्ट हैं। इसलिए इन सारे लोगों को दिया जाना सम्भव नहीं है। पर जिस प्रकार की गाइड लाइन्स आई हैं कि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग जो अशक्त हैं, कमजोर हैं जिनको भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों की वृद्धावस्था पेंशनों का लाभ नहीं मिला है, उन लोगों का जिलाधीश महोदय ने पंचायत समिति के माध्यम से सलेक्शन करवाया है उनको यह लाभ दिया गया है। जितनी राशि प्रथम छमाही की आई उसमें हमने किसी को नहीं छोड़ा। जो दुबारा चयन किये गये रायपुर और अटरू विधान सभा क्षेत्र के, दूसरी किस्त के लिए भी हमारे यहां से चिट्ठी लिखी गयी है माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा जल्दी ही उसका जवाब मिलने पर कि आ गयी है, उनको भी यह लाभ दिला दिया जाएगा।

श्री हीरासिंह चौहान : ये जो विधान सभा क्षेत्र के मैंने पूछे, ये तो तीन-चार ही हैं, राजस्थान भर में इस प्रकार के कितने परिवार चयनित किये गये हैं अन्नपूर्णा योजना में, यह बताइये आप?

श्री रामकिशन वर्मा : यह रिपोर्ट आने पर ही बता पाऊंगा आपको। आप अलग से इस मामले में मुझसे बात करें। आप जो भी कहेंगे मैं उसका समाधान करा दूंगा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अन्नपूर्णा योजना छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौनसी पंचायतों में लागू की है आपने? नं. 2, अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति कितना गेहूं दिया जाता है? नं3, छबड़ा में जो 431 लोगों को आपने गेहूं आबंटित होना बताया है क्या उन सबको मिल चुका है? और यदि मिल चुका है तो आपने इसकी जांच किससे करवायी है कि गेहूं उनको मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है? मेरा आरोप है कि जो 431 व्यक्ति आपने बताये हैं इनको पूर्ण रूप से गेहूं नहीं मिला है।

श्री रामकिशन वर्मा : अगर ऐसी कोई जानकारी आपके पास है तो आप उनके नाम हमें दे दीजिये, जिसने भी कमी की हो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, उसको सजा दिलाएंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, प्रश्नकर्ता का जवाब दीजिये। श्री मदन दिलावर।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : क्या माननीय मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है...

श्री अध्यक्ष : सिंघवी साहब, बैठिये आप। प्रश्नकर्ता।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ..कि आप जांच कराएं कि संबंधित आदमी को कितना गेहूं वितरित किया जाना था उतना मिला है कि नहीं?

श्री अध्यक्ष : आपने पूछ लिया है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इनको अटरू और रायपुर में नया चयन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या फार्मूला है इसका चयन करने का? क्या कोई निश्चित फार्मूला है कि जो बी.पी.एल. में चयनित लोग हैं उनमें से इतने प्रतिशत लोगों का चयन करना है? तो अटरू में कितने बी.पी.एल. हैं और कितने प्रतिशत का चयन करना था? उसके आधार पर कितने लोगों का चयन करना आवश्यक था और कितना किया गया है? यदि इन्होंने पहले कम चयन किया और फिर दुबारा नया चयन किया तो पहले कम चयनित करने के क्या कारण थे।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बी.पी.एल. फैमिली के जो चयनित लोग हैं उनमें से इस योजना में 16% को ही लाभ देने की योजना है। फिर भी अगर कहीं आप जो कहना चाहते हैं कोई कमी रह गयी है तो उसके आधार पर जांच करवा देंगे।

श्री मदन दिलावर : मैंने यह जानना चाहा उसका पूरा जवाब आ जाए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में यह अन्नपूर्णा योजना कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में लागू की गयी है, यह तो लिस्ट बता दें आप।

श्री रामकिशन वर्मा : छबड़ा विधान सभा क्षेत्र के लिए पंचायतों का बाद में मैं आपको जब भी आप चाहेंगे उत्तर दे दूंगा।

श्री मदन दिलावर : माननीय मंत्री महोदय, चयन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या पहले अधिकारियों और कर्मचारियों ने कम चयन किया था? यदि कम चयन किया था तो ऐसा क्यों हुआ, उसके क्या कारण हैं?

श्री रामकिशन वर्मा : चयन में 16% को लाभ देना था। जितनी पहले की छमाही किस्त आयी उसका उनको लाभ हमने दिलवा दिया, हमने वितरण करवा दिया। चयन करने का जो आंकड़ा था, पूरे राजस्थान में 47500 व्यक्तियों को उसका लाभ पहुंचाना था दूसरी किस्त के माध्यम से। जिलाधीश महोदय ने समझा कि पंचायत समिति के माध्यम से जो चयन कराया, जो लोग बच गये उनको भी इसका लाभ दिला दिया। जब पैसा आ गया तो उसका लाभ उनको भी दिला दिया जाएगा।

श्री मदन दिलावर : क्या पहले चयन किया जाता है या सामग्री आने बाद चयन किया जाता है? जैसा आप बता रहे हैं छमाही किस्त आने के बाद हमने नया चयन किया है, तो क्या हमारे पास सामग्री आने के बाद यह चयन किया जाता है? मैं यह जानना चाह रहा हूं कि आपने पहले ही इन सब लोगों का चयन क्यों नहीं किया, इसके क्या कारण थे?

श्री रामकिशन वर्मा : पहले ही चयन कर लिया जाता है, लेकिन हमारे पास भारत सरकार से जितनी राशि आयी उस राशि में जितना हमारे पास वितरण व्यवस्था के लिए सामान आया वो हमने वितरण करा दिया।

श्री मदन दिलावर : माननीय मंत्री महोदय, पहले ही आपके पास दिशा-निर्देश आ चुके हैं और उन दिशा-निर्देशों में सीधा-सीधा लिखा हुआ है कि इतने प्रतिशत लोगों का चयन करना है। तो आपने उस आधार पर अटरू विधान सभा क्षेत्र में एक साथ चयन क्यों नहीं किया? उसके क्या-क्या कारण रहे? कहीं भी भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में ऐसा उल्लेख नहीं है कि हम फर्स्ट किस्त भेजेंगे तो आप उतना चयन करना और द्वितीय किस्त भेजेंगे तो इतना चयन करना। फिर अटरू और रायपुर में ऐसा क्यों हुआ? अन्य पंचायत समितियों-छबड़ा में, छीपाबड़ौद में ऐसा क्यों नहीं हुआ या राजस्थान की अन्य पंचायत समितियों में ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसके क्या कारण रहे?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : प्रति व्यक्ति कितना गेहूं दिया जाता है।

श्री रामकिशन वर्मा : प्रति व्यक्ति 10 किलो गेहूं दिया जाता है, तीन महीने के लिए दिया जाता है एक साथ और जो लोग चयन होकर आते हैं, चयन में जिसका नाम आता है उसको दिया जाता है। सारी चयन प्रकिया पहले कर ली गयी फिर भी जो बच गये उनको दुबारा कराने के लिए कलक्टर की तरफ से आदेश आया और पंचायत समिति के माध्यम से चयन कराया गया ताकि कहीं कोई खामी नहीं रह जाए। अगर आप समझते हैं कि खामी रह गयी तो आप मुझे बताएं, मैं उसको दुबारा करवा दूंगा।

श्री मदन दिलावर : मेरे प्रश्न का जवाब अभी आया नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पाइंटेड क्वेश्चन किया है और पाइंटेड क्वेश्चन का जवाब माननीय मंत्री महोदय पता नहीं क्यों नहीं देना चाहते। आप बताएं कि यह चयन दुबारा अटरू पंचायत समिति और रायपुर पंचायत समिति में क्यों करना पड़ा? छबड़ा में भी क्यों करना पड़ा? यह पाइंटेड सवाल है।

श्री रामकिशन वर्मा : हमने तो सभी जगह के लिए कहा था। जो मिल गया उसका चयन अटरू और रायपुर में किया गया और आगे भी कोई मिल जाएगा तो उसका भी करवा देंगे। यह देना ही है योजना में, इसमें कोई छिपाना थोड़े ही है।

श्री मदन दिलावर : (व्यवधान) गांव-गांव में ढूंढा जाता है या फिर इनके पास लिस्ट है?

श्री रामकिशन वर्मा : फिर किस बात की आप कमी बताना चाहते हैं? आपका लक्ष्य कहीं मुझे पता लगे कि कहीं न कहीं हमारी मंशा खराब हो, किसी को देना नहीं चाहते हों तो वह कहें, उनको हम दिलवा देंगे।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, बी.पी.एल. के लोगों के चयन की सूची आपके पास है कि नहीं? यदि आपके पास बी.पी.एल. चयन की सूची है तो क्या फिर आपको गांव-गांव में एक-एक व्यक्ति को पूछ कर ढूंढ़ना पड़ता है? आपके पास सारी सूची है। आपने ग्राम सभा में या पंचायत समिति में या जिला कलक्टर के पास सूची को उपलब्ध कराया होगा और फिर उसी के आधार पर चयन हुआ होगा। इसलिए यह कहना कि कोई मिल जाएगा तो क्या जंगल है क्या जो शेर देख रहे हैं हम कि कहीं न कहीं मिल जाएगा तो दर्शन कर लेंगे।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि पूरे राजस्थान में 47500 व्यक्तियों का चयन हुआ है इसलिए उनको वितरण व्यवस्था करायी गयी है अब कहीं कोई जगह पता लगा होगा, कहीं जानकारी आयी होगी तो बाकी लोग आये, जो अटरू और रायपुर क्षेत्र के थे दूसरी किस्त आने पर उनको भी इसका लाभ दिलवा देंगे। आपके कहीं कमी हो तो आप मुझे समझाएं कि कहीं हमारी मंशा खराब है या कहीं आपको उसमें नुकसान हो रहा है या किसी की अनदेखी कर रहे हैं, तो उनको हम ठीक करेंगे।

श्री मदन दिलावर : मेरे प्रश्न का जवाब तो नहीं आया लेकिन एक और यह जानना चाहता हूं कि...

श्री अध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल।

श्री मदन दिलावर : क्या 16% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इसकी श्रेणी में आते हैं, यानी बहुत गरीब हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धावस्था पेंशन का लाभ भी नहीं मिला और वृद्धावस्था पेंशन का लाभ भी नहीं मिला?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता को दो अनुपूरक प्रश्न पूछने चाहिए, आपने 5 पूछे हैं। डा. किरोड़ी लाल।

श्री मदन दिलावर : ...उस प्रतिशत से भी ज्यादा लोग हैं तो क्या उनको भी माननीय मंत्री महोदय लाभ देंगे?

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने भारत सरकार से अन्नपूर्णा योजना में कितना आवंटन चाहा था? उसमें से कितना आबंटन मिल गया और उसमें से कितना इन्होंने बी.पी.एल. फैमिलीज को वितरित कर दिया? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वो तो संख्या के ऊपर डिपेण्ड करता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वो बता देंगे, मंत्रीजी को जानकारी है।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, शुरू में भारत सरकार द्वारा 47500 व्यक्तियों का चयन का लक्ष्य दिया गया बाद में उन्होंने अतिरिक्त चयन की स्वीकृति दी इसलिए नया चयन किया गया।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय मंत्रीजी, यह नया चयन करने का आप क्या आधार मानते हो किस आधार पर किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप अनाज बताओ न?

श्री रामकिशन वर्मा : जो आधार पहले चयन में था वही आधार बाद वाले चयन में है।

डा. किरोड़ी लाल : अमाउंट कितना था?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अमाउंट बताओ, कितना अनाज आया भारत सरकार से?

श्री रामकिशन वर्मा : आधार बताया न 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, आप अनाज बताओ, कितनी क्वांटिटी में अनाज आया, कितना क्विंटल अनाज मिला?

डा. किरोड़ी लाल : अनाज कितना मिला और आपने कितना वितरित कर दिया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कितना क्विंटल अनाज मिला भारत सरकार से और कितना आपने बांट दिया, आप तो यह बता दें।

श्री रामकिशन वर्मा : पहले जो किस्त आयी 318 लाख की, वह हमने पूरी बांट दिया।

डा. किरोड़ी लाल : मांग कितनी थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी मांग क्या थी?

श्री मदन दिलावर : मांग क्या थी, मांग?

श्री रामकिशन वर्मा : हमारी मांग तो जितने लोगों का चयन था उनको वितरण की थी। पहले जितने लोगों को वितरण हुआ, जिनका चयन हुआ उन्हीं लोगों को हमने तो वितरण सामग्री बांट दी।

डा. किरोड़ी लाल : आप तो वजन बताओ, वजन।

(12.00 बजे)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय मंत्रीजी, आपने अपने सवाल के जवाब में दो प्रकार के उत्तर दिये हैं एक तो आपने कहा है कि 16 प्रतिशत और दूसरा आपने कहा है कि 65 वर्ष से ज्यादा आयु, यह 16 प्रतिशत वाली बात सही है या 65 वर्ष वाली, या दोनों ही आप मिक्सअप करके बोल रहे हैं?

श्री रामकिशन वर्मा : चयनित में तो 16 प्रतिशत वाली बात सही है लेकिन भारत सरकार की गाइड लाइन थी कि जो 65 वर्ष या इससे ज्यादा के अशक्त लोग हों जिन्हें राज्य सरकार से, भारत सरकार से पेंशन नहीं मिलती हो उनका चयन किया जाए।

डा. किरोड़ी लाल : मंत्री महोदय, आपने मांगा कितना था, वह क्वांटिटी हम चाहते हैं। आपने कितना अन्न मांगा और कितना आबंटित कर दिया, अगर आप उसका वजन नहीं बता सकते हो तो आप अपना वजन बता दो।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्न व उसका उत्तर

जिला अलवर की खदानों में अवैध खनन

122. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी जिला अलवर में कई खानों में खनन कार्य हो रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खानों से पत्थर निकालकर दूर-दूर तक ले जाया जा रहा है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त खानों पर कई स्थानों पर क्रेशर भी चल रहे हैं?

(4) क्या सरकार इनकी जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। अलवर जिले के वन क्षेत्र में स्वीकृत खनन पट्टों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना में किसी भी खनन पट्टे में खनन कार्य नहीं किया जा रहा है। जिला अलवर के वन क्षेत्र में भारत सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनारक्षण उपरान्त निम्न दो खानों में खनन कार्य हो रहा है :—

1- मैसर्स शंकर इण्डस्ट्रीज, तेहदपुर निकटग्राम मंगलवास, तहसील अलवर।

2- राजीव मोहन गुप्ता, बसवा गेट तहसील राजगढ़, जिला अलवर।

(2) नियमित रूप से चालू खनन पट्टा क्षेत्र से पत्थर निकालकर दूर-दूर तक ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(3) वन क्षेत्र में मैसर्स शंकर इण्डस्ट्रीज तेहदपुर पर क्रेशर स्थापित है, इसके अतिरिक्त तहसील तिजारा के ग्राम उधानवास आदि में 10 इकाई स्टोन क्रेशर वन क्षेत्र से लगभग 25 मीटर की दूरी पर राजस्व क्षेत्र में स्थापित है।

(4) जी, नहीं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विभागवार योजना तथा गैर योजना मद में स्वीकृत राशि

218. श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : क्या आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) गत तीन वर्षों में प्रदेश में सिंचाई, ऊर्जा, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पेयजल, कृषि पर योजना तथा गैर योजना मद में कितनी-कितनी राशि का प्रावधान किया गया था? उक्त राशि में से कितनी-कितनी राशि व्यय की गई थी? वर्षवार विवरण सदन की मेंज पर रखें।

(2) उक्त राशि कुल बजट प्रावधान का कितना-कितना प्रतिशत थी?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में प्रदेश में सिंचाई, ऊर्जा, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पेजयल, कृषि पर योजना तथा गैर योजना मद अन्तर्गत प्रावधित राशि तथा उसके विरुद्ध व्यय की गई राशि की सूचना परिशिष्ट-1 अनुसार है।

(2) कुल बजट प्रावधान से प्रतिशत की सूचना परिशिष्ट-1 में अंकित अनुसार है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

सिन्धू नगर स्कीम नम्बर-16 (वार्ड नं. 68) जयपुर की जनगणना

219. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करें :--

(1) जयपुर नगर निगम सीमा को जनगणना हेतु कितने क्षेत्रों में बांटा गया है?

(2) उक्त के प्रत्येक क्षेत्र में कितने निरीक्षक एवं प्रगणक लगाये गये हैं एवं प्रत्येक प्रगणक को कितनी कालोनी/मकान आबंटित किये हैं।

(3) क्या यह सही है कि वार्ड नं. 68 में स्थित सिन्धू नगर स्कीम नम्बर-16 मुरलीपुरा, सीकर रोड, जयपुर में प्लाट नम्बर 222, 217, 216 एवं उसी लाइन में अन्य चार-पांच मकान जिनमें लोग निवास कर रहे हैं उनकी जनगणना हेतु कोई भी प्रगणक/निरीक्षक/वार्डन नहीं पहुंचे हैं और न ही उक्त क्षेत्र के निवासियों की जनगणना में सम्मिलित किया गया है? यदि नहीं, तो उक्त मकानों में जनगणनाकर्ता कब एवं किस तारीख को पहुंचा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अब उक्त क्षेत्र के मकानों में रहने वाले व्यक्तियों को जनगणना में सम्मिलित कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर नगर निगम, सीमा को जनगणना हेतु निगम के छह जोनल कार्यालयों के अन्तर्गत छह क्षेत्रों में बांटा गया है।

(2) उक्त छह क्षेत्रों में निम्नानुसार पर्यवेक्षक एवं प्रगणक लगाये गये :—

क्षेत्र (जोन)	प्रगणक	पर्यवेक्षक
1. सिविल लाइन जोन	774	128
2. हवामहल (पूर्व) जोन	595	96
3. हवामहल (पश्चिम) जोन	456	71
4. सांगानेर जोन	571	95
5. मोतीडूंगरी जोन	580	94
6. विद्याधर नगर जोन	902	147

प्रत्येक प्रगणक के लिए 100 से 150 मकानों की जनगणना का कार्य करना निर्धारित किया गया। एक कालोनी में मकानों की संख्या निर्धारित से अधिक या कम हो सकती है, इसलिए उन्हें कालोनीवाइज आबंटन नहीं किया गया।

(3) जी, नहीं। उनकी जनगणना के लिए प्रगणक/पर्यवेक्षकों ने दिनांक 6.2.2001 से 28.2.2001 तक तथा रिवोजन राउण्ड दिनांक 1.3.2001 से 5.3.2001 तक क्षेत्र में रह कर समस्त रिहायशी भवनों को जनगणना में शामिल किया है।

(4) जनगणना को उक्त अवधि में यदि कोई परिवार उपस्थित नहीं मिला है तो उसकी जनगणना अब महापंजीकार, जनगणना, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के बिना कराया जाना सम्भव नहीं है।

मानटाउन व बजरिया (सवाईमाधोपुर) क्षेत्र में अतिक्रमण

220. श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर के शहरी क्षेत्र के मानटाउन एवं बजरिया क्षेत्र में कितने अतिक्रमण कहां-कहां किए गए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अतिक्रमण हटाने/रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये/उठा रही है?

(3) क्या उक्त कार्य में कुछ भू-माफिया गिरोह शामिल है? यदि हां, तो कौन-कौन?

उत्तर

(1) नगरपालिका, सवाईमाधोपुर बजरिया, मानटाउन क्षेत्र में कुल 1344 अतिक्रमण हुए हैं, जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त अतिक्रमणों को हटाने हेतु एक्शन प्लान स्वीकृत कर दिया गया है तथा कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी, नहीं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

हवामहल बाजार (जयपुर) के फुटपाथ एवं रेलिंग

221. श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर को हैरिटेज सिटी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से किन-किन बाजारों के बरामदे खाली कराकर विकसित किये जा चुके हैं? उक्त निर्माण पर आये खर्च का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने चौड़ा रास्ता, हवामहल बाजार में व्यापारियों के निजी इकढालियों के स्वामित्व के संबंध में तथा इनके आगे बरामदे बनाये जाने के बारे में कोई जांच समिति का गठन किया था? यदि हां, तो इस संबंध में हुई प्रगति मय जांच प्रतिवेदन के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग (2) के संबंध में गठित जांच समिति ने चौड़ा रास्ता बाजार के प्रकरण में निर्णय कर हवामहल, सिरहड्योढी बाजार के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है? यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है।

(4) क्या सरकार हवामहल बाजार स्थित फुटपाथ को चौड़ा करने एवं रेलिंग हटाये जाने का भी विचार है? यदि हां तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर शहर को हैरिटेज सिटी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से चांदपोल बाजार, किशनपोल बाजार, गणगौरी बाजार, रामगंज बाजार एवं घाटगेट बाजार के बरामदे खाली कराकर विकशित किये गये हैं। उक्त बरामदों को विकसित कराने हेतु किये गये निर्माण पर हुए व्यय का विवरण निम्न है :—

जयपुर शहर में बरामदों को विकसित करने हेतु किये गये निर्माण पर आये व्यय का विवरण,

1- नगर निगम द्वारा करीब 235.00 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

2- जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इनके विकास पर 18.12 लाख रुपये एवं सुधारीकरण पर 145 लाख रुपये का व्यय किया गया।

(2) सरकार ने एक समिति का गठन केवल मात्र चौड़ा रास्ता के व्यापारियों के द्वारा बरामदों पर अतिक्रमण एवं बरामदों के अस्तित्व के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए किया था। चौड़ा रास्ता के सम्बन्ध में समिति द्वारा की गई प्रगति का प्रतिवेदन सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) उक्त समिति का गठन केवल मात्र चौड़ा रास्ता के सम्बन्ध में निर्णय हेतु ही किया गया है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(4) जी, नहीं। हवामहल बाजार स्थित फुटपाथों को चौड़ा करने व रेलिंग हटाने का नगर निगम, जयपुर का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(प्रतिवेदन विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नगरपालिका, चूरू में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना में स्वीकृत कार्य

222. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र चूरू में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना अन्तर्गत स्थानीय सामुदायिक विकास समिति द्वारा 12 फरवरी, 1999 को बीस (20) प्रस्ताव नगरपालिका, चूरू के अनुमोदन के पश्चात् बीकानेर परियोजना अधिकारी, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना को भेजे गये थे? यदि हां, तो प्रस्तावित 20 कार्य में से कितने कार्य स्वीकृत हुए और कितने कार्यों को कब प्रारम्भ किया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि शहरी स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना में चूरू के कार्यवाहक परियोजना अधिकारी द्वारा बिना अधिकार के प्रस्तावित 20 कार्यों में से 6 कार्यों को काट दिया व शेष कार्य को भी परिवर्तित कर दिया? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार पूरे प्रकरण की जांच करवाने का विचार रखती है?

(3) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय कच्ची बस्ती योजना अन्तर्गत जिला उपशमन समन्वय समिति द्वारा 19 जून, 2000 को 52 कार्यों के प्रस्ताव कार्यवाहक परियोजना अधिकारी चूरू को प्रेषित किये गये? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई और कार्यवाही में विलम्ब के क्या कारण रहे?

(4) वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में नगरपालिका क्षेत्र चूरू में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना तथा राष्ट्रीय कच्ची बस्ती योजना अन्तर्गत कितनी राशि स्वीकृत हुई और कितनी राशि का वास्तविक व्यय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। किन्तु इस योजना के प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति देने का अधिकार जिला स्तरीय गरीबी उपशमन समन्वय समिति के अध्यक्ष, जिला कलक्टर, चूरू में निहित होने के कारण प्रस्ताव पुनः जिला कलक्टर, चूरू को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने पर जिला कलक्टर, चूरू द्वारा प्रस्तावित 20 कार्यों में से 15 कार्यों की स्वीकृति दी गई, जिनमें से छह कार्य माह अप्रैल, 2000 में, एक कार्य जून, 2000 में तथा शेष आठ कार्यों का निर्माण कार्य माह जनवरी, 2001 में प्रारम्भ किया गया।

(2) जी, नहीं। प्रस्तावित 20 कार्यों में से 15 कार्यों की स्वीकृति जिला स्तरीय गरीब उपशमन समन्वय समिति के अध्यक्ष जिला कलक्टर, चूरू द्वारा प्रदान की गई। शेष पांच कार्यों के प्रस्तावित स्थलों का

(स्वायत्त शासन मंत्री)

मौका निरीक्षण करने पर एक स्थल पर पूर्व से ही नाली निर्मित पाये जाने एवं अन्य प्रस्तावित कार्यों के उपयोगी और सुविधाजनक नहीं पाये जाने से जिला कलक्टर, चूरू द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई। प्रस्तावित कार्यों की उपयोगिता एवं गुणावगुण के आधार पर प्रस्तावित कार्यों को परिवर्तित करने, स्वीकृती अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार, स्थाई जिला स्तरीय गरीबी उपशमंन समन्वय समिति के अध्यक्ष जिला कलक्टर में निहित है एवं समिति के अध्यक्ष जिला कलक्टर, चूरू द्वारा उक्त पांच कार्यों को गुणावगुण के आधार पर तर्क संगत नहीं होने से स्वीकृत नहीं किया गया। अतः प्रकरण की जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

(3) जी, नहीं। राष्ट्रीय कच्ची बस्ती विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 32 निर्माण कार्यों के प्रस्ताव नगरपालिका, चूरू द्वारा जिला स्तरीय गरीबी उपशमन समन्वय समिति, चूरू की बैठक दिनांक 26.6.2000 में प्रस्तुत किये गये। समिति द्वारा उक्त कार्यों का मौका निरीक्षण कर तकमीना करने हेतु नगरपालिका, चूरू को दिनांक 29.9.2000 को पत्र लिखा गया। नगरपालिका द्वारा मौका निरीक्षण एवं तकमीना प्रस्तुत करने पर उक्त समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित 32 कार्यों में से 29 कार्यों की स्वीकृति पत्र दिनांक 16.9.2000 द्वारा प्रदान की गई। शेष तीन कार्य मौका निरीक्षण में पूर्व से ही निर्मित पाये जाने पर इनकी स्वीकृति नहीं दी गई। इस प्रकार स्वीकृति दिये जाने की कार्यवाही में विलम्ब नहीं हुआ है।

(4) वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में नगरपालिका क्षेत्र चूरू में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना तथा राष्ट्रीय कच्ची बस्ती योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि एवं वास्तविक व्यय की राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

नगरपालिका, बारां के चुनाव के बाद क्रय की गई सामग्री

223. श्री मदन दिलावर (अटरू) एवं **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका बोर्ड बारां के वर्ष 2000 के चुनाव के बाद डोल मेले के व निर्माण कार्यों के अलावा किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त व्यय की गई राशि से नगरपालिका में कितनी-कितनी राशि की क्या-क्या सामग्री आई?

(3) उक्त क्रय की गई सामग्री स्टोर में कितनी दर्ज है तथा वर्तमान में स्टोर में कितनी उपलब्ध है?

उत्तर

(1) नगरपालिका बोर्ड, बारां का चुनाव 20 अगस्त, 2000 के पश्चात् नगरपालिका द्वारा डोल मेले व निर्माण कार्यों के

(स्वायत्त शासन मंत्री)

अलावा क्रय की गई सामग्री की सूची संलग्न है।

(2) प्रश्न का उत्तर बिन्दु संख्या एक के उत्तर में निहित है।

(3) प्रश्न के भाग संख्या-3 का उत्तर भी भाग संख्या एक के उत्तर की संलग्न सूची में निहित है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बाबा हरिश चन्द्र मार्ग, जयपुर में अतिक्रमण

224. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाबा हरिश चन्द्र मार्ग, जयपुर में रायसर प्लाजा, आनन्द चैम्बर एवं मिश्राजाजी रास्ते में मौरीजा टावर बने हुए हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त तीनों काम्प्लेक्स की दुकानों एवं कार्यालयों के मालिकों एवं ग्राहकों की गाड़ियां इन्दिरा बाजार से लेकर बाबा हरिश चन्द्र मार्ग में भूरा टीबा चौराहे तक खड़ी रहने से बाबा हरिश चन्द्र मार्ग में रास्ता अवरुद्ध हो जाता है?

(3) बाबा हरिश चन्द्र मार्ग की सड़क की चौड़ाई पूर्व में क्या थी और वर्तमान में क्या है?

(4) क्या यह सही है कि बाबा हरिश चन्द्र मार्ग के मकान मालिकों ने सड़क के दोनों तरफ 10-10 फुट के चबूतरे बनाकर अनधिकृत रूप से दुकानों का निर्माण कर रखा है? क्या सरकार उक्त सड़क को अब पुनः चौड़ा कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) बाबा हरिश चन्द्र मार्ग पर बने काम्पलेक्स रायसर प्लाजा एवं आनन्द चैम्बर के दुकानों, कार्यालय के मालिकों एवं ग्राहकों की गाड़ियां काम्पलेक्स के आसपास छोड़े गये खाली स्थान एवं बाबा हरिश चन्द्र मार्ग की तरफ सामान्य तौर पर खड़ी की जाती है, जिसके कारण बाबा हरिश चन्द्र मार्ग में यातायात कभी-कभी अवरूद्ध हो जाता है एवं मौरीजा टावर काम्पलेक्स के दुकानों एवं कार्यालय के मालिकों की गाड़ियां काम्पलेक्स के नीचे बने पार्किंग में ही खड़ी की जाती है।

(3) बाबा हरिश चन्द्र मार्ग की सड़क की चौड़ाई पूर्व में कहीं 11 मीटर एवं कहीं-कहीं इससे कम की थी और वर्तमान में रोड की चौड़ाई पूरे मार्ग में इस प्रकार से है :—

चांदपोल बाजार के प्रवेश पर	29.5"
मनोमेश्वर महादेव के सामने	44.9"
दरबार स्कूल के सामने	38.0"
पहला चौराहा, चांदपोल बाजार	34.10"
दूसरा चौराहा, रोजगारेश्वर महादेव के पास	21.0"
भूरा टीबा हनुमानजी के मन्दिर के पास	31.8"
आनन्द चैम्बर के सामने	43.4"
रायसर प्लाजा के सामने	47.0"

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(4) जी, हां। यह सही है कि रास्ता हरिश चन्द्र मार्ग में कुछ भवन मालकों द्वारा मकान के आगे बने चबूतरे के ऊपर दुकानों का निर्माण कर रखा है। उक्त सड़क को चौड़ा करने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।

सांगानेर (जयपुर) क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत

225. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में सड़क मरम्मत पर वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में किस-किस सड़क पर कितनी राशि व्यय की गई?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र की सभी सड़कें अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण एवं क्षतिग्रस्त हैं? क्या उक्त कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं?

(3) क्या सरकार सांगानेर रेलवे स्टेशन के समानान्तर चलने वाली पुरानी जीर्ण-शीर्ण सड़क, न्यू सांगानेर रोड, रेलवे स्टेशन के पीछे बसी कालोनियों को जोड़ने वाली सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में जिस-जिस सड़क मरम्मत पर वर्ष 1999-2000 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रुपये 15.63 लाख तथा नगरनिगम, जयपुर द्वारा रुपये 0.10 लाख रुपये एवं वर्ष 2000-2001 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रुपये 3.38 लाख तथा नगर निगम, जयपुर द्वारा रुपये 16.50 लाख व्यय किये गये, उनकी सूची संलग्न है।

(2) जी, नहीं। उक्त क्षेत्र की सभी सड़कें ज़ीर्ण-शीर्ण एवं क्षतिग्रस्त नहीं है। नगर निगम, जयपुर एवं जयपुर विकास प्राधिकरण को दुर्घटना की जानकारी नहीं है।

(3) जी, हां। इस सड़क की मरम्मत जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

प्रश्न संख्या-226

(स्थगित)

नगर परिषद् ब्यावर के सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति

227. **डा. के. सी. चौधरी** (ब्यावर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगर परिषद ब्यावर में सफाई कर्मचारियों को सफाई जमादार के पद पर पदोन्नति का प्रावधान है? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत तथा क्या इनमें महिला वर्ग को भी उक्त पद पर पदोन्नति दी जा सकती है?

(2) नगर परिषद में गत पांच वर्षों में कितने सफाई कर्मचारियों को जमादार के पद पर किन नियमों के अन्तर्गत पदोन्नत किया गया? क्या. इनमें महिला वर्ग को भी पदोन्नति दी गई? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. के. सी. चौधरी)

(3) क्या ब्यावर शहर की आबादी एवं क्षेत्र के हिसाब से उक्त नगर परिषद्, ब्यावर में पर्याप्त सफाई कर्मचारी उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त परिषद् में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ श्रेणी सेवा) नियम, 1964 के नियम 7 की टिप्पणी 127 के अन्तर्गत सफाई जमादारों के पद पर भिश्ती, स्वीपर और सफाई करने वालों के पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों से पात्रता के आधार पर पदोन्नति देने का प्रावधान है। यदि पदोन्नति में महिला पदोन्नति की पात्रता रखती है तो उसे पदोन्नति दी जा सकती है।

(2) नगर परिषद्, ब्यावर में गत 5 वर्षों में किसी भी सफाई कर्मचारी को वरिष्ठता का निर्धारण नहीं होने के कारण जमादार के पद पर पदोन्नति नहीं दी गई है।

(3) जी, हां। वर्ष 1981 की जनगणना 89998 के आधार पर 360 पद सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत हैं। स्वीकृत पदों के विरुद्ध 307 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं, शेष 53 पद रिक्त हैं। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति पर पूर्ण प्रतिबन्ध होने से स्वीकृति प्राप्त कर संविदा आधार पर सफाई कर्मचारी रखे जाकर समुचित व्यवस्था कायम रखी जाती है।

वार्ड नं. 52 जयपुर नगर निगम में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

228. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर निगम द्वारा हवामहल जोन (पूर्व) के वार्ड नं. 52 और जोन (पश्चिम) में जनवरी, 1999 से मार्च, 2001 तक कुल कितने अतिक्रमियों को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के नोटिस दिये गये हैं? उक्त अतिक्रमियों का नाम व पिता का नाम, पता और अतिक्रमी द्वारा कितनी भूमि पर अतिक्रमण किया गया का विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) उक्त सरकारी भूमि पर किये गये कितने अतिक्रमण हटाये गये? यदि, नहीं तो क्यों?

(3) उक्त क्षेत्र कि जिन अतिक्रमियों को नोटिस दिये गये थे वे नगरपालिका अधिनियम की किस धारा में दिये गये? क्या किसी अतिक्रमी ने किसी न्यायालय का स्थगन आदेश भी प्रस्तुत किया है? यदि हां, तो किस-किस ने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या वार्ड सं. 52 में सरकारी भूमि पर किये गये कुछ अतिक्रमण ध्वस्त भी किये गये हैं? यदि हां, तो नाम, पिता का नाम, पता आदि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर नगर निगम द्वारा हवामहल जोन (पूर्व) के वार्ड संख्या 52 और

(स्वायत्त शासन मंत्री)

हवामहल जोन (पश्चिम) में जनवरी, 1999 से मार्च, 2001 तक कुल 64 अतिक्रमियों को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के लिए नोटिस दिये गये। जिनके नाम, पिता/पति का नाम, पता और अतिक्रमी द्वारा जितनी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उक्त जोनों में 36 अतिक्रमण हटाये गये हैं।

(3) उक्त क्षेत्र के अतिक्रमियों को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 203/254 के अन्तर्गत नोटिस दिये गये थे। जिन पांच अतिक्रमियों ने न्यायालय का स्थगन आदेश प्रस्तुत किया है, उनका विवरण सदन की मेज पर रखी गई सूची में अंकित है।

(4) जी, हां। ध्वस्त किये गये अतिक्रमणों का विवरण सदन की मेज पर रखी गई सूची में अंकित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मैसर्स आर. के. मैटल्स फिनिशर्स जयपुर द्वारा प्रदूषण

229. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पर्यावरण विभाग ने आवासीय कालोनी में संचालित फैक्ट्री मैसर्स आर. के. मैटल्स फिनिशर्स, धोबियों का मौहल्ला, सुभाष चौक, जयपुर को प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण बन्द कराने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जयपुर को उक्त उद्योग के संबंध में आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए लिखा है? यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त उद्योग के विरुद्ध नगर निगम, जयपुर द्वारा क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं व कौन दोषी है? अब कब तक उक्त के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) जी, हां। मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जयपुर को लिखे पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। उक्त उद्योग के संचालक के आवेदन पर नगर निगम, जयपुर के पत्र दिनांक 31.3.2001 द्वारा उक्त उद्योग को अन्यत्र स्थापित करने के लिए एक माह का समय दिया गया है। नगर निगम, जयपुर के पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

विधायक नगर (पश्चिम) जयपुर की रोड लाइट

230. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(1) क्या यह सही है कि नगर निगम, जयपुर द्वारा विधायक नगर (पश्चिम) में रोड लाइटें लगाई गई हैं या उनका संधारण किया जा रहा है? यदि हां, तो किस-किस फ्लेट नम्बर के सामने तथा कुल कितनी लाइटें लगाई गई थी और उनमें से वर्तमान में कितनी कार्यरत हैं?

(2) क्या यह सही है कि फ्लेट नं. 1/1 और 1/3 के सामने एक खम्भा था जिस पर रोड लाइट लगी हुई थी जो अब नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या उक्त रोड लाइट वापस लगाई जाएगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त रोड लाइट का खम्भा गायब है और बिजली की केबल लगी हुई है? यदि हां, तो अब तक यह खम्भा क्यों नहीं लगाया गया तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

उत्तर

(1) नगर निगम, जयपुर द्वारा विधायक नगर (पश्चिम) में रोड लाइटें नहीं लगाई गयी हैं। नगर निगम, जयपुर द्वारा केवल उक्त लाइटों का संधारण किया जा रहा है। जिन फ्लेटों के सामने लाइटें लगी हुई हैं, उनका विवरण निम्नप्रकार है :—

(क) फ्लेट नं. 2/1 से 2/7 एवं फ्लेट नं. 3/1 से 3/7 तक तीन सोडियम लाइटें,

(ख) फ्लेट नं. 4/1 से 4/7 तक पांच सोडियम लाइटें,

(ग) फ्लेट नं. 5/1 से 5/7 तक पांच सोडियम लाइटें,

(घ) पार्क में दो सोडियम लाइटें,

(ङ) फ्लेट नं. 6/1 से 6/7 एवं 7/1 से 7/7 तक सात सोडियम लाइटें।

वहां कुल 22 लाइटें लगाई गई थी। वर्तमान में उक्त सभी लाइटें कार्यरत हैं।

(2) फ्लेट नं. 1/1 और 1/3 के सामने लगे खम्भे के क्षतिग्रस्त हो जाने से उसे हटा कर दूसरा खम्भा लगाकर रोड लाइट लगा दी गई है, जो वर्तमान में चालू है।

(3) प्रश्न के इस भाग का उत्तर प्रश्न के भाग दो में निहित है।

(4) दूसरा खम्भा लगाकर रोड लाइट लगा दी गई है, जो चालू है। अतः किसी की जिम्मेदारी का प्रश्न ही नहीं है।

जयपुर नगर निगम में पदस्थापित कर्मचारियों का बकाया वेतन

231. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने अपने पत्र क्रमांक 1196 दिनांक 28.4.98 द्वारा जयपुर नगर निगम में कार्यरत 12 कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कराये जाने हेतु लिखा था? यदि हां, तो जिला सेवा चयन आयोग द्वारा उपयुक्तता की जांच दिनांक 27.8.98 को कराये जाने के पश्चात् उपयुक्त पाये जाने

(श्री परसराम मोरदिया)
पर क्या उक्त कर्मचारियों को नियमित वेतन श्रृंखला प्रदान कर दी गई है? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को और नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त स्क्रीनिंग के पश्चात् क्या उक्त कर्मचारियों को इनके वेतन का भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त कर्मियों से बिना वेतन के कार्य करवाना कर्मचारियों के शोषण की श्रेणी में आता है?

(3) उक्त स्क्रीनिंग के पश्चात् कितने समय से उक्त प्रकरण राज्य सरकार के पास विचाराधीन है एवं अब इसमें कितना समय और लगने की सम्भावना है? अब उक्त कर्मचारियों को कब तक वेतन का भुगतान कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी, हां। जिला सेवा चयन आयोग द्वारा उपयुक्तता की जांच दिनांक 27.8.98 को कराये जाने के पश्चात् दस कर्मचारी उपयुक्त पाये जाने पर राज्य में चुंगी समाप्त होने के कारण अधिशेष कर्मचारियों का समायोजन विचाराधीन होने से विभाग द्वारा उक्त कार्यवाही विवरण पर रोक लगा दी गई है।

(2) जी, नहीं। प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) नगर निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर विभागीय स्तर पर परीक्षण विचाराधीन है। गुण-अवगुण के आधार पर शीघ्र निर्णय किया जावेगा।

दीनानाथजी की गली एवं बाराहजी का चौक, जयपुर में अतिक्रमण

232. **श्री रामनारायण विश्नोई** (फलौदी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चांदपोल बाजार स्थित दीनानाथजी की गली तथा बाराहजी का चौक, गणगौरी बाजार, पुरानी बस्ती, जयपुर को वर्षों से व्यवसायिक स्ट्रीट बना रखी हैं? यदि हां, तो कब से तथा किसकी स्वीकृति से?

(2) क्या यह भी सही है कि आवासीय परिसरों को व्यवसायिक परिसरों में परिवर्तित कर दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन परिसरों को तथा किसकी स्वीकृति से? क्या सरकार उक्त अवैध निर्माण तथा अतिक्रमणों को रोकने का विचार रखती है?

(3) क्या उक्त परिसरों को अतिक्रमण करके काम्पलेक्स में परिवर्तित करते समय पार्किंग की सुविधा भी नहीं छोड़ी गई है तथा सरकारी भूमि पर भी अतिक्रमण किया हुआ है जिससे आम नागरिकों को आवागमन में तथा वहां वर्तमान में गृहों में निवास करने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त परिसरों का व्यवसायीकरण हो जाने की वजह से वहां व्यापारियों को माल अथवा सामान का उतारना-चढ़ाना लगातार बना रहता है? क्या उक्त कारण घंटों यातायात

(श्री रामनारायण विश्नोई)

अवरुद्ध हो जाता है? क्या सरकार इसे रोकने तथा अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। उक्त स्थलों पर वर्षों पूर्व से ही बिना किसी स्वीकृति के व्यवसायिक केन्द्र बने हुए हैं।

(2) दीनानाथजी की गली एवं बारांहजी का चौक में जिन भवन मालिकों द्वारा अपने आवासीय परिसरों को व्यवसायिक परिसरों में बिना स्वीकृति के परिवर्तित कर लिया गया है, उनकी सूची संलग्न है। इन अवैध निर्माणों के संदर्भ में कार्यवाही करने के लिए नगर निगम, जयपुर द्वारा सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे उपरांत गुणावगुण के आधार पर इन अवैध निर्माणों बाबत नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नगर निगम, जयपुर द्वारा कार्यवाही की जावेगी।

(3) उक्त परिसरों को काम्पलैक्स में परिवर्तित करते समय पार्किंग की सुविधा नहीं छोड़ी गई है, लेकिन सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। उक्त परिसरों में पार्किंग की सुविधा नहीं होने से सड़क पर वाहन खड़े करने से आम नागरिकों को आवागमन में असुविधा तथा वहां गृहों में निवास करने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

(4) जी, हां। व्यापारियों का माल/सामान उतारते-चढ़ाते समय यातायात अवरुद्ध हो जाता है। नगर निगम, जयपुर द्वारा सर्वे करवा कर नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी?

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

जयपुर प्राधिकरण द्वारा जयपुर शहर में कब्जाधारियों को जारी पट्टे

233. श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में कई आवासीय समितियों में भू-खण्ड का पट्टा किसी अन्य के नाम से तथा कब्जा किसी अन्य का है? यदि हां, तो कहां-कहां तथा किन-किन का?

(2) क्या मूल पट्टाधारियों द्वारा भू-नियमन शुल्क आदि जमा नहीं कराने की स्थिति में कब्जाधारी द्वारा भू-नियमन शुल्क आदि जमा कराने पर प्राधिकरण द्वारा पट्टे दिये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां तथा किस नियम के अन्तर्गत?

(3) वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक शहर की कितनी आवासीय योजनाओं में कब्जाधारियों को कितने भू-खण्ड के पट्टे दिये गये हैं? योजनानुसार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रकरण जयपुर विकास प्राधिकरण के ध्यान में नहीं है।

(2) जी, नहीं।

(3) केवल आबंटी कब्जाधारी के पक्ष में ही आवंटन जारी किये हैं। केवल कब्जों के आधार पर नियमन नहीं किए हैं।

प्रश्न संख्या-234

(स्थगित)

सामुदायिक भवन, विद्याधर नगर, जयपुर की सुविधा का जनता हेतु उपयोग

235. श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर शहर के विद्याधर नगर, सैक्टर 10 के पास जनता की सुविधा एवं विवाह इत्यादि के लिए एक सामुदायिक हाल का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो इसमें क्या-क्या सुविधा है तथा इसके निर्माण पर कितना व्यय हुआ है?

(2) उक्त हाल का उपयोग आम जनता के लिए अभी तक प्रारम्भ नहीं किये जाने का क्या कारण है? अब इसे कब तक जन सुविधा हेतु प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

(3) क्या यह सही है कि हाल व आस-पास की जगह का उपयोग बंगलादेशी व असामाजिक व्यक्ति जो अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं, दीवार तोड़ कर स्थान व भवन का दुरुपयोग कर रहे हैं? क्या सरकार इसकी रोकथाम एवं इस अवैध कालोनी को यहां से हटाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। जयपुर शहर के विद्याधर नगर के सैक्टर नं. 10 के पास जनता की सुविधा एवं विवाह इत्यादि के लिए एक कम्युनिटी हाल का निर्माण नगर सहभागिता योजना के तहत करवाया गया है। इस कम्युनिटी हाल में 25 × 40 फीट का एक हाल, 15 × 15 फीट के दो कमरे, एक आफिस कार्यालय कक्ष, महिला एवं पुरुषों हेतु टायलेट ब्लाक्स, किचन, स्टोर व चारों तरफ पक्के प्लेटफार्म का निर्माण दिनांक 9.2.2000 से शुरू करवाया गया है। इस कम्युनिटी हाल के निर्माण पर होने वाले अनुमानित व्यय रुपये 20.35 लाख है, जिसके विरुद्ध रुपये 15.49 लाख का व्यय किया जा चुका है।

(2) इस कम्युनिटी हाल हेतु बिजली व पानी के कनेक्शन हेतु संबंधित विभागों से कार्यवाही की जा रही है। कनेक्शन प्राप्त होते ही कम्युनिटी हाल का उपयोग जन सुविधा हेतु प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

(3) जी, नहीं। इस कम्युनिटी हाल के चारों ओर पक्की दीवार बनाई गई है तथा जो गेट लगे हुए हैं, उन्हें बन्द रखा जाता है, ताकि असामाजिक व्यक्ति इस भवन का दुरुपयोग न कर सके। कच्ची बस्ती जो

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

कि इस कम्युनिटी हाल के नजदीक बसी हुई है, का नियमन स्कीम एरिया होने के कारण उसी स्थान पर संभव नहीं है। अन्य कच्ची बस्तियों के साथ इसको भी स्थानान्तरित कर पुनर्वासित किए जाने हेतु एक योजना बनाई गई है। योजना मानचित्र को प्रोजेक्ट रिव्यू कमेटी द्वारा अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जाना शेष है। स्वीकृत योजना मानचित्र प्राप्त होते ही शीघ्र अन्य कच्ची बस्तियों के साथ इस कच्ची बस्ती को पुनर्वासित किए जाने की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

नारदपुरा से कुण्डा (जयपुर) क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत

236. श्री जीमतल खांट (बागीदौरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित नारदपुरा कालोनी को जाने वाला कुण्डा में वाया नांगल सुसावत-नारदपुरा सड़क काफी टेडी-मेढ़ी, व जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है? यदि हां, तो उक्त सड़क को अब कब यथा सम्भव सीधा कर दिया जायेगा और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कुण्डा-नारदपुरा सड़क में आ रही कृषि भूमि का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कृषकों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त कृषि भूमि का मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त कुण्डा-नारदपुरा कालोनी की सड़क की कितनी चौड़ाई प्रस्तावित थी तथा वर्तमान में इस पर आ रहे आबादी क्षेत्रों को देखते हुए कितनी चौड़ाई रखना तय किया गया है? उक्त सड़क के ब्लू प्रिंट (नक्शे) की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्राधिकरण की नारदपुरा आवासीय योजना को जाने वाली सड़क ग्रामीण रास्ते पर ही बनी होने के कारण कुछ स्थानों पर टेडी-मेढ़ी है लेकिन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में नहीं है। चूंकि यह सड़क मौके पर चालू रास्ते पर ही मार्केटिंग बोर्ड द्वारा बनायी गई थी इस वजह से टेडी-मेढ़ी है। जब उस क्षेत्र का क्षेत्र प्लान बनाया जावेगा तब इसको सीधा करने का प्रयास किया जावेगा।

(2) यह सड़क पूर्व में मौके पर चालू कच्चे रास्ते पर मार्केटिंग बोर्ड द्वारा बनायी गयी थी। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इसका निर्माण नहीं किये जाने के कारण भूमि अवाप्ति की कार्यवाही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किए जाने का औचित्य नहीं होने? मुआवजा भुगतान का प्रश्न नहीं उठता है। जिसमें किसी भी काश्तकार की भूमि शामिल नहीं थी तथा काश्तकार ने आकर मुआवजे का क्लेम नहीं किया

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

है। इसलिए किसी भी काश्तकार को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

(3) पूर्व में उक्त सड़क की चौड़ाई 3.50 मीटर थी जिसे बढ़ाकर अब 6.00 मीटर करते हुये पूर्व सड़क पर डामरीकरण कर दिया गया है। इस सड़क का सैक्टर प्लान बनाते समय सड़क की चौड़ाई निर्धारित की जावेगी।

मालवीया नगर (जयपुर) स्थित ब्लाक नम्बर ए, बी, सी व डी में आवागमन हेतु पुलिया के उपयोग की सुविधा

237. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित मालवीया नगर योजना में ब्लाक संख्या ए, बी व सी को ब्लाक संख्या डी से जोड़ने के लिए कोई आम रास्ता नहीं है?

(2) क्या यह भी सही है कि ब्लाक संख्या ए, बी व सी के निवासियों को ब्लाक संख्या डी में जाने के लिए राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विकसित सैक्टर संख्या 3 में रेलवे लाइन के नीचे बनी पुलिया से या सरस संकुल के पास से नई बनी मुख्य पुलिया से होकर जाना पड़ता है?

(3) क्या यह सही है कि मालवीया नगर स्थित प्रधान मार्ग पर भू-खण्ड संख्या सी-293 के सामने रेलवे पटरी के नीचे एक पुलिया है जो भू-खण्ड संख्या डी-34 के सामने खुलती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिया को खुलवा कर ब्लाक संख्या ए, बी व सी के निवासियों तथा आम जनता को ब्लाक संख्या डी में जाने के लिए सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, नहीं। मालवीया नगर योजना के ब्लाक संख्या ए, बी, सी को ब्लाक संख्या डी से जोड़ने के लिए अन्य रास्ते भी हैं।

(2) जी, हां। वहां के निवासियों को ब्लाक संख्या डी में जाने के लिए राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विकसित सैक्टर संख्या 3 में रेलवे लाइन के नीचे बनी पुलिया से या सरस संकुल के पास से नई बनी मुख्य पुलिया से होकर जाना पड़ता है।

(3) जी, हां। यह रेलवे की पुलिया है जो पानी की निकासी हेतु है। किन्तु रेलवे द्वारा बनाई गयी इस पुलिया को खुलवा कर ब्लाक संख्या ए, बी व सी के निवासियों तथा आम जनता को ब्लाक संख्या डी में जाने के लिए सुविधा प्रदान करने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

जवाहर सर्कल (जयपुर) पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण

238. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर शौच एवं पेशाब करने का दण्डनीय अपराध माना है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी आदेश/निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर शहर के जवाहर सर्कल पर सार्वजनिक शौचालय नहीं होने के कारण जनता द्वारा खुले एवं सार्वजनिक स्थानों पर उक्त कार्य किये जाते हैं, जिससे उक्त सार्वजनिक उद्यान में एवं आसपास में गंदगी फैलती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर सुलभ इन्टरनेशनल द्वारा सुलभ शौचालय बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 232(1)(घ) एवं (2) के प्रावधान अनुसार यह दण्डनीय अपराध है। धारा 232 की प्रति संलग्न है।

(2) वर्तमान में जवाहर सर्कल पर दो मुत्रालय बने हुए हैं जिनका उपयोग वहां आने वाले व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। इस सर्कल के पूर्ण विकास हेतु कुछ भूमि अभी प्राप्त होनी शेष है। भूमि प्राप्त होते ही शौचालयों का निर्माण भी प्रस्तावित है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

अजमेर रोड, काआपरेटिव कालोनी (जयपुर) की सड़क की अनुमोदित चौड़ाई

239. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर रोड, जयपुर स्थित काआपरेटिव कालोनी के अन्दर राठी पेट्रोल पम्प के पास से जाने वाली सड़क की चौड़ाई जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित मानचित्र में 30 फुट प्रस्तावित की गई है? यदि हां, तो वर्तमान में इसकी चौड़ाई कितनी है?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क की चौड़ाई तकनीकी रूप से अनुमोदित मानचित्र के अनुसार 30 फुट करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त सड़क की चौड़ाई 30 फुट की अनुमोदन किये जाने का क्या औचित्य है?

उत्तर

(1) जी, नहीं। अजमेर रोड, जयपुर स्थित काआपरेटिव कालोनी के अन्दर राठी पेट्रोल पम्प के पास से जाने वाली सड़क (सम्पर्क सड़क) ज.वि.प्रा. द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित मानचित्र में 30 फुट

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

प्रस्तावित नहीं की गई है। क्योंकि उक्त सम्पर्क सड़क काआपरेटिव कालोनी का हिस्सा नहीं है बल्कि निजी खातेदारी की भूमि है। वर्तमान में इस सम्पर्क सड़क की चौड़ाई 12 फुट 6 ईंच है।

(2) जी, नहीं। क्योंकि उक्त सम्पर्क सड़क काआपरेटिव कालोनी का हिस्सा नहीं है।

आवासन मण्डल द्वारा आवासीय भूमि, भवनों की कीमतों का निर्धारण

240. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करें :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल अपनी प्रत्येक आवासीय योजना की क्रियान्विति "बिना लाभ हानि" के सिद्धान्त पर करता है? यदि हां, तो मण्डल उक्त सिद्धान्त की प्राप्ति किस प्रकार सुनिश्चित करता है?

(2) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपनी आवासीय योजनाओं में भूमि व भवनों की कीमत का निर्धारण किन-किन आधारों पर किस प्रकार से किया जाता है?

(3) आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में वाणिज्यिक भू-खण्डों व निर्मित दुकानों व अन्य गैर आवासीय भू-खण्डों की बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग मण्डल द्वारा किन-किन कार्यों में किया जाता है? क्या उक्त राशि का लाभ योजना में निर्मित आवासीय भवनों के आबंटियों को दिया जाता है? यदि हां, तो किस प्रकार और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल अपनी प्रत्येक आवासीय योजना की क्रियान्विति बिना लाभ-हानि के सिद्धान्त पर कार्य करता है। इस सिद्धान्त के लिए आवासन मण्डल भूमि एवं निर्माण में जो वास्तविक लागत आती है, वह ही आबंटियों से वसूल करता है। बोर्ड केवल प्रशासनिक व्यय टी. एण्ड पी., अन्य प्रत्यक्ष व्यय, सी.ई.आर. एवं ऋणदात्री संस्थाओं को भुगतान किये जाने वाले ब्याज की राशि उपरोक्त लागत में जोड़कर वसूल करता है।

(2) मण्डल द्वारा अपनी आवासीय योजनाओं में भूमि एवम् भवनों की लागत का निर्धारण मण्डल द्वारा अनुमोदित लागत सिद्धान्तों के आधार पर किया जाता है। भूमि की कीमत का निर्धारण अवार्ड की राशि मय ब्याज तथा उसके विकास पर होने वाले व्यय, जोड़ कर निर्धारित की जाती है, एवं आवासों की लागत का निर्धारण भूमि की लागत, निर्माण लागत, अन्य प्रत्यक्ष व्यय, टी. एण्ड पी., सी.ई.आर. एवं परियोजना अवधि की आधी अवधि का ब्याज जोड़ कर निर्धारित की जाती है। उपरोक्तानुसार भूमि एवं आवासों की लागत का निर्धारण किया जाता है।

(3) मण्डल की आवासीय योजनाओं में वाणिज्यिक भू-खण्डों, निर्मित दुकानों व

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

अन्य गैर आवासीय भू-खण्डों से प्राप्त राशि का उपयोग निम्न कार्यों हेतु किया जाता है :

1. वाणिज्यिक भूमि की दर आवासीय भूमि की दर से चार गुणा मानते हुए निर्धारित की जाती है, जिसमें आवासीय भूमि की दर उसी अनुपात में कम प्राप्त की जाती है एवं जिसका लाभ अप्रत्यक्ष रूप से योजना के आवासीय भवनों के आबंटियों को होता है।
2. वाणिज्यिक भू-खण्डों से प्राप्त अतिरिक्त राशियों का निर्माण व विकास कार्यों पर व्यय किया जाता है।

आवासन मण्डल द्वारा सी. ई. आर. नाम से वसूली राशि की जांच

241. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आबंटियों को सूचित किये बिना कुछ श्रेणियों के आबंटियों से "सी.ई.आर." के नाम से वसूलियां आवासों की कीमत में शामिल करके की गई है?

(2) यदि हां, तो "सी.ई.आर." की वसूलियां मण्डल की किस-किस आवासीय योजना के किस-किस श्रेणी के आबंटियों के किस-किस दर से कब से कब तक की गई एवं की जा रही है?

(3) "सी.ई.आर." की दरों का निर्धारण किन-किन सिद्धान्तों एवं आधारों पर किस प्रकार से किया गया है?

(4) उक्त वसूलियां मण्डल द्वारा किस प्रयोजन हेतु की गई हैं एवं की जा रही है? उक्त प्रकार से वसूल की गई राशि का उपयोग मण्डल द्वारा किन-किन कार्यों के लिए किया गया है? मण्डल को इस प्रकार की वसूलियां आबंटियों से करने का अधिकार किस कानून, नियम अथवा राजकीय आदेश के अन्तर्गत प्राप्त है।

(5) क्या यह सही है कि "सी.ई.आर." के अन्तर्गत राशियों का मकानों की कीमत में शामिल किया जाकर वसूल करना अनियमित, गैर कानूनी व असंवैधानिक है तथा आवासन मण्डल को इस प्रकार की "कर" राशि कायम करने तथा वसूल करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है?

(6) क्या सरकार इस प्रकार की राशियों को ब्याज सहित सम्बन्धित आबंटियों को लौटाने के लिए आवासन मण्डल को निर्देश देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। लागत सिद्धान्तों के अनुरूप वह आबंटियों को सूचित कर ही "सी.ई.आर." के नाम से एल.आई.जी., एम.आई.जी. (अ) (ब) एच.आई. जी. व वाणिज्यिक भू-खण्ड पर सी.ई.आर.

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

के नाम से लागत में सम्मिलित कर वसूल की जाती है।

(2) सीई.आर. की वसूलियां मण्डल की सभी आवासीय कालोनियों में ई.डब्ल्यू. एस. एवं एल.आई.जी. के आय वर्ग के आबंटियों को छोड़कर एम.आई.जी. तथा एच.आई.जी. के आबंटियों से 5% की दर से 79वीं बोर्ड बैठक के निर्णय अनुसार 5.11.79 से वसूल की जा रही है, तथा 87वीं बोर्ड बैठक के निर्णय अनुसार पुनः सीई.आर. की दरों को संशोधित किया गया, जिसमें ई.डब्ल्यू.एस. के आबंटियों को छोड़कर एल.आई.जी. से 5% एम.आई.जी. "ए" 7% एम.आई.जी. "बी" से 8% व एच.आई.जी. से 9% तथा वाणिज्यिक इकाइयों पर 10 % की दर से सितम्बर, 1980 से वसूल की जा रही है।

(3) सीई.आर. की दरों का निर्धारण लागत, सिद्धान्तों के अनुरूप राज. आवा. मण्डल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित करने के पश्चात् ही लागू किये गये हैं।

(4) सीई.आर. की वसूली निम्न कारणों में की जा रही है :—

1. विषम परिस्थितियों के कारण मण्डल में हुई हानि की पूर्ति हेतु।
2. लागत की वैद्यता अवधि बढ़ाने/स्थिर करने पर होने वाले नुकसान की पूर्ति हेतु।
3. आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग को ब्याज एवं भूमि दर में छूट देने के कारण इसकी पूर्ति हेतु।
4. पार्कों के विकास राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, चिकित्सालय व सामुदायिक केन्द्र के निर्माण पर व्यय की जाने वाली राशि की पूर्ति हेतु।
5. सम्पत्ति निस्तारण के समय कानूनी बाध्यताओं के कारण किया जाने वाला व्यय एवं अवार्डों के भुगतान हेतु।
6. जब तक कालोनी को नगरपालिकाओं को हस्तान्तरित नहीं हो जाती तब तक उनके रख रखाव मे होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु।

(5) यह सही नहीं है कि सीई.आर. के अन्तर्गत राशियों का मकानों की कीमत में शामिल किया जाकर वसूल करना अनियमित, गैर कानूनी व असंवैधानिक है। बोर्ड द्वारा सीई.आर. उपरोक्त प्रश्न संख्या 4 के उत्तर में दर्शाये गये कारणों की वजह से मण्डल के संचालक मण्डल में निर्णय के उपरान्त ही वसूल किये जा रहे हैं। संचालक मण्डल में राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहते हैं राज. आवासन मण्डल द्वारा सीई.आर. को कर राशि के रूप में वसूल नहीं किया जा रहा है।

(6) नहीं। क्योंकि यह राशि मण्डल एवं आबंटियों के सार्वजनिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए वसूल की जाती है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की समय सीमा

242. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिए क्या कोई समय सीमा निर्धारित है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्राधिकरण द्वारा कई वर्ष बीत जाने के बाद भी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जाते हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में किस-किस दिनांक को किस-किस वर्ष में कितने व्यक्तियों ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवेदन किये? उक्त में से कितने व्यक्तियों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जा चुके है और कितनों को नहीं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नहीं, आवेदन पत्र प्राप्त होते ही प्रकरण में सम्बन्धित जोन से रिपोर्ट प्राप्त की जाकर इस कार्य हेतु निर्धारित समिति द्वारा निर्णय ले सूचित कर दिया जाता है।

(2) जी, नहीं। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में आवश्यक रेवन्यू रिकार्ड, लोकेशन प्लान, साइट प्लान, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रदूषण मण्डल की एन.ओ.सी. आदि पत्रादि संलग्न न होने एवं बार-बार सूचित करने के पश्चात् भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत न करने के कारण ही निर्णय में देरी की सम्भावना होती है।

(3) सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

अलवर शहर की नजूल सम्पत्तियों का नगर सुधार न्यास को हस्तान्तरण

243. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या शहर स्थित समस्त नजूल सम्पत्तियों को नगर विकास न्यास/नगर परिषद् को स्थानान्तरित किए जाने का कानूनी प्रावधान है? यदि हां, तो अलवर शहर में स्थित किन-किन नजूल सम्पत्तियों को नगर विकास न्यास को हस्तान्तरित कर दिया गया है। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कई नजूल सम्पत्तियों को न्यास को स्थानान्तरण नहीं किया है? यदि हां, तो क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब उक्त नजूल सम्पत्तियों को न्यास को कब तक स्थानान्तरित कर दिया जावेगा।

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास एक्ट अध्याय 6 की धारा 43 के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों की नजूल भूमियां नगर विकास न्यास को स्थानान्तरित की जा सकती है। अलवर

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

शहर में ऐसी कोई भूमि नगर विकास न्यास/नगर परिषद् को स्थानान्तरित नहीं की गई है।

(2) अलवर शहर में उक्त धारा के अन्तर्गत कोई नजूल भूमियां उपलब्ध नहीं होने के कारण नगर विकास न्यास, अलवर को स्थानान्तरण नहीं की गई।

(3) उक्त धारा के अन्तर्गत नजूल भूमियां उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थानान्तरण किया जाना सम्भव नहीं है।

महावीर गृह निर्माण समिति (जयपुर) की जगतपुरा योजना के भूखण्डों का नियमन

244. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर की शांति विहार स्कीम, जगतपुरा, जयपुर के आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्डधारियों द्वारा भूखण्डों के नियमन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर नियमानुसार राशि जमा कराई गई? यदि हां, तो किस-किस भूखण्डधारी द्वारा किस-किस भूखण्ड की कितनी-कितनी राशि कब-कब? भूखण्डधारी का नाम, भूखण्ड संख्या, जमा कराई राशि एवं दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समिति द्वारा उक्त स्कीम को जयपुर विकास प्राधिकरण में कब प्रस्तुत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त स्कीम को नियमित कर इसका विकास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर की योजना शांति विहार स्कीम, जगतपुरा, जयपुर के आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्डधारियों द्वारा नियमन हेतु राशि जमा कराकर इस प्रकोष्ठ में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(2) जोन में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार उक्त योजना दिनांक 30.8.99 से पूर्व जयपुर विकास प्राधिकरण में प्राप्त हुई।

(3) चूंकि सहकारी समितियों द्वारा प्रस्तुत आवासीय योजनाओं का नियमन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के संशोधन धारा 90 बी के तहत किया जाता है। प्रस्तुत योजना में उक्त धारा के अधीन दिनांक 27.9.99 को नोटिस जारी किये गये तथा प्रकरण दर्ज किया गया। चूंकि ऐसे प्रकरणों में मौके पर कृषि भूमि का आवासीय योजना बनाकर गैर कृषि हेतु उपयोग कर लिया हो उन्हीं भूमियों को उक्त धारा के अन्तर्गत राज्य हित में पुनर्गृहित किया जाकर जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज किया जाता है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

प्रकरण संख्या-49/99 अन्तर्गत धारा 90 बी, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 जयपुर विकास प्राधिकरण बनाम भौंरीलाल वगैरह के नाम दर्ज हुआ था। उक्त प्रकरण में दिनांक 10.12.99 के निर्णयानुसार भूमि मौके पर खाली थी। अतः 90 बी की कार्यवाही मिरस्त की गई। धारा 90 बी के तहत भूमि पुनर्गृहित हुए बिना नियमन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

कृष्णा विहार कालोनी जयपुर में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

245. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर के गोपालपुरा रोड स्थित कृष्णा विहार कालोनी के प्लाट संख्या-82 की लम्बाई-चौड़ाई कितनी है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्लाटधारी ने जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित भूमि के निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक जगह पर कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो क्या सरकार अतिक्रमण हटाकर, आम जनता के लिए रास्ता खुलवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि प्लाट नं. 82 से 87 तक के सामने फैसिलिटी एरिया (गार्डन) है? यदि हां, तो उसकी चौड़ाई नक्शे के मुताबिक एवं पैमाइश के मुताबिक कितनी-कितनी है?

उत्तर

(1) जयपुर शहर के गोपालपुरा रोड स्थित न्यू पिंकसिटी, गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कृष्णा विहार कालोनी के प्लाट संख्या-92 की लम्बाई एक तरफ 50 फुट, दूसरी तरफ 52 व चौड़ाई 30 फुट है। तकनीकी रूप से अनुमोदित मानचित्र के अनुसार भूखण्ड संख्या-92 का साइट प्लान संलग्न है।

(2) जी, नहीं। आबंटी का नियमित किये गये निर्धारित क्षेत्रफल पर ही कब्जा है।

(3) जी, हां। इस योजना के भूखण्ड संख्या-82 से 87 के सामने तकनीकी रूप से अनुमोदित मानचित्र में फैसिलिटी एरिया दर्शाया गया है। तकनीकी रूप से अनुमोदित मानचित्र के अनुसार एवं मौके की पेमाइश के अनुसार उक्त फेासिलिटी एरिया चौड़ाई निम्नप्रकार है :

(1) तकनीकी रूप से अनुमोदित मानचित्र अंनुसार एक तरफ 130 फुट, दूसरी तरफ 110 फुट।

(2) मौके अनुसार एक तरफ 120 फुट, दूसरी तरफ 107 फुट साइट प्लान संलग्न कर दिये गये है।

(साइट प्लान विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

सोडाला की सुशीलपुरा कालोनी में विकास कार्य

246. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सुशीलपुरा कालोनी, सोडाला, जयुपर में सड़क, सीवर लाइन एवं अन्य विकास कार्य करवाये जाने का प्रस्ताव वर्षों से सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय लिया जाकर कार्य करवा दिये जायेंगे?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनी के आसपास की कालोनियों में सीवर लाइन डाल दी गई है? यदि हां, तो इस कालोनी को क्यों वंचित रखा गया है।

उत्तर

(1) जी, नहीं। सुशीलपुरा कालोनी में सड़क, गटर लाइन आदि के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी, नहीं।

बामनवास क्षेत्र (सवाईमाधोपुर) के ग्रामों हेतु पेयजल व्यवस्था

247. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर की पंचायत समिति बामनवास की बानौर क्षेत्रीय जल योजना से कुल 17 ग्रामों में से मात्र दो ग्रामों में पानी उपलब्ध कराया जा रहा है? यदि हां, तो शेष 15 गांवों में पीने के पानी की क्या व्यवस्था की जा रही है?

(2) पंचायत समिति बामनवास के ग्राम चांदन होली, बिछोछ, खेड़ली, रिवाली, लिवाली, कोहली, प्रेमपुरा, सीतापुरा, रामनगर, ढोली आदि गांवों में पीने के पानी की सारी योजनाएं ठप्प हैं? यदि हां, तो सरकार इस व्यवस्था को ठीक कराने हेतु क्या कदम उठा रही है?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम बैराड़ा में खारा पानी है? यदि हां, तो क्या इस गांव को मांदल गांव के स्रोत से जोड़ कर मीठा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है? यदि हां, तो कब से?

(4) अब सुकार में राजपूतों की ढाणी में पाइप लाइन बिछाकर कब तक पानी उपलब्ध करा दिया जायेगा?

(5) पट्टी अमावरा (कोचर) में पहाड़ पर बसे व्यक्तियों को पेयजल उपलब्ध कराने की प्रस्तावित योजना कितनी राशि की है? उससे कब तक पानी उपलब्ध करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी, नहीं। पंचायत समिति बामनवास की बानौर-सफीपुरा क्षेत्रीय जल योजना में सम्मिलित 17 ग्रामों में से वर्तमान में 11 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। मांग में वृद्धि और नलकूपों में आमद में कमी से शेष 6 ग्राम अंतिम छोर पर होने के कारण इन गांवों में

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

उक्त योजना से पानी नहीं पहुंच रहा है। इन 6 ग्रामों में वर्तमान तथा ग्रीष्म 2001 में प्रस्तावित पेयजल व्यवस्था का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। इन वर्णित गांवों की वर्तमान स्थिति एवं किए जा रहे आवश्यक सुधारों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी, हां। ग्राम बैराड़ा में खारा पानी है। इसकी 1991 की जनगणना के अनुसार आबादी 1652 है तथा यहां 10 हैण्ड पम्प चालू हैं। स्वच्छ पेयजल हेतु मांदल ग्राम पर जल स्त्रोत लेकर योजना बनाई जा रही है। प्राथमिकता, स्वीकृति व धन तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार कार्य करवाना सम्भव होगा।

(4) राजपूतों की ढाणी ग्राम सुकार (पाइप्ड योजना) का मौहल्ला है। इस मौहल्ले में पाइप नहीं लगी हुई है। सबसे नजदीक का सार्वजनिक नल लगभग 500 मीटर दूरी पर है। मौहल्ले में पाइप लगाने के प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं। प्राथमिकता, स्वीकृति व धन उपलब्धि के अनुसार कार्य करवाना सम्भव होगा।

(5) पट्टी अमावरा (कोचर) की योजना 27.42 लाख रुपये 16.9.1996 में स्वीकृत हुई थी किन्तु पावर कनेक्शन डिमाण्ड नोट राशि एवं टेण्डर प्रिमियम बढ़ जाने के कारण योजना के कार्य पूरे नहीं हो सके। अधिकतम कार्य पूरे हो चुके हैं लेकिन विद्युत कनेक्शन (16 कि.मी. पावर फीडर) व कुछ पाइप लाइन का कार्य बाकी है। इस कारण संशोधित योजना रुपये 71.34 लाख रुपये की स्वीकृति हेतु भिजवायी गई है तो तकनीकी जांच प्रक्रिया में है। प्रस्ताव के सही पाये जाने व तत्पश्चात् स्वीकृति के बाद वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य पूरा करवाना प्रस्तावित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा के स्वीकृत हैण्ड पम्प

248. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में सांसद/विधायक एवं सरकारी मद से कितने हैण्ड पम्प स्वीकृत हुए?

(2) उक्त स्वीकृत हैण्ड पम्प में से कितने खोदे जा चुके हैं और शेष हैण्ड पम्प कब तक खोदे जायेंगे?

(3) क्या खोदे गये सभी हैण्ड पम्प कार्य करने लग गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में विभिन्न मदों (सांसद/विधायक सरकारी) के अन्तर्गत स्वीकृत हैण्ड पम्पों का विवरण निम्नानुसार है :—

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री).

क्र.सं.	वर्ष	विभिन्न मदों के अन्तर्गत स्वीकृत हैण्ड पम्प			कुल स्वीकृत हैण्ड पम्प
		सांसद	विधायक	सरकारी	
1.	1998-1999	2	30	111	143
2.	1999-2000	0	42	4	46
	कुल	2	72	115	189

(2) वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में उपरोक्त मदों में स्वीकृत 143 व 46 हैण्ड पम्प (कुल 189 हैण्ड पम्प) खोदे जा चुके हैं।

(3) वर्ष 1998-99 में खोदे गये कुल 143 हैण्ड पम्पों में से 4 हैण्ड पम्प असफल रहे तथा शेष सफल रहे 139 हैण्ड पम्पों का स्थापन कार्य पूर्ण कर चालू कर दिये हैं। इसी प्रकार वर्ष 1999-2000 में खोदे गये कुल 46 हैण्ड पम्पों में से एक हैण्ड पम्प असफल रहा तथा शेष सफल रहे 45 हैण्ड पम्पों का स्थापन कार्य पूर्ण कर चालू कर दिये हैं।

विधान सभा क्षेत्र भादरा में पेयजल संकट का निवारण

249. श्री संजीव भादरा (भादरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र भादरा में भयंकर पेजयल संकट की स्थिति है? यदि हां, तो क्यों?

(2) उक्त पेयजल संकट से निपटने के लिए सरकार क्या-क्या उपाय करने जा रही है?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पेयजल संकट से निपटने के लिए नये हैण्ड पम्प लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या उक्त क्षेत्र में पेयजल संकट के समाधान के लिए पानी के पुराने स्रोत कुओं को चालू करवाने तथा मीठे पानी की स्थिति वाली जगह नये ट्यूबवैल लगवाने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कहां तथा कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। यह सही नहीं है कि वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र भादरा में

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

भयंकर पेयजल संकट की स्थिति है। नहरी पानी की आवक कम होने के कारण विधान सभा क्षेत्र में जल वितरण एक दिन छोड़ कर एक दिन किया जा रहा है।

(2) भाखड़ा नहर प्रणाली की भादरा क्षेत्र की नहरों में पानी की आवक कम होने की स्थिति में जल वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से रखने के लिए आपात-कालीन उपायों के अन्तर्गत पुराने डीसीबी पुनः चालू करना, स्थानीय कुओं को चालू करना, नये डीबीसी बनाना, नये हैण्ड पम्प लगाना एवं कुएं/डीसीबी किराये पर लेने के कार्य प्रस्तावित किये गये हैं।

(3) जी, हां। पेयजल संकट से निपटने के लिए विभिन्न ग्रामों में 6 नये हैण्ड पम्प लगाने के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु बनाये गये हैं। स्वीकृति पश्चात् एक माह में कार्य पूर्ण करना सम्भावित है।

(4) जी, हां। पेयजल संकट के समाधान के लिए पानी के पुराने स्रोत 14 कुओं को पुनः चालू करवाने तथा मीठे पानी की स्थिति वाली जगह 9 नये डीसीबी लगाने व पुराने 9 डीसीबी चालू करने के कार्य प्रस्तावित हैं। सूची संलग्न प्रपत्र "अ" में है। स्वीकृति उपरान्त संलग्न प्रपत्र "अ" में वर्णित कार्य एक माह मे पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

विधान सभा क्षेत्र खारची के फ्लोराइड युक्त पानी वाले ग्रामों को फुलाद बांध से पेयजल आपूर्ति

250. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार के पास विधान सभा क्षेत्र खारची के ग्राम मलसाबावड़ी, राणावास, गुडा रघुनाथ सिंह, गुडा प्रेमसिंह, रडावास, गुडा केसर सिंह, गाडाणा तथा फ्लोराइड युक्त पानी वाले ग्राम गुडा सुरसिंह, सिचाणा, गुडामेहकरण, नरसिंहपुरा, करोलिया, खेडियावास, बिठोडाकलां, भगवानपुरा आदि के लिए फुलाद बांध से पानी देने की योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो उक्त योजना की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी।

उत्तर

जी, नहीं। उक्त ग्रामों हेतु फुलाद बांध से पेयजल देने के लिए योजना का केवल प्राथमिक प्रारूप तैयार किया गया है। वर्तमान में योजना कि पाइप लाइन का सर्वे कार्य किया जा रहा है। सर्वे कार्य पूर्ण करने के पश्चात् विस्तृत योजना बनायी जाएगी। प्राथमिकता, धन व अन्य संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार योजना की स्वीकृति तथा क्रियान्वयन सम्भव होगा। प्राथमिक आकलनों के अनुसार 26 ग्रामों को फुलाद बांध से जोड़ा जाना प्रस्तावित है जिसमें प्रश्न में वर्णित सभी 15 गांव शामिल हैं।

जैसलमेर के पीला सेण्ड स्टोन पर रायल्टी

251. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर नगर के पास जेठवाई खानों में पीला सेण्ड स्टोन निकलता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पत्थर भवन निर्माण या नगरपालिका की नाली व फर्श के काम आता है ?

(3) क्या यह सही है कि मेशिनरी पत्थर मानकर विभाग 30 रुपये प्रति टन रायल्टी लेता था ?

(4) क्या यह भी सही है इसके ब्लाक निकलते हैं जो जैसलमेर औद्योगिक क्षेत्र में चिराई द्वारा तराशे जाते हैं ?

(5) क्या यह सही है इसे ब्लाक मानकर 125 रुपये प्रति टन रायल्टी लेने के आदेश विभाग द्वारा दिये गये हैं जिससे जैसलमेर नगर के निर्माण कार्य में रुकावट आयी है।

(6) क्या सरकार इमारती पत्थर मानकर तीस रुपये प्रति टन रायल्टी लगाने का विचार करती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। विभाग द्वारा पत्र दिनांक 23.9.1998 से जेठवाई की खानों से निकलने वाले पीले पत्थर का नाम सेण्ड स्टोन में परिवर्तित करते हुए लाइम स्टोन (फ्लोरिंग) कर दिया है तथा पत्र दिनांक 17.3.1999 से इसमें मार्बल भी जोड़ दिया गया है।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां। विभाग द्वारा उक्त आदेशों से पूर्व इस पत्थर की रायल्टी सेण्ड स्टोन मानकर 30/- रुपये प्रति टन वसूली की जाती थी।

(4) जी, हां।

(5) जी, हां। यह सही नहीं है कि इससे जैसलमेर नगर के निर्माण कार्य में कोई रुकावट आई हो।

(6) जी, नहीं। इस क्षेत्र का खनिज लाइम स्टोन है जो फ्लोरिंग हेतु प्रयुक्त होने से तद्नुसार रायल्टी ली जाती है एवं ऐसे खनिज जो ब्लाक के रूप में खनन किया जाता है उस पर मार्बल ब्लाक्स की रायल्टी वसूली योग्य है।

सवाईमाधोपुर एवं भरतपुर वन क्षेत्र के खानों के बेरोजगार श्रमिकों को पुनर्रोजगार

252. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाईमाधोपुर एवं भरतपुर में वन क्षेत्र में आने के कारण चेजा पत्थर की कितनी खानें कहां-कहां बन्द हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(2) उक्त क्षेत्रों की बंद हुई खानों से बेरोजगार हुए श्रमिकों के पुनर्रोजगार के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(3) क्या सरकार का उक्त बन्द हुई खानों को पुनः चालू करने का विचार है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या वन क्षेत्र में आई खानों में खनिज विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत कर कुछ व्यक्तियों द्वारा अभी भी अवैध खनन किया जा रहा है? यदि हां, तो इसे रोकने के क्या प्रयास किये गये हैं?

उत्तर

(1) जिला सवाईमाधोपुर एवं भरतपुर में वन क्षेत्र में आने के कारण चेजा पत्थर की कुल 28 खानें बन्द हुई हैं जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर है।

(2) बन्द खानों से बेरोजगार हुए श्रमिक पास में स्थित अन्य गैर वन क्षेत्र में चालू खानों में कार्य करने अथवा अन्य कार्य हेतु चले जाते हैं। इस सम्बन्ध में अलग से कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(3) जी, हां। राज्य सरकार इन बन्द खानों को पुनः चालू करने का विचार रखती है किन्तु अन्तिम रूप से डायवर्शन होने के बाद ही इन बन्द खानों को चालू करना सम्भव हो सकेगा।

(4) जी, नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

पुलिस विभाग की नई स्थानान्तरण नीति

253. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस विभाग में स्थानान्तरण नीति की घोषणा की गई है? यदि हां, तो कब तथा क्या? घोषित नीति के तहत जारी आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इसी नीति की पालना किस प्रकार से व किस स्तर से कब तक की जायेगी?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

पुलिस चौकी सीमलवाड़ा (बांसवाड़ा) का स्थाईकरण

254. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार जिला डूंगरपुर के सीमलवाड़ा मुख्यालय पर अस्थाई पुलिस चौकी को स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी, नहीं। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण संभव नहीं है।

सहायक निदेशक, कृषि विस्तार मालपुरा के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

255. श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 19.7.2000 को उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक के द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सतीश कुमार मिनोचा व अन्य तत्कालीन सहायक निदेशक कृषि विस्तार मालपुरा, जिला-टोंक के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर के यहां दर्ज करवाई गई है? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पर सरकार द्वारा श्री मिनोचा के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है? की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार श्री मिनोचा को गिरफ्तार करके उक्त प्रकरण का न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

(4) अब श्री मिनोचा को कब तक गिरफ्तार करके उक्त प्रकरण का न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी, हां। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में श्री सतीश कुमार मिनोचा व अन्य, तत्कालीन सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, मालपुरा, जिला टोंक के विरुद्ध अपराध संख्या 304/2000 दिनांक 19.7.2000 पंजीबद्ध किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(2) आरोपित अधिकारी के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 16 के तहत जांच कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। दिनांक 9.1.2001 को कार्मिक विभाग द्वारा आरोप पत्र जारी कर दिया है।

(3) प्रकरण अन्वेषणाधीन है, अन्वेषण के दौरान प्राप्त मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्यों का कानूनी रूप से परीक्षणोपरान्त ही प्रकरण का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना सम्भव होगा।

(4) प्रकरण अन्वेषणाधीन है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला जालौर में दर्ज आपराधिक प्रकरण

256. श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1999-2000 में जिला जालौर में कितने-कितने चोरी, डकैती, तस्करी एवं बलात्कार के मुकदमे दर्ज हुए?

(2) उक्त में से कितने प्रकरणों का निपटारा किया जा चुका है एवं कितने प्रकरण शेष हैं?

(3) उक्त बकाया प्रकरणों का निपटारा कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जिला जालौर में वर्ष 1999 में चोरी के 144, डकैती 2, तस्करी संबंधी-74 एवं बलात्कार के 8 अभियोग दर्ज हुए हैं एवं वर्ष 2000 में उपरोक्त शीर्षकों में क्रमशः 143, 2, 132 एवं 8 अभियोग दर्ज हुए।

(2) उक्त में से प्रकरण के अलावा शेष सभी प्रकरणों का निपटारा किया जा चुका है। एक अभियोग तस्करी संबंधी अनुसंधानाधीन है।

(3) शीघ्र निस्तारण किया जावेगा।

थाना अजीतगढ़, सीकर में दर्ज लूट प्रकरण

257. **श्री रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना, अजीतगढ़, जिला सीकर में मुकदमा नम्बर 89/2000 दर्ज हुआ है? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो अभियुक्त नाम दर्ज करवाये गये हैं क्या उनसे लूट का माल बरामद कर लिया गया है? यदि हां, तो क्या-क्या और नहीं, तो क्यों? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पुलिस ने मामले के तथ्यों की जांच किये बिना ही प्रकरण में अन्तिम रिपोर्ट लगाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य किसी एजेन्सी से उक्त प्रकरण की पुनः जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में मुलजिम नामजद होने के कारण उक्त व्यक्ति रिपोर्टकर्ता व उनके परिवार को अब डरा धमका रहे हैं तथा आये दिन परेशान कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। पुलिस थाना, अजीतगढ़, जिला सीकर में अ.सं. 89/2000 धारा 147, 452, 323, 379 भा.द.सं. दिनांक 18.6.2000 को पंजीबद्ध हुआ है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो अभियुक्त नामजद हैं उससे लूट का माल बरामद नहीं किया गया है, क्योंकि नामजद मुलजिमान आबकारी विभाग व रेवेन्यू विभाग के अधिकारी/कर्मचारी हैं, जो राजकार्य हेतु परिवादी के घर अवैध शराब तलाश करने गये थे। इनको हतोत्साहित करने के लिए इनके विरुद्ध उक्त अभियोग दर्ज कराया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) पंजीबद्ध उक्त अभियोग में पुलिस द्वारा पूर्ण अनुसंधान किया गया है। अनुसंधान के दौरान मामला अदमवकू आमदन झूठ पाया गया, जिसमें एफ.आर. न्यायालय, एसीजेएम, नीमकाथाना में दिनांक 28.6.2000 को पेश की जा चुकी है।

(गृह मंत्री)

(3) अभियोग में नामजद मुलजिमान द्वारा रिपोर्टकर्ता व इसके परिवार वालों को डराया धमकाया व परेशान नहीं किया गया।

(रिपोर्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

थाना खातोली, जिला कोटा में दर्ज प्रकरण संख्या 42/2001

258. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि थाना खातोली, जिला कोटा में मुकदमा नम्बर 42/2001 दर्ज किया गया? यदि हां, तो किन-किन धाराओं में?

(2) उक्त मुकदमे में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या सरकार मुलजिमों को गिरफ्तार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। मुकदमा अन्तर्गत धारा 452, 323, 143 भा.दं.सं. व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 में पंजीबद्ध किया गया था।

(2) उक्त अभियोग में प्रार्थी श्री रामसिंह मीणा का डाक्टरी मुआयना करवाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया व नक्शामौका तैयार कर गवाहान के बयान एवं संबंधित रिकार्ड प्राप्त किया जा चुका है। प्रकरण में अनुसंधान जारी है।

(3) चूंकि अभियोग का अनुसंधान जारी है, अतः अनुसंधान पूर्ण होने पर ही उचित कार्यवाही की जावेगी।

जिला श्रीगंगानगर में लंबित आर्म्स लाइसेंस प्रकरण

259. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने आर्म्स लाइसेंस-धारी की मृत्यु उपरान्त उसके वारिस को लाइसेंस देने की कोई प्रक्रिया अपना रखी है? यदि हां, तो क्या?

(2) क्या सरकार उक्त प्रक्रिया को सरल बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) जिला श्रीगंगानगर में ऐसे कितने प्रकरण लम्बित हैं और क्या उनमें जांच के पश्चात् भी लाइसेंस जारी नहीं किये गये? उक्त प्रकरणों का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) लाइसेंसधारी की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिस द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन करना होता है। आवेदन पत्र के साथ उसे उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, शस्त्र जमा कराने की मूल रसीद, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र तथा अन्य उत्तराधिकारियों की ओर से सहमति का शपथ पत्र पेश करना

(गृह मंत्री)

होता है। इसके उपरान्त पुलिस अधीक्षक एवं तहसीलदार तथा जहां आवश्यक हो इन्टेलीजेन्स/वन विभाग आदि की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर आवेदक के लाइसेंस की आवश्यकता एवं औचित्य की पुष्टि उपरान्त ही आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जाता है।

(2) मृतक आश्रितों को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पूर्व में ही सरल बनाई हुई है। वर्तमान में इस प्रक्रिया में बदलाव का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जिला श्रीगंगानगर में मृतक लाइसेंसधारी के उत्तराधिकारियों को लाइसेंस देने के 258 मामले विचाराधीन है जिनमें जांच की कार्यवाही चल रही है। आवेदनकर्त्ताओं द्वारा अन्य औपचारिकताएं यथा :—

1. उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना,
2. उत्तराधिकारी की ओर से प्रस्तुत सहमति का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करना,
3. शस्त्र जमा कराने की मूल रसीद एवं मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण भी उक्त प्रकरणों का निस्तारण नहीं किया जा सका है।

इन प्रकरणों का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जा रहा है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भ्रष्टाचार अन्वेषण ब्यूरो द्वारा राज्य के उच्चाधिकारियों पर छापे

260. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1999 से 15 मार्च, 2001 तक राज्य के भ्रष्टाचार अन्वेषण ब्यूरो ने कुल कितने छापे डाले? उक्त छापों में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा और अन्य विभाग के कुल कितने अधिकारी लिप्त पाये गये? विवरण "केडर-वार" सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छापों के दौरान कुल कितनी सम्पत्तियों के अर्जित होने का पता चला? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1999 एवं 2000 में कुल कितने प्रकरणों का चालान किया गया और कितने शेष है तथा इसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) भ्रष्टाचार अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आय से ज्यादा सम्पत्ति अर्जित करने पर छापा मारने का आधार क्या रखा, एवं सम्पत्तियों में क्या-क्या शामिल किया गया है?

(5) भ्रष्टाचार अन्वेषण ब्यूरो ने राजस्थान पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा व भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के यहां छापे की क्या कम कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री दिग्विजय सिंह)

(6) क्या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा राजपत्रित अधिकारियों के यहां छापों की कार्यवाही के बाद उन पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति कार्मिक विभाग से लेना आवश्यक है? यदि हां, तो कार्मिक विभाग में ऐसे कुल कितने मामले लम्बित हैं?

उत्तर

(1) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने वर्ष 1999 से 15 मार्च, 2001 तक कुल 27 छापे डाले हैं।

उक्त छापों में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के कोई अधिकारी नहीं है। अन्य विभागों का विवरण निम्न है :—

क्र.सं. विभाग	अधिकारी/कर्मचारी संख्या	
1. राजस्व	—	3
2. रा.रा.वि.मण्डल	2	1
3. चिकित्सा	3	—
4. जन स्वा.अभि.विभाग	3	—
5. उप निवेशन	—	1
6. सहकारिता	1	—
7. पंचायत	—	1
8. सिंचाई	—	1
9. कृषि	—	1
10. रसद विभाग	1	—
11. रा.रा.प.प्र.निगम	—	1
12. सार्वजनिक निर्माण विभाग	3	—
13. वाणिज्यकर विभाग	2	—
14. नगरपालिका	—	1
15. आबकारी	1	—
16. वन विभाग	—	1
	16	**11**

(2) भ्रष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों के पास छापों के दौरान कुल 7,93,89,068/- रुपये की सम्पत्ति अर्जित होने का पता चला है। अभी तफतीश आगे जारी है।

(3) वर्ष 1999 एवं 2000 में कुल 259 प्रकरणों में चालान सम्बन्धी न्यायालय मे पेश किये गये। 55 प्रकरणों में चालान पेश करना बाकी है। जिनका शीघ्र चालान न्यायालय में पेश करने की कार्यवाही त्वरित गति पर है। 114 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं।

(4) भ्रष्टाचार अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आय से ज्यादा सम्पत्ति अर्जित करने पर छापा मारने से पूर्व सम्भावित अधिकारी/कर्मचारी की गोपनीय तौर पर वैद्य साधनों से अर्जित आय व चल, अचल सम्पत्तियों पारिवारिक व्यय एवं मूल्यवान प्रतिभूतियों का पता कर, मूल्यांकन कर अगर बचत/सम्पत्तियां अधिक पाई जाती है तब छापा मारने की कार्यवाही नियमानुसार की जाती है। सम्पत्तियों में चल, अचल सम्पत्तियों एवं मूल्यवान प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है।

(गृह मंत्री)

(5) जिन आर.ए.एस./आर.पी.एस./आई.पी.एस. तथा आई.ए.एस. अधिकारियों के विरुद्ध आय से अधिक सम्पत्तियां अर्जित करने की सूचना मिलती है तथा यदि वह सत्यापन में सही पाई जाती है तो ही कार्यवाही की जाती है अन्यथा नहीं। पुख्ता सूचना न मिलने के कारण अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(6) हां, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा राजपत्रित अधिकारियों के यहां छापों की कार्यवाही के पंजीबद्ध इसी अवधि के प्रकरणों में से कोई प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु कार्मिक विभाग में लम्बित नहीं है।

थाना नदबई, जिला भरतपुर की क्रमोन्नति

261. श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला भरतपुर के नदबई थाने में प्रतिवर्ष कितने प्रकरण दर्ज होते हैं?

(2) क्या सरकार नदबई थाने को अपग्रेड करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) थाना नदबई, जिला भरतपुर में वर्ष 1998 से वर्ष 2000 तक 3 वर्षों में कुल 2182 अभियोग पंजीबद्ध हुए हैं। जिनका वर्षवार विवरण निम्नानुसार अंकित है :—

क्र.सं.	वर्ष	वर्ष में दर्ज अभियोगों की संख्या
1.	1998	649
2.	1999	742
3.	2000	791
कुल पंजीबद्ध अभियोग		**2182**

(2) थाना नदबई को अपग्रेड का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय से प्राप्त होने पर विचार किया जावेगा।

सवाईमाधोपुर में सूखी लकड़ी काटने के परमिट

262. श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर के जंगलों से सूखी लकड़ी काटने के परमिट किस मापदण्ड के आधार पर दिये जाते हैं।

(2) उक्त क्षेत्र अब तक कितने परमिट किस मार्ग पर दिये गये हैं।

(3) उक्त क्षेत्र में लकड़ी काटकर गुजारा करने वाले बेरोजगार मजदूरों के लिए क्या कोई वैकल्पिक योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 14.2.2000 की अनुपालना में दिनांक 15.3.2000 से विधान सभा क्षेत्र

(राज्य मंत्री, वन)

सवाईमाधोपुर के अभयारण्य क्षेत्र में से सूखी लकड़ी काटने व निकासी करने के परमिट जारी नहीं किये जाते हैं। अतः मानदण्ड का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वर्ष 1982 से पूर्व नाका राजबाग से 112 व नाका नीमचौकी से 213, कुल 325 परमिट दिये जाते थे। दिनांक 15 व 16.7.82 को जिला कलक्टर के कक्ष में तत्कालीन क्षेत्र निदेशक, जिला कलक्टर एवं लकड़ी मजदूर यूनियन अध्यक्ष के मध्य हुए विचार-विमर्श पश्चात् लिये गये निर्णय अनुसार 325 के बजाय सिर्फ 200 परमिट निर्धारित शर्तों के अनुरूप जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक पखवाड़े में परमिट एक बार जारी किये जाते थे। यह परमिट 35 वर्ष या उससे अधिक उम्र की विधवा स्त्री अथवा उन वृद्ध पुरुषों को दिये जाते थे जिनके जीवनयापन का अन्य कोई सहारा नहीं था। ये परमिट उन्हीं व्यक्तियों को दिये गये थे जिनके नाम पूर्व में परमिट थे। इस निर्णय के उपरान्त उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार नाका राजबाग पर दिनांक 30.9.82 तक 70 परमिट तथा नाका नीमचौकी पर 119 परमिट जारी किये गये। इसके पश्चात परमिटधारकों की मृत्यु होने व अन्य कारणों से परमिट की संख्या कम होती गई। वर्ष 1999-2000 में नीमचौकी क्षेत्र से गिरीपड़ी सूखी लकड़ी लाने के लिये 1 अप्रैल, 1999 से 30 नवम्बर, 1999 तक 72 परमिट प्रति पखवाड़ा जारी किये गये। 1 दिसम्बर, 1999 से दिनांक 15.3.2000 तक 93 व्यक्तियों को परमिट जारी किये गये। राजबाग नाके से 1 अप्रैल, 1999 से 31.10.99 तक 21 व्यक्तियों को परमिट जारी किये गये। दिनांक 14.2.2000 से पूर्व तक बाघ परियोजना के वन क्षेत्रों से निम्नानुसार सिर भारे से लकड़ी निकासी के परमिट जारी किये जाते थे :—

क्षेत्र	परमिटों की संख्या
नाका राजबाग	21
नाका नीमचौकी	72

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.2.2000 की पालना में अभयारण्य क्षेत्र से लकड़ी की निकासी पर प्रतिबन्ध लगाये जाने से गिरी पड़ी लकड़ी लाने के परमिट नहीं दिये जा रहे हैं।

(3) उक्त क्षेत्र से परमिट के जरिये गिरी पड़ी लकड़ी लाने पर लगी रोक के परिणामस्वरूप परमिट प्राप्तकर्ताओं के लिए रोजगार/आर्थिक सहायता के लिए जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर के स्तर पर जिला उद्योग केन्द्र, वन विभाग, समाज कल्याण विभाग, नगरपालिका, अनुसूचित जाति विकास निगम आदि के द्वारा समन्वित प्रयास किये जा रहे हैं।

जिला जैसलमेर के रेगिस्तानी क्षेत्र में वन विकास

263. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सही है कि जैसलमेर जिले में 4 वर्ष में दिये बत्तीस करोड़ की राशि का डेजर्ट कम्बेटिंग कार्यक्रम इस वर्ष प्रारम्भ किया गया है ?

(2) उक्त कार्यक्रम में कितने हैक्टेयर भूमि में वनीकरण किया गया है तथा इस वर्ष कितनी राशि व्यय करने का अनुमान है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यक्रम हेतु नर्सरी कहां स्थापित की है तथा कितने पौधों का इस वर्ष वितरण किया गया है ?

(4) क्या उक्त कार्यक्रम में चलायमान धोरों का स्थरीकरण का कार्य किया है ? यदि हां, तो कितने एरिया का ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त कार्यक्रम में ग्यारह हजार हैक्टेयर भूमि जो वन विभाग के पास है उसका उपयोग किया गया है ?

(6) क्या उक्त जिले में गोल्डन ग्रास (सेवन) की योजना भी चल रही है ?

(7) क्या सरकार उक्त जिले में इन्टीग्रटिड (समनत्व) वनीकरण की योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जैसलमेर जिले में उक्त कार्यक्रम में वर्ष 2000-01 में 3692 हैक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया है तथा इस वर्ष जिले में इस योजना में 930 लाख रुपये व्यय किये जाने का अनुमान है।

(3) उक्त कार्यक्रम हेतु इस जिले में डाबला सांगड, 1450 आर.डी. मोहनगढ़, गजरूपसागर लाठी चांदन, सेल्वीफाटक, नाचना, बरडाना राजमथाई, रामदेवरा, हाजीरो की ढाणी, भनियाना, नोख, 1458 आर.डी. में नर्सरी स्थापित की गयी है। वर्ष 2000-01 में 1.50 लाख पौधों का वितरण किया गया है।

(4) जी, हां। वर्ष 2000-01 में जिले में इस योजना में 2315 हैक्टेयर क्षेत्र में चलायमान धोरों पर टिब्बास्थिरीकरण हेतु वृक्षारोपण किया गया है।

(5) जी, नहीं।

(6) वन विभाग के द्वारा गोल्डन ग्रास नामक कोई योजना उक्त जिले में नहीं चलाई जा रही है।

(7) वर्तमान में कार्यरत वन मण्डल अपनी अपनी विशिष्ट प्रकृति की योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं जिनके विद्यमान कार्य की प्रकृति एवं स्वरूप को परिवर्तित करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

तहसील हिण्डौन (जिला-करौली) में वन विभाग की भूमि

264. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला करौली की तहसील हिण्डौन के ग्राम झिरना मोढियापुरा व ओरनी गुर्जर में वन विभाग की कितनी-कितनी भूमि है? सूची मय खसरा नं. एवं रकबा सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्रामों की उक्त भूमि के वन विभाग की होने के संबंध में गजट नोटिफिकेशन भी हुआ है? यदि हां, तो कब? गजट नोटिफिकेशन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब तक उक्त ग्रामों की उक्त भूमि को वन क्षेत्र से मुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं तो, क्यों?

उत्तर

(1) जिला करौली की तहसील हिण्डौन के ग्राम झिरना मोढियापुरा व ओरनी गूर्जर के वन खण्डों में सम्मिलित की गई भूमि का ग्राम एवं खसरा वार विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी, हां। ग्राम झिरना एवं मोढ़ियापुरा की भूमि का वन भूमि होने बाबत जयपुर राजपत्र 1 मई, 1948 में प्रकाशन हुआ है। ग्राम ओरनी गुर्जर की भूमि का वन भूमि होने बाबत जयपुर राजपत्र 15 अप्रैल, 1948 में प्रकाशन हुआ है। गजट नोटिफिकेशन की प्रमाणित प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी, नहीं। क्योंकि वन (संरक्षक) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी भी वन भूमि को केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना वन क्षेत्र से मुक्त नहीं किया जा सकता है।

(विवरण व प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

जिला बारां के शिकार निषिद्ध क्षेत्र में खनन पट्टों का आवंटन

265. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सोरसन शिकार निषिद्ध क्षेत्र (बारां जिले की अन्ता तहसील) के नजदीक या निषिद्ध क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मऊ जागीर के खसरा नं. 74, 75 एवं 78 में दिनांक 18.12.99 को खनन पट्टे जारी किये थे? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में तत्कालीन वन संरक्षक (पूर्वी) वृत्त, कोटा द्वारा जांच पूर्ण कर दिनांक 26.6.2000 को वन संरक्षक कार्यालय में पेश कर दी है?

(2) उक्त जांच के निष्कर्ष क्या है तथा इसमें किस-किस अधिकारी व कर्मचारी की लापरवाही रही है?

उत्तर

(1) जी, हां। सोरमन शिकार निषिद्ध क्षेत्र बारां जिले की अन्ता तहसील के नजदीक निषिद्ध क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मऊ जागीर के खसरा नं. 74, 75 एवं 78 में दिनांक 18.12.99 को खनन पट्टे स्वीकृत किए गए थे। इस संबंध में जांच उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक वन संरक्षक पूर्वी वृत्त कोटा द्वारा की जाकर जांच रिपोर्ट दिनांक 26.6.2000 को वन संरक्षक कार्यालय में प्रस्तुत कर दी।

(2) इस जांच रिपोर्ट के अनुसार श्री हरिसिंह, मण्डल वन अधिकारी, बारां (पश्चिम), श्री अनिल गुप्ता क्षेत्रीय वन अधिकारी, श्री कृष्ण मुरारी कलि., श्री पृथ्वीराज वनपाल, श्री नरेन्द्र कुमार भार्गव अमीन, शैलेन्द्र सिंह क्षेत्रीय, अल्लादीन व अकबर अली वन रक्षक, रामबाबू मेघवाल वन रक्षक, रामनाथ पशु रक्षक एवं विभागीय कर्मचारी/अधिकारियों के अतिरिक्त तहसीलदार, अन्ता हल्का पटवारी एवं खनिज विभाग के अधिकारी, कर्मचारी को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। जांच अधिकारी द्वारा उनके समकक्ष अधिकारी मण्डल वन अधिकारी बारां (पश्चिम) को दोषी बताये जाने के कारण उक्त जांच निरस्त करते हुए मुख्य वन संरक्षक कोटा ने वन संरक्षक पूर्वी वृत्त कोटा को पुनः जांच करने के निर्देश दिये। वन संरक्षक पूर्वी वृत कोटा ने जांच पूर्ण कर रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक कोटा को प्रस्तुत कर दी। जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

रणथम्भौर बाघ परियोजना क्षेत्र में लकड़ी की कटाई

266. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाईमाधोपुर के रणथम्भौर बाघ परियोजना क्षेत्र से लगे हुए क्षेत्र में किस-किस नाके पर जंगल से जलाऊ लकड़ी लाने के परमिट वर्ष 1975 से अब तक चालू थे?

(2) उक्त जलाऊ लकड़ी के परमिट बन्द करने के क्या कारण हैं?

(3) क्या बाघ परियोजना से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी की खपत रोकने के लिए अनुदान पर गैस कनैक्शन मुहैया कराये गये हैं? यदि हां, तो फिर परियोजना से सटे शहरी क्षेत्र के उन व्यक्तियों को जिनके पास भी लकड़ी जलाने के अलावा कोई उपाय नहीं है अनुदान पर रसोई गैस कनैक्शन उपलब्ध कराने की योजना है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या जलाऊ लकड़ी के परमिट बन्द करने के बावजूद भी वन विभाग अधिकारियों की मिलीभगत से जंगल से लकड़ी का निकास बड़ी मात्रा में हो रहा है? यदि हां, तो उसे रोकने की क्या योजना है?

उत्तर

(1) सवाईमाधोपुर के रणथम्भौर बाघ परियोजना से लगे हुए क्षेत्र में वर्ष 1975 से दिनांक 15.3.2000 तक नाका राजबाग तथा नाका नीमचौकी पर जलाऊ लकड़ी लाने के परमिट दिये जाते थे।

(2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.2.2000 द्वारा राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य क्षेत्रों से लकड़ी निकासी पर रोक लगाने के कारण उक्त जलाऊ लकड़ी के परमिट बन्द किये गये।

(3) बाघ परियोजना से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी की खपत रोकने के लिए इण्डिया इको डवलपमेंट प्रोजेक्ट में शामिल 29 ग्रामों में गैस कनैक्शन उपलब्ध कराये गये हैं। यह योजना ग्रामीण इको डवलपमेंट क्षेत्र के लिए ही है। इस कारण परियोजना से सटे हुए शहरी क्षेत्र में गैस कनैक्शन उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) जी, नहीं। जलाऊ लकड़ी के परमिट बंद करने के बाद वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से जंगल से लकड़ी का कोई निकास नहीं हो रहा है।

अधिशेष कर्मियों का समायोजन

267. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग में हजारों की संख्या में पदों की कमी करके श्रमिकों की जबरन छंटनी की जा रही है? यदि हां, तो कितने श्रमिकों को किस-किस जिले में किन-किन कारणों से हटाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने उक्त छंटनी किये गये श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) वन विभाग के द्वारा श्रमिकों की छंटनी की कार्यवाही नहीं की जा रही है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) छंटनी नहीं किये जाने से वैकल्पिक व्यवस्था का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

फागी (जिला जयपुर) में जल संग्रहण योजना

268. श्री के. सी. विश्नोई (संगरिया) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वन विभाग द्वारा पंचायत समिति फागी जिला जयपुर में जल संग्रहण हेतु कोई योजना चलाई जा रही है? यदि हां, तो कब से? क्या उक्त योजना के लिए कोई सर्वे कराया गया है यदि हां तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत उक्त पंचायत समिति के किन-किन गांवों का चयन किया गया है? क्या उक्त योजना में ग्रामवासियों को भी सहभागी बनाया गया है? यदि हां,

(श्री के. सी. विश्नोई)

तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2000-2001 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है तथा अब तक कितने कार्य कराये जा चुके हैं और कितने कार्य कराये जाने शेष हैं?

(4) क्या उक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया गया है? यदि हां, तो कब कब?

उत्तर

(1) जयपुर जिले की पंचायत समिति फागी में अप्रैल, 2000 से एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना वन विभाग ने प्रारम्भ की है सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किये गये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) परियोजना के अन्तर्गत पंचायत समिति फ़ागी के ग्राम बीची, सेहदरिया, भरतपुरा मानुपुरा, ऊंट का खेड़ा, आजमोटा, चान्दमाकलां, हथेली एवं खेड़ा का हनुमानजी के जलग्रहण क्षेत्र का चयन किया गया है। परियोजना के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु स्थानीय ग्रामवासियों का सहयोग प्राप्त कर जलग्रहण संस्था एवं समितियों का गठन किया गया है। जलग्रहण संस्था में स्थानीय ग्रामवासियों को सम्मिलित किया गया है। गठित की गई जलग्रहण संस्था/समितियों का विवरण परिशिष्ट "क" अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विकास कार्य निष्पादन इन समितियों द्वारा सीधे ही कराया जाता है।

(3) परियोजना में प्रथम वर्ष अर्थात 2000-01 हेतु 96 लाख रुपये का प्रावधान था। किन्तु वर्ष 2000-2001 में केवल 36 लाख रुपये भारत सरकार से प्राप्त हुये हैं। वर्ष 2000-2001 में परियोजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण के अतिरिक्त प्रवेश बिन्दु कार्य (entry point activity) करवाये गये है जिनका विवरण परिशिष्ट "ख" में दर्शाया गया है।

परियोजना के प्रथम वर्ष अर्थात 2000-2001 में निर्धारित कार्य जो करवाये जाने से शेष रहे गये हैं। उनका विवरण परिशिष्ट "ग" में दर्शाया गया है।

(4) वर्ष 2000-2001 में करवाये गये प्रवेश बिन्दु कार्यों का भौतिक सत्यापन दिनांक 8.12.2000 से दिनांक 7.3.2001 के मध्य सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारी से कराया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पंचायत रायराकलां (भीलवाड़ा) में प्राइवेट डीलर द्वारा खाद्य सामग्री वितरण में अनियमितता

269. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री हीरासिंह चौहान)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायपुर की ग्राम पंचायत रायराकलां में प्राइवेट डीलर श्री गोदाराम पुत्र श्री आलूराम गुर्जर निवासी रायराकलां द्वारा खाद्य सामग्री वितरण में अनियमितता के कारण जिला रसद अधिकारी ने दिनांक 15.10.2000 को अनुज्ञा-पत्र निरस्त किया ?

(2) क्या सरकार ने जन समस्याओं की अनदेखी कर उक्त डीलर को अब तक यथावत बना रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत रायराकलां व विधायक रायपुर ने उक्त डीलर के विरुद्ध दिनांक 6.12.2000 को शिकायती पत्र भेज कर आरोप लगाये ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अनियमितताओं के बावजूद ऐसे भ्रष्ट डीलर को बनाये रखना चाहती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। उक्त प्राइवेट डीलर के विरुद्ध विभागीय प्रकरण सं. 71/2000 में दर्ज कर दिनांक 16.10.2000 को प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां। विभागीय प्रकरण संख्या 71/2000 दर्ज कर डीलर का प्राधिकार पत्र दिनांक 16.10.2000 द्वारा निलम्बित किया गया। इस आदेश के विरुद्ध डीलर ने विभाग में रिवीजन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो खारिज कर दिया गया है। वर्तमान में डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित है तथा उसके विरुद्ध पुलिस थाना बगड़ी में दिनांक 29.3.2001 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जा चुकी है।

(4) जी, नहीं।

विजयबाड़ी विकास समिति, जयपुर द्वारा अनियमितताएं

270. श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल) एवं **श्री अमराराम** (धोद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विजयबाड़ी विकास समिति पथ संख्या 6 विजयबाड़ी सीकर रोड ढेर का बालाजी, जयपुर का पंजीकरण कब कराया गया ? क्या समिति जल वितरण का भी कार्य करती है ? यदि हां, तो कितने जल कनैक्शन किस-किस को कब-कब दिये गये ? बिन्दुवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जल कनेक्शंस से समिति को कितनी-कितनी राशि प्रतिमाह प्राप्त होती है ? पंजीकरण से वर्ष 2000 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) समिति के संचालन एवं रखरखाव बाबत प्रतिमाह कितनी राशि व्यय की जाती है ? पंजीयन से वर्ष 2000 तक प्रतिमाह वाद समिति का लाभ-हानि चिट्ठा (बैलेंस शीट) सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहन लाल बारूपाल)

(4) क्या समिति द्वारा अनियमितता करने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कब? उक्त शिकायत की जांच किस स्तर के अधिकारी/निरीक्षक द्वारा कब तक कराने बाबत निर्देश दिये गये? क्या यह सही है कि जांच अधिकारी द्वारा समय पर जांच न करके अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही की गई? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? जांच प्रतिवेदन सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विजयबाड़ी विकास समिति पथ संख्या 6, विजयबाड़ी, सीकर रोड, ढहर के बालाजी जयपुर का पंजीकरण दिनांक 21.8.1986 को कराया गया था। जी, हां समिति के पंजीकृत उद्देश्यों के अनुसार समिति जल वितरण का कार्य भी करती है। राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के तहत रजिस्ट्रार, संस्थाएं, जयपुर को इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है।

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के तहत रजिस्ट्रार, संस्थाएं, जयपुर को इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) उपरोक्तानुसार।

(4) जी, हां। समिति द्वारा अनियमितता करने संबंधी शिकायत विभाग को प्राप्त हुई थी। इस शिकायत के क्रम में रजिस्ट्रार संस्थाएं, जयपुर शहर के आदेश क्रमांक 733 दिनांक 5.3.2001 द्वारा सहकारी निरीक्षक स्तर के अधिकारी को प्राथमिक जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 24.3.2001 को जांच रिपोर्ट पेश की जा चुकी है एवं संस्था को राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 4 (ख) के तहत नोटिस जारी कर दिया गया है।

ग्राम सेवा सहकारी समिति, खण्डवा, चूरू का गबन प्रकरण

271. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चूरू की खण्डवा ग्राम सेवा सहकारी समिति के लेखों का आडिट वर्ष 1998-99, निरीक्षक (आडिट), सहकारी समिति, चूरू द्वारा किया गया था? यदि हां, तो क्या आडिट प्रतिवेदन के पैरा संख्यांक 17.1 से 17.8 में गबनकर्ता के रूप में श्री हरलाल अध्यक्ष, भागचन्द व्यवस्थापक व श्री रामेश्वरलाल सहायक व्यवस्थापक तथा श्री रामकुमार ऋण पर्यवेक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 98,100/-

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रुपये का अनियमित भुगतान किये जाने के तथ्य निरीक्षण प्रतिवेदन में समाहित है।

(2) क्या उक्त अनियमितता करने वालों के विरुद्ध राजस्थान सहकारी अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत गबन/दुरुपयोग का मामला पंजीबद्ध किया था? यदि हां, तो प्रकरण में अब तक दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त खण्डवा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. के सम्पूर्ण लेखों की वर्ष 1999-2000 में आडिट निरीक्षक (आडिट) सहकारी समिति, चूरू ने पुनः की थी? क्या उक्त रिपोर्ट में आक्षेप संख्यांक 3, 6, 7, 12, 16, 17, 18, 20, 9, 24, 25, 37, 51 व 59 की अब तक अनुपालना की गई है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो अनुपालना प्रतिवेदन का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त ग्राम सेवा सहकारी समिति खण्डवा तहसील चूरू के प्राथमिक सदस्यगण व संचालक मण्डल के निर्वाचित सदस्यों ने रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर, प्रबन्ध निदेशक, दी-चूरू को-आपरेटिव बैंक लि., चूरू व विशेष लेखा परीक्षक, चूरू आदि को दिनांक 15.11.2000 को एक ज्ञापन प्रस्तुत कर आडिट रिपोर्ट के अनुसार 98,100/- रुपये के गबनकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करवाकर अध्यक्ष व व्यवस्थापक के निलम्बन की मांग की गई थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही अब तक की है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उन्हें अब निलम्बित कर कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(5) क्या ग्राम सेवा सहकारी समिति खण्डवा तहसील, चूरू के विरुद्ध नवयुवक मण्डल संस्थान, खण्डवा तहसील चूरू के ज्ञापन क्रमांक 120 दिनांक 10.11.2000 को जिला रसद अधिकारी, चूरू को फर्जी राशन कार्डों का राशन उठाने व राष्ट्रीय पोषाहार का गेहूं वितरण में गड़बड़ की शिकायत की थी? यदि हां, तो क्या उक्त जांच कर कार्यवाही हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र चूरू की खण्डवा ग्राम सेवा सहकारी समिति के लेखों का आडिट वर्ष 1998-99; निरीक्षक (आडिट) सहकारी समितियां, चूरू द्वारा किया गया था।

उक्त आडिट प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 के पैरा संख्या 17.1 से 17.8 में गबनकर्त्ता के रूप में श्री हरलाल, अध्यक्ष, श्री भागचन्द व्यवस्थापक व श्री रामकुमार, पर्यवेक्षक व रामेश्वर लाल, सहायक व्यवस्थापक संयुक्त रूप से 98,100/- रुपये का अनियमित भुगतान किये जाने का विवरण आडिट प्रतिवेदन में समाहित है, जिसका विवरण निम्नप्रकार है :—

(सहकारिता मंत्री)

क्र.सं.	आडिट सं.	आडिट पैरा का संक्षिप्त विवरण	गबन/ अनियमित भुगतान की राशि	आरोपित व्यक्ति का नाम व पद
1.	17.1	गोदाम मरम्मत का अवास्तविक भुगतान	15450	श्री हरलाल अध्यक्ष व श्री भागचन्द व्यवस्थापक
2.	17.2	गोदाम किराये का अनियमित भुगतान	20700	श्री हरलाल अध्यक्ष व श्री भागचन्द व्यवस्थापक
3.	17.3	अनियमित जुलाई खर्च का भुगतान	6600	श्री हरलाल अध्यक्ष व श्री भागचन्द व्यवस्थापक
4.	17.4	सहायक व्यवस्थापक को वेतन का अनियमित भुगतान	1200	श्री हरलाल अध्यक्ष व रामेश्वर लाल, सहायक व्यवस्थापक
5.	17.5	समिति के चपरासी को अनियमित वेतन भुगतान	9600	श्री हरलाल अध्यक्ष व श्री भागचन्द व्यवथापक
6.	17.6	समिति के चपरासी को अनियमित वेतन भुगतान	1000	श्री रामकुमार, ऋण पर्यवेक्षक
7.	17.7	अनियमित अतिथि सत्कार पर खर्च	1000	श्री हरलाल, अध्यक्ष
8.	17.8	रोकड़ पोता राशि का गबन	31750	श्री हरलाल, अध्यक्ष

(2) जी, हां। आडिट रिपोर्ट वर्ष 1998-99 मे आडिट पैरा 17.1 से 17.8 तक वर्णित अनियमितता बरतने वालों के विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत पांच वाद दिनांक 4.12.2000 को पंजीबद्ध किये गये थे। प्रकरण में अब तक दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण निम्नप्रकार है :—

(सहकारिता मंत्री)

क्र.सं.	दोषी व्यक्ति का नाम व पदनाम	धारा 74 के अन्तर्गत वाद सं.	आरोप का संक्षिप्त विवरण	आरोपित राशि	प्रकरण की वर्तमान स्थिति
1.	श्री हरलाल अध्यक्ष व श्री भागचन्द व्यवस्थापक	688	गोदाम मरम्मत का अवास्तविक भुगतान व गोदाम किराये का अनियमित भुगतान तथा अनियमित जुलाई खर्च का भुगतान	42750	मामला धारा 74 में पंजीबद्ध किया जाकर निर्णय प्रक्रियाधीन
2.	श्री हरलाल अध्यक्ष व रामेश्वर लाल, सहायक व्यवस्थापक	689	सहायक व्यवस्थापक को वेतन का अनियमित भुगतान	12000	मामला धारा 74 में पंजीबद्ध किया जाकर निर्णय प्रक्रियाधीन
3.	श्री भागचन्द व्यवस्थापक	690	समिति के चपरासी को अनियमित वेतन भुगतान	9600	मामला धारा 74 में पंजीबद्ध किया जाकर निर्णय प्रक्रियाधीन
4.	श्री रामकुमार ऋण पर्यवेक्षक	691	समिति के चपरासी को अनियमित वेतन भुगतान	1000	निर्णय दि. 26.12.2000 द्वारा श्री रामकुमार आरोप मुक्त
5.	श्री हरलाल, अध्यक्ष	692	अनियमित अतिथि सत्कार खर्च एवं रोकड़ पोता राशि का गबन	32750	निर्णय दि. 26.12.2000 द्वारा श्री हरलाल आरोप मुक्त

(3) खण्डवा ग्राम सेवा सहकारी समिति के सम्पूर्ण लेखों की वर्ष 1999-2000 में निरीक्षक (आडिट) द्वारा पुनः आडिट नहीं की गई थी। आडिट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1999-2000 के आक्षेप संख्या 3, 6, 7, 12, 16, 17, 18, 20, 9, 24, 25, 51 व 59 की अनुपालना खण्डवा ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा कर ली गई है। अनुपालना प्रतिवेदन का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) जी, हां। राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 में ग्राम सेवा सहकारी

(सहकारिता मंत्री)

समिति के अध्यक्ष को निलम्बित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। श्री हरलाल, अध्यक्ष के विरुद्ध आडिट रिपोर्ट वर्ष 1998-99 के अनुसार उनके द्वारा किये गये गबन व अनियमितताओं के संबंध में उनके विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है एवं उक्त प्रकरण में यदि श्री हरलाल दोषी पाये जाते हैं, तो राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 34 के प्रावधानों के तहत संचालक मण्डल की सदस्यता के लिए निर्योग्य घोषित किया जा सकता है एवं धारा 36 के प्रावधानों के तहत अध्यक्ष को समिति के संचालक मण्डल की सदस्यता से हटाया जा सकता है। अधिशासी अधिकारी, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., चूरू द्वारा आदेश दिनांक 28.3.2001 जारी कर श्री भागचन्द, व्यवस्थापक को निलम्बित किया जा चुका है।

(5) जिला रसद अधिकारी, चूरू से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम सेवा सहकारी समिति खण्डवा, तहसील चूरू के विरुद्ध नवयुवक मण्डल खण्डवा, तहसील चूरू ने ज्ञापन क्रमांक 120 दिनांक 10.11.2000 के द्वारा शिकायत की थी। जिला रसद अधिकारी द्वारा शिकायत की जांच करवा कर दोषी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के तहत प्रकरण संख्या 147/2000 दर्ज कर लिया गया है, जो विचाराधीन है।

प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं है कि किस वर्ग की सहकारी समितियों के निर्वाचन के बारे में सूचना चाही गई है। जहां तक प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के निर्वाचन कराये जाने का प्रश्न है, राज्य के प्रस्तावित नये सहकारिता अधिनियम के लागू हो जाने पर इन सहकारी समितियों के चुनाव करवाया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

पेंशनरों का दवा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र

272. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा एक नवम्बर, 2000 से राजस्थान के पेंशनरों को एलोपैथिक दवाइयां उपलब्ध न होने पर अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र (जे.के.लोन स्थित दुकान के अलावा) जारी करने के आदेश जारी किये गये थे?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जारी आदेशों का संघ के दवा विक्रेता कर्मचारियों द्वारा पालना नहीं की जाकर चिकित्सक द्वारा लिखी दवा के स्थान पर दूसरी (सब्स्टीट्यूट) दवा दे देते हैं जो कि स्वास्थ्य लाभ के स्थान पर हानिकारक भी सिद्ध हो सकती है? क्या सरकार उक्त प्रक्रिया को बन्द कर दवा विक्रेता कर्मचारियों को अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए पाबन्द करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर द्वारा जयपुर शहर में स्थित संघ की समस्त एलोपैथिक दवाइयों की दुकानों (जे.के.लोन स्थित शाखा को छोड़कर) से पेंशनर्स को, राज्य कर्मचारियों की भांति, पुनर्भरण योग्य अनुपलब्ध दवाईयों की अनुपलब्धता प्रमाण पत्र 1 नवम्बर, 2000 से उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए हैं।

(2) जी, नहीं। संघ में चिकित्सक द्वारा लिखी दवा के स्थान पर दूसरी (सब्स्टीट्यूट) दवाई देने की प्रक्रिया नहीं है। दवा विक्रेताओं को पेन्शनर्स को चिकित्सक द्वारा लिखी दवाई ही उपलब्ध कराने तथा सब्स्टीट्यूट नहीं करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हुए हैं। इसके उपरान्त भी विक्रेताओं द्वारा सब्स्टीट्यूट दवाई देने का मामला जानकारी में आने पर जांच कराई जाकर सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. सीकर में लिपिक का अनियमित पदस्थापन

273. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या श्री रणजीत सिंह काजला लिपिक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. सीकर को "लिपिक के उच्चतम पद" सी श्रेणी के पद प्रबन्धक विकास एवं ऋण पर पदस्थापित किया है? यदि हां, तो कब एवं किस नियम के तहत? क्या "द" श्रेणी के कर्मचारी का पदस्थापन नियमानुसार है? यदि नहीं, तो क्या श्री कांजला का "सी" श्रेणी के पद पर पदस्थापन उचित था? क्या बैंक की वर्ष 1999-2000 की आडिट रिपोर्ट में श्री कांजला को उच्चतर पद पर पदस्थापन को प्रशासनिक एवं न्यायोचित दृष्टि से उचित माना था? यदि नहीं, तो क्या सहकारी विभाग/बैंक ने आडिट आक्षेप की अनुपालना में क्या कोई कार्यवाही की है?

(2) क्या श्री रणजीत सिंह काजला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. जिला सीकर शाखा धोद में पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत रहा है? यदि हां, तो कब से कब तक?

(3) क्या श्री काजला द्वारा उक्त अवधि में ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. नागवा के सदस्यों से ऋण वसूली कर स्वयं द्वारा रसीदें जारी की गई? यदि हां, तो कब-कब, कुल कितनी-कितनी राशि किस-किस से प्राप्त की?

(4) क्या श्री काजला ने उक्त ऋण वसूली की राशि अपने पास रखी है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि कितने-कितने समय तक? क्या इससे नागवा ग्राम सहकारी समिति को आर्थिक नुकसान हुआ है? यदि हां, तो कितना? क्या इस संबंध में सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(श्री सांवर लाल)

(5) क्या केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. सीकर द्वारा अपने आदेश क्रमांक एसकेएसबी./केडर/96 /1229-30 दिनांक 18.7.96 के द्वारा तत्कालीन व्यवस्थापक श्री प्रेमसिंह के विरुद्ध लाखों रुपयों की समिति की राशि के गबन एवं दुरुपयोग बाबत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए श्री रणजीत सिंह काजला तत्कालीन पर्यवेक्षक को निदेशित किया था? यदि हां, तो क्या श्री काजला ने तद्नुसार रिपोर्ट दर्ज करवायी थी? यदि हां, तो कब और नहीं, तो देरी से प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसके विरुद्ध बैंक/विभाग द्वारा कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

(6) उक्त बाबत क्या श्री रणजीत सिंह काजला लिपिक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., सीकर के विरुद्ध शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कब और क्या तथा सरकार ने उक्त शिकायत पर क्या कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। श्री रणजीत सिंह काजला को प्रबन्ध संचालक द्वारा प्रबन्धक (विकास) एवं (ऋण) के रिक्त पद का कार्य सम्पादन के आदेश क्रमशः दिनांक 22.7.2000 एवं 15.11.2000 द्वारा किया गया था। उक्त आदेश प्रबन्ध संचालक को बैंक के उप नियम 13(2) के तहत प्रदत्त बैंक के कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण के प्राप्त अधिकार एवं बैंक के क्रियाकलपों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जारी किये गये थे।

जी, हां। श्री रणजीत सिंह काजला का प्रबन्धक (विकास) एवं (ऋण) के पद का कार्य सम्पादन किया जाना प्रशासनिक दृष्टि से तदर्थ सहायता की गई थी, जो उचित थी। चूंकि बैंक के नियमित रूप से चयनित "स" व "द" श्रेणी के अधिकारी उपलब्ध नहीं थे। इस कार्य के लिए श्री काजला को "सी" श्रेणी के पद के वेतनमान व भत्तों का कोई परिलाभ नहीं दिया गया है।

बैंक की आडिट रिपोर्ट 1999-2000 में श्री काजला को उच्चतम पद पर पदस्थापन को न्यायोचित नहीं मानते हुए बैंक प्रशासन को पुनर्विचार करने का सुझाव दिया है, जिसकी अनुपालना में श्री काजला को इस पद से हटा दिया है।

(2) जी, हां। श्री रणजीत सिंह काजला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., सीकर शाखा धोद में ऋण पर्यवेक्षक के पद पर दिनांक 16.7.1996 से 12.5.2000 तक कार्यरत रहे हैं।

(3) जी, हां। श्री रणजीत सिंह काजला द्वारा उक्त अवधि में ग्राम सेवा सहकारी समिति नागवा के सदस्यों से ऋण वसूली कर रसीदें जारी की थी। कब-कब कुल कितनी-कितनी राशि किस-किस से प्राप्त की थी, का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(सहकारिता मंत्री)

(4) जी, नहीं। नागवा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., रिकार्ड के अनुसार श्री काजला द्वारा जारी की हुई रसीदों की राशि समिति रोकड़ बही में उसी दिन जमा हुई है। समिति व्यवस्थापक द्वारा वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में रोकड़ पोता राशि नियमानुसर अवधि से अधिक के लिए अपने पास रखने से आडिट रिपोर्ट में की गई टिप्पणी के अनुसार रोकड़ पोते पर हुई ब्याज हानि के सन्दर्भ में राशि 1998-99 के लिए 11480/- तथा 1999-2000 के लिए 12855/- समिति में जमा हुए हैं। नुकसान की राशि समिति में जमा होने के कारण इस संबंध में राज्य सरकार स्तर पर कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(5) जी, हां। केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., सीकर द्वारा अपने आदेश क्रमांक एसकेएसबी/केडर/96/1229-30 दिनांक 16.7.96 के द्वारा तत्कालीन निलम्बित व्यवस्थापक श्री प्रेमसिंह के विरुद्ध नागवा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. की धनराशि के गबन/दुरुपयोग बाबत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए तत्कालीन ऋण पर्यवेक्षक श्री काजला को निदेशित किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 5.1.99 को दर्ज करवाई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करवाये जाने की जिम्मेदारी के निर्धारण के संबंध में बैंक स्तर से जांच करवाई जा रही है।

(6) जी, हां। इस बाबत श्री रणजीत सिंह काजला, लिपिक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., सीकर के विरुद्ध सहकारी विभाग को राज्य सरकार के जरिये दिनांक 15.3.2001 को शिकायत प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायत की जांच सहायक मोनीटरिंग अधिकारी, समन्वित सहकारी विकास कार्यक्रम, प्रधान कार्यालय, जयपुर से करायी जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पाली के विरुद्ध शिकायतें

274. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालौर सैंट्रल को-आपरेटिव बैंक में वर्ष 1995-96, व 1996-97 में पदस्थापित मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने के बाद उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण, पाली किया गया? यदि हां, तो क्या-क्या शिकायतें थी तथा उनमें क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी के पाली कार्यकाल में सुमेरपुर शाखा के लाकर्स व सेफ की डुप्लीकेट चाबियों का बैंक के बजट में से भुगतान किया था, यदि हां, तो कितना व क्यों?

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(3) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी की जिला कलक्टर, पाली व अन्य द्वारा शिकायत की गई? यदि हां, तो क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त शिकायतों के बावजूद उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण पाली से सिरोही में इसी पद पर किया गया?

(5) क्या यह भी सही है कि सिरोही में भी उक्त अधिकारी की शिकायतें हुई व सरकार ने इस अधिकारी कि अल्प समय में ही हटाकर जालौर भूमि विकास बैंक में स्थानान्तरण किया?

(6) क्या जिला कलक्टर सिरोही ने सैंट्रल को-आपरेटिव बैंक, सिरोही का निरीक्षण कराया था। जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विरुद्ध आपत्तियां उठाई गई थी? उक्त आपत्तियां क्या-क्या थी व सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

(7) क्या यह सही है कि भूमि विकास बैंक, जालौर में कैशियर द्वारा लाखों रुपये का गबन किया गया? यदि हां, तो कितना व किस प्रकार व कब-कब?

(8) उक्त गबन के समय कौन-कौन मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदस्थापित रहे हैं व क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक और नहीं, तो क्यों?

(9) क्या यह सही है कि पाली सैंट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. में अनियमित व फर्जी फर्मों से खाद क्रय करने की शिकायत धारा 7 की जांच में दो प्रबन्ध निदेशकों को दोषी माना गया जबकि कार्यवाही एक के विरुद्ध ही की गई? यदि हां, तो शेष के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने का क्या कारण रहा व अब कब तक क्या कार्यवाही की जानी है?

उत्तर

(1) जालौर केन्द्रीय सहकारी बैंक में वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में निम्न मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रबन्ध निदेशक) कार्यरत रहे थे :

क्र.सं.	नाम अधिकारी	अवधि
1.	श्री अविनाश रणवाह	12.7.93 से 3.8.95
2.	श्री सोहन लाल लखानी	25.9.95 से 27.11.97

तत्पश्चात् श्री सोहन लाल लखानी को केन्द्रीय सहकारी बैंक, पाली के प्रबन्ध निदेशक के पद पर पदस्थापित किया गया एव इस पद पर उनका कार्यकाल 28.11.97 से 19.8.98 तक रहा। उक्त अधिकारियों के विरुद्ध जालौर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदेशक के

(सहकारिता मंत्री)

कार्यकाल के दौरान प्राप्त शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक की सुमेरपुर शाखा के लोकर्स व सेफ की डुप्लीकेट चाबियों का भुगतान बैंक के बजट से नहीं किया गया था।

(3) जी, हां। उक्त अधिकारी श्री सोहन लाल लखानी तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., पाली के विरुद्ध एक शिकायत श्री अर्जुन सिंह द्वारा की गई थी, जो कि श्री सोहन लाल लखानी के पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदेशक के पद पर रहते हुए अनियमितताएं करने बाबत थी। उक्त शिकायत की जांच प्रक्रियाधीन है।

(4) श्री सोहन लाल लखानी का स्थानान्तरण केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., पाली से प्रबन्ध निदेशक के पद से केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., सिरोही में प्रबन्ध निदेशक के पद पर राज्यादेश क्रमांक प4 (2)सह/98 दिनांक 13.8.98 के द्वारा पदस्थापित किया गया।

(5) जी, हां। सिरोही कार्यकाल के दौरान की शिकायतें प्राप्त हुई। जालौर भूमि विकास बैंक के प्रशासनिक प्रक्रिया के अन्तर्गत श्री लखानी का सिरोही से स्थानान्तरण किया गया।

(6) जी, हां। परन्तु उक्त निरीक्षण में मुख्य कार्यकारी के विरुद्ध कोई आपत्तियां नहीं उठायी गयी।

(7) जी, हां। यह सही है कि भूमि विकास बैंक, जालौर में जालौर शाखा के कैशियर श्री प्रकाश रावत द्वारा 13.20 लाख रुपये का गबन किया गया, जिसका विवरण निम्नप्रकार है :

क्र.सं.	दिनांक	गबन राशि	गबन का प्रकार
1.	11.5.98	1,60,000	केन्द्रीय सहकारी बैंक, जालौर में जमा का फर्जी बाउचर डालकर।
2.	28.5.98	5,00,000	केन्द्रीय सहकारी बैंक जालौर में जमा का फर्जी बाउचर डालकर।
3.	02.6.98	6,00,000	केन्द्रीय सहकारी बैंक जालौर में जमा का फर्जी बाउचर डालकर।
4.	5.10.98	60,000	बिना बाउचर केन्द्रीय सहकारी बैंक, जालौर में जमा अंकित करके।

(सहकारिता मंत्री)

(8) प्रश्न के बिन्दु संख्या 7 में वर्णित गबन के समय श्री राजेन्द्र चौधरी, उप रजिस्ट्रार बैंक के मुख्य कार्यकारी (सचिव) के पद पर कार्यरत थे। उक्त गबन का मामला श्री राजेन्द्र चौधरी के स्थानान्तरण के पश्चात् तत्कालीन सचिव द्वारा अंक मिलान कार्य करवाने पर प्रकाश में आया। गबन का मामला प्रकाश में आने पर गबनकर्ता श्री प्रकाश रावत को सेवाओं से मुक्त कर दिया गया तथा गबन की राशि की वसूली मय ब्याज कर ली गई है। उपरोक्तानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जिम्मेदारी नहीं निभाने का कोई बिन्दु स्पष्ट नहीं हुआ।

(9) जी, नहीं। सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 7 में जांच कराये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

बाड़मेर व जैसलमेर में अकाल राहत कार्यों पर लगे मजदूर

275. श्री अमीन खान (शिव) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में आज तक कितने अकाल राहत कार्य स्वीकृत चालू किए गए और उनमें कितने-कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं? तहसीलवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) राज्य में मार्च, 2001 से जून, 2001 तक कितने मजदूर लगाये जाने प्रस्तावित हैं?

(3) उक्त अवधि में जिला बाड़मेर व जैसलमेर में कितने-कितने मजदूर लगाने का विचार है?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में 359 कार्य एवं जैसलमेर में 186 कार्य अब तक स्वीकृत किये। उक्त स्वीकृत कार्यों में से 135 कार्य बाड़मेर व 60 कार्य जैसलमेर में चालू किये गये। चालू कार्यों की संख्या व नियोजित श्रमिकों की संख्या की तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) माह मार्च व अप्रैल हेतु क्रमशः 5 लाख एवं 8,66,050 की श्रमिक सीमा जारी कर दी गई है व मई व जून में और अधिक श्रमिक राहत कार्यों पर राज्य में नियोजित करना प्रस्तावित है।

(3) जिला बाड़मेर के लिए माह मार्च हेतु 25,000, अप्रैल हेतु 35,000 एवं जैसलमेर में माह मार्च हेतु 15,000 व अप्रैल हेतु 28,000 श्रमिक सीमा जारी कर दी गई है। मई, जून में उक्त जारी श्रमिक सीमा से अधिक आवश्यकतानुसार श्रमिक सीमा जारी की जायेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

राजकीय महाविद्यालय भवन बाड़मेर की मरम्मत

276. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 26 जनवरी, 2001 को कच्छ जिले में जो भूकम्प आया उससे जिला बाड़मेर में भी भूकम्प के झटके आये? यदि हां, तो जिला बाड़मेर में कितनी जान-माल की क्षति हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार ने उक्त भूकम्प पीड़ितों को अब तक क्या सहायता प्रदान की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि भूकम्प से राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर के भवन एवं अन्य सार्वजनिक भवनों को क्षति पहुंची है? यदि हां तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त सार्वजनिक भवनों की मरम्मत एवं सुधार के लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि दिनांक 26.1.2001 को कच्छ (गुजरात) जिले में जा भूकम्प आया जिससे जिला बाड़मेर में भी भूकम्प के झटके आये थे किन्तु जिले में किसी प्रकार की जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है।

(2) बाड़मेर जिले में कोई जान-माल की हानि नहीं होने से किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(3) जी, हां। यह सही है कि भूकम्प से राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर को क्षति पहुंची है। अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बाड़मेर की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित रुपये 4.89 लाख की क्षति हुई है। अन्य सार्वजनिक भवनों में आंशिक क्षति हुई है।

(4) भूकम्प से राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर को पहुंची क्षति के संबंध में अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बाड़मेर की रिपोर्ट के अनुसार इसकी मरम्मत हेतु शिक्षा विभाग, राज. जयपुर को रुपये 4,88,775/- की राशि उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किये जाने पर शिक्षा विभाग ने उनके पत्रांक प. 7(9) शिक्षा/3/2001 दिनांक 15.3.2001 द्वारा निदेशक, कालेज शिक्षा, राज. जयपुर को राजकीय महाविद्यालय, बाड़मेर भवन की मरम्मत के लिए छात्र निधि कोष से 2.00 लाख रुपये अस्थाई तौर पर आहरण कर व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई है। अन्य भवनों को आंशिक क्षति की मरम्मत हेतु राशि धनराशि की उपलब्धता के आधार पर संबंधित विभाग उचित कार्यवाही करेगा।

अकाल राहत कोष में प्राप्त राशि

277. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नवम्बर, 1999 में सरकार के पास अकाल राहत कोष में कितनी राशि उपलब्ध थी ?

(2) वर्ष 1999-2000 में अकाल सहायता की तीसरी व चौथी किस्त के पेटे कितनी-कितनी राशि कब-कब राज्य सरकार को प्राप्त हुई ?

(3) क्या राष्ट्रीय अकाल राहत कोष से भी राज्य सरकार को कोई राशि गत अकाल की अवधि में प्राप्त हुई ? यदि हां, तो कितनी ?

(4) अकाल अवधि में क्या प्रधानमंत्री सहायता कोष से राज्य सरकार को कोई राशि प्राप्त हुई ? यदि हां, तो कितनी ?

(5) गत वर्ष अकाल अवधि (फरवरी से जुलाई, 2000) में क्या ग्रामीण जल प्रदाय योजना के तहत भी कोई राशि भारत सरकार से प्राप्त हुई ? यदि हां, तो कितनी ?

(6) गत अकाल फरवरी से जुलाई, 2000 में आशान्वित योजना कोष से राज्य सरकार को कोई राशि प्राप्त हुई ? यदि हां, तो कितनी ?

(7) क्या यह सही है कि गत अकाल की अवधि में भारत सरकार ने अकाल को ध्यान में रखते हुए विशेष आबंटन के नाम पर राशि प्रदान की थी, यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(1) माह नवम्बर, 1999 में प्राकृतिक आपदा कोष का शेष 43.000 करोड़ रुपया था।

(2) वर्ष 1999-2000 में प्राकृतिक आपदा कोष में तृतीय किस्त में 3081.25 लाख रुपये की राशि दिनांक 1.10.99 को व चतुर्थ किस्त में 3881.25 लाख रुपये की राशि दिनांक 20.12.99 को जारी स्वीकृति के आधार पर राज्य सरकार को प्राप्त हुई।

(3) जी, हां। सम्वत् 2056 के अकाल के लिए भारत सरकार से राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा कोष से 102.93 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी।

(4) जी, हां। सम्वत् 2056 के अकाल के लिए प्रधानमंत्री सहायता कोष से 20.00 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी।

(5) जी, हां। फरवरी, 2000 से जुलाई, 2000 की अवधि में ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को 12117.52 लाख रुपये की राशि जारी कर दी गई।

(6) इस नाम की कोई योजना की जानकारी नहीं है।

(7) सम्वत् 2056 के अकाल के लिए भारत सरकार से विशेष आबंटन के नाम पर एन.एफ.सी.आर. से 102.93 करोड़ रुपये की राशि व प्रधानमंत्री सहायता कोष से 20.00 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी।

अकाल राहत कार्यों के लिए स्वीकृत राशि का उपयोग

278. श्री अमराराम (धोद) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत वर्ष अकाल राहत कार्यों के लिए केन्द्र सरकार से कितनी राशि मिली तथा इस वर्ष अब तक कितनी राशि केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को मिली है ? गत वर्ष राज्य में कितने गांव अकाल प्रभावित थे व इस वर्ष कितने हैं ?

(2) गत वर्ष राज्य सरकार द्वारा अकाल राहत कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इस वर्ष अकाल राहत व अकाल प्रभावित क्षेत्रों हेतु कितनी राशि आबंटित की गई है ?

उत्तर

(1) गत वर्ष अकाल राहत कार्यों के लिए केन्द्र सरकार से 278.18 करोड़ रुपये की राशि एवं इस वर्ष 125.75 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

गत वर्ष राज्य के 23406 गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये थे एवं इस वर्ष 30583 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं।

(2) गत वर्ष राज्य सरकार द्वारा अकाल राहत कार्यों पर 56594.71 लाख रुपये व्यय किये गये थे। व्यय की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) इस वर्ष अकाल राहत व अकाल प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत मद से 31 मार्च, 2001 तक 6302.82 लाख रुपये आबंटित किये गये हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

सांचौर (जालौर) की अपूर्ण सड़कों की मरम्मत

279. श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1999-2000 में अकाल राहत कार्यों के तहत तहसील सांचौर (जालौर) में कहां-कहां एवं कितने-कितने किलोमीटर अर्थ वर्क एवं ग्रेवल सड़क का कार्य हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अकाल राहत कार्यों के तहत गत वर्ष के बकाया अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 में अकाल राहत के तहत तहसील सांचौर (जिला-जालौर) में 66.25 किमी. का अर्थ वर्क स्तर तक एवं 52.55 किमी. का ग्रेवल स्तर तक सड़क का कार्य हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(अकाल राहत मंत्री)

(2) जी, हां। गत वर्ष के अपूर्ण अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत प्राथमिकता से कराने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में अकाल राहत कार्यों की बकाया राशि का भुगतान

280. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या गत वर्ष अकाल राहत कार्यों में विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के ग्राम कालूड़ी में नाली खुदाई का कार्य किया गया था? यदि हां, तो उसकी मजदूरी की कितनी राशि का भुगतान किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? अब उक्त बकाया मजदूरी का भुगतान कितने समय में कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। उक्त कार्य की कुल 2,32,300/- रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया है। दिनांक 4.3.2000 से 15.3.2000 एवं 16.3.2000 से 31.3.2000 के पखवाड़े की मजदूरी 15,453/- रुपये का भुगतान टास्क कम आने के कारण मजदूरों ने लेने से मना कर देने के कारण राजकोष में राशि जमा कराई जा चुकी है। मजदूर टास्क के अनुसार भुगतान लेने को तैयार हो जाते हैं तो 15 दिन में भुगतान कर दिया जावेगा।

विश्वकर्मा क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों से निस्त्रावित प्रदूषित जल

281. श्री भाणजी (दानपुर) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण हेतु कोई नियम/अधिनियम प्रभावी हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या औद्योगिक इकाइयों को अपने उद्योग स्थापित करने से पूर्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है? क्या इसके उल्लंघन की स्थिति में कोई दण्डात्मक व्यवस्था प्रचलित है?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा प्रदूषित जल जो कि रसायनयुक्त है, विद्याधर नगर के सैक्टर 8, 9 एवं 10 के पास स्थित अमानीशाह के नाले में जाने से आसपास की जमीन, जलस्रोत, जनता, पापड़ वाले हनुमान मंदिर जाने वाले दर्शनार्थी, स्वर्ण जयन्ती पार्क इत्यादि दूषित वातावरण से प्रभावित हो रहे हैं? यदि हां, तो क्या इसके निस्तारण के लिए विभागीय स्तर पर प्रभावी एवं स्थायी कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण हेतु राज्य में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, राजस्थान जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1975, राजस्थान वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम 1981, राजस्थान जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अपील नियम, 1977 प्रभावी है।

(2) जी, हां। औद्योगिक इकाइयों द्वारा उद्योग की स्थापना से पूर्व उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत मण्डल से सम्मति प्राप्त करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

जी, हां। इन प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में उद्योग एवं उसके भार साधनों को न्यूनतम 18 माह से अधिकतम 6 वर्ष के कारावास एवं अर्थ दण्ड से दण्डित किए जाने की व्यवस्था है।

(3) जी, हां। यह सही है कि विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले उच्छिष्ट एवं आसपास के आवासीय क्षेत्रों से आने वाला घरेलू उच्छिष्ट एवं नाले से होता हुआ पापड़ वाले हनुमानजी के मन्दिर जाने वाली पुलिया के नीचे से होता हुआ विद्याधर नगर के सैक्टर 8 के पास तक पहुंचता है। जिससे बदबू आने एवं जल के दूषित होने की संभावना रहती है।

राज्य मण्डल के प्रयासों के फलस्वरूप कुछ उद्योगों ने उच्छिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित कर लिए हैं तथा शेष उद्योगों द्वारा भी उपचार संयंत्र लगाने की कार्यवाही की जा रही है।

डेगाना (नागौर) के नव निर्मित बस स्टेण्ड का उपयोग

282. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि ग्राम डेगाना जिला नागौर में राज्य सरकार द्वारा निर्मित बस स्टेण्ड बन कर तैयार हो गया है? यदि हां, तो कब? उक्त बस स्टेण्ड पर कुल कितना व्यय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नवनिर्मित बस स्टेण्ड पर एक भी बस अभी तक खड़ी नहीं की जाती है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि इस कस्बे में वर्तमान बस स्टेण्ड घनी आबादी में होने के कारण एवं बसों के बेतरतीब खड़ी किये जाने से प्रतिदिन में अनेकों बार रास्ता जाम होता रहता है जिससे नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निराकरण हेतु सरकारी बस स्टेण्ड पर बसों को खड़ी करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। इस स्टेण्ड का निर्माण कार्य पंचायत समिति डेगाना द्वारा करवाया जा रहा है और जिसमें स्टेंण्ड अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। केवल चारदीवारी बनकर तैयार हुई है, चारदीवारी के निर्माण में लगभग 5 लाख रुपये का व्यय हुआ है।

(2) पर्याप्त जन सुविधा के अभाव में यहां बसें नहीं खड़ी की जा रही है। अभी इस स्टेण्ड पर यात्रियों के बैठने का स्थान, छत, शौचालय आदि की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(3) जी, हां। वर्तमान बस स्टेण्ड के घनी आबादी क्षेत्र में स्थित होने से एवं गाड़ियों के बेतरतीब खड़ी होने से यातायात बाधित होता है। नय बस स्टेण्ड का निर्माण कार्य पूर्ण होने एवं उक्त बस स्टेण्ड निगम को नियमानुसार हस्तान्तरित करने पर यथोचित व्यवस्था की जा सकेगी।

पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की बकाया मानदेय राशि

283. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कार्यरत कितने कर्मचारियों का कितना ओवर टाइम कब से बाकी है?

(2) उक्त ओवर टाइम का भुगतान कर्मचारियों को कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) निगम में कार्यरत लगभग 13936 कर्मचारियों का सामान्यतः जून, 1998 से ओवर टाइम भत्ते का लगभग 46.29 करोड़ रु. का भुगतान बकाया है।

(2) निगम की आर्थिक स्थिति में सुधार होने एवं उक्त भुगतान हेतु राशि की व्यवस्था होने की स्थिति में ही निगम द्वारा बकाया ओवर टाइम भत्ते का भुगतान किया जाना सम्भव हो सकेगा।

पथ परिवहन निगम से टैक्स के रूप में प्राप्त राजस्व

284. श्री अमराराम (धोद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में राज्य परिवहन निगम के पास कितनी बसें चालू हालत में हैं? वर्तमान में कितने आगार लाभ/हानि में चल रहे हैं? निगम से राज्य सरकार को टैक्स के रूप में कितनी राशि गत पांच वर्षों में प्राप्त हुई?

(2) वर्तमान में कितनी बसें निजी मालिकों के पास हैं और उससे राज्य सरकार को कितनी आमदनी टैक्स के रूप में गत 5 सालों में प्राप्त हुई?

उत्तर

(1) वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के पास 4168 बसें चालू हालत में है। वर्तमान में निगम के 46 आगार हानि में है एवं दो आगार लाभ में चल रहे हैं। गत पांच वर्षों (1995-96 से 1999-2000) में निगम से राज्य सरकार को लगभग 270.49 करोड़ रुपये की राशि टैक्स के रूप में प्राप्त हुई है।

(2) निजी बस मालिकों के पास मार्च, 2000 तक 15,242 बसें थी और इनसे राज्य सरकार को गत पांच वर्षों (1995-96 से 1999-2000) में लगभग 256.39 करोड़ रुपये की आमदनी टैक्स के रूप में हुई है।

राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का रखरखाव

285. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा चलाई जा रही बसों की स्थिति बहुत ही दयनीय है तथा निगम की बसें जगह-जगह ब्रेक डाउन हो जाती है जिससे यात्रियों को परेशानी होती है? यदि हां, तो सरकार उक्त संबंध में क्या निर्णय लेने जा रही है?

(2) क्या खेड़ली से अलवर तथा नगर से जयपुर तक चलने वाली बसों की स्थिति अत्यन्त ही दयनीय है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार खेड़ली से नगर तथा खेड़ली से लक्ष्मणगढ़ तक नई शटल बस चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। निगम की बसें ब्रेक-डाउन कम से कम हो तथा यात्रियों को परेशानी कम से कम हो इसके लिए उनकी मरम्मत की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां। खेड़ली से नगर मार्ग पर 4 परिचक्र शटल सेवा के रूप में दैनिक संचालन हेतु समय सारणी में निर्धारित है लेकिन किन्ही अपरिहार्य कारणों से इन परिचक्रों का संचालन नहीं किया जा रहा था, परन्तु अब इन परिचक्रों का संचालन दिनांक 11.4.2001 से पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है।

खेड़ली से लक्ष्मणगढ़ मार्ग पर 5 परिचक्र शटल सेवा के रूप में संचालित किए जा रहे हैं जो वर्तमान में उपलब्ध हो रहे यात्रीभार की दृष्टि से पर्याप्त है।

परिवहन निगम में कार्यरत मृत कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति प्रकरण

286. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री कन्हैया लाल)

(1) क्या यह सही है कि स्व. श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह चालक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कार्यरत था? यदि हां, तो इनकी नियुक्ति किस वर्ष में हुई और इनकी मृत्यु कब हुई?

(2) क्या इनके स्थान पर मृतक राज्यकर्मी के आश्रित के रूप में किसी परिजन को नियुक्ति दी गई है?. यदि हां, तो किसको और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त चालक को अवैध सेवा मुक्ति दी गई थी? यदि हां, तो कब एवं क्यों? क्या प्रार्थी ने उक्त सेवा मुक्ति के विरुद्ध कोई अपील की थी? यदि हां, तो कब उक्त अपील पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि अपील अवधि के दौरान ही प्रार्थी की मृत्यु हो गई और आज तक अपील पर निर्णय तो दूर उक्त मृत चालक की विधवा एवं आश्रित परिजनों को पेंशन तक का लाभ नहीं दिया गया?

(5) क्या विधवा पत्नी एवं आश्रित परिवार को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता, पेंशन ग्रेच्युटी या अन्य भुगतान एवं मृतक आश्रित को नियुक्ति दी गई? यदि हां, तो मृत्यु के कितने वर्षों के बाद और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त मृत चालक के आश्रितों को परिवहन निगम में नियुक्ति एवं उसकी पेंशन, ग्रेच्युटी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह की नियुक्ति राजस्थान परिवहन निगम में चालक पद पर आदेश क्रमांक 5539 दिनांक 23.3.1974 द्वारा की गई थी। उक्त चालक की मृत्यु के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(2) जी, नहीं। उक्त चालक को दिनांक 21.8.79 को निगम सेवा से सेवापृथक किया गया था। अतः आश्रित के रूप में किसी परिजन को नियुक्ति दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) जी, नहीं। उक्त चालक दिनांक 16.12.78 से लगातार बिना सूचना ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहा था तथा उसे ड्यूटी पर बुलाने हेतु बार-बार पत्र लिखे गये। दैनिक समाचार पत्र नवज्योति, राजस्थान पत्रिका में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई गई तथा तदुपरान्त भी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होने के कारण कार्य व्यवस्थापक के आदेश संख्या 2255 दिनांक 21.8.79 द्वारा दोषी मानते हुए निगम सेवा से पृथक किया गया। ऐसी सेवा मुक्ति के विरुद्ध की गई अपील के संबंध में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(यातायात मंत्री)

(4) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अपील अवधि के दौरान ही चालक की मृत्यु के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। कर्मचारी को सेवा पृथक किये जाने के कारण आदेश संख्या 4583 दिनांक 17.6.80 द्वारा नियमानुसार भविष्य निधि राशि रुपये 616.25 पैसे का भुगतान स्वयं श्री जसवन्त सिंह को तत्समय ही कर दिया गया था। चूंकि श्री जसवन्त सिंह को निगम सेवा से पृथक कर दिया गया था एवं इनकी सेवाएं 5 वर्ष से कम थी। अतः इन्हें उपदान राशि देय नहीं बनती थी। सेवा पृथक किये जाने के कारण पारिवारिक पेंशन जो कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय द्वारा दी जाती है, भी देय नहीं है।

(5) जी नहीं। श्री जसवन्त सिंह को निगम सेवा से सेवा पृथक किया गया था एवं इनकी सेवाएं निगम में 5 वर्ष से कम थी अतः नियमानुसार उपदान राशि, पारिवारिक पेंशन जो कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय द्वारा दी जाती है, देय नहीं है। इस मामले में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय से मिलने वाली एक मुश्त राशि का दावा पेश करने हेतु श्रीमती सुरज कंवर पत्नी स्व. श्री जसवन्त सिंह को आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था लेकिन अब तक भी आवश्यक कागजात प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिसके कारण एक मुश्त देय राशि का दावा तैयार कर क्षेत्रीय निधि आयुक्त कार्यालय को प्रेषित नहीं किया जा सका है। उक्त चालक को निगम सेवा से सेवा पृथक किया गया है अतः आश्रित के रूप में किसी परिजन को नियुक्ति दिये जाने का प्रश्न ही नहीं होता।

(6) उक्त चालक को निगम सेवा से सेवा पृथक किया गया था, अतः मृतक कर्मचारी के आश्रित के रूप में किसी परिजन को नियुक्ति दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय द्वारा दी जाने वाली एक मुश्त राशि हेतु आश्रित द्वारा आवश्यक कागजात प्रस्तुत किये जाने पर दावा तैयार कर क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय को प्रेषित किया जा सकेगा।

धौलपुर आगार से संचालित बसों का रखरखाव

287. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला धौलपुर में राज्य पथ परिवहन निगम का आगार बना हुआ है? यदि हां, तो धौलपुर आगार में कितनी बसें है और किस-किस मार्ग पर चलती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आगार की बसों की हालत बहुत ही खराब है? क्या सरकार उक्त बसों को ठीक कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(श्री शिवराम सिंह कुशवाह)

(3) आगार में पुरानी बसों की बाडियों की मरम्मत व नई बाडी बनाने का सरकारी कारखाना खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। धौलपुर आगार को वर्तमान में 57 बसें आबंटित हैं ये बसें जिन मार्गों पर चलती हैं, उनका मार्गवार विवरण परिशिष्ट (1) पर संलग्न है।

(2) धौलपुर आगार को आबंटित वाहन वर्ष 1993 से 2000 तक के माडल की है जिनकी यांत्रिक एवं बाह्य स्थिति सन्तोषप्रद है तथा इनकी दैनिक/सामयिक मेंटीनेंस आगार कार्यशाला में की जाती है परन्तु यदा-कदा इन वाहनों में यांत्रिक खराबी आ जाती है जिन्हें तत्काल स्थानीय आगार कार्यशाला में दुरुस्त कराया जाकर मार्ग पर संचालन योग्य कर दिया जाता है।

(3) जी, नहीं। निगम द्वारा नई बस बाडी निजी बाडी बिल्डिंग इकाइयों द्वारा बनवाई जाती है परन्तु पुरानी बस बाडियों की भारी मरम्मत का कार्य निगम के केन्द्रीय कार्यशाला, जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर में करवाया जाता है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में धौलपुर मे पृथक से ऐसी व्यवस्था करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

परतापुर (बांसवाड़ा) उदयपुर बस सेवा

288. श्री रमेश चन्द पण्ड्या (बांसवाड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा के परतापुर कस्बे से उदयपुर के लिए राज्य पथ परिवहन निगम की कोई सीधी बस सेवा संचालित है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार यात्री सुविधा हेतु इस मार्ग के लिए बस सेवा संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, नहीं। वर्तमान में निगम द्वारा बांसवाड़ा से परतापुर कस्बा होकर उदयपुर के लिए दो एकल परिचक्र निम्नानुसार संचालित है :—

बांसवाड़ा	कुशलगढ़	परतापुर	उदयपुर
0730	1030	1400	1830 (रात्रि विश्राम)
उदयपुर	**परतापुर**	**कुशलगढ़**	**बांसवाड़ा**
0930	1430	1830	2100

(2) जी, नहीं। इस मार्ग पर प्रश्न के भाग-1 में दर्शाये गये समयानुसार बस सेवा संचालित है।

विधान सभा क्षेत्र भादरा के ग्रामों हेतु निगम बस सेवा

289. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा के कितने गांवों को राज्य परिवहन निगम की बस सेवा से जोड़ा गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में ऐसे कितने और कौन-कौन से गांव हैं जो उक्त बस सुविधा से वंचित हैं? अब तक उक्त गांवों को बस सुविधा से नहीं जोड़े जाने के क्या कारण हैं?

(3) क्या सरकार उक्त गांवों में शीघ्र ही बस सुविधा चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा के 34 गांव निगम की बस सेवा से जुड़े हुये हैं, जिनका नाम दर्शाते हुये सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-1)

(2) इस क्षेत्र के ऐसे निम्न 29 गांव हैं, जो बस सेवा से जुड़े हुए नहीं हैं, ये गांव विभिन्न मार्गों से हटकर हैं तथा इन गांवों में बस संचालन आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं होने के कारण बस मालिक बस नहीं लगाना चाहते हैं :—

1. डूंगरसिंहपुरा
2. मूदड़िया छोटा
3. रामपुरा
4. सरदारपुरा बास
5. भोलाबास
6. रामगढ़िया
7. बीड़ भादरा
8. बीरान
9. उदरान
10. सवाई छानी
11. महरिया
12. आंसन
13. बेर
14. धोलपालिया
15. भांगवा
16. मोठसरा
17. गंगासिंहपुरा
18. ढाणी स्वामियान
19. ढाणी बेरवाल
20. श्योराटाडा
21. हुणतपुरा
22. अलायला
23. मालकस
24. पचारवाली
25. बामनवास
26. चनाण
27. अनुपशहर
28. चौबारा
29. गुजासरी

(यातायात मंत्री)

(3) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अथवा प्राइवेट बस आपरेटर के द्वारा नये मार्ग खोलने अथवा उक्त गांव को जुड़वाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर मार्गों का सर्वे करवा कर इन गांवों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

चित्तौड़गढ़ बड़ी सादड़ी बस सेवा

290. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चित्तौड़गढ़ आगार से बड़ी सादड़ी, वाया मंगलवाड़ डूंगला कितनी बसें रोज चलाई जा रही हैं? समय सारणी सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान पथ परिवहन निगम की प्रातःकालीन चित्तौड़ से उदयपुर जाने वाली बस प्रातः 5.30 पर ही मंगलवाड़ पहुंच जाती है? क्या उससे आगे के यात्रियों के लिए बड़ी सादड़ी वाया डूंगला या कानोड़ वाया डूंगला जाने के लिए प्रातः 8.30 तक कोई बस सुविधा उपलब्ध नहीं है? क्या वहां पर केवल एक टिकट घर है जो सुबह नहीं खुलता है तथा वहां रोशनी की भी कोई व्यवस्था नहीं है? क्या इससे इतनी सुबह वहां पहुंचने वाले यात्रियों को काफी असुविधा होती है? क्या सरकार उक्त स्थान पर बस स्टेण्ड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? क्या सरकार उक्त मार्ग पर प्रातः काल कोई बस चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से?

(3) क्या यह भी सही है कि जयपुर से एक बस जयपुर, डूंगरपुर चलती है जो वाया चित्तौड़, आवरीकाता, भड़ेसर, बड़ी सादड़ी होते हुए आती है? क्या सरकार जयपुर से इसी प्रकार एक बस वाया चित्तौड़गढ़ मंगलवाड़, डूंगला, बड़ी सादड़ी डूंगरपुर हेतु चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) वर्तमान में इस मार्ग पर निगम की कोई सीधी बस संचालित नहीं की जा रही है।

(2) जी, नहीं। जयपुर से उदयपुर चलने वाली बस प्रातः 6.30 बजे मंगलवाड़ पहुंचती है।

मंगलवाड़ से आगे बड़ी सादड़ी वाया डूंगला पंचम अध्याय का मार्ग है जिस पर निगम के साथ-साथ निजी वाहनें भी संचालित है जिनकी समय सारिणी निम्न प्रकार है :—

1.	08.30 बजे	निगम की
2.	07.15 बजे	निजी वाहन
3.	08.15 बजे	निजी वाहन

(यातायात मंत्री)

इसी प्रकार मंगलवाड से कानोड़ वाया डूंगला मार्ग पर निगम की पृथक से कोई बस संचालित नहीं है परन्तु मंगलवाड़ से 07.30 बजे कानोड़ वाया डूंगला के लिए निजी बस संचालित है।

वर्तमान में मंगलवाड़ में दो बुकिंग खिड़कियां 1. उदयपुर खिड़की, 2. चित्तौड़गढ़ खिड़की है। उक्त दोनों ही खिड़कियां प्रातः 9 से 17 बजे तक खुलती है। वर्तमान में मंगलवाड़ बुकिंग खिड़की के सामने यात्रियों की सुविधार्थ पंचायत की भूमि पर यात्री शैड लगाया हुआ है जिसमें रात्रि में निगम की ओर से तो कोई रोशनी की व्यवस्था नहीं है परन्तु यात्री शैड के पास ही होटल, तथा अन्य दुकानें आदि बनी हुई है जिनसे पर्याप्त रोशनी बनी रहती है।

निगम को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

मंगलवाड़ में निगम के बस स्टेण्ड बनाने से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

वर्तमान में मंगलवाड़ से आगे बड़ी सादड़ी वाया डूंगला पंचम अध्याय के मार्ग पर प्रातःकाल संचालित निगम बस सेवा को उपलब्ध हो रहे यात्रीभार के अनुसार बस सेवा पर्याप्त है, इसी प्रकार मंगलवाड़ से डूंगला-कानोड़ भी पंचम अध्याय का मार्ग है जिस पर निजी वाहनें संचालित है जिनकी प्रतिस्पर्धा में निगम बसों का संचालन अनार्थिक रहने की सम्भावना है, अतः मंगलवाड़ से कानोड़ वाया डूंगला मार्ग पर पृथक से निगम की सीधी बस सेवा का प्रातःकाल संचालन करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(3) जी, हां। जयपुर से डूंगरपुर मार्ग पर संचालित सेवा का चित्तौड़, मंगलवाड़ बड़ी सादड़ी के यात्री लाभ उठाते हैं लेकिन डूंगला के यात्री इस सेवा का लाभ मंगलवाड़ से उठा सकते हैं चूंकि डूंगला से मंगलवाड़ की दूरी मात्र 12 कि.मी. हीं है, अतः पृथक से डूंगला होकर जयपुर-डूंगरपुर मार्ग पर बस सेवा का संचालन करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में निर्मित सड़कें/पुलिया

291. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में जनवरी, 2000 से जनवरी, 2001 तक कितनी सड़कों व पुलियाओं का निर्माण करवाया गया तथा इस पर कुल कितनी राशि व्यय की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सड़कों/पुलियाओं का निर्माण सरकार द्वारा स्वयं करवाया गया है या ठेकेदार के माध्यम से कराया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में जनवरी, 2000 से जनवरी, 2001 तक 8 सड़कों का निर्माण 65.45 लाख रुपये एवं 13 पुलियाओं का निर्माण 1.78 लाख रुपये व्यय किया जाकर करवाया गया है। सूची क्रमशः परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

(2) उक्त सड़कों एवं पुलियाओं का निर्माण ठेकेदार के माध्यम से कराया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' के कालम संख्या-5 में अंकित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

डेगाना (नागौर) में सड़क निर्माण

292. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में कृषि विपणन बोर्ड राजस्थान द्वारा कुल कितनी सड़कों का निर्माण कहां-कहां पर, कब-कब करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले के डेगाना में उक्त बोर्ड द्वारा गत चार-पांच वर्षों में किसी भी प्रकार की सड़कों का निर्माण नहीं करवाया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले के अन्तर्गत विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियों के क्षेत्र में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 1999-2000 तक कुल 205 सड़कों का 632.25 कि.मी. लम्बाई में निर्माण कराया गया, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 में संलग्न है। वर्ष 2000-2001 में 44 सड़कों का निर्माण 180.60 कि.मी. की लम्बाई में किया जा रहा है, जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। वर्ष 1999-2000 में स्वीकृत सम्पर्क सड़क आन्तरोली कलां 5.1 कि.मी. एवं सम्पर्क सड़क आन्तरोली 2.3 कि.मी. का निर्माण कार्य वर्ष 2000-2001 में कराया गया है, जिसका विवरण (परिशिष्ट-1 में) सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नौगांवा (अलवर) में मण्डी यार्ड का निर्माण

293. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर मण्डी समिति के अधीन राजगढ़ में गौण मण्डी यार्ड बनवाया जा रहा है? यदि हां, तो राजगढ़मण्डी यार्ड से मण्डी शुल्क की प्राप्त आय का पांच वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(2) क्या यह भी सही है कि अलवर मण्डी समिति के अधीन गौण मण्डी यार्ड नौगांवां की मण्डी शुल्क से प्राप्त आय राजगढ़मण्डी यार्ड से करीबन दो गुनी है? क्या यह भी सही है कि राजगढ़ मण्डी यार्ड में मण्डी समिति के लाइसेंसधारियों की संख्या नौगांवा से कम है?

(3) क्या सरकार नौगांवा में भी मण्डी यार्ड बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। अलवर कृषि उपज मण्डी के अधीन राजगढ़ गौण मण्डी यार्ड का निर्माण कार्य चल रहा है। राजगढ़ मण्डी यार्ड से विगत पांच वर्षों की मण्डी शुल्क से प्राप्त आय का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मण्डी शुल्क से आय
1995-96	3,92,803.00
1996-97	3,66,350.00
1997-98	3,99,888.00
1998-99	5,12,603.00
1999-2000	4,79,110.00
2000-2001 (फरवरी 2001 तक)	3,67,853.00

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं। क्योंकि वर्तमान के अनुज्ञापत्रधारियों की संख्या कम है एवं कृषि जिन्सों की आवक पर्याप्त नहीं है।

बोर्ड द्वारा स्वीकृत सड़क निर्माण में विलम्ब

294. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा जनवरी, 1999 से 28 फरवरी, 2001 के मध्य कृषि उपज मण्डी तथा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा ग्रामीण सड़क निर्माण हेतु कितनी राशि एवं कितने किलोमीटर सड़क निर्माण करने की स्वीकृति दी गई? विवरण जिला अनुसार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्य हेतु जितनी राशि स्वीकृत की उतना कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त कार्य समय पर नहीं होने से बढ़ी हुई लागत की किसकी जिम्मेदारी है एवं उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) जनवरी 1999 से 28.2.2001 के मध्य कृषि उपज मण्डी के अन्तर्गत एवं कृषि विपणन बोर्ड के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों की लम्बाई एवं राशि का जिलेवार

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'अ' व 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। कार्यों के लिए निर्धारित सीमा अवधि-बकाया होने से कार्य प्रगति पर है। कार्य समय अवधि के अन्दर है।

(3) वर्तमान में ऐसे कोई प्रकरण नहीं हैं, जिनमें उक्त अवधि में सड़क निर्माण की लागत में बढ़ोतरी हुई हो। यदि इस प्रकार का कोई प्रकरण होता है, तो उसके लिए अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

गंगापुर सिटी (सवाईमाधोपुर) में मंत्री के विवेकाधीन राशि से निर्मित सड़कें

295. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी, गंगापुर सिटी तथा सवाईमाधोपुर में मंत्रीजी के विवेकाधीन कोटा से 30 प्रतिशत सड़क निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराई गई थी? यदि हां, तो कितनी-कितनी?

(2) क्या यह भी सही है कि गंगापुर सिटी की 30 प्रतिशत राशि से ग्राम सराय को सड़क से जोड़े जाने के प्रस्ताव की सभी कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है? यदि हां, तो कब तक स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारम्भ करवा दिया जायेगा?

(3) क्या यह भी सही है कि सड़क निर्माण हेतु 30 प्रतिशत विवेकाधीन कोटा से सवाईमाधोपुर कृषि उपज मण्डी में बौली क्षेत्र की एक मिसिंग लिंक एवं पुलिया निर्माण गालद कलां सड़क से ग्राम कोडियाई की हथाई तक 2 किलोमीटर की एवं मलारना चौड़ से लाड़ोता 2 किलोमीटर हेतु दिनांक 25.10.2000 को एक पत्र क्षेत्रीय विधायक द्वारा मा. मंत्री एवं सचिव सवाईमाधोपुर को लिखा गया था? यदि हां, तो अब उसकी स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी? पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां। प्रश्नांकित पत्र की प्रति मण्डी समिति को प्राप्त हुई हैं। प्रति परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है। पत्र में संदर्भित सड़कों पर क्रमशः 30, 30 लाख कुल 60 लाख रु. के अनुमानित तकमीने प्राप्त हुए हैं। मण्डी समिति के पास वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही उक्त सड़कों के निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें)

कृषि कार्य के दौरान देय मुआवजा

296. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या किसानों के कृषि कार्य करते हुये अचानक मौत/दुर्घटना/अंग-भंग होने की दशा में सरकार उसे वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाकर सहायता प्रदान करती है? यदि हां, तो उक्त आर्थिक सहायता किन-किन आधारों पर किस अधिकारी को आवेदन करने पर कितने दिनों में प्रदान की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दुर्घटनाओं में सरकार कितनी-कितनी आर्थिक सहायता कितने दिनों के बाद उपलब्ध करवाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 99 से फरवरी, 2001 तक कितने मृतक/दुर्घटनाग्रस्त अंग-भंग किसानों को कितनी-कितनी राशि की सहायता प्रदान की गई? नाम, पते, राशि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त क्षेत्र में वर्तमान में कुल कितने आवेदन-पत्र उक्त सहायता राशि चाहने हेतु किस-किस कारणों से लम्बित हैं और इनको कब तक उक्त सहायता राशि प्रदान कर दी जावेगी? उक्त दुर्घटना होने पर सहायता राशि प्रदान करने के नियम की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। कृषकों/खेतिहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य अथवा मण्डी प्रांगण में कृषि विपणन कार्य एवं पल्लेदारी करते समय दुर्घटना में अंग भंग होने पर स्वयं तथा मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह सहायता सम्बन्धित कृषि उपज मण्डी समिति में दुर्घटना के 6 माह में आवेदन किये जाने एवं सम्बन्धित कमेटी द्वारा प्रकरण सही पाये जाने पर अधिकतम 6 माह के अन्दर प्रदान कर दी जाती है। यह सहायता निम्न आधारों पर दुर्घटना में मृत्यु अथवा अंग भंग हो जाने पर दी जाती है :—

1. राज्य में कृषकों/खेतिहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य करते हुए, जिसमें खेती से सम्बन्धित सिंचाई कार्य भी शामिल है। कृषि यंत्रों के उपयोग करते हुए।
2. राज्य में सिंचाई कार्य करते हुए एवं कुंआं खोदते समय/ट्यूब वैल स्थापित करते समय।
   i) मृत्यु या अंग भंग होने पर।
   ii) ट्यूब वैल संचालित करते समय बिजली के करंट लगने से।
3. राज्य में कृषकों द्वारा फसलों, फल, सब्जियों पर रासायनिक

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

दवाओं आदि छिड़काव करते समय।

4. राज्य में मुख्य मण्डी यार्ड, उप मण्डी यार्ड व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित क्रय केन्द्रों पर कृषि यन्त्रों के उपयोग करते समय।

5. मण्डी में बोरियों की धांग लगाते समय।

6. मण्डी प्रांगणों में ऊंट लड्ढा, बैल गाड़ी, भैंसा गाड़ी, गधा गाड़ी उलट जाने पर।

7. राज्य में अपने अथवा किराये के साधन से मण्डी में कृषि उपज लाते, ले जाते समय रास्ते में हुई दुर्घटना में।

8. राज्य में कुट्टी काटने की मशीन अथवा अन्य कृषि संयत्रों से कृषक/मजदूर महिलाओं के केश मशीन से आने से हुई दुर्घटना (डी. स्केल्पिंग) में।

9. कृषकों/खेतिहर मजदूरों के खेत पर कार्य करते समय सांप या जहरीले जानवर के काटने पर।

10. कृषि कार्य करते हुए आकाशीय बिजली गिरने से।

11. मण्डी प्रांगण में कार्यरत पल्लेदार/हमाल/मजदूर के मण्डी प्रांगण में कार्य करते हुए दुर्घटना में।

(2) यह सहायता दुर्घटना के पश्चात् औपचारिकता पूर्ण करने पर यथा शीघ्र निम्नानुसार उपलब्ध करवाई जाती है :—

		(राशि हजारों में)
1.	मृत्यु होने पर आश्रित को	25,000.00
2.	दो अंग जैसे दोनों हाथ दोनों पैर, दोनों आंख, कोई एक-एक अंग अलग (दो अंग कटने पर)	12,000.00
3.	सिर के बालों की डी स्केल्पिंग (सम्पूर्ण)	12,000.00
4.	सिर के बालों की आंशिक डी स्केल्पिंग	6,000.00
5.	एक अंग जैसे हाथ, पैर, आंखे, बांह, पंजा कटने पर	6,000.00
6.	चार अंगुलियां कटने पर	6,000.00
7.	तीन अंगुलियां कटने पर	4,500.00
8.	दो अंगुलियां कटने पर	3,000.00
9.	एक अंगुली कट जाने पर	1,500.00

(3) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1999 से 2001 तक इस योजना में निम्नानुसार सहायता राशि प्रदान की गई है :—

क्र.सं.	दावाकर्ता का नाम व पता	राशि
1.	श्रीमती अंगूरी देवी पत्नी धनसी मांचड़ी	25,000.00
2.	श्रीमती किस्तुरी पत्नी गोगी मांचड़ी	25,000.00
3.	श्री रामस्वरूप पुत्र कंचन मीणा संदलपुरा	6,000.00
4.	श्री महाराज सिंह पुत्र गिर्राज मूडनपुरा	6,000.00
5.	शतीता पत्नी महेन्द्र कुमार नांगलाशेरपुर	25,000.00
6.	जानकी पत्नी सुखराम बोहरा	25,000.00
7.	बीना पत्नी भीमसिंह पहाड़ी	25,000.00

(4) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में श्री पूरणमल पुत्र श्री रामस्वरूप मीणा, निवासी नांगलपुर शेरपुर का प्रकरण माह मार्च, 2001 में कृषि उपज मण्डी समिति हिण्डौन सिटी में प्राप्त हुआ है। उसकी जांच की जा रही है तथा उचित पाये जाने पर मण्डी द्वारा यथाशीघ्र सहायता राशि का भुगतान कर दिया जावेगा।

तहसील हिण्डौन (करौली) में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा स्वीकृत सड़कें

297. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील क्षेत्र हिण्डौन में विपणन बोर्ड द्वारा गत पांच वर्षों में कौन-कौन सी सड़क कब-कब स्वीकृत की गई एवं वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्वीकृत सड़कों में से कुछ अभी तक भी नहीं बनी है? यदि हां, तो क्यों एवं उनके नहीं बनने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र की अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त एवं जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं? यदि हां, तो उनकी मरम्मत कब तक करवा दी जायेगी?

(4) उक्त क्षेत्र में खरेटा से पूंछड़ी एवं हिण्डौन से फतुकापुरा सड़कों की स्वीकृति कब एवं कितनी राशि की जारी हुई?

(5) उक्त सड़क निर्माण का ठेका कब एवं किसे दिया गया? उक्त सड़क कार्य कब पूर्ण होना था एवं कब पूर्ण हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि उक्त दोनों सड़कें अभी तक भी अपूर्ण है? यदि हां, तो क्यों एवं किस कारण?

(श्री भरोसी लाल)

(7) क्या सरकार अब उक्त सड़कों को पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील क्षेत्र हिण्डौनसिटी में गत पांच वर्षों में स्वीकृत सड़कों की सूची एवं वर्तमान स्थिति का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "अ")

(2) जी, हां। उक्त स्वीकृत सड़कों में से एक सड़क शेष लम्बाई कारवाड़ से टोडूकापुरा अभी अपूर्ण है। पूर्ण न होने का कारण के, विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "अ")

(3) जी, हां। निर्माण के बाद रख-रखाव हेतु सड़कें कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दी जाती है। अतः सड़कों की मरम्मत की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की है।

(4) **सम्पर्क सड़क खैरेटा से पूंछड़ी :** यह सड़क दो चरणों में स्वीकृत हुई थी। प्रथम चरण में दिनांक 25.4.91 राशि 5.00 लाख एवं द्वितीय चरण में दिनांक 20.11.92 राशि 4.00 लाख की स्वीकृत हुई थी। सम्पर्क सड़क नक्कस की देवी से फत्तुकापुरा सड़क की स्वीकृति दिनांक 25.4.91 राशि 3.75 लाख की जारी की गई थी।

(5) **सम्पर्क सड़क खैरेटा से पूंछड़ी :** सड़क के प्रथम भाग का कार्यादेश दिनांक 12.9.91 को मैसर्स बेनीवाल कन्सट्रक्शन कम्पनी, हिण्डौनसिटी को दिया गया था, जिसके अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 11.9.92 थी। द्वितीय भाग का कार्यादेश दिनांक 6.5.93 को मैसर्स करण सिंह यादव को दिया गया था, जिसके अनुसार कार्य को पूर्ण करने की तिथि 5.3.94 थी। यह कार्य अभी तक अपूर्ण है।

सम्पर्क सड़क नक्कस की देवी से फत्तुकापुरा : सड़क का कार्यादेश दिनांक 4.12.91 को श्री गिर्राज प्रसाद मीणा को दिनांक 3.10.92 तक पूर्ण करने हेतु दिया गया था। यह कार्य अभी तक अपूर्ण है।

(6) यह सही है कि उक्त दोनों सड़कें अभी तक अपूर्ण हैं।

सं. सं. खैरेटा से पूंछड़ी : यह सड़क सम्पूर्ण लम्बाई में पहाड़ी की तलहटी से गुजरती है, जिससे जगह-जगह पहाड़ी के ढलान के कारण वेग से बरसात का पानी निकलता है, जिसको प्रोटेक्शन वाल से सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त धन राशि की आवश्यकता थी। मण्डी समिति की आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण कार्य को पूर्ण नहीं कराया जा सका।

नक्कस की देवी से फत्तुकापुरा : सड़क के शुरू में 200 मीटर भाग में अलाइन्मेंट विवाद होने के कारण कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सका।

(7) वर्तमान में बोर्ड द्वारा उक्त दोनों कार्यों को मण्डी की अभिशंसा पर अनुबंध की धारा 32 के अन्तर्गत अपखण्डित किया जा चुका है। इन सड़कों को पूर्ण करने

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

हेतु विवाद सुलझने एवं अतिरिक्त राशि उपलब्ध होने पर इन सड़कों का कार्य हाथ में लिया जायेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-22 देखें)

मण्डी प्रांगण में कार्यरत व्यापारियों के विचाराधीन अनुज्ञा-पत्र

298. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मण्डी समितियों में मण्डी प्रांगण, में कार्य करने वाले व्यापारियों को क्या अनुज्ञा पत्र मण्डी समिति के द्वारा जारी किये जाते हैं?

(2) क्या मण्डी समितियों में व्यापारी जो कि मण्डी समिति के अनुज्ञा पत्रधारी हैं, उनके अनुज्ञा-पत्र में पार्टनर हटाने या जोड़ने संबंधी स्वीकृति मण्डी समिति या निदेशालय द्वारा जारी की जाती है?

(3) क्या यह सही है कि मण्डी समितियों से प्राप्त अनुज्ञा पत्रधारी व्यापारी के अनुज्ञा-पत्रों में पार्टनर हटाने या जोड़ने संबंधी प्रस्ताव काफी समय पूर्व मण्डी समिति द्वारा कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर को स्वीकृति हेतु भिजवाये गये हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है? क्या विचाराधीन प्रकरण निदेशालय की स्वीकृति के अभाव में लम्बित हैं?

(4) कृषि विपणन निदेशालय द्वारा अनुज्ञा-पत्र में संशोधन की कार्यवाही किस नियम/उप नियम के तहत की जा रही है? अब कब तक उक्त स्वीकृति जारी कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं। मात्र अनुज्ञा पत्रधारी फर्म को सात दिवस में मण्डी समिति को सूचित करना होता है।

(3) सक्षम स्वीकृति के अधिकार मण्डी समितियों को है। निदेशालय स्तर पर कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(4) निदेशालय द्वारा अनुज्ञा पत्र संशोधन संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री महमूद अली खान, पूर्व राज्यपाल, मध्य प्रदेश के निधन पर

माननीय सदस्यगण,

शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री महमूद अली खान के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, श्री महमूद अली खान का जन्म 16 जून, 1920 को मेरठ में जोगीपुरा गांव में हुआ। आपने बी.ए., एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

(श्री अध्यक्ष)

श्री महमूद अली वर्ष 1943 में कांग्रेस सदस्य के रूप में राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हुए। आप वर्ष 1957 से 1962 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। वर्ष 1977 में आप उत्तर प्रदेश के हापुड़ निर्वाचन क्षेत्र से छठी लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 1979 में आप जनता पार्टी संसदीय दल के उप नेता चुने गये।

आपने वर्ष 1979 में भारत-सोवियत मैत्री समिति के प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व करते हुए रूस की यात्रा की तथा इसी वर्ष रोम में आयोजित वर्ल्ड-अरब सोलिडेरिटी कांफ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। फरवरी, 1990 से जून, 1993 तक आप मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे।

श्री महमूद अली अपने राजनीतिक जीवन में कांग्रेस, भारतीय क्रांति दल, भारतीय लोक दल तथा जनता पार्टी से सम्बद्ध रहे। वर्ष 1974 से 1977 तक आपने श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाये गये आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभाई तथा जून, 1975 से जनवरी, 1977 तक मीसा के अन्तर्गत बन्दी रहे।

श्री महमूद अली पंचायती राज पर गठित अशोक मेहता समिति के सदस्य रहे। आप वर्ष 1968 से 1974 तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में आप राष्ट्रीय एकता तथा एकता समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे।

श्री महमूद अली खां का दिनांक 22 अप्रैल, 2001 को निधन हो गया।

मैं, श्री महमूद अली खां को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

दो माननीय सदस्यों का इस अर्से में स्वर्गवास हुआ है उसकी एक-दो दिन में पूरी जानकारी ली जा रही है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :—

श्री अमराराम (धोद), सदस्य की ओर से राज्य में अकाल की स्थिति के कारण उदयपुर जिले में हुई कथित मौतों के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

(1) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से राज्य के मुख्य मंत्री द्वारा विधायकों के लिखे पत्रों का जवाब नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री हरीश चन्द्र कुमावत, सदस्य की ओर से तहसील नावां के ग्राम आसनपुरा में कटाण के रास्ते को बंद कर देने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(3) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से जिला अजमेर में साम्प्रदायिक विद्वेष बढ़ने के संबंध में।

सदन में पुलिस विभाग की अनुदान की मांग पर चर्चा होगी। माननीय सदस्य को चर्चा के समय अवसर उपलब्ध रहेगा, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(12.06 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नियम-295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम-295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं :—

(1) श्री जौहरी लाल मीणा, सदस्य की ओर से तहसील राजगढ़, जिला अलवर की सिवाय चक जमीन को नियमित कर आबंटित करने के संबंध में।

(2) श्री गणेशीराम मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जालौर में ग्रेवल सड़क निर्माण करने के संबंध में।

(3) श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से तहसील गोगुन्दा के वन क्षेत्र को राजसमन्द से हटाकर उदयपुर जिले के अधीन करने के संबंध में।

(4) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य की ओर से राजस्थान बीज निगम द्वारा किसानों को घटिया कृषि बीज देने के संबंध में।

(5) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चूरू में स्वीकृत जनहित के विकास कार्यों को बन्द कर दिये जाने के संबंध में।

(6) श्री रतन लाल ताम्बी, सदस्य की ओर से जहाजपुर नगरपालिका क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने से प्रभावित

(श्री उपाध्यक्ष)

हुए लोगों को वैकल्पिक स्थान उपलब्ध करवाने के संबंध में।

(7) श्री शिवनारायण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बारां की सहकारी समितियों द्वारा कृषकों से 16 प्रतिशत ब्याज वसूल करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री वृद्धिचन्द जैन, सदस्य की ओर से प्रदेश के रेगिस्तानी इलाकों में ढाणियों में आग लगने पर प्रदान की जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि करने के संबंध में।

(9) श्री रतनाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में सरसों की सरकारी खरीद शीघ्र चालू करवाने के संबंध में।

(10) श्री नन्दलाल पूनिया, सदस्य की ओर से चूरू जिले की तहसील राजगढ़ के ग्राम बेवड़ में 33 के.वी., जी.एस.एस. का निर्माण करवाने के संबंध में।

(11) सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत, सदस्य की ओर से राज्य में फोन फ्रैण्ड सर्विस के माध्यम से फैलायी जा रही अश्लीलता एवं वैश्यावृत्ति की रोकथाम के संबंध में।

बड़ी सादड़ी में पिन्ड एवं भाना खेड़ी बांध परियोजना स्वीकृत करने के संबंध में।

श्री जौहरी लाल मीणा।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, 28 अप्रैल के अखबार में आया है 27 अप्रैल की डेट लाइन से कि भिनाय में एक 45 वर्षीय मंगला बैरवा ने भूख से दम तोड़ दिया और अभी भी परिवार में दो ऐसे व्यक्ति हैं जो भूख के कारण मरणासन्न अवस्था में पहुंच गये हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार निकटवर्ती प्रतापपुरा निवासी गंभीरा बैरवा के पुत्र मंगला बैरवा ने गत मंगलवार की शाम भूख के कारण दम तोड़ दिया। इसकी सूचना मिलने पर तहसीलदार रामकिशन सोनी ने नायब तहसीलदार मेहरा को जांच के लिए भेजा। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ उसी डेट लाइन से...

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल क्या रहे हो? किसलिये बोल रहे हो? आप किस पर बोल रहे हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह लाइन पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा...

Hon'ble Home Minister & Relief Minister Mr. Gulab Singh

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजो। आप किस पर बोल रहे हो? आप नोटिस दो, पर्ची दो, कोई इश्यू तो हो। ऐसे नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि एक तरफ भूख से लोग मर रहे हैं और एक तरफ रिलीफ मिनिस्टर...

श्री उपाध्यक्ष : आप इसको हाउस में लाइए, किसी नियम से लाइए। खाली ऐसे अखबार पढ़ दो और उस पर बहस हो जाए, ऐसा नहीं है। श्री जौहरी लाल मीणा।

श्री रघुवीर सिंह (सरा़ड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फारमेशन।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे अलाउ नहीं करते, प्लीज सिट डाउन। आप इसको हाउस में लाइए। किसी नियम के तहत आप इसको हाउस में लाइए। खाली आप अखबार लेकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : इतने इम्पोर्टेंट मैटर को आप हश-अप करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप मेहरबानी करके किसी नियम के तहत हाउस में लाइये, आपको अलाउ करेंगे। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नियम की बात अलग है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह नहीं कि आप अखबार लाकर यहां पर रखो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अखबार की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : रिलीफ मिनिस्टर साहब ने चैलेंज किया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जौहरी लालजी, आप चालू रखिए।

नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख

राजगढ़ तहसील में सिवायचक भूमि का आबंटन

श्री जौहरी लाल मीणा (राजगढ़) : राजगढ़ तहसील (अलवर) की सिवायचक जमीन को रैगुलाइज व अलाटमैंट करने के क्रम में। श्रीमान, मैं नियम-295 के तहत आपके माध्यम से राजगढ़ तहसील की सिवायचक जमीन (व्यवधान) सरकार ने अलाटमैंट के लिए...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा करने के लिए आपको और अवसर मिलेगा। (व्यवधान)

श्री जौहरी लाल मीणा : पाबन्दी कर रखी है इसके बारे में मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि तहसील के किसानों के खेतों के बीच में व आसपास उन किसानों का कब्जा है...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : पाइंट आफ इन्फारमेशन है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय सदस्य ने जानकारी दी है, लोग भूख से मरना प्रारम्भ हो गए हैं, यह कोई छोटी-सी बात नहीं है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : लोग भूख से मर रहे हैं। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही है और माननीय अकाल राहत मंत्रीजी यहां पर बैठे हुए हैं इन्होंने चैलेंज किया था कि राजस्थान में कोई भी व्यक्ति को भूख से नहीं मारा जाएगा। (व्यवधान) तहसीलदार और एस.डी.एम. ने जांच कर यह रिपोर्ट दी है कि एक दलित वर्ग का व्यक्ति भूख से मरा है और उसी परिवार के दो व्यक्ति भूख से मरने के लिए तड़प रहे हैं। यह कहते हैं कि हमने गेहूं की बोरी रखवा रखी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको जो कुछ कहना है वह समझ गये। अब आप विराजिए। (व्यवधान)

श्री जोहरी लाल मीणा : जिनके खेत उन जमीनों के पास हैं उन्हीं का उन जमीनों पर कब्जा है तथा खेती कर रहे हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कहते हैं, हम उसको बचाएंगे। तो हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, सरकार को सूचना दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए, आप इसको नियम से लाइये। (व्यवधान)

(माननीय उपाध्यक्ष ने हाथ के संकेत से लिखने को मना किया)

मोहम्मद माहिर आज़ाद : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप किसी नियम से इसको लाइये, खाली अखबार पढ़कर आप—

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिऐ। मैं अलाउ नहीं करूंगा, आप विराजिए।

श्री जौहरी लाल मीणा : तथा उनको रेवेन्यू विभाग द्वारा 30-40 साल में पैनल्टी ले रहे किसानों का भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। वह जमीन उन काश्तकारों के कब्जे में 51 बिस्वा है—

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप इसको किसी नियम के तहत लाइये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री जौहरी लाल मीणा : किसी के एक बीघा है। थोड़ी-थोड़ी जमीन अपने खेत के पास सिवायचक उन्हीं काश्तकारों के कब्जे में से जिनके— (व्यवधान) उनके पास खेत हैं। कृपया मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप नियम से लाइये न। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री जौहरी लाल मीणा : राजगढ़ तहसील की सिवायचक जमीन जिन काश्तकारों के खेतों के पास कुछ बीघा है उन्हें उन काश्कारों को रैगुलराइज कर अलाटमैंट करने का आदेश राज्य सरकार से दिलाने की कृपा करें जिससे राजगढ़ के किसानों का जो शोषण हो रहा है वे उससे बच सकें व समस्या हल हो सके। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए, आप इसको वहस में मत डालिए। मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आपका आ गया न। आप बार-बार...(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्रीमती कमला बृजलाल : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणेशीराम मेघवाल।

श्रीमती कमला बृजलाल : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : XXX

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणेशीराम मेघवाल।

श्रीमती कमला बृजलाल : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : XXX

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित ही नहीं हो रहा है आप बोले जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित ही नहीं हो रहा है, आप बोले जा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या कर रहे हैं आप? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री नाथूलाल गुर्जर : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए, माननीय सदस्य, आप विराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मांग कर रहे हैं तो इसका तरीका है। मांग करो आप, इसको पास करा देंगे। (व्यवधान)

श्री नाथूलाल गुर्जर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री नाथूलाल गुर्जर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री नाथूलाल गुर्जर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप प्लीज बिराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इतने पुराने सदस्य हैं, आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि यहां हाउस में प्रश्न उठाने के कोई नियम हैं। पचास तरह से आप इस बात को उठा सकते हो। आपने अखबार के माध्यम से उठा लिया, What do you expect from the govt.? ऐसा नहीं चलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट सुनिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : इसको आप हाउस में लाइये न, मैं ना कर रहा हूं क्या? आपने ले लिया और उन्होंने मान लिया, ऐसा नहीं होता। अकाल पर बहस होगी जब इसको उठाओ। आप पर्ची के माध्यम से उठाओ, आप नोटिस देकर उठाओ। (व्यवधान) ऐसे ही खड़े हो गए।

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलालजी गरासिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूपजी, बैठें। माननीय श्री मांगीलाल गरासिया। 295 बोलो, 295 पढ़ो। पढ़ो उसको, पढ़ो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

गोगुन्दा के वन क्षेत्र का उदयपुर स्थानान्तरण

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत वन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा जिला उदयपुर के अन्तर्गत तहसील गोगुन्दा की 15 पंचायतें वन विभाग राजसमन्द जिले के वन क्षेत्र में आती हैं तथा शेष पंचायतें वन विभाग, उदयपुर के क्षेत्र में आती हैं। इस प्रकार एक ही तहसील को अलग जिलों में बांट दिये जाने से वन विभाग के किसी भी जिले द्वारा पूर्ण ध्यान नहीं दिया जाता है एवं विकास के कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। अन्धाधुंध वनों का विध्वंस होना भी क्षेत्र का दो जिलों में विभाजन ही एक मात्र कारण हैं। इस क्षेत्र के लोगों को आवश्यक काम के लिए भी बहुत दूर विभिन्न वाहनों को बदलते हुए राजसमन्द जिले में जाना पड़ता है।

अतः मेरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से वन मंत्रीजी से निवेदन है कि तहसील क्षेत्र/गोगुन्दा, जिला उदयपुर में राजसमन्द जिले के आने वाले वन क्षेत्र को वन विभाग, राजसमन्द से हटा कर उदयपुर जिले के वन विभाग व क्षेत्र में जोड़ा जाकर वन व्यवस्था, सुरक्षा तथा जन सुविधा की ओर ध्यान दिलावें। धन्यवाद।

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी, 295 पढ़ो। (व्यवधान) गणेशीरामजी को वापस बुला लेंगे।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (अकाल राहत मंत्री) : आप मेरे को गलत कोट मत करिये। अभी माननीय सदस्य ने दो बच्चों की मृत्यु का जिक्र किया था, उसकी जांच की मांग की थी। उसके संबंध में मैं अपनी बात कहना चाहता था कि वह तथ्य लिखकर भेजेंगे मुझे, तो मैं इसकी तत्काल जांच करवा दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी, 295 पढ़ो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं स्टेटमैंट देने को तैयार हूं।

श्री नाथूलाल गुर्जर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अमरारामजी, 295 पढ़िये। आप विराजिए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी, प्लीज आप शुरू करो। आप पढ़ो न। पढ़िये, पढ़िये। आप पढ़िये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : यह बैठें तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो बैठ जाएंगे, आप पढ़िये। आप बोलो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मुद्दा क्या है? प्रोपर लाओ न, हम मना कर रहे हैं क्या? किस पर कह रहे हैं? मुद्दे लाओ, नियम से लाओ। हां, बिलकुल नियमों से चलेगा। बिलकुल ठीक है।

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री सोहन नायक : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी, आप बोलो न। पढ़ो।

श्री सोहन नायक : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री सोहन नायक : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : कोई अंकित नहीं हो रहा है आप बोलोगे तो। कोई अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, आप बिराजें। प्लीज आप विराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप फिर अभी आ गये। आप उठाओ न, मैं मना थोड़े ही कर रहा हूं। किसी नियम से लाओ हाउस में, हम मना नहीं कर रहे हैं आपको।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अखबार के माध्यम से कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। नहीं, नहीं। (व्यवधान) आप कहो, मैं मना थोड़े ही कर रहा हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि आप इसको किसी भी तरह से नियम से उठाओ, I will allow.

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन आप खाली अखबार के माध्यम से गवर्नमैंट को कह दो कि आप इसका जवाब दो, यह कोई तरीका नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, हाउस नियम से चलता है। पचास रास्ते हैं इसको उठाने के। (व्यवधान) होगी, आप करो, मैं मना थोड़े ही कर रहा हूं। मैं मना नहीं कर रहा हूं। लाइए, हाउस में लाइये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : काहे को करा दें? किस पर करा दें स्टेटमैंट?

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : स्टेटमैंट चाहते हो तो करा दूंगा, डिमाण्ड करो किसी तरह से। आपने कह दिया स्टेटमैंट करा दो, ऐसे थोड़े ही होता है।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़। श्री अमराराम चौधरी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : हां, मैं बोल रहा हूं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो न आप। आप बोल नहीं रहे हो।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : खड़ा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको पढ़ना ही तो है। पढ़ो न इसको।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

राजस्थान बीज निगम द्वारा घटिया बीज का वितरण

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान कृषकों के घटिया बीज देने के संबंध में ध्यान आकर्षित करने बाबत।

उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राजस्थान बीज निगम द्वारा किसानों को घटिया कृषि बीजों को उपलब्ध कराया जाता है जिसके कारण किसान बरबाद हो रहे हैं। कृषि विभाग निदेशक और बीज निगम का निदेशक जब तक अलग-अलग निदेशक नहीं होगा तब तक प्रयोगशाला में बीजों की सही जांच नहीं हो सकेगी। दोनों पद एक ही अधिकारी के पास होने से घटिया बीजों के नमूने भी कृषि प्रयोगशाला में पास करवा कर मामले को रफा-दफा करवा दिया जाता है।

श्री भैराराम पुत्र श्री किशनजी चौधरी ग्राम चेटलू, तहसील पचपदरा और श्री बुद्धाराम पुत्र श्री मोटाराम चौधरी रानीदखपुरा तहसील सिवाना ने घटिया, मिलावाटी अरण्डी बीजों की शिकायत की थी जिस पर क्षेत्रीय बीज प्रबन्धक एवं बीज प्रमापीकरण अधिकारी, मण्डोर ने किसानों के खेतों का मौका देख कर बताया था कि अरण्डी गुजको-4 किस्म में करीब 30 से 40 प्रतिशत मिलावटी अरण्डी के पौधे खड़े हैं, लेकिन उन्होंने आगे

मेरा श्रीमान् के मार्फत निवेदन है कि अरण्डी का बीज गुजको-4 गत वर्ष जहां भी पड़ा है, तुरन्त ही निष्पक्ष एजेन्सी से जांच करायी जानी चाहिये और मिलावटी पाये जाने पर इस तरह के पड़े बीज को तत्काल जब्त करना चाहिये।

बीज निगम और कृषि निदेशक एक ही अधिकारी होने से बाजरी बीज की जो किस्में कम चलने वाली एवं उत्पादन देने वाली हैं, जो कि हाई ब्रीड भी नहीं होती है, जैसे आई.सी.पी.टी. 8203 को, कमीशन खाकर ज्यादा से ज्यादा खरीद कर कृषि विभाग अधिकारी एवं सहकारी विभाग की ग्राम सहकारी समितियों के द्वारा ऋण पेटे जबरदस्ती दे दी जाती है जबकि अच्छी हाई ब्रीड वैरायटी एम.एच. 169 या एम.एस. 179 जैसी किस्में देनी चाहिये।

इस प्रकार गलत खरीदे गये बीजों को, एक ही अधिकारी होने से कृषि विभाग के बजट से अनुदान के पैकेट बनाकर गरीब किसानों के नाम पर वितरण कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा करवा दिये जाते हैं जो भी गरीबों तक सही नहीं पहुंचता है। इस प्रकार कमीशन के लालच में ज्यादा खरीदे गये बीज का साल भर बाद में भी अनुदान के नाम पर रफा दफा कर दिया जाता है।

अतः आपके माध्यम से मेरा विनम्र निवेदन है कि बीज निगम का अधिकारी एवं कृषि निदेशक अधिकारी अलग-अलग होने चाहिये ताकि इस प्रकार जो किसानों

का मायाजाल और नहीं हो सके एवं घटिया बीजों में किसानों को धोखा नहीं होवे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणेशीराम मेघवाल।

जालौर में ग्रेवल सड़क निर्माण

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र जालौर में ग्रेवल सड़क निर्माण के क्रम में निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव डूडसी से दिगांव की तरफ श्मशान तक एक-एक किलोमीटर का रास्ता है। वहां वर्षा के दिनों में पानी भर जाता है तथा चलना मुश्किल हो जाता है। ग्राम पंचायत के द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अकाल राहत में ग्रेवल सड़क बनाने हेतु प्रस्ताव भी लिये गये हैं। अतः इन दोनों गांव डूडसी एवं दिगांव में ग्रेवल सड़क बनवाकर राहत प्रदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय, भेटाला बस स्टैण्ड से भेटाला बांध तक एक किलोमीटर ग्रेवल सड़क बनवाकर गांव की जनता को राहत प्रदान करें। यह रास्ता गांव के पास में होकर गुजरता है और गांव में जाने का मुख्य रास्ता भी यही है। पानी भरा रहता है एवं खड्डे पड़े हैं। एक किलोमीटर ग्रेवल बनने से इन्हें राहत मिल सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, एक काणदर गांव से विद्यालय के पास में होता हुआ रास्ता चामुण्डा माता मन्दिर तक जाता है। यह रास्ता एक किलोमीटर है। गांव की जनता को चामुण्डा माता जाना-आना पड़ता है, अतः एक किलोमीटर ग्रेवल सड़क अकाल राहत में बनवाकर गांव के लोगों को राहत प्रदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय, चान्दना गांव से माताजी के मन्दिर तक अपूर्ण ग्रेवल सड़क को पूर्ण करवाने की कृपा करें। यह सड़क गत वर्ष अकाल राहत कार्य के तहत शुरू की गयी थी एवं 30 जून, 2000 से अकाल राहत कार्य बन्द होने से यह सड़क अपूर्ण रह गयी थी। इस वर्ष इसे भी पूर्ण करवाने की कृपा करें।

आई.टी.आई., जालौर से धरड़ा पावटी चार किलोमीटर ऊबड़-खाबड़ है, खड्डे पड़े हैं। आई.टी.आई., जालौर से धरड़ा पावटी तक ग्रेवल सड़क एवं खेड़ा से देवाड़ा ग्रेवल सड़क बनवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

चूरू में स्वीकृत सार्वजनिक विकास कार्यों को बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत मुख्य मंत्रीजी का ध्यान चूरू विधान सभा में पूर्व में स्वीकृत हुए विभिन्न जनहित व विकास के कार्यों को राजनीतिक भेदभाव के आधार पर बंद किये जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, चूरू जिला मुख्यालय में वर्ष 1997-98 में एक पोलीटैक्निक कालेज़ की स्वीकृति हुई थी तथा उस हेतु भू-आबंटन के पश्चात् भवन का निर्माण कार्य भी प्रारम्भ हो गया था। भवन निर्माण में राज्य सरकार के लगभग 50-60 लाख रुपये व्यय हो जाने के पश्चात् अचानक राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1999-2000, 2000-2001 में देय राशि में कटौती कर निर्माण कार्य को बंद करवा दिया गया तथा चूरू पोलीटैक्निक कालेज के नाम पर विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु प्रवेश भी चूरू की बजाय बीकानेर में दिया गया। कैसी विडम्बना है, चूरू पोलीटैक्निक कालेज में जिन छात्रों ने विगत दो वर्षों में प्रवेश लिया है उन्हें बीकानेर में अध्ययन करना पड़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार चूरू शहर में हुडको के सहयोग से 2 करोड़ 67 लाख की बनी ड्रेनेज योजना, जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 में दे दी गयी थी तथा हडको ने ड्रेनेज योजना के कारपोरेशन को प्रथम किस्त के रूप में 25 लाख रुपये वर्ष 1998-99 में दे दिये थे का कार्य भी राजनैतिक आधार पर बंद करवा दिया गया जिसके कारण चूरू शहर में गन्दे पानी के निकास हेतु बनी योजना ठप्प हो गयी।

इसी प्रकार पूर्व में स्वीकृत ग्रामीण सम्पर्क सड़क जसरासर ढाणी डी.एस. पुरा सम्पर्क सड़क हनुमानगढ़ी जिनकी सरकार द्वारा प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति निकालने के पश्चात् निविदाएं भी आमंत्रित कर ली गयी थीं, को बीच में ही बंद कर दिया गया।

इसी प्रकार का सौतेला व्यवहार जलदाय विभाग कर रहा है। चूरू में पूर्व में बने तीन उच्च जलाशय जो लाखों रुपये खर्च कर बन कर तैयार हो गये, में पानी नहीं डाला जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, चूरू की आवासन मण्डल की कालोनी, जिसमें 80 के लगभग मकान बन कर तैयार पड़े हैं, विगत दो वर्षों से मात्र बिजली, पानी की व्यवस्था नहीं होने से आबाद नहीं हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध है कि राजनैतिक आधार पर चूरू में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किये गये कार्यों को बन्द नहीं कर उन्हें पुनः प्रारम्भ कराने के निर्देश प्रदान करें। धन्यवाद।

जहाजपुर नगरपालिका क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने से प्रभावित लोगों को वैकल्पिक स्थान

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहाजपुर नगरपालिका क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने से प्रभावित लोगों को वैकल्पिक आवासीय भू-खण्ड एवं थड़ियों, केबिनों के स्थान की व्यवस्था करने बाबत प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सादर अनुरोध कर मैं नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जहाजपुर नगरपालिका के द्वारा हाल ही में बस स्टैण्ड, बाजार तथा अन्य स्थानों से अतिक्रमण हटाने बाबत बैठक कर प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके औचित्य एवं अनौचित्य के कारणों को तो मैं नहीं कहना चाहता हूं, जनतांत्रिक संस्था द्वारा प्रस्ताव पास कर अतिक्रमण हटाने पर खर्च के बजट सहित निर्णय किया गया है। मगर यह अतिक्रमण स्वयं वर्तमान एवं पूर्व नगरपालिका के सदस्यों, परिवारों तथा रिश्तेदारों को किसी-किसी रूप अस्थायी उपयोग हेतु स्वीकृति देकर करवाया गया है। साथ ही परिवारों के आवास आदि तथा केबिनों एवं थड़ियों का अतिक्रमण भी कई मामलों में नगरपालिका द्वारा ही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करवाया गया।

यही नहीं, वर्तमान एवं पूर्व पार्षदों के स्वयं एवं रिश्तेदारों के भी कब्जे हैं। बिना भेदभाव के सबके साथ एक ही प्रकार की नीति एवं व्यवहार हो, यह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही आवासहीन लोगों को भी सस्ती निर्धारित दरों पर वैकल्पिक भू-खण्ड देकर ही विस्थापित किया जाए। केबिन, थड़ियों वाले बेरोजगारों को भी रोटी-रोजी के लिए वैकल्पिक स्थान सुनिश्चित करने के लिए वहां की नगरपालिका को राज्य सरकार आवश्यक निर्देश दे। बिना वैकल्पिक स्थान एवं भू-खण्ड दिये अचानक हटाने से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर योजनाबद्ध साथ-साथ व्यवस्था की जाए, यह मेरा अनुरोध है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनारायण। (अनुपस्थित), श्री वृद्धिचन्द जैन।

प्रदेश के रेगिस्तानी इलाकों में अग्नि पीड़ितों को सहायता राशि में वृद्धि

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निम्न विशेष उल्लेख प्रस्तुत कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश के रेगिस्तानी जिलों में किसान ढाणियों, कच्ची बस्तियों में रहते हैं। कहीं-कहीं किसानों ने एक पक्का छोटा कमरा भी बना दिया है। ढाणियों में आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं। आग लगने से बच्चे जल जाते हैं और मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। आग

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

लगने से घास, इकट्ठी की गयी फसलें एवं उनकी सम्पत्ति जल जाती है। किसानों की सारी सम्पत्ति जल जाती है परन्तु उन्हें अधिक से अधिक 1500 रुपये की सहायता दी जाती है और एक कमरा पक्का हो तो 3500 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है। किसानों का 50,000 रुपये तक का नुकसान हो जाता है। आज की महंगाई को देखते हुए राजस्थान सरकार को किसान को उसकी क्षति की आधी राशि और एक झोपड़े के दो हजार रुपये और पक्के कमरे के दस हजार रुपये तक दिये जाने की सहायता किये जाने का निर्णय लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनाराम चौधरी। (अनुपस्थित), श्री नन्दलाल पूनिया।

राजगढ़ तहसील के ग्राम बेवड़ में 33 के.वी.ए. का जी.एस.एस. की स्थापना

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत ग्राम बेवड़, तहसील राजगढ़ (चूरू) में 33 के.वी.ए. का जी.एस.एस. बनाने बाबत निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम बेवड़, तहसील राजगढ़ (चूरू) के काश्तकारों को कृषि कुओं पर बिजली का कनेक्शन करीब 20 किलोमीटर की दूरी से चान्दगोठी से दिया लालसिंह, बास किरतरण भरीड बागड़वा होकर बेवड़ ग्राम के काश्तकारों को बिजली मिलती है। इस लाइन पर करीब 400-500 कृषि कुओं के कनेक्शन हैं। वर्तमान में कृषि कुओं पर करीब 125 से 150 वोल्टेज ही मिलती है जिससे काश्तकारों की मोटरें जल जाती हैं एवं काश्तकारों को काफी नुकसान होता है। फसल को पूरी वोल्टेज की बिजली न मिलने के कारण, मोटर नहीं चलने के कारण फसल बरबाद हो जाती है। यदि वोल्टेज की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो काश्तकार बरबाद हो जाएंगे। इतनी बड़ी लम्बी लाइन होने के कारण वोल्टेज कम हो जाते हैं। आखिर छोर पर 150 वोल्टेज ही मिलता है।

अतः आपसे निवेदन है कि बेवड़ में 33 के.वी.ए. का जी.एस.एस. बनाया जाए ताकि बेवड़ बास रामपुरा, बागड़वा और भरीड़ के 300-400 कुओं को पूरे वोल्टेज की बिजली मिल सके। काश्तकारों की एक सीजन में चार या पांच बार मोटरें जल जाती हैं जिससे करीब 20-25 हजार का नुकसान एक फसल में होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने समय-समय पर विद्युत विभाग के अधिकारियों से पत्र-व्यवहार एवं निवेदन भी किया है लेकिन चार-पांच साल के समय में इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ है। विद्युत विभाग के अधिकारियों से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता

(श्री नन्दलाल पूनिया)

बनाकर ऊपर भिजवा दिये हैं। यदि बेवड़ ग्राम में 33 के.वी.ए. का जी.एस.एस. नहीं बनाया गया तो वहां के हजारों काश्तकारों को भुखमरी की आशंका से धरने पर बैठना पड़ेगा। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि काश्तकारों की वाजिब मांग को ध्यान में रखते हुए बेवड़ ग्राम में 33 के.वी.ए. का जी.एस.एस. बनाया जाए, जो उचित है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत। (अनुपस्थित), श्री गुलाब चन्द कटारिया।

बड़ी सादड़ी में पिण्ड एवं भानाखेड़ी बांध परियोजना की स्वीकृति

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव द्वारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

यह कि विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी कृषि की दृष्टि से काफी उपजाऊ है, पैदावार भी प्रति हैक्टेयर अच्छी है लेकिन लगातार तीन वर्ष से वर्षा का घटता प्रतिशत एवं कृषि योग्य भूमि का रकबा बढ़ने एवं भूमि से जल दोहन के लगातार बढ़ने से जल स्तर निरन्तर गिर रहा है। यदि समय रहते इस क्षेत्र के जल स्तर बढ़ाने का कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया गया तो कृषि तो नष्ट होगी ही, साथ ही पीने के पानी का भी संकट उत्पन्न होने जा रहा है। इसलिए इस विधान सभा क्षेत्र में दो बांधों का पूर्व में सर्वे एवं अनुमानित खर्च आंका जा चुका है। पहला पीण्ड बांध एवं दूसरा भानाखेड़ी एक बड़ी सादड़ी एवं दूसरा डूंगला में स्थित है। लेकिन सिंचाई विभाग बार-बार यह कह कर अस्वीकार कर देता है कि यह बीसलपुर की भराव क्षमता पर प्रभाव डालेगा, अतः बनाना सम्भव नहीं। लेकिन यह वास्तविकता से काफी दूर है क्योंकि बीसलपुर में प्रति वर्ष लाखों टन मिट्टी का जमाव होता जा रहा है जिससे उसमें पानी की भराव क्षमता कम होती जा रही है। अतः मिट्टी के प्रतिवर्ष जमाव के बराबर पानी ऊपरी क्षेत्र में रोकना किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं है। सरकार लगातार इस विषय पर विचार कर रही है पर निर्णय नहीं कर पा रही है। प्रतिवर्ष बीसलपुर में जितनी पानी की क्षमता कम हो रही है उतना एम.सी.एफ.टी. पानी ऊपर रोकने की स्वीकृति देनी चाहिए। यदि इस पर सरकार ने समय रहते निर्णय नहीं किया तो जनता अपना धैर्य खो देगी व अपने तथा अपनी औलाद एवं जानवरों को बचाने के लिए कानून तोड़ने की स्थिति में पहुंच जाएगी।

अतः बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र की दो योजना पिण्ड एवं भानाखेड़ी बांधों की स्वीकृति देकर इस क्षेत्र के किसानों की भावना का सम्मान करें, ऐसे विषय पर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंह यादव।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

राजस्थान पुलिस की भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका और इस सदन का ध्यान राजस्थान पुलिस में हाल ही में होने वाली भर्तियों की ओर दिलाना चाहूंगा। कार्यालय महानिदेशक, पुलिस द्वारा 26.2.2001 को एक विज्ञापन 2200 पदों के लिए दिया गया। इस विज्ञापन में खास बात निकल कर आती है कि सरकार की पूरी मंशा एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओ.बी.सी. को आरक्षण देने की पूर्ण नीति होते हुए भी पुलिस मुख्यालय में ऐसे अधिकारीगण बैठे हैं जिन्होंने आरक्षण नियमों की पूर्ण अवहेलना की है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि 2200 पद एडवरटाइज किये गये हैं और 2200 के 21 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से 462 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिलने चाहिए थे जबकि यहां पर मात्र 2200 में से 250 रखे गये हैं जो कि 11 प्रतिशत आरक्षण बनता है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। (व्यवधान) जी, हां। यह पत्रिका का जो विज्ञापन है उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

10 प्रतिशत की ही कमी नहीं, मेरी जहां 59 पद विज्ञापित किये गये हैं उनमें से 51 पद तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रखे गये हैं। यहां पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए एक पद भी नहीं है। ठीक इसी तरह से बूंदी में जहां 49 पद स्वीकृत किये गये हैं वहां सामान्य के लिए 42 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक पद भी नहीं है। बारां में 44 में से 41 पद सामान्य के लिए रखे गये हैं और सहरिया जाति के लिए तीन पद आरक्षित किये गये हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक भी पद नहीं है।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, कोटा, बारां और बूंदी में ओ.बी.सी. तो कोई रहता ही नहीं है। (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : नहीं, उल्टा रिजर्वेशन है। कोटा के अन्दर जनरल के 86 प्रतिशत, बूंदी के अन्दर 86 प्रतिशत, बारां के अन्दर 93 प्रतिशत। अजमेर में ठीक इसी तरह से ओ.बी.सी. के लिए सब जगह इनके पदों को काट दिया गया है। मैंने पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों का ध्यान भी इस ओर दिलाने की कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूं कि यह हठधर्मिता है। यही नहीं, बारां, टोंक सिरोही और अजमेर रेलवे में अनुसूचित जाति व जनजाति का भी एक भी पद नहीं दिया

(डा. करण सिंह यादव)

बैकलाग कहीं पहले से ही भरा हुआ है? या वे यह कहना चाहते हैं कि कोटा और बारां में पुरानी भर्तियों के अन्दर अनुसूचित जाति या जनजाति को उनके आरक्षण के प्रतिशत से कहीं ज्यादा संख्या के अन्दर भर्ती किया हुआ है? आम तौर पर सुनने में यही आया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थी इस बात के लिए रिजैक्ट कर दिये जाते हैं कि इसके काबिल नहीं हैं और आम तौर पर वह पद भर दिया जाता है सामान्य वर्ग की जातियों से। अगर आज हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का बैकलाग भी पूरा करते हैं तो उस बैकलाग को पूरा करने के लिए और कहीं क्षति होनी चाहिए तो वो जनरल कैटेगरी के लोगों की होनी चाहिए। जब किसी अनुसूचित जाति-जनजाति के अभ्यर्थी की सीट वह स्वयं अपनी योग्यता से नहीं भर पाता, उस सीट को जनरल का कैंडिडेट भरता है परन्तु आज इसके अन्दर उल्टा किया जा रहा है। ये सारे के सारे ओ.बी.सी. के पद काटकर अनुसूचित जाति और जनजाति के पद भरे जा रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति का बैकलाग पूरा होना चाहिए, लेकिन यहां मैं चार जगहों के ऐसे उदाहरण देता हूं जहां बारां, टोंक, सिरोही और अजमेर रेलवे के अन्दर अनुसूचित जाति और जनजाति का एक भी पद नहीं किया है। मेरा ऐसा मानना है कि जिन अधिकारियों ने एडवरटाइजमेंट दिया है वे किसी भावना से ग्रसित हैं और उन्होंने जानबूझकर इन वर्गों के आरक्षण के नियमों की अवहेलना की है।

मैं सदन के माध्यम से, उपाध्यक्षजी, आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर इन 2200 पदों के लिए लगभग तीन लाख साठ हजार लोगों ने अपना आवेदन भर दिया है जिनमें से एक लाख ग्यारह हजार ओ.बी.सी. के हैं, 43 प्रतिशत। 28 प्रतिशत जनरल के, 16 प्रतिशत एस.सी. के और 13 प्रतिशत फार्म एस.टी. के आये हैं। अब आप विडम्बना देखिए, यहां 21 प्रतिशत नहीं देकर सिर्फ 11 प्रतिशत में ओ.बी.सी. को समेट दिया है और साथ में ओ.बी.सी. का कैंडिडेट जनरल में कम्पीट नहीं कर सकता। अगर आपने ओ.बी.सी. लिख दिया या आपने एस.सी., एस.टी. लिख दिया और आप योग्यता में पहले नम्बर पर आओगे तो भी आपकी आरक्षित सीट मानी जाएगी, आपको जनरल की सीट के ऊपर एडजस्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए, उपाध्यक्षजी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्रीजी को इस बात के लिए बाध्य करें कि इसके बारे में वे तथ्य लेकर सदन के सम्मुख आएं इन भर्तियों को निरस्त किया जाए और नये सिरे से आरक्षण की व्यवस्था के नियमों को पूरा लागू करके पुलिस की भर्ती की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं नहीं बैठूंगा, साहब, थोड़ा बताउंगा। इस प्रकार का जो पक्षपात किया जा रहा है कतई बरदाश्त नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार का उल्लेख बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य ने किया है, यह बहुत ही गम्भीर है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको बैठना पड़ेगा। नहीं कैसे बैठोगे? आप तो उपाध्यक्ष रहे हो, आप ऐसे कैसे करते हो?

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : उपाध्यक्षजी, बड़ा गम्भीर विषय है और एस.टी., एस.सी. के बैकलाग को भरा नहीं जा रहा है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : सन् 1961 से राजस्थान के ओ.बी.सी. के लोगों को पीछे रखा जा रहा है, क्या कारण है अब? उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक भी सीट ओ.बी.सी. के लिए नहीं दी जा रही है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : यह लोक कल्याणकारी, पारदर्शी और संवेदनशील सरकार हम लोगों के नाम पर वोट लेकर आती है...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : ओ.बी.सी. के साथ अन्याय किया जा रहा है, यह अन्याय बरदाश्त नहीं होगा। जिस प्रकार का यादव साहब ने उल्लेख किया है उसके अनुसार कोटा में...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक समुदाय की भी सत्ताइस बिरादरियां शामिल हैं, यह उनके साथ भी अन्याय है। जो पिछड़े हुए गरीब तबके के अल्पसंख्यक हैं उनको इसमें स्थान नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि पुलिस की भर्ती में जो ओ.बी.सी. का आरक्षण 11 प्रतिशत है इसको बढ़ाकर 21 प्रतिशत पूरा करवाएं। यह आप सरकार को निर्देश दें ताकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सही नुमाइन्दगी मिल सके।

(आसन द्वारा अंकित नहीं करने का संकेत)

श्री जीतमल खांट : ×××

एक माननीय सदस्य : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री हेमन्त कुमार : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो तो सही।

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मेरा भी निवेदन है कि आप विराजो।

माननीय सदस्य, जो प्रश्न डाक्टर करण सिंहजी ने उठाया है उस पर सरकार से जानकारी प्राप्त करके आपको सूचित किया जाएगा। वास्तविक स्थिति से आपको अवगत कराया जाएगा। श्री राजेन्द्र राठौड़।

चूरू जिला मुख्यालय पर फास्ट ट्रैक अदालत की मांग को लेकर अभिभाषक संघ की हड़ताल

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विद्वान विधि मंत्री का ध्यान चूरू जिला मुख्यालय में 2 माह से अभिभाषक संघ की हड़ताल की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, ग्यारहवें वित्त आयोग में यह सिफारिश की गयी थी और वर्षों से लम्बित मुकदमों का शीघ्र निपटारा हो इसके लिए फास्ट ट्रैक अदालत खोलने की अवधारणा को स्वीकृत किया गया था। हिन्दुस्तान में 1734 फास्ट ट्रैक खोलने की सिफारिश ग्यारहवें वित्त आयोग ने की थी उसके अनुसार, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर चालीस फास्ट ट्रैक खोलने का निर्णय सरकार ने किया। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए सारी की सारी राशि केन्द्रीय सरकार ने दी, 24 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार को इसमें आवंटित हुए। उपाध्यक्ष महोदय, ला कमीशन ने जो सिफारिशें कीं, जिन सिफारिशों के आधार पर इलेवंथ फाइनेंस कमीशन ने सिफारिश की, इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट कहां खोले जाएं इसके लिए कुछ मापदण्ड निर्धारित किये गये थे। विधि मंत्रीजी आप काफी विद्वान हो, इस बात को अच्छी तरफ समझते हो। फास्ट ट्रैक खोलने के लिए ला कमीशन की जो रिकमण्डेशन थी उसमें यह था कि दो वर्ष से ज्यादा सैशन ट्रायल के मुकदमे जहां सबसे ज्यादा लम्बित हों, जहां पक्षकार सुगमता से पहुंच सके, जो जिला मुख्यालय हो, आवागमन का साधन हो, ऐसी जगह पर फास्ट ट्रैक कोर्ट खोला जाए। आपने 24 कोर्ट खोले जाने की अभिशंसा सरकार की तरफ से राजस्थान उच्च न्यायालय में की। खेद की बात यह है कि दो स्थान-चूरू जिला मुख्यालय और श्रीगंगानगर, इन दो के साथ न जाने किस राजनीतिक दबाव में आकर आपने सौतेला व्यवहार किया। मैं समझता हूं कि कुछ इस तरह के प्रसंग हैं जिन प्रसंगों में हम कोई वाहवाही नहीं ले सकते। केन्द्रीय सरकार की मनोभावना के अनुसार जहां त्वरित न्याय मिले उस बात को आप कम करने का काम कर रहे हैं। चूरू जिला मुख्यालय में सारी सुविधाएं हैं, सारे राजस्थान में आपने ज़िला मुख्यालय को ध्यान में रखा, लेकिन आपने श्रीगंगानगर और चूरू इन दो की जगह पर दूसरी तहसीलों में खोला। आपने रतनगढ़ में फास्ट ट्रैक खोल दिया। आपको यह मालूम है कि रतनगढ़ ए.डी.जे. के जूरिस्डिक्शन में डूंगरगढ़ और सुजानगढ़ दो तहसीलों का जूरिस्डिक्शन है। अब 01 अप्रैल को नोटिफिकेशन कर दिया आपने, डूंगरगढ़ बीकानेर में चला गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अब वहां मात्र 36 केस हैं। चूरू के अन्दर रतनगढ़, राजगढ़, तारानगर और सरदारशहर ये चार तहसीले हैं जो चालीस किलोमीटर से लेकर साठ किलोमीटर दूरी तक स्थित हैं, आवागमन के साधन हैं। फाइनेंस कमीशन की भावना थी, ला कमीशन की भावना थी, उनको नजरअंदाज, विद्वान विधि मंत्रीजी, आपने क्यों किया, मेरे समझ में नहीं आया। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुकदमों की संख्या देखें, दूरियों को देखें। दो महीने से सबसे प्रबुद्ध वर्ग अभिभाषक इस मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। आज कितना नुकसान हो रहा है पक्षकारों को। कई लोगों की जमानतें नहीं हो रही हैं। त्वरित न्याय करने की बात हम कहते हैं, न्याय में अत्यधिक विलम्ब न जाने क्यों कर रहे हैं। इसलिए, विधि मंत्रीजी, मेरा आपसे आग्रह है, कि न्याय की कुर्सी पर बैठे हो, इतना बड़ा पद आपके पास है तो कम से कम ईश्वर के लिए विधि विधान से तो चलने का काम करो। आप तो जब से विधि मंत्री बने हैं कानून को तोड़ने का काम हमेशा करते हैं। आप किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। परन्तु कहीं न कहीं इस धरती का कानून तो है ही। आपको तो पैसा मिला है, भारत सरकार का पैसा है। चौबीस करोड़ रुपया भारत सरकार से त्वरित न्याय मिले इस अवधारणा के साथ मिला है। मन्त्रीजी से निवेदन है कि दो माह से जिस प्रसंग को लेकर अभिभाषक हड़ताल पर हैं उसके बारे में आप वक्तव्य दें। आप बताएं तो सही कि आपने इन मापदण्डों को क्यों खण्डित किया है?

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जवाब दे रहे हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जवाब मैं दे दूं आपको। आप जब चिकित्सा मंत्री थे आपने कितना बड़ा अन्याय किया कि रतनगढ़ के अन्दर जो नर्सिंग सेन्टर था उसको चूरू ले गये। वह अन्याय नहीं था क्या?

श्री उपाध्यक्ष : विराजो। प्लीज माननीय सदस्य, विराजें।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : आम आत्मलोचन करो कि आपने कितना बड़ा अन्याय किया है। वहां बिल्डिंग थी, काम अच्छी तरह से चल रहा था, सेंटर प्लेस था। आपने जो अन्याय किया उसका आपको दण्ड मिला है। अब यह दण्ड नहीं भुगतना चाहते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह जिला मुख्यालय था।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि कोर्ट से

कि आपने रतनगढ़ को प्रायोरिटी क्यों दी। हकीकत यह है, मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, कि कोर्ट खोलना कौनसी जगह और कहां से कोर्ट हटाना है और कहां कोर्ट का दूसरी का, सात दिन के लिए कैम्प कोर्ट खोलना, यह सब कुछ हाई कोर्ट के पास में है। ज्यादा से ज्यादा हम रिकमण्डेशन कर सकते हैं और यह भी जरूरी नहीं है कि हमारी रिकमण्डेशन वह माने ही। ये रूल्स पहले से ही हैं। इसलिए मैं चूरू से आने वाले माननीय सदस्य से यही निवेदन करूंगा कि आप एक रिप्रेजेंटेशन वहां के लायर्स का, जो काफी अरसे से एजीटेशन कर रहे हैं उनके साथ मेरी बड़ी सिम्पैथी है लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मजबूरी है, आप अगर लिखकर देंगे तो मैं उसके ऊपर एक अच्छा-सा लैटर लिखकर चीफ जस्टिस को भेज दूंगा। फिर प्रयत्न आप स्वयं करें या आप विपक्ष के नेता महोदय से फरमाएंगे तो वह करेंगे। आपका काम जम सकता है तो जम जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : इन कोर्ट्स के लिए क्या राज्य सरकार से हाई कोर्ट ने सुझाव नहीं मांगे हैं और आपने सुझाव नहीं दिये हैं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जी हां, आपने सही फरमायो। इन कोर्ट्स के लिए हमें...

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करता हूं कि इस गरीब ब्राह्मण पर दया करो। यह राज्य सरकार ने नहीं किया है। राज्य सरकार करती तब तो और ही कुछ करती, कोर्ट ने किया है इसलिए आप इस मामले में मत बोलो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो बोल नहीं रहा हूं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : आपकी बहुत बड़ी गरिमा है, आप बहुत बड़े अनुभवी हैं, अब इन छोटे-छोटे मामलों में आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आपका हस्तक्षेप मेरे लिए अभिशाप हो जाएगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, अब यह तो मेरे को और हमारे कंवर साहब हैं राठौड़ साहब, उन्हीं को सलटने दीजिये। आप कृपा करो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पण्डितजी, मैं तो बोल नहीं रहा हूं। आपका आशीर्वाद चाहता हूं, आपने आशीर्वाद दे दिया इसलिए बंद करता हूं।

(13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गम्भीर विषय की तरफ आपका ध्यानाकर्षित कर रहा हूं। श्रीमन्, मामला यह है कि मैं दिसम्बर माह में मेरे विधान सभा क्षेत्र के दौरे पर था। वहां कोटा जिले के बपावा और गेवखेड़ी गांवों के बीच में एक टाबरेखाल नाला आता है। जब मैं वहां से निकल रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे रोका और कहा कि इस नाले में ढेर सारी दवाइयां पड़ी हुई हैं।

(श्री मदन दिलावर)

मैंने कहा, कितने दिनों से पड़ी हैं? उन्होंने कहा कि कम से कम एक सप्ताह हो गया। गाय चराने वाले लोग और अन्य आने-जाने वाले लोग इतनी सारी दवाइयों को देखकर शौक के साथ ले जाते हैं और लोगों को बताते हैं। मैंने स्वयं ने भी मौके पर देखा कि 10 हजार टेबलेट इरोपोल वहां नाले में पड़ी हुई है। कापर-टी नाले में पड़ी हुई थी, खसरे के टीके वहां नाले में पड़े हुए थे। ये तो 10 परसेंट दवाइयां भी नहीं हैं जो मैं वहां से लाया हूं। बहुत सारी दवाइयों को लोग ले गये जो जानते नहीं। यदि दवाइयों को कोई ज्यादा मात्रा में खा ले तो मैं समझता हूं उसको कष्ट हो सकता है।

ये दवाइयां राजस्थान सरकार की खरीदी हुई नहीं हैं। भारत सरकार द्वारा जिन गर्भवती महिलाओं में खून की कमी होती है या जिन बच्चों में खून की कमी होती है ये आयरन गोलियां उनको उपलब्ध करायी जाती हैं ताकि इन गोलियों से उनमें खून की बढ़ोतरी हो सके। ये गोलियां जो सब सेन्टर्स होते हैं उनमें वितरण के लिए दी जाती हैं, ताकि समय-समय पर इनका वितरण किया जा सके। लेकिन इनका वितरण नहीं किया गया और वितरण नहीं करके ढेर सारी गोलियां वहां पर फेंक दी गयीं। लेकिन सरकार ने ताना-बाना बुना है कि इन दवाइयों का दोष किसके मत्थे मंढा जाए। एक नर्स को इसके लिए चुना और उस नर्स को निलम्बित करके विभाग ने

किसी भी एक ए.एन.एम. को नहीं दी जाती हैं। 2-3 ए.एन.एम. को मिलाकर इतनी दवाइयां होती होंगी।

श्री उपाध्यक्ष : मैन पाइंट पर आ जाएं।

श्री मदन दिलावर : बोल रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

दो-तीन ए.एन.एम. की दवाइयां मिलाकर इतनी दवाइयां होती होंगी। ए.एन.एम. के ऊपर एम.पी.डब्ल्यू. रहता है जो इनका सुपरविजन करता है। उनके ऊपर डिप्टी सी.एम.एच.ओ. रहते हैं वह भी सैम्पल टैस्ट करते होंगे, देखते होंगे। सी.एम.एच.ओ. रहता है, जोइंट डायरेक्टर रहता है, उन सबकी जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी थी कि वहां दवाइयां कहां से आयीं, किसने फेंकीं। लेकिन यह कुछ नहीं देखकर एक ए.एन.एम. को इन्होंने निलम्बित किया। भारत सरकार इसलिए तो दवाइयां भेजती नहीं कि गोलियां नाले में फेंक दी जाएं। अपनी करतूतें छिपाने के लिए और सरकारी आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर बताने के लिए यह काम किया गया है कि हमने इतनी आयरन की गोलियां बांट दी हैं, इतने खसरे के टीके बांट दिये हैं, इतनी कापर-टी बांट दी हैं और हमने लक्ष्य भी पूरे कर लिये हैं। फर्जी आंकड़े चिकित्सा विभाग देकर भारत सरकार से आयी हुई बहुत कीमती दवाइयों को बरबाद कर रहा है। यह सरकार जिस प्रकार से फर्जी आंकड़े देकर यहां पारित करती है तब तक

(श्री मदन दिलावर)

आपसे निवेदन है कि इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। बड़े अधिकारी जिनका सुपरविजन का जिम्मा था और जिनका देखने का जिम्मा था उनके ऊपर क्यों नहीं कार्यवाही की जानी चाहिए? उन सब लोगों ने इनको नाले में फेंका और ये तो गोलियां मेरे हाथ लग गयी हैं, इसके बदले में जिन गरीब महिलाओं को आयरन की गोलियों की जरूरत होगी उन्होंने उसको मेडिकल स्टोर से खरीदा होगा वहां से खरीदने पर कितना पैसा खर्च हुआ होगा और जो मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदी उसके बदले में इस सरकार के नुमाइंदों को, उन अधिकारियों को कितना कमीशन मिला होगा, यह जांच का विषय है। उपाध्यक्ष महोदय, इतनी सारी दवाइयां जिनमें कापर-टी और सब हैं, मैं चाहूंगा कि इनको सदन की टेबल पर रख दूं, इनकी एक्स्पाइरी डेट नहीं हुई है। मैं इनको सदन की टेबल पर रखता हूं।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो जांच का मामला है, इसमें सरकार के...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डा. रामप्रतापजी। माननीय सदस्य, आप बिराजें।

डा. किरोड़ी लाल : मंत्री बैठे हुए हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जांच कराने में कोई हर्ज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, विराजें माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द राठौड़ : जांच की ही मांग है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, हो जाएगी। (व्यवधान) इसमें सरकार का ध्यानाकर्षित कर दिया, जांच हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बहुत गम्भीर मामला है...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप : विषय गम्भीर है... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जांच की मांग है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डा. रामप्रताप। बिराजें माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह बहुत गम्भीर मामला है। गरीब महिलाएं एक-एक गोली के लिए तरस रही हैं और ये दवाइयां केन्द्र सरकार ने दी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने दवाइयां भेजी हैं गरीब लोगों के लिये, उनको नाले में फेंक रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रामप्रतापजी।

श्री मदन दिलावर : मेडिकल स्टोर में दवाइयां बेचकर लाखों-करोड़ों रुपये कमीशन कमा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, बिराजें माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : मेरी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिये और मंत्री महोदय इस पर अपना वक्तव्य दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस पर वक्तव्य आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : स्वास्थ्य मंत्री नहीं हैं तो डा. चन्द्रभान वक्तव्य दे दें कि इस तरह दवाइयां नाले में मिलना ठीक है क्या? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इस पर वक्तव्य आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। माननीय राठौड़ साहब, विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अनुभव प्राप्त हैं, आप डाक्टर रहे हैं, अभी तक...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मामला है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एम.बी.बी.एस. हो, आपने अध्ययन किया है...(व्यवधान) यह दे रहे हैं, दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री ही नहीं हैं, वक्तव्य कौन देगा? डा. रामप्रतापजी।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है, लाखों लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, गरीबों से वक्तव्य दें और स्थिति स्पष्ट करें कि आखिर में ये दवाइयां कहां से आयीं? ये सरकार के नुमाइंदे दवाइयां फेंक कर करोड़ों रुपये रिश्वत खा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, माननीय सदस्य, हो गया।

श्री मदन दिलावर : कमीशन खा रहे हैं। वक्तव्य देने के लिए मंत्रीजी को निर्देशित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा करबद्ध निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप विराजें।

श्री मदन दिलावर : मेरा करबद्ध निवेदन है, गरीब लोगों से, गर्भवती महिलाओं से और बच्चों से जुड़ा हुआ यह मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डा. रामप्रतापजी, आपसे निवेदन है कि आप जिस पर्ची पर बोल हरे हैं, अगर आप पसन्द करें, आज सहकारिता पर चर्चा है...

श्री मदन दिलावर : गरीबों का क्या होगा? गरीब महिलाओं का क्या होगा?

श्री रामप्रताप : यह मुद्दा सहकारिता से रिलेटेड है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसी से संबंधित है, मैं

श्री रामप्रताप : मैं तो आपने इजाजत दी थी उस समय में ही सब कह देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप बोलें।

समर्थन मूल्य पर जौ की सरकारी खरीद

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली 20 तारीख को समर्थन मूल्य पर जौ की खरीद का मामला मैंने इस सर्वोच्च सदन में उठाया था और काफी माननीय सदस्यों ने इस बात पर चिन्ता जाहिर की थी कि समर्थन मूल्य से बहुत नीचे साढ़े 300 रुपये के करीब जौ बिक रही है। माननीय सहकारिता मंत्रीजी ने इस पर वक्तव्य भी दिया था और सदन को आश्वस्त किया था कि दूसरी जगह सेन्टर्स खोले जाएंगे और सरकारी खरीद चालू रखी जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता मंत्रीजी के आश्वासन के बाद में नये सेन्टर्स खोलना तो दूर की बात है, जो खुले हुए थे वहां भी एक दाना जौ की खरीद नहीं हुई है। आज स्थिति यह बनी हुई है कि उस दिन साढ़े 300 के करीब जौ बिक रही थी, आज सवा 300 रुपये बिक रही है। सहकारिता मंत्रीजी, आपके वक्तव्य के बाद में। जगह-जगह किसान आंदोलित हैं इस बात को लेकर आज श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में जगह-जगह धरने दिये जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई छोटा सवाल नहीं है। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा था और मुख्य मंत्रीजी ने बड़ी त्वरित कार्यवाही करते हुए, 12 तारीख को उन्होंने पत्र लिखा और 12 तारीख को ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जवाब दिया कि जौ जैसी गैर-वाणिज्यिक चीज को भी हम हमारे संसाधनों से गरीब किसान से खरीदेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह किसान मरेगा नहीं, चाहे सरकार जोर लगा ले, चाहे भगवान जोर लगा ले। पिछले तीन साल से लगा रहे हैं। आज अकाल की स्थिति में जहां नहरों में पानी नहीं है, जहां आपका ग्राउण्ड वाटर खतम हो गया है, बरसात नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में उसने यह जौ पैदा किया था। फिर उसके बाद में राज्य सरकार, मैं किसी मंत्री की बात नहीं कह रहा हूं, हो सकता है मंत्री की व्यक्तिगत राय हो, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री का प्रतिपक्ष के नेता महोदय को लिखा हुआ पत्र है जिसको मैं उद्धृत कर रहा हूं। फिर उसके बाद सरकारी खरीद नहीं हुई और उसमें सबसे क्रूर मजाक किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने लिखा है कि सरकार की वित्तीय स्थिति... हम गरीब किसानों से पांच सौ रुपये के हिसाब से जौ खरीदेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन ये श्रीमान् वोट मांगने जाते हैं उस टाइम तो वह किसान अन्नदाता होता है, मां और बाप होता है और इस वक्त यह गरीब किसान हो गया। उस गरीब किसान की

(श्री रामप्रताप)

खिल्ली उड़ाई जा रही है। पाँच सौ रुपये का जो आपने कहा है कि आप अपने संसाधनों से, आपने कहा है, उस पर कुछ नहीं हुआ, उल्टे थोड़ी-बहुत जौ की खरीदी चालू थी, सहकारिता मंत्रीजी, वह भी बंद हो गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों में यह निवेदन करना चाहता कि इस जौ की खरीद को दुबारा चालू किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है, आठ लाख मीट्रिक टन जौ का उत्पादन हुआ है और आपने कोई हजार एक क्विंटल के करीब खरीद की है। वह भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो खरीद शुरू की गयी, रात के वक्त में कुछ चंद लोगों से खरीद की गई। न तों उसमें झाड़ लगाई गई, न उसकी सफाई की गई। अब पता नहीं उसके बीच में उनका क्या उद्देश्य था। या तो यह हो सकता है कि अधिकारियों को पैसा दिया गया हो। रात के वक्त में थोड़ी-बहुत सरकारी खरीद की गई, उसके बाद में एक दाना भी नहीं खरीदा गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर विषय है। सहकारिता मंत्रीजी बैठे हुए हैं, मुख्य मंत्रीजी उस दिन थे, आज नहीं हैं, इस विषय को इतना हल्का रूप न दिया जाए। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूं, यह विषय अत्यन्त गम्भीर विषय है और सरकार ने इस पर कार्यवाही नहीं तरीके से चाहे मुझे बाहर निकालने की कोशिश करें लेकिन मैं इसका पीछा नहीं छोडूंगा। आप यहां खड़े होकर भाषण देते हो, भाषण देने के बाद में जो थोड़ी-बहुत खरीदी चल रही थी वह भी बंद हो जाती है। एक मुख्य मंत्री अपने संसाधनों से उसको पर्चेज करने की बात कहता है और एक दाना भी नहीं खरीदा जाता। यह कोई छोटी बात थोड़े ही है? मुख्य मंत्री कांग्रेस पार्टी का नहीं है, मुख्य मंत्री पूरे राजस्थान का है। मुख्य मंत्री की बात का वक्त होता है, उस बात को पूरा किया जाना चाहिए। पूरा करने की जगह आपने उस सरकारी खरीद को बिलकुल ही बंद कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोलो तो वहां से। कम से कम आप वहां से तो बोलो, आप वहां से बोलेंगे तो रिकार्ड होगा न।

श्री रामप्रताप : ...(व्यवधान) आपके सत्तापक्ष के लोग वहां थे, उन्होंने भी इस बात पर चिन्ता व्यक्त की थी।

डा. किरोड़ी लाल : हमको रिकार्ड की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो। वे बोल रहे हैं।

श्री रामप्रताप : यह कोई रिकार्ड होने वाली बात नहीं है, यह तो सबको सुन रहा है। इसमें क्या रिकार्ड करने वाली बात है? क्यों नहीं इस बात को रिकार्ड

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सारी जगह इतनी गम्भीर समस्या है, इस मामले में अलवर जिले में कोटा भी पूरा नहीं हो रहा है। कहीं भी कोई भी खरीद नहीं की जा रही है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : यह आपका वायदा ही पूरा नहीं हो रहा है इतने माननीय सदस्य बैठे हैं, इतने मंत्री बैठे हैं, इतना गम्भीर विषय है। थोड़ी-बहुत खरीद की गई है, वह मजाक किया गया है, उसको परेशान किया गया है। रात के अंधेरे में आप लोगों ने खरीदा है, आई चार्ज यू, काआपरेटिव मिनिस्टर साहब, मैं आपको चार्ज कर रहा हूं कि जितनी आपने खरीद की है उसमें आप लोगों ने पैसा खाया है। उसमें न झाड़ लगाई गई है और न उसकी सफाई की गई। चंद लोगों ने या तो राजनीतिक प्रभाव से उनसे पैसा लेकर रात अंधेरे में खरीद की है यह गम्भीर मामला है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं...

श्री मदन दिलावर : इससे ज्यादा गम्भीर मामला कोई हो नहीं सकता।

श्री रामप्रताप : यह कोई छोटी बात नहीं है। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मुख्य मंत्री यह बात कह रहा है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : इससे ज्यादा शर्म की कोई बात हो नहीं सकती जहां 30-30 हजार बोरी जौ आया है...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : राजस्थान के मुख्य मंत्री की बात को कौन मानेगा? यह छोटा विषय नहीं है। सहकारिता मंत्रीजी के भी वश की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप चाहते क्या हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम यह चाहते हैं कि जौ की खरीद करो।

श्री सांवर लाल : मुख्य मंत्रीजी अगर यही है तो वे यहां आकर जवाब दें। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता मंत्रीजी के हाथ में क्या है, जब मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं। (व्यवधान) सहकारिता मंत्रीजी ने पहले कहा था कि और केन्द्र खोले जाएंगे, सरकारी खरीद चालू रखी जाएगी। उसके बाद में केन्द्र खोलना दूर की बात है, जो केन्द्र थे वहां भी एक भी दाना नहीं खरीदा गया। क्या चाहते हैं सहकारिता मंत्रीजी?

श्री उपाध्यक्ष : (व्यवधान) आप क्या चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : (व्यवधान) हम यह चाहते हैं कि जौ की खरीद हो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उनके वक्तव्य का असर है कि खरीदना बंद कर दिया।

श्री रामप्रताप : एक प्रदेश का मुख्य मंत्री कहे तो उसका क्या होगा?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इन्होंने तो पहले भी जवाब दिया था, इनके जवाब और बात की कोई वक़अत नहीं है। आज हालत क्यां बन गए कि इन्होंने जो घोषणा की उसके ठीक विपरीत काम हुआ है।

श्री रामप्रताप : आपकी ज्यादा बेइज्जती होगी। सदन में खड़े होकर मुख्य मंत्री पास में बैठे हुए आपसे स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं। आप इतने बुजुर्ग हैं, आपका हम बहुत मान और सम्मान करते हैं, उस स्टेटमैंट का क्या हुआ? उसके पेटे तो उल्टे आपकी ज्यादा बेइज्जती हुई है।

श्री मदन दिलावर : हम आपका मान सम्मान करते हैं और मुख्य मंत्रीजी आपका अपमान करवाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी, विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सहकारिता मंत्रीजी, आपकी चलती नहीं है सरकार में।

श्री मदन दिलावर : + + +

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके स्टेटमेंट की कोई वक़अत नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल : मंत्री महोदय, आपकी बात की वक़अत होनी चाहिए। आपने जो स्टेटमेंट दिया उस पर प्रभारी कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : खेद की बात है, सहकारिता मंत्रीजी। आज वो पुराने खेतसिंहजी कहां चले गए, आपकी बात की कोई कीमत नहीं है। आपने जो केन्द्र खोले थे, वे केन्द्र भी बन्द हो गए।

श्री उपाध्यक्ष : राठौड़ साहब, विराजें। राठौड़ साहब को बोलने दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री) : अब चलती कितनी है और कितनी नहीं इसके लिए तो जैसी आपकी भैरोंसिंहजी की सरकार में चलती थी वैसी मेरी भी चलती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर तो हो गया काम, साहब।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब रहा सवाल जौ की खरीद का, तो हमने जौ खरीदा है वह अपने स्वयं के प्रयत्नों से। जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने उस रोज कहा था, हमने अपने साहस से और अपने उससे खरीदा है। हकीकत यह थी कि हमको भारत सरकार के मंत्री श्री शांता कुमारजी का यह टेलीफोन आया था, उनका लैटर भी आया, उन्होंने कहा कि जौ की प्राइसेज बहुत नीचे जा रही हैं, आप खरीदो। हमने उस वक्त भी कहा था कि हमारे पास इतने मीन्स नहीं हैं कि हम इतना जौ खरीद सकें। उन्होंने कहा कि नहीं, भारत सरकार आपको मदद देगी। हमने उस आश्वासन पर यह जौ खरीदा। उसमें मैं आज आपसे यह निवेदन कर सकता हूं कि हमने तीन करोड़ पिच्यानवे लाख रुपए का जौ खरीदा है आज 27 तारीख तक। ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि हमने बिलकुल ही जौ नहीं खरीदा। जौ खरीदा है। अब आपकी

मण्डी में कम खरीदा होगा। अगर आज हमारे पास कुछ भी है खरीदने को, मैं फिर अभी हमारे आफिसर्स को एडवाइज करूंगा कि दे शुड गो, या यहां से टेलीग्राम दें कि आपके यहां से जौ खरीदा जाए और क्वालिटी को देखकर अच्छा लिया जाए।

आपने कहा कि आपने रात को खरीदा, दिन में खरीदा, चुपके से खरीदा, उसकी मैं जांच करवा लूंगा, ईमानदारी से जांच करवा लूंगा। अगर हमने गलत खरीदा है, रात में खरीदा है, चुपके से खरीदा है, थोड़ा खरीदा है, उससे काश्तकारों को नुकसान हुआ है तो मण्डी में काश्तकार हैं वे बोल जाएंगे, व्यापारी भी बोल जाएंगे कि साहब जो आपके यहां लगे हुए थे सुपरवाइजर, इन्होंने जानबूझकर धोखा दिया। इन्होंने मण्डी के अन्दर तो खरीदा नहीं, इन्होंने जाकर पास की गली से खरीदा और इन्होंने इस तरह से गड़बड़ की है। उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी।

दूसरा सवाल आपने यह पूछा कि अब खरीदेंगे कि नहीं। अब शांता कुमारजी से बातचीत चल रही है। कल भी हमने आफिसर्स को यह कहा है कि आप जाकर मिलकर आओ सैक्रेटरी साहब से और मिनिस्टर साहब वहां हों तो उनसे भी। हमको उम्मीद है कि आज और कल में हमें पैसा मिलने वाला है। मिल गया पैसा तो हम आपकी मण्डी में यूं का यूं खरीदते रहेंगे। पैसा नहीं मिला तो हमारे पास पैसा नहीं है। इसलिए अपने बूते पर आप सोचो कि हम और ज्यादा जौ खरीदें, वह हमारी पोजीशन नहीं है।

दूसरा रहा आपकी सरसों का। सरसों के लिए मैं आपसे यह निवेदन करूं कि हमने 115 करोड़ रुपये की सरसों खरीदी, 115 करोड़ की। यह इसलिए हुजूर कि हमें नैफेड ने मदद दी है, नैफेड से पैसा आता है। अभी भी काफी रुपया चढ़ा हुआ है जो हमको काश्तकारों को देना है। हम पर उनका विश्वास है इसीलिए उन्होंने हमको सरसों दी है। लेकिन अभी तक हम उनको पेमेंट नहीं कर पाये हैं। उसके लिए हम भाग-दौड़ कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी नैफेड से पैसा मंगवाकर उनको हम पेमेंट करेंगे। रहा गेहूं का, गेहूं के अंदर 610 रुपए प्रति क्विंटल का था, उसमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। फिर भी हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमने 13 जिलों के अंदर 19 करोड़ 30 लाख रुपये का 31,646 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है। इससे ज्यादा हमारी पोजीशन नहीं है, इसलिए हम खरीद नहीं पाये हैं। उसके लिए आप इतने नाराज न हों। हमारे पास पैसा आया तो हम आपसे निश्चित वायदा करते हैं, और खरीदेंगे, आपकी मण्डियों की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। यही मेरा आपसे निवेदन है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय का जवाब सुनने के बाद मैं जानकारी करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने जौ के संबंध में जो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अपने पत्र के माध्यम से आश्वासन दिया कि हम अपने संसाधनों के आधार पर जौ की खरीद करेंगे। मुख्य मंत्रीजी ने अपने संसाधनों का नाम लिया है, तो क्या राज्य सरकार अपने संसाधनों से अनाज नहीं खरीद सकती, एक तो मुझे यह जवाब दिया जाए?

दूसरा, आप बार-बार यह कहते हैं कि अनाज के क्रय के संबंध में भारत सरकार ने अभी हमको टेलीफोन पर बताया। भारत सरकार की नीति पिछले एक वर्ष से है कि सारे प्रोक्योरमेंट को डिसेंट्रलाइज किया जए। डिसेंट्रलाइज करने के लिए आदेश दिये, राज्य सरकारों को इसकी सूचना भेजी, राज्य सरकारों ने इसको मंजूर किया कि हम अनाज हमारे यहां प्रोक्योर कर सकते हैं। और उस प्रोक्योरमेंट के आधार पर आप यह कह रहे हैं कि हमें भारत सरकार से टेलीफोन पर ही सूचना मिली, यह बात बिलकुल सही नहीं है। टेलीफोन पर आपको रिमाइण्ड कराया होगा, टेलीफोन पर यह फैसला नहीं सुनाया। फैसला एक वर्ष पहले हुआ था कि प्रोक्योरमेंट का डिसेंट्रलाइजेशन होगा। राज्य सरकारों ने इसको स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद में रेस्पोंसिबिलिटी प्रोक्योरमेंट की आती है राज्य सरकार की। केन्द्र सरकार ने यह कहा कि इस प्रोक्योरमेंट में आपको जितनी भी हानि होगी उसका भुगतान केन्द्र सरकार करेगी। इस प्रोक्योरमेंट के कारण से हमको इस प्रकार की हानि हुई है।

आपको इतनी और जानकारी दे दूं कि आपने गेहूं और इन सबका जो सारा बताया कि इतने करोड़ रुपये के खरीद लिये और इतने करोड़ रुपये के नहीं खरीदे, राजस्थान में गेहूं 49 लाख टन पैदा हुआ। जौ हुआ है आठ लाख टन, चना हुआ है 6 लाख टन और सरसों हुई है 15 लाख टन। अब इसमें आपने जो बताया वह तो मामूली है। आप किसानों को बचाना चाहते हैं कि आप बार-बार यह जिक्र करते हैं कि अनाज सस्ता हो रहा है, अनाज सस्ता हो रहा है तो इस सस्ते अनाज से भाव किस तरह से बढ़ेंगे? उसका तरीका यही है कि मण्डी में सरकार जिस दिन प्रोक्योरमेंट के लिए चली जाएगी, ईमानदारी से जितना अनाज पड़ा है उसका प्रोक्योरमेंट शुरू कर दिया जाएगा उसी दिन भाव ऊंचे बढ़ेंगे और किसान का उतना प्रोक्योरमेंट का भार आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक प्रोक्योरमेंट के लिए आप ज्यादा से ज्यादा सेंटर नहीं खोलें, उपाध्यक्ष महोदय, परसों मैं दिन में दिल्ली जा रहा था, रास्ते में बहरोड़ रुक गया। वहां सारे किसान खड़े थे कि हमारा न तो जौ खरीदा जा रहा है, न हमारे सरसों खरीदी जा रही है। मैंने पूछा क्यों नहीं खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह आदेश आया है कि खैरथल मण्डी में जाकर, 46 किलोमीटर है खैरथल मण्डी,

प्रोक्योरमेंट से उसको कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैंने फिर परसों एस.डी.एम. से कहा कि आप इतना जल्दी से जल्दी इंतजाम कराइए। मुझे इस बात की खुशी है कि आज कलक्टर ने मुझे इस बात की सूचना दी कि हम बहरोड़ में भी अनाज का सेंटर खोल कर अनाज का क्रय करेंगे। यदि मंत्री महोदय यह समझ ले, अनाज अगर डिस्ट्रैस सेल में चला गया, अनाज सस्ते मूल्य पर चला गया, जौ का मूल्य 350 हो गया। अब जौ का मूल्य 350 हो जाए और किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मजबूर होकर अनाज को बेचे, उसके बाद में इनके लिए तो प्रोक्योरमेंट नाम की कोई रियायत नहीं है। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आज आप चाहे कुछ जवाब दें या न दें, लेकिन इस चीज के ऊपर आप भी तैयार हो जाएं, विपक्ष भी तैयार होता है और आप यह बताइए। अब केन्द्र सरकार से हमको पैसा नहीं मिला तो केन्द्रीय सरकार से पैसा नहीं मिले इसकी जिम्मेदारी किसान की नहीं है। इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी या केन्द्र सरकार की होगी, लेकिन यह जिम्मेदारी किसान की नहीं है। किसान तबाह हो जाए और आप यह कहते रहें, हमें केन्द्र सरकार से पैसा नहीं मिला, हमें केन्द्र सरकार से पैसा नहीं मिला, यह आर्गुमेंट किसान के सामने चलने वाला नहीं है। आप हाउस में यह बात कह कर लोगों को गुमराह करने की चेष्टा न करें। इसलिए मैं चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज या कल में माननीय मंत्री महोदय इसका पूरा वक्तव्य दें कि अनाज का उत्पादन कितना हुआ, सेंटर्स कितने खोले गये, प्रत्येक सेंटर पर कितना अनाज खरीदा गया। मैंने तो कल बहरोड़ की मण्डी में देखा, ट्रैक्टर के ट्रैक्टर खड़े हैं। अब वह ट्रैक्टर खैरथल मण्डी नहीं ले जाएंगे, वह अनाज वहीं बचेंगे और वहां 350 रुपये क्विंटल में बेचेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वहां मण्डी खोल दी गई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहां?

श्री खेतसिंह राठौड़ : बहरोड़ में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहरोड़ में तो आज ही खुली है। परसों मैं गया था और मैंने कहा था कि अगर अनाज यहां नहीं खरीदा गया तो मैं एस.डी.एम. के दफ्तर पर जाकर किसानों को लेकर आंदोलन करूंगा। मुझे खुशी हुई कि एस.डी.एम. ने इसको सीरियसली लिया, कलक्टर ने इसको सीरियसली लिया और आज सुबह ही मुझे टेलीफोन किया है कि आपको आने की जरूरत नहीं है, मण्डी में अनाज खरीद लिया जाएगा। अब सब जगह इस प्रकार करने की स्थिति पैदा हो, वह पैदा नहीं होनी चाहिए। मैं इसलिए आपसे कहता हूं आप इस मामले को एक दिन बैठ जाएं, मुख्य मंत्रीजी से बात कर लें और इसका फुलफ्लेजेड स्टेटमेंट दें और इस बात की गारंटी दें कि अब कोई भी किसान अनाज बेचना चाहेगा उसको हम प्रोक्योरमेंट प्राइस के ऊपर खरीदेंगे।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

माननीय मंत्री महोदय, मैं यह कह दूं, मैं कभी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करता, यदि आपने अनाज खरीदने की व्यवस्था कल तक नहीं की तो वह विधान सभा चले या न चले, मैं समझता हूं राजस्थान में एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जिसका मुकाबला आप भी नहीं कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय मंत्री महोदय, आप परसों तक विस्तृत स्टेटमेंट तैयार करके क्या व्यवस्था हो सकती है उसके संबंध में परसों स्टेटमेंट दे दीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, स्टेटमेंट दे देंगे।

प्रक्रिया

कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर व्यवस्था।

अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस संबंध में कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस सदन की परम्परा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव जिस दिन की मांग [illegible]

हैं। जब मांग मतदान के लिए आती है उस समय भी स्वतः यह मान लिया जाता है कि वे कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किये गये हैं वे वापस ले लिये गये हैं। बोलने के लिए इजाजत उन्हीं माननीय सदस्यों को दी जाती है जिनके नाम दलों के सचेतकों की ओर से आसन को दिये जाते हैं। दलों के सचेतकों से मेरा अनुरोध है कि वे नामों की सूची प्रस्तुत करते समय जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उन्हें प्राथमिकता दें। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाए वह अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें, वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जाएंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के संबंध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके, उनके लिखित उत्तर संबंधित माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से मिल जाएं, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मेरा भी निवेदन है। पांच बजे तक हाउस में आप काआपरेटिव डिपार्टमेंट की बहस खतम [illegible]

श्री उपाध्यक्ष : यह मैंने कब कहा?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप पांच बजे के हिसाब से ही टाइम का अलाटमेंट करेंगे और पांच बजे के हिसाब से ही हम अपने सदस्यों को कहेंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि आज चाहे तीन घंटे बैठें, दो घंटे बैठें, इस मामले के ऊपर जो माननीय सदस्य बोलना चाहते है उन सबको बोलने का अवसर मिले।

श्री उपाध्यक्ष : पांच बजे तक तो आने दीजिए, फिर जितने माननीय सदस्य बचेंगे उस पर विचार कर लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज पी.डब्ल्यू.डी. और है।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों हैं। अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री खेतसिंह जी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-36 – सहकारिता की प्रस्तुति

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 36, सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 43,89,00,000/- (तैतालिस करोड़ नवासी लाख) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरेन्द्र मिर्धा।

मांग संख्या-19—लोक निर्माण कार्य की प्रस्तुति

श्री हरेन्द्र मिर्धा (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 19—लोक निर्माण कार्य के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,15,17,68,000/- (तीन अरब पन्द्रह करोड़ सत्रह लाख अड़सठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंह गहलोत। (व्यवधान) सड़क, पुल का भी है। एक मिनट, श्री हरेन्द्र मिर्धा, एक और है।

मांग संख्या-21 – सड़कें एवं पुल की प्रस्तुति

श्री हरेन्द्र मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-21 सड़कें व पुल के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,91,96,63,000 (तीन अरब इक्यानवे करोड़ छियानवे लाख तरेसठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या-36 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-36 मुख्य शीर्षक सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगी/ करेंगे कि :—

श्री अमीन खान (शिव)

1. ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कार्य क्षेत्र पंचायतों के अनुसार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
2. केन्द्रीय सहकारी बैंकों के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
3. सहकारी भूमि बंधक बैंकों के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

4. विभिन्न सहकारी बैकों के प्रबंधकों के विरुद्ध लम्बित जांच प्रकरणों का निस्तारण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
5. सहकारी समितियों के चुनाव समय पर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

6. राजफैड व तिलम् संघ निदेशकों के द्वारा खरीद में किए गए घोटालों से हुये नुकसान के बावजूद भी सरकार [illegible]
7. राजस्थान सहकारी अधिनियम की धारा 139 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का दुरुपयोग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
8. राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा विदेश यात्राओं पर किये गये अनियमित खर्चों पर राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
9. राज्य की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की सेवाओं के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
10. ग्राम सेवा सहकारी समिति मीठड़ी (लाडनूं) जिला नागौर में हुए गबन घोटालों की शिकायतों पर कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

11. सहकारी ऋणों की प्रक्रिया को सरल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
12. सहकारी संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उपायों पर चर्चा के लिए।
13. सहकारी क्षेत्रों में रुग्ण पड़े उद्योगों को [illegible]

(श्री शिवनाथ सिंह)

14. ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने एवं कृषि पैदावारों के उचित मूल्य दिलाने में कृषकों के हितों की रक्षा करने के संबंध में चर्चा के लिए।

15. सहकारी संस्थाओं के चुनाव निर्धारित समय पर करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

16. सहकारिता विभाग को चुस्त-दुरूस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

17. सहकारिता सिद्धान्तों के अनुरूप किसानों के हितो की रक्षा किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर)

18. काटन काम्पलेक्स श्रीगंगानगर को पुनः शुरू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19. काटन काम्पलेक्स श्रीगंगानगर के घाटे में जाने के कारणों की जांच कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. काटन काम्पलेक्स श्रीगंगानगर को शुरू करने के लिए वांछित राशि की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21. काटन काम्पलेक्स श्रीगंगानगर से बेरोजगार हुए हजारों श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. काटन काम्पलेक्स श्रीगंगानगर को घाटे में पहुंचाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता)

23. राज्य में सहकारी संस्थाओं को सहकारिता सिद्धान्तों के अनुरूप स्वायत्ता प्रदान करने, प्रजातांत्रिक व्यवस्था कायम करने एवं लोक स्वालम्बी वनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

24. सहकारिता से जुड़े हुए सदस्यों, पदाधिकारियों, कर्मचारियों को सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25. सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कृषकों को कृषि खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं, कृषि यंत्र इत्यादि उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कृषकों को कृषि उपज का उचित मूल्य दिलवाने हेतु कृषि उपज की वाणिज्य एवं समर्थन मूल्य खरीद करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कृषकों को आवश्यकतानुसार अल्प-कालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाने की समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) एवं
श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर)

28. भूमि विकास बैंक टोंक द्वारा पी.डब्ल्यू.डी. से निर्धारित दर के अनुसार भवन का किराया अदा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

29. सहकारी संस्थाओं के लम्बे समय से चुनाव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

30. बानसूर (अलवर) व नगर कामां सहित भरतपुर जिले की सहकारी संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

31. जिला कलक्टर के द्वारा सहकारिता चुनाव अन्य विभाग के अधिकारियों से सम्पन्न करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. विधान सभा क्षेत्र रायपुर की प्राथमिक सहकारी समिति कलालिया, चिताड़, सोडिया, बीजागुड़ा का पुनर्गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. मार्केटिंग सोसाइटी रायपुर के चुनाव के पूर्व साधारण सदस्यों की संख्या बढ़ाने की सूचना नियमानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत को कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. किसानों के 10 वर्ष पुराने खाद्य बीज व कृषि संबंधी दस हजार रुपये तक के ऋण माफ किये जाने की

35. प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों को सहकारिता के चुनावों में भाग लेने का अधिकार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

36. लैम्पस दलोट-तहसील अरनोद जिला चित्तौड़गढ़ के सदस्यों के नाम फर्जी कर्जा लिख देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

37. लक्ष्मी क्रय-विक्रय संघ प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ के अंकेक्षण में निकाली गई वसूली की राशि अभी तक जमा नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

38. उपयोजना क्षेत्र में चल रहे लैम्पस एवं फैक्स में की जा रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)

39. चूरू तहसील की ग्राम सहकारी समिति खण्डवा के अध्यक्ष के विरुद्ध गबन का आरोप होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

40. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के प्रबन्ध निदेशक द्वारा चीनी परिवहन में किये गये घोटाले से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

41. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कानफैड) में नमक खरीद में हुए

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

42. चूरू तहसील के गांवों में वर्ष 2001-2002 में सहकारी ऋण वितरित नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

43. सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

44. सहकारिता विभाग में वर्षों पुराने पड़े अंकेक्षण आक्षेपों के निस्तारण पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज)

45. सहकारी बैंकों की अन्य बैंकों से ज्यादा ब्याज दर होने एवं सहकारी बैंकों में उपभोक्ता को हिस्सा राशि का उचित लाभ न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

46. प्रदेश के विभिन्न जिलों में फव्वारों की सब्सिडी में सहकारिता विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किसानों से करोड़ों रुपयों का अनुचित लाभ उठा कर भ्रष्टाचार करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

47. सहकारी संस्थाओं को अधिक अधिकार देकर सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

48. सहकारिता से अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को ओर अधिक जोड़ने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49. विधान सभा क्षेत्र दूदू की ग्राम सहकारी समिति, झाग, बोराज को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी)

50. राज्य के अधिकांश सहकारी बैंकों के घोटालों में लिप्त पाये जाने के उपरान्त भी उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

51. पिछले 10 वर्षों में सहाकरी विभाग में पाये गए गबन घोटालों में की गई कार्यवाही पर चर्चा के लिए।

52. सहकारिता चुनाव की घोषणा किये जाने के उपरान्त भी आज तक चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

53. सहकारी बैंकों में करोड़ों के घोटाले उजागर होने पर भी दोषियों को दण्ड नहीं दिए जाने पर चर्चा के लिए।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)

54. जहाजपुर में भूमि विकास बैंक की शाखा खोलने एवं प्रत्येक पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन करने व संस्था की आमसभा में समस्त सदस्यों को आमन्त्रित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कय्यूम खान (मसूदा)

55. मसूदा तथा ब्यावर में सहकारी समितियों को अधिक कारगर बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री कय्यूम खान)

56. मसूदा तथा अजमेर जिले की सहकारी समितियों में हो रही अनियमितताओं को तुरन्त नहीं रोके जाने से व्याप्त जन आक्रोष पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (धोद)

57. क्रय-विक्रय सहकारी समिति फतेहपुर द्वारा राशन डीलरों का जमा धन नहीं लौटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

58. सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक में कर्मचारियों को नियम विरुद्ध पदोन्नति देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

59. सीकर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समिति सांगलिया में अभ्यर्थियों द्वारा सदस्यता के आवेदन का सदस्यता शुल्क सहकारी बैंक, लोसल में जमा कराने के बाद भी सदस्यता नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

60. ग्राम पंचायत भगवानपुरा, प.स. अरांई, तहसील सरवाड़ (अजमेर) में जी.एस.एस. के अन्तर्गत चल रहे गम्भीर घोटाले एवं भूमि विकास बैंक केकड़ी (अजमेर) में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी)

61. विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में रावतसर के ... के व्यक्तियों को मंजूर होने के बावजूद भी ऋण राशि नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

62. विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के काआपरेटिव सरकारी समिति के सुपरवाइजर का लम्बे समय से एक ही जगह पर पदस्थापन होने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

63. विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में सहकारी समितियों के जहां माल गोदाम (भवन) नहीं है वहां माल गोदाम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी)

64. सहकारिता विभाग में वर्तमान में प्रचलित चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65. ग्राम सेवा सहकारी समितियों में इच्छुक, योग्य व सक्षम व्यक्तियों को समितियों का सदस्य बनने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66. ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों की सेवाओं संबंधी विवाद यथा वेतनमान सुधार व स्थाईत्व आदि समस्याओं पर चर्चा के लिए।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

67. राज्य सरकार सम्पूर्ण राजस्थान में ...

(श्री फतेह सिंह)

नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

68. बांसवाड़ा जिले में राशन डीलर नियुक्त करने में कमेटी का गठन एक तरफा सदस्यों का मनोनयन किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)

69. हर स्तर की सहकारी संस्थाओं मे सरकारी हस्तक्षेप होने के कारण सहकारी आन्दोलन की विफलता पर चर्चा के लिए।

70. सहकारिता विभाग में फैले भ्रष्टाचार एवं सहकारी संस्थाओं के समय पर चुनाव नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

71. सहकारी बैंकों में हुये गबन एवं घोटालों की अनिवार्य एवं नियमित जांच कर दोषियों को दण्डित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर के कृषकों का सहकारी ऋण माफ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

73. सहकारी समितियों के चुनाव यथा समय कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74. निर्वाचन क्षेत्र फसालिया (उदयपुर) के आदिवासी जनजाति एवं अनुसूचित जाति के कृषकों को सहकारिता ऋण उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर के कृषकों को आसान ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व)

76. गैर-सरकारी, सहकारी संस्थाओं में शासकीय अधिकारियों के सक्रिय पदाधिकारियों के रूप में कार्य करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

77. राजपत्रित एवं प्रशासनिक अधिकारियों को गैर-सरकारी संस्थाओं में पदाधिकारी बनाने संबंधी नियमों/उपनियमों की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

मांग संख्या-19 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-19 मुख्य शीर्षक लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :

श्री केसाराम चौधरी (खारची)

1. मारवाड़ जंक्शन में आई.टी.आई. भवन का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

2. खारची विधान सभा के जाडन ग्राम में विश्राम गृह बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री केसाराम चौधरी)

3. मारवाड़ जंक्शन में समाज कल्याण विभाग के अधूरे भवन को पूर्ण करने तथा बाउण्डरी-वाल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

4. खारची विधान सभा क्षेत्र में मुन्सिफ कोर्ट का भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

5. राजकीय चिकित्सालय, नाहटा बालोतरा की ऊपरी मंजिल का जिर्णोद्वार करायें जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

6. झुंझुनूं जिला मुख्यालय पर स्थित पी.डब्ल्यू.डी. डाक बंगले की दण्डनीय स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

7. झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी कस्बे में सार्वजनिक निर्माण विभाग का डाक बंगला/रेस्ट हाउस के निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

8. झुंझुनूं जिले के उदयपुर वाटी कस्बे में स्थापित सहायक अभियन्ता कार्यालय हेतु भवन निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

बनाये जाने के उपायों पर चर्चा के लिए।

10. सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

11. विभाग द्वारा पी.डब्ल्यू.डी. मैन्युअल में स्थित नियमों का पालन नहीं करने व आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने वाले अधिकारियों को पदावन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

12. विभाग के पुनर्गठन के नाम पर आवश्यक उप-खण्ड को समाप्त करने व अधिकारियों के मनमाने तरीके से स्थानान्तरण करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

13. विभाग द्वारा निर्माणाधीन भवनों को समय पर पूरा नहीं करने से लागत में हो रही वृद्धि एवं नुकसान पर चर्चा के लिए।

14. विधायक नगर (पश्चिम) के भवनों एवं बगीचों का उचित रख-रखाव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

15. लाडनूं डाक बंगले में एक कमरा और बनवाने हेतु की गई मांग पर कोई

(श्री हरजीराम बुरड़क)

16. ग्राम निम्बीजोधा उप-खण्ड, लाडनूं मे विभागीय भवन का कोई उपयोग नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए।

17. लाडनूं डाक बंगले में आवश्यक सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हरचन्द सिद्धू (पीलीबंगा)

18. लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

19. जनहित में प्राथमिकता से लोक निर्माण के कार्य किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर)

20. श्रीगंगानगर में सहकारी आवासों की मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों का दुरस्तीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) एवं
श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर)

22. अलवर-भरतपुर सहित पूर्वी राजस्थान के जिलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधूरे पड़े कार्यों को पूरा नहीं कराने से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिए।

23. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नगर (भरतपुर) व बानसूर (अलवर) में निर्मित भवनों में घटिया सामग्री प्रयोग में लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

24. समाज कल्याण छात्रावास, नगर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोपालगढ़ का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद भी विभाग द्वारा अधिग्रहण नहीं करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर)

25. बानसूर सहित पूरे अलवर में अधूरे पड़े सहकारी भवनों को शीघ्र पूरा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) एवं
मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

26. विधान सभा अलवर जिले में चल रहे निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री उपयोग में लाने से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिए।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

27. निर्माण कार्यों का लागत राशि के अनुसार निरीक्षण मुख्य अभियन्ताओं एवं अधीनस्थ अभियन्ताओं द्वारा समय-समय पर करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री हीरासिंह चौहान)

28. ब्लैक लिस्टेड ठेकेदारों को निर्माण कार्यों के ठेके देने से रोके जाने तथा समय पर निर्माण कार्य पूरा करने की सीमावधि की पालना सुनिश्चित की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. जूडिशियल मजिस्ट्रेट एवं कनिष्ठ सिविल जज, बर (पाली) के 5 वर्ष से अपूर्ण आवासीय बंगलें को पूर्ण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

30. महाविद्यालय, प्रतापगढ़ के मुख्य भवन की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी)

31. वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में लोक निर्माण के स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. बड़ी सादड़ी के डाक बंगले एवं निकुम्ब के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का कार्य 2 वर्ष पूर्व स्वीकृति के उपरान्त भी पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

33. सार्वजनिक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) के पदों में रोस्टर के अनुसार एक पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के उपरान्त भी अनुसूचित जाति के अधिशासी अभियन्ता को पदावनति करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

34. जयपुर-अजमेर नेशनल हाइवे पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के एकमात्र दूदू में स्थित डाक-बंगले का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) एवं
श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी)

35. राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग में 7 वर्ष पुराने कनिष्ठ अभियन्ताओं को दूसरे जिलों में स्थानान्तरण किए जाने की नीति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कय्यूम खान (मसूदा)

36. मसूदा में जो भी निर्माण कार्य समापन अवधि पार हो जाने पर भी पूर्ण नहीं हुए हैं, उन्हें शीघ्र पूरा कराने तथा अच्छी निर्माण सामग्री काम में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37. विभाग द्वारा अजमेर जिले में निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री उपयोग में लाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कय्यूम खान (मसूदा) एवं
श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

38. विभाग द्वारा मसूदा, ब्यावर व केकड़ी में अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा नहीं करने से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिए।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड)

39. बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र की ग्रामीण सड़क यथा निम्भोर से शिवदानसिंह-पुरा तक के नवीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40. विभाग द्वारा एस.एम.एस. अस्पताल के वार्षिक रख-रखाव के लिए आबंटित राशि में लगातार कमी किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (धोद) :

41. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुरा, जिला-सीकर के भवन गिरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

42. अजमेर जिले में बन रहे राजकीय भवनों में घटिया सामग्री के उपयोग की जांच करवाने एवं सरवाड़ खण्ड (अजमेर) में पी.डब्ल्यू.डी. के कार्यालय का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी)

43. विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

44. प्रदेश में लोक निर्माण कार्यों की बिगड़ती स्थिति को सुधारने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)

45. विभाग द्वारा विधान सभा के नवनिर्मित भवन पर किये गये अनावश्क खर्च पर चर्चा के लिए।

46. राज्य में पिछले 2 वर्षों में लोक निर्माण कार्यों की धीमी गति पर चर्चा के लिए।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

47. उदयपुर जिले के ठेकेदारों द्वारा विभागीय कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने एवं घटिया निर्माण कार्य करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

48. विभागीय कार्य के ठेकों में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व)

49. सार्वजनिक निर्माण विभाग में निविदा दरों में विभागीय नीति के संबंध में चर्चा के लिए।

50. 786 में अजमेर में हुए कार्यों पर लोरिया कमेटी की जांच के संबंध में चर्चा के लिए।

51. जनाना अस्पताल अजमेर के निर्माण में हुए अनियमितताओं पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या-21 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-21 मुख्य शीर्षक सड़कें एवं पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :—

श्री केसाराम चौधरी (खारची)

1. खारची विधान सभा क्षेत्र में मौख सिंह गुड़ा से चतरा का गुड़ा एवं त्रिमालिया से धामली तक डामर की सड़कें बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

2. खारची विधान सभा क्षेत्र की आर.आई.डी.एफ. में गत वर्ष स्वीकृत सड़कों का डामरीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

3. खारची विधान सभा क्षेत्र की सभी मेटल सड़कों का डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

4. खारची विधान सभा क्षेत्र के थामली, रामपुरिया, निपल, भिभालिया की नदियों पर रपटे बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

5. खारची विधान सभा क्षेत्र में रेणीया नदी, करमाल नदी, बासनी नदी, गुड़ा केसरसिंह नदी पर अधूरी रपटों का पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

6. पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में मेवानगर से सिगली चौसीरा तक अधूरी डामर सड़क को पूरा करने के संबंध में चर्चा के लिए।

7. पचपदरा साल्ट से साजियाली पदमसिंह ग्राम के पंचायत मुख्यालय तक मेटल सड़क का डामरीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

8. पचपदरा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम प्रासोतरा से खेतारामजी के धाम तक टूटी हुई डामर सड़क का जिर्णोद्वार करने के संबंध में चर्चा के लिए।

9. पचपदरा तहसील के ग्राम विठूजा से भिण्डा कुआं ग्राम तक मेटल सड़क का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

10. पचपदरा तहसील के ग्राम कीटनोद से प्रासोतरा डामर सड़क में से एप्रोच मेटल सड़क भिण्डाकुआं ग्राम तक का अधूरा डामरीकरण पूरा करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमीन खान (शिव)

11. बाड़मेर जिले की पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बुटिया को डामर सड़क से जोड़ने एवं पंचायत समिति शिव के 1000 से अधिक आबादी वाले ग्राम जुनेजो की बस्ती, दुधोड़ा, नेगरड़ा, पुसउ, उनरोड़ की डामर सड़क से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री अमीन खान)

12. बाड़मेर जैसलमेर जिलों की सड़कों यथा गागरिया देतानी, उन्डू, रतेउ, कोटड़ा, नाद, हरसांनी बालेवा, बांगली चाड़वा, खड़ीन गंगाला की मरम्मत कराने एवं गगानीयों का पार से चांदी का पाद ई.एस. में अधूरी सड़क को पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

13. बाड़मेर जिले में व जैसलमेर जिले में नाबार्ड से अपूर्ण मेटल सड़कों को बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14. जिला बाड़मेर की पंचायत समिति शिव के पंचायत मुख्यावास, स्वामी का गांव, धारवीकलां, आरंग, चोचरा, चैन्नोड़ी को डामर सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

15. जैसलमेर जिले पंचायत समिति सम की ग्राम पंचायत कपूरिया को मुख्यावास से डामर सड़क द्वारा जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

16. झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील क्षेत्र में गुढ़ा से चंवरा-पौंख तथा नेवरी सड़कों के निर्माण में काश्तकारों की आयी जमीन की मुआवजा राशि का भुगतान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील के गांव बड़ागांव तथा नाटास के बीच काटली नदी पर सड़क पर पुल या रपटा निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. झुंझुनूं जिले में छावसरी भाटीवाड़ सड़क बड़ागांव नाटास सड़क केड मैनपुना सड़क, धोलाविड़ा, धमोरा सड़कों पर डामरीकरण का कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19. सहायक अभियन्ता सब डिवीजन उदयपुरवाटी (जिला झुंझुनूं) में सड़कों के पेचवर्क तथा सुधार कार्यों पर आ रही डामर की कमी की पूर्ति पर चर्चा के लिए।

20. प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली सड़कों की योजना में गुढ़ा निर्वाचन क्षेत्र (जिला झुंझुनूं) के साथ उपेक्षापूर्ण एवं भेदभाव रवैये पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

21. राज्य में करोड़ों की लागत से बनी सड़कें, पुल के अभाव में बेकार होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

22. राज्य पथ की दुर्दशा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

23. योजना गत कई सड़कों के निर्माण में अनेक वर्षों से मिसिंग लिंक का निर्माण नहीं होने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

24. डीडवाना खण्ड की सड़क पालोटसीवां का अधूरा कार्य पूरा नहीं किये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

25. लाडनूं क्षेत्र की सड़कों के मिसिंग लिंक सरकार की नीति के अनुसार नहीं बनाने पर चर्चा के लिए।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

26. विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में सड़कों की खस्ता हालत के बावजूद भी मरम्मत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

27. विभाग में कार्यरत इंजीनियरों की पदोन्नति के लिए समय बढ़ोतरी से डी.पी.सी. नहीं करके मनमाने तरीके से पदोन्नति देने पर चर्चा के लिए।

28. कार्यभार के आधार पर अधिकारियों के पद सृजित नहीं किये जाने से हो रही असुविधा पर चर्चा के लिए।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

29. राज्य में सड़कों की स्थिति ठीक कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

30. राज्य में जनहित में सड़के एवं पुल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर)

31. श्री गंगानगर में आजाद सिनेमा रेल्वे फाटक पर ओवर ब्रिज के निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

32. श्रीगंगानगर जयुपर सड़क मार्ग का पुनर्निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

33. करणपुर मार्ग रेल्वे फाटक के नीचे अण्डर ब्रिज बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता)

34. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में नयी सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. सहायक अभियन्ता (द्वितीय) सार्वजनिक निर्माण विभाग मेड़ता का मुख्यालय रियां बड़ी कर पंचायत समिति रिया बड़ी के कार्य क्षेत्र तक कार्य क्षेत्र निश्चित करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी (लक्ष्मणगढ़)

36. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ की सड़कों की मरम्मत के संबंध में चर्चा के लिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

37. कस्बा नगर (भरतपुर) के बस स्टेण्ड से पंचायत समिति तक अलवर चौराहे पर क्षतिग्रस्त सड़क व खांचे में पानी भरे रहने से लोगों व खास कर सीनियर सैकण्डरी स्कूल की बालिकाओं को होने वाली परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

38. नगर से सीकरी होते हुए पहाड़ी को जाने वाली सड़क की खस्ता हालत को नहीं सुधारने से व्याप्त भारी जनाक्रोष पर चर्चा के लिए।

39. सीकरी से खोहरी वाया झंझार तक की पूरी सड़क 1995 में आई बाढ़ से बह जाने के बाद भी अब तक दुबारा नहीं

(मोहम्मद माहिर आजाद)

बनाने से हो रही भारी जन असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

40. सीकरी (भरतपुर) से गोविन्दगढ़ (अलवर) तक की क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक कराने हेतु चर्चा के लिए।

41. भरतपुर व अलवर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग को आबंटित राशि का सड़क मरम्मत हेतु सम्पूर्ण उपयोग नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी)

42. विभाग द्वारा गुढ़ामलानी विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत के बारे में भेदभाव बरते जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

43. गुढ़ामलानी विधान सभा क्षेत्र में शिवकर-सरली सड़क के मरम्मत की स्वीकृति के बावजूद विभाग द्वारा वर्ष 2000-2001 में मरम्मत नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

44. बाड़मेर जिले में उपखण्ड सिणधरी व धोरीमन्ना में कई वर्षों से सड़क की मरम्मत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

45. चवा से बायतू, सम्पर्क सड़क सणपा, बाड़मेर-सिणधरी की मरम्मत की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री निर्भय लाल (रूपवास)

46. हिण्डौन बयाना रूदावल खानुवा फतेहपुर सीकरी को आगरा स्टेट हाइवे से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. बयाना, रूपवास, रूदावल, उचैन, खानुवां, मैरथा, जंटमार्सा, बंशी पहाड़पुर, बंधबारेठा, नयागांव की टूटी सड़कों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता)

48. मेड़ता वाया डांगावास चांवड़िया जड़ाऊकला-रियां बड़ीआलनिया- वास होते हुए पुष्कर तक राज्य उच्च मार्ग घोषित करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

49. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता की सड़कों की मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

50. चण्डवल नगर से खोड़िया तक बनी डामर रोड पर रायरा कलां नदी व देवली हुब्बा नदियों पर पुलियों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र रायपुर की मिसिंग रोड कलालियां से बगड़ी, कानूजा से पचानपुरा, गिरी से बूटीवास, बागीत्याड़ा से कुशालपुरा, करमावास से कुशालपुरा, चिताड़ से कन्या बावड़ी

(श्री हीरासिंह चौहान)

तथा हत्थी भाटा से रामगढ़ (चांग) तक डामरीकृत रोड बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52. तहसील मुख्यालय रायपुर एवं नेशनल हाइवे नं. 14 के बीच बहने वाली लूनी नदी पर पुलिया का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53. 500 से 1000 की आबादी के राजस्व गांव खेड़ा मामावास, धोलीछेड़, मेगड़दा, मालनी, नाहरपुरा (गिरी) खरनीखेड़ा तथा गजनाई गांवों को डामरीकरण सड़क से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. झालाकी चौकी कानूजा के डामरीकृत रोड पर सुरजकुण्ड नदी की पुलिया का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

55. प्रतापगढ़ से धरियावद, पीपलौदा, बांसवाड़ा, निमच, मन्दसौर, अरनोद, सांगथली हीरालाट, सालमगढ़ की सड़क पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. चूपना गांव तहसील अरनोद की सड़क चूपना से भावगढ़ (मप्र) की पुल एवं सड़क की टूटफूट एवं मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. कानगढ़ तहसील अरनोद से जिला बांसवाड़ा के दानपुर को जाने वाली सड़क एवं बांसवाड़ा जिले से आने वाली नदी पर पुल बनवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

58. प्रतापगढ़ निर्वाचन क्षेत्र की पंचायत समिति के ग्राम पंचायत मुख्यालय पण्डावा को ग्राम पंचायत जोलर से डामर रोड से जोड़ने के क्रम में चर्चा के लिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना)

59. बयाना से खेड़ला वाया कलसाड़ सड़क को जिला हाइवे करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60. शाहयपुर रोड़ से सवाईमाधोपुर सीमा तक वाया धुनैनी तक नवीन सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. बयाना निर्वाचन क्षेत्र में बसेड़ी से बयाना सड़क पर तरसूमा के पास एवं सामरी के पास पुलियाओं को ऊंचा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62. भरतपुर से हिण्डौन सड़क को स्टेट हाइवे बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63. बयाना निर्वाचन क्षेत्र के महरावर से मोरौली तक नवीन सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर)

64. सीकर नवलगढ़, बाइपास बन्द रहने से होने वाली असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

65. सीकर शहर के अन्दर से गुजरने वाले सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों की मरम्मत के संबंध में चर्चा के लिए।

66. सीकर नवलगढ़ रोड पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं किये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

67. आर.आई.डी.एफ. में डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों पर डामरीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

68. सीकर विधान सभा क्षेत्र की शाकम्बरी क्षेत्र को सीधे सीकर जिले से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)

69. चूरू निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम करणपुरा, बाढमी, लोटसना बड़ा, रिविया की सम्पर्क सड़क पूर्ण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

70. चूरू तारानगर सड़क की विगत 2 वर्षों से मरम्मत नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

71. चूरू निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम धांधू, दुधवाखारा, राजासर, लादड़ीया की सम्पर्क सड़कों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. चूरू निर्वाचन क्षेत्र की पूर्व में स्वीकृत सम्पर्क सड़क, जसरासर, हनुमानगढ़ी, देयालसर, थायमपुरा को पूरी करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

73. चूरू विधान सभा क्षेत्र में नाबार्ड के ऋण से स्वीकृत सड़क का कार्य करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

74. जिला टोंक में सड़कों व पुलों के निर्माण हेतु आवश्यक राशि जुटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. तहसील उनियारा, देवली जिला टोंक में सड़कों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिए।

76. राज्य में सड़कों के रख-रखाव की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिए।

77. ग्राम बोसरिया तहसील उनियारा से नगर फोर्ट वाया गोरधनपुरा होकर देवली तक सड़क बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज)

78. बारां से गरड़ा रोड की मरम्मत एवं विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की पंचायत मुख्यालय तक जोड़ने वाली

(श्री हीरालाल सहरिया)

सड़कों का डामरीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79. मार्ग सं. 76 की कोटा-शिवपुरी रोड़ पर धड़ावली नदी एवं रामपुरिया ग्राम के पास वाली खाड़ी में एवं किशनगंज-रामगढ़-श्योपुर रोड काला पट्टा नदी पर पुल निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी)

80. उदयपुर सम्भाग के 1000 तक की जनसंख्या वाले गांवों को सड़कों से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

81. प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामों को सड़कों से जोड़ने में की गई अनियमितता पर चर्चा के लिए।

82. सार्वजनिक निर्माण विभाग के विरुद्ध दो वर्षों में बने गबन घोटालों के मामलों पर विभाग की विफलता पर चर्चा के लिए।

83. ग्यारहवीं विधान सभा के गठन के बाद राज्य सरकार द्वारा सड़कों की मरम्मत की बार-बार सदन में घोषणा के बाद भी सड़कों के सुधार का कार्य प्रारम्भ नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

84. राजस्थान की प्रत्येक पंचायत को सड़क से जोड़ने की स्वीकृति होने पर भी बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र की कई पंचायतों को अब तक भी सड़कों से नहीं जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

85. दूदू विधान सभा क्षेत्र की अधिकांश सड़कें जो पिछले कई वर्षों से टूटी पड़ी हैं, का पुनः डामरीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

86. विधान सभा क्षेत्र दूदू में 1991 की जनसंख्या के अनुसार एक हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने एवं समस्त मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)

87. बारां जिले के छबड़ा एवं छीपाबड़ौद कस्बों की सड़कों की मरम्मत शीघ्र करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. बारां जिले की कवाई से छबड़ी सड़क पर लासी नदी पर पुल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

89. छबड़ा विधान सभा क्षेत्र की अधूरी पड़ी समस्त सड़कों का कार्य शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

90. छबड़ा विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. छबड़ा विधान सभा क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं एक हजार की आबादी से अधिक के सभी गांव सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)

92. राजगढ़ (चूरू) शहर की सड़कों की स्थिति सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. राजगढ़ (चूरू) विधान सभा क्षेत्र के पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94. राजगढ़ (चूरू) विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95. राजगढ़ (चूरू) विधान सभा क्षेत्र की अधूरी सड़कों को पूरा करने के संबंध में चर्चा के लिए।

96. अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत अधूरी सड़कों को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

97. सरवाड़ से नागोला के बीच डामर सड़क बनाने एवं नागोला से बड़ला उर्फ काला तालाव पर हुए सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच कराने के साथ ही चौसला से देवली रोड के बीच, मेहरूकला से सावर के बीच खारी नदी पर, चांदथली से देवली रोड के बीच खारी नदी पर पुल बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

98. बाड़मेर जिले के बालोतरा सब डिविजन के मुख्यालय बालोतरा में लूणी नदी पर पुल के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) एवं
श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी)

99. जोधपुर से बाड़मेर सड़क बाड़मेर जिले के लिए सर्वोच्च महत्वपूर्ण सड़क को राज्य सड़क घोषित कर पेवर सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन दिलावर (अटरू)

100. चौकी व ब्यावर कलां के बीच परवन नदी पर पुल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101. कटावर (बारां) से शेरमठ तक सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. दीवाली से कुनेड तक डामर सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)

103. जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में काछोला, पारोली व बागदार आमला के बीच बनास नदी पर काजवे का निर्माण एवं देवली से शाहपुरा तक सड़क का विस्तार कराने के साथ ही अधूरी सड़कों को पूर्ण करवाये जाने एवं जहाजपुर कस्बे में बाइपास बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) एवं
श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी)

104. बाड़मेर जिले के सिणधरी पंचायत समिति के मुख्यालय सिणधरी, बालोतरा सब डिवीजन के मुख्यालय बालोतरा में लूनी नदी पर पुल के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

105. बाड़मेर जिले की कई महत्वपूर्ण सड़कों की मरम्मत एवं सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कय्यूम खान (मसूदा)

106. मसूदा से खरा रोड पर निर्मित पुलिया में घटिया सामग्री इस्तेमाल किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़):

107. बहरोड़-कुण्ड रोड़ की जर्जर अवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

108. राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 से नीमराना-माजरीकलां होते हुए निहालपुरा तक टूटी हुई सड़कों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. बहरोड़-भूगारिया सड़क के नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 पर स्थित बहरोड़ मिडवे के सामने डिवाइडर को काट कर सुलभ रास्ता बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111. भरतपुर से अलवर होकर नारनोल तक जाने वाले राज्य मार्ग सं. 14 को राष्ट्रीय राज मार्ग में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (धोद)

112. धोद विधान सभा क्षेत्र की डामर की सड़कों की हालत सुधारने के संबंध में चर्चा के लिए।

113. सीकर जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृतियों के जारी करने में निर्धारित मापदण्डों का पालन नहीं करने एवं धोद विधान सभा क्षेत्र में एक भी सड़क स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

114. सीकर जिले के ग्राम भढाढर से सावलोदा धायलान, बानुड़ा से गोठड़ा लगेलान, कदमा का बास से बिडोली, रामपुरा से पूरा छोटी, हर्ष से देवगढ़ एवं धोद विधान सभा क्षेत्र की अधूरी सड़कों को पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमुवारामगढ़)

115. राष्ट्रीय राज मार्ग सं. 8 ताला मोड़ से प्रतापगढ़ (अलवर) रोड पर एवं भुरानपुर जाटान से गठबाड़ी (जमवा रामगढ़) रोड पर पुलिया निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी)

116. विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में संगरिया से टिब्बी, मसीतांवाली, चाईया, सेलेवाला, रावतसर, हनुमानगढ़ से टिब्बी व हनुमानगढ़ से रावतसर, रावतसर से भैरूसरी, रावतसर से खोडा, खेदासरी से ठेंठार, हरदासवाली से बांगासर, चाइया से दासूवाली, गंधैली आदि सड़कों का डामरीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के रावतसर से खेतावाली सेमनाले पर पुलियां व सरदारपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी कलालावाली के पास पुलियां व रावतसर ब्रांच नहर पर कुम्हारो की ढाणी के पास पुलियां बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. विधान सभा क्षेत्र टिब्बी मे शेष वंचित रहे गांवों को सड़कों से जोड़ने व मोधूनगर से जोरावरपूरा व कलाला-वाली ढाणी व लखुवाली, भैरूसरी आदि गांवों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़)

119. चूरू जिले में सड़कों का निर्माण, मरम्मत एवं पुल निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रमजान खान (पुष्कर)

120. पंचायत समिति श्रीनगर (अजमेर) की नरवर चौराहे से मानपुरा की ढाणी जाने वाली रोड पर मानपुरा की नदी पर काजवे का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

121. पीसांगन से करनौस, पीसांगन से भावता, पीसांगन से ब्यावर वाया नागेलाव तथा पीसांगन से पिछोलिया सड़कों की मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122. राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8 पर स्थित पीसांगन सड़क वाया डूमाड़ा, भावता पर पुलिया निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

123. पुष्कर घाटी में सुरंग बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. पंचायत समिति श्रीनगर (अजमेर) के ग्राम खेरकड़ी की अपूर्ण सड़क को पूर्ण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

125. जिला बांसवाड़ा के कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में डूंगरा से सानसेरा वाया

(श्री फतेह सिंह)

कसारबाड़ी रोड की मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

126. कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के जालीमपुरा की अनास नदी पर पुल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

127. कसारवाड़ी से सानसेरा वाया हिम्मतगढ़ सड़क का डामरीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

128. डुंगरा से कसारबाड़ी, कुशलगढ़ से डुंगरा, कुशलगढ़ से कोटड़ा, कुशलगढ़ से वाजना, लाम्बेसरा से कुशलगढ़ तक की क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनः डामरीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)

129. झुंझुनूं जिले की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं नई सड़कें बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

130. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में सड़क एवं पुल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

131. सरकारी नीति अनुसार निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) के 1000 की आबादी वाले गांवों को पक्की सड़कों से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमुवारामगढ़)

132. राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8 से चिताणू (आमेर) सड़क पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया जाकर सड़क मार्ग सुगम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी)

133. राज्य में अभाव ग्रस्त एवं अकालग्रस्त घोषित हर गांव को डामर सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व)

134. अजमेर में जोंसगंज एवं बिहारीगंज रेल लाइनों पर पुल निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

135. मार्टिण्डल ब्रिज अजमेर को चौड़ा एवं ऊंचा करने में हुई राजकीय हानि पर चर्चा के लिए।

136. मार्टिण्डल ब्रिज अजमेर को चौड़ा एवं ऊंचा करने में सरकार द्वारा गठित जांच कमेटी द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

137. प्रधानमंत्री ग्राम सम्पर्क सड़क योजना के निर्माण कार्यों में हुई अनियममितताओं के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री ललित भाटी)

138. ब्यावर रोड नारीशाला से नसीराबाद रोड़ तक सड़क निर्माण तथा आदर्श नगर ओवरहैड रेलवे लाइन के समानान्तर मास्टर प्लान के मुताबित ज्वालाप्रसाद नगर तक बाइपास पर सड़क निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

मांग संख्या-36, 19 व 21 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंहजी गहलोत।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-19 व मांग संख्या-21 के संबंध में अपने विचार रखना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने और खास तौर से वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट में जो प्रावधान सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए रखा है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, क्योंकि, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम देख रहे हैं कि पिछले दो बजटों के अन्दर सड़कों के निर्माण कार्य, सड़कों के रख-रखाव, पुलों के निर्माण की किस प्रकार की हालत राजस्थान में बनी हुई है। मैं सोचता हूं इस बजट से कुछ आशा राजस्थान को बंधी है और इस बार जिस प्रकार राशि का प्रावधान किया गया है कुछ राजस्थान की विकास की ओर बढ़ोतरी होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने इस वर्ष के लिए 140 करोड़ का जो प्रावधान किया है उससे 288 गांवों को जोड़ने वाली 953 किलोमीटर सड़क पर डामरीकरण और 93 गांवों को जोड़ने के लिए 341 किलोमीटर की डामर की नई सड़क का काम प्रस्तावित है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं कि राजस्थान के चहुंमुखी विकास का क्रम सड़कों से बहुत जुड़ा हुआ है। मैं यह नहीं चाहता कि विकास कोई एक-एक क्षेत्र में हो और एक क्षेत्र में नहीं हो। राजस्थान का चहुंमुखी विकास सारे जिलों के अन्दर अनुपात के आधार पर किया जाय ताकि इस सदन में आने वाले माननीय सदस्यों की अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं का निपटारा हो सके। मैं देख रहा हूं कि सही मायने में जो इलाके पिछड़े हुए हैं जिन इलाकों के अन्दर कुछ भी काम सड़कों का नहीं हुआ बल्कि रख-रखाव के लिए बजट के अन्दर पिछले दो सालों में जो प्रावधान किया गया वह भी सारी जगह रोक दिया गया। सैंक्शन होने के बाद भी पी.डब्ल्यू.डी. से आदेश आ गये कि उस पैसे का कोई इस्तेमाल न करे। ऐसी हालत के अन्दर सड़कों की हालत बड़ी चरमरा गयी है। खास तौर से, उपाध्यक्ष महोदय, हम जिस इलाके से आते हैं करौली, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, टोंक यह इलाका जिस प्रकार से पिछड़ा हुआ है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस इलाके से आप पधारते हैं, चाहे वह उदयपुर

(श्री जनार्दन गहलोत)

डिवीजन हो, चाहे जोधपुर डिवीजन हो, अगर देखा जाए तो इन दो डिवीजनों पर जितना पैसा पी.डब्ल्यू.डी. में खर्च हुआ है, शायद और जिलों के अन्दर नहीं हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(13.33 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

आज अगर अनुपात में डिवीजनों के आधार पर देखा जाए, राजस्व आय के आंकड़े देखे जाएं तो यह पूर्वी राजस्थान का इलाका और उसमें भी खास तौर से जयपुर डिवीजन, सभापति महोदय, आप स्वयं भी इस सम्भाग के अन्दर आते हैं, मेरा मानना है कि रख-रखाव और नई सड़कों के निर्माण के ऊपर इन जिलों के साथ बड़ा सौतेला व्यवहार किया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह चाहूंगा कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री कम से कम इस बार इस बात का ध्यान रखें कि उन जिलों को अनुपात में पैसा अधिक दिया जाय जिन जिलों के अन्दर पैसे पहले लगे ही नहीं, बल्कि रख-रखाव का पैसा भी नहीं लगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भैरोंसिंहजी की सरकार के समय वर्ल्ड बैंक की एक योजना के तहत 87 करोड़ रुपये की एक सड़क नेशनल हाई-वे नम्बर 8 जो धारूहेड़ा से शुरू होता है, उससे होता हुआ भिवाड़ी और अलवर से होता हुआ सीधा महुवा और महुवा से क़रौली सैंक्शन हुई थी। माननीय सभापति महोदय, 87 करोड़ रुपये उसमें खर्च हो गये, उस सड़क का निर्माण करने के पीछे मंशा यह थी कि जिला हैडक्वार्टर को उससे जोड़ा जाए, लेकिन आज भी 14 किलोमीटर सड़क नहीं जुड़ी। वर्ल्ड बैंक का पैसा खतम हो गया, उसमें काफी घपले हुए, ठेकेदारों ने भी उसमें काफी अनियमितताएं कीं। इस सदन के मुख्य सचेतक ने भी इस मामले को सदन में कई बार उठाया है क्योंकि महुवा इस इलाके में आता है और उनको मालूम है। माननीय सभापति महोदय, इस सड़क का औचित्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक यह 14 किलोमीटर सड़क का निर्माण नहीं हो। माननीय सभापति महोदय, इस सड़क का पांचना बांध के ऊपर, मेरी समझ में नहीं आता, पी.डब्ल्यू.डी. के बैठे हुए अधिकारी किस तरह से फैसला करते हैं, पहले इसका प्रावधान रखा कि पांचना के पुल के ऊपर से होकर जाएगा। पुल निगम निर्माण ने उसके आगे एक पुल निर्माण करा दिया, आज तक वह अंधेरे में पड़ा है। वह सड़क आखिर बनेगी किधर से? इस मामले में मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का दो बार इस सदन में प्रकरण उठा कर ध्यान आकर्षित कर चुका हूं। उन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर से भी कहा कि मैंने पी.डब्ल्यू.डी. के चीफ इंजीनियर को कह दिया है लेकिन आज तक, मैं समझता हूं, सभापति महोदय, कोई कार्यवाही प्रगति पर नहीं है। मुझे मालूम पड़ा कि हिण्डौन के बगल से रेलवे के पुल पर से सड़क का निर्माण होना था, बाइपास का निर्माण होना

(श्री जनार्दन गहलोत)

था। माननीय सभापति महोदय, हर साल कम से कम 50 लाख लोग कैलादेवी और महावीरजी इलाके के अन्दर दर्शन करने जाते हैं, इतनी बड़ी तादाद में आवागमन होता है। उसमें हिण्डौन के पुल का बाइपास और जो 14 किलोमीटर का टुकड़ा है, जब तक इसका निर्माण नहीं होता है तब तक यह 87 करोड़ रुपये जो खर्च किये गये हैं इनका कोई औचित्य नहीं रहता। ऐसी स्थिति में, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय, को कहना चाहता हूं कि इसको प्राथमिकता देते हुए इस सड़क का निर्माण कराएं। कैलादेवी से आगे का यह नेशनल हाई-वे ग्वालियर के पास से जुड़ता है और मरडाइल से होता हुआ गुजरता है। लेकिन आज आगे की बात तो छोड़िये, जिला हैडक्वार्टर तक भी सड़क नहीं पहुंच पा रही है। यह रोड सही मायने के अन्दर करणपुर से होती हुई पालीघाट के पास से होकर फिर मध्य प्रदेश से जोड़नी थी। दोनों का लिंक रोड होने से राजस्थान का जो ट्रैफिक इन इलाकों से आता है, बहुत बड़ा डाइवर्शन हो जाता है। सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि निर्माण मंत्रीजी इसको प्राथमिकता देंगे। मैं सोचता था कि इस समय इस बात को सुनने के लिए मंत्री महोदय यहां बिराजते, लेकिन वह भी इस समय नहीं है। खेतसिंहजी यहां बैठे हैं लेकिन खेतसिंह के कहने से कोई असर होने वाला नहीं है। उनकी बात मानने वाले वह नहीं है और मेरी बात को सुनने को यहां बैठे नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जिस समय मांग पर विचार हो उसका प्रभारी मंत्री सदन में उपस्थित उस समय रहे। माननीय सदस्य बड़ी तैयारी के साथ अपने-अपने क्षेत्र और पूरे राजस्थान के हालात को रखना चाहते हैं, उसका अर्थ क्या रह गया? सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आसन की तरफ से व्यवस्था हो कि और कोई रहे न रहे कम से कम प्रभारी मंत्रीजी को सदन में उपस्थित रहना ही चाहिए और यह परम्परा भी रही है। सभापति महोदय, ओपन कर रहे हैं करौली से आने वाले माननीय सदस्य और बड़े अच्छे सुझाव दे रहे हैं, पर उनको बुलवाइये तो सही।

श्री सभापति : आपकी बात मंत्रीजी तक पहुंच गयी।

श्री जनार्दन गहलोत : सभापति महोदय, कैसे पहुंची यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मंत्री महोदय खेतसिंहजी के माध्यम से पहुंची है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, अर्थ क्या रहा गया? जब तक प्रभारी मंत्री सदन में उपस्थित न रहें तो अर्थ क्या रह गया? आप बुलवाइये, सभापति महोदय, आसन से व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री सभापति : आपकी बात पहुंच गयी है, आप इंतजार तो करो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, वह थोड़े-से समय के लिए बाहर पधारे हैं। वह श्री बुलाकीदास जी कल्ला जो सीनियर मिनिस्टर हैं उनसे कह कर गये हैं कि जब तक मैं आऊं तब तक आप नोट करिये। श्रीमान् जो भी फरमा रहे हैं वह नोट हो रहा है।

श्री सभापति : वह नोट हो रहा है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : माननीय सभापति महोदय, यह कोई अनुचित मांग नहीं है कि जिस मांग पर चर्चा हो उससे सम्बन्धित मंत्री को उपस्थित होना ही चाहिए। नहीं तो कोई भी माननीय सदस्य अपनी बात कहेगा तो उसको नोट कौन करेगा?

श्री सभापति : यदि मान लीजिये माननीय मंत्री महोदय को कोई जरूरी काम हो जाए, तो वे व्यवस्था करके गये हैं वह नोट हो रहा है। जब उत्तर दिया जाएगा...

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय सदस्य, मिनिस्टर को पानी भी पीना होता है और इक्की भी जाना होता है और कुछ और भी काम होते हैं। थोड़े समय के लिए तो बाहर जाएगा ही। तफरी के लिए नहीं गये हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : यदि लघुशंका या शौच के लिए गये हैं तब तो कोई आपत्ति नहीं है और यदि सिर्फ नहीं सुनने के लिए गये हैं तो यह अनुचित है, उनको उपस्थित होना चाहिए। मैं उनके लिए नहीं कहता, मैं सभी के लिए कहता हूं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मैं तो बैठ जाऊंगा लेकिन उचित बात तो होनी ही चाहिए।

श्री सभापति : मंत्री महोदय जरूरी कार्यवश गये हैं और अपनी जिम्मेदारी... (व्यवधान) आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इससे ज्यादा जरूरी क्या काम हो सकता है, सभापति महोदय?

डा. किरोड़ी लाल : डिमाण्ड से ज्यादा जरूरी क्या होगा, सभापति महोदय,?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज बहस हो रही है और मंत्रीजी नहीं हैं। एक दिन अगर आराम नहीं करेंगे, हमें मालूम है कि मंत्रीजी बड़े आरामपरस्त हैं, एरिस्टोक्रेट हैं, एक दिन नहीं सोएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप भी ऐसा ही करते थे क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं सदन में बैठा रहता था।

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, यह आसन की भी रेस्पोंसिबिलिटी है कि जो डिमाण्ड रखे वह मंत्री यहां रहे। हम जब बोलते हैं तो आपको आपत्ति होती है, मंत्रिमण्डल के सदस्यों को भी आपत्ति होती है। मुझे इस बात की आपत्ति है कि आपकी बिना अनुमति के डिमाण्ड पेश करके मंत्री बाहर कैसे चले गये। चाहे किसी भी काम के लिए जाएं, आसन की गरिमा है कि मंत्री आपसे पूछे और आसन का यह उत्तरदायित्व है कि उस मंत्री की उपस्थिति यहां रहे। इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से लोगों को निर्देश दें, इतना-सा मेरा निवेदन है।

श्री जनार्दन गहलोत : सभापति महोदय, विरोधी दल के नेता महोदय ने जो बात कही, वे डिमाण्ड रख कर गये। मैं ज्यों ही खड़ा हुआ वे चल दिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कोई बात थोड़े ही हुई।

श्री जनार्दन गहलोत : मैं चाहता था कि जो मेरे मन के अन्दर हमारे क्षेत्र की बातें हैं वे उन तक पहुंचती तो समझ सकते थे। बी.डी. कल्ला साहब नोट तो कर रहे हैं लेकिन बी.डी. कल्ला साहब वह असर थोड़े ही डाल सकते हैं जो मैं अपनी बात उनके सामने रखता तो उससे औचित्य बनता। रिप्लाई शाम को देते समय उन बातों का जिक्र करते। अब आवश्यक थोड़े ही है कि वे इन बातों का जिक्र करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खेतसिंहजी बताएंगे कि वे कहां हैं, क्यों गये हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, हकीकत यह है कि मुख्य मंत्रीजी ने अपने चैम्बर में एक कमेटी की कोई मीटिंग रखी है जिसमें सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को भी उन्होंने बुलाया है। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या करूं तो मैंने कहा कि देख आओ, अगर हो सके तो वापस आ जाना। अब नोट करने में तो कोई कमी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नोट करने का मतलब नहीं है। सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी की मीटिंग में गये हैं, सदन का अपमान है। क्या मुख्य मंत्रीजी मीटिंग बाद में नहीं कर सकते थे? मुख्य मंत्रीजी को इतना भी ध्यान नहीं है...

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, यह कोई हमारे वक्त में ही हो रहा हो जो इतने जोर से और हमको दिखाकर कह रहे हैं कि हमारा अपमान है। ऐसे अपमान तो हमने कई सहन किये हैं हुजूर के राज में।

श्री जनार्दन गहलोत : सभापति महोदय, यह डाइल्यूट कर रहे हैं। खेतसिंहजी और भैरोंसिंहजी जब भी ऐसा होता है, वे मजाक में बात करके सीरियस मामला सारा गड़बड़ा देते हैं। बड़ा गम्भीर मामला है। यह हमेशा की परम्परा है, खेतसिंहजी और भैरोंसिंजी जब आपस में सीरियस बात होती है तो उसको हंसकर बातों में टाल देते हैं। अभी वो हंस लेंगे, थोड़ी देर में ये हंस लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नहीं टाल रहा हूं, मैं आपका समर्थन कर रहा हूं।

सभापति महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप निर्देश दें, मुख्य मंत्रीजी को निर्देश दें और मंत्रिमण्डल के सदस्यों को निर्देश दें कि वे मीटिंग को छोड़ें और यहां पर आएं। अब खेतसिंहजी यह कहते हैं कि आपके जमाने में भी यह होता था, यदि हमारी ही नकल करने के लिए आप आये हैं, हमारे ही पदचिन्हों पर चलने के लिए आप आये हैं तो स्वागत है। लेकिन पदचिन्हों पर चलकर सारी जिम्मेदारी उसी प्रकार से निभाएं। मैं भी हाउस में 24 घंटे बैठता था, कोई मना कर सकता है क्या इसके लिए? जब भी सदन की कार्यवाही चलती, बैठता था और जब सदन की कार्यवाही हटती थी तब जाता था। यहां तो मुख्य मंत्रीजी ऐसे आते हैं जैसे भगवान का कोई पर्दा खुला हो। दो बजे दर्शन होंगे, चार बजे होंगे, पांच बजे होंगे, उसके सिवाय कोई लेना-देना नहीं है और वे अपनी आदत दूसरे मंत्रियों में भी डाल रहे हैं कि आपको भी आवश्यकता नहीं है कि हाउस में बैठें। माननीय सदस्य कह रहे थे कि मेरी बात वे सुनते तो उस बात का प्रभाव होता, एक्शन लिया जाता। कल्ला जी भले आदमी हैं, वे इस तरह की गारंटी नहीं दे सकते। इसलिए आप जाइये, खेतसिंहजी, आप चले जाइये, हम आपकी अब्सेंस भुगत लेंगे और उनको लेकर आइये।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय सभापति महोदय, बात सही है। अगर यह नोट ही कर रहे हैं तो अपने रिपोर्ट्स भी नोट कर रहे हैं, कापी मंगा लीजिये। मंत्रियों को सब को कह दीजिये चले जाएं, कोई आवश्यकता ही नहीं है किसी मंत्री की। रिपोर्ट्स नोट कर लेंगे, इनके पास पहुंच जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आपने देखा होगा कि धीरे-धीरे माननीय सदस्यों की संख्या भी कम रहती है। वह इसीलिए रहती है कि ट्रैजरी बैंच गम्भीर ही नहीं है। ट्रैजरी बैंच सारे खाली पड़े रहते हैं। मंत्रिमण्डल के अधिकांश सदस्य...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने पाइंट आफ आर्डर उठाया और रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने उसका समर्थन किया। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने भी अपने विचार व्यक्त किये। प्रतिपक्ष के नेता महोदय का जितना संसदीय अनुभव विधान सभा और संसद का है, (व्यवधान) उस लिहाज से मैं इस पर व्यवस्था देने के बजाय प्रतिपक्ष के नेता महोदय और माननीय सदस्यों का ध्यान हमारे यहां समय-समय पर और संसद में समय-समय पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर जो व्यवस्थाएं माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दी गयी है उनको ध्यान में रखते हुए मैं कोई नयी व्यवस्था नहीं दूंगा लेकिन आप लोगों के विचार सुनने के बाद और गम्भीरता को देख कर विधि मंत्री इसी परपज से मंत्री महोदय को बताने के लिए गये और उनसे पूर्व ही मंत्री महोदय आ गये हैं सदन में,

(श्री सभापति)

तो मैं समझता हूं कि आपकी मंशा पूरी हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक आये तो दूसरा भाग गया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उनको तो आपने ही भेजा है कि आपकी अब्सेंस हम भुगत लेंगे।

श्री सभापति : माननीय जनार्दन जी गहलोत।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय सभापति महोदय, मैं चाहता था कि मंत्री महोदय को मेरे मन की पीड़ा सुना सकूं और इसलिए खुशी की बात है कि वे स्वयं आ गये हैं। क्योंकि जब से वर्तमान सरकार बनी है, सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से इन सारी समस्याओं पर मैं जिक्र करता रहा हूं और सदन के अन्दर भी प्रश्नों के माध्यम से, व्यक्तिगत मिलने के अवसर पर भी इन सारे मामलों को उठाता रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, धारूहेड़ा नेशनल हाई-वे से जो रोड बनी थी, करौली के 14 किलोमीटर तक रुक गयी और इसी प्रकार हिण्डौन का जो बाइपास है, उस बाइपास का काम भी अधूरा है। मेरे निवेदन पर माननीय मंत्री महोदय ने एक बार चीफ इंजीनियर साहब को भेजा भी, लेकिन मुझे मालूम पड़ा बाद में कि हिण्डौन से ही वे वापस लौट आये, आगे 14 किलोमीटर उन्होंने देखा ही नहीं। देखा ही नही, गये ही नहीं, बीच में से आ गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक पी.डब्ल्यू.डी. यह फैसला तक नहीं कर पाया कि आगे यह सड़क किधर से बनेगी। पहले प्रावधान किया हुआ था कि पांचना पुल से बनेगी। इर्रिगेशन विभाग से पहले तो पी.डब्ल्यू.डी. ने रेकार्ड में डाल दिया कि पांचना प्रोजेक्ट से बनेगी और उसके आगे ब्रिज कारपोरेशन से एक ब्रिज बनवा दिया। अब वे कहते हैं कि हैवी व्हीकल्स को हम पांचना बांध के ऊपर से नहीं जाने देंगे। इस बात का फैसला आज ढाई साल के अन्दर विभाग नहीं कर पा रहा है। सभापति महोदय, यह बहुत गम्भीर बात है। जहां 87 करोड़ रुपये का खर्चा हो गया, वहां केवल मात्र पौने दो करोड़ रुपये के खर्च के प्रावधान की आवश्यकता है उसकी वजह से 87 करोड़ का नुकसान भुगत रहे हैं, उस सड़क का फायदा नहीं मिल रहा है।

एक साल के अन्दर इस सड़क के ऊपर से 50 लाख से ज्यादा दर्शनार्थी कैलादेवी के मन्दिर के लिए, महावीर जी के मन्दिर के लिए जाते हैं। दो ही रास्ते हैं, एक तो आगरा से आने वाला रास्ता जो धौलपुर, सरमथुरा होकर आता है और एक रास्ता महुवा होकर हिण्डौन होते हुए आने का है। दोनों रास्तों की हालत ऐसी हो रही है कि कई किलोमीटर तक तो सड़क का नामोनिशान ही नहीं रहा। ट्रक की बात

(श्री जनार्दन गहलोत)

तो छोड़िये, मैं अपनी गाड़ी से भी जाता हूं तो मेरी गाड़ी की हालत ऐसी हो जाती है कि वापस आकर उसको कारखाने भेजना पड़ता है। सरमथुरा और धौलपुर के इलाके के लोग भी उससे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस इलाके में माइनिंग का वर्क है, राजस्व मिलता है राजस्थान सरकार को, माइनिंग विभाग को। माइनिंग विभाग उसमें एक पैसा नहीं लगाता, पी.डब्ल्यू.डी. उसमें एक पैसा नहीं लगाता, कृषि विपणन बोर्ड उसमें एक पैसा नहीं लगाता। प्रश्न इस बात का है कि करौली में ट्रकों से रेवेन्यू सरकार को मिलती है और वे ट्रक जाते हैं तो उन ट्रकों के चलने के लिए वहां सड़क का नामोनिशान नहीं है।

अभी पी.डब्ल्यू.डी. ने प्रधानमंत्री योजना के तहत फर्स्ट फेज बनाया, सैकण्ड फेज बनाया, थर्ड फेज बनाया, विभाग में बैठे हुए लोगों को यह मालूम नहीं कि फर्स्ट फेज की प्रायोरिटी कौनसी सड़क की है। जिस सड़क के ऊपर पांच हजार आदमी नहीं जाते उसको तो फर्स्ट फेज में डाल दिया और जिसमें हजारों लाखों आदमी जाते हैं उसको थर्ड फेज में डाल दिया। सभापति महोदय, यह बड़ा गम्भीर मामला है। इसका मतलब विभाग के अन्दर कोई चिन्तन नहीं है। काम करने का जो अधिकारियों का तरीका है, उनका सोच मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि बाबा आदम के जमाने का हो गया या तुगलकी जमाने का हो गया। उनको गम्भीर होना चाहिए।

सभापति महोदय, हम उस पीड़ा को भुगतते हैं। यही सड़क अगर करणपुर होते हुए आगे खण्डार से पालीघाट में जुड़ जाती तो सीधा मध्य प्रदेश का रास्ता जुड़ जाता है। कमला जी जिस कांस्टीट्यूएंसी से आती हैं उसमें करणपुर आता है। मंडरायल का पुल पहले शिवचरण जी माथुर के जमाने में बनने का प्रावधान हुआ, फिर खटाई में पड़ गया। माधवराव जी सिंधिया ने उठा कर वहां ड्रूमों का पुल बना दिया। कम से कम हमारा आवागमन का साधन तो चालू हो गया। मध्य प्रदेश की सरकार के हम आभारी है कि उन्होंने ड्रूमों का पुल बना दिया तो कम से कम मंडरायल से आकर मध्य प्रदेश में जाने का रास्ता खुल गया। एक योजना बनी थी अर्जुनसिंह जी के जमाने में शिवचरण जी माथुर के जमाने में और जोइंट फैसला हुआ था कि इस पुल के ऊपर आधा पैसा मध्य प्रदेश की सरकार लगाएगी, आधा पैसा राजस्थान सरकार लगाएगी। माननीय सभापति महोदय, मुझे बड़ी निराशा के साथ कहना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश ने तो उसे अपनी योजना में जोड़ दिया लेकिन राजस्थान की सरकार ने इसे योजना में नहीं जोड़ा। उसकी वजह से आज तक

(श्री जनार्दन गहलोत)

पुल का निर्माण नहीं हो पाया। सभापति महोदय, यह बड़ी गम्भीर बात है, मैं सोचता हूं विभाग को इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। फिर जिस इलाके के अन्दर राजस्व आता हो। अगर राजस्थान के अन्दर सबसे खराब हालत है तो भरतपुर की, धौलपुर की, करौली की, सवाईमाधोपुर की और टौंक की है। इन इलाकों की बहुत बुरी हालत है। (व्यवधान) 50 सालों से उदयपुर और भीलवाड़ा वाले और जोधपुर वाले लाभ उठा रहे हैं। सही मायने में अकाल के नाम पर आपको तो कुछ न कुछ होता रहा है। देखिये, मुझे मालूम है, सुखाड़िया जी के जमाने से देखता आ रहा हूं, कम से कम अकाल के नाम पर...(व्यवधान) सच बात से आपको तो आदत पड़ गई।

जब से राजस्थान बना है, उदयपुर सम्भाग और जोधपुर सम्भाग में राजस्थान की सरकार के खजाने का जितना पैसा लगा है, चाहे अकाल के नाम पर, जयपुर डिवीजन के अन्दर नहीं, लगा है। (व्यवधान) भगवान की कृपा है। अब इसमें आपको तकलीफ होती है तो आखिर हमको भी तकलीफ होती है। हमारे डिवीजन के अन्दर सही मायने में कोई अकाल के नाम पर हमको पैसा मिलता नहीं है। पहली बार बड़ी मुश्किल से अकाल के नाम से करौली जिला जुड़ा उसको भी हमारे माननीय अकाल मंत्रीजी ने क्या किया कि तीसरे फेज में लिया और जिलों के अन्दर तो पहले फेज में शुरू कर दिया, दूसरे फेज में शुरू कर दिया और करौली जिले को तीसरे फेज में जोड़ा। इतना अन्याय हम कैसे बरदाश्त करेंगे। सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उन जिलों को आपने पिछले दो साल से रख-रखाव का पैसा दिया। जिन जिलों को रख-रखाव का पैसा नहीं मिला, उसकी क्षतिपूर्ति आपको करनी चाहिए। हमारे जिले को जो आपने रख-रखाव का पैसा दिया था, वह भी पी.डब्ल्यू.डी. की चिट्ठी चली गई कि कोई भी बिल का भुगतान मत करना, कोई काम मत करना। एक्सईएन. आफिस सारे बंद पड़े हुए हैं, उसके अन्दर कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। इसलिए, माननीय मंत्रीजी, आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारी पीड़ा बहुत गम्भीर है। राजनैतिक दृष्टि से या प्रतिशोध की दृष्टि से हमारे मन में कोई मंशा नहीं है, लेकिन इस बात की पीड़ा है कि जिस इलाके से हम जीत कर आते हैं उस इलाके का विकास नहीं होता है। दूसरे इलाके का विकास होता है तो उसकी पीड़ा होती है, इसलिए, माननीय मंत्रीजी, आप इसको गम्भीरता से लें।

माननीय सभापति महोदय, मैं जिक्र करना चाहता हूं हमारी मासलपुर की रोड का उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो हमारी

(श्री जनार्दन गहलोत)

बार्डर है उस बार्डर तक सड़क का निर्माण कर दिया। तीन किलोमीटर का अगर वह टुकड़ा जुड़ जाता है तो मासलपुर-करौली का आगरा से सीधा लिंक हो जाता है। न महुवा होकर आने की जरूरत है और न सरमथुरा होकर आने की जरूरत है। तीन किलोमीटर के टुकड़े की वजह से करौली का आगरा से सीधा सम्पर्क नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी बना दिया लेकिन वह काम आज तक भी अधूरा पड़ा है।

सभापति महोदय, मैंने पहले जिक्र किया कि आपकी प्रायोरिटी फेजवाइज जो बननी चाहिए उसका आप पुनरावलोकन करें। हो सकता है कि भारत सरकार का मामला इसके अन्दर आता हो, हो सकता है कि मंत्री महोदय को कठिनाई हो, लेकिन सरकारी अधिकारियों को तो कम से कम आपके सामने यह बात रखनी चाहिए। जब राजस्थान सरकार से प्रपोजल जा रहा है उसके अन्दर कौनसी प्रायोरिटी होनी चाहिए, कौनसी नहीं होनी चाहिए, इसका तो कम से कम मूल्यांकन करके आगे प्रपोजल्स जाने चाहिए। यह तो है नहीं कि कोई दिल्ली में बैठे हुए फ़ैसला कर देते हैं, दिल्ली से कहा कि यह सड़क बनाएंगे, यह नहीं बनाएंगे। आखिर में प्रपोजल्स तो राज्य सरकार से ही जाते हैं, किसी दूसरे से नहीं जाते हैं।

सभापति महोदय, मैं जिक्र करना चाहता हूं, राज्य सरकार से फैसला हुआ था कि पंचायत हैडक्वांटर को सबको जोड़ा जाएगा। यह कई सालों से चल रहा है। 600 करोड़ रुपये की योजना आपने बनाई है, अगले दो वर्ष में 24000 किलोमीटर सड़क का निर्माण आप करने जा रहे हैं, मैं सोचता हूं, यह काम भी काफी महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्य सदन में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, लेकिन सभी माननीय सदस्यों को इस बात से अपार खुशी है कि पिछले दो साल से बजट के अन्दर इसका प्रावधान नहीं किया, लेकिन इस बार सड़क को प्राथमिकता दी गई है। उसके लिए मुख्य मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सोचता हूं, मुख्य मंत्रीजी ने यह निर्णय लेकर एक महत्वपूर्ण काम किया है। इस बजट में जो प्रावधान आपने किये हैं उससे हमारी सरकार की मंशा लगती है और मैं सोचता हूं, सभी माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए मुख्य मंत्रीजी ने अब की बार सड़क को प्राथमिकता दी है। हरेन्द्र जी की कठिनाई हम समझ सकते हैं क्योंकि जब बजट में प्रावधान ही नहीं है तो हरेन्द्र जी मिर्धा कहां से करेंगे। मैं सोचता हूं कि अब आपके पास सही अवसर आ गया है और इस सही अवसर का आप इस्तेमाल करेंगे। सरकारी मशीनरी का इस ढंग से इस्तेमाल करें कि किन एम.एल.ए. की कौनसी प्राथमिकता है, किन

(श्री जनार्दन गहलोत)

क्षेत्रों में समस्या कौनसी है। इसके बारे में आप स्वयं अलग-अलग बैठक करके सभी विधायकों और अपने अधिकारियों के साथ राय-मशविरा करें। जितना बजट के अन्दर प्रावधान है, सारे पैसे एक एम.एल.ए. को तो मिल नहीं सकते। लेकिन किसी जिले में पांच एम.एल.ए. हैं और चार एम.एल.ए की एक राय हो तो वह सड़क हमारी प्राथमिकता है, उसको प्राथमिकता दे दीजिये। इस मामले में बैठ कर कोई न कोई फैसला करें।

मैं इस अवसर पर बहुत ज्यादा लम्बी बात नहीं कहना चाहता, जो मेरी भावना थी वह मैंने कह दी। आपने बी.ओ.टी. योजना के अन्दर भी पहले इस सड़क के निर्माण की बात सोची थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि किस ढंग से उन्होंने कह दिया कि इसके अन्दर इतना आर्थिक फायदा नहीं होने वाला है। क्या कारण बने हैं, मुझे नहीं मालूम। यह कैसे मान लें? जब 50 लाख आदमी साल में एक-डेढ़-दो महीने के अन्दर आ जाते हैं तो बी.ओ.टी. की स्कीम के अन्दर उसको आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इसके अन्दर...

श्री हरेन्द्र मिर्धा : वह तो, माननीय सदस्य, साल में एक बार जब मेला भरता है तभी कार-व्हीकल्स आते हैं। पूरे साल में तो इतना ट्रैफिक वहां है नहीं।

श्री जनार्दन गहलोत : ऐसा है, हरेन्द्र जी, अभी मेला नहीं भर रहा, आप मेरे और कमलाजी के साथ चलिये, भैरोंसिंहजी को भी ले लेंगे, आप देखिये कि कैलादेवी के अन्दर महत्व अब केवल मेले का नहीं रहा है, साल भर ट्रैफिक चलता है। उस समय हालत ऐसी थी कि मेले के समय स्पेशल टारगेट्स हैं, 40-45 हजार का जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन साल भर में भी उतना ही ट्रैफिक चलता है। एक चौथाई ट्रैफिक तो उसके बाद भी चलता है। मेले में तो नैचुरल है, ज्यादा बढ़ेगा। कैलादेवी तो ऐसा हो गया कि लोग उस समय भीड़ में आना पसन्द नहीं करते। ऐसी स्थिति में...

श्री हरेन्द्र मिर्धा : ऐसा है, गहलोतजी, एक मिनट।

श्री भरोसी लाल : सभापति महोदय, 12 महीनों चलता है, कैलादेवी का मेला 12 महीनों चलता है।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : जितने व्हीकल्स पर-डे वहां से जाते हैं, उसका ट्रैफिक सर्वे करवा देते हैं वापस अपन, आपके माध्यम से भी कोई साथ बैठकर अगर वाइबिलिटी है तो कर लेंगे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री भरोसी लाल : सभापति महोदय, कैलादेवी और महावीरजी का मेला 12 महीनों चलता है।

श्रीमती कमला बृजलाल : सभापति महोदय, साल में दो बार तो बड़ा मेला लगता है कैलादेवी का, लेकिन....

श्री सभापति : आप बिराजिये प्लीज।

श्रीमती कमला बृजलाल : बिराजने के लिए ही बैठे हैं, बिराजेंगे लेकिन मेरे क्षेत्र का मामला है इसलिए मैं बता रही हूं कि साल में दो बार मेला लगता है।

श्री जनार्दन गहलोत : क्योंकि यह हमारे क्षेत्र का मामला है।

श्री सभापति : आपका नम्बर आएगा तब आप बोल लेना। अभी गहलोत साहब का समय है।

श्री जनार्दन गहलोत : बात हमारी और आपकी एक ही है।

श्री सभापति : दोनों साथ थोड़े ही बोलेंगे। उसको फिर आप यील्ड कर रहे हैं उनको टाइम दे रहे हैं?

श्रीमती कमला बृजलाल : वह कैलादेवी के मेले की बात थी। बोलने दें उनको।

श्री सभापति : मैं मंत्री महोदय, यह निवेदन कर रहा था कि बीच-बीच में माननीय सदस्यों की बात का उत्तर नहीं देकर जब आपको समय मिलेगा उत्तर देने का, उस समय इनके सबके उत्तर आप देने की कृपा करें तब माननीय सदस्यों को संतोष भी होगा और एक अच्छी परम्परा कायम होगी। बीच में ही आप बोलना शुरू कर देंगे तो काफी टाइम निकल जाएगा और उस समय व्यवस्था में थोड़ा व्यवधान पैदा हो जाएगा।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय सभापति महोदय, मैं तो पूर्ण रूप से सहमत हो गया हूं क्योंकि मंत्रीजी के बीच में बोलने से यह लग गया कि मेरी बात उन्होंने समझ ली और मेरी बात उन तक पहुंच गई। ये नहीं थे तो मुझे चिन्ता थी। अब चूंकि उन्होंने सुन लिया है इसलिए मेरी तो अब आगे बोलने की कोई अभिलाषा नहीं है। मैं मेरी बात यहीं समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी बात कहां नहीं पहुंचती है, सब जगह पहुंचती है। माननीय श्री लोढ़ा जी।

(14.00 बजे)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, मैं सहकारिता और सार्वजनिक निर्माण विभाग दोनों ही मांगों पर अपने संक्षेप में विचार रखने की अनुमति चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने और माननीय वित्त मंत्रीजी ने इस वर्ष के बजट में सार्वजनिक निर्माण के लिए 67 फीसदी अधिक बजट

(श्री संयम लोढ़ा)

राशि का प्रावधान किया है, मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रावधान से राजस्थान के मार्गों की दशा सुधारने में बहुत बड़ी मदद मिल सकेगी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि 600 करोड़ रुपये की योजना मंत्रिमण्डल की बैठक में लिये गये एक निर्णय के माध्यम से प्रस्तावित की गयी, आज करीब तीन महीने हो चुके हैं, उस निर्णय को लिये हुए लेकिन हमें कहीं भी यह दृष्टिगोचर नहीं होता कि इन तीन महीने में इस योजना को अमली जामा पहनाने की दिशा में क्या कार्य किया गया। वह योजना शुरू नहीं हो पाई अभी तक। जो प्रस्तावित किया गया है उसके अनुरूप फण्ड की पूरी व्यवस्था नहीं की गई। मई का महीना आज आ चुका और बरसात जून के महीने तक आ जाएगी तो फिर दो-तीन महीने की गई। तो जो राजस्थान की केबिनेट ने फैसला किया था उसके मुताबिक त्वरित गति से इस योजना का कार्य शुरू किये जाने के प्रयास होने चाहिए थे वे हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रहे।

इसके अलावा मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन हालात में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को पूर्व की सरकार से बागडोर प्राप्त हुई, शुरू के दो वर्षों में सड़क के लिहाज से बहुत काम नहीं किये जा सके, लेकिन इस वर्ष यह 600 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तावित की गई है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना में जो सुदृढ़ीकरण और सड़क नवीनीकरण के कार्य का उल्लेख किया गया है, देश को आजाद हुए 52 साल हो गये और इन 52 सालों बाद आज भी बहुत-सा इलाका ऐसा है जहां जाने के न्यूनतम साधन भी उपलब्ध नहीं हैं। आज भी हमारे क्षेत्र के आदिवासी इलाके में जो शिवगंज तहसील से लगता हुआ क्षेत्र है, कोई महिला बीमार हो जाती है तो अस्पताल लाने के लिए उसको खाट पर डाल कर लाना पड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो 600 करोड़ की योजना प्रस्तावित की गई है, बेशक आप इससे सुदृढ़ीकरण के काम करें, बेशक आप इसमें सड़क नवीनीकरण के काम करें लेकिन नई सड़कों के निर्माण का भी कुछ प्रावधान इस 600 करोड़ की योजना में होना चाहिए जिससे जो आशाएं और आकांक्षाएं लोगों ने लगाई हैं, जो 52 वर्षों से इस बुनियादी सुविधा से महरूम हैं उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। माननीय सभापति महोदय, आपने 600 करोड़ की योजना प्रस्तावित की है लेकिन यह तय नहीं किया है कि इसमें किस वर्ष

(श्री संयम लोढ़ा)

तक निर्मित हुई सड़कों का आप नवीनीकरण करेंगे। इसमें जो प्रस्ताव प्रेषित किये जा रहे हैं, 1995 तक की सड़कें भी आ रही हैं, 1998 तक की सड़कें भी आ रही है, 1990 तक की सड़कें भी आ रही हैं, 1988 तक की सड़कें भी आ रही हैं। आपको यह तय करना पड़ेगा कि आप किस वर्ष को आधार मान कर सड़कों का नवीनीकरण करेंगे। जिन लोगों ने एक उम्मीद के साथ आपको सत्ता में भेजा है, उनकी बुनियादी सुविधा पूरी करने के लिए भी उसमें से कुछ पैसा खर्च करें।

माननीय सभापति महोदय, हाल ही में सार्वजनिक निर्माण विभाग का पुनर्गठन भी किया गया है। कई पद समाप्त कर दिये गये हैं, कई पद शिफ्ट किये गये हैं। इसका क्या आधार बनाया गया है, यह मुझे व्यवहार में काम करते हुए समझ में नहीं आता। माननीय सभापति महोदय, मेरी शिवगंज तहसील के जितने भी गांव हैं उनमें पहले दो कनिष्ठ अभियन्ता काम देखा करते थे। आज पूरी तहसील पर एक कनिष्ठ अभियन्ता रखा है और दूसरा पद या तो शिफ्ट कर दिया गया है या समाप्त कर दिया गया है। इस सरकार के आने के बाद लगातार तीसरा साल अकाल का है- लेकिन सिरोही जिले में पिछले साल और उससे पिछले साल अकाल राहत के कार्यों में न तो कोई अनियमितता पाई गई, न कोई मुकदमा हुआ, लेकिन विभाग ने यह जो दुर्भाग्यपूर्ण फैसला किया कनिष्ठ अभियन्ता को कम करने का, उसका नतीजा आज यह है कि अकाल राहत कार्यों में अनियमितताओं के पांच मुकदमे सिरोही जिले में दर्ज हो चुके हैं। व्यवहार में आप उन सड़कों को न तो लुक आफ्टर कर सकते हैं कि काम किस गुणवत्ता से हो रहा है, न आप यह देख सकते हैं कि जो श्रमिक काम कर रहे हैं वे जितनी तादाद में लगे हुए हैं उतने कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दूसरी तरफ, सभापति महोदय, जालौर सिरोही में पहले अधीक्षण अभियन्ता का पद नहीं था एसई. का एक पद शिफ्ट करके जालौर में लगाया गया। आप उच्च पद तो बढ़ा रहे हैं और निचले स्तर पर आप पदों की कमी कर रहे हैं जिससे कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।

सभापति महोदय, मैं आज इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत अच्छा होता कि जब अकाल राहत के कार्य शुरू करने की बात थी तो सारे विभाग के अधिकारियों को बुला कर यह बात कही जाती कि हम चूंकि नई सड़कों के काम लेने की स्थिति में नहीं हैं, हम खाली रिपेयरिंग के वर्क्स कर रहे हैं और अकाल राहत के अन्दर आपको जो बजट दिया गया है, ज़िले को इकाई मानकर 25 फीसदी आप मैटीरियल कम्पोनेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो हर जिले में इस

(श्री संयम लोढ़ा)

तरीके के प्रस्ताव बनवाते कि 25 फीसदी मैटीरियल कम्पोनेंट से जिले के आधार पर कोई एक बड़ी सड़क ली जाती और हर जिले में दो-दो, चार-चार स्थाई महत्व के काम शुरू किये जाते। माननीय सभापति महोदय, साढ़े तीन महीने हो रहे हैं हमको प्रयास करते हुए कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिट मानकर कोई रपट निर्माण ले लीजिए, कोई सड़क निर्माण ले लीजिये, पर बहुत अफसोस की स्थिति है, सभापति महोदय, कि हमारे जिले में एक भी स्थाई महत्व का कार्य इस विभाग के माध्यम से नहीं लिया गया। तो मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि निचले स्तर पर जो भी कमी महसूस की जा रही है उस कमी पर माननीय मंत्री महोदय गौर करें और आपके विभाग के कर्मचारी और अधिकारी सही स्थिति में काम कर सकें, यह वापस निचले स्तर पर परिस्थिति पैदा करें।

अब बी.ओ.टी. के काम के संबंध में, मैं निवेदन करना चाहता हूं। मेरे वहां भी एक बी.ओ.टी. का काम सैंक्शन किया गया है सिरोही से मंडार तक का। सात करोड़ रुपये का वह काम है और उसमें नोडल आफिसर बनाया गया है जालौर के अधीक्षण अभियन्ता को। सभापति महोदय, सिरोही जिले का कोई अधिकारी उसका सुपरविजन नहीं कर सकता, न कोई जाता है। आज स्थिति यह है कि वहां घटिया क्वालिटी का काम हो रहा है। गुणवत्ता के लिहाज से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारी हरामखोरी उस कार्य में हो रही है। मैंने इस संबंध में निवेदन भी किया है और माननीय यातायात मंत्री खुद भी जाकर आये और उन्होंने भी इस बात को देखा कि किस घटिया क्वालिटी का काम वहां पर हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के जो लोकल आफिसर हैं उनको सुपरविजन और आब्जर्वेशन में लगाया जाए जिससे अच्छी गुणवत्ता और अच्छी क्वालिटी का काम हो सके।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं सहकारिता के संबंध में दो-चार बातें निवेदन करना चाहता हूं। जो सहकारिता आन्दोलन महाराष्ट्र और गुजरात जैसे प्रान्तों में गरीब लोगों के उन्नयन का आधार बना, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का आधार बना और उन प्रदेशों की तरक्की और खुशहाली का माध्यम बना, पर मुझे बेहद अफसोस के साथ निवेदन करना पड़ता है कि राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन उस स्थिति को नहीं छू सका। राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन माफिया के ऐसे चंगुल में फंसा हुआ है कि वह लोगों की भलाई, उनके उत्थान और कल्याण में सहयोगी बनने की बजाय एक-के-बाद-एक घोटालों का जन्मदाता दिखता है। पिछले दो सालों में आपने भी अनुभव किया होगा, इस सदन में भी हम लोगों ने देखा और सदन के बाहर भी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एक के

(श्री संयम लोढ़ा)

बाद एक कड़ियां जुड़ती हुई चली जा रही हैं और किस तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण इसमें प्राप्त होता रहता है। सभापति महोदय, मैं कुछ व्यावहारिक सुझाव आपके माध्यम से देना चाहता हूं। आज जो केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं राजस्थान के, उनकी जमा राशि है 2050.46 करोड़ रुपये और इस बैंकों ने ऋण दिया है 919.13 करोड़ रुपये। तो आप अंदाज़ा लगाइये कि एक हजार करोड़ रुपये इन सहकारी बैंकों के पास पड़े हुए हैं राजस्थान की जनता के। इसमें एस.एल.आर. के अन्तर्गत 28 प्रतिशत जो उन्हें दूसरी बैंकों में जमा करवाना होता है वह छोड़ भी दें तो 800 करोड़ रुपये इनके पास ऐसे पड़े हैं जो इन्होंने दूसरी बैंकों में जमा करवा रखे हैं। माननीय सभापति महोदय, उससे उनको ब्याज मिलता है दस प्रतिशत और इस साल तो वह ब्याज भी घट कर साढ़े आठ प्रतिशत, आठ प्रतिशत हो जाएगा। दूसरी तरफ ये जो फसली ऋण देते हैं सहकारी बैंक वाले, उसकी इन्टरेस्ट रेट है 16 प्रतिशत। साढ़े बारह प्रतिशत हिस्सा राशि है जिसका किसान को कोई डिविडेंड नहीं दिया जाता। अगर आप वह मिला दें तो इन्टरेस्ट रेट होती है 18 प्रतिशत। इसके विपरीत हमारे जो वाणिज्यिक बैंक हैं वे 12 प्रतिशत पर फसली ऋण देते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के गरीबों का एक हजार करोड़ रुपया आपके पास पड़ा हुआ है। जो आपने दूसरे बैंकों में जमा करा रखा है। दूसरे बैंक उसको प्रदेश के बाहर दूसरे इलाकों के विकास में खर्च करते हैं। हमारी तो लोकप्रिय सरकार है, संवेदनशील सरकार है, पारदर्शी नेतृत्व हमारी सरकार दे रही है तो फिर क्यों नहीं आप इस एक हजार करोड़ रुपये को राजस्थान के गरीब लोगों को कम ब्याज दर पर उपलब्ध करा दें? मैं आपके माध्यम से यही अर्ज करना चाहता हूं कि इस राशि का हमारे माननीय मंत्री महोदय सदुपयोग करने के संबंध में विचार करेंगे।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, अभी आपने और हम सबने अखबार में पढ़ा अहमदाबाद की एक बैंक माधवपुरा मर्केंटाइल बैंक के बारे में बहुत बड़ी खबर साया हुई कि किस तरीके से उन्होंने जनता के धन का दुरुपयोग किया। बाद में जो कार्यवाही करनी पड़ी वह भी सबकी जानकारी में है। माधवपुरा जैसी घटना राजस्थान में गंगानगर के बैंक में हो चुकी है, जोधपुर में इसी तरीके से एक अरबन बैंक करोड़ों रुपये की राशि जमा करके दबा कर बैठा हुआ है। आज जनता के धन की यह उन्मुक्तता सहकारी अरबन बैंकों को दी हुई है सहकारिता विभाग ने जिसके अन्तर्गत धारा 70 के अलावा आप

(श्री संयम लोढ़ा)

किसी तरीके की जांच इस बैंकों की नहीं कर सकते। बैंक अधिकारी अगर किसी मामले में जांच के लिए जाता है तो चूंकि उनको उन्मुक्तता दी हुई है वे सीधा यही कहते हैं कि आपको जांच का अधिकार नहीं है, चलिये बाहर निकलिये। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप माधवपुरा बैंक की घटना से सबक लीजिये, गंगानगर में जो घटना हुई है उससे सबक लीजिये और आपने जो अरबन बैंकों को उन्मुक्तता दी हुई है इस पर पुनर्विचार कीजिये। राजस्थान की केबिनेट में प्रस्ताव लाकर आप इस उन्मुक्तता को समाप्त करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाइये जिससे जनता का पैसा मनमाने तरीके से लोग लूट नहीं सकें, मनमाने तरीके से उसका दुरुपयोग नहीं कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय सहकारिता मंत्रीजी को इस बात का धन्यवाद भी देना चाहता हूं और इस बात की बधाई भी देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विभाग को सम्भालने के बाद में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किये हैं।

श्री मदन दिलावर : कहीं पर्सनल इन्टरेस्ट तो नहीं है, आपका ?

श्री संयम लोढ़ा : मेरा तो आप में है, बैठ जाइये।

श्री मदन दिलावर : कहीं पर्सनल इन्टरेस्ट तो नहीं है ?

श्री संयम लोढ़ा : बोलूंगा तब मालूम पड़ जाएगा, अभी बैठ जाइये।

श्री सभापति : प्लीज विघ्न नहीं डालिये। बोलिये।

श्री मदन दिलावर : मामला जुड़ा हुआ है।

श्री सभापति : व्यवधान नहीं।

श्री संयम लोढ़ा : "सहकार आपके द्वार" जो अभियान राजस्थान में सहकारिता विभाग ने चलाया है, मैं समझता हूं लम्बे समय के बाद निचले स्तर पर ठप्प हुई व्यवस्था को जाग्रत करने का प्रयास इसके माध्यम से हुआ है। हजारों की तादाद में नये सदस्य इसके माध्यम से बनाये गये। महिलाएं जो अब तक बहुत पिछड़ी स्थिति में थीं, और सहकारिता आन्दोलन से बहुत कम संख्या में जुड़ी हुई थीं, इस अभियान के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाओं को जुड़ने का अवसर मिला। पूरे प्रदेश में एक बार वापस सहकारिता आन्दोलन के प्रति चर्चा हुई और जागरूकता का वातावरण बना।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन आज उन ग्राम सेवा सहकारी समितियों की ताकत और शक्ति

(श्री संयम लोढ़ा)

का जो उपयोग किया जाना चाहिए वह उपयोग नहीं किया जा रहा है। आज दो हजार के करीब तो आपकी ग्राम सेवा सहकारी समितियां बिलकुल डैड हालत में पड़ी हुई हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए इस दिशा में विचार करें। उन ग्राम सेवा सहकारी समितियों को वापस सक्रिय करने की दिशा में सोचे और व्यवस्थापकों को वेतन दिया जा सके इस बारे में चिन्तन करें। आने वाली पीढ़ियों की भी ख्वाहिश है। हम लोग 21वीं सदी में बैठे हुए हैं और हमारे स्वर्गीय नेता श्री राजीव गांधी का सपना था। 21वीं सदी से उनका मतलब यह था कि हम नयी हवा लोगों को दें, एक नये तरीके का शासन लोगों को दें। लेकिन अगर इसी सडांध के साथ काम करते रहे, इसी तरीके से दुर्गत व्यवस्था के साथ काम करते रहे तो हम हमारे नेता का अधूरा सपना कभी पूरा नहीं कर सकेंगे।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता आन्दोलन को लोगों के हित में प्रभावी बनाने के लिए इसकी चुनाव प्रणाली पर भी आप नयी दृष्टि से विचार करें जिससे नया नेतृत्व इस सहकारिता आन्दोलन और सहकारी संस्थाओं में आ सके। समय से पहले जो माफिया ने तरह-तरह से अलग-अलग जिलों में कब्जा कर रखा है उस माफिया से सहकारिता आन्दोलन को मुक्त कराने की मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : सम्माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 36-सहकारिता, 19-लोक निर्माण कार्य और मांग संख्या 21-सड़क और पुल के विषय में चर्चा हो रही है। मैं सबसे पहले, माननीय सभापति महोदय, सहकारिता के बारे में अपने विचार रखूंगा।

जिस समय राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ था, गांवों में बड़ी चर्चा चली और चर्चा के साथ हजारों आदमी सहकारिता आन्दोलन के साथ ग्राम सेवा सहकारी समिति बना कर जुड़े। जुड़ने के साथ किसानों के अपने कृषि कार्य, खाद, बीज और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ कई प्रकार के विकास के काम भी होने लगे। लेकिन जिस मूल उद्देश्य को लेकर यह सहकारिता अभियान देश के अन्य राज्यों में भी चलाया गया, हमारे प्रान्त में भी चलाया गया, उसकी आशाएं धीरे-धीरे धूमिल होने लगीं। मुझे जहां तक जानकारी है, सन् 1975 तक यह अभियान राज्य के गांवों में बहुत ही सफल तरीके से चलता रहा। लोगों का इसके प्रति आकर्षण पैदा हुआ

(श्री हीरासिंह चौहान)

और लोग इससे लाभान्वित होने लगे। लेकिन धीरे-धीरे व्यवस्था में इतनी जबरदस्त शिथिलता आ गयी कि सहकारिता विभाग से जुड़े हुए अधिकारी, इंस्पेक्टर, व्यवस्थापक, इन्होंने कई प्रकार के दोष इस आन्दोलन में पैदा कर दिये। राज्य सरकार भी इस आन्दोलन को असफल करने में पीछे नहीं रही। स्थिति यह हो गयी है कि पिछले 8 सालों से इन संस्थाओं के चुनाव नहीं हो रहे हैं। जो कुछ भी चुनाव कराये जा रहे हैं, आज कोई भी ईमानदार व्यक्ति इस संस्था के चुनाव में भाग नहीं लेता क्योंकि जो भी निरीक्षक इसके चुनाव कराने जाते हैं वे अपने हिसाब से चुनाव कराते हैं। इसके कारण, माननीय मंत्रीजी, कोई अच्छा आदमी रूचि नहीं लेता है क्योंकि कोई निश्चितता नहीं है। अनिश्चितता होने के कारण से क्या मालूम उसका फार्म रिजैक्ट हो जाएगा, क्या मालूम क्या हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो मेरी 'मांग है माननीय मंत्रीजी से, सभापतिजी, आपके माध्यम से कि इसके चुनाव हों जिस प्रकार पंचायती राज के चुनाव होते हैं। आपने सोचा होगा, कभी विचार भी किया होगा, काफी दिनों से आप इस विषय में गम्भीरता से विचार भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि पंचायती राज की तरह लोगों की आर्थिक स्थिति को, किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यह एक बहुत ही सफल प्रयोग है। इसके चुनाव की प्रणाली को आप सुदृढ़ करें। जिस प्रकार पंचायती राज के चुनाव अन्य अधिकारियों के मार्फत या जिला कलक्टर के मार्फत या अन्य व्यवस्था के द्वारा कराये जाते हैं। उसी प्रकार इसके चुनाव भी सुनिश्चित करें।

इसके साथ-साथ, माननीय मंत्रीजी, आपसे एक निवेदन और है, इन सहकारी समितियों के चुनाव में कौन मतदाता है, कम से कम एक महीने, डेढ़ महीने पहले जो भी आपकी कार्यावधि है उसमें इनके मतदाताओं की सूची का प्रकाशन होना बहुत जरूरी है जिससे यह निश्चितता हो सके कि कौन-कौन डिफाल्टर है। फार्म भरने जाते हैं तो कहते हैं कि आप डिफाल्टर हैं, फार्म नहीं भर सकते। यह स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। इसलिए आवश्यकता है कि आप इसकी वोटर लिस्ट का कोई समयावधि निर्धारित कर पब्लिकेशन करें बाकायदा ग्राम पंचायत में सहकारी समिति का जहां पर कार्यालय होता है वहां पर इसका प्रकाशन कर लिया जाए जिससे इस चुनाव में भाग लेने वाला आदमी वह अपने-आप में निश्चित कर सके कि इस चुनाव को मैं लड़ूंगा, इस चुनाव में मेरा नाम है और अकारण से मेरा नामीनेशन फार्म खारिज नहीं होगा।

(श्री हीरासिंह चौहान)

इस विषय में तो मेरा यही निवेदन है कि इस मामले को आप ठीक ढंग से देखें।

माननीय सभापति महोदय, किसानों ने खाद लिया, बीज लिया और अब उसका रिकार्ड 10-10, 15-15 साल से कहीं उपलब्ध हो नहीं रहा। आपके ग्राम सेवक या सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को वितरण करना था, वितरण में नाम लिख दिया। अब उसकी वसूली नहीं हो रही है। इस प्रकार के हम बहुत सारे कर्जे माफ कर रहे हैं और बहुत सारे कर्जे माफ किये हैं, हिम्मत कीजिये, सहकारिता मंत्रीजी। इस प्रकार के वाहियात कर्ज किसानों के ऊपर चल रहे हैं खाद, बीज के काफी लम्बे समय से। ऋण तो सौ रुपये का था, अब सौ रुपये के बदले किसी में 5 हजार बकाया निकल रहा है ब्याज पर ब्याज चढ़ करके। किसी ने 5000 रुपये लिये और 25000 रुपये निकाल लिये। यह किसानों पर बिना मतलब का कर्जा है। वह आपका किसान है जो राज्य को उत्पादन देता है, अन्न पैदा करता है। अत्यन्त कठिन और विपरीत परिस्थितियों में वह अपने आपको रखकर सरकार पर भार नहीं बनना चाहिए। ऐसे किसानों का अगर कर्जा माफ कर दिया जाता है तो मेरी समझ में किसानों में भी खुशहाली आएगी और इसके साथ आपके शासन का भी प्रभाव पड़ेगा। माननीय खेतसिंहजी सहकारिता मंत्री थे, इन्होंने इसके बारे में काग्नीजेंस लेकर इस काम को पूरा किया।

माननीय सभापतिजी, एक तो अल्प-कालीक ऋण होता है, एक मध्यमकालिक ऋण होता है और एक दीर्घकालिक ऋण होता है। पिछले तीन साल से राज्य में अकाल है, अकाल होने के बावजूद भी, माननीय मंत्रीजी, आपने सहकारिता के ऋण की वसूली माफ नहीं की है, रोकी नहीं है। अकाल संहिता का एक प्रावधान बना हुआ है कि जब-जब राज्य सरकार अकाल घोषित करती है इस प्रकार के मिड टर्म और लोंग टर्म ऋण चूंकि लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है इसलिए साल के लिए पोस्टपोन कर दिये जाते हैं। इस प्रकार के ऋण आपको भी पोस्टपोन करने चाहिये। कोई भी किसान इस सहकारिता आन्दोलन के तहत ऋण के लिए फार्म भरने के लिए तैयार नहीं है। सारी व्यवस्था बिगड़ गई है। इसलिए आप पुनः इस पर विचार करके इस सारी व्यवस्था को देखें ताकि कम से कम लोगों में यह विश्वास जाग्रत हो सकें कि अमुक प्रकार का ऋण हमको अमुक अवधि के लिए मिल जाएगा। इस पर भी आपको चिन्ता करने की बहुत जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, सहकारिता का जो मूल उद्देश्य था उससे तो यह सारा तंत्र भटक गया है। क्षेत्र में काश्तकारों की कृषि उपज की खरीद की और इसके रहन रखने की व्यवस्था जो आपने की, लेकिन राज्य में न तो आप खरीद की व्यवस्था मार्केटिंग के मार्फत कर रहे हैं और न आप

(श्री हीरासिंह चौहान)

कोई गोदाम बना रहे हैं। किसान की फसल का मार्केट में उचित मूल्य नहीं मिलता है। कुछ जगह पर की होगी हमारे रायपुर में इस प्रकार की व्यवस्था थी, मार्केटिंग संस्था अच्छी चलती थी। पाली जिले में रायपुर मार्केटिंग सबसे सुपीरियर चलती थी, उसकी बहुत बड़ी साख थी लेकिन पिछले 10 साल में ऐसे लोगों के हाथ में व्यवस्था हो गई जिसकी बार-बार हमने शिकायत भी की। शिकायत करने के बावजूद वहां भी व्यवस्था चरमरा गई है। आज भी स्थिति यह है, मुझे कहना नहीं चाहिये, सी.डी. देओल साहब इस पर हावी हुए और हावी होकर जितनी भी राशि थी सबका हेर-फेर कर दिया, सारा ही घोटाला कर दिया। एक विकास अधिकारी, मदन जिसको हमने कृष्ण मुंह करके निकाला। केरोसीन के बारे में पिछले दिनों खाद्य मंत्रीजी ने जवाब दिया था, रायपुर की मार्केटिंग का केरोसीन नोखा में जाकर पकड़ा गया। पूरी की पूरी गाड़ी पकड़ी गई लेकिन आज तक भी उसकी कोई कार्यवाही आपके विभाग से या खाद्य विभाग से नहीं हुई है। इससे लोगों का विश्वास उठ जाता है कि किस प्रकार से आप इन संस्थाओं को चला रहे हैं। भूमि विकास बैंक द्वारा पहले गांवों में कुआं खोदने, अमीन को समतल करने हेतु ऋण देने की व्यवस्था थी, वह भी सारी व्यवस्था चरमरा गई है। सबसे बड़ी बात जो अभी कई माननीय सदस्य कहेंगे, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि सारा ही घोटाला हो रखा है। सहकारिता के लाखों करोड़ों रुपये धनराशि का घोटाला हो रखा है। इनकी वसूली के लिए भी कोई मापदण्ड तय कीजिए। किस-किस जगह कितना घोटाला आपके सहकारिता के किन अधिकारियों ने किया है आपको उसकी वसूली की भी माकूल व्यवस्था करनी चाहिये। अगर जवाबदेह सरकार है तो आपको इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए अपने पर जिम्मेदारी लेनी चाहिये। आपका बहुत लम्बा अनुभव है, लम्बे समय से आप मंत्रिमण्डल में रहे हैं, सभी प्रकार की कार्यवाहियों को आप जानते हैं लेकिन जानते हुए भी कहीं-कहीं आपको रुकावट आती है, इस रुकावट को रोकिए, बंद कीजिए और थोड़ा दिल को मजबूत कीजिए। यह हमारा पैसा है, राज्य का पैसा है, राज्य के पैसे का अमुक आदमी इस प्रकार से आनन्द लूट रहे हैं और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, उसकी वसूली भी नहीं कर पा रहे हैं। माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, मेरा आपसे सहकारिता के विषय में अंत में निवेदन है कि पिछले दो साल से आप चुनावों को टाल रहे हैं। आपने कहा कि अक्टूबर में चुनाव करा लेंगे। माननीय सभापतिजी, इसी विषय में सब्जैक्ट से थोड़ा दूर जाकर कहना चाहूंगा। राज्य में कृषि उपज मण्डियों का 1974 में पहली बार चुनाव हुआ उसके बाद आज दिन तक मण्डियों का चुनाव नहीं हुआ। आपके सारे प्रशासक आ गये। इन प्रशासकों से ही आप राज चलाना चाहते हो तो फिर चुनाव

(श्री हीरासिंह चौहान)

प्रणाली, एक्ट और अधिनियम जो विधान सभा में पास किये गये, उनकी क्या कीमत और क्या वैल्यू रह जाएगी? अंत में मेरा आपसे यही निवेदन है कि सारी व्यवस्था को सुनिश्चित कर इस कार्यक्रम को ठीक स्वरूप दें ताकि लोगों में विश्वास जाग्रत हो सके, सहकारिता चुनाव में लोग भाग ले सकें। अच्छे अधिकारियों को लगा कर चुनाव सुनिश्चित करें और जो-जो इसमें कमियां आ गई हैं उनको दूर करें। लोगों का जो विश्वास उठ गया है उसको वापस लाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले ढाई सालों से सड़कों का रख-रखाव नहीं हो रहा है। (व्यवधान) 8 साल से मैं नहीं कहूंगा। 8 साल में माननीय ललित किशोर चतुर्वेदीजी ने एक रिकार्ड कायम किया था। आप हिन्दुस्तान में कहीं चले जाइए, उन्होंने इतनी ज्यादा सड़कों का निर्माण किया, इतना अच्छा रख-रखाव किया कि उसको भूल नहीं सकते। आपको भी उस आदमी का सम्मान करना चाहिये। पिछले ढाई साल से हो सकता है इनको वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं हुए हों, इनकी कोई कमजोरी नहीं है लेकिन अब आपने 6600 और कुछ करोड़ रुपये की राशि सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए निश्चित की है। पिछले दिनों मुझे पुष्कर जाना था, पुष्कर का रास्ता सामान्यतः अजमेर हाई-वे है। अच्छा नेशनल हाई-वे है, उससे जाना चाहिये, लेकिन मेरे कुछ साथियों ने कहा कि पीसांगन होकर पुष्कर चले जाएं। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि जो रास्ता एक घंटे का था, ढाई घंटे में मैं पुष्कर पहुंचा। पुष्कर एक धार्मिक स्थान है, 20-30 किलोमीटर की उसकी लम्बाई कम पड़ती है। रास्ता इतना ऊबड़-खाबड़ था जिसकी सीमा नहीं। उसमें आदमी चल नहीं सकता, आदमी क्या वाहन तक नहीं चल सकता। ऐसे जो महत्वपूर्ण रास्ते हैं उन रास्तों की मरम्मत के लिए आप पुनः सर्वे करवाइए और सर्वे करवा कर इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि यहां रास्ते ठीक होने चाहिये।

माननीय सभापतिजी, पिछले दो साल से अकाल है। आपने प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत एक हजार की आबादी वाले गांव और ग्राम पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने की एक नीति बनायी और उसमें मैं सोचता हूं कि शत-प्रतिशत तो नहीं 90-95 प्रतिशत तक हम पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री योजना के अनुसार भी काफी सड़कों की स्वीकृति आई है। यह भी एक सुखद विषय है। दो महत्वपूर्ण ग्राम पंचायतें हैं जो दो महत्वपूर्ण राज मार्गों को जोड़ने वाली हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाले रास्ते हैं, उनमें कुछ मिसिंग रोड हैं—कहीं दो किलोमीटर है, कहीं तीन किलोमीटर है, कहीं चार किलोमीटर है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कानूजा से आसन जिलेलाव केवल 9 किलोमीटर है, नेशनल हाई-वे नम्बर 8 और 14 को जोड़ता है,

(श्री हीरासिंह चौहान)

लेकिन वह मिसिंग रोड है। उसमें एक पुलिया पड़ती है, खातकी करके एक नदी है उस पर, उस पुलिया का भी निर्माण होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार कलालिया आसन से लेकर जस्साखेड़ा तक 25 किलोमीटर की डामर रोड है और उसके बीच केवल 4 किलोमीटर मिसिंग है। हम कोशिश करते है, हमारे पास जो राशि है हम भी उन सड़कों को बनाने के लिए उसमें से राशि देते हैं लेकिन इस प्रकार की मिसिंग रोड महत्वूपर्ण रास्तों के बीच में रह जाती है।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य, अभी आपने कहा कि माननीय ललित किशोर चतुर्वेदीजी ने हिस्दुस्तान में एक रिकार्ड कायम किया, उस वक्त आपके जेहन में यह बात नहीं उपजी कि इस मिसिंग लिंक्स को ठीक करवाना है? तब आप कहां सोये हुए थे?

श्री हीरासिंह चौहान : हम सोते नहीं थे। उस समय जो नीति थी उसमें 1000 की आबादी वाले गांव और ग्राम पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने वाली नीति थी, वे अब जुड़ चुके हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, वह बात यह पहले कह गये और आप बहुत लेट हो गये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय राजेन्द्रजी, + + + ढाई साल में आपने, आपने कुछ किया नहीं है। 0/0 है तो + + +

श्री सभापति : आप विराजिए। आप किस हैसियत से बोल रहे हैं? आप कुछ मर्यादा रखें।

श्री हीरासिंह चौहान : इस प्रकार के उस समय काम हुए थे। उस समय राज्य की बहुत सारी ग्राम पंचायतें, मैं कह सकता हूं 30 परसेंट ग्राम पंचायत मुख्यालय नहीं जुड़े थे और कम से कम 75 परसेंट 1000 की आबादी वाले गांव नहीं जुड़े थे, उनको जोड़ने का एक महत्वपूर्ण काम किया गया था। उस समय यह काम नहीं हो सकता था। ये जो सड़क मार्ग रह गये हैं वे नीति में नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण सड़क मार्ग हैं इनका आप एक-एक कर सर्वे करवाइए और सर्वे करवा कर इनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। आजादी के 55 साल बाद भी हम ग्रामीण जनता को रास्ता नहीं दे सकते। वे अपना व्यक्तिगत विकास तो किसी प्रकार से करते हैं लेकिन सरकार से जो सुविधा मिलनी चाहिए, सरकार को जो काम करना चाहिए, वह काम नहीं होता तो सरकार की कार्य प्रणाली का प्रश्न चिन्ह लगता है। इसीलिए इस प्रकार के सड़क मार्गों को ठीक करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

इसी प्रकार पुलियाओं का मामला है। हमारे यहां चंडावल नगर से खौड़िया तक एक करोड़ रुपये लगाकर 1997-98 में चालिस किलोमीटर का रास्ता बनाया गया।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हीरासिंह चौहान)

दो नदियां पड़ती है, एक पर पुलिया बन गयी। पुलिया का डिजाइन भी पता नहीं कैसा बनाया। होना चाहिए था रायराकल्ला के पास, रायराकल्ला की नदी गहरी थी लेकिन उसके डिजाइन को ट्रांसफर करके मुंडावा ले गये मुंडावा ले जाकर आपके ब्रिज कारपोरेशन ने पुलिया बना दी। अब पुलिया तो बना दी लेकिन पुलिया की आधा किलोमीटर की लम्बाई, माननीय सभापति महोदय, आज भी उस पर डामर नहीं हुआ, कंकरीट वैसे की वैसे ही है। हमने कल ही इसके विषय में जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि कम से कम 800 रुपये लगते हैं। ब्रिज कारपोरेशन उस राशि को नहीं दे रहा है और ठेकेदार कहते हैं कि मेरे बिल का भुगतान भी नहीं हो रहा है। उसके आइटम में नहीं था। मुंडावा के पास चंडावल रोड से लेकर कोडिया रोड जो बनी उसका यह जो आइटम था, पुलिया आपने बना दी, लेकिन डामर का आइटम नहीं होने के कारण से आज भी वह नहीं बनी। मैंने विधान सभा में सवाल भी किया था और सवाल करने के साथ-साथ हमारी एक समिति है याचिका समिति... (व्यवधान) आप मिला दो, थोड़ा सहयोग आप कर दीजिए।

श्री सभापति : आप बोलिए, आपने आज इसके ऊपर कटौती प्रस्ताव दिया है क्या?

श्री हीरासिंह चौहान : हां, सारे दे रखे हैं। हां, मैंने कटौती प्रस्ताव सारे दे रखे हैं और प्रस्ताव के अनुसार ही बोल रहा हूं।

श्री सभापति : नहीं, आप वैसे भी बोल सकते हैं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : हां, हां।

श्री सभापति : कटौती प्रस्ताव का आज आपको पूरा जवाब देंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : हां, कटौती प्रस्ताव भी दे रखें हैं और मैं अपनी बात भी कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिना कटौती प्रस्ताव के भी आप कह सकते हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : सभापतिजी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि चंडावल नगर से खोड़िया तक 30-35 किलोमीटर की लम्बी सड़क है, लेकिन दूसरी केवल बरसाती नदी है जिसके कारण से सारा रास्ता रुक गया। वह बरसाती नदी भी कम से कम 20 फीट गहरी है। 20 फीट गहरी होने के कारण से नदी में पूरा भराव हो जाता है पानी का और चार महीने तक रास्ता अवरूद्ध हो जाता है। उस पहाड़ी एरिया में जाने का एक मात्र रास्ता यह है। पहले उसी नदी की यह पुलिया थी, लेकिन पता नहीं टैक्निकल रूप से उसको नहीं करके मुंडावा की गई। मुंडावा तो रास्ता चल सकता था लेकिन इस नदी का रास्ता ठीक करना बहुत जरूरी है।

इसी प्रकार आसन से लेकर जेसाखेड़ा तक एक नदी पड़ती है उसके ऊपर भी दो प्रकार के बांध हैं—एक बोमोदा, एक बरड़ बांध। एक करियादा बांध और है। 12 महीने में कम से कम तीन महीने तक नदी

(श्री हीरासिंह चौहान)

चलती है। बरड़ के पास बगड़ी पर पुलिया का निर्माण करना भी बहुत जरूरी है। ये कुछ जगह ही हैं, ज्यादा नहीं हैं। राज्य में बहुत सारी जगह होंगे, लेकिन मेरे जो नोटिस में आई हुई हैं वे यही हैं। इन पुलियाओं के ठीक प्रकार से निर्माण के बाद यातायात ठीक प्रकार से चल सकेगा और लोगों द्वारा सड़क का भी पूरा उपयोग हो सकेगा।

इसके अलावा हमारे गांवों में जो रास्ते जाते हैं, मेरे ही गांव का रास्ता जाला की चौकी से कानौजा तक का, हमने छह महीने पहले इसको बी.ओ.टी. में भेजा। वहां श्री सीमेंट की कम से कम 300 गाड़ियों की सप्लाई होती है। मैं इसके लिए सैक्रेटरी अग्रवाल साहब से भी मिला और बी.ओ.टी. में प्रस्ताव भी भेज दिया। लेकिन क्या कारण है कि आज तक बी.ओ.टी. में उस सड़क की स्वीकृति नहीं दी गयी? रास्ता कोई लम्बा नहीं है, 5-6 किलोमीटर का रास्ता है लेकिन वहां पर प्रतिदिन कम से कम 300 गाड़ियों का आना-जाना है क्योंकि श्री सीमेंट की लाइम स्टोन की सारी सप्लाई वहीं से हो रही है।

आपके पास खान महकमा है, खानों के लिए खान महकमा एक पैसा खर्च नहीं करता। हमने कई बार सवाल किया इस बारे में। उसकी तो बहुत सीधी इनकम होती है तो उनको भी अपने साथ जोड़िए। जहां-जहां आपकी माइनिंग चल रही है, वे सड़कें बहुत ज्यादा तोड़ते हैं। हजारों की संख्या में सड़क बनाते हैं लेकिन टूट कर खतम हो जाती है। इसलिए उनको भी जोड़ कर उन कामों को पूरा कीजिए।

लोक निर्माण के काम में, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, काम का ठेका हो जाता है, ठेका होने के बाद कहीं पर तीन, कहीं पर चार, कहीं पर छह महीने की अवधि पार हो जाती है लेकिन ठेकेदार अपना काम पूरा नहीं करता। फिर आप रिटेण्डर करते हैं और जिस काम को छह महीने में पूरा होना चाहिए वह काम दो-दो साल तक पूरा नहीं होता। इस प्रकार के कुछ ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट कीजिए, ब्लैक लिस्ट करके उनको आउट कीजिए। इसे आप स्पेशल नोट कीजिए।

हमारे यहां एक मास्टर रामसिंह है टीचर थर्ड ग्रेड का। वह पिछले पांच साल से ठेकेदारी का काम कर रहा है। हमने जिला कलक्टर को भी इसकी शिकायत की कि यह एक टीचर है। या तो वह टीचर से इस्तीफा दे या ठेकेदार बन जाए। यह बहुत सीरियस जांच का विषय है कि एक टीचर पिछले पांच साल से या छह साल से आपके यहां पर ठेकेदारी का काम कर रहा है, चाहे किसी के नाम से करे। वह स्कूल में बच्चों को भी नहीं पढ़ाता है। इस प्रकार जहां भी गलत काम हो रहा है उन कामों को आप रोकने की चेष्टा कीजिए।

इसी प्रकार बिल्डिंग वर्क्स के लिए जितनी गुणवत्ता होनी चाहिए उसमें भारी कमी आई है। इसलिए बार-बार इनका निरीक्षण आपके लेवल से लेकर चीफ

(श्री हीरासिंह चौहान)

इंजीनियर लेवल तक होना चाहिये कि इस प्रकार के कामों में किस प्रकार के मैटीरियल प्रयोग में ले रहे हैं। जगह-जगह लोग शिकायत करते हैं—डामर रोड बनता है तो भी शिकायत करते हैं, भवनों का निर्माण होता है तो भी शिकायत करते हैं, यह बहुत सीरियस है। लोक निर्माण के कामों में हमारा विश्वास होना चाहिए। बहुत सारे महकमे निर्माण के सभी काम पी.डब्ल्यू.डी. को देते हैं, उसकी गुणवत्ता नहीं रह जाती है या उसका जितना स्टैण्डर्ड होना चाहिए वह मेन्टेन नहीं होता है तो लोगों का इससे विश्वास उठता है।

अंत में, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि सड़क मार्गों का सुदृढ़ीकरण करना, सड़क मार्गों की मरम्मत करना, पुलियाओं का निर्माण करना आज के समय की खास जरूरतें हैं। इतने समय तक लोगों ने इस आवाज को नहीं उठाया, लेकिन आज कल जहां-जहां जाते हैं, जगह-जगह यह आवाज आती है। आजादी के इतने वर्ष के बाद में भी हम सड़क मार्ग लोगों को नहीं दे सकते हैं तो इसके पीछे आखिर क्या राज है। अब आपने ऐसी व्यवस्था की है लेकिन इसमें, माननीय मंत्रीजी, पक्षपात मत करना, आपके शासन में पक्षपात ज्यादा होता है। मेरे शरीखा आदमी यह कहता है और मैं बहुत गम्भीरता से कह रहा हूं। आप हर काम में पक्षपात करते हो कि विधायक हमारे पक्ष के नहीं हैं, उनका काम नहीं लिया जाए, उनकी स्कूल नहीं खोली जाए, शफाखाने नहीं खोले जाएं। शासन करने वाले की नीयत साफ होनी चाहिये, शासन करने वाले की यह नीयत नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ऐसी परम्परा आपने डाली होती तो...(व्यवधान) आपके राज में यही पक्षपात होता रहा।

श्री हीरासिंह चौहान : हमारे राज में हमारे कार्यकर्ता नाराज थे, गुलाब चन्दजी कटारिया रहे। बैठे रहते थे, स्कूलों का चार्ट खोलते थे कि कहां बच्चों की संख्या अधिक है। हम सब कहते थे तो नहीं खोलते थे, चार्ट के अनुसार स्कूल खोलते थे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हीरासिंह चौहान : इसीलिए हमारे राज में ऐसा नहीं होता था।

श्री रतन लाल ताम्बी : एक भी सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं खोला विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में।

श्री हीरासिंह चौहान : बच्चों की संख्या नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : नहीं होगी, और अब खुल गए तो कैसे होगी?

श्री हीरासिंह चौहान : अब तो आप हो न। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : सर्वाधिक लड़के वहां हैं। क्रमोन्नत करने के लिए पांच लाख रुपये गरीब इलाके के लोग कहां से लाकर दें? इसलिए खुलती ही नहीं थी।

श्री हीरासिंह चौहान : पांच लाख का मामला अलग था। वह आपको कल बताएंगे पांच लाख का मामला क्या था। बार-बार पांच लाख-पांच लाख करते हो, बजट से अधिक चाहने वालों को यह सुविधा नहीं थी। It was a facility provided by the Government. इसके अलावा कुछ नहीं था। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हरचंद सिंह सिद्धू।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : सभापति महोदय, सड़क शब्द से एक बात हर आम आदमी के समझ में आ जाती है कि कच्चे से पिण्ड छूटे और पक्की किसी चीज पर चलने को मेरा मन करता है, वो ही चीज सड़क है। लेकिन आज हालात इतने विपरीत हो गए हैं कि जहां सड़कें बनी थीं उन सड़कों का नामोनिशान मिट गया और लोग मजबूर हो रहे हैं, सड़क छोड़कर कच्चे की तरफ भाग रहे हैं। उनकी मजबूरी है, सड़कों पर चल नहीं सकते। सड़कों के पूरे परिदृश्य को अगर देखेंगे तो इसके पीछे एक कारण नजर आएगा। अभी गुणवत्ता की बात कर रहे थे, जो चीज बनती है उनका स्पेसिफिकेशन पहले तय होता है लेकिन उस स्पेसिफिकेशन के ऊपर विभाग कभी स्ट्रिक्ट नहीं रहता। उसका नतीजा यह है कि जो सड़कें बनीं या भवन बने, बहुत जल्दी नेस्तनाबूद हो जाते हैं, उनका नामोनिशान मिट जाता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीलीबंगा से लेकर सूरावाली वाया लक्खासर एक 25 किलोमीटर की सड़क है जिसमें 16 किलोमीटर सड़क अगर मंत्री महोदय या उनका विभाग बता दे, साबित कर दे कि यहां सड़क का नाम है तो मैं उनका दास हो जाऊंगा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : यह तो कई जगह है, सरदार साहब।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : आप मेहरबानी करके सुन लीजिए। इसी तरीके से पीलीबंगा वाया अयालकी 25 किलोमीटर सड़क है। केवल मात्र सड़क का नाम है, लोग कच्चे में जा रहे हैं। दो मंडियों को मिलाने वाली सड़क है, कृषि उपज मण्डी समिति की "ए" क्लास मण्डी समितियां हैं, दोनों व्यापारिक केन्द्र हैं, उनकी सड़कों की यह हालत। शर्म आती है जब लोगों को कहते हैं कि हमारे विकास हो रहा है। सभापति महोदय, किसान अपनी मेहनत और मशक्कत करके अन्न उत्पादित करता है, वह मण्डी के अन्दर अपनी उपज को लाए, उसके लिए उसको रास्ता न मिले। अगर रास्ता सरकार मुहैया कराए तो भी वह ऊंटगाड़ा लेकर आता है तो उसका गाड़ा पंक्चर हो जाएगा। अगर वह ट्रेक्टर लेकर आता है, सड़क पर चलेगा तो उसका ट्रेक्टर मण्डी तक नहीं पहुंचेगा, उसके दुविधा हो जाएगी। मेहरबानी करके, मंत्री महोदय, ऐसी परस्थितियां जहां पैदा हो रही हैं उनको सुधारिये और प्रायोरिटी बेसिस पर उन सड़कों का रिनोवेशन करिये। पांच जिलों को मिलाने वाली सड़क जो श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़, सरदारशहर, रतनगढ़ होती हुई जयपुर आती है, सभापति महोदय, मुझे शर्म आती है

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

उस सड़क का नाम लेते हुए। बस में बैठकर आते हैं, पैसेंजर से अगर कमैंट्स सुनें तो जी करता है कि रास्ते में उतर जाएं। सड़क गायब। सड़क तो गायब हुई ही हुई, सड़क के अन्दर खड्डे पड़े हुए हैं। इतनी महत्वपूर्ण सड़क की यह हालत हो, और विभाग नींद ले रहा है।

अभी माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि मेरे यहां यह नहीं किया, मेरे यहां नहीं किया। बजट का अगर प्रोविजन कर दिया जाए लेकिन, मंत्री महोदय, उसका एलोकेशन सही न हो, समान दृष्टि से न हो तो निश्चत तौर से पीड़ा होगी। गत दो वर्षों के अन्दर पांच जिले ऐसे हैं जिनमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बारां भी हैं, एक पैसा नहीं लगाया। उसके दूसरी तरफ अगर नागौर की तरफ दृष्टि दौड़ाएंगे तो 12 करोड़ रुपये नागौर के अन्दर लगे। अगर इसी तरीके से भेदभाव करेंगे तो निश्चित तौर से पीड़ा होगी। ये हालात नहीं होने चाहिये।

यहां योजनाओं की बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री योजना के अन्दर सड़के स्वीकृत हुई हैं। हुई होंगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक साढ़े 9 किलोमीटर का टुकड़ा स्वीकृत हुआ था आज से दो साल पहले, मैं पूछता हूं कि क्या भारत सरकार का खजाना कम हो गया या राजस्थान एक्सचैकर के पास पैसा नहीं है? आज तक उस सड़क का नाम तक नहीं लिया गया। कोई काम नहीं हुआ। वह कागज मैं लिये फिरता हूं। शो पीस है वह। सेण्ट्रल सी.आर.एफ. में सड़कें मंजूर हुई, हम जाकर पूछते हैं विभाग से तो पता लगता है, सभापति महोदय, श्रीगंगानगर जिले और हनुमानगढ़ जिले के अन्दर 11 विधान सभा क्षेत्र हैं, लेकिन सारा का सारा + + + दो विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कर दिया गया। नौ ज़िले + + + एक इंच सड़क नहीं दी गयी।

(14.45 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

मोहम्मद माहिर आजाद : श्रीगंगानगर में तो + + + और हनुमानगढ़ में + + +

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : मैं समझा दूंगा आपको।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय सूरतगढ़ तापीय बिजलीघर इकाई की आधारशिला रखने गये। मैंने उनसे मांग की कि श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर, अनूपगढ़ से आने वाले जो लोग हैं, उनको घूमकर बहुत लम्बा रास्ता तय करना पड़ता है। मेहरबानी करके वाया पल्लू इस थर्मल प्लांट से जहां बहुत सारा कैरिज होकर सामान आना है, थर्मल वाले और पी.डब्ल्यू.डी. दोनों मिलकर अगर 35 किलोमीटर सड़क का निर्माण करवा देते हैं तो इन लोगों को जयपुर आने के लिए 35 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ेगी

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

और सरकार पर कोई ज्यादा व्यय भार नहीं आएगा। मुख्य मंत्री महोदय ने हमारी बात को माना और यह घोषणा की। आज लोग हमारे से मजाक में पूछते हैं कि उस घोषणा का क्या हुआ। मंत्री महोदय, आप हमारा लिहाज करें, न करें लेकिन मुख्य मंत्री महोदय ने जो घोषणा की उसका तो खयाल रखिये।

इसी तरीके से मेरा आपसे निवेदन है कि सड़कें टूटती क्यों हैं? दो महत्वपूर्ण सड़कें हैं, इनमें रोज ट्राफिक सैंसस आप करवाइये, उनका स्पेसिफिकेशन आप तय करवाइये और विभाग पर अंकुश लगाइये कि कहां ग्रिड की थिकनैस आठ इंच देनी है। कम्पैक्शन की उसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी है, उसके मुताबिक नहीं होता है। लीपापोती करके कमीशन के चक्कर के अन्दर इस राष्ट्रीय सम्पदा का जिस तरीके से नुकसान किया जा रहा है, इसके महान दोषी हैं। क्वालिटी तभी प्रिजर्व होगी, उसकी गुणवत्ता तभी तय होगी जब आप बहुत बारीकी से इस बात को तय करेंगे कि जो कुछ स्पेसिफिकेशन है उसके मुताबिक ही काम हो। उसकी सीधी जिम्मेदारी सबसे बड़े अधिकारी पर हो, उससे रिकवरी का प्रावधान करवाइये। वरना कितना भी पैसा आप एलोकेट करते जाइये, कितना पैसा लगाते जाइये, वह भ्रष्टाचार की बलि चढ़ता जाएगा। अब वक्त आ गया है, अगर राजस्थान को बचाना है और राजस्थान के लोगों को सुख-सुविधा देनी है तो आपको सख्त कदम उठाने होंगे, लगाम को खींचना होगा अगर ढीले-ढाले तरीके से प्रशासन चलाने वाले लोगों को छोड़ दिया गया तो सारी व्यवस्था को निगलने के दिन आ गये हैं। यह हम देख रहे हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा यदि जितने मैंने आपसे निवेदन किये हैं, आप उनको गोर फरमाएंगे और इन कमियों को चैलेंज के रूप में लेंगे कि इनको हमें दूर करना है और राजस्थान प्रदेश को बचाना है।

सभापति महोदय, सहकारिता का बड़ा सेंसिटिव मामला है और काश्तकार जगत से इतना नजदीकी से जुड़ा हुआ है कि हमारे जीवन का कोई भी क्रिया-कलाप बिना सहकारिता के नहीं चल सकता। एक वक्त आया था जब हम लोगों में भावना थी और हमने इस आन्दोलन को वह गति दी कि आर्थिक जगत के लोग विचार-विमर्श करने लग गये थे। यह आर्थिक विकास का एक बहुत मजबूत आधार बन सकता है। पर इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ, सभापति महोदय, तिलम संघ। इस क्षेत्र के अन्दर बहुत बड़ी प्रगति की है हमने, लेकिन तिलम संघ को सरकारीकरण के कारण हत्या हुई और इस फलती-फूलती हुई संस्था का आज नामोनिशान मिट गया है।

सभापति महोदय, श्रीगंगानगर का काटन काम्प्लैक्स, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि उसका क्या हुआ? क्यों दम तोड़ गया वह काटन काम्प्लैक्स? जिधर हाथ डालो उधर नतीजा क्या हुआ? अगर उसके पीछे

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

कारण ढूंढ़ने जाएंगे तो प्रशासन की एकनीति, कि जिस संस्था को खाना है, जिस संस्था को गिराना है उसके अन्दर प्रशासक लगा दो। अगर प्रशासक ही लगाना है, सहकारी आधार को खतम करना है तो फिर सरकार अपने आधार से, अपने तौर-तरीके से उन संस्थाओं को चलाए। फिर उसको सहकार का नाम नहीं दिया जाए। सहकार वहां पनपेगा जहां सरकार की दखलंदाजी नहीं होगी। जितनी सरकार उसमें दखलंदाजी देगी, सहकार डूबता जाएगा।

सभापति महोदय, मैं इस बात का पक्षधर हूं। पूरे राजस्थान के अन्दर "सहकार आपके द्वार" यह जो अभियान हमने चलाया है, इस अभियान के माध्यम से इसमें एक हरकत पैदा हुई है, नये जीवन का संचार हुआ है। उसमें गति आएगी। सभापति महोदय, सरदारशहर की क्रय-विक्रय सहकारी समिति है, कुछ दिन पहले मैं वहां गया। उस क्रय-विक्रय सहकारी समिति को पुनर्जीवित करने का लोगों ने प्रयास किया। वह अपने पैरों पर खड़ी होती, सांस लेती उससे पहले उस पर प्रशासक ठोक दिया गया। इसी तरीके से पीलीबंगा की क्रय-विक्रय सहकारी समिति जो कोटा में जीनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्री चलाया करती थी, वहां बैठे कर्मचारी उन फैक्ट्रियों का माल बेच-बेच कर खा गये। काश्तकार ने जिस उम्मीद से अपनी शेयर पूंजी लगायी थी। आज उसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। सूरतगढ़ की क्रय-विक्रय सहकारी समिति जो दाल मिल चलाया करती थी और आयल मिल चलाया करती थी, सभापति महोदय, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि उन दाल मिलों और आयल मिल्स का क्या हुआ? करोड़ों रुपये की सम्पत्ति थी, आज वहां ढेला भी नहीं है। यह हालत सरकारीकरण के कारण हुई, सरकार की दखलंदाजी के कारण हुई। सहकार को अपने को-आपरेशन की भावना से जीने दो।

मंत्री महोदय, आप बहुत संजीदा आदमी हैं। बैंकों की ऋण देने की बात हो रही थी, राजस्थान के कोने-कोने से यह मामला आज आपके पास पहुंचा है। अनपढ़ आदमी ऋण लेने जाता है तो अंगूठे ठोक लिये। पांच हजार दिया और 25 लिख लिया। ये कबाड़े आपके आंखों के सामने के हैं। आपने ही कुछ को सस्पैंड किया है। जब आपके ज्ञान में यह बात आ गयी कि इस तरह के कारनामे हो रहे हैं तो आपको सावचेत हो जाना चाहिए। आप बहुत सूझवान आदमी हैं, मंत्री महोदय, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप इन बातों पर गौर फरमाएंगे और इस सरकार को बचाने और नया जीवन देने की कोशिश करेंगे। मेरी बात आपने बहुत गौर से सुनी इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूपजी।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहूंगा। मंत्री महोदय, जिस मांग को मैं बहुत दिनों से लगातार करता चला आ रहा था, हमारे दायीं ओर जो साथी विराजमान हैं, जब इनकी सरकार थी उस समय भी मैंने यह मांग रखी थी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग का उप-खण्ड टोडाभीम में खोला जाए तो जनता का कुछ भला हो सकता है। लेकिन इन्होंने हमारी एक भी मांग को पूरा नहीं किया। आखिर यही हुआ, जब हमारी सरकार आयी तब मैंनें पिछली बार सदन में इस मांग को रखा। माननीय मंत्रीजी ने उस समय आश्वासन दिया था कि टोडाभीम के अन्दर निश्चित रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग का उप-खण्ड खोला जाएगा। मंत्रीजी, मैं आपकी सच्चाई के लिए, आपकी ईमानदारी के लिए, आपकी कर्मठता के लिए कि आपने कांग्रेस के एक नुमाइन्दे की बात को सुना, टोडाभीम की जनता की ओर से आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आपने सब डिवीजन टोडाभीम में एक नहीं दो सब डिवीजन खोल कर दे दिये। वहां की जनता आपके स्वागत में कार्यालय के उद्घाटन के लिए पलक-पांवड़े बिछाये खड़ी हुई है। कब आप पधारेंगे, यह वहां की जनता इन्तजार कर रही है।

मंत्री महोदय, विभाग तो आपने खोल दिया, हमारे यहां सब डिवीजन भी खोल दिया लेकिन 9 साल से हमारे यहां सड़कों की दुर्गति हुई है 9 साल के अन्दर किसी प्रकार की मरम्मत तक सड़कों की नहीं हुई। इसीलिए तो जनता ने इनकी मरम्मत कर दी और आज ये 30 बैठे हैं हमारी दायीं तरफ। सब कारण यही था सड़कों का। आम नागरिक 90 परसेंट गांव में रहता है, गांव-गांव से जुड़ता है, कस्बे में आता है, स्कूल में छात्र जाता है वह सड़कों पर होकर जाता है। जब वह देखता है कि सड़कों की हालत यह हो गयीं, सड़कों पर खड्डे हो गये, सड़कों पर चल नहीं सकते, आदमी पैदल तक नहीं चल सकता तो वहां से आदमी रोष लेकर जाता है। जब वह वोट देता है उस समय उसको सड़क नजर आती है, चाहे इनकी सरकार रही हो, चाहे हमारी सरकार आ गयी हो, अगर इन खड्डों की ओर हमने ध्यान नहीं दिया तो आम जनता इस बात से दुःखी हो जाएगी। जन प्रतिनिधियों से जनता कहती रहती है, जब भी हम क्षेत्र में जाते हैं तो एक ही बात हम से कहते हैं कि 9 साल तक उनकी सरकार थी, उन्होंने कुछ भी करके नहीं दिया, अब आप लोग इस तरह नहीं करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय बहुत अच्छे हैं, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी बहुत अच्छे हैं, लगनशील हैं, उनकी हार्दिक इच्छा है कुछ करने की और इसी का परिणाम है कि इस बजट में सबसे ज्यादा पैसा सड़कों को दिया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता

(श्री रामस्वरूप)

हूं हमारी सरकार को कि इन्होंने सड़कों के लिए इस बजट में पैसा रखा है। पैसा तो आपने रख दिया, लेकिन इस पैसे का सदुपयोग कितने समय में होगा, इसका कोई समयबद्ध कार्यक्रम आपको निर्धारित करना पड़ेगा। सरकार के जो नुमाइन्दे बैठे हैं और जो बड़े-बड़े ठेकेदार बैठे हुए हैं, इन ठेकेदारों की बेईमानी को हटाने का ठेका भी आपको लेना पड़ेगा। सड़कें बनती है और बनने के बाद, सभापति महोदय, वह सड़क एक साल में टूट जाती है, एक महीने में टूट जाती है या सड़क के अन्दर खड्डे पड़ जाते हैं और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं बन पाता है। मैं तो कहता हूं, मान लो एक सड़क पर खड्डे हो जाते हैं, एक साल में ही सड़क टूट जाती है तो हमको सदन में यह निर्णय लेना चाहिए कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट ठेकेदार हैं, जिन्होंने उसमें सही पैसा नहीं लगाया है, ऐसे व्यक्तियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अगर उनको फांसी की सजा दी जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है।

सभापति महोदय, मैं निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं, आज सारे माननीय सदस्य इस बात को मान रहे हैं कि 50 प्रतिशत पैसा कमीशनों के अन्दर जाता है। प्रतिशत बंधा हुआ है ऊपर से लेकर नीचे तक और इसी का परिणाम है कि सारी सड़कों के अन्दर इतनी जल्दी खड्डे पड़ जाते हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : नाम भी यदि सदन पटल पर रखेंगे तो भगवान आपका बड़ा भला करेगा। कमीशनखोर कौन-कौन हैं, उनका नाम भी उजागर करें आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चुप रहो।

श्री सभापति : आप शांत रहिये। बहुत सक्षम हैं माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : लगता है कि बजाय दिमाग, दिमाग में रहने के + + +

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + +

श्री सभापति : बार-बार व्यवधान नहीं डालें कृपया।

(15.00 बजे)

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, बड़ा गम्भीर विषय है। जनता के पैसे का दुरुपयोग, जतना के साथ धोखा। सदन में जितने भी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, अगर इस विषय को इन्होंने गम्भीरता से नहीं लिया तो जनता हमको नकारेगी इस बात के लिए कि आपको इसलिए वहां भेजा था क्या। सरकार में फर्क तभी दिखेगा जब बेईमानी में फर्क दिखेगा, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी ठोस नीति बनाएं। आपने इस प्रकार की नीति बनाना शुरू कर दिया है, आपके नाम का विभाग में तहलका मच रहा है, बेईमानियां खतम होती चली जा रही हैं, लेकिन फिर भी आप एक

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामस्वरूप)

निश्चित नीति तय करें कि बेईमानी को और किस प्रकार से खतम किया जा सकता है। सुझाव के रूप में मेरा आपसे निवेदन है, सभापति महोदय, विदेशों के अन्दर कई जगह इस प्रकार की सड़क नीति है कि कोई भी ठेकेदार सड़क बनाता है तो उसकी सड़क को तीन साल तक देखा जाता है उसके बाद पेमेंट किया जाता है उसका। अगर वह सड़क तीन साल तक सही निकलती है, उसमें टूट-फूट नहीं होती है, उसमें खड्डे नहीं होते हैं या वह बैठती नहीं है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, कौन-कौनसे देश हैं यह बता दें।

श्री रामस्वरूप : अमेरिका, रूस, जर्मनी और जापान इन सारे देशों में इस प्रकार की नीति बनी हुई है। वहां पर काम के आधार पर पैसा दिया जाता है और हमारे यहां काम के आधार पर नहीं देकर सिफारिश के आधार पर पैसा दिया जाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक सख्त नीति बना दें ताकि दुनिया याद रखें कि हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री हुए थे जिन्होंने ऐसी नीति बना दी जिसके कारण आज दस साल तक, बीस साल तक सड़कों का कुछ नहीं बिगड़ता है।

श्री राजेन्द्र पारीक : थे नहीं हैं। यह कहो कि वर्तमान में है।

श्री रामस्वरूप : नहीं, मैं भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं। हमेशा इतिहास याद रखेगा, माननीय मंत्रीजी, आपको, हमको इस बात का भरोसा है। आज विपक्ष आपकी आलोचना नहीं कर सकता। एक भी मुद्दा इनके पास आपकी आलोचना करने का नहीं रहा है, इस बात के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है। आप एक नीति अवश्य बनाएं कि चाहे आप सड़कें कम बनाएं लेकिन बढ़िया सड़क बनाएं, क्योंकि आपका सारा पैसा मेंटिनेंस में जा रहा है। बार-बार सड़क ठीक कराते हैं फिर खराब हो जाती हैं। नयी सड़क बनाते हैं, फिर खड्डे हो जाते हैं। इस प्रकार की सड़कें बनाने से क्या फायदा? सड़कें कम बनाएं लेकिन अच्छी सड़कें बनानी चाहिए। यह एक नीति तय कर देनी चाहिए कि सड़क हो तो अच्छी होनी चाहिए।

दूसरा आपसे मेरा निवेदन है, माननीय मंत्रीजी, कि हमारे क्षेत्र में कुछ सड़कें ऐसी हैं जो आपने पचास किलोमीटर, सत्तर किलोमीटर तक बना दीं, कम्प्लीट हो चुकी हैं लेकिन मात्र चार-चार किलोमीटर के कारण बन्द पड़ी हुई हैं। अगर चार किलोमीटर और बना दिया जाए तो क्षेत्र के सारे लोगों को फायदा मिल जाए। टोडाभीम से श्रीमहावीरजी आपने एक सड़क बनायी, वह सड़क पूरी हो गयी लेकिन पालड़ी से शेखपुरा तक मात्र चार किलोमीटर के कारण पूरी सड़क बेकार हो रही है। श्रीमहावीरजी को जितने भी तीर्थयात्री जाते हैं उनको हिण्डौन होकर आना पड़ता है, चालीस किलोमीटर का

(श्री रामस्वरूप)

चक्कर पड़ता है। अगर चार किलोमीटर सड़क और दो तो चालीस किलोमीटर का चक्कर खतम हो सकता है। ऐसी छोटी-छोटी दो तीन टुकड़ों की सड़कें हमारे क्षेत्र के अन्दर हैं जो दस किलोमीटर आठ किलोमीटर की हैं।

इसी प्रकार से मेहंदीपुर बालाजी महान तीर्थ स्थान है उसके ऊपर बाइपास आपने बना दिया, लेकिन बाइपास पर डामर आज तक नहीं हुई। श्रीमहावीरजी जहां सारा हिन्दुस्तान आता हो, मेहंदीपुर बालाजी जहां सारा हिन्दुस्तान आता हो और कैलादेवी जहां सारा हिन्दुस्तान आता हो, हमारे करौली जिले के अन्दर ऐसे महान तीर्थ स्थान हैं। मेहरबानी करके इन तीर्थ स्थानों की सड़कों के जो अधूरे कार्य हैं, जल्दी से जल्दी पूरा करें। सारे हिन्दुस्तान में एक ही आवाज जाएगी कि वहां के सार्वजनिक निर्माण मंत्री इतने अच्छे हैं जिन्होंने पूरे हिन्दुस्तान में केवल राजस्थान में ही सबसे अच्छी सड़कें बना रखी हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : मुख्य मंत्रीजी से पैसा तो दिलवाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके इतने अमूल्य सुझाव तो कोई लिख नहीं रहा है। मंत्रीजी तो हाथ यों करके बैठे हुए हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : 268 करोड़ रुपये जो पिछली बार थे उनमें से 52 करोड़ रुपये छोड़े पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब के पास में। पहले वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से पैसा दिलवाओ।

श्री रामस्वरूप : हमारे माननीय मंत्रीजी इतने सशक्त हैं कि इनको इस प्रकार से मांगने की जरूरत ही नहीं है।

श्री धर्मपाल चौधरी : बिना पैसे ही कर देंगे? जादू की छड़ी से कर देंगे?

श्री रामस्वरूप : हमारे मुख्य मंत्रीजी अपने आप इनको सारा पैसा दे रहे हैं, और भी पैसा उनको दिया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी जितना भी मंत्रीजी पैसा मांगेंगे उतना जरूर उनको देंगे।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप दिलवाओगे?

श्री रामस्वरूप : बिलकुल, मैं दिलवाऊंगा। मैं इस बात के लिए भरोसा देता हूं।

श्री धर्मपाल चौधरी : और अगर नहीं मिले तो?

श्री रामस्वरूप : नहीं मिले तो आप चाहो जो कर लेना।

श्री धर्मपाल चौधरी : नहीं, आप बताओ, क्या करोगे?

श्री रामस्वरूप : आप चाहो जो कर लेना।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल चौधरी : हम कहेंगे त्याग पत्र दे दो, आप दे दोगे? (व्यवधान) फिर माननीय सदस्य क्यों गारंटी देने में लग रहे हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : जो शादी में मिला है उसमें से दे देना।

एक माननीय सदस्य : तीस लाख रुपये शादी में आये हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : चालू रखें, चालू रखें। सहकारिता भी हैं आपके सामने। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सहकारिता पर भी आ रहा हूं, साहब, अब मैं।

सभापति महोदय, आखिर में एक और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां आपने जो सब डिवीजन खोला है इसके खुलने से पहले हमारे यहां दूसरी जगह सब डिवीजन था और सबसे ज्यादा मेंटिनेंस का पैसा हिण्डौन वगैरह जा रहा था जिसके कारण मेरे क्षेत्र की पूरी उपेक्षा की गयी थी। मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी सब डिवीजन के उद्घाटन का प्रोग्राम बनाएं। हमारे यहां अब तक पैसा नहीं दिया गया, इन + + + ने हमारे क्षेत्र की जो उपेक्षा की है आप सारी बातों की अब भरपाई करें। जब आप पधारें हमारे क्षेत्र में, जनता आपके स्वागत के लिए तैयार है और पलक पांवड़े बिछाए बैठी है, उससे पहले हमारे क्षेत्र को जल्दी-जल्दी पैसा देकर आप वहां पधारने की मेहरबानी करें। दूसरा मेरा निवेदन है, सहकारिता के बारे में।

श्री धर्मपाल चौधरी : मंत्रीजी को वह दीवार भी दिखा देना कि सड़क की मरम्मत ठीक रखने के लिए ऐसी दीवार खींची जाती है।

श्री रामस्वरूप : सही है, माननीय मंत्रीजी सब कुछ देखेंगे। हमारी पारदर्शी सरकार है, जवाबदेही सरकार है, आप चिन्ता नहीं करें इस बात की।

माननीय सभापति महोदय, सहकारिता के बारे में मेरा निवेदन है। माननीय सहकारिता मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, पन्ने पलटने में लगे हुए हैं लगातार, लगातार पन्ने पलट रहे हैं, क्योंकि उनको भरोसा है, उनको जवाब देना है। मैं तो विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता विभाग की नींव नेहरूजी ने रखी थी राजस्थान के अन्दर। सहकारिता विभाग जो जनता का, किसानों का, गरीबों का सबका सबसे अच्छा विभाग था, इसकी नींव राजस्थान में आकर उन्होंने रखी थी और उसी का परिणाम था कि सहकारिता विभाग ने राजस्थान में गरीबों का बहुत उद्धार किया। लेकिन धीरे-धीरे हालात ये हुए कि सहकारिता विभाग का नाम भ्रष्टाचार विभाग में रख दिया गया। (व्यवधान) मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इसका कारण क्या हुआ? माननीय मंत्रीजी, आपसे पहले जो भी सरकार रही उस सरकार में गरीबों का फर्जीवाड़े से पैसा उठवाया गया था, किसानों की असत्य निशानी की गयी थी, किसानों से इस बात के लिए असत्य बोला गया था कि आपको

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप)

ऋण दिया जा रहा है और उन व्यक्तियों को ऋण नहीं दिया गया। उसके परिणाम क्या हुए? जो लोग सबसे ज्यादा भ्रष्ट थे, जो कर्जा दिया ही नहीं गया था। इसका मतलब सबसे ज्यादा बेईमान था, जिसने एक नया पैसा कर्जा नहीं चुकाया सहकारिता विभाग का, उसके कर्जे माफ। कैसी विचित्र सरकार थी राजस्थान की पिछली सरकार जिसने क्या नियम बनाया कि जिसने एक नया पैसा भी नहीं दिया सहकारिता विभाग को उसके कर्जे माफ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप किसानों का विरोध कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, आप कर्जा माफी का विरोध कर रहे हैं न? जो सरकार ने कर्जा माफ किया उसका विरोध करते हैं क्या आप?

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, कर्जा पिछली सरकार ने माफ नहीं किया, कर्जा माफ किया था स्वर्गीय चौधरी देवीलालजी ने और उनकी सरकार ने। आपने चार दिन पहले उनको श्रद्धांजलि दी है, उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है और आज आप कर्जा माफी की बात का विरोध कर रहे हैं। आपको इसका नैतिक अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय माहिर आजाद, आपको समय मिलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय भैरोंसिंहजी जब राजस्थान के मुख्य मंत्री थे उस वक्त कर्जे माफ किये गये थे।

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बहुत दिनों के बाद सदन में आये हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, किसानों के कर्जे माफ हों तो रामस्वरूपजी के + + +. ये किसान विरोधी हैं।

श्री सभापति : राठौड़ साहब, बिराजें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सभापति महोदय, इनके मुंह से भ्रष्टाचार की बात अच्छी नहीं लगती। इन्होंने तो एम.एल.ए. फण्ड से अपने खेत की दीवार बनवा ली।

श्री सभापति : आप विराजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : साकरवाड़ा में माननीय रामस्वरूपजी ने एम.एल.ए. फण्ड से अपने खेत की दीवार बनवा ली। इनके मुंह से भ्रष्टाचार की बात अच्छी नहीं लगती।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए। आप अपनी बात कहिए, इनकी बातों में मत आइए।

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय, + + + जिसके जैसा चश्मा चढ़ा होता है। वैसा ही दिखता है उनको। मैंने कोई दीवार नहीं बनायी।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप तो इसमें अपना स्पष्टीकरण दे दो कि साकरवाड़ा में आपने दीवार अपने पैसे से ही बनवायी है।

श्री रामस्वरूप : यह बिलकुल असत्य बात है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने अपने विधायक कोटे से साकरवाड़ा में दीवार नहीं बनायी, आप इस बात का सदन में खुलासा कर दो।

श्री सभापति : नहीं-नहीं, यह नहीं चलेगा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : बात अपने आप खतम हो जाएगी। इस बात की जांच करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए आप। कह चुके हो आप।

श्री धर्मपाल चौधरी : रोज साकरवाड़ा-साकरवाड़ा होता है, क्यों होता है वह?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सभापति महोदय, साकरवाड़ा में इन्होंने एम.एल.ए. फण्ड से अपने खेत की बाउण्डरी करवायी है कि नहीं? (व्यवधान)

श्री सभापति : मेरा निवेदन है आप बिराज जाएं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : साकरवाड़ा में...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सभापति महोदय, इन्होंने किया, उन्होंने किया...

श्री देवीलाल बैरवा : सभापति महोदय, सड़कों की विशेष रूप से चर्चा हो रही है, चर्चा होने दो, बोलो मत। ...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : विधायक कोटे से (व्यवधान) यह इस बात का स्पष्टीकरण दें...(व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : सभापति महोदय, चर्चा हो रही है सड़कों की, कहने दो, कहने दो। सुनने दो, दूसरों की बात सुनने दो।

श्री सभापति : यह बहुत बार आ चुका है। बिराजिये...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : जो खुद इतने भ्रष्ट हैं वे भ्रष्टाचार की बात करते हैं यहां पर...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री देवीलाल बैरवा : सभापति महोदय, अच्छी चर्चा हो रही है सड़कों की और अच्छी चर्चा हो रही है सहकारिता की, थोड़ा सुनने दो, कहने दो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय बहुत कम है।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहा हूं। मैं जिसने जैसा बुरा किया वैसा कह रहा हूं, चाहे वह आपकी सरकार हो, चाहे मेरी सरकार हो। मैं तो सत्य को कह रहा हूं। आपको क्यों फिर गुस्सा आ

(श्री रामस्वरूप)

रहा है बेमतलब ही? (व्यवधान) क्यों + + + बोलकर फालतू ही लांछन लगा रहे हो मेरे ऊपर? बेकार की बातें करने से कोई फायदा नहीं? यह सदन है जो सच्चाई के लिए बनाया गया है। "सत्यमेव जयते" यहां लिखा हुआ है, यहां सच बोलो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने को-आपरेटिव का उद्घाटन किया, इसलिए भ्रष्ट हो गये को-आपरेटिव डिपार्टमैंट। यह भी तो कहो कि को-आपरेटिव में इसलिए भ्रष्टाचार फैल गया कि पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने उसका उद्घाटन किया। + + + इसलिए भ्रष्टाचार फैल गया... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय विधायक जो टोडाभीम से आये हैं... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, अनुशासन नहीं रख रहे। सहकारिता पर बहस चल रही है, किसानों का मामला है और आप बार बार इस बात को टोक रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने अपने खेत पर दीवार बनायी है और...(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने पण्डित नेहरू के सहकारिता के शुभारम्भ को लेकर जो आरोप लगाये हैं...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्या : सभापति महोदय, जवाहर लाल नेहरू के ऊपर आरोप लगाना, यह सदन की गरिमा के खिलाफ है...(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : सभापति महोदय, एक्सपंज किया जाए पण्डित नेहरू के नाम को...(व्यवधान) राष्ट्र के महान नेता और राष्ट्रनायक पण्डित नेहरू के खिलाफ इस प्रकार सहकारिता आन्दोलन को जोड़ कर जो आरोप लगाया जा रहा है उसको एक्सपंज किया जाए...(व्यवधान) नेहरूजी के खिलाफ जो कुछ इन्होंने बोला है वह एक्सपंज किया जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये प्लीज, बिराजिये प्लीज।

श्री रामस्वरूप : नेहरूजी तो राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने देश को आजाद...

श्री रतन लाल ताम्बी : सभापति महोदय, एक्सपंज किया जाए।

श्री रामस्वरूप : + + + आनी चाहिए आपको तो...(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : पण्डित नेहरू को सहकारिता के आन्दोलन से जोड़ कर जो आरोप माननीय सदस्य ने लगाये उनको एक्सपंज किया जाए। (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : बोलने दो न, अच्छी चर्चा हो रही है।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : आप बिराजिये। माननीय राठौड़ साहब, आप सचेतक हैं, अपनी पार्टी को नियंत्रित रखिये यदि सदन में कार्यवाही करनी हो तो और नहीं करने का मन हो तो कोई दिक्कत नहीं है।

श्री देवीलाल बैरवा : ऐसे विषय के ऊपर चर्चा चल रही है किसानों की, सड़कों की, अच्छी चर्चा चल रही है जिसमें बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हो।

श्री सभापति : आप + + + बिराजो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि अभी माननीय सदस्य ने पण्डित नेहरू के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है कि + + + पण्डित नेहरू न केवल एक राजनेता थे, राष्ट्र निर्माता जननायक थे। किसी भी प्रकार की स्वर्गीय आत्मा के खिलाफ कोई इस प्रकार से सदन की कार्यवाही में जो शब्द आये कृपया उनको एक्सपंज करा दें।

श्री धर्मपाल चौधरी : नेहरूजी की पूरा देश इज्जत करता है और हम इज्जत करते हैं लेकिन माननीय टोडाभीम से आने वाले सदस्य जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति : कार्यवाही से निष्कासित कर दिये जायें।

श्री धर्मपाल चौधरी : पहले साकरवाड़ा...

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय, आप बार-बार हस्तक्षेप कर रहे हैं और ये जब भी बोले मैं एक बार भी नहीं बोला इनके बीच में। ये अनुशासन नहीं रख रहे हैं...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : साकरवाड़ा की दीवार का है...

श्री रामस्वरूप : यह सदन की गरिमा को खतम कर रहे हैं। मैं बिलकुल नहीं बोला...(व्यवधान) आप जब भी बोले। आप बार-बार बीच में टोक रहे हैं इस प्रकार से। माननीय सभापति महोदय, मजाक बना रखा है इस सदन का, कोई फायदा नहीं है ऐसे सदन में बैठने से जिसके अन्दर किसी की बात नहीं सुनी जाए।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, आप खुद भ्रष्ट हो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : कोई अनुशासन नहीं है इस सदन का जहां किसी की बात नहीं सुनी जाती है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : क्या है यह साकरवाड़ा? माननीय सभापतिजी, क्या है यह साकरवाड़ा? आखिर हमें भी बताया जाए कि आखिर साकरवाड़ा है क्या? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सहकारिता के ऊपर बहस हो रही है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : क्या यह है दीवार का मामला? (व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप : मजाक बना रखा है इन्होंने इस प्रकार सदन को... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सचेतक महोदय,...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सभापति महोदय, यह साकरवाड़ा है क्या? यह दीवार क्या है, कौनसी दीवार है? किसने बनायी? यह साकरवाड़ा है क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजें। कोई व्यवधान नहीं होगा यदि कार्यवाही चलने देना चाहते हैं तो आप। इस प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप..... (व्यवधान) आप विराजें, आप विराजिये। मैं खड़ा हूं, आप विराजिये। यह बात बहुत दफा आ चुकी है और भी मौका आपको मिलेगा। अभी राठौड़ साहब और बोलेंगे इसलिए बोल देंगे। (व्यवधान) आप बिराजिये।

श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : बीस लाख रुपये का रामस्वरूपजी के ऊपर आरोप है कि इन्होंने विधायक कोटे का पैसा अपने खेत की बाउण्डरी में लगा दिया, जिसकी जांच करके क्यों नहीं सदन को अवगत कराया जाए?

श्री सभापति : आप बिराजिये। कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं होंगे।

श्री नाथूलाल गुर्जर : इसकी जांच होनी चाहिए और सदन को अवगत कराना चाहिए। यह रोज-रोज का मामला जांच हुए बिना नहीं मानेगा। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : 15-20 लाख रुपये का मसला है। (व्यवधान)

श्री नाथूलाल गुर्जर : यह बीस लाख रुपये का मसला है।

श्री मदन दिलावर : अपने खेत की दीवार बना लें...

श्री नाथूलाल गुर्जर : यदि अब इसकी जांच नहीं की गयी तो कल और सदस्य अपने-अपने खेतों में पैसा लगाएंगे। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : इस सदन में वह आदमी भ्रष्टाचार की बात करता है जो खुद भ्रष्ट हो...(व्यवधान)

श्री नाथूलाल गुर्जर : इसकी जांच करवा कर सदन में रखा जाए।

श्री धर्मपाल चौधरी : और अगर इन्होंने दीवार नहीं बनायी तो स्पष्टीकरण दे दें इसमें...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आखिर यह क्या हो रहा है? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजो, आप बिराजो।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने दीवार बनायी कि नहीं बनायी, यह बता दो। (व्यवधान) ...साकरवाड़ा की

श्री सभापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय से मेरा निवेदन है कि यह डिबेट करनी है कि नहीं करनी है। आपकी पार्टी की तरफ से बराबर व्यवधान हो रहा है। एक बार व्यवधान कर दिया, दो बार

(श्री सभापति)

कर दिया, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा संयत रहें, डिबेट चले। यह जो बात कह रहे हैं कई दफा कह चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, संयत तो बहुत हैं लेकिन रामस्वरूपजी बोल रहे हैं।

श्री सभापति : रामस्वरूपजी बोल रहे हैं, बहुत दिन बाद में आये हैं इसलिए इनके ज्ञान का पूरे सदन को लाभ मिलना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लाभ मिलना चाहिए इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन रामस्वरूपजी जो बोल रहे हैं इनके लिए सारे सदन में इस तरह की मान्यता है कि ये दूसरे बोलेंगे तो उसमें विघ्न पैदा करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम तो नियंत्रण कर लेंगे, आप उनको नियंत्रण कर सकेंगे क्या?

श्री सभापति : हां, मैं कर सकूंगा पूरा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप होंगे तो न।

श्री सभापति : पूरा कर सकूंगा। पांच मिनट उनको बोल जाने दीजिए आप। उनको सिर्फ पांच मिनट बोलने दीजिए। रामस्वरूपजी, खतम करो। कोई भी ऐसी बात नहीं कहोगे जिससे उत्तेजना आए।

श्री रामस्वरूप : मैं तो विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, मैं सत्ता पक्ष में हूं, ये विपक्ष में हैं। (व्यवधान) मैं कोई बात कहता हूं, हमेशा जनता के हित को लेकर कहता हूं। अगर मेरे बोलने पर ये इस प्रकार रोक लगाना चाहते हैं + + + लगाकर तो मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं जनता की भलाई के लिए तो बोलूंगा ही।

श्री सभापति : आप अपनी बात आगे चालू रखिये।

श्री रामस्वरूप : इसलिए आप दुःखी मत हों। आप बोलेंगे, मैं बिलकुल चुप होकर बैठा हूं, आज तो एक शब्द नहीं बोला आपके खिलाफ। सभापति महोदय, सहकारिता के बारे में चर्चा हो रही थी...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप तो बिराजो + + + आप तो चुप रहो।

श्री रामस्वरूप : चाहे टांगें तोड़ें, चाहे हाथ तोड़ें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जनता ने इनकी टांग तोड़ दी, क्यों चिन्ता करते हो। (व्यवधान) सच्चाई कभी छिपती नहीं है।

सभापति महोदय, मैं सहकारिता के ऊपर बोल रहा था। मैं निवेदन कर रहा था कि सहकारिता विभाग बहुत पवित्र विभाग है, इस विभाग की माननीय नेहरूजी ने नींव रखी थी। राजस्थान में सहकारिता विभाग में कुछ कमियां बीच में आयीं, लेकिन माननीय मंत्रीजी, मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उन कमियों को दूर करने के लिए राजस्थान में अभी एक सहकारिता का

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप)

बहुत बड़ा आन्दोलन चलाया। राजस्थान के अन्दर सारे मंत्रियों को और सारे विधायकों को चाहे वह किसी भी पार्टी का था, गांव-गांव में पंचायत हैडक्वार्टर पर भेजकर सहकारिता आन्दोलन में सदस्य बनाये गये, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की गयी, वहीं पर की गयी। इसके लिए राजस्थान की जनता की ओर से आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

सहकारिता विभाग जो इतना बदनाम हो चुका था, आज जनता से आपने उसको जोड़ दिया। सारे राजस्थान की जनता यह जान गयी कि राजस्थान में माननीय गहलोत साहब की सरकार आयी है, लोक कल्याणकारी सरकार आयी है जिसने सहकारिता जैसे भ्रष्ट विभाग को भी जनता की भलाई के साथ जोड़ दिया। इससे बड़ी बात और क्या होगी हमारी सरकार में। माननीय मंत्रीजी, सहकारिता के ऐसे आन्दोलन, ऐसे अभियान लगातार चलाते रहो ताकि नौ साल में जो भ्रष्ट आदमी आकर बैठे थे उनका सफाया हो सके।

श्री सभापति : अब समाप्त करिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर हम बोलेंगे। फिर वही बात।

श्री सभापति : आप बोलेंगे जब इन पर और ज्यादा इल्जाम लगा देना। (व्यवधान) आप समाप्त कीजिए। रामस्वरूपजी, आप समाप्त कीजिए।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जो भी भ्रष्ट आदमी बैठे हुए हैं सहकारिता विभाग में, जिस प्रकार आपने अब तक छंटनी की है इसी प्रकार उनकी छंटनी भी आप करें। चाहे वे किसी भी पार्टी के क्यों न हों। भ्रष्ट आदमी किसी का भी नहीं होता, वह जनता का दुश्मन होता है।

श्री सभापति : अब समाप्त कीजिये।

श्री रामस्वरूप : सहकारिता विभाग में सबसे बड़ी अगर कोई खामी है तो एक ही खामी है कि जनता के बीच में जो कर्मचारी बैठे हुए हैं उनका इस प्रकार का वातावरण बन चुका है, सारा फर्जीवाड़ा करने के लिए तत्पर हैं। वे जानकार हैं और जनता अनभिज्ञ रहती है। जितने भी इनके नियम हैं, कानून हैं, जो सदस्यता के नियम हैं, सारी बातें आप एक बोर्ड पर लगवाकर जनता के बीच में भिजवाएं, अखबारों में आप दें और जनता को इससे अवगत करवाएं। भ्रष्टों के खिलाफ अब तक आपने जो कार्यवाही की है उसको भी आप मेहरबानी करके अखबारों में दिलवाएं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। माननीय श्री माहिर आजाद।

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। अंत में माननीय सहकारिता मंत्रीजी से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता विभाग किसानों का विभाग है, जनता का विभाग है जिसमें गरीबों को लोन भी दिया जाता

(श्री रामस्वरूप)

है। अब आपने लोन की सीमा भी बढ़ा दी है। बैंक से पैसा देने की सीमा बढ़ाई है ट्रेक्टरों के लिये। आप किसानों को 8-8, 10-10 लाख के लोन दे रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों का आज किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि किसानों को इसकी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। मेरा विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार की किताबें छपवायी जाए, अखबारों में इसको निकाला जाए कि आपने सहकारिता विभाग में कौन-कौनसे नये नियम बनाये हैं।

श्री सभापति : आप विराजें, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : पिछली सरकार से अलग हटकर आपने क्या-क्या नियम भ्रष्टाचार को हटाने के लिये बनाये हैं ताकि हम उनका प्रचार कर सकें। गांव-गांव में जाएंगे, ढाणी-ढाणी में जाएंगे ताकि हमारी सरकार ने जो सहकारिता में सुधार किये उनको हम बता सकें। इसी के साथ में आपने मुझे जो अमूल्य समय दिया उसके लिये मैं बहुत-बहुत आभारी हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन सहकारिता और लोक निर्माण विभाग की मांगों पर चर्चा कर रहा है। मैं सबसे पहले तो माननीय सहकारिता मंत्रीजी को आपके जरिये धन्यवाद देना चाहूंगा और वह धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि आपने अभी हाल ही में 15 और 16 अप्रैल को माननीय रामनिवासजी मिर्धा की अध्यक्षता में को-आपरेटिव कांग्रेस का बड़ा समारोह जयपुर में आयोजित किया और राजस्थान भर से सहकारी बंधुओं को उसमें सरकार की नई योजनाओं, कार्यक्रमों की जानकारी लेने और अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया। दूसरी एक बात के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके खुद के द्वारा की गयी घोषणा और आपसे पहले वाले सहकारिता मंत्री माननीय गुलाब सिंहजी द्वारा सहकारिता संस्थाओं के चुनाव कराये जाने की घोषणा विगत ढाई वर्षों में की गयी आप उस पर खरे नहीं उतरे। आपकी बात पर आप कायम नहीं रहे, आप चुनाव नहीं करा पाये इसलिए आपने बड़ी चतुराई से अपने आपको बचाते हुए उस को-आपरेटिव कांग्रेस में सहकारिता संस्थाओं के चुनाव कराने की घोषणा अपने खुद के मुंह से नहीं करके माननीय मुख्य मंत्रीजी के मुख से यह घोषणा करवाई है कि अक्टूबर में सहकारी संस्थाओं के चुनाव निश्चित रूप से करा दिये जाएंगे। मैं आशा करता हूं क्योंकि अब सरकार के मुखिया ने घोषणा की है। राजस्थान के अन्दर जो सहकारी आन्दोलन पिछले 50 वर्षों से चल रहा है, मुझे यह कहने में कतई आश्चर्य नहीं है कि चाहे वह सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे वह सरकार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की मिली-जुली सरकार रही हो, सहकारिता आन्दोलन के जरिये राजस्थान के गांव, गरीब और किसान का भला हुआ

(मोहम्मद माहिर आजाद)

है। हम बैलों से खेती करते थे, किसान को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आज शायद ही राजस्थान का कोई गांव और ढाणी बची हुई हो जहां किसान के पास ट्रेक्टर नहीं हो, जहां किसान ने सहकारी संस्थाओं से कुआं निर्माण नहीं कराया हो या अपनी कृषि को बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया हो। इसके लिए दोनों सरकारें ही धन्यवाद की पात्र हैं।

मैं आपसे आज केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस पवित्र उद्देश्य के लिए, गांव, गरीब और किसान सहकारीपन की भावना जगाकर प्रदेश का चहुंमुखी विकास करने की नीति से सहकारिता का आन्दोलन खड़ा किया गया था उसमें आज भ्रष्टाचार की बू आ रही है। अधिकारियों और प्रशासकों के जरिये जो भ्रष्टाचार पनप रहा है आप उसको रोके तो सहकारिता का जो पवित्र उद्देश्य है यह साकार हो पाएगा।

सभापति महोदय, दूसरा पीडब्ल्यूडी. के बारे में जहां हम बात कर रहे थे, मुझे यह कहते हुए निहायत अफसोस और दुःख है कि आज राजस्थान जो देश का सबसे बड़ा प्रान्त है, उसे दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक तरफ पूर्वी राजस्थान जिसकी यू.पी. और हरियाणा से सीमा लगती है और एक तरफ बाकी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान जिसमें भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, दौसा और सवाईमाधोपुर जिले आते हैं, इसकी स्थिति यह है कि वहां वर्षा औसत से ज्यादा होती है। इस वर्ष तो नहीं हो पायी। 1995 में भयंकर बाढ़ आयी थी, उसके कारण जो सड़कें बह गयीं, क्षतिग्रस्त हो गयीं, टूट गयीं, आज 5-6 साल बीत जाने के बाद भी तीन साल इनका शासन रह गया 1995 से 1998 तक और तीन साल आपका शासन आ गया, वहां की सड़कों की हालत नहीं सुधरी है। यहां पूर्वी राजस्थान से आने वाले भरतपुर और हिण्डौन के सदस्य बैठे हों, चाहे कामां और बहरोड के बैठे हों, चाहे कठूमर और बयाना के सदस्य बैठे हों, मैं आपको सही स्थिति बता रहा हूं, सड़कों के बारे में यह कहा जाता है कि मुसाफिर रोज आते हैं और यह रास्ता यूं ही चलता है। आज हमारे यहां सड़कों की हालत यह है कि सरकार आयी और सरकार चली गयी लेकिन सड़कों की हालत नहीं सुधरी।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम गांवों में जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं तो लोग यह पूछते हैं कि ये कब्रें किसकी बनी हुई हैं। इन कब्रों में पिछली सरकार दफन हो गयी, नई सरकार भी क्या इसमें दफन होना चाहती है? आखिर इन सड़कों को सुधारने का काम क्यों नहीं किया जाता है? सभापति महोदय, जयपुर से चल कर खेड़ली मोड़ तक, महुवा से आगे तक 128 किलोमीटर का सफर ढाई घंटे, पौने दो घंटे में पूरा हो जाता है, लेकिन खेड़ली से जव नगर जाते हैं तो 40 किलोमीटर में भी लगभग वही दो-ढाई घंटे का समय लगता है। उसमें शांति पहाड़ियाजी का भी क्षेत्र आता है,

(मोहम्मद माहिर आजाद)

उसमें माननीय रमेश खींचीजी का भी क्षेत्र आता है। यह हालत पूर्वी राजस्थान की हो रही है।

सभापति महोदय, अपराध बढ़ रहे हैं। जब हम गृह विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं कि पूर्वी राजस्थान में चोरी, डकैती और हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, आप इसको क्यों नहीं रोकते हो तो जवाब मिलता है कि हरियाणा, यू.पी. और मध्य प्रदेश भी लगा हुआ है, ग्वालियर भी लगा हुआ है धौलपुर पर, वहां के अपराधी आते हैं और अपराध करके चले जाते हैं। सड़कों की हालत और हमारे वाहनों की हालत ऐसी है कि हम पीछा नहीं कर पाते हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जो एक भले आदमी हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वी राजस्थान भी राजस्थान का हिस्सा है। अगर आप इसको राजस्थान का हिस्सा नहीं मानते हो तो इसको आप यू.पी. में या बिहार में और अगर इस पर भी संतुष्ट नहीं हों तो बांग्लादेश में या किसी दूसरे देश में जुड़वा दें। अगर इसको राजस्थान का हिस्सा मानते हो तो इस पूर्वी राजस्थान के साथ जो सौतेला व्यवहार आज तक होता आया है...

श्री मदन दिलावर : बांग्लादेश के साथ नहीं जुड़ने देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप अपनी बात कह देना, मैंने तो एक उदाहरण दिया है।

श्री मदन दिलावर : बांग्लादेश में किसी भी कीमत पर नहीं मिलने देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप जब बोलें तब बोल देना। हम तो राजस्थान में ही रहना चाहते हैं। हम तो यह चाहते हैं कि वहां की स्थिति सुधरे। आप सड़कों की हालत सुधारने की बात करें।

श्री मदन दिलावर : यह राष्ट्र का मामला है, यह हमारे देश का मामला है। बांग्लादेश से मिल ही नहीं सकता चाहे कितनी भी ताकत आप लोग लगा लें।

मोहम्मद माहिर आजाद : ताकत लगाएं, सड़कें सही करवाएं पहले। आपके भी गया था बारां से अटरू होते हुए इकलेरा, आपकी सड़कों की हालत ऐसी हो रही थी कि हमारे यहां तो ढाई तीन फीट की कब्रें हैं, आपके तो छह-छह फीट के गड्ढे हो रहे थे। पहले आप उनकी बात करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में दो स्थिति है, एक तरफ तो पश्चिमी राजस्थान जहां हमेशा अकाल पड़ता है। वहां आप अकाल के नाम पर सड़कें सुधार लेते हैं। बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर ये जिले सीमावर्ती जिले हैं जहां पर डिफेंस का पैसा आ जाता है। वहां सड़कों की हालत यूं सुधर जाती है। लेकिन पूर्वी राजस्थान की सड़कों की इतनी खराब स्थिति है, चलो दो साल बजट में प्रावधान था या नहीं था, अब तो माननीय मंत्री महोदय, आपने बजट में प्रावधान किया है। इनको धन्यवाद देते हुए आपसे

(मोहम्मद माहिर आजाद)

मैं यह आशा करता हूं और अपेक्षा करता हूं, और मैं ही नहीं हम पूर्वी राजस्थान के जितने भी सदस्य यहां बैठे हैं, हम आपसे यह आशा करते हैं कि अब आप पूर्वी राजस्थान के साथ इसमें सौतेला व्यवहार नहीं करेंगे। हमारे साथ न्याय होगा और हमारे भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर ये जो जिले हैं इनके लिए आप विशेष पैकेज देकर यहां की सड़कों की स्थिति को सुधारने का काम करेंगे।

सभापति महोदय, आज सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थिति देखें, पिछले साल जो थोड़ा-बहुत बजट पैच रिपेयर के लिए हमारे जिले को आबंटित किया गया था उसका आधा हिस्सा भी काम में नहीं लिया गया, वह पैसा ऐसे के ऐसे पड़ा रह गया। मैंने सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से शिकायत भी की थी कि इस पैसे का उपयोग होता, कुछ पैचवर्क होते तो कुछ राहत मिलती। लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ। हमारे यहां माननीय कृषि मंत्रीजी बैठे हैं, इन्होंने प्रयास किया और माननीय कृषि मंत्रीजी के सहयोग से हमने मेवात विकास बोर्ड से गुलपाड़ा से लेकर गढ़ी मेवात तक जो सड़क की मांग बाबू राजबहादूर के समय से पिछले 40-50 साल से चली आ रही थी, उस सड़क को मंजूर कराने का काम किया। पहले कहा गया कि यह सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाएगा। उसके बाद हमने पी.डब्ल्यू.डी. को भेज दिया तो पी.डब्ल्यू.डी. ने लिख भेज दिया कि हम इस सड़क को बनाने में असमर्थ हैं, हमारे पास व्यवस्था नहीं है। दूसरा उसका नया प्रस्ताव बना कर जिला कलक्टर, भरतपुर ने सात महीने हो गये, आपके रोड और ब्रिज कंस्ट्रक्शन एण्ड डवलपमैंट कारपोरेशन को भेजा हुआ है, अब तक उसकी स्वीकृति भी जारी नहीं हुई। 1999 में स्वीकृति है, सन् 2001 चल रहा है। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया आप इसको नोट करें। दो साल हो गए काम स्वीकृत हुए, कम से कम इनकी स्वीकृतियों को तो आपको तुरन्त जारी करवाना चाहिए।

तीसरी बात, मैं आपसे और निवेदन करना चाहता हूं कि 1995 में भरतपुर में बाढ़ आई थी, जो पैसा रिलीफ फण्ड से सड़कों की मरम्मत करने के लिए दिया गया था वह पैसा लैप्स होता चला गया। उस पैसे का भी उपयोग नहीं किया गया और सड़कें ही नहीं बनीं। जो सड़कें 1980 में बनी थीं, वहां आज सड़क नाम की चीज नहीं हैं। जैसा अभी हरचंदजी कह रहे थे, सड़क पर चलने के बजाय लोग पैदल और नीचे रास्ते पर चलना पसन्द करते है। उनकी हालत आज तक नहीं सुधरी। यही स्थिति सारी सड़कों की है। चाहे वह सीकरी, खोड़ी, बूढली, जुझार की हो, सीकरी से गोविन्दगढ़ की हो, चाहे वह नगर से लेकर पहाड़ी की हो, चाहे वह और कहीं की हो, सारी सड़कों की स्थिति ऐसी ही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

माननीय सभापति महोदय, मुझे यह बात समझ में आती है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास पैसा नहीं है इसलिए सड़कों की हालत नहीं सुधरी लेकिन हमारे जिले के अन्दर जो सड़कें कृषि विपणन बोर्ड ने बनाई और उनकी हालत सुधारने के लिए कृषि विपणन बोर्ड ने 40 लाख रुपए सार्वजनिक निर्माण विभाग को ट्रांसफर किए कि आप इन सड़कों की मरम्मत कीजिए, आज तक उस पैसे का भी उपयोग नहीं हुआ है। कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनाई गई सड़कों की भी कोई मरम्मत नहीं कराई गई, उनकी हालत ऐसी की ऐसी पड़ी है। पैसा पूरा ले लिया, आपके पास नहीं था तो दूसरे विभाग ने दिया, आपको कम से कम उसका उपयोग करके काम तो करना चाहिए था। जो बजट आपको आबंटित हुआ वह भी आपने काम में नहीं लिया।

आज सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थिति ऐसी क्यों हुई? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थिति इसलिए हुई कि आपने पिछले 5-7 वर्षों में चीफ इंजीनियर के सात पद खतम कर दिए, एक साथ सात, खर्चों में कटौती करने के नाम पर। आपके पहले सैक्रेटरी पी.डब्ल्यू.डी. का होता था उसको आई.ए.एस. बना दिया। आपके चीफ इंजीनियर हाउसिंग के नाम से पोस्ट होती थी, आपने उसको खतम कर दिया। आपके एक चीफ इंजीनियर आर.एस.ई.बी. में होता था पी.डब्ल्यू.डी. का, उसको आपने खतम कर दिया। ये तीन पोस्टें तो खतम कीं पिछली सरकार ने, आप इनसे भी आगे निकल गए। आपकी स्थिति देखिए, आपने चार पोस्टें खतम कर दीं। एक चीफ इंजीनियर मैकेनिकल होता था आपने उसको खतम कर दिया। एक चीफ इंजीनियर प्लानिंग और मानीटरिंग का होता था, आपने उसको खतम कर दिया। एक चीफ इंजीनियर असैम्बली प्रोजैक्ट का था, असेम्बली भवन पूरा हो गया, वह पूरा होना ही था, वह पोस्ट खतम कर दी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी और सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आपके चीफ इंजीनियर था सी.आर. 2, जो वर्ल्ड बैंक की स्कीम थीं, ए.डी.बी. की स्कीम थीं और जो केन्द्र पोषित योजनाएं डी.आर.डी.ए. आदि की थीं, प्रधानमंत्री योजना थी, उसके लिए एक चीफ इंजीनियर की पोस्ट थी, वह भी आपने खतम कर दी। आपकी सरकार के समय यह मामला आया तो एक मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन किया गया तत्कालीन वित्त मंत्री माननीय चंदन मलजी बैद की अध्यक्षता में। माननीय सभापति महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 8 अप्रैल, 1999 को इस मंत्रिमण्डलीय उप समिति की बैठक हुई जिसमें माननीय गुलाब सिंहजी शक्तावत, श्री प्रद्युम्न सिंहजी, श्री बी. डी. कल्लाजी, तत्कालीन प्रमुख वित्त सचिव आदर्श किशोरजी, उसके सदस्य सचिव थे, सार्वजनिक निर्माण मंत्री माननीय हरेन्द्र मिर्धाजी भी थे और प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग, अनिल वैश्यजी

(मोहम्मद माहिर आजाद)

ने हिस्सा लिया। इन्होंने मीटिंग की कार्यवाही में यह प्रस्ताव पास किया कि जब कभी भी विश्व बैंक परियोजना पूर्ण स्तर पर शुरू होने पर अलग से मुख्य अभियन्ता का एक पद सृजित कर दिया जाएगा।

सभापति महोदय, आपने तय किया था, आपकी सिफारिश भी है, आपकी रिक्वायरमैंट भी है पी.डब्ल्यू.डी. के काम को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए और इसके साथ ही प्रधानमंत्री योजना आपके पास है, सी.आर.एफ. की स्कीम आपके पास है, ए.डी.बी. स्कीम्स आपके पास है, सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्स आपके पास हैं बिल्ट-आपरेट-ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) की स्कीम आपके पास है, इस तरह करीब 1050 करोड़ रुपए की योजनाएं आपके पास हैं इसलिए मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी और सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी खुद की मंत्रिमण्डलीय उप समिति ने यह फैसला लिया था कि जब कभी भी हमारे पास इस तरीके की योजनाएं आएंगी तब हमने यह जो पद खतम किया है चीफ इंजीनियर सेंट्रल स्कीम वाला, सी.आर.-2 वाला, इसको पुनर्जीवित कर देंगे। इसको आप शीघ्र पुनर्जीवित करने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज आपके यह स्थिति हो गई है, सेंट्रल जेल का निरीक्षण करने मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य के साथ हमारी कमेटी गई थी। वहां हमने देखा, हमको बहुत खुशी हुई कि केन्द्रीय कारागृह में जो शिक्षित बंदी हैं उनको काम सिखाने के लिए, उनको रोजगारोन्मुख बनाने के लिए वहां पर आई.टी.आई. का भवन बन रहा है और उस भवन को पी.डब्ल्यू.डी. बना रही है। माननीय सभापति महोदय, 70 लाख रुपए की योजना थी 31 अक्टूबर, 1998 को आपने स्वीकृति दे दी, उसका कार्य आवंटन भी हो गया, काम शुरू हो गया और 17.55 लाख रुपए आपने उसको पैसा भी दे दिया। अब आपकी स्थिति क्या? कि पिछले साल आप कहते हैं कि क्रेडिट लिमिट नहीं मिल रही है इसलिए उसका काम रोक दीजिए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर क्रेडिट लिमिट देने का आपका प्रोसीजर क्या है? आपको कोई तरीका तो होगा कि इस आधार पर आप क्रेडिट लिमिट देते हैं? एक कोई काम अच्छा चल रहा है, प्रगति चल रही है, आप उसको क्रेडिट लिमिट के नाम पर, आप उसका पेमेंट रोकने के नाम पर रोक देते हैं। आपने कह दिया ठेकेदार को कि आप काम बंद कर दीजिए। सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट ने आपको पत्र लिखा, जेल के डी.जी. ने आपको पत्र लिखा, एक्स.ईएन. पी.डब्ल्यू.डी. ने आपको पत्र लिखा कि यह काम अच्छा-भला चल रहा है, इसको क्यों रोका गया? एक महीने बाद आप कहते हैं कि काम चालू कर दो, फिर काम चालू हो गया। फिर उसके दो महीने बाद कहा कि नहीं, क्रेडिट लिमिट तीन महीने की मिली थी, इसको फिर रोक

(मोहम्मद माहिर आजाद)

दीजिए। फिर काम रोक दिया। काम इस तरीके से रुक जाता है तो मैटीरियल कास्ट बढ़ जाती है, लेबर कास्ट बढ़ जाती है, काम अधूरा रह जाता है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति के बीच में इतना अन्तर नहीं होना चाहिए कि उस काम की लागत बढ़ जाए, उस पर होने वाला खर्चा बढ़ जाए या वह काम बिलकुल व्यय साध्य हो जाए। इसलिए इस क्रेडिट लिमिट के नाम पर इसको रोकने का काम मत कीजिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बजट हैड 053, रख-रखाव तथा मरम्मत और 012 है सभापति महोदय, महानिरीक्षक पुलिस विभाग के माध्यम से। इस मद में आपने 1997-98 में 98.52 लाख रुपए स्वीकृत किए, 1998-99 में 120 लाख रुपए, उसके बाद 1999-2000 में 1 करोड़ रुपए और आप इस साल भी स्वीकृत कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि उप खण्ड से नीचे के स्थानों में जो पुलिस के भवन हैं, चाहे थाने हों या चौकियां, उनकी मरम्मत के काम के लिए राशि के डिस्पोजल का काम एस.पी. पर छोड़ देते हैं। एस.पी. क्या करते हैं कि कागजों पर राशि थानाधिकारियों को आबंटित करते हैं, आपको इतनी राशि, आपको इतनी राशि। थानाधिकारी फर्जी बिल बनवाकर उसका भुगतान लाकर आपको दे देते हैं। उसका कोई उपयोग कहीं नहीं होता, न कोई रिपेयर होती है और न कोई उसमें दूसरी वृद्धि होती है। थानाधिकारियों को आपके लेखा नियमों की जानकारी नहीं होती, इसलिए लेखा नियमों का भी पूर्ण रूप से उल्लंघन होता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपया अपना कार्य सम्भालने के बाद के कम से कम तीन वर्षों का जो पैसा पुलिस के थानों की मरम्मत के कार्य के लिए 012 हैड के अन्दर स्वीकृत किया गया है, उसको भौतिक सत्यापन करवाएं कि यह पैसा जिसके बिल सब्मिट हुए हैं, वहा लगा कि नहीं लगा। आपको वस्तुस्थिति का स्वतः आभास हो जाएगा कि यह पैसा लगा है कि नहीं लगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय, सरकार और इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के पास सीमित साधन हैं, सरकार के पास जो भी पैसा आए उस पैसे का सदुपयोग पूरे तरीके से होना चाहिए। पूर्वी राजस्थान की दो स्थितियों के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं एक सहकारिता के क्षेत्र में जहां लोगों को खुद को कुछ करना चाहिए था, खुद की काबिलीयत दिखानी थी, सहकारिता के क्षेत्र में आज पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, अलवर, धौलपुर अग्रणी स्थान पर हैं। सार्वजनिक निर्माण के क्षेत्र में आज स्थिति यह है कि

(मोहम्मद माहिर आजाद)

नगर का समाज कल्याण छात्रावास, माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी खुद नगर पधारें थे, बना हुआ तैयार पड़ा है, लेकिन बिजली के कनेक्शन के लिए अटका हुआ है। पी.डब्ल्यू.डी. उसमें कनेक्शन करवा दे तो उसका हैड ओवर-टेंक ओवर हो जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही गोपालगढ़ एक कस्बा है, पिछले आठ साल से वहां पर स्वास्थ्य भवन बना हुआ तैयार पड़ा है। पी.डब्ल्यू.डी. से स्वास्थ्य भवन सम्भलवाया जाना है, लेकिन हैड ओवर-टेंक ओवर नहीं हो रहा है। इससे कोई उसकी खिड़की निकालकर ले जाता है, कोई उसका दरवाजा ले जाता है, कोई पट्टी व कातले ले जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चंद सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। पहली चीज तो जो कार्य की अवधि कि यह कार्य इतने समय में पूरा होना चाहिए, उसको आपको गम्भीरता से लेना चाहिए। कोई एकाध महीने, दो महीने या छह महीने की बात हो तो समझ में आ जाए, लेकिन आठ-आठ साल तक भवन बन कर तैयार पड़ा हुआ है और उसको सम्भलाया नहीं जा रहा है, इसको आपको गम्भीरता से लेना चाहिए।

मैं आपसे दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि आप कांट्रेक्टरों से जो काम करवाते हैं, पहले पांच परसेंट राशि उसकी सिक्योरिटी की लेते थे और उसके डिफाल्टर होने पर आप उसको सीज कर लेते थे। पांच परसेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता था, आपने उसको बढ़ाकर 10 परसेंट कर दिया। 10 परसेंट से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास इतने सारे ठेकेदार पूरे प्रदेश में हैं जो अपना काम समय पर नहीं कर रहे और डिफाल्टर हो रहे हैं। आप उनको ब्लैक लिस्ट करने का काम क्यों नहीं करते? आप स्वयं भी उनको ब्लैक लिस्ट कीजिए और करने के अलावा उसकी एक सूची सरकार के विभागों में होनी चाहिए, उनमें आपस में समन्वय होना चाहिए। अगर पी.डब्ल्यू.डी. ने ब्लैक लिस्ट कर दिया तो वो इरिगेशन में जाकर ठेकेदारी करने लग जाता है, इरिगेशन ने कर दिया तो पी.एच.ई.डी. में जाता है। पी.एच.ई.डी. कर दे तो और दूसरे डिपार्टमैंट में चला जाता है। आप जिनको ब्लैक लिस्ट करो उसकी एक सूची सामान्य प्रशासन विभाग के जरिये दूसरे जितने भी विभाग जिनमें ठेकेदारी के रूप में काम होता है उनमें जानी चाहिए ताकि वे भी उसको अपने यहां शरण नहीं दें और उसको उसके किये की सजा मिले।

अन्तिम निवेदन मैं आपसे यह करना चाहता हूं कि आज सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास में जो भी पैसा मरम्मत के नाम पर आता है उसकी लीपापोती होती है। आप कहीं पर चले जाएं, जरा-सा डामर डाला और उस पर सूखी रोड़ी डाल कर पेड़ के पत्ते या मिट्टी उस पर जमा देते हैं। उस दिन कोई भी जेईएन., एईएन. या एक्सईएन. सुपरविजन करने के लिए

(मोहम्मद माहिर आजाद)

जाएगा वह देखकर आ जाएगा कि पैच भर गया। एक ट्रक का टायर उस पर पड़ते ही वो निकल जाता है। सड़क खराब होने की वजह से स्थिति क्या होती है कि जो गाड़ी का टायर साल भर चलना चाहिए, छह महीने के अन्दर ही टायर-ट्यूब खराब हो जाते हैं, गाड़ी खराब हो जाती है। बीमारों को और महिलाओं को ले जाने में उस खराब रास्ते के कारण समस्या होती है और उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। आशा करता हूं कि सड़कों की दयनीय स्थिति को आप प्राथमिकता देंगे और पूर्वी राजस्थान के साथ आप न्याय करेंगे।

अन्तिम निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र नगर, अलवर और भरतपुर के बिलकुल केन्द्र में स्थापित है, अलवर-भरतपुर मार्ग पर है, वहां पर आप सहायक अभियन्ता का कार्यालय खोलने की मेहरबानी फरमाएं ताकि वहां की सड़कों और पी.डब्ल्यू.डी. के जो काम हैं उनका सही तरीके से नियंत्रण और सुपरविजन हो सके। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री ललित भाटी।

श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, आज सार्वजनिक निर्माण विभाग और सहकारिता विभाग की मांगों पर यहां विचार किया जा रहा है। पहले मैं अपनी बात लोक निर्माण विभाग, सड़कों और पुल के बारे में करूंगा।

अभी बजट में 288 गांवों में 953 किलोमीटर सड़कों को क्रमोन्नत करने के लिए, 93 गांवों में 341 किलोमीटर नयी सड़कों को बनाये जाने के लिए जो 140 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है उनके लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आने वाले दो सालों में 600 करोड़ रुपये खर्च करके 24 हजार किलोमीटर सड़कें परिवर्तित करने या नयी बनाने का प्रावधान रखा गया है। माननीय सभापति महोदय, विभाग ने इसके लिए जो स्कीम बनाकर दी है, जो योजना बनाकर दी है कि किस-किस क्षेत्र में किन-किन सड़कों पर कौन-कौनसे काम होने हैं, इस पर मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि हमारी सरकार जवाबदेही प्रशासन देने की, संवेदनशीलता की, पारदर्शिता की अगुवा है तो पोलिटिकल क्रेडिटेबिलिटी के लिए विभाग के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करके माननीय सदस्यों के माध्यम से इन 600 करोड़ रुपयों का खर्च उनकी मर्जी से, उनकी इच्छा से करें कि वे अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में किस प्रकार का काम सड़कों पर करना चाहते हैं। आज जब आप अपना जवाब सदन के अन्दर दें तो यह घोषणा करें कि हम विभाग के माध्यम से काम अवश्य कराएंगे मगर इसकी प्राथमिकता माननीय विधायकों के माध्यम से ही तय करायी जाए। तब जाकर मैं सोचता हूं कि हम अपने क्षेत्र की जनता के

(श्री ललित भाटी)

प्रति ज्यादा जवाबदेह साबित हो पाएंगे, क्योंकि माननीय सदस्यों को ज्यादा जानकारी है कि इनके क्षेत्र में किस सड़क का कौनसा काम प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना चाहिए। इस मामले में विभाग का अपना एक नजरिया होता है और इतना रुपया खर्च करके 24 हजार किलोमीटर का जो लम्बा आंकड़ा नजर आ रहा है, मैं सोचता हूं कि विभाग के भरोसे रह कर हम यह लाभ नहीं दे पाएंगे। इसके ऊपर माननीय मंत्री महोदय, थोड़ा गौर फरमाएंगे और माननीय सदस्यों की राय के अनुसार इन सड़कों का काम हाथ में लेने की घोषणा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।

माननीय सभापति महोदय, जो कटौती प्रस्ताव मैंने अपने दिये हैं उनके ऊपर मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। मार्टिनल ब्रिज को ऊंचा और चौड़ा करने का काम हमारे अजमेर के अन्दर किया गया। जुलाई, 1999 में मैंने एक पत्र माननीय मंत्री महोदय को दिया था जिसमें मार्टिनल ब्रिज और जनाना अस्पताल इन दो कामों में हुए निर्माण कार्य में राजकीय कोष की जो हानि हुई है उसकी ओर मैंने माननीय मंत्री महोदय, का ध्यान आकर्षित किया था। मैं उन्हें बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि मंत्री महोदय ने 28.9.99 को पत्र पर कार्यवाही करते हुए एक जांच कमेटी का गठन किया। विभाग के फाइनेंशिल

(13.48 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

एडवाइजर और अजमेर जोन के एडिशनल चीफ इंजीनियर, इन दो को सदस्य बनाते हुए यह जांच कमेटी गठित की जिसमें उनको यह निर्देश दिया गया कि जो बिन्दु शिकायत के अन्दर उठाये गये हैं उन तथ्यों की वे जानकारी करें और उनके ऊपर अपनी रिपोर्ट पेश करें। माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बात को कहने में कोई अफसोस नहीं है और अतिशयोक्ति भी मैं महसूस नहीं करता, क्योंकि जो बिन्दु जांच के लिए उठाये गये थे उन सभी बिन्दुओं पर जांच कमेटी पूर्णतः सहमत हुई, उन सारे बिन्दुओं में कमियां पायी गई। जिसके अन्दर तकनीकी और वित्तीय अनियमितता उजागर की गयी थी उनको जांच कमेटी ने बिलकुल सही पाया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट विभाग को पेश की। लेकिन मुझे अफसोस है, सभापति महोदय, कि उस रिपोर्ट के ऊपर अभी तक दो साल होने को जा रहे हैं, कोई कार्यवाही नहीं की गई। उसमें मुझे यह भी जानकारी है कि कुछ लोग जो चीफ इंजीनियर लेवल तक के थे, उनको विभाग के द्वारा चार्जशीट इश्यू की गई है। उसमें नीचे तक, जेईएन. तक के लोग शामिल हैं। उसमें यह साफ पता लग रहा है कि कुछ लोग जो सेवानिवृत्त के नजदीक थे उन्होंने समय का लाभ उठाया, क्योंकि जो पिछली सरकार थी उसके अन्दर इतनी जवाबदेही की बात नहीं थी, उस समय कोई पारदर्शिता का सवाल नहीं था। उस समय जैसे कह रहे हैं बिलकुल पोल ही पोल था और उस

(श्री ललित भाटी)

पोल का मजा वे अफसर लेकर गये। राजकीय पैसे का दुरुपयोग काफी मात्रा में, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में हुआ। माननीय सभापति महोदय, मैं मार्टिनल ब्रिज की जो बात आपसे कर रहा हूं उसमें कुछ बिन्दु मैं आपकी जानकारी के लिए लेकर आना चाहता हूं कि जांच रिपोर्ट आ जाने के बाद में ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इसीलिए तो वापस नहीं आये।

श्री ललित भाटी : हां, बिलकुल, आप सही बता रहे हैं कि मंत्रीजी भी नहीं आये और सरकार भी वापस नहीं आयी।

एक माननीय सदस्य : आपका भी यही होने जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : नहीं, हम सड़क ठीक कर देंगे।

श्री ललित भाटी : वक्त बताएगा, इंतजार करो।

श्री सभापति : कृपया शुरू कीजिए।

श्री ललित भाटी : मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि आपके बारे में न मुझे गलतफहमी है और न किसी और को गलतफहमी है। आप काम करना चाहते हैं, आपकी ईमानदारी के प्रति कोई शक-शुबह नहीं है, आपकी कर्मठता के प्रति कोई शक-शुबह नहीं है, मगर आपके मातहम जो अधिकारी हैं वे आपके मंतव्य पूर्ति के अन्दर आपके साधक नहीं बन रहे हैं। मैं यह चाहता हूं कि आप उनके ऊपर कठोर कार्यवाही करें, आप उनके उपर एक्शन लें। किस तरीके से कोताही बरती गयी है, आप जरा देखें। माननीय सभापति महोदय, ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए, चन्द अधिकारियों को फायदा पहुंचाने के लिए सारे नियम और राज्य सरकार ने जो आदेश पारित किये हैं उनकी अनदेखी की जा रही है। सचिवालय के अन्दर बैठ कर, मुख्य विभाग के चीफ इंजीनियर के आफिस के अन्दर बैठ कर अगर इस तरीके से काम होगा और राजकीय कोष को ठेकेदारों के हित के लिए उपयोग में लाया जाएगा, उनको फायदा पहुंचाने के लिए लाया जाएगा तो मैं सोचता हूं कि जो हमने अपने चुनाव घोषणा के अन्दर बात कही है कि हम एक जवाबदेही, संवेदनशील और पारदर्शी सरकार देंगे, प्रशासन देंगे, उस बात को पूरा करने के अन्दर एक प्रश्नचिन्ह कहीं नजर आएगा।

एक सर्कुलर, माननीय सभापति महोदय, 3.7.2000 को चीफ इंजीनियर, पी.डब्ल्यू.डी. के आफिस के यहां से निकला और उस सर्कुलर के अन्दर बिलकुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई पेमेंट आप नहीं करेंगे। लिखा है : "Therefore it has been emphasised upon all the Executive Engineers that during the pendency of any complaint or inquiry received from the Government level regarding the quality of road, building and

(श्री ललित भाटी)

C.D. works, no payment is released till finalisation of the case or any specific direction issued by the competent authority. Otherwise they will be held personally responsible and suitable disciplinary action will be taken against the defaulters." यह 3.7.2000 का एक सर्कुलर चीफ इंजीनियर, पी.डब्ल्यू.डी. के यहां से निकलता है। और ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए इस सर्कुलर की अनदेखी एक पत्र के माध्यम से की जा रही है और वह पत्र निकलता है चीफ इंजीनियर, रोड के यहां से 11.8.2000 को जिसके अन्दर यह लिखा जा रहा है कि "The matter has further been discussed with you during your visit to this place on 10.8.2000, you are requested to please obtain the documents and clear the pending bills at any early date and the compliance be reported."

सभापति महोदय, इसकी जांच आ गई, जांच के अन्दर यह सिफारिश जांच कमेटी ने कर दी कि ये वित्तीय अनियमितताएं पायी गई हैं, ये तकनीकी कमियां पायी गयी हैं और उस राशि की ठेकेदार से वसूली की जानी चाहिए। सभापति महोदय, राशि अब आपको मैं बताता हूं कि कोई एक रुपये और दो रुपये की राशि नहीं है। टेंडर डाले गये तब से लेकर फाइनल बिल आया तब तक एक सिलसिला है फेवरिटिज्म का, लाभ पहुंचाने का और उसमें हर स्तर के अधिकारी शामिल हैं। मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी इस तथ्यों से अवगत करवाया है कि किस तरीके से ठेकेदार को फायदा पहुंचाया गया। मैं इसके कुछ तथ्य आपको बतलाऊंगा कि ठेकेदार द्वारा क्वालिटी कंट्रोल की लेबोरेटरी लगायी जानी थी वह नहीं लगायी गयी। ये सारे बिन्दु जांच रिपोर्ट में हैं।

सभापति महोदय, मैं उजागर कर रहा हूं कि क्या रिपोर्ट दी है। उसमें एक बिन्दु दिया जिसके अन्दर आया 1,82,560 रुपये का पेमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हुआ जो ठेकेदार को करना चाहिए था। दूसरा है कि ठेकेदार द्वारा शटरिंग कार्य में अधिक भुगतान उठाया गया 1,62,245 रुपये का। तीसरा, एक माइनिंग रायल्टी की कटौती दो प्रतिशत की दर से की जानी थी। उसका पूरा वर्क था एक करोड़ 58 लाख रुपये का, दो परसेंट के हिसाब से उसके ऊपर 3 लाख 6 हजार रुपये आते थे। ये पैसे नहीं काटे जाने के लिए शासन सचिवालय के स्तर पर बैठने वाले एक अधिकारी ने एक्सईएन., अजमेर को जो इससे कन्सर्ड थे, उनको निर्देश दिये हैं कि यह दो परसेंट की राशि काटे जाने की जरूरत नहीं है। ठेकेदार को बिठाकर अपने कमरे में अधिकारियों को बुलाकर, चीफ इंजीनियर्स को बुलाकर उनकी मौजूदगी के अन्दर इंस्ट्रक्शंस दिये हैं, जो रिटिन के अन्दर एक्सईएन. ने दिया है। वह पत्र भी मैं

(श्री ललित भाटी)

आपको पढ़कर बताऊंगा कि किस तरीके से एक ठेकेदार को लाभ पहुंचाने का काम किया गया, जबकि अधिकारी को चाहिए कि वह सरकार के हितों की रक्षा करे, न कि ठेकेदार के हितों की रक्षा करे।

इसमें बहुत लोगों को चार्जशीटें दी गयी हैं। इसमें लिखा है कि जिन कार्यों को कराये जाने का कोई औचित्य नहीं, संवेदक को अनावश्यक आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए लाखों रुपयों का अतिरिक्त कार्य कराया गया जिनका जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कोई औचित्य नहीं माना है। ऐसे कार्यों का विवरण आता है 9,78,000 रुपये। माननीय सभापति महोदय, ये सारे बिन्दु हैं इसमें। 1.2.97 को इसका टेंडर हुआ 9,13,000 रुपये की एक परफारमेंस गारंटी ठेकेदार को देनी थी। आम तौर पर वर्क आर्डर तब तक रिलीज नहीं किया जाता है जब तक परफारमेंस गारंटी जमा नहीं हो जाती, सिक्योरिटी जमा नहीं हो जाती। कोई छोटा ठेकेदार हो या उसकी अधिकारियों से सांठगांठ नहीं हो तो इसके बगैर वह काम चालू नहीं कर सकता है। मगर यहां पर ठीक 11.3.97 को यह परफारमेंस गारंटी ली गयी है, वर्क आर्डर देने के एक महीने 10 दिन के बाद में। यहीं से शुरूआत होती है ठेकेदार के प्रति और सरकार के प्रति अपनी जिम्मेदारी के निवर्हन की, कर्तव्यपूर्ति की कि कैसे अधिकारियों द्वारा कर्तव्य पूरा किया जाता है। एक संवेदक को 1,25,600 रुपये का भुगतान, 5193.87 के.जी. स्टील से संबंधित था, इसका अधिक भुगतान किया गया। तकनीकी बिड जो मैंने क्वालिटी कंट्रोल का बताया है यह इसके अन्दर बात आयी है। इसी तरीके से एक आया है (बी.यू.एस.जी.) बिल्ट अप स्पे ग्राउण्ड जो एस्टीमेट के अनुसार 2 लाख 8 हजार रुपये का होना था, इसके स्थान पर काम कराया गया 9,92,814 रुपये का। यह काफी अधिक मात्रा में है और इसमें भी विशेष रूप से 6 से लेकर 12 लेयर तक अत्यधिक कार्य किया गया है। यह जो मंत्री महोदय ने जांच कमेटी बनायी उस जांच कमेटी की रिपोर्ट के अंश मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। सभापति महोदय, जो काम 2 लाख 8 हजार का होना था वह 9,92,000 रुपये का विभाग के अधिकारियों ने मिलकर कराया है।

इसके अलावा, आप यह देखिये, इसमें जो 3 लाख 6 हजार रुपये की बात मैंने की है, इन सब चीजों के ऊपर 23.10.2000 को जी.एल.राव, एक्सईएन. पी.डब्ल्यू. सिटी डिवीजन-टू अजमेर की एक चिट्ठी है। इस चिट्ठी का एक अंश मैं पढ़कर बताता हूं। इसमें लिखा है, दिनांक 22.10.2000 को डेविएशन स्टेटमेंट अधिशासी अभियन्ता मानीटरिंग सेल, सार्वजनिक निर्माण विभाग को घर पर चैक करवाया एवं डेविएशन 23.10.2000 को मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग के यहां से लेकर सचिव महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय में ले गया, वहां चैक करवाया। उसी समय श्रीमान् सचिव महोदय के कक्ष में संवेदक

(श्री ललित भाटी)

श्री सुजानमल गादिया भी आ गये। यह नई परम्परा है पारदर्शिता की, सभापति महोदय, कि सैक्रेटरी महोदय के पास चीफ इंजीनियर को बुलाया जा रहा है, कंसर्निंग एक्सईएन. को बुलाया जा रहा है और ठेकेदार को बुलाया जा रहा है ताकि वह संतुष्ट हो। संतुष्टि उसकी देखनी है। सरकार को अपनी संतुष्टि नहीं देखनी है कि काम किस तरीके से हो रहा है। तो सुजानमल गादिया जो ठेकेदार हैं वह भी वहां आ गये। सचिव महोदय ने मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता (पथ) को भी साढ़े 3 बजे अपने कक्ष में मीटिंग में बुलाया। चार बजे मीटिंग शुरू हुई, सचिव महोदय ने पूछा, इस कार्य के फाइनल बिल में क्या परेशानी है।

श्री दुर्गा प्रसाद (गंगापुर) : किसके समय में हुआ है यह सब? बीजेपी. के जमाने में हुआ है या कांग्रेस के जमाने में हुआ?

श्री ललित भाटी : हम तो हाथों में हाथ ही पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन देने की बात करते हैं।

श्री दुर्गा प्रसाद : करंट में हुआ है क्या?

श्री ललित भाटी : हम 9 साल तक रुक नहीं सकते हैं इसलिए हम हाथों हाथ ही ले रहे हैं इसको।

श्री सभापति : बिराजिये। यह तो तत्काल वार्ता हो रही है।

श्री ललित भाटी : यह काम बीजेपी. के समय में शुरू हुआ था। माननीय सदस्य, यह काम बीजेपी. के समय में ही शुरू हुआ था, कांग्रेस के समय में नहीं हुआ। उस समय इसका समापन हुआ है और घपला उस समय के ही अधिकारियों के टाइम का है। यह अभी की कोई कहानी नहीं पढ़ी जा रही है। हम तो जवाबदेही की बात कर रहे हैं, वह रिकंसाइल कर रहे हैं। मगर यहां उस समय के तैनात अधिकारियों ने जो गड़बड़ी की है वह मैं इस सदन के सामने लेकर आ रहा हूं कि किस तरीके से—

(16.00 बजे)

श्री मदन दिलावर : इस काम का कमीशन आपके समय में लिया गया है? जो समापन कर रहे हैं आप, हमारी सरकार के समय का बता रहे हैं तो उसका कमीशन आपके समय में लिया क्या?

श्री ललित भाटी : आपका ब्यौरा मैं बाद में दे दूंगा। आप अपने तक ही सीमित रहें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : ऐसा है, भाटी साहब, आप जिस प्रकरण की बात कर रहे हैं इसकी पूरी जांच हो चुकी थी। आपने कांट्रैक्टर का कहा, जांच हुई थी उसके सम्बन्ध में यह स्पष्टीकरण देना चाहता था इसलिए मैंने सैक्रेटरी महोदय को कहा था कि इसकी बात आप सुन लें और सम्बन्धित चीफ इंजीनियर को भी आप

(श्री हरेन्द्र मिर्धा)

अपने पास बुला लें। जो ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं अगर इसमें कोई तथ्य हों तो अपन इस पर आगे विचार करेंगे। यह प्रकरण वहां तक ही सीमित था।

श्री ललित भाटी : माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय के निर्देशों को किस रूप में लेकर उसको किस तरीके से अमलीजामा पहनाया गया, इस पर तो मैं कहना नहीं चाहता। मेरा सीधा-सीधा कहना या इशारा करने का अभिवचन यही है कि अगर मंत्री महोदय ने अपनी यह बात अपने सचिव को भी कही तो अकेले में ठेकेदार को सुना जा सकता था। सारे उच्च अधिकारियों को बुलाकर कंसर्निंग आफिसर को बुलाकर उनके सामने डिस्कशन नहीं किया जाता है। बल्कि एक्सईएन. को निर्देश दिये जा रहे हैं कि आपको क्या-क्या तो काटना है और क्या-क्या छोड़ना है। मंत्री महोदय, मैंने कहा कि आपके ऊपर किसी को शक-शुबहा नहीं है। आपके ऊपर कोई अंगुली नहीं उठाई जा रही है कि आपने ठेकेदारों को फायदा देने की बात की है। आपने न्यायसंगत और न्यायपूर्ण काम हो उसके लिए निर्देश दिये हैं, मगर आपके निर्देशों की आड़ में जिस तरीके से खेल खेला गया उसके ऊपर आपको आंख रखने की जरूरत है। उसके साथ आपको आंख दिखाने की भी जरूरत है कि इस तरीके से आपके कहे हुए का गलत अर्थ लगाकर ठेकेदारों को फायदा नहीं पहुंचाया जाए। अगर मंत्री महोदय इस बात से संतुष्ट हैं तो इस मामले में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि फाइनल बिल पेमेंट करने पर जितनी राशि काटे जाने की उसके अन्दर रिकमंडेशन की गयी, क्या वह राशि काट ली गयी? अगर नहीं काटी गयी और फाइनल बिल का भुगतान कर दिया गया है तो वह जो नुकसान सरकार को हुआ है उस नुकसान की भरपाई किस तरीके से की जाएगी?

सभापति महोदय, पी.एम.जी.एस.वाई. के बारे में यह कहना चाहता हूं कि यह एक केन्द्र सरकार की स्पोन्सर्ड स्कीम है जिसके तहत हमारे को 140 करोड़ रुपया मिला। मैं यह मानता हूं कि इसको भी सही तरीके से टेक-अप नहीं किया गया। जो मंशा इस प्रधानमंत्री ग्राम सम्पर्क सड़क योजना की थी उसमें यह था कि गांव की हम अधिक से अधिक सड़कों की दशा को ठीक करें और साथ में वहां की जो लोकल जनता है, लोकल लोग हैं उनको भी इसके माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराएं। इस तरीके के इन्स्ट्रक्शंस डिपार्टमेंट ने निकाल कर दिये भी हैं। सभापति महोदय, जिस तरीके से इस मामले में प्री-बिड और टैक्नीकल बिड्स आयोजित की गयी या काल की गयीं, एक करोड़ रुपये से ऊपर के जो मामले होते हैं उसमें ये टैक्नीकल बिड्स और प्री-बिड का प्रावधान है। गांवों के अन्दर कोई सड़क ऐसी नहीं है जो करोड़ों रुपयों के ऊपर बनायी जाती हो। सब छोटी-छोटी सड़कें हैं, सब मैन्युअल सड़कें हैं। इसमें भी कहीं

(श्री ललित भाटी)

न कहीं कोई कुकिंग है। वह कुकिंग इस रूप में नहीं है कि कोई निजी लाभ उठाने के लिए की गयी है। अगर हम छोटे ठेकेदारों को इसके अन्दर पार्टिसिपेट करने देते तो मैं यह मानकर चलता हूं कि 140 करोड़ रुपयों में जितनी सड़कें अभी बन रही हैं उससे बहुत ज्यादा सड़कों का जीर्णोद्वार, पुनरोद्धार कर सकते थे। सभापति महोदय, इस बिड की वजह से कुछ ही लोग पेवर का काम कर सकते थे, हमारे राजस्थान के अन्दर बहुत गिने-चुने लोग हैं जिनके पास में ये मशीनें हैं और उसमें भी एक ही दिन पूरे राजस्थान के अन्दर सारे टेण्डर्स की डेट रखी गयी ताकि एक आदमी एक जगह पर बंधकर रह जाए और दूसरी जगह टेण्डर की प्रक्रिया के अन्दर भाग ले ही नहीं सके। जो गाइडं लाइंस इसके अन्दर दी गयी हैं उन गाइड लाइंस का कहीं पर भी ध्यान नहीं रखा गया। मेरे पास यंह प्रफोर्मा है इसकी टैक्नीकल बिड का—"Details of minimum machinery and equipment required to be deployed by the contractor in the execution of the tender work." यह जो इसके अन्दर लिस्ट है इसको मैं पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझता। इसमें यह दिया है कि कौन-कौन सी मशीनें एक काम के लिए होनी चाहिए। मेरा यह दावा है, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि जिन ठेकेदारों ने तीन-तीन काम एक साथ लिये हैं और वे आज की तारीख में काम कर रहे हैं उनके पास इतनी मशीनें हैं, उनको ये काम अलाट हुए हैं। इन नियमों को जो विभाग निकाल रहा है, इन नियमों को देखकर टेण्डर पास करने का काम कोई दूसरा आदमी तो करेगा नहीं। इनको आप इस तरीके से करते हैं कि कोई आदमी स्वतः ही प्रक्रिया से बाहर हो जाए। इस तरीके की क्वालिफिकेशंस रखी गयी है। मगर जब किसी को लाभ देना हो तो इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। एक सूर्या कंस्ट्रक्शंस है, मैं नाम लेकर बात करता हूं, उस सूर्या कंस्ट्रक्शंस के पास में इतनी मशीनें नहीं हैं और हमारे अजमेर में उन्होंने तीन काम लिये हैं। सभापति महोदय, एक काम के लिए इन्होंने मांगा है—स्मूथ व्हील रोलर वाइब्रेचर-चार, अक्स और ट्रैक्टर्स चाहिए जिनकी एक हजार गैलन की कैपेसिटी हो-दो, बिटुमन बायलर-एक, टियर 8 से 10 टन कैपेसिटी वाले 12 चाहिए, हाट मिक्स प्लांट बिथ इलैक्ट्रोनिक कंट्रोल्स 30-40 टन का एक चाहिए, पेवर फिनिशर एक चाहिए। ऐसी कई सारी मशीनें हैं। सभापति महोदय, तीन-तीन काम एक साथ में लिये और अब उसकी हकीकत क्या है? सभापति महोदय, उन्होंने उन कामों को सबलैट किया। आप चाहें तो इन तथ्यों की जांच करा लें, जांच करने के अन्दर अब कोई रिश्वत की रसीद तो होती नहीं जो पेश कर दी जाए। कागजों में यही आएगा कि सूर्या कंस्ट्रक्शंस ने ले रखा है, भाटी कंस्ट्रक्शंस ने ले रखा है, ताम्बी कंस्ट्रक्शंस ने ले रखा है। जमीनी हकीकत तो यह है कि हमने

(श्री ललित भाटी)

उसको सबलैट कर दिया दूसरे ठेकेदार को। जो बात मैंने शुरू में कही कि अगर हम शुरू में ही उन ठेकेदारों को पार्टिसिपेट करने देते तो छोटे स्तर के जो ठेकेदार हैं, ज्यादा मात्रा के अन्दर भाग लेते, काम्पीटीशन होता, कम रेट के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा सड़कों का काम ले सकते थे।

सभापति महोदय, पेवर की रेट तो आप भी जानते हैं, गांवों का ही आपका विधान सभा क्षेत्र है। आप समझते हैं कि राजस्थान के अन्दर कितनी सड़कें पेवर की बनी हुई हैं और कितनी आवश्यकता है। इस योजना का मुख्य ध्येय यह था कि पिछले 9 सालों में सड़कों की जो दुर्दशा हुई है उसे देखते हुए हम फिलहाल गांवों की सड़कों को इतनी राहत प्रदान करने वाली कर दें कि आने वाले समय में वे कम से कम वापस सरवाइबल की स्थिति में आ जाएं। सभापति महोदय, इसके अन्दर जो गाइड लाइंस दी गयी हैं उसके अनुसार तीन स्टेज के ऊपर, जब काम शुरू किया जाएगा तब, काम जब मध्य स्थिति में आ जाएगा, उसका आधा काम हो जाएगा तब और एक जब फिनिश्ड स्टेज आएगी तब इनके फोटोग्राफ्स किये जाएंगे। एक जगह पर भी जब काम चालू हुआ तो सड़कों के फोटोग्राफ्स नहीं लिये गये, बीच की स्थिति में जब पहुंच गया, जब आधा काम हो गया तब इनके फोटोग्राफ्स नहीं लिये गये। कुछ सड़कें हो सकता है कि पूरी कम्प्लीट भी हो गयी हैं, मुझे अपने इलाके की जानकारी है कि वहां जो इस मद में काम चल रहा है उसमें इन गाइड लाइंस का कहीं पर ध्यान नहीं रखा गया।

इसी में एक बात की गयी है, जो डिपार्टमेंट ने 28.3.2001 को गाइड लाइंस निकाली है इसका 5.5 क्लाज है इसमें दिया है —"A clause for ensuring employment of only the local people as unskilled labour has been incorporated." यह ध्यान रखने की सबसे बड़ी बात थी, अगर हम छोटे ठेकेदारों को लेते, प्री-बिड का इसमें नहीं रखते। इसके अन्दर, सभापति महोदय, इन्होंने क्रैशर ब्रोकन ब्लास्ट का प्रोविजन रखा है, मशीन से तोड़ी गयी ब्लास्ट। राजस्थान के अन्दर कौनसी इससे पहले ऐसी सड़कें बनी हुई हैं जहां पर हैण्ड ब्रोकन ब्लास्ट काम में नहीं ली गयी हो? सिर्फ इसी एक काम में और इस बात को भी नजरअंदाज करते हुए कि हमें लोकल लोगों को, जो अनस्किल्ड लेबर है उसको इसके हिसाब से काम पर लगाना है। अकाल की स्थिति आपको पता है, सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर यह तीसरा वर्ष अकाल का चल रहा है और रोजगार की सबको जरूरत है, गांव-गांव के अन्दर जरूरत है। इतनी जगह पर सड़क का काम चल रहे हैं, अगर वहां हैण्ड ब्रोकन ब्लास्ट काम में ली जाती तो कितने लोगों को रोजगार मिलता? मगर इस बात को भी नजरअंदाज किया गया और पूरा मशीनीकरण कर दिया गया ताकि ठेकेदारों को फायदा हो। उन्होंने भी सबलैट कर

(श्री ललित भाटी)

दिया। भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में हमारे द्वारा निकाले गये जो निर्देश हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि गवर्नमेंट आफ राजस्थान के पी.डब्ल्यू.डी. ने गाइड लाइंस इश्यू की है उसके ऊपर स्टैंडस्टिल नहीं हो रहे हैं, उनका ही ध्यान नहीं तो यह कथनी और करनी में कौनसी पारदर्शिता है, यह मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जनाना अस्पताल की भी इसी तरीके से एक बात है। बस थोड़ी देर में मेरी बात को समाप्त करूंगा। यह सब मेरे कटमोशंस से रिलेटेड बात है, उसमें से भी मैं सिर्फ इतनी-सी बात कट-शार्ट के अन्दर कहना चाह रहा हूं कि जो करीब 350 लाख रुपये का प्रोजेक्ट था, वह जाकर 625 लाख पर खतमं हुआ। सभापति महोदय, उसमें भी सारी कमियां उसी कमेटी ने सामने रखी है। अब तो ए.सी.डी. के अन्दर भी उन अधिकारियों के खिलाफ कुछ दिनों पहले ही मामला दर्ज हुआ है। मगर विभाग ने उसके ऊपर क्या कार्यवाही की है, सभापति महोदय, मेरी यह समझ में नहीं आता है। विभाग को ऐसा जरूर कोई नीतिगत निर्णय करना चाहिए। जो अफसर रिटायरिंग एज पर हैं, वे जाते-जाते यह मानकर कि बाद में तो मुझसे वसूल हो नहीं सकती, बाद में मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और वे राजकीय कोष को मर्जी आये जिस तरीके से लुटाकर अपना फायदा करके चले जाते हैं। इस मंसूबे के ऊपर रोक लगाने के लिए, इस आदत को रोकने के लिए कोई न कोई नीतिगत निर्णय करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं एक टेण्डर रेट्स के बारे में बात करना चाहता हूं। आपने देखा होगा, एक समय था जब काम्पीटीशन के माध्यम से रेटों के अन्दर इतनी एबव और बिलो की स्थितियां नहीं बना करती थीं। ठेकेदारों और अधिकारियों में एक साथ मिलकर पूल प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा है, उसमें रेट्स एबव होती हैं। उसके ऊपर भी माल किस तरीके का लगता है, यह आप जानते हैं। मगर निश्चित रूप से जो बिलो रेट्स के ऊपर टेण्डर होता है, उनमें बिलकुल सब-स्टैण्डर्ड काम होता है, यह आप भी जानते हैं और यह मैं भी जानता हूं। इस मामले में पंजाब हाई कोर्ट ने एक बोल्ड डिसीजन किया वहां तकरीबन 20 प्रतिशत बिलो के ऊपर कोई टेण्डर आया था मुझे एग्जेक्ट केस का पता नहीं, मंत्रीजी चाहेंगे तो मैं वह केस पेश कर दूंगा। उसके अन्दर एक्सईएन. ने जिसका लोएस्ट वन था 20 प्रतिशत बिलो के ऊपर, उसके रेट्स को नहीं माना और करीब 15 प्रतिशत बिलो के ऊपर, उसके रेट्स को नहीं माना और करीब 15 प्रतिशत एबव के ऊपर जो टेण्डर था उसको उसने सही मानते हुए वर्क अलाट किया। इस आर्डर के अगेंस्ट में जो लोएस्ट वन था वह कोर्ट में गया। पंजाब हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि एक्सईएन. चूंकि टैक्नीकल नो-हाउ को जाने वाला आदमी है, उससे ज्यादा बेहतर रिपोर्ट हम नहीं दे सकते है

(श्री ललित भाटी)

कि काम किस स्टैण्डर्ड का होगा और उसके लिए क्या रेट वाजिब हो सकती है, तो उसके द्वारा दिया गया निर्णय सही है और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो वहां एक शुरूआत हुई है और हम लोएस्ट आदमी को टैण्डर देने की प्रक्रिया अपनाये हुए हैं, चाहे उसकी रेट कुछ भी आई हो। उस रेट के आधार पर काम की गुणवत्ता के ऊपर हम ध्यान नहीं देते क्योंकि रेट्स का उसके साथ में जस्टिफिकेशन होता है कि रेट कम है, कि जैसा घी होगा उतना ही मजा आएगा। इस बात की शुरूआत हुई है, सभापति महोदय, तो इसके ऊपर भी अपने को सोचना चाहिए कि क्या विभाग इस तरीके से कोई साहसिक निर्णय कर सकता है कि हम काम की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए इसको अधिकारियों के विवेक के ऊपर छोड़ें। वे इस बात को जस्टिफाई करें कि जिस टैण्डरर की रेट बिलो है वह उतनी गुणवत्ता का काम नहीं दे सकता है। अगर वह हाइएस्ट रेट वाले टैण्डरर को देना चाहता है तो हम यह निर्णय यहां पर लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, 786वें उर्स का हमारे अजमेर के अन्दर काम हुआ और एक लोरिया कमेटी बनी। हमारे नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने पिछले बजट के अन्दर अपने कटमोशन के द्वारा यह बात उठाई थी कि हमने इस लोरिया कमेटी को करीब एक लाख रुपये का पेमेंट किया है मगर उसके रिजल्ट्स क्या आये? एक तो काम के घोटालों की जांच और जांच पर भी पैसों का खर्चा और उस खर्चे के बाद में रिजल्ट्स के बारे में कोई पता ही नहीं। ये तीन जांचें एक साथ हुई थीं— जनाना अस्पताल, मार्टिनल ब्रिज और 786वां उर्स, तीनों नतीजों से हम लोग अभी तक नावाकिफ हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह जरूर चाहेंगे कि जब हमने एक लाख रुपये का उनको पेमेंट किया है उनके भत्तों के लिए, जांच के लिए, सारी चीजों के लिए तो उनकी क्या रिपोर्ट आई हैं, उसके आधार पर भी कार्यवाही होनी चाहिए और वह जनता को पता लगना चाहिए...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये, आपको आधा घंटा हो गया है बोलते हुए।

श्री ललित भाटी : सभापति महोदय, एक मिनट लेकर पी.डब्ल्यू.डी. की बात खतम करना चाहता हूं। सभापति महोदय, सिर्फ दो मिनट और लूंगा, पी.डब्ल्यू.डी. की बात तो समाप्त कर दी है। एक सड़क की बात मुझे कहनी है। बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, अजमेर के लिए लाइफ लाइन का यह काम करेगी। ब्यावर रोड से आप गुजरते हैं तो जो डी.ए.वी. कालेज के पास में नारीशाला होकर और नसीराबाद रोड, इन दोनों हाई वेज को जोड़ने के लिए इनके बीच में बहुत घनी आवादी वस चुकी है और आने-जाने के लिए कोई आवागमन नहीं है...

श्री रमजान खान : पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप अपनी बात उनको कहिये। वे बात कर रहे हैं, वापस बोलो अब इनको। (व्यवधान) इसको रिपीट करो वापस, भाटीजी।

श्री ललित भाटी : सभापति महोदय, यह जो ब्यावर रोड नारीशाला होते हुए नसीराबाद को जोड़ने वाली सड़क है, इसके लिए मैंने याचिका भी विधान सभा के अन्दर लगाई हुई है और मुझे विश्वास है कि यह महत्वपूर्ण सड़क अजमेर के लिए लाइफ लाइन का काम करेगी। अभी सही सड़क नहीं होने की वजह से सभी को काफी किलोमीटर घूमकर ब्यावर रोड वाले को भी घूमकर पूरी नसीराबाद रोड तक 8-6 किलोमीटर का फर्श पड़ता है। तो वह समय की बचत भी हम करवा पाएंगे, फ्यूल की बचत भी हम करवा पाएंगे और अजमेर के हित का यह विकास का काम कर पाएंगे।

सभापति महोदय, यहां पर आपके माध्यम से सहकारिता के बारे में दो मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं क्योंकि सहकार...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, काफी लम्बा समय ले लिया आपने।

श्री ललित भाटी : अब 2-3 मिनट से ज्यादा की बात नहीं है। सभापति महोदय, पांच मिनट में अपनी बात करूंगा।

सहकार का अजमेर प्रोपर शहर के अन्दर तो किस तरीके से दर्शन-प्रदर्शन है, पता नहीं, कारों का बहुत प्रदर्शन है। मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वैसे तो आपकी जानकारी के अन्दर है आप हमारे प्रभारी मंत्री हैं और वैसे भी आप इस चीज से वाकिफ हैं। सहकारी नियमों में जो एन.जी.ओ. का और गैर सरकारी संस्था का पंजीकरण होता है और उसके अन्दर जो नियम बने हुए हैं उन नियमों में कहीं न कहीं कोई शिथिलता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर शिथिलता नहीं है तो अजमेर में इस मसले में जानबूझकर कोई शिथिलता प्रदान की गई है, इसलिए फिर मामला बनता है। हमारे अजमेर के अन्दर एक सिटीजन कौंसिल है, इस सिटीजन कौंसिल का विधान बना हुआ है कि जिला कलक्टर जो भी आएंगे वह उसके अध्यक्ष होंगे। सम्भागीय आयुक्त उसके सदस्य होंगे और अध्यक्षता कलक्टर की है और दूसरे विभाग के अधिकारी जो इसमें नामजद किये हुए हैं, वह तो हैं ही। बाकी फिर मर्सी है, लिबर्टी है, प्रिविलेज़ है सिटीजन कौंसिल के दूसरे अधिकारियों का, अध्यक्ष का वे जिनको भी चाहें उनको बुलावें और बुलाकर मीटिंग लेकर सहकारी निर्णयों के मामले में, सरकारी योजनाओं के मामले में उससे अजमेर की जनता को अवगत कराया जा सकता है। सभापति महोदय, हमारी सरकार का निर्णय, हमारी सरकार की योजना है, उससे जनता को अगवत कराने के बहुत सारे मंच हैं, हम सीधे तौर से ही बता सकते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग होती है उसमें भी बता सकते हैं। हमारे विभागीय मंत्री जब पधारते हैं, वह विभाग की मीटिंग लेते हैं,

(श्री ललित भाटी)

उसके माध्यम से भी उन चीजों को बताया जा सकता है। मगर यह एक समानान्तर प्रशासन इस सिटीजन कौंसिल के नाम से वहां पर बना हुआ है। मैं आपके माध्यम से दो-तीन चीजें सहकारिता मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं। मंत्री महोदय के किन आदेशों के तहत डी.ओ.पी. ने ऐसे कौनसे आदेश निकाले हैं जिससे इस तरह से गैर सरकारी संस्था में जिला कलक्टर अध्यक्ष है? मैं यह मानकर चलता हूं कि सरकारी समिति हो, कोई सरकारी फोरम हो उसमें तो हम सरकारी अधिकारियों को चेयरमैन बना सकते हैं, उसका मेम्बर सैक्रेटरी बना सकते हैं, उसका मैम्बर बना सकते हैं परन्तु जो संस्था सरकारी नहीं है उसका चेयरपर्सन जिला कलक्टर हो, सारे सरकारी अधिकारी उसके सदस्य हों, तो सहकारिता के निमयों में या अधिनियम में ये कौन से प्रावधान हैं जिनके तहत ये सदस्य बने हुए है? अगर डी.ओ.पी. ने इस तरीके का कोई आदेश नहीं निकाला है तो आर.एस.आर. के अन्दर ऐसा कौन-सा प्रावधान है? आखिर ये हमारे आई.ए.एस., आर.ए.एस., आई.पी.एस. और आर.पी.एस. हैं, कोई कोड आफ कंडक्ट तो इनका होगा? सभापति महोदय, अगर कोड आफ कंडक्ट इनके ऊपर लागू होता है तो वह अजमेर के मामले में लागू नहीं हो रहा या आपने पूरे राजस्थान में ही इस तरीके की कोई सिटीजन कौंशिल बना रखी है? अगर पूरे राजस्थान में आपने बना रखी है तो वह किन नियमों में? मैं वही आपके माध्यम से चाहता हूं कि यह जो समानान्तर...

श्री जनार्दन गहलोत : अजमेर का कलक्टर पहले से अलग रहा है, अंग्रेजों के जमाने में अलग रहा...

श्री ललित भाटी : कमिश्नरी कंट्रोल यह रहा। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सहकारिता मंत्रीजी से यह पूछना है कि डी.ओ.पी. के या आर.एस.आर. के या कोड आफ कंडक्ट के ऐसे कौन से प्रावधान हैं जिनके तहत इस तरीके से वहां पर सरकारी अधिकारी कर रहे हैं? एक बार तो पराकाष्ठा हुई, सभापति महोदय। हमारे नव निर्वाचित म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन हैं उनका और हमारे जो सांसद महोदय हैं उनका स्वागत मीटिंग हाल में कलक्टर प्रिमिसेज के अन्दर सिटीजन कौंसिल के बैनर तले किया गया जहां पर सरकारी लोग बैठकर सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाते हैं या उनका वहां पर रिव्यू करते हैं, उसकी प्रगति को देखते हैं। मंत्री महोदय, आप इस बात को सुनिश्चित करें कि अगर यह नियमों में हुआ है तो ठीक है, उसकी जानकारी आप हमारे को कराएं। फिर तो पूरे राजस्थान के अन्दर आप यह बनाएं। इससे सरकार को कोई सम्बल मिलता हो तो यह पूरी जगहों के ऊपर लागू होना चाहिए। अगर यह नियमों में नहीं है तो क्या इस संस्था का...

श्री सभापति : अब, भाटीजी, होल्ड कीजिए।

श्री ललित भाटी : सभापति महोदय, यह अहम बात है कि जानते-बूझते, जो नियमों में नहीं आता, वह किया गया। सब से विधान लिया जाता है रजिस्ट्रेशन के समय, इस संस्था का भी जब विधान लिया गया और उसमें नियमों की अनदेखी करके सरकारी अधिकारियों को पद बांटे जा रहे थे, तब रजिस्ट्रीकरण इसका हुआ तो रजिस्ट्रेशन करने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का आपको मन है या नहीं, यह मैं आपके उत्तर के अन्दर जानना चाहूंगा। आपने मुझे बहुत समय दिया इसके लिए धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति : अब बिराजें। माननीय मांगीलालजी।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता) : माननीय सभापति महोदय, आज इस पवित्र सदन में मांग संख्या 36-सहकारिता, मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य और मांग संख्या 21-सड़क एवं पुल पर विचार-विमर्श हो रहा है। इस सदन के विचार-विमर्श में अपने आप को सम्मिलित करते हुए सबसे पहले मैं हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी और सहकारिता मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य स्तरीय सहकारी कांग्रेस में 15 अप्रैल को सहकारिता को सहकारिता का रूप देने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि राजस्थान में सहकारिता अधिनियम जो बनाया जाएगा वह पूरे देश का आदर्श सहकारी अधिनियम होगा और उस अधिनियम को इसी सत्र में पास करवा कर सहकारिता के चुनाव करा कर इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, सहकारिता की अपने आप में एक परिभाषा है और सहकारिता के अपने सिद्धान्त हैं। मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा जो इस सहकारिता के प्रगति प्रतिवेदन के भी द्वितीय पृष्ठ पर प्रकाशित किये गये हैं, बहुत सुंदर अक्षरों में प्रकाशित किये गये हैं। पहला सिद्धान्त स्वैच्छिक और खुली सदस्यता, दूसरा प्रजातांत्रिक सदस्य नियंत्रण, तीसरा सदस्य की आर्थिक भागीदारी, चौथा स्वच्छता एवं स्वतंत्रता, शिक्षा, शिक्षण और प्रशासन सूचना, सहकारी समितियों का परस्पर सहयोग, समुदाय के प्रति निष्ठा। यदि हमारा कोई भी कानून बनेगा तो वह इन सिद्धान्तों के अनुरूप होना चाहिए। इन सिद्धान्तों के अनुरूप कानून बनेगा तभी हम राजस्थान राज्य में इन संस्थाओं को सहकारिता का रूप दे सकेंगे। माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज इस सदन में सभी माननीय सदस्यों ने सहकारिता को एक पवित्र आन्दोलन बताया और यह सत्यता है कि नेहरूजी ने इस पवित्र आन्दोलन की शुरूआत की। राजस्थान राज्य में ग्रामीण, दुर्बलतम वर्ग और कमजोर वर्ग जितने हैं चाहे दस्तकार हों, किसान हों, उनके आर्थिक विकास में इस सहकारी आन्दोलन की विशेष भूमिका रही और आज इसको हम नकार नहीं सकते कि निःसंदेह राजस्थान के विकास में

(श्री मांगीलाल डांगा)

सहकारिता का योगदान रहा। सभापति महोदय, आज जो सहकारी संस्थाएं संचालित हो रही हैं वे 1965 के राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम के तहत संचालित हो रही हैं। जब इनके सिद्धान्तों की ओर आप गौर करेंगे तो 1965 के परिप्रेक्ष्य में यह अधिनियम बनाया गया। संस्थाओं के संचालन के लिए मुख्य उनके उप नियम होते हैं, उन उप नियमों की संस्था के द्वारा संरचना करके उनका पंजीयन कराया गया। उनका आज धीरे-धीरे क्या रूप होता गया है? इन संस्थाओं के अधिनियम में तोड़-फोड़ कर इस तरीके के प्रावधान किये जाते हैं, अभी माननीय सदस्य चाहे सत्ता पक्ष के हैं, चाहे प्रतिपक्ष के बिराजें हैं, सभी ने इस बात की आलोचना की कि सहकारिता में प्रशासक नहीं होने चाहिए। आज इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप भी लगे कि सहकारिता माफिया के कब्जे में है। सभापति महोदय, चाहे माफिया का कब्जा किसी रूप में हो, किसी का हो, उस पर विचार रखूं उससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं उससे पहले उस पृष्ठभूमि की यह नींव किसने डाली। माननीय सदस्य प्रतिपक्ष में बिराजे हैं, मैं इस सहकारिता में जो उन्होंने अच्छे काम किये, उसकी भी सराहना करने से कभी नहीं चूकूंगा, परन्तु यह नींव डाली गयी आप द्वारा धारा 36 में संशोधन करके। हमारी संस्था के उप नियमों में प्रावधान था कि सहकारी संस्था का चुनाव एक निश्चित कार्यकाल के लिए होगा। और सहकारी संस्था का चुनाव यदि किन्हीं परिस्थितियों में नहीं हो सकता है तो संस्था का जो निर्वाचित संचालक मण्डल है वह नये चुनाव तक कार्य करेगा। परन्तु बात आती है कि संस्था के संचालक मण्डल चुनाव नहीं कराएंगे और बने रहेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, चुनाव का अधिकार रजिस्ट्रार में निहित है, रजिस्ट्रार जब चाहे चुनाव कराएं। रजिस्ट्रार चुनाव यदि रोकेगा तो सरकार की मंशा से रोक सकता है, बाकी रजिस्ट्रार को चुनाव कराने की पूर्ण शक्ति है। इसलिए या तो समय पर चुनाव कराएं और चुनाव नहीं कराएं तो जनता ने, सदस्यों ने चुनकर जो कारोबार उसको सौंपा है उस संचालक मण्डल को कार्य करने दें। भाजपा सरकार के समय एक यह प्रावधान जोड़ा गया कि यदि निर्वाचित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो वहां हम प्रशासक लगाएंगे। प्रशासक लगाने का प्रावधान बहुत बुरा है। यह प्रावधान धारा 36 में पहले भी था। पर पहले किस रूप में था कि संस्था का संचालक मण्डल अधिनियम, नियम और उप नियमों के अनुसार कार्य नहीं करे, संस्था का संचालक मण्डल ऐसा कार्य करे कि जो संस्था को हानि पहुंचा रहा है, सदस्यों की मांग के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो रजिस्ट्रार उस संचालक मण्डल को भंग कर सकता था। यह बात तो समझ में आती है कि काम ठीक नहीं करने वाले को आप हटाइये लेकिन काम अच्छा करते-करते कार्यकाल समाप्त हो जाए, चुनाव आप कराओ नहीं और कह दो

(श्री मांगीलाल डांगा)

भंग। आज बात हो रही थी कि माफिया के शिकंजे में हैं, यह सारा माफिया का शिकंजा, जिसको मैं माफिया का शिकंजा नहीं मानता, हमारे अधिकारी हैं। प्रशासक आपने लगाया है वह भी इतने ही सम्माननीय हैं, परन्तु उन अधिकारियों को आप माफिया का दर्जा दे रहे थे कि माफिया के कब्जे में हैं। आज हमारी सारी संस्थाओं में प्रशासक हैं, आप उनको माफिया मानेंगे या यह जो नींव लगाई थी, मैं ध्यान में लाना चाहता हूं कि भाजपा के शासनकाल के अन्दर यह नींव लगी थी?

दूसरा आपने एक बहुत बड़ा सोच-समझकर किया होगा कि जिस संस्था में दो लाख रुपये की हिस्सा पूंजी हम दे देंगे उसमें हम राजकीय अधिकारी को चाहे सरकार का नामित व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर, प्रतिनियुक्ति नियमावली में नाम-निर्देशन शब्द लिया गया है, नाम निर्देशन, नामीनेशन करेंगे और वह संस्था का पूरा चीफ एग्जीक्यूटिव का कार्यभार संचालित करेगा। मैं इस परिप्रेक्ष्य में निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, मेरा कोई किसी अधिकारी से विरोध नहीं है लेकिन हर अधिकारी हर विषय में विशेषज्ञ नहीं हो सकता। एक मार्केटिंग का विशेषज्ञ हो सकता है, एक बैंकिंग का विशेषज्ञ हो सकता है, एक सहकारी शिक्षा का विशेषज्ञ हो सकता है। मेरा जो सबसे बड़ा विरोध है और विचार करने की आवश्यकता है वह यह कि एक संस्था जिसको दो लाख रुपये की हिस्सा पूंजी का अंशदान दिया और उस संस्था में हमने उस अधिकारी की नियुक्ति की जिसके वेतन-भत्ते दो साल में दो लाख रुपये हो गये और अधिकारी का संस्था के प्रति कोई दायित्व, कोई कमिटमेंट नहीं है कि आप उसको कब बुलाओगे, कब तक वहां रखोगे। आज जो यह हो रहा था कि संस्था बहुत भारी नुकसान में गयी है उसका कारण यह है। कई इस तरह की भूलें हुई हैं जो संस्था के नुकसान में जाने का एक कारण रहा है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि 15 अप्रैल से जब से यह घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी और सहकारिता मंत्रीजी ने की है,

(16.31 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

पूरे हिन्दुस्तान के सहकारी आन्दोलन से जुड़े हुए सदस्यों की नजर हमारे मुख्य मंत्रीजी और राजस्थान की तरफ है, ये आदर्श कानून देखना चाहते हैं। मुझे विश्वास है क्योंकि हमारे सहकारिता मंत्रीजी प्रयत्न से लगे हुए हैं। मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा-पत्र में वायदा किया था और कांग्रेस ने विश्वास दिलाया था कि एक आदर्श कानून बनेगा। मैं धन्यवाद देता हूं जो प्रतिपक्ष में बैठे हैं उनको कि आपने 8-9 साल में सारे सहकारिता अधिनियम और नियमों में एक काम किया है चुने हुए व्यक्ति के अधिकार कम करने का। मैं आपसे पूछता हूं, चुने हुए व्यक्ति चाहे सहकारी संस्था में हों, चाहे विधान सभा में हों, लोक सभा में हों, आपको अपने-आप

(श्री मांगीलाल डांगा)

में भरोसा नहीं रहा, उनकी शक्तियों को आपने कम किया और जो नियुक्त अधिकारी हैं उनके ऊपर आपको बहुत भरोसा रहा। आपने एक काम जरूर अच्छा किया, जब आन्ध्र प्रदेश ने एक एक्ट बनाया था स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए तब हम लोगों ने आपके शासन के टाइम समय-समय पर ज्ञापन दिये, सभाएं कीं। जो मैं अभी बात कह रहा था चीफ एग्जीक्यूटिव वाली, आपके तत्कालीन मुख्य सचिव और सहकारिता सचिव कांग्रेस पार्टी का सहकारिता का महा सम्मेलन हो रहा था उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि यह बहुत बड़ी गलती हुई कि सहकारी संस्थाओं के मुख्य अधिकारियों का स्थायित्व नहीं है। उसको यह पता नहीं रहता कि कब तो मैं सहकारी संस्था के मैनेजिंग डाइरेक्टर के पद पर हूं और कब वापस चला जाऊंगा। न सहकारी संस्था को इस बात का विश्वास रहता है कि मेरा चीफ एग्जीक्यूटिव कब तक रहेगा। इस बात का मैंने उस सम्मेलन में भी उनको धन्यवाद दिया था कि भूल के लिए उन्होंने प्रायश्चित किया। आज जब इस बात की महिमा सभी कर रहे हैं, नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इसकी महिमा का धन्यवाद दिया कि हमारी को-आपरेटिव कांग्रेस का राजस्थान में आयोजन हुआ और यह प्रथम आयोजन था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह आयोजन राजस्थान राज्य सहकारी संघ के माध्यम से था और इसे हमारे सहकारिता मंत्रीजी का पूर्ण आशीर्वाद था। माननीय मिर्धा साहब की लगन और चेष्टा थी कि सहकारिता को एक नया रूप दिया जाए और मुख्य मंत्रीजी लगन से प्रयत्नशील थे कि एक अधिवेशन हो और अधिवेशन में राजस्थान के सहकारिता से जुड़े सभी सदस्यों, जन प्रतिनिधियों की भावना को जाना जाए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो आज सहकारी संस्थाओं में हम शिक्षण और प्रशिक्षण की बात करते हैं उसके लिए आवश्यक है कि राजस्थान का सहकारी संघ मजबूत बने। एक बहुत बड़ी भूल मानिये या जानबूझकर ऐसा किया गया, राजस्थान सहकारी संघ जो सहकारिता की एक यूनियन है और सबसे शीर्ष संघ सभी संस्थाओं का है, उसको नकार कर भाजपा शासन के समय में संस्थान अधिनियम के तहत राजस्थान—

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, 14 माननीय सदस्य और बोलने हैं।

श्री मांगीलाल डांगा : मैं तो अभी दो मिनट में पूरा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सहकारिता तो बहुत हो गयी, अब थोड़ा सड़क पर बोल दें। खतम करो इसको।

श्री मांगीलाल डांगा : शार्ट में करता हूं, साहब, इसको।

सहकारिता अधिनियम से हट कर इस तरह की संस्था का गठन किया, माननीय मंत्री महोदय, उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री मांगीलाल डांगा)

उसको आप वापस सहकारिता के परिप्रेक्ष्य में और सहकारिता के दायरे में लाइये। हमारा उस संस्था से कोई विरोध नहीं है, अधिकारियों से कोई विरोध नहीं है परन्तु सहकारिता के मूल सिद्धान्तों से विमुख हो कर तत्कालीन सरकार ने यह संस्था बनायी है। सहकारी अधिनियम की तरफ आप ध्यान देंगे तो धारा 129 में रजिस्टर्ड संस्था के अलावा सहकारी शब्द का कोई उपयोग नहीं कर सकता है। वह अपराध भी है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता पर बहुत आरोप लगे हैं। तिलम संघ की बात आयी, उपाध्यक्ष महोदय। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि उसको सहकारिता का रूप दिया, हिस्सेदारों को निर्वाचित लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से उसको संचालित करने का मौका दिया और आज बदनामी आती है संहकारिता के नाम पर। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां एकमात्र शुगर मिल थी केशोरायपाटन, आज आप उसको बंद करने के लिए निर्णय ले रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप उसका अध्ययन करवाइये। मैं उस क्षेत्र में गया था और पहले भी उस मिल के जो राजफैड के और कुछ बकाया थे, मैंने उनका सेटलमेंट करवाया था। आज आप अध्ययन करवाइये, उस मिल को हम पुनर्जीवित कर सकते हैं, राजस्थान के लिए सहकारिता क्षेत्र में यह एक बहुत बड़ी धरोवर रहेगी। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम उनके लिए नये संसाधन जुटाने के लिए भी तैयार है, परन्तु एक्सपर्ट से उसकी एक रिपोर्ट तैयार कराइये। ऐसी मिलों को हम चलाएं। इसी तरह से तिलम संघ के लिए भी बंद करने से पूर्व आप अध्ययन करके विचार करें कि विभाजित कर-कर भी किस तरह से हम चला सकते हैं। इन संस्थाओं का समय-समय पर विलीनीकरण किया गया, संस्थाओं को तोड़ा-मरोड़ा गया, उसका भी हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे सहकारी बैंकों के माध्यम से एक हजार करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है और 257 करोड़ 50 लाख के दीर्घकालीन ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है, यह बहुत अच्छा प्रावधान है और आप इसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि राजस्थान में क्रेडिट की काश्तकारों की जो आवश्यकता है उसके लिए आप पूरी तरह से योजना बनाइये। उस योजना में जो आज हमारा पैसा बैंकों में पड़ा है उससे किसानों को लाभान्वित कराइये। आज सोचने की बात यह है कि हमारे सहकारी क्षेत्र के बैंक कामर्शियल बैंक से ज्यादा ब्याज दर ले रहे हैं। आप नाबार्ड के साथ विचार-विमर्श करके इस ब्याज की दर को कम कराइये। दूसरा, शीर्ष संस्था और केन्द्रीय संस्था के बीच में जो ब्याज का अनुपात है उसको विचार-विमर्श करके कम कराकर ग्राम स्तर की संस्था को फायदा

(श्री मांगीलाल डांगा)

पहुंचाए ताकि किसानों को कामर्शियल बैंकों की प्रतिस्पर्धा में सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा सकें।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को ऋण राहत योजना के तहत ऋण माफ किये गये, बहुत अच्छा कदम था। सरकार ने घोषणा की परन्तु आज भी इस राहत का पैसा बैंकों और सहकारी संस्थाओं को नहीं मिल पाया और उसके प्रतिफल में हमारी सहकारी संस्थाओं की स्थिति दयनीय बनी हुई है। यह सिर्फ सरकार के निर्णय से बनी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार से उसके बारे में आप राशि उपलब्ध कराइये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियां ग्राम का आधार है, लेकिन उस ग्राम सेवा समिति के मैनेजर की स्थिति आज यह बन रही है कि वह न तो संस्था का कर्मचारी है, न सरकार का कर्मचारी है और न बैंक का कर्मचारी है। इसके लिए हमें एक निर्णय लेकर कोई ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे चाहे वह संस्था का कर्मचारी रहे परन्तु उसकी सेवा सुरक्षा हो और वाजिब वेतन और सुविधाएं संस्था उसको दे पाए। इसके लिए हमें नियम और कानून में ऐसे प्रावधान करके साधन जुटाने पड़ेंगे।

एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर सदन में बार-बार चर्चा हुई। बहुत ही जरूरी है कि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से समर्थन मूल्य पर कृषि जिन्सों की खरीद हो। उपाध्यक्ष महोदय, हमेशा से इस प्रकार की खरीद होती रही है। सहकारी संस्थाएं अपने संसाधन से वाणिज्यिक खरीद करती हैं और बाजार में किसान को उचित मूल्य दिलाने के लिए हर मण्डी में अपनी उपस्थिति देती है। समर्थन मूल्य पर खरीद चाहे भारत सरकार का दायित्व हो, चाहे राज्य सरकार का दायित्व हो परन्तु किसान की आज दयनीय स्थिति बन रही है। आज उसकी लागत का मूल्य भी नहीं मिल रहा है। उसके लिए भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजफैड के अधिकारियों को कि उनकी मेहनत से 125 करोड़ के लगभग की सरसों की खरीद हुई है। समर्थन मूल्य की खरीद बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। भारत सरकार इसका मूल्य तय करती है, कितनी खरीद करनी चाहिये यह भारत सरकार तय करती है। भारत सरकार इसका भुगतान करती है। तिलहन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नैफेड राष्ट्रीय एजेंसी है और नैफेड के एजेंट के रूप में राजफैड और ये काम करते हैं। इसी तरह से खाद्यान्न और दूसरी कमोडिटी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य निगम भारत सरकार का एजेंट है। उनके माध्यम से चाहे राजफैड से ख़रीद करवायी जाए, चाहे किसी और से ख़रीद करवायी जाए, राज्य सरकार की देख-रेख में समर्थन मूल्य पर खरीद का काम होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 125 करोड़ के पेटे सिर्फ 83 करोड़ का भुगतान नैफेड से राजफैड को हुआ है। मैंने जानकारी की

(श्री मांगीलाल डांगा)

है कि नैफेड को भी न तो भारत सरकार ने राशि जुटाई है और न नैफेड को भारत सरकार ने गारंटी देकर रिजर्व बैंक से कोई लिमिट स्वीकृत करवाई है। हमारे प्रतिपक्ष के नेता बड़े गम्भीर हो रहे थे और किसानों के लिए गम्भीर होना भी चाहिये। परन्तु मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह भारत सरकार का दायित्व है, भारत सरकार का काम एक एजेंसी के रूप में राज्य सरकार और हमारी सहकारी संस्थाएं कर रही हैं, उनके लिए आप रूचि लेकर भारत सरकार से करवाइए। एक प्रश्न यहां रखा गया जिसकी जानकारी हमें आप जब उत्तर के समय दें या दो-तीन दिन के बाद जब आप अपना वक्तव्य दें जरूर करावें कि भारत सरकार ने कोई ऐसा निर्णय लिया है कि राज्य सरकारें खरीद करेंगी और खरीद करने के बाद में उनका जो नफा-नुकसान होगा उस राशि का पुनर्भरण भारत सरकार करेगी। यदि ऐसी व्यवस्था है तो राजस्थान सरकार को आगे आकर सहकारी बैंकों के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंकें या रिजर्व बैंक से लिमिट लेकर भारत सरकार के खाते में उसको डेबिट कर नफा-नुकसान के आधार पर किसानों की खरीद करवानी चाहिये। यदि ऐसा आदेश नहीं है तो भारत सरकार से, सदन से यह प्रस्ताव पारित करके निवेदन करना चाहिये कि राजस्थान का किसान लुट रहा है, उसके लिए भारत सरकार संसाधन उपलब्ध करवाए नैफेड को और हमारे राजफैड को ताकि किसानों की खरीद की जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री मांगीलाल डांगा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। हमारे यहां जिस तरह से कृषि उपज के लिए संस्थाएं बाजार में जाती हैं तो दूसरे दिन किसान महसूस करता है और आप हर मण्डी में इस बात का पता लगवा लें कि दूसरे दिन भाव बढ़ते हैं। खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयों की बिक्री अपनी मण्डी में होती है तो जितना बजट राजस्थान सरकार और भारत सरकार इन सहकारी संस्थाओं में खर्च कर रही हैं, यदि अपनी प्रवर्तन एजेंसियां उससे चार गुणा खर्च कर दें तो भी मूल्य नियंत्रण में कामयाब नहीं हो सकतीं। यह सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान है और इसलिए हमें मजबूती के साथ इसको लेना चाहिये।

आज भ्रष्टाचार के संबंध में यहां काफी चर्चा की गई। मेरा दावा है कि आपके जितने भी कारपोरेशन हैं या चाहे किसी भी विभाग को ले लें, उसकी आप सहकारिता से तुलना करेंगे तो सहकारिता भ्रष्टाचार के मामले में बिलकुल कम श्रेणी में रहेगी। यह एक आन्दोलन है इसलिए जो कुछ होता है वह जनता तक को पता लगता है, हर मैम्बर तक को पता लगता है इसलिए यह ज्यादा प्रचारित होता है। मेरा दावा है कि किसी भी कारपोरेशन से और प्राइवेट सैक्टर की जो बैंक हैं उनसे भी हमारी सहकारी संस्थाएं आगे रहेंगी। आज

(श्री मांगीलाल डांगा)

भारत सरकार ने बैड् डैब्ट्स के लिए 51 हजार करोड़ रुपये का कामर्शियल बैंकों को अंशदान दिया है, उनको अनुदान दिया है, लेकिन सहकारी बैंकों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बैड डैब्ट्स की पूर्ति वे अपने लाभ से कर रहे हैं और उसके बाद भी सहकारिता पर अंगुली उठती है। अभी मंत्री महोदय ने कहा कि इस तरह से किसी बात पर कोई जांच नहीं होगी, मैं किसी अधिकारी को निलम्बित नहीं करूंगा। यह बहुत अच्छा कदम है आपका। आपने यह भी कहा कि पिछले टाइम में मैंने जो निलम्बित किये थे, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने एक अधिकारी को जो मेरे क्षेत्र के रहने वाले हैं, जोइंट रजिस्ट्रार को निलम्बित किया था। आपने पांच जांच उनके खिलाफ करवाई हैं और पांच जांचों में यदि आरोप साबित नहीं होता है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जांच को पैंडिंग रखते हुए उनको रीइंस्टेट कीजिए। यदि उनके खिलाफ आरोप है तो आप एक न्यायिक जांच बैठाकर उनके खिलाफ जांच कीजिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमजान खान जी।

श्री मांगीलाल डांगा : दो मिनट लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप समझ ही नहीं रहे हैं। इतने सदस्यों को बोलना है, आपको कह रहे हैं पर आप बंद ही नहीं हो रहे हैं।

श्री मांगीलाल डांगा : सिर्फ दो मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को कि गत वर्ष सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट में राजस्थान सरकार से राशि का प्रावधान नहीं होते हुए श्री आपने और हमारे सांसद महोदय ने भारत सरकार से प्रयत्न करके राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत करवाये। नागौर की एक पहचान थी और लोग कहते थे कि चाहे बस से जाओ, चाहे कार से जाओ, नागौर की सीमा आएगी तो नींद में सोये हुए जाग जाओगे। उस रूप को आपने बदला है। मंत्री महोदय, जिस तरह से भारत में गांधीजी को जाना जाता है, आपके दादाजी श्री बलदेव रामजी मिर्धा को मारवाड़ में उसी रूप में जाना जाता है। आज उनकी साख और उनकी ताकत आपके पास है। आज जो ये आरोप लगे थे कि हमारी सड़कों की क्वालिटी में सुधार होना चाहिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप राज्य स्तर पर एक सतर्कता कमेटी बनाएं जिसमें अलग-अलग अधिकारी हों और जन-प्रतिनिधियों को भी उसमें शामिल करें और सड़क चैकिंग करवा कर बिना शिकायत के आप उनकी क्वालिटी के नमूने लेकर लेबोरेटरी में उनको परीक्षण करवाएं ताकि क्वालिटी

(श्री मांगीलाल डांगा)

सुधरे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारी रोड्स की सीमाओं पर बहुत अतिक्रमण हो रहे हैं। उन अतिक्रमणों के लिए आप अपने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों का दायित्व फिक्स करें कि वे उनकी सुरक्षा करें। इनके दो नुकसान होते हैं। एक तो आपकी सड़कों पर अतिक्रमण होता है। गांव का आदमी जिसको जानकारी नहीं होती है वह सड़क के किनारे अपना मकान बना लेता है और जब सड़क निर्माण की बात आती है तो वह मकान टूटता है तो उसको बहुत दुःख होता है। इसके लिए भी आप कदम उठाएं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ हमारे क्षेत्र की सड़कें हैं जिनका जीर्णोद्वार करना है। जसनगर से रियाबड़ी, मेड़ता से कुंडया, गोटन से टालनपुर, बासनीसेजा, पाडूकलां से रियाबड़ी, आलनीवास पुष्कर, लाम्पोलाइ से बग्गड़, इनकी आप प्राथमिकता के साथ मरम्मत करवाएं और पुनर्जीवित करवाएं। मेड़ता क्षेत्र और नागौर जिले को एक दूसरे से जोड़ने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेड़ता वाया डांगावास चावंड़िया जडाऊकलां रियांबड़ी आलनीवास होते हुए पुष्कर तक का राज्य उच्च मार्ग घोषित करने की कृपा करावें। दूसरा डीडवाना, खाटू, डेगाना, पाडूकलां, रियांबड़ी से ब्यावर को जोड़ने के लिए राज्य उच्च मार्ग घोषित करवाने की कृपा करावें।

अंत में एक निवेदन करना चाहूंगा कि मेड़ता में दो सहायक अभियन्ता के पद हैं, उनमें से आप एक सहायक अभियन्ता का पद मुख्यालय पंचायत समिति रियां में करवाने की कृपा करावें। मेड़ता का दूसरा जो सहायक अभियन्ता का कार्यालय है उसका आपने पंचायत समिति क्षेत्र मेड़ता का कार्य क्षेत्र रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया और मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी ने सड़कों के लिए बजट दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमजान खान।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों मंत्रियों के रिप्लाई तक बढ़ा दिया जाए। बार-बार बढ़ाने से कोई सैंस नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मांग तो रात के 11 बजे तक पारित नहीं होगी, आप एक घंटा, दो घंटा, कितना बढ़ाना चाहते हो बढ़वा लो अनसर्टेन टाइम क्यों रखते हो? यह तो परम्पराओं के खिलाफ है। हाउस निश्चित अवधि तक चलता है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : एक घंटा मांगा है।

श्री रामनारायण चौधरी : ठीक मांगा है आपने।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया। श्री रमजान खान।

मांग संख्या-36, 19 व 21 पर विचार

श्री रमजान खान (पुष्कर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में सहकारिता, लोक निर्माण कार्य और सड़क व पुल के बारे में चर्चा हो रही है, इसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए मेरे विचार आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं इस सदन में माननीय प्रधानमंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा और पूरे सदन से भी निवेदन करना चाहूंगा कि यहां से सर्वसम्मत प्रस्ताव बनाकर प्रधानमंत्रीजी का आभार व्यक्त किया जाए कि उन्होंने हमारे प्रदेश के लिए योजना बनाई कि 2003 तक जितने भी एक हजार आबादी वाले गांव हैं वे सड़कों से जुड़ेंगे और 2007 तक जितने भी 500 की आबादी वाले गांव हैं वे सड़कों से जुड़ेंगे और इसके लिए क़रीब 110 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को भेज दिये। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि 380 गांवों में यह सड़कों का काम शुरू हो गया। आलतू-फालतू सड़कें नहीं बन रहीं, पेवर रोड बन रही है। उपाध्यक्ष महोदय, 1264 किलोमीटर की सड़कें तो इसी वर्ष बनेंगी और मैं समझता हूं कि 2003 तक हमारे जितने भी गांव हैं वे सब के सब पेवर रोड से जुड़ जाएंगे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहिए, उनको धन्यवाद है कि हमार प्रदेश के अन्दर उन्होंने इस तरह की योजना शुरू की। (व्यवधान) प्रस्ताव लो, साहब, उनको एक पत्र लिखो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, धन्यवाद प्रदेश सरकार को दीजिए जिसने तुरन्त कार्यवाही करके योजना बनाकर वहां भेजी और मंजूर करवाई। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : हां, वह भी धन्यवाद की पात्र है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं तो गुजरात को क्यों नहीं दी, उनकी अलग गवर्नमेंट हैं? हरियाणा को क्यों नहीं दे दी? पंजाब को क्यों नहीं दे दी? (व्यवधान)

श्री रमजान खान : मैं आपकी बात से सहमत हूं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह कहिये ना, प्रदेश सरकार को धन्यवाद दीजिए।

श्री रमजान खान : मेरा यह निवेदन था कि हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर (व्यवधान) अकाल में भी लाखों टन गेहूं दिया है केन्द्र सरकार ने, अब आप उठा नहीं रहे हैं तो इसका क्या इलाज है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अकाल में दे दीजिए। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : साढ़े बाइस सौ करोड़ की योजना राजस्थान के अकाल के संबंध से भेजी गई कितना पैसा दिया? दलगत राजनीति तो स्पष्ट वहां पर हो रही है। (व्यवधान)

श्री मांगीलाल डांगा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समर्थन मूल्य पर सरसों और जौ खरीदने के लिए भी भारत सरकार से पैसा दिला देवें। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : प्रधानमंत्रीजी का नाम यहां पर आया तो आपको बुरा क्यों लगा? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : सैंट्रल गवर्नमेंट सड़क बनाने के लिए पैसा दे रही है, सारा काम आपको दे रही है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + इनको तो रोजाना + + + पैसे का, पैसा नहीं है, हमेशा + + + जब प्रधानमंत्री ने दिया है तो धन्यवाद नहीं दे रहे। + + + बताइये, वह कोई तरीका हुआ। प्रधानमंत्रीजी को धन्यवाद दीजिए। (व्यवधान) आप पहले प्रधानमंत्रीजी को धन्यवाद (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : साढ़े बाइस सौ राजस्थान के अकाल के लिए दिलवाइये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पहले प्रधानमंत्री को धन्यवाद दीजिए। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : साढ़े बाइस सौ करोड़ रुपये राजस्थान को अकाल के लिए दिलवाइये, फिर देंगे। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : रोज-रोज + + + कि बजट नहीं है। हर विभाग मेरे को लिखता है कि आप एम.एल.ए. कोटा से इर्रिगेशन को दीजिए, एम.एल.ए. कोटा से पी.डब्ल्यू.डी. को दीजिए, एम.एल.ए. कोटा से बिजली को दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ज्ञानदेव जी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + दिन भर लूटते हैं आर.टी.ओ. लूटता है, पुलिस लूटती है, डी.एस.ओ. लूटता है सैल्स टैक्स लूटता है, अरबों रुपया इक्ट्ठा कर लिया रेवेन्यू में और फिर भी + + + प्रधान मंत्रीजी को धन्यवाद दो कि उन्होंने करोड़ों-अरबों रुपये सड़कों में दिये। संयम लोढ़ा कह रहे हैं कि अकाल में दो, अकाल तो आप ही लाए हो। कांग्रेस आई और अकाल लाई, अकाल लाने के लिए तो क्या देवें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपके माननीय सदस्य बोल रहे हैं। आप बोल रहे हो या आपके माननीय सदस्य बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपको + + + छोड़ दिया। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप प्रस्ताव पास कर लीजिए। प्रधानमंत्रीजी को सड़कों का भी धन्यवाद दे रहे हैं और प्रस्ताव पास कर दो, तहलका के लिए भी धन्यवाद दे दो। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : घुटन में आप जी रहे हो। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : तहलका तो निर्जीव हो गया। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री धर्मपाल चौधरी : तहलका से कांड तो आपके एक एम.एल.ए. ने कर रखा है यहां पर। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप लोगों ने तो यूं ही आकाश में उठाया है उसे।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस के चालीस गांव हो जिनकी कापी अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय दिग्विजय सिंहजी, आपका बहुत सम्मान करता हूं, आप क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। आप तो रॉयल परिवार से हैं, आप तो मत बोलिए। शाही खानदान से हैं, आप तो बैठ जाइए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को बोलने दीजिए, बिराजिए। श्री रमजान खानजी।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट यह आपका बड़प्पन है कि आप सम्मान करते हैं। मैं तो आपको यही निवेदन कर रहा था कि अभी अकाल के टाइम में या बजट पर बहस हो रही थी, हमने खुद ने कहा था कि प्रधानमंत्रीजी ने 50 करोड़ रुपये हमको दिए हैं हम उनको धन्यवाद देते हैं, तो आपने एतराज किया कि इनको कैसे दे दिया। (व्यवधान) राजस्थान को सर्टिफिकेट कैसे देंगे कि काम अच्छा हो रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री दिग्विजय सिंह : हमने तो खुद ने धन्यवाद दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। आप शुरू करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मीठा-मीठा गप और कड़वा-कड़वा थू। प्रधानमंत्रीजी आपके लिए अच्छा कह गए तो कह रहे हो और बाकी बात के लिए उनको धन्यवाद नहीं देते हो। उनको धन्यवाद का प्रस्ताव करो। माननीय दिग्विजय सिंहजी, आप प्रस्ताव रखिये, प्रधानमंत्रीजी को धन्यवाद दीजिए। (व्यवधान) उन्होंने आपकी बड़ाई की तो आप भी धन्यवाद दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए।

श्री दिग्विजय सिंह : इसमें तो आप भी सहयोग करो, आप विरोध मैत करो।

श्री रमजान खान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूं माननीय सदस्य फालतू में ही उत्तेजित हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो उत्तेजित मत होओ, आप तो अपनी बात कहो।

श्री रमजान खान : मैं यह निवेदन कर रहा था कि कांग्रेस के शासन में कमी इसी बात की रही है कि जब कभी भी कोई बात आती है केन्द्र सरकार की तो बस आप उखड़ जाते हैं, हैं-हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्रीजी का नाम लेना भी आप गुनाह समझते हैं। हिन्दुस्तान का प्रधानमंत्री— (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : दिल्ली में आपके लोग...(व्यवधान)

श्री रमजान खान : बैठ जाओ, बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपने कहा, आदिवासी लड़कियों को बेच दिया, तब आप नहीं कहते हो। पूरे देश को आपने शर्मिन्दा कर दिया, पूरे देश के सामने नीचे दिखा दिया। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सिट डाउन। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : पूरे देश की बात करते हो...(व्यवधान) उस प्रधानमंत्री को कभी धन्यवाद नहीं दिया जा सकता।

श्री हीरासिंह चौहान : यह क्या हो रहा है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह क्या हो रहा है, यह क्या मतलब है? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सारे देश को खा गये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह रामस्वरूपजी की जगह ले रहे हैं, + + + संयम लोढ़ाजी। रामस्वरूपजी की जगह ले रहे हैं, + + + क्या बात है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या हो रहा है, बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनको बिठाइये।

एक माननीय सदस्य : हमारे सदस्य को डिस्टर्ब कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उनको बोलने दीजिए। बैठिये-बैठिये। आर्डर, आर्डर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + अब तहलका, तहलका तो तुम्हारे खिलाफ आ रहा है बोफोर्स में आपकी चोटी के नेता और आने वाले नाम नहीं लेना चाहता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सब बोफोर्स में डूब जाओगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री रतन लाल ताम्बी : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री रतन लाल ताम्बी : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ज्ञानदेवजी, बिराजिए।

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धर्मपालजी, बिराजिए। आप इनको बोलने दीजिए क्यों डिबेट को डिस्टर्ब कर रहे हो। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।
××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रमजान खान : मेरे को बोलने दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय मंत्री महोदय यहां पर बिराजमान हैं, आज के साल भर पहले मेरा एक तारांकित प्रश्न था उसके ऊपर मैंने निवेदन किया, पीसांगन से जाने वाली तीन-चार सड़कें पीसांगन से करनोज, पीसांगन से ब्यावर और पीसांगन से भावता, इन सड़कों के ऊपर दो-दो फीट के गड्ढ़े हैं। विधान सभा में प्रश्न आया था, चर्चा भी हुई, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि तीन महीने के अन्दर-अन्दर इन गड्ढ़ो को भरवा दिया जाएगा। मैं मंत्री महोदय के आश्वासन पर चुप बैठ गया, दूसरों की तरह + + + मैंने नहीं मचाया, लेकिन आज तक गड्ढ़े नहीं भरे हैं। अगर किसी 40 किलोमीटर रोड के ऊपर जाने में एक घंटा लगता है तो उसमें चार घंटे लगते हैं। अब तो लोगों ने उसके ऊपर पैदल चलना भी बंद कर दिया है। पड़ौसी के खेत में से होकर गाड़ी गडार के अन्दर लोग चल रहे हैं, उन सड़कों पर चलना ही बंद कर दिया। मंत्री महोदय आपका जो आश्वासन है कम से कम उसको तो पूरा करो, और तो कुछ है या नहीं, बहुत खराब हालत है उन रोडों की।

दूसरी बात यह कि डब्ल्यू.बी.एम. रोड जो बनाते हैं, गिट्टी डाल कर उसके ऊपर रोलर फेर देते हैं, उसके ऊपर आप डामर तो करते नहीं हैं। डामरे करने की अगर आपकी हिम्मत नहीं है तो फिर डब्ल्यू.बी.एम. रोड बनाने का कोई औचित्य नहीं है, आप डब्ल्यू.बी.एम. रोड क्यों बना रहे हो? एक साल के बाद जैसे ही बरसात आती है, तमाम् की तमाम् गिट्टी उखड़ कर पैदल चलना भी दूभर कर देती है। उस रोड के ऊपर जानवर भी नहीं चल सकता। आपकी हिम्मत है कि हमको चार किलोमीटर की सड़क बनानी है, दो किलोमीटर डामर की सड़क बनानी है तो डब्ल्यू.बी.एम. रोड बनाओ, वरना आप मत बनाओ। सबसे बड़ा मेरा सुझाव है, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कि ग्रेवल रोड बरड़ा डाल कर उसके ऊपर रोलर फेर दो, वह रोड खराब नहीं होती। अगर आपकी हिम्मत नहीं है तो फिर यह फालतू की डब्ल्यू.बी.एम. रोड मत बनाओ, मेरी विशेष रिक्वैस्ट है। डब्ल्यू.बी.एम. से हम बहुत परेशान हैं, ईमानदारी की बात है। साल भर की बाद की जितनी भी डब्ल्यू.डी.एम. की रोड हैं उन्होंने रास्ते को ही खराब कर दिया।

(17.00 बजे)

दूसरी बात, इस अकाल राहत कार्य में जितनी भी सड़कें पी.डब्ल्यू.डी. बना रही है, ग्राम पंचायतें बना रही हैं इसमें सामग्री की राशि केवल 25 प्रतिशत है, 25 प्रतिशत से कोई भी सड़क या कोई भी काम हो नहीं सकता। आपके यहां से पत्र आया एम.एल.ए. के नाम से कि अतिरिक्त सामग्री की राशि आप दे दो। हम उसके लिए भी तैयार हो गये कि चलो अच्छा काम होगा, अतिरिक्त सामग्री की राशि हम देने के लिए तैयार हैं, गांवों के अन्दर सीमेंट सड़कें हम

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रमजान खान)

बनाना चाहते हैं इस अकाल राहत में, मगर अब उसमें भी जिला प्रशासन ने एक रोड़ा अटका दिया कि इस अतिरिक्त सामग्री की राशि में हम 25 प्रतिशत की सामग्री राशि नहीं देंगे। होना यह चाहिये कि उस काम की टोटल कास्ट की 25 प्रतिशत सामग्री राशि दे दें और उसके बाद में जितनी भी राशि आपके एम.एल.ए. फण्ड से चाहिये, वह राशि एम.एल.ए. देने के लिए तैयार हैं। इससे काम पक्के होंगे। वरना तो नाली और सड़कों के ऊपर रेत फेंक कर पहली बरसात के अन्दर वे लाखों करोड़ों रुपये धुल जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। मंत्री महोदय, इसलिए आप जिला प्रशासन को इस तरह का निर्देश दें कि 25 प्रतिशत की सामग्री अकाल राहत में दें, इसके अतिरिक्त एम.एल.ए. फण्ड से ले लें।

इसके अलावा, जितनी भी ग्रामीण सड़कें बनती हैं, उपाध्यक्ष महोदय, अधिकतर उन पर पटरियां नहीं बनतीं। पटरियां नहीं बनने के कारण वे सड़कें बरसात के अन्दर बह जाती हैं और उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। इसलिए ग्रामीण एरिया के अन्दर आप डामर की सड़क बनाना चाहते हो तो कम से कम उसके अन्दर पटरियां जरूर बनाएं ताकि वह सड़क लम्बे समय तक चलती रहे।

आपने सड़कों के लिए इस बार बहुत प्रावधान रखे हैं। इसका कम से कम आप जवाब दें कि यह रिपेयर का काम, नई सड़कें बनाएं या नहीं बनाएं, नई सड़कों के लिए तो मैंने आपको कहा 2003 तक प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के अन्दर बन जाएगी, मगर जो गड्ढ़े पड़े हुए हैं, उन गड्ढ़ों को भरने की आज घोषणा करें। उसके लिए टाइम पीरियड बनाएं कि बरसात से पहले-पहले इन गड्ढ़ों को भर दिया जाएगा और गड्ढ़ें अब बरसात के बाद नहीं रहेंगे। सड़कों के अन्दर जो गड्ढ़े पड़े हुए हैं इनसे हम बहुत दुःखी हैं, ईमानदारी की बात है। इसका अब मैं क्या जिक्र करूं।

दूसरा, मैं यह अर्ज कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि पुष्कर घाटी के अन्दर आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। मैं हमेशा जिक्र करता रहता हूं कि इसके लिए बाईपास बनाने का निर्णय लिया गया था, वह आधा बाईपास पुष्कर से खरेकड़ी तक तो 6 किलोमीटर बना दिया और खरेकड़ी से फाई सागर रोड तक अपूर्ण पड़ी हुई है। उसको आज कई बरस हो गये। जब मैंने सवाल किया तो आप कहते हैं कि उसको तो कृषि उपज मण्डी बनाएगी। आधी सड़क को पी.डब्ल्यू.डी. बनाए और आधी सड़क कृषि उपज मण्डी बनाए, यह बात मुझे समझ में नहीं आती है। यह एक धार्मिक स्थल है और घाटी के अन्दर आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। एकसीडेंट से बचने कि लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि आप मंत्री महोदय से आपकी तरफ से यह कहें कि कम से कम पुष्कर बाईपास तो बना दें। उसमें तो कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं होना चाहिये। आधी तो बना दी और आधी पड़ी हुई है। कहते हैं कृषि उपज

(श्री रमजान खान)

मण्डी बनाएगी। अब इसका कोई इलाज तो है नहीं। इसलिए मैं आपको रिक्वैस्ट कर रहा हूं मेरी ओर से कि इसके लिए आप थोड़ा-सा कहें।

श्री उपाध्यक्ष : सीधे-सीधे बात करो, सामने ही बैठे हैं मंत्रीजी।

श्री रमजान खान : उपाध्यक्ष महोदय, आप अपनी ओर से कहेंगे तो थोड़ा और ज्यादा असर पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : वह आपकी बात नहीं मानेंगे तब कहूंगा। पहले आप उनसे कहें।

श्री रमजान खान : नहीं, मेरी बात नहीं मानते। मेरी बात नहीं मानते। मैंने उदाहरण दे दिया, आज से बारह महीने पहले मुझे कहा था कि सड़क के गड्ढे भर दिये जाएंगे और एक गड्ढा भी आज तक नहीं भरा। इसलिए मैं क्या कहूं? मेरी आशा ही खतम हो गयी है। मुझे कोई उम्मीद नहीं मंत्री महोदय से। इसलिए आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम पुष्कर बाईपास का काम तो पूरा हो जाए।

अब थोड़ा-सा सहकारिता के बारे में बोलना चाहता हूं। सहकारिता की जिस ढंग से शुरूआत हुई थी और शुरूआत में जितना लोगों में जोश-खरोश था वह करीब-करीब समाप्त होता जा रहा है। समाप्त होने का मुख्य कारण, मंत्री महोदय, यह है कि चुनाव समय पर नहीं होते। और उसका मुख्य कारण है आपकी ग्राम सेवा सहकारी समिति, सैंट्रल को-आपरेटिव बैंक और भूमि विकास बैंकों में और दूसरी सहकारी संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त करना। अब प्रशासक तो आप जानते हो, अगर सीनियर आई.ए.एस. आफिसर को प्रशासक बनाकर बिठा दें तो आपकी सहकारिता मिल चाहे कोई भी हो, वह तो घाटे में जाएगी जो जाएगी, उसमें कहीं दो-राय नहीं है। मगर आप प्रशासक बनाकर बिठा देते हो और उसके अन्दर कानून इस तरह का लगा देते हो कि जो सोसायटी ओवरड्यू होगी वह चुनाव में भाग नहीं ले सकेगी। ओवरड्यू सोसायटी के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मंत्रीजी बैठे हैं, सहकारिता के बारे में आप समझते हो इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि पहले तो एक ग्राम पंचायत पर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति थी और बहुत अच्छे ढंग से चल रही थी। अब आपने तीन-तीन, चार-चार पंचायतों को मिलाकर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति कर दी। तीन-चार ग्राम पंचायतों का दायरा होता है 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। एक व्यवस्थापक जिसके पास साइकिल है वह 20-25 किलोमीटर चल कर एक महीने में भी उस गांव के अन्दर नहीं जाता है और न गांव वाला उस 20-25 किलोमीटर में जहां पर आपकी ग्राम सेवा सहकारी समिति का हैडक्वार्टर है, वहां पर जा पाता है। अगर तीन-चार ग्राम पंचायतों की एक ग्राम सेवा सहकारी समिति रखोगे तो सहकारी आन्दोलन कभी सफल नहीं होगा और इसमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार पनपेगा। इसका तो एक ही तरीका है कि जिस तरह

(श्री रमजान खान)

पहले सन् 1975 के अन्दर हर ग्राम पंचायत के ऊपर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति थी उसी तरह एक ग्राम पंचायत पर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति का आप प्रावधान कीजिए।

चुनाव के अन्दर आपने कहा कि जो सोसायटी ओवरड्यू होगी वह चुनाव नहीं लड़ सकती। पूरे अजमेर जिले में कम से कम 250-300 सोसायटियां हैं उसमें मंत्री महोदय, मेरा खयाल है कि छह या सात सोसायटी ओवरड्यू नहीं है, बाकी सब की सब ओवरड्यू होने के कारण इम्बैलेंस हो गया ग्राम सेवा सहकारी समिति में और सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक में यह इम्बैलेंस किसलिए हुआ? आप लोगों की गलती से, इस सरकार की गलती से। सोसायटी का कर्जा तो है 15 लाख रुपये और सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक बता रही है 25 लाख रुपये। 10 लाख रुपये का जो इम्बैलेंस हो गया, इसका आप क्या करेंगे? किस तरह भुगतान करेंगे जब तक यह 10 लाख रुपये का इम्बैलेंस खतम नहीं होगा, मंत्री महोदय, वह सोसायटी ओवरड्यू से अलग नहीं हो सकती, वह तो ओवरड्यू रहेगी। और जब वह ओवरड्यू है तो चुनाव नहीं लड़ सकती। चुनाव वे नहीं लड़ सकती है तो सिर्फ सात-आठ ग्राम सेवा सहकारी समितियां अजमेर जिले के अन्दर सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक के लिए चुनाव लड़ने के लिए आएंगी, बाकी 222 सोसायटियां चुनाव लड़ने के लिए नहीं आएंगी। कानून में आप प्रावधान करने जा रहे हैं, आपने घोषणा की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कानून में यह प्रावधान कीजिए कि जो सदस्य ओवरड्यू नहीं है वह चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह सोसायटी ओवरड्यू है या नहीं।

आपने चुनाव लड़ने का एक प्रावधान यह कर रखा है कि खाद-बीज का लगातार दो-तीन साल तक कर्जा लेगा, उसको तो चुनाव लड़ने का अधिकार है, बाकी को लड़ने का अधिकार नहीं है। यह आपने कैसा प्रावधान कर दिया? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे आज तीन साल से अकाल पड़ रहा है, मेरे कुएं में पानी नहीं है और मैं खेती-बाड़ी नहीं कर सकता तो अब मैं कहां से खाद-बीज का लोन लूंगा? दो साल, तीन साल से मैंने खाद-बीज का लोन नहीं लिया तो इसका मतलब यह थोड़े ही है कि मैं उस चुनाव में भाग नहीं ले सकता? इसलिए इस प्रावधान को भी आप हटाइये। चाहे वह कर्जा ले या नहीं ले, अगर वह ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्य है और ओवरड्यू नहीं है तो वह चुनाव लड़ सकता है। मंत्री महोदय, इस तरह का आपको प्रावधान बनाना चाहिये।

दूसरी तरफ जितने भी पब्लिक सैक्टर में अरबों रुपये का घाटा है, यह किस की वजह से नहीं, मैं सरकार की गलती नहीं कहता हूं, यह घाटा केवल सीनियर आई.ए.एस. आफिसर को प्रशासक बनाने की वजह से, उनको टाइम नहीं मिलने की

(श्री रमजान खान)

वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से है। आडिट कर लिया आपने, चाहे वह ग्राम सेवा सहकारी समिति का हो, चाहे सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक का हो, चाहे किसी और संस्था का हो और चाहे मार्केटिंग का हो, आडिट के अन्दर डिफाल्टर सदस्य कोई मिलता है। जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए वह आडिट रिपोर्ट आकर आपके सहकारिता आफिस में पड़ जाती है, दस साल तक उसका कोई नाम लेने वाला नहीं, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं। इसलिए आम-आदमी यह सोचता है गांव का, कि कुछ भी खाओ, कुछ भी भ्रष्टाचार करो, कार्यवाही तो होनी नहीं है, इसलिए चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं हे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज तक कितनी कार्यवाही की और किसको सजा हुई और कौन जेल में गया? कोई नहीं जाता। उपाध्यक्ष महोदय, सब के सब छूटते हैं। पहली बात तो इंक्वायरी दस साल बाद शुरू होती है। तब तक या तो कोई मर जाता है या कोई रिटायर हो जाता है या कोई कुछ और हो जाता है। यह बात ही ठंडी पड़ जाती है और लोग-बाग भी भूल जाते हैं। गवाह मर जाते हैं जो गवाही देने के लिए तैयार थे। आडिट रिपोर्ट में कोई भी आब्जेक्शंस का पैरा आता है, कोई भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है तो इसमें तत्काल कार्यवाही कीजिए। इसके ऊपर कार्यवाही करोगे तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि इसने चोरी की है, इसको यह सजा हो गयी। आइन्दा अगर अपन भी ऐसा करेंगे तो इस तरह से होगा। जब कोई डर ही नहीं रहता है तो फिर हर आदमी भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, सुझाव देना चाहता हूं, आपने देखा होगा कि गुजरात और महाराष्ट्र के अन्दर जितनी भी मिल चल रही है, शुगर मिल हों, या दूसरे जितने भी प्राइवेट सैक्टर चलते हैं, सब के सब मुनाफे में चल रहे हैं। आपकी एक टीम बनाइये जिसमें जन प्रतिनिधियों को भी शामिल कीजिये, आपके अधिकारियों को भी शामिल कीजिये, गुजरात और महाराष्ट्र में जाकर देखिये तो सही कि वे क्या कर रहे हैं, किस पैटर्न पर चल रहे हैं। हमने यह बात शुरू में ही कही थी कि आप राजस्थान की विधान सभा का भवन बनाते हो तो मध्य प्रदेश में जाकर भवन को देख कर आओ, मगर यहां से कोई नहीं गया। अगर मध्य प्रदेश भवन को देख कर आते तो आज जो इतने करोड़ रुपये हमारे इस राजस्थान विधान सभा भवन के लिए लगे हैं, इससे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भवन बनता और पैसे भी खर्च होते मगर कोई जाता ही नहीं है। आज फिर कह रहा हूं कोआपरेटिव मिनिस्टर साहब को कि एक टीम बनाइये, महाराष्ट्र और गुजरात जाइये और वहां का पैटर्न देखिये कि वे किस ढंग से कोआपरेटिव सैक्टर चला रहे हैं। लोगों को उसमें विश्वास है और लोग-बाग वहां खिंच-खिंच कर कोआपरेटिव के माध्यम से

(श्री रमजान खान)

फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं। इस तरह का माहौल राजस्थान में क्यों नहीं है? माहौल पैदा तभी होगा जब आप कुछ कोशिश करेंगे।

आपने एक घोषणा की थी, उपाध्यक्ष महोदय, कि हम सब जगह गंगानगर पैटर्न लागू करेंगे। अब गंगानगर पैटर्न आपने लागू किया नहीं, घोषणा कर दी। गये साल सहकारिता की डिमाण्ड पर भी यहां कहा गया था कि गंगानगर पैटर्न लागू करेंगे। गंगानगर पैटर्न जब तक लागू नहीं करोगे, काश्तकारों को कोई खाद-बीज का फायदा मिलने वाला नहीं है। जो सोसायटी ओवरड्यू होती है उसको आप लोन नहीं देते, उसको खाद-बीज का पैसा देते नहीं कि आप तो ओवरड्यू है। इसलिए मेरा निवेदन है कि गंगानगर पैटर्न आप लागू कीजिये ताकि जो काश्तकार ओवरड्यू नहीं है उसको उसका पूरा लाभ मिल सके। सोसायटी चाहे ओवरड्यू है, चाहे कुछ भी है जब तक गंगानगर पैटर्न लागू नहीं करोगे, राजस्थान की जनता-जनार्दन जो सहकारिता से जुड़ना चाहती है या जुड़ी हुई है, उसको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है।

एक दूसरी बात और है, आपने कहा था क्रेडिट कार्ड देंगे। क्रेडिट कार्ड कुछ जगह तो बंटे हैं और कुछ जगह बंटे नहीं हैं, मगर क्रेडिट कार्ड से आज तक एक भी काश्तकार को बैंक से लोन मिला है क्या? यों फालतू की घोषणा क्यों करते हो आप? काश्तकार सोचते हैं कि सरकार ने हमारे लिए यह कर दिया, सरकार ने हमारे लिए यह कर दिया, मगर उस क्रेडिट कार्ड का कोई फायदा नहीं मिला।

दूसरा, सरकार ने यह भी कहा था कि किसानों की उपज का बाजार में भाव कम हो जाता है तो हम भण्डारण करेंगे और उसका 75 प्रतिशत भुगतान करेंगे। मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, यह पूछना चाहता हूं कि क्या एक भी किसान की उपज की आपने भण्डारण की कोई योजना की है? क्या उसकी फसल खरीद कर भण्डारण कर दिया? एक भी काश्तकार को उसकी रकम जो लगी है उसका 75 प्रतिशत पेमेंट किया गया? जब अपन नहीं कर सकते तो जैसे मैंने सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को भी कहा था कि अगर आप सड़क नहीं बना सकते हो तो डब्ल्यू.बी.एम. रोड मत बनाओ, इसी तरह से, सहकारिता मंत्रीजी, आपको भी कहना चाहता हूं कि जो काम आप नहीं कर सकते हो, खाली वाहवाही करने के लिए आप घोषणा मत करो। आप घोषणा करते हो उसका विपरीत असर जनता के ऊपर पड़ता है। कहां गया क्रेडिट कार्ड? कहां हमारे उपज की बात गयी? कहां लेन-देन गयी? उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमल खांट। (अनुपस्थित)। श्री राधेश्यामजी (अनुपस्थित)। श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सहकारिता और सड़कों के बारे में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, मैं उनके बारे में अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

अभी मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नियंत्रित योजनाएं हैं, इसको मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं उसमें स्पष्ट है कि 24 हजार किलोमीटर सड़कों के सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण के कार्य 600 करोड़ रुपये की लागत से करवाने का निर्णय लिया गया है। 600 करोड़ रुपये की राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृषि विपणन बोर्ड व वित्तीय संस्थाओं से उपलब्ध करायी जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। नवीनीकरण के जिलेवार प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। 600 करोड़ रुपये के बारे में हम सभी प्रशंसा कर रहे है, मैं भी प्रशंसा कर रहा हूं परन्तु अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि वास्तव में ये 600 करोड़ रुपये आप कैसे प्राप्त करेंगे। हमें स्पष्ट करिये कि 600 करोड़ रुपये में सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृषि विपणन बोर्ड कितना कंट्रीब्यूट करेंगे और कौनसी वित्तीय संस्थाएं आपको हैल्प करेंगी? इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है ताकि हम विश्वास करें कि इस आधार पर कुछ हमारें जिले में भी और राजस्थान में भी सड़कों का नवीनीकरण होगा। अब नवीनीकरण के जिलेवार प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि ये प्रस्ताव तैयार किये जाएं तो जन प्रतिनिधियों, एम.एल.ए. की राय भी ली जाए। ऐसा नहीं हो कि इस प्रकार के प्रस्ताव बनाएं और हमारे ध्यान में नहीं लाएं और अधिकारी ऐसे प्रस्ताव दे दें जो कि वास्तव में उचित नहीं हों। इस सम्बन्ध में भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

अभी विशेष तौर से डिस्कशन चल रहा था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में, मैं सभी मैम्बर्स को यह भी बताना चाहता हूं कि यह प्रोग्राम अभी प्रधानमंत्री अटल बिहारीजी ने शुरू नहीं किया, यह कार्यक्रम पहले से ही था और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के नाम से पुकारा जाता था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1500 की जनसंख्या के ग्राम हमारे जिले में और सारे राजस्थान के अन्दर डामर सड़कों से जोड़े गये हैं। इससे राजस्थान को तो नुकसान हुआ है क्योंकि हमने तो जल्दी योजनाएं प्रस्तुत की थीं और अभी तक भी हमें फण्ड्स नहीं मिले हैं, अभी तक कोई भी, किसी प्रकार का सड़क का कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो इस सम्बन्ध में वाहवाही लेने की जो बात है, प्रधान मंत्रीजी की इस सम्बन्ध में हम वाहवाही नहीं करना चाहते बल्कि उनके नाम के कारण इस योजना में विलम्ब हुआ है, यह मैं आपको यहां जरूर कहना चाहता हूं। (व्यवधान) नहीं, आप सुनिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : यहां पर मंत्रीजी भी बिराजमान हैं, 140 करोड़ रुपये अभी इस योजना में मंत्रीजी के पास आ गये हैं और उनके कार्य स्वीकृत हो गये हैं। आप

(श्री धर्मपाल चौधरी)

बहुत बुजुर्ग हो, आप कम से कम भगवान से डर कर सच बोलना सीखो।

श्री रमजान खान : आपको जानकारी नहीं है, सड़कें भी बन रही हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : आप सुनिये। इस योजना में पहले से विलम्ब हुआ हैं। अभी राशि प्राप्त हो गयी है परन्तु विलम्ब हुआ है, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं।

मैं मेरे क्षेत्र के बारे में इसके अन्तर्गत कहना चाहता हूं कि कुरजा से भलाऊ, महाभार पीथल, रूड़ा, बाड़मेर मगरा ये 1000 आबादी के मेरे क्षेत्र के गांव हैं, जल्दी से जल्दी इनका काम शुरू किया जाए और इन्हें डामर सड़कों से जोड़ा जाए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी हमारे ग्राम पंचायतों के मुख्यालय भी डामर सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। राजस्थान में जितने भी पंचायतों के मुख्यालय जुड़े हुए नहीं हैं, उन पंचायतों के मुख्यालयों को जोड़ना बहुत ही आवश्यक है, इसको प्राथमिकता दें। मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि सिंगोड़िया ग्राम पंचायत का मुख्यालय है, इन्दोई ग्राम पंचायत का मुख्यालय है, बाभत भीमजी, बांदरा ग्राम पंचायत के मुख्यालय जोड़े नहीं गये हैं, इनको डामर सड़कों से जोड़ा जाए।

नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण के बारे में योजना कोई हो तो हमारे यहां से राय ली जाए, इस सम्बन्ध में हमारी राय हम आपको दे देंगे ताकि वे सड़कें मंजूर की जा सकें। हमारे यहां पर दो पुल सिणधरी और बालोतरा, ये दोनों बहुत ही आवश्यक हैं। बालोतरा हमारा सब डिवीजन मुख्यालय है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और सिणधरी पंचायत समिति मुख्यालय है। आप इन पुलों के बनाने में कृपया सहयोग दें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हैं शिवचरणजी माथुर साहब पहले मुख्य मंत्री थे उस समय भी घोषणा की गयी थी, और जो भी मुख्य मंत्री आते हैं वे घोषणा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले भी घोषणा करते थे परन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी ठोस कदन नहीं उठाया गया। दोनों ही पुल बनाने की बहुत आवश्यकता है, पुलों का निर्माण करवाया जाए। मैं सड़क की मांग पर संक्षेप में ही अपने विचार प्रकट कर रहा हूं।

अब मैं दूसरी मांग सहकारिता के सम्बन्ध में बोलूंगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था, मैं सुन रहा था, सहकारिता के बारे में बहुत बढ़िया भाषण दिया डागाजी ने। परन्तु साथ ही भ्रष्टाचारी की ऐसी प्यारी पैरवी की जिसको सुनकर मुझे बहुत भारी दुःख हुआ। हमारे क्षेत्र में मैनेजिंग डायरेक्टर, कोआपरेटिव बैंक, बाड़मेर थे और उनके बाद में हासारामजी मीणा आये, उन्होंने हमारे किसानों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फव्वरों के मामले में एक-एक किसान से दो-दो हजार रुपये लिए। उन्होंने यहां तक किया कि जिसकी मृत्यु हो गयी है, नाम ही नहीं है उनके

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

नाम के भी ले लिये, जिनके सिंचाई के कुएं नहीं हैं उनके भी। इस प्रकार का घोटाला करने वाले के लिए यह रिक्वैस्ट कर रहे हैं, री-इंस्टेट करने के लिए कह रहे हैं। मिस्टर डागा जब बोल रहे थे मैं उनको बराबर सुन रहा था। इस सम्बन्ध में हमारे गृह मंत्रीजी बहुत जांच...

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री) : माननीय सदस्य का शायद इंफारमेशन सही नहीं है, हकीकत यह है कि उनका चालान हो रहा है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : यही मैं कह रहा हूं। आप जो कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं, उनका चालान होगा। इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी जांच करके जल्दी से जल्दी चालान प्रस्तुत करवाइए। उनके साथ में और भी हैं। एम.डी. के साथ और भी अधिकारी-कर्मचारी हैं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राठौड़ साहब फरमा रहे हैं कि चालान हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जैन साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि सबका चालान कराओ आप। कुछ को आप बीच में बचाना चाहते हो और कहते हो कि वे भ्रष्टाचारी की पैरवी करते हैं। आप भी भ्रष्टाचारी की पैरवी बढ़कर कर रहे हो। सबके नाम रखो आप। यह मामला सदन में कई बार उठा है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : सबका चालान होना चाहिए। आप एक मिनट सुनिए, मैंने भ्रष्टाचारी की पैरवी पूरी जिन्दगी में ही नहीं की। आप सुनिए, मैं बताता हूं। मैं कहता हूं सुनिए आप, मैंने भ्रष्टाचारी की मेरी जिन्दगी में कभी भी पैरवी नहीं की और भ्रष्टाचारी की पैरवी के लिए मेरे ऊपर दबाव भी डाले तो मैं किसी लाट साहब की मानने वाला नहीं हूं। जो मैं आपको कह रहा हूं श्री चम्पालालजी के बारे में, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, एक मिनट सुनो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर पहले बहुत चर्चा हो चुकी। अब आप तो सहकारिता आन्दोलन के सुझाव दो, बाकी इस पर तो चर्चा हो चुकी है। मंत्रीजी ने कह दिया कि चालान होगा, अब क्या है?

श्री वृद्धिचन्द जैन : एक मिनट में ही खतम कर दूंगा। वे बहुत ईमानदार हैं और हमारी कोआपरेटिव बैंक को वे इतना उच्च स्तर पर लाये, हमारे प्रधानमंत्रीजी ने उनको अवार्ड दिया और अभी जब उनका रिटायरमैंट हुआ तब उनका बहुत स्वागत हुआ सारी पंचायत समितियों ने स्वागत किया, जिला स्तर पर स्वागत किया। वैसा स्वागत किसी भी अधिकारी का मेरे जीवन में मैंने नहीं देखा जैसा बाड़मेर जिले में स्वागत हुआ है। इस प्रकार ईमानदारी से कार्य किया है और उन पर भी लांछन लगाने की कोशिश ये करते हैं, मुझे बड़ा भारी दुःख होता है। आज ईमानदार आदमी का जीवन कष्टमय बना देते हैं। विधान सभा के सदस्य भी अगर भ्रष्टाचारी की पैरवी करते हैं तो यह बहुत खराब चीज है और इसका असर बहुत खराब हो जाता है।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

अब मैं सहकारिता विभाग की प्रशंसा भी करना चाहता हूं। अभी इन्होंने जो अभियान चलाया है, "सहकार आपके द्वार" 17 जनवरी से 20 फरवरी तक, वह अभिमान बहुत सुचारू रूप से चला। उसका बहुत अच्छा लाभ हुआ। सदस्य संख्या बढ़ी, महिला समितियों का निर्माण हुआ और कुछ लोगों का कर्जा था उनका चक्रवृद्धि ब्याज कम हुआ। इस प्रकार का समझौता हुआ। एक मैं यह भी कहना चाहता हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है यह सहकारिता आन्दोलन का विरोधी अंग है, कतई नहीं करना चाहिए। यह तो आप शोषण करते हैं जैसे महाजन करता है। ऐसा ही शोषण अगर सहकारिता करेगी तो यह उचित नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज का प्रावधान सहकारी कानून के अन्दर है तो उस अंग को हटा दिया जाना चाहिए, यह मेरा दृष्टिकोण है। किसानों का शोषण आप करेंगे तो यह उचित नहीं होगा। अधिक नहीं कह कर यही कहना चाहता हूं कि आपने मुझे जो अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खान (अनुपस्थित), श्री हेमन्त कुमार।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-36 और मांग संख्या-21 पर संक्षेप में अपने विचार आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। मान्यवर विकास के लिए सड़कों का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर सड़कों का प्रसार नहीं हुआ तो क्षेत्र का विकास कोई मायने नहीं रखता। गत वर्षों में अकाल की चपेट में हमारा प्रदेश आता रहा, आर्थिक संकट से हम जूझते रहे और सड़कों का कोई विकास जो हमारी आशाएं थीं वैसा नहीं हो पाया। सड़कों की मरम्मत के लिए भी हमें आश्वासन दिया गया था लेकिन सड़कों की मरम्मत भी नहीं हो पायी। मैं सरकार को, मुख्य मंत्री महोदय को तथा सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस वर्ष 600 करोड़ की योजना हमें दी है सड़कों की मरम्मत के लिए। हम उनके बहुत आभारी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो यह पैसा दिया जा रहा है ग्रामीण विकास के लिए, सड़कों की मरम्मत के लिए, नयी सड़कों कि इसमें नहीं लिया गया। दो तरह की राशि इसमें रखी गयी है 600 करोड़ की तो रखी गयी है ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए और दूसरी प्रधानमंत्री के माध्यम से जो राशि आएगी उसके द्वारा नयी सड़कों का काम लिया जा रहा है। नयी सड़कों के लिए सरकार के नार्म्स हैं कि कम से कम एक हजार की आबादी वाले गांव या पंचायत मुख्यालय हों उन्हीं को सड़कों से जोड़ा जाएगा। मेरा इसमें आपके माध्यम से अनुरोध है कि 1991 की जो आबादी रखी है एक हजार की सीमा, इसको कम किया जाए।

उसको एक हजार की जगह छह सौ रखा जाय, ताकि कई ऐसे गांव हैं जिनका सड़कों से जुड़ना बहुत ही आवश्यक है, उन गांवों को सड़कों से जोड़ा जा सके। एक हजार की आबादी के गांव लिये जा

(श्री हेमन्त कुमार)

रहे हैं। तो इसके अन्दर कोटा जिले में तो एक भी सड़क का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए मेरा अनुरोध है कि एक हजार की जो आबादी की सीमा है उसको कम किया जाए ताकि कोटा जिले के अन्दर नयी सड़कों का निर्माण हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री के माध्यम से जो राशि आ रही है एक हजार करोड़ की, उसके अन्दर अभी मेरे पूर्व वक्ता ने दो सवाल रखे थे। एक तो सड़कों की गुणवत्ता को सही रखा जाए, दूसरा समयबद्ध सड़कों का निर्माण हो। इस काम के लिए कुछ जो हमारे पूर्व निर्णय लिये गये हैं उनमें संशोधन करना पड़ेगा। पांच-छह मुख्य इंजीनियरों के पद थे उनको समाप्त कर दिया गया। मुख्य इंजीनियर मैकेनिकल डिवीजन वह पद समाप्त कर दिया गया, विधान सभा का काम पूरा हो गया, वह पद समाप्त कर दिया गया प्लानिंग मानीटरिंग का जो पद था वह समाप्त कर दिया गया। केन्द्रीय सहायता जो आ रही है और बी.ओ.टी. के तहत जिन सड़कों का निर्माण हुआ उसका भी अलग से चीफ इंजीनियर का पद था उसको भी समाप्त कर दिया गया। लेकिन मेरे पूर्व माननीय सदस्यों ने बताया कि अगर हमें गुणवत्ता रखनी है और कार्यों को समयबद्ध पूरा करना है तो ये पद हमें सृजित करने पड़ेंगे। जिस समय इस पद को समाप्त किया उस समय भी यह तय किया गया था कि जैसे ही केन्द्र से हमें राशि मिलेगी, गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए, समयबद्ध कार्य को पूरा करने के लिए इस पद को पुनः सृजित किया जाएगा। मेरा आपके माध्यम से पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री से अनुरोध है कि इस पद को पुनः सृजित करें जिससे राशि का सदुपयोग हो सके और सही समय में गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण हो सके।

अभी तक करीब 58 परसेंट गांव सड़कों से जोड़ने बाकी हैं, इन गांवों को जोड़ने के लिए भी हमें समयबद्ध कार्यक्रम तय करना पड़ेगा। अगर समयबद्ध कार्यक्रम तय नहीं किया गया, गुणवत्ता नहीं रखी गयी तो इसमें भी जैसे अभी हम देख रहे हैं, थोड़ी मरम्मत होती है, मरम्मत का काम पूरा नहीं होता है इसके पहले तो वह सड़क वापस टूट जाती है, ऐसा नहीं हो। पैसे का सदुपयोग हो और हमारी जनता को इसका लाभ मिल सके, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। वरना जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, तीन-तीन, चार-चार फीट के गड्ढे सड़कों में पड़ जाते हैं और ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसको सड़क कहना कोई पसंद नहीं करता। कोटा जिले के अन्दर मेरा क्षेत्र दीगोद, वहां की अपनी सड़कों के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी खराब स्थिति है सड़कों की कि उनको सड़क कहना भी कोई उचित नहीं समझता। वहां सड़क का ही पता नहीं है। न गिट्टी है, न डामर है। अगर आप देवली के कनवास बूलेट वाली सड़क को देखें तो सड़क का ही पता नहीं है। इसी तरह से मेरे क्षेत्र की अन्य जो सड़कें हैं उन सड़कों की भी स्थिति बहुत ही खराब

(श्री हेमन्त कुमार)

है। सुल्तानपुर से मण्डावरा, सुल्तानपुर से बोहरा, दीगोद से दौरा की तरफ की जो सड़कें हैं, इन सड़कों का अगर पुनः डामरीकरण किया जाता है तो बहुत ही ठीक रहेगा। अगर आप पैचवर्क कराएंगे तो पैचवर्क से तो वापस वही स्थिति हो जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 'कोटा के अन्दर चम्बल नदी निकली हुई है जो कोटा और बूंदी दोनों जिलों को डिवाइड करती है। मेरे क्षेत्र के अन्दर मण्डावरा गांव है जहां पर कि चम्बल नदी पर पुल बना दिया गया है, लेकिन काफी समय से लिंक रोड निर्माण अभी तक नहीं किया गया है। सरकार का करोड़ों रुपया इसमें व्यय हो गया और उसका न तो कोटा जिले वालों का फायदा हो रहा है और न बूंदी जिले वालों को फायदा हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि उसकी एप्रोच रोड को बनाया जाए जिससे कि करोड़ों रुपये जो सरकार के खर्च हुए हैं उनका सदुपयोग हो सके।

इसी तरफ परवण नदी है, परवण नदी कोटा और झालावाड़ को जोड़ती है। इसके ऊपर भी पुल का बनना अति आवश्यक है। इसके पुल की तो इतनी खराब स्थिति है कि कई दफा तो जनता ने आन्दोलन किये। गांव वाले नाव में बैठकर एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। पुल की बहुत ही दयनीय स्थिति है, इस पुल की मरम्मत होना अति आवश्यक है। इसी तरफ से बारां से झालावाड़ की जो रोड है उसके ऊपर भी पुलिया का निर्माण होना अति आवश्यक है। दो जिले हैं बारां और झालावाड़, दोनों महत्वपूर्ण शहर हैं, इनका लिंक करने वाली रोड है। रोड और पुलिया का दोनों का निर्माण होना अति आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं कुछ कोआपरेटिव के बारे में भी कहना चाहता हूं। कोआपरेटिव के लिए जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, तिलम् संघ की दयनीय स्थिति है। कोटा के अन्दर भी तिलम् संघ का प्लांट हैं और अभी कुछ दिनों पहले अखबार में भी आया था कि करीब एक अरब रुपये से भी ज्यादा वह घाटे के अन्दर जा रहा है। इतनी दयनीय स्थिति के अन्दर वह जा रहा है तो इसके कुछ तो कारण होंगे ही सही। इसकी जांच करा कर जो भी इसके जिम्मेदार अधिकारी हों, कर्मचारी हों, उनको टर्मिनेट किया जाए और इस प्लांट को बंद नहीं किया जाए। अगर इसको बंद कर दिया गया तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो तिलहन का उत्पादन करते हैं उनको काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। कृषकों को जो प्रोत्साहित किया गया था, तिलहन को पैदा करने के लिए, वे निरुत्साहित होंगे। कोटा के पास ही केशोरायपाटन शुगर मिल है, वह भी सहकारी क्षेत्र का है और उसको सरकार बंद करने का विचार रखती है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि केशोरायपाटन शुगर मिल बंद नहीं किया जाए। अगर उसको पुनर्जीवित करने के लिए सरकार को कोई विशेष राशि खर्च

(श्री हेमन्त कुमार)

करनी पड़े तो भी करे। अगर वह मिल बंद हो गयी तो बूंदी और कोटा के गन्ना उत्पादकों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी जो जीवित हैं वे केवल गन्ना उत्पादन से ही जीवित हैं जिसका कि कच्चा माल पाटन की सहकारी समितियों द्वारा खरीदा जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं और ज्यादा नहीं कह कर आपने जो समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में मांग संख्या-19, 21 और 36 पर चर्चा हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कहूं उसके पहले मुझे एक मामले में आपका प्रोटेक्शन चाहिए।

उपाध्यक्षजी, आज सार्वजनिक निर्माण विभाग पर चर्चा हो रही है और 2001-2002 का जो निष्पादन आय व्ययक है वह थोड़ी देर पहले ही सदन में सर्कुलेट हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, यह इस बात का द्योतक है कि मंत्रीजी की कितनी पकड़ अपने विभाग पर है। अच्छा होता अगर यह पहले हमें मिलता, तो हम इसको देखकर आते।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, ढाई वर्ष हो गये आपको शासन में आये, ढाई वर्षों में आपने सड़क निर्माण की और सड़कों की मरम्मत की + + + राज्यपाल का अभिभाषण ले लें, चाहे कोई बजट ले लें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी सरकार के 1999 के बजट को उद्धृत करना चाहता हूं जिसमें इन्होंने कहा है कि सड़क विकास का प्रमुख माध्यम है। अगले वर्ष सड़कों के निर्माण, रख-रखाव के लिए 515 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। आगामी वर्ष में 1350 सड़कों का निर्माण कर 265 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को जोड़ा जाएगा। कृषि उपज मण्डी समिति से दो हजार किलोमीटर लम्बी सड़क बनायी जाएगी और विश्व बैंक की सहायता से 110 करोड़ की लागत से हाई-वे का निर्माण किया जाएगा। उसके लिए आगे ये कहते है कि 95 करोड़ 50 लाख को दुगुना करके अगले वर्ष में 191 करोड़ रुपये मरम्मत के लिए खर्च किये जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इनका यह बजट वर्ष 2000-2001 है, इसमें फिर यह क्या कहते हैं? राज्य में 876 किलोमीटर राज्य उच्च मार्गों व मुख्य जिला सड़कों को चौड़ा करना। 1798 किलोमीटर सड़कों के रख-रखाव के लिए 1560 करोड़ रुपये की राज्य सड़क योजना विश्व बैंक की सहायता से प्रारम्भ की जाएगी। उसके बाद ये कहते हैं कि अगले वर्ष ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर 58 करोड़ 54 लाख रुपये व्यय करना प्रस्तावित है। इससे 588 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इससे 160 गांवों को जोड़ा जाएगा जिसमें 128 ग्राम पंचायत मुख्यालय शामिल हैं।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसके बाद ये कहते हैं कि बी.ओ.टी. के माध्यम से 118 करोड़ की 14 परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गयी है। इस बार के बजट के अन्दर ये कहते हैं कि अगले वर्ष सड़कों पर लगभग 67 प्रतिशत अधिक व्यय किया जाएगा। इसमें फिर ये कहते हैं कि 953 किलोमीटर डामर की सड़कों की मरम्मत की जाएगी, 93 गांवों को जोड़ा जाएगा और 341 किलोमीटर नई सड़कें डामर की बनाई जाएगी। इसके बाद ये कहते हैं कि राज्य सरकार ने सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए 600 करोड़ रुपये की योजना बनाई है जिसमें 24 हजार किलोमीटर सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारी बातें इसलिए कह रहा हूं, मैं राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा करूंगा, उसमें इन्होंने जो घोषणाएं की है, कि ये घोषणाएं तो कर देते हैं लेकिन वापस पलट कर नहीं देखते हैं। मंत्रीजी, आप भद्र पुरुष हैं, परन्तु एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप उन खुशनसीब राजनेताओं में से हैं जिनको परोसी हुई थाली मिल गयी है। बलदेव राजजी मिर्धा और रामनिवासजी मिर्धा के नाम पर आप कई बार इस सदन में तो आ गये परन्तु एक मंत्री के रूप में राजस्थान की जनता जिस चीज को देख रही है, जिस तरह की प्रशासनिक दक्षता आपसे चाहती है, जिस तरह की आशा की बात आपसे है, आप उसमें बिलकुल फेल हुए हो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अपनी खुद की औकात से आये हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : योग्य पिता का योग्य पुत्र है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, कितने योग्य हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तारीफ ही करवाना चाह रहे थे।

श्री रामस्वरूप : कई भाषाओं का ज्ञान है, योग्यता प्राप्त कर आये हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले आप इधर आएं।

श्री रामस्वरूप : आपमें इतना एक भी योग्य आदमी नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले आप इधर आओ।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, आपकी जगह पर जाओ।

मोहम्मद माहिर आजाद : अपनी जगह पर आइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ कह रहा हूं वह तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। जिस तरह की घोषणाएं कीं, अगर उस तरह से सारी घोषणाओं को अमलीजामा पहनाया जाता तो आज राजस्थान में सड़क निर्माण और सड़कों की मरम्मत में खूब पैसा हो जाता। आज जहां जाते हैं, माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी कि उन्होंने अपने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दर्द को सही रूप से कहा। मंत्रीजी की + + + तो जरूर कर ली परन्तु यह जरूर कहा कि एक-एक डेढ़-डेढ़ फीट खड्डे आज सड़कों में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारी बात क्यों है? यह जो वार्षिक प्रतिवेदन मंत्रीजी ने दिया है इसके पृष्ठ सात को आप देख लें, इसमें लिखा है कि नवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1997-98 में 206 करोड़ रुपये, द्वितीय वर्ष 1998-99 में 194 करोड़ और तीसरे वर्ष 1999-2000 में 104 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे और वार्षिक योजना 2000-2001 में 268 करोड़ का संशोधित प्रावधान रखा गया। यानि जब आप शासन में आये, उसमें जो राशि व्यय की गयी सड़कों के निर्माण के लिए, सड़कों की मरम्मत के लिए वह कम होती ही गयी। आपने कोई नई चीज नहीं रखी। आपने वार्षिक योजना 2000-2001 का 268 करोड़ का रिवाइज एस्टीमेट लिया, आपका वार्षिक प्रतिवेदन क्या कहता है? यह कहता है कि 2000-2001 में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 440 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जिसके विरुद्ध दिसम्बर, 2000 तक 52 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। यह आपका असली चेहरा बताता है। मंत्रीजी, आपको फिक्र नहीं है, आपके मन में दर्द नहीं है। बयान देने से काम नहीं चलेगा, अब लोग यथार्थ में सड़कों की मरम्मत चाहते हैं, सड़कों का निर्माण चाहते हैं, अब इस बात को कहने से भी काम नहीं चलेगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने यह किया, पूर्ववर्ती सरकार ने यह किया। आप विभाग को लेकर बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के आठ वर्ष के शासनकाल में 42 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। आपका 40 साल 1952 से लेकर 1990 तक का शासनकाल, उसमें से ढाई वर्ष का निकाल दें, उसमें 47 हजार किलोमीटर सड़कें बनी हैं और भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में 42 हजार किलोमीटर सड़कें बनी हैं। मंत्रीजी, जब आप उत्तर दें तब आप इसको स्पष्ट कर देना।

श्री रामस्वरूप : वे गयीं कहां? पता तो लगाएं उनका।

श्री देवीलाल बैरवा : कागजों में ही बनी हैं, कागजों में।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलेंगे, आपको मौका दूंगा। आप बिराजें।

श्री देवीलाल बैरवा : कागजों में बनी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब रामस्वरूपजी अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं सही-सही आपको बता दूंगा, क्योंकि मुझे आपके गांव की सड़क के निर्माण की बात भी मालूम है। परन्तु जब मैं आपसे कोई चीज पूछ ही नहीं रहा हूं तो आप उत्तर क्यों दें? आप जिनके पास में बैठे हैं न, हाथ का हाथ वैरी है, मैंने आपको वहां जाकर भी सावधान किया था, इसलिए आप थोड़ा संयम बरतें।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ सात में लिखा है-राजमार्गों का सुधार व विकास, कुल है, मैं अलग-अलग पढ़ूं, 172.80 करोड़ रुपये बजट प्रावधान था 2000-2001 का और आपने दिसम्बर तक खर्च कितना किया है? 12 करोड़ 86 लाख। आप करना क्या चाहते हैं? इसी तरह ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में आपको 3716 लाख का प्रावधान मिला है और आपने खर्च किया 364 लाख। कुल इसमें 58 करोड़ का प्रावधान है, आपने खर्च किया है 34 लाख। यह इनकी उपलब्धि खुद बताती है। इनके वार्षिक प्रतिवेदन 2000-2001 के अन्तर्गत 588 किलोमीटर सड़क निर्माण करके 160 गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य था। यह आपका वार्षिक प्रतिवेदन बोल रहा है, जिसमें से 588 किलोमीटर की जगह 96 किलोमीटर तो सड़कें बनायीं और 24 गावों को जोड़ा। अब ये करना क्या चाहते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार की कथनी और करनी में कितना अन्तर है, मैं एक बानगी प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसी वार्षिक प्रतिवेदन में है कि विश्व बैंक की सहायता से 11 राज्य उच्च मार्ग मुख्य जिला सड़क लगभग 876 किलोमीटर लम्बाई में सात मीटर तक चौड़ी करने व 1800 किलोमीटर सड़कों के सामयिक रख-रखाव तथा सुदृढ़ीकरण एवं अन्य कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं जिसकी अनुमानत लागत 1560 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के लिए अभिकल्पना एवं अन्य गतिविधियां प्रगति पर हैं। अभिकल्पना कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, अपने बजट में बार-बार इन्होंने जिक्र किया है कि हम 1560 रुपये सड़क निर्माण के लिए खर्च करेंगे एवं अन्य राज्य उच्च मार्गों पर 32 करोड़ का प्रावधान है, जबकि 15 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि यह सरकार बिलकुल गम्भीर नहीं है। और हो भी नहीं सकती क्योंकि इनके मन में दर्द नहीं है। सड़कें जिनको विकास की धमनी कहा जाता है, सड़कें जो हमारी आर्थिक सूचकांक हैं विकास की दृष्टि से, आप नहीं चाहते हैं कि राजस्थान की प्रगति हो। आपने कई असत्य बातें तो कर लीं परन्तु नतीजा क्या निकला?

उपाध्यक्ष महोदय, इस बार पूरे राज्य की योजना का 3.7 प्रतिशत सड़क निर्माण के लिए खर्च कर रहे हैं, जबकि 1997-98 में 5.19 और 1998-99 में 5.07 खर्च किया जाता था। आपने चिंतन शिविर किया और उसके बाद आपके मुख्य मंत्रीजी ने जोर से घोषणा कर दी। कई माननीय सदस्यों ने मांग की है कि आप जो 600 करोड़ रुपये खर्च करके 24 हजार किलोमीटर सड़क का पुनर्निर्माण करेंगे, हमारे प्रस्ताव नहीं हैं। आपने लिखा है कि वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेंगे, मैं पूछना चाहता हूं कि कौनसे वित्तीय संस्थानों से आप ऋण लेंगे? जब आपको यह ही

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मालूम नहीं है तो आप क्यों असत्य बात करते हैं? ये सारी की सारी कलोल-कल्पित बातें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजनीतिक द्वेषता इस सरकार में कूट-कूट कर भरी हुई है। जिस जिले से मैं चुनकर आता हूं, रतनगढ़ से आने वाले विद्वान माननीय सदस्य विराज रहे हैं। पण्डितजी, 1997-98 में हम थे, हमने 14 करोड़ रुपए व्यय किए थे, आपकी सरकार ने 4 करोड़ रुपये ही व्यय किए। वित्त मंत्रीजी, आप हमारे चूरू विधान सभा क्षेत्र में कोई सड़क निर्माण नहीं करो, समझ में नहीं आता है, परन्तु इस तरह के त्यागी, तपस्वी, विद्वान, रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जो अपने इलाके के लिए जीते और मरते हैं, आप इनकी प्रार्थना पर विचार नहीं करें, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : आपके भाभड़ाजी थे वित्त मंत्री इसलिए हो गया, अब ये पण्डितजी वित्त मंत्री थोड़े ही हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1995 से 1998 तक तत्कालीन सरकार ने सड़क नीति के अन्तर्गत 346 सड़कों और 8 पुलों की स्वीकृति जारी की और इनके निर्माण के लिए लगभग 150 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां निकालीं। इसमें 80 प्रतिशत राशि नाबार्ड ने ऋण के रूप में दी और 20 प्रतिशत विभागीय खर्च था। सन् 1998-99 में 80 करोड़ रुपए एक साथ व्यय हुए। अब आपने क्या किया, मंत्रीजी? आप जब से आए हैं, आपने एक बार 10 करोड़ रुपए दिये और इस बार विलकुल प्रावधान नहीं रखा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन सड़कों पर 100 करोड़ रुपए व्यय हो गए, जो सड़कें आधी-अधूरी बन गई, आप इनको क्यों नहीं पूरा कराना चाह रहे? आप क्यों नहीं कहते कि जहां गिट्टी डल गई, उन सड़कों को डामरीकरण करने का पूरा करने का काम करेंगे? मंत्री महोदय, बयान देने से कुछ नहीं होगा। विजन 2025 के लिए लम्बी-चौड़ी प्रेस कांफ्रेंस कर ली, काहे का विजन है आपका? आपकी अंटी में पैसा नहीं, आपकी विभाग पर पकड़ नहीं, पहले की घोषणा पूरी नहीं हुई। आप क्यों राजस्थान के लोगों को सपने बेचने का काम कर रहे हैं?

आपके सामने दूसरी समस्या आने वाली है सीमावर्ती जिलों के लिए, जो सामरिक महत्व के जिले हैं। चेतक परियोजना थी—

श्री उपाध्यक्ष : कोआपरेटिव पर भी बोलेंगे कि नहीं?

श्री परसादी लाल (राज्य मंत्री, अल्प बचत) : जानते ही नहीं कोआपरेटिव के बारे में, कोआपरेटिव का ज्ञान ही नहीं, क्या बोलेंगे कोआपरेटिव पर? ललितजी के खिलाफ बोलते थे, अब भी पीछा नहीं छोड़ते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चेतक परियोजना के नाम से जो सामरिक महत्व की सड़क बनी थी, सेना ने कह दिया कि अव इसकी रिपेयरिंग का काम हम नहीं कर सकते, 60-70 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च होंगे। माननीय मंत्रीजी, आपको बजट में वह भी प्रावधान रखना चाहिए था। मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आपको यथार्थ को स्वीकार करके चलना चाहिए। हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री ने राजस्थान की सड़कों के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान के विकास की धमनियां और मजबूत हों इसके लिए आपको 140 करोड़ रुपए 1780 गांवों को जोड़ने के लिए दिये और 300 करोड़ रुपए 2001-2002 में देने का संकेत दिया है। केन्द्रीय सड़क कोष के अन्तर्गत 75 करोड़ रुपए आपको और देने का निश्चय किया है, आप क्यों नहीं धन्यवाद देते? आप और कुछ कर सको या नहीं कर सको परन्तु कम से कम प्रधानमंत्री रोजगार योजना का पैसा...

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : कौनसे महीने में दिया, राठौड़ साहब? कौनसे महीने में दिये हैं 140 करोड़ रुपए? मार्च में दिये हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि मार्च में दिया है पैसा, परन्तु इसके साथ यह भी कह दिया कि यह पैसा लैप्स नहीं होगा, पैसों को आप आगे खर्च कर लो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री की कल्पना है कि सन् 2007 तक पांच सौ की आबादी तक के गांव सड़क से जुड़ जाएं। परन्तु मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से माननीय मंत्री महोदय काम कर रहे हैं उसके अनुसार कोई नतीजा निकलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी सहकारिता मंत्रीजी विराज रहे हैं, मैं सहकारिता पर कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं करूंगा परन्तु इसमें कोई शंक नहीं कि अगर महाराष्ट्र और गुजरात की तुलना हम करें तो हिन्दुस्तान के परिप्रेक्ष्य में हमारा कोआपरेटिव मूवमेंट कमजोर रहा है। इसका कारण भी है। आज कुलमिलाकर 19786 पंजीकृत सहकारी संस्थाएं हैं, इनमें 6493 तो बंद हो गई और 1006 अवसायनाधीन हैं। कार्यशील 12075 हैं, इन सारी संस्थाओं में किस तरह से कार्य हो रहा है इस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन, मंत्रीजी मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 68 के अन्दर यह स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक संस्था का वर्ष में एक बार आडिट निश्चित तौर पर होना चाहिए। आडिट के लिए इनके पास 6-7 सौ इंस्पेक्टरों से लेकर ऊपर नीचे तक के अधिकारी हैं परन्तु प्रति वर्ष आडिट नहीं होता। और आडिट होने के बाद भी क्या हो? अगर आडिट के अन्दर गबन पाया जाए तो आप, मंत्री महोदय, उनको बचाने का काम करते हैं। जब कभी सहकारिता की कोई बात यहां आई, आपने हमेशा भ्रष्ट

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लोगों को संरक्षण देने का काम किया है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कोई कुछ काम कर सकें या नहीं कर सकें, खेतसिंहजी, हम तो जब पानी को बू कहा करते थे तब हम खेतसिंहजी के बारे में सुना करते थे कि खेतसिंहजी राजस्थान सरकार के मंत्री हैं, हमने जब विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ना चालू किया उस वक्त खेतसिंहजी के काले बाल हुआ करते थे, उनकी चाल मस्तानी हुआ करती थी और खेतसिंहजी खड़े होकर जो चाहते थे वह करते थे और जो वह कहते थे वह बात होती भी थी। अब आप असहाय हो, आपके कई बार मन में इस चीज की पीड़ा भी रहती है कि अब आपकी वह पुरानी पकड़ तो रही नहीं...

(17.55 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

अब आप कुछ करना चाहते हैं तो पार्टी के अन्दर आपकी जो स्थिति है उसके चलते आप कुछ करने की स्थिति में नहीं हो। मैं तो आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि आप और कुछ करें या नहीं करें, आपके विभाग में एन्टी करप्शन की जांच के बाद जो एफ.आई.आर. दर्ज कर ली, कम से कम उनके खिलाफ तो कार्यवाही करने की बात करो, चाहे वह किसी के समय की हो। वे अधिकारी वहां के वहां बैठे हैं, उन अधिकारियों के विरुद्ध आपको कोई कार्यवाही करनी चाहिए। मैं दो-तीन बानगी दूंगा...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : माननीय, क्षमा चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दोनों मंत्रियों के जवाब देने तक बढ़ाया जाए, मांग पारित होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : इसका समय निश्चित तो हो, घंटा-दो घंटा के लिए। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आप पांच घंटे बढ़वा लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : आपने कहा शनैः शनैः बढ़ाएंगे, अब थोड़ी देर में चेंज आ गया। आप शनैः शनैः नहीं बढ़ाकर एकदम उसी चीज पर आ गये। आप आधा घंटा चलाएंगे, एक घंटा चलाएंगे, कुछ तो तय करें। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इस प्रकार से कहें कि सदन का समय दो...

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, पहले आसन की तरफ से ही इस तरह का संकेत मिला था कि मांगें पारित होने तक, लेकिन चूंकि मैंने समय बढ़ाने के लिए पहले प्रस्ताव कर दिया था फिर मैंने उसमें अमेंडमैंट करना उचित नहीं समझा।

(श्री हरिसिंह)

इसलिए मैंने निर्देश के मुताबिक ही किया है। लेकिन उसके बावजूद भी आप चूंकि हमारे पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं और नियमों का बहुत विशेष अध्ययन किया है, मैं इनके परामर्श को मानते हुए प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सदन का समय दो घंटे के लिए और बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया गया।

मांग संख्या-36, 19 व 21 पर विचार

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, सदन का समय बढ़ा दिया, बड़ी कृपा कर दी परन्तु सदन का समय बढ़ाने का असर तब हो जब माननीय सहकारिता मंत्रीजी जो मुद्दे यहां उठें भ्रष्टाचार से सम्बन्धित, जिनका सीधा आक्षेप आप पर आए, कम से कम जवाब दें तो उन बातों को सम्मिलित करें। अब आप कह रहे हैं कि आप कार्यवाही करेंगे कैसे? आपको याद नहीं। यह आपकी ही क्या, आपकी उम्र में हम लोग आएंगे तो हमें भी नहीं रहेगा, परन्तु कृपया लिखने का काम तो करें।

इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि जिन प्रकरणों में—

श्री खेतसिंह राठौड़ : इन सवालों को आप क्यों लाते हो? कहते हैं कि आप बूढ़े हो गए, पकड़ नहीं रही, यह आपने कहां देख लिया कि मेरी पकड़ कमजोर पड़ गई?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं तो यही चाहता था। मैं तो, सहकारिता मंत्रीजी, यही चाह रहा था, यही सुनना चाह रहा था जो आपने कह दिया कि पकड़ कमजोर नहीं हुई और लोगों को भ्रम हो गया। इस कार्य शैली को आप थोड़ा और पैनी करो, दो-चार भ्रष्ट लोगों को लटकाओ। मैंने विधान सभा के इसी सत्र में सवाल किया था, आपकी आंख के नीचे, आपके नाक के नीचे बिना सरकार की अनुमति के सरकारी पैसे से लोग विदेश यात्रा करके आ जाएं, इससे ज्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है? आपको मालूम है, आपने सवाल का जवाब दिया, आपने कहा कि कार्यवाही करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित तौर पर कार्यवाही करेंगे।

सभापति महोदय, राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के तत्कालीन प्रबन्ध संचालक जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में आरोप प्रमाणित कर दिया। आरोप एक नहीं, जिन स्थानों पर ये महानुभाव रहे हैं चाहे जयपुर रहे हों जहां कापियां खरीदने में 30 लाख रुपए का घपला कर लिया, चाहे बीकानेर रहे हों जहां चीनी की लेवी के परिवहन में घपला कर दिया, चाहे उदयपुर रहे हों वहां घपला कर दिया। एफ.आई.आर. दर्ज है, क्यों बचाना चाहते हैं? चाहे वह पाली के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सहकारी बैंक में तीन करोड़ का घपला हो। एफ.आई.आर. भ्रष्टाचार निरोध विभाग में दर्ज कर दी, आपराधिक मामला बन गया, लेकिन अफसरों के खिलाफ कोई कार्यवाही आप करना नहीं चाहते। भीलवाड़ा जिला जहां से उपाध्यक्ष महोदय आते हैं, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में 40 लाख का घपला हुआ। भ्रष्टाचार निरोध विभाग ने मामला दर्ज कर लिया, कार्यवाही आप करना नहीं चाहते। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बाड़मेर के मामले में तो आपने सदन को आश्वस्त किया है कि आप कार्यवाही करेंगे। इसी तरह का घोटाला आपके कानफैड में हुआ। आपने धारा 70 के तहत जांच करवाकर धारा 74 में वसूली की कार्यवाही क्यों नहीं की? जब आपको मालूम है, आडिट की रिपोर्ट आ गयी कि इसमें इस तरह का घपला हुआ? सभापति महोदय, राजस्थान में बुनकर और बुनकरों का काम बहुत सीमित है, बहुत थोड़े बुनकर रह गये। आज हालत क्या बन गई बुनकर संघ के अन्दर कि हथकरघा सहकारी समिति के नाम पर जो सस्ता कपड़ा बनाया जाता था... (व्यवधान)

(18.00 बजे)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि यह घोटाला क्यों हुआ, तो माननीय स्वायत्त शासन मंत्री कह रहे हैं ऐसे ही होगा और आगे भी होगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : ऐसा नहीं कहा।

मोहम्मद माहिर आजाद : ऐसा ही कहा है, यही कहा है आपने।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप मेरी बात सुनो।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा कान बिलकुल सही है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने जो कहा है वह सुन लें आप अच्छी तरह से।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने बिलकुल यही कहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर आपने यह कहा है...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप मेरी बात तो सुन लें, मुझे कह तो लेने दो। (व्यवधान) मैंने जो कहा है कह तो लेने दो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह रिकार्ड की चीज है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप यह कहना चाहते हो क्या? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप सुनिए तो सही।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या सुनें? घोटाले की पैरवी सुनें? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, सदन के अन्दर मंत्री इस तरह की बात करें...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : राजस्थान सरकार के एक मंत्री यह कहते हैं कि घोटाले करूंगा, होंगे, ऐसे ही होंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप विराजें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : थोड़ी तो + + + आये इन लोगों को।

श्री सभापति : आप कहो... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : थोड़ी तो + + + आए इन लोगों को, दिखाने वालों को।

श्री सभापति : मंत्रीजी खड़े होते हैं, आप खड़े होते हैं, बात क्या है?

श्री मदन दिलावर : प्रताड़ना दीजिए, प्रताड़ना, नहीं तो ये लोग सारे राजस्थान को खा जाएंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + +

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजो।

श्री मदन दिलावर : ये सारे राजस्थान को लूट लेना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदय, जब आपने संघ का नाम लेकर घोटाले कहा है तब मैंने कहा कि जिस समिति के आखिर में संघ लगता है वो चाहे + + + हो, चाहे कोई सा संघ हो वहां तो घोटाले होंगे ही होंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या मतलब है? (व्यवधान) यह क्या है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा है, माननीय सभापति महोदय...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + + (व्यवधान) + + + सारे राजस्थान को खा गये + + + (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ऐसे हालात कहीं भी नहीं होने चाहिए, चाहे वो कोई सा संघ हो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + +

मोहम्मद माहिर आजाद : सरकार का एक मंत्री घोटाले की पैरवी करे... (व्यवधान) चाहे वो किसी भी संघ का हो... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + + क्या बताओ। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उस घोटाले को जायज करार आप नहीं दे सकते, आप सरकार के प्रतिनिधि हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + + (व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : + + + यदि नहीं किये तो आप मना कर दो। (व्यवधान) आप मना कर दो।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, नहीं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + + थोड़ा सच बोलो। + + + (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय श्री राजेन्द्रजी। (व्यवधान) माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़। आप जारी रखें।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति : आप विराजो।

श्री मदन दिलावर : एक राष्ट्रभक्त संगठन के लिए इस प्रकार से बोलना...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजो, विराजो।

श्री मदन दिलावर : यह शर्म की बात है। (व्यवधान) + + +

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय सदस्य ने उत्तेजित होकर दो बार कहा, + + + ये शब्द शोभा नहीं देते, आप कार्यवाही से निकलवाइए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : जो भी असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है चाहे मंत्री के खिलाफ हो, निकलवाइए इनको कार्यवाही से।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : दो बार कहा है, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + + (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सीधा नहीं कहा है इन्होंने। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय राठौड़ साहब।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : (व्यवधान) और लांछन करें, + + + (व्यवधान) + + +

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब, आप जारी रखें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनको कार्यवाही से निकाल दें।

श्री सभापति : कोई रिकार्ड में आया ही नहीं। कोई रिकार्ड नहीं हुआ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + +

श्री मदन दिलावर : + + + (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इर्रेलेवेंट बात विधान सभा में करने वाले लोग...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सभापति महोदय, इनको समझाइए।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मदन दिलावर : +++ (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजो। (व्यवधान) कोई रिकार्ड नहीं हुआ। कोई रिकार्ड नहीं हुआ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इर्रेलेवेंट कहने वाले लोग_(व्यवधान)

श्री सभापति : आप, माननीय सदस्य_(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : +++ समझाओ उनको। (व्यवधान)

श्री सभापति : राठौड़ साहब, आप जारी रखो। (व्यवधान) कुछ भी रिकार्ड नहीं हुआ। (व्यवधान) कुछ भी रिकार्ड नहीं हुआ। आहूजा साहब, कोई रिकार्ड नहीं हुआ। (व्यवधान) आप बैठ जाइए, विराजो आप। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप सुन तो लीजिए। कुछ भी रिकार्ड नहीं हुआ है। कोई रिकार्ड नहीं हुआ।

एक माननीय सदस्य : +++ ऐसा क्या हो गया, +++ (व्यवधान)

श्री सभापति : आप सुनो तो सही।

एक माननीय सदस्य : ऐसी कौनसी आग गिर गई इन पर?

श्री सभापति : आप सुनो तो सही, कुछ भी रिकार्ड नहीं हुआ है। (व्यवधान) कुछ भी रिकार्ड नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ले जाओ यहां से। (व्यवधान)

श्री सभापति : +++ शब्द एक्सपंज कर दो।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य बिलकुल +++

श्री शांतिकुमार धारीवाल : राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। (व्यवधान) आप तो विराजो।

एक माननीय सदस्य : आपका तो बाहर हो गया। आप असंसदीय शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। +++ ऐसी कार्यवाही करने से। ऐसा क्या हो गया?

श्री सभापति : माननीय राठौड़जी, आप जारी रखो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था_

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं आपको एतराज है, संघ का शब्द हटा दिया जाए इन समितियों से?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कोई एतराज नहीं। वो एतराज आपको इसीलिए नहीं है कि आप मन में जानते हो कि जहां संघ का शब्द लगता है वो भ्रष्टाचार का अड्डा है।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, यदि कानून और नियम नहीं हो तो +++

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय + + + कि संघ के नाम पर आपत्ति नहीं करें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + + (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : सभापति महादेय, + + + शब्द एक्सपंज किया जाए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + +

श्री रतन लाल ताम्बी : ये कोई शब्द यहां कहने के होते हैं, बार-बार कह रहे हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + +

श्री रतन लाल ताम्बी : + + + (व्यवधान) जनता + + + नहीं भेजती विधान सभा में। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री होकर संघ के बारे में कह रहे हैं।

श्री रतन लाल ताम्बी : जनता विधायक चुनकर भेजती है। + + + भेजती है क्या यहां विधान सभा में?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ताम्बीजी, आप तो बुजुर्ग हैं, अब तो बैठ जाओ।

श्री रतन लाल ताम्बी : क्यों बैठ जाएं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री हैं वे + + + नहीं तो और क्या हैं?

श्री रतन लाल ताम्बी : + + +

श्री ज्ञानदेव आहूजा : संघ के बारे में कहेंगे तो + + +

श्री रतन लाल ताम्बी : यहां + + + भेजती है क्या जनता? (व्यवधान) राजस्थान की जनता यहां + + + भेजती है क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति : जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + (व्यवधान) + + +

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कृपा करके आपस में बातचीत न करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जो संघ के बारे में कहेंगे (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : पांच-पांच बार कह दिया, कोई तरीका है क्या?

श्री सभापति : कृपा करके आप आपस में बातचीत न करें। (व्यवधान) आप विराजो।

श्री रतन लाल ताम्बी : इन शब्दों को हटाया जाए विधान सभा की कार्यवाही से। पांच बार कहा है यह। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजो।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, असंसदीय भाषाओं का जो प्रयोग हो उसको तो कम से कम कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री सभापति : वो तो हटा दिया।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह अच्छी परम्परा नहीं है कि कोई उसका उपयोग करे।

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रतन लाल ताम्बी : यह राजस्थान की जनता का अपमान है। सदन में कोई + + + भेजती है क्या जनता यहां? पांच बार रिपीट कर दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : सभापति महोदय, आन ए पाइंट आफ क्लैरिफिकेशन।

श्री रतन लाल ताम्बी : यह पहले आप निकलवाइए।

श्री सभापति : राठौड़ साहब, आप जारी रखो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + माननीय सदस्य, आप बुजुर्ग हैं, + + +

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय सभापति महोदय, आन ए पाइंट आफ क्लैरिफिकेशन। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + + माननीय सदस्य तो अपने बेटे के लिए हमला कर चुके सदन में। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : माननीय सभापति महोदय, यह कोई तरीका नहीं है।

श्री रतन लाल ताम्बी : सभापति महोदय, सदन का अपमान हो रहा है। यह क्या रिपीटीशन है, बार-बार कहा जा रहा है। (व्यवधान) राजस्थान की जनता का यह पवित्र सदन है, + + + बैठे हैं क्या यहां पर? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सदन से बाहर निकालो।

एक माननीय सदस्य : यह कोई तरीका हुआ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आन ए पाइंट आफ क्लैरिफिकेशन। (व्यवधान) सभापति महोदय, आन ए पाइंट आफ क्लैरिफिकेशन।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ये नाम ले रहे हैं बार-बार। (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप सहयोग करें और माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आन ए पाइंट आफ क्लैरिफिकेशन। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमारे साथ अन्याय हो रहा है। सभापति महोदय, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है।

श्री सभापति : आप इनको बोलने दो। आप विराज जाओ। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय सदस्य को तो उनकी पार्टी वाले ही नहीं बोलने दे रहे। अब वह असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।

श्री सभापति : अब विराज जाओ। आप विराज जाओ। (व्यवधान) चेयर खुद ध्यान रख रही है, आप विराज जाओ। (व्यवधान) आप विराजो। आप विराजो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक क्लैरिफिकेशन है।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, आप प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक महोदय से कहिए कि अपने सदस्यों को काबू में रखें। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजो।

श्री संयम लोढ़ा : इनको कहो आप। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मालपुरा से आने वाले सदस्य बोल रहे हैं, आप विराजो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, यह जो विवाद पैदा हुआ इससे अलग हट कर आपने एक्सपंज भी कर दिये, लेकिन यह तो एडमिटेड फैक्ट है कि जितनी सहकारी समितियां हैं, जो मंत्रीजी, आपके नियंत्रण में हैं और जिनमें संघ लगता है, जैसा आपका केबिनेट मिनिस्टर कहता है उनमें भ्रष्टाचार है। आप मानते हो क्या इस बात को? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को जाने दीजिए, लेकिन आपका मंत्री खुद कहता है, एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर यह कह रहा है खड़ा होकर कि जिन सहकारी समितियों के आगे संघ लगता है, उपभोक्ता संघ है और जितने भी तमाम् सहकारी समितियों में लगता है उनमें भ्रष्टाचार है, यह खुद कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं, आप मानते हो क्या इस बात को?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा सवाल यह नहीं था। यह कहां कहा?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, यह कहा आपने। यह कहा है आपने। नहीं, यह कहा है आपने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने यही कहा है, आपने यही कहा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, यह कहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने यही कहा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कहा है, लेकिन सेंटेंस को पूरा पढ़िए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, पूरा पढ़ा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पूरा पढ़िए। मैंने उसमें + + + जोड़ा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वो अलग है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वो देखिए आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वो तो एक्सपंज कर दिया। आप तो जो सहकारी समिति है, आपके अधीनस्थ है, आपके विभाग के अधीनस्थ है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, कई संघ हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जिनमें संघ लगता है उनमें भ्रष्टाचार है, क्या आप मानते हैं?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जहां संघ है वहां खूब घोटाले होते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, जिसके पीछे संघ लगता हो उसमें

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

कोई + + + हो, ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा यही निवेदन है कि माननीय मंत्रीजी ने ऐसी बात कही है या नहीं कही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये माफी मांग लेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इतनी दूरी में आजाद साहब ने सुन लिया? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, स्वीकार कर लिया दो बार उन्होंने मैं तो यह जानना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि ये मंत्रीजी के निजी विचार हैं या सरकारी विचार हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अभी कह रहे हैं वे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह बता दीजिए कि ये उनके विचार निजी हैं या सरकारी? यह तो इन्होंने एडमिट कर लिया, यह आन रिकार्ड आ गया कि हां, मैंने यह बात कही है कि जितने भी संघों के आगे संघ लगता है जैसे + + + उसमें भ्रष्टाचार है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ये इनके निजी विचार है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह इन्होंने कहा है। आपके कान कमजोर हो सकते हैं, मेरे अभी जवान हैं। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि मंत्रीजी ने जो एडमिशन यहां किया है वे उनके निजी विचार हैं या सरकारी विचार हैं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : निजी विचार हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरे विचार क्या हैं, मैं बता देता हूं आपको। (व्यवधान) आप प्रोसीडिंग्स उठा कर देख लें कि मैंने क्या कहा। मैंने यह कहा, सभापति महोदय, कि जिन समितियों के पीछे संघ शब्द लगता है उनमें इस प्रकार के घोटाले होते रहते हैं जैसे + + + में होते हैं। यह है कुलमिलाकर बात। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इन्होंने यही नहीं कहा होते रहते हैं, इन्होंने यह भी कहा आगे भी होंगे। यह भी कहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मालपुरा से आने वाले सदस्य, मैं इतना ही निवेदन करूंगा आपको, जो पाइंट उठाया है वह मंत्रीजी जब उत्तर देंगे तब स्पष्ट कर देंगें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जिस प्रकार से अपनी बात को यहां रखा, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप इस सदन के—

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब आप इस पर डिबेट करवाना चाहते हैं क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो करवा लो, डिबेट करवा लो। (व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उन्होंने जो कहा है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यहीं करना है तो यह भी आ जाओ। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इन्होंने देखा है। तहलका में क्या हुआ जो इन्होंने भी देखा है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं यह कह रहा हूं कि दो पीढ़ियां खतम हो गयीं आपकी इस बात में संघ को गालियां देते हुए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सात पीढ़ियां खतम हो गयीं, बात करते हो आप। दो पीढ़ी और चार पीढ़ी काहे के लिए खतम हो गयी? (व्यवधान) क्या बात करते हो?

श्री गुलाब चन्द कटारिया ; चाहे जिस प्रकार की बात बोले चले जा रहे हैं। (व्यवधान) क्या समझते हो?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : + + + क्या कह रहे हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या बात करते हो आप? सवाल यह है कि + + + कोई मतलब है जो इनका कोई लेना देना नहीं? मैं आज आपको चैलेंज करता हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : + + + (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आज आपको चैलेंज करता हूं, + + + इतना हल्कापन मत लाओ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हल्केपन की क्या बात है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और इतना अभिमान मत करो, + + +

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सुनिये, जो आपका राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है (व्यवधान) दुनिया जानती है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, + + + यह मेरा प्रण है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपका* अभिमान चूर करके अगली बार नहीं बताऊं तो मेरा नाम गुलाब चन्द कटारिया मत कहना। मैं आपके* अभिमान को चूर करके छोडूंगा। और आप* चैलेंज करो तो मैं आपके* साथ चुनाव लड़ता हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : चैलेंज क्या है, दुनिया जानती है + + + (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप* लोग क्या जानते हो उनकी देश भक्ति को? (व्यवधान) आपने* क्या देखा उनकी देश भक्ति को?

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।
* शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

श्री सभापति : केवल इन हल्कपनों से अपने आपको + + + मत समझ लो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जब दिल पर चोट लगती है तो हल्कापन ही लगता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कोई चोट नहीं लगती है।

श्री सभापति : आप बिराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस राष्ट्रवादी संगठन को + + + हल्केपन से ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : + + + ने क्या कहा, यह बता दो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या हो रहा है, सभापति महोदय? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप क्या चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर हिम्मत हो तो बोलो जैसे मैं बोलता हूं।

श्री सभापति : माननीय कटारिया साहब। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सारे देश को पता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सदन की गरिमा रखना चाहते हैं। (व्यवधान) नियमों से चलाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कि आप कोई छोटे-मोटे पद पर नहीं हो, एक मंत्री के पद पर बैठे हो, कौनसी बात बोली जाए कब बोला जाए। अपनी मर्जी आवे जो + + + चले जा रहे हो। (व्यवधान) आप चलाकर बात करते हो, आप चलाकर बात करते हो, आप चलाकर बात करते हो। (व्यवधान) आप इस प्रकार का हल्कापन मत लाओ। आप क्या समझते हो? यहां 153 आ गये तो कोई अभिमान आ गया? आप* क्या समझते हो? आपसे* हम किसी प्रकार से कम नहीं हैं। आपका* कुछ नहीं, यह फालतू की बातें हैं, हल्कापन है आपका*। एक मंत्री होकर जूतियां बताना, यह बताना + + + इस सदन में आकर, आपने* जिस प्रकार का हल्कापन का प्रयोग किया। समझ में आई न। यह कोई बहुत गरिमा वाली बात नहीं है। (व्यवधान) यह कह दिया, यह तो कोई सामान्य सदस्य कह सकता है। मंत्रिमण्डल के सदस्य हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं मेरी बात को फिर रिपीट करता हूं, एक बार नहीं हजार बार कहता हूं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या रिपीट करते हो *आप?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह कहता हूं कि + + +

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

* शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कोई भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं है। (व्यवधान) आप* क्या समझते हो इसको?

श्री सभापति : माननीय कटारिया साहब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तो इनको छूट है क्या? यह मर्जी चाहे जो + + + कर सकते हैं? आज मैं आसन से पूछना चाहता हूं कि—

श्री सभापति : आप एक मिनट, बिराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अच्छा, हम भ्रष्ट हैं तो + + + फांसी लगाओ न हमको, अगर हम भ्रष्टाचारी हैं तो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + (व्यवधान) + + + मंत्री बन गये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपको* चुनौती देता हूं, इस अभिमान को चूर-चूर करके रखूंगा, नहीं तो गुलाब चन्द कटारिया दुबारा इस सदन में नहीं आएगा। आगे याद रख लेना इस बात को। आपने* किसी और से बात की होगी। (व्यवधान) मैं हूं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप तो अभी भूल से आये हो इस सदन में, अगली बार आने की बात ख्वाब देखो ही मत (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जो अपने प्राण यहां त्याग कर दूं। + + + आपकी* तीन पीढ़ियां खप गयीं उसको गाली देते देते, कुछ नहीं कर पायीं। आपने* उसकी ओर देखा है, गालियां दीं वही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग आज बढ़कर देश पर राज कर रहे हैं। (व्यवधान) वो भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आज अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं—(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपको चैलेंज करता हूं यहां पर—(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आज आपको नहीं है, आपकी जो बात निकल रही है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मैम्बर हूं, + + + (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आज नहीं है आपका। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : + + + (व्यवधान) तो मैं हूं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, + + + मैं भ्रष्ट हूं, चोर हूं, बेईमान हूं + + + (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, आर.एस.एस. की जुबान क्या है? (व्यवधान) क्या किया इसने? (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

* शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : चोर हूं? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पूरे देश को बेच दिया, इज्जत मिट्टी में मिला दी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसी बातें करते हैं। (व्यवधान) कुछ कहा है तो गर्व से बात करो। (व्यवधान) अगर कुछ है तो। (व्यवधान) यहां आकर रखो, जो आपके* पास तथ्य हों उसको यहां लाकर रखो। डिस्कशन कराइये।

श्री सभापति : मैं कुछ व्यवस्था दे रहा हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं। कुछ सुन तो लो आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर उसमें कुछ दोष पाये जाएं तो हमको बता दो। आप सरकार चला रहे हो लेकिन इस प्रकार की हल्की + + + करते हो न... (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं यों ही नहीं बोल रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह + + + बरदाश्त नहीं होगी। और जानता है? आपका* अभिमान अगर मैं चूर नहीं करूं तो मेरा नाम गुलाब चन्द कटारिया नहीं। आपने* किसी और से टक्कर ली होगी, आपने* किसी और से + + + की होगी। + + + आपने* किसी और को धमकाया होगा। हम जमीन पर खड़े होते हैं, 23 साल हो गये राजनीति में काम करते हुए लेकिन + + + जो किसी प्रकार का आरोप लगा दे। यह गंदापन और हल्कापन...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस वाद-विवाद में + + + बहुत असंसदीय रूप से बार-बार प्रयुक्त हुआ है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह नहीं हो सकता, समझ में आया? मर्जी आवे जो + + + और मर्जी आवे जिस तरह आरोप लगा दो। अगर आप* सरकार चलाते हो हमारा दोष सिद्ध करो। फांसी लगा दो, अगर हम गुनाहगार हैं। लेकिन यह नहीं है आपको छूट कि आप* चाहो जो + + + करते चले जाओ। आपको* यह घमण्ड चूर-चूर करके रखूंगा, नहीं तो दूबारा इस सदन में नहीं आऊंगा। यह मेरी चुनौती स्वीकार कर लेना। (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आप सुन तो लें। (व्यवधान) सुन ही नहीं रहे हो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर हिम्मत है...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपकी चुनौती स्वीकार है, श्रीमान्। (व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।
* शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और मैं आपको बता देता हूं + + + (व्यवधान) मैं जिस धरातल पर खड़ा हूं न, अपनी ईमानदारी के धरातल पर खड़ा हूं। (व्यवधान) 23 साल में कोई + + + पैदा नहीं हुआ जो एक पाई का इल्जाम लगा सके। समझ में आया? आप* जैसे हल्केपन का प्रयोग नहीं करता हूं, जो भी बात कहता हूं संजीदगी के साथ कहता हूं। (व्यवधान) नपे-तुले शब्दों में कहता हूं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इतना अभिमान मत करो। (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इतने हल्केपन का प्रयोग किया है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इतने घमण्ड में मत बोलो आप। (व्यवधान) इतने घमण्ड में मत बोलो। (व्यवधान) मैं आपका आदर करता हूं मगर उसका नतीजा यह मत समझिये कि आपकी इन बातों को सुन लूंगा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक घंटे तक + + + और जिस हल्केपन का प्रयोग किया एक मंत्री होने के नाते।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जरा तरीके से, माननीय सदस्य, आप तरीके से बोलिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जो अपने अभिमान में चूर मत हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप भी अपना घमण्ड मत दिखाओ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने कोई बात नहीं की, मैंने हर बात नपी-तुली कही, पूरी संजीदगी के साथ कही।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपकी हर चुनौती मैं स्वीकार करता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : लेकिन आपने* जिस प्रकार का हल्केपन का प्रयोग किया। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं अपनी बात को फिर रिपीट करता हूं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : + + + उसको 89 में + + + छोड़ा, अगली बार + + + बताऊंगा कि गुलाब चन्द कटारिया की बात का क्या मतलब होता है और क्या नहीं है। आपने* किसी और से बात की होगी। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपसे बात की है, पहले अब तक पचासों से बात करके देख चुका हूं, आपके उस्ताद से भी निपट चुका हूं। इस भरोसे मत रहना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपकी* दो पीढ़ियां देख लीं पूरी, अब समझ में आयी न, दो पीढ़ियां देख लीं, खप गयी यह कहते कहते, कुछ नहीं कर पायीं। (व्यवधान) पूरी दो पीढ़ियां मर गयीं, कुछ नहीं कर सकीं। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

* शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जिनको आप उस्ताद कहते हो न उनसे निपट चुका हूं। (व्यवधान) तब वह कुछ नहीं बिगाड़ सके और सात पीढ़ियां फिर पैदा हो जाएं, तो कुछ नहीं कर सकते।

श्री सभापति : माननीय भाटी साहब।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : सभापति महोदय, मैं तो सिर्फ यह इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि यहां पर आरोप-प्रत्यारोप लगे हैं, लेकिन एक समय यह भी आया था और आप लोग नाराज होओगे मैं कहूंगा तब, लेकिन वह हकीकत थी और यहां पर इसके लिए प्रिविलेज मोशन उठाया गया जनता दल की तरफ से, वाजपेयीजी जब प्रतिपक्ष के नेता थे तो राज्य सभा के चुनाव के बाद में उन्होंने फरमाया था कि राजस्थान के एम.एल.ए. बिकाऊ हैं और नेता महोदय यहां विराजमान हैं प्रतिपक्ष के, उनको भी याद होगा। यह तो मेहरबानी थी मुख्य मंत्री माथुर साहब की कि तीन दिन की डिबेट के बाद में वह मामला प्रिविलेज कमेटी को रैफर हुआ था। तो आपके जो प्रधानमंत्री अब हैं... उस समय आप ही इस विधान सभा के सदस्यों के बारे में यह आरोप लगा दें कि वह बिकाऊ हैं, उससे ज्यादा आप क्या रिमार्क्स को पास कर सकते हैं। शांतिजी ने तो कुछ नहीं कहा। कटारियाजी हर्ट फील कर रहे होंगे लेकिन आर.एस.एस. के बारे में, सभापति महोदय, या तो 2-3 दिन की डिबेट करवा लें, आप भी आ जाएं और हम भी आ जाएं और जो आर.एस.एस. की टिप्पणी मंत्री महोदय, ने की वह एज मंत्री महोदय इन्होंने की। (व्यवधान) नहीं, वह तो आपकी...

श्री सुरेन्द्र व्यास : कांटैक्स्ट क्या था उसमें ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप डिबेट करवा लें और यह आन रिकार्ड पर लाना चाहता हूं कि ऐसी महान् शक्ति, मैं बहुत एडमायरर हूं वाजपेयी साहब का, लेकिन वह टिप्पणी कोई शोभाजनक नहीं थी, यह इस हाउस को अवगत कराना चाहता था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय सभापति महोदय, जिस तरह की भाषा का प्रयोग दोनों ओर हुआ है उससे मैं मानता हूं कि सदन की शोभा नहीं बढ़ती। माननीय सदस्य बोलने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन सदन की मर्यादा का निश्चित रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। कोई चर्चा ऐसी नहीं हो रही थी कि धारीवालजी को इस प्रकार से उग्र होकर यह बात कहने के लिए विवश होना पड़े। लेकिन उन्होंने मंत्री तो नहीं, खेतसिंहजी ने कहा मंत्री हैसियत से नहीं बोले, व्यक्तिगत हैसियत से बोले हैं, व्यक्तिगत हैसियत में कोई किसी पर आरोप लगाएगा तो निश्चित रूप से उसका प्रत्यारोप होगा और उसके कारण से सदन की गरिमा घटेगी। माननीय सदस्य ने कहा कि आर.एस.एस. पर चर्चा कर लेनी चाहिए। मैं तो समझता हूं कि यह हमारा सौभाग्य होगा कि इस सदन के अन्दर आर.एस.एस. के ऊपर चर्चा हो।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : करवाइये, मैं कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो कहता हूं न। आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं। खेतसिंहजी बोल जाएं तो बहुत ही बढ़िया है। आर.एस.एस. के ऊपर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। अब आपने तो आरोप इस प्रकार का लगाया कि संघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यह चोर है। आपका मतलब यही था न?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जो मैंने कहा वह अर्ज कर रहा हूं आपसे। मैंने यह कहा कि जिन समितियों के आखिर में संघ लगता है। चर्चा हो रही थी घोटाले की, राठौड़ साहब घोटाले की बात कर रहे थे कि इसमें इतना घोटाला है, इसमें इतना घोटाला पहले हुआ है और अब हो रहा है, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो मैंने यह कहा कि मोटे तौर पर यह देखा जाता है

(18.22 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कि जहां पर जिस समिति के आखिर में संघ लगता है वह चाहे + + + हो, घोटाले वहां होते रहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आ गया न वह।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी नहीं की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सदस्य का नहीं कहा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : टिप्पणी की है आपके प्रतिपक्ष के सदस्यों ने मेरे खिलाफ और यह आम बात है। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, यह आम बात है कि पार्टियों को एक दूसरे को चोर कहते हैं, एक-दूसरे को घोटाले कहते हैं। यह तो आम बात है। मैंने किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ नहीं कहा और मैं तो आज भी कायम हूं इस बात पर। जो कुछ मैंने कहा है वह फिर रिपीट करने को तैयार हूं।

श्री आर. पी. शर्मा : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं रिक्वैस्ट करूंगा...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ...सारी व्यवस्था तो आपके सदस्यों ने बिगाड़ी।

श्री आर. पी. शर्मा : ...उसके लिए आपके नेता ने कोई...(व्यवधान) पण्डित जवाहर लाल नेहरू आज हैं नहीं हमारे बीच में, उनके लिए अच्छी बात कही थी क्या? लेकिन यह दोनों तरफ से माहौल खराब है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय शर्माजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने डाइरेक्टली और इनडाइरेक्टली जिस भाषा का प्रयोग किया उससे सीधा आपके दिमाग में था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, कि संघ जिसके लगता है जैसे..., अब आपने कह दिया, अब मैं बताऊं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं स्वीकार करता हूं न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, सुधार करने की कोई जरूरत नहीं है। रिकार्ड पर रहना चाहिए, न रिकार्ड से निकालना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि यहां जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और यहां आलोचना होती है वह रिकार्ड पर रहना चाहिए ताकि आगे की पीढ़ियां यह देखें कि हमारे पूर्वज विधान सभा में किस प्रकार का काम करते थे। मैं इतना कहना चाहूंगा, आप तो बोल गये आर.एस.एस. के लिए और यदि हममें से कोई यह बोल जाए कि जिसके आगे कांग्रेस लगता है उसमें भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं होता तो आपको कितना बुरा लगेगा?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आये दिन कहते हो आप तो। आप लोग तो आये दिन कहते हो। (व्यवधान) हजारों बार कहते हो। (व्यवधान) हजारों बार कहते हैं वे लोग। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, बिराजें। माननीय सदस्य बिराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुन लीजिए। मैं कहना नहीं चाहता, मैंने तो आपके सामने केवल उदाहरण रखा है, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन अगर कोई इस प्रकार की...

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, एक मिनट। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि जो कुछ अपशब्द कहे गये वे रिकार्ड में रखे जाएं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह आपकी मर्जी की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : यह हमारे लिए और आपके लिए शोभा नहीं देती। इसलिए मैं इस सारे रिकार्ड को देख कर जो भी अपशब्द कहे गये हैं दोनों तरफ से, उनको हटाने की कार्यवाही करूंगा। आप उनको बोलने दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट। मेरा मतलब यह नहीं है कि आप निकालें या नहीं निकालें, लेकिन आप यह बताइये कि रोज शब्द एक्सपंज करने के बाद में क्या लोग बोलते नहीं हैं? कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि इस हाउस की प्रोसीडिंग में कोई न कोई शब्द, वाक्य या कोई आरोप एक्सपंज नहीं किया जाता। तो इस एक्सपंज करने के कारण से कोई सुधार हुआ है क्या? कोई सुधार नहीं हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रिकार्ड पर जाने दीजिये। पत्रकारों को इसकी छूट होनी चाहिए। अगर लिखें तो कम से कम दुनिया को यह मालूम हो कि हम उनके प्रतिनिधि किस प्रकार की भाषा का प्रयोग

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करते हैं। लेकिन जब दुनिया को मालूम ही नहीं होगा तो लोग एक्सपंज करने के लायक इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे। ज्यादा अच्छा हो कि इसके ऊपर आप गम्भीरता से विचार करें। आप एक्सपंज करें या नहीं करें, लेकन सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए दो ही तरीके हैं या तो इफैक्टिव हो या नैगेटिव हो। यह नैगेटिव एप्रोच जरूर है इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन इफैक्टिव एप्रोच जब फेल होगा तो नैगेटिव एप्रोच कामयाब हो सकता है। इस प्रकार के हिन्दुस्तान के लोकतंत्र में एक नहीं हजारों उदाहरण आपको मिलेंगे और कभी डिबेट करेंगे तो मैं बता भी दूंगा। कई विधान सभाओं ने तय कर लिया कि एक्सपंज करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरे दिन अखबारों में छपता है, जो मैम्बर बोला है उसके लिए संकट खड़ा हो जाता है कि हमारा मैम्बर इस प्रकार का है। इसलिए मैं शांतिजी धारीवाल से भी अपील करना चाहूंगा कि यह सदन शांति से चल रहा था तो आपने यह अशांति क्यों पैदा की?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने कोई ऐसी विशेष नयी बात नहीं कही थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बात हो गयी, सारी हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दुनिया में,

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, इसको समाप्त करने दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शांति के पीछे "अ" लग गया, "अ" लगते ही अंशाति हो गयी। अब ऐसी स्थिति में, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी थोड़े सावधान रहें, आखिर मंत्री है, मंत्री की जिम्मेदारी है। मंत्री मंत्री की हैसियत में बोलता है या व्यक्तिगत रूप से बोलता है, मंत्री मंत्री रहता है, वह अपने आपको सैपरेट नहीं कर सकता। खेतसिंहजी की आदत क्या है, वे तो सावधान आदमी हैं। इसलिए कोई भी मंत्री जब बोलता है तो कि यह सरकार का विचार नहीं है, दो मंत्रियों के बारे में आपने कह दिया कि सरकार का विचार नहीं है और यह सरकार नहीं बोल रही है, मंत्री हैसियत से बोल रहे हैं। तो मंत्री जब हैसियत से बोलता है तो विधायक विधायक की हैसियत से बोलता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अपनी निजी हैसियत से बोल रहे हैं, नाट एज द मिनिस्टर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं, आप इस पर विचार करें और मुख्य मंत्रीजी को बता दें कि मंत्री यहां बोलेगा तो मंत्री की हैसियत से बोलेगा। मंत्री की अलग से कोई हैसियत नहीं है। विधायक हैं उनकी विधायक के नाते

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं तो आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि यह डिस्कशन बिलकुल खामखाह हो गया और बढ़ गया। गुलाब चन्दजी से मैं माफी मांगता हूं, क्षमा करें और बात खतम हुई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अब हो गयी समाप्त। माफी मांग ली, अब क्या बात हो गयी? अब क्यों इसको आप बढ़ाते हो? बात खतम हो गयी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो अपनी शालीनता दिखा दी। मैं अर्ज कर रहा हूं, यहां जिस प्रकार का माननीय सदस्यों ने आचरण किया है और आसन के सामने मुक्का तानकर जो खड़े हुए... (व्यवधान) अभी आसन के सामने मुक्का तानकर खड़े हुए और जिन अल्फाज़ का प्रयोग किया है, मेरी समझ में चौराहे पर खड़ा रहकर कोई आदमी, इस सदन की गरिमा बढ़ा रहा है...

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न यह तो। गरिमा दोनों तरफ से रखनी पड़ेगी, एक तरफ से गरिमा नहीं रखी जा सकती।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कम से कम यह आश्वस्त तो करें प्रतिपक्ष के नेता कि उनके सदस्यों की तरफ से भविष्य में इस प्रकार का आचरण नहीं किया जाएगा। यह तो कम से कम आश्वस्त करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप अपने मंत्रियों पर तो काबू रखें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। विराजें। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार का आचरण आसन के सामने किया, मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से कहूंगा कि उसके बारे में भी कुछ अपने विचार रखें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र सिंहजी राठौड़। समाप्त कीजिये इसको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा कर रहा था बुनकर संघ के घोटाले की...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कांग्रेस पार्टी को डॉक में डाला उसके लिए मैं भी स्पष्टीकरण करने का अधिकारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता ने कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ नहीं कहा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कैसे नहीं कहा?

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने तो सदन की गरिमा कैसे बनी रहे, उस पर बोला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...इतने सक्षम हो गये हैं... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : यह जब प्रतिपक्ष के नेता थे तो हमारे कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ क्या-क्या आरोप नहीं लगाये थे, खेतसिंहजी साहब यहां विराजमान हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भ्रष्टाचार के खिलाफ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप। वे गरिमा की बात कर रहे थे।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : वे गरिमा की बात करते हैं, इस हाउस में यह गरिमा तो आपने खतम की है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...और स्वायत्त शासन मंत्रीजी...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : यह गरिमा की बात कर रहे हैं, सर।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जो आब्जैक्शन वाली बात हो।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कही है, कैसे नहीं की, हुजूर?

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने तो यह कहा कि यह सदन कैसे चले, गरिमा से चले, हम दोनों...(व्यवधान) ऐसी बात नहीं कही है। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : माननीय

श्री जुगल काबरा : सदन के सभी लोग माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय के विचारों से सहमत हैं परन्तु वे अपने सदस्यों को भी संयमित करें। सभापतिजी के आसन के सामने जिस तरह से व्यवहार करते हैं, यह प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ने बात समाप्त कर दी, अब काहे को उठा रहे हो? आप बिराजिये प्लीज। बात समाप्त हो गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सदन को आर्डर में तो करो, साहब। (व्यवधान) ये नये मंत्री बन गये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : समाप्त तो मंत्री महोदय नहीं कर सकते, सर।

श्री उपाध्यक्ष : तो कौन करेगा?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हाउस करेगा और आप करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कर दिया न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप किस जगह से बोल रहे हैं?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं एक सैकण्ड मांग रहा हूं आपसे, यह मैं कह रहा हूं कि...

श्री उपाध्यक्ष : जब माननीय मंत्रीजी ने समाप्त कर दी बात को, बात तो समाप्त

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इनका रिकार्ड उठाकर देखिये कि हमारे मुख्य मंत्रियों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ क्या-क्या अपशब्द इन्होंने काम में लिये हैं, वह रिकार्ड निकलवाइये और दिखाइये तब इनको पता पड़ेगा। यहां पर आप ढिंढोरा पीट रहे हैं गरिमा का...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, ये क्या कहना चाहते हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : काहे पर बोल रहे हैं, साहब ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। इतना निवेदन करूं, जो आचरण यहां प्रतिपक्ष के सदस्यों ने किया है, मैं आपको याद दिलाऊं...

श्री उपाध्यक्ष : उससे क्या लाभ है ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी और मैंने यह कहा था...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सचेतक महोदय, अब बात समाप्त कीजिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मेरा निवेदन सुन लो। मेरा विधान सभा की शेष अवधि तक के लिए निष्कासन हुआ था, प्रस्ताव पास किया था इस बी.जे.पी. के दल ने और जो आचरण यहां हो रहा है...

श्री उपाध्यक्ष : अभी यह क्या इश्यू है ? What is the issue now?

श्री हरिसिंह (महुवा) : उसको हम सब सहन करते रहे। आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि सदन में गरिमा अगर बनाये रखनी है तो उसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके ऊपर है, प्रतिपक्ष के नेता महोदय के ऊपर है, आप इनको समझाइये कि ये अपने आचरण में दुरूस्ती लाएं। इस प्रकार से यहां आसन के सामने आकर मुक्केबाजी दिखाएं, और दूसरे काम करें और उन सबको हम यहां सहन करते रहें। अभी कोई निष्कासन का प्रस्ताव लाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि ये बहुमत के बल पर हमारे सदस्यों के साथ अन्याय हो रहा है, यह हो रहा है, वह हो रहा है। ये सब शोभाजनक बातें नहीं हैं। (व्यवधान) बरदाश्त की भी एक सीमा होती है। सत्ता पक्ष जितनी अपनी बरदाश्त दिखा रहा है, जितना सत्ता पक्ष अपनी शालीनता दिखा रहा है, उसका कम से कम प्रतिपक्ष कुछ तो सीखे। (व्यवधान)

डा. श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों का यह कहना है कि इस पक्ष से अगर कुछ ऐसी बात हुई तो उसके लिए वह माफी मांगते हैं। मैं माननीय सदस्यों की तरफ से जो उनकी भावना है, वह यह कहना चाह रही हूं कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय भी उनके सदस्यों की तरफ से जो अभद्रता हुई और उपाध्यक्ष के आसन तक जाकर अभद्रता की, उसके लिए उनसे भी क्षमा याचना उनकी तरफ से करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने कही ही नहीं है वह बात। समाप्त करो न इसको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें कही गई कि सदन में इस प्रकार की कार्यवाही हो तो माफी मांगें कि नहीं मांगें, मैं इस सदन की जानकारी में देना चाहता हूं कि पिछले विधान सभा में इसी प्रकार के सत्र में कांग्रेस पार्टी ने पुलिस के पहरेदार को मारा था, उसकी पेंट फाड़ दी थी...

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपने पांच को निकाला था, 18 दिन बाहर बैठे रहे थे, हमने ऐसा कुछ नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मेरी बात तो सुन लो आप। हमने उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं की लेकिन उस समय कोई परसरामजी ने माफी नहीं मांगी थी। उस समय विरोधी दल के नेता थे, उन्होंने माफी नहीं मांगी। खेतसिंह जी ने माफी मांगी है, खेद प्रकट किया है तो इस सदन में कोई भी कार्यवाही ऐसी होगी, कोई भी सदन का सदस्य अगर खेद प्रकट करता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी आइन्दा इस प्रकार की स्थिति में रहे कि इस तरह के लोग कोई भाषण देकर प्रोवोक नहीं करें तो मुझे भी, मैंने तो शुरू में ही कहा था कि सदन की गरिमा बनाये रखने का दायित्व जितना आपका है, उससे कम हमारा नहीं है। हम कम नहीं मानते हैं लेकिन कोई सीधा ही हमला करे तो देता हूं, हमारे सदस्यों से इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था बुनकर संघ और उसमें भ्रष्टाचार का। उपाध्यक्ष महोदय, बुनकर संघ के अन्दर हाथकरघा सहकारी समिति के नाम पर सस्ता कपड़ा खरीदा गया...(व्यवधान) यह गम्भीर बात है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो इश्यू उठा रहा हूं इसका संबंध राजस्थान के दूर-दराज में गांव में बैठे उन बुनकरों के साथ है जिनके नाम से लूटखसोट हो रही है। हाथकरघा सहकारी समिति के नाम पर जयपुर में बैठकर कपड़ा खरीदा गया और महंगे भाव में बुनकर संघ को बेचा गया। मंत्री महोदय, आपके पास शिकायत आई, आपके रजिस्ट्रार ने उसकी जांच की, मैं पूछना चाहता हूं, वह जांच दफ्तर-दाखिल क्यों हो गई? आप क्यों बचाना चाहते हैं इन भ्रष्टाचारियों को? सुबह चीनी परिवहन घोटाले की बात हुई थी, आप उस पर भी पर्दा डालना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से चुन कर आता हूं, वहां केन्द्रीय सहकारी बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक के अन्दर जो एम.डी. हैं, कोई भी लोन पास हो या किसी को भी लोन वितरित किया जाए, सुपरवाइजर को हिदायत है कि लोन देने से पहले 10 प्रतिशत कमीशन लेकर आए। और तो और, हालत यह बन गई कि आपके एक अधिशासी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लेना चाहते हैं परन्तु लोन की एवज में 10 प्रतिशत कमीशन दे नहीं रहे हैं तो उसको कहा कि आपकी नौकरी खतरे में डाल देंगे। हालात ये बन गये कि अधिशासी अभियन्ता मिस्टर जांगिड़ को आत्महत्या करनी पड़ी...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक घंटा हो गया आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : शिकायत मंत्रीजी के पास पहुंची। तीन मिनट, आप घड़ी देख लें, उपाध्यक्ष महोदय। शिकायत मंत्रीजी के पास गई। मंत्रीजी, आपने स्थानान्तरण किया उन एमडी. महोदय का। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या कारण था कि एक सप्ताह भी व्यतीत नहीं हुआ, चूरू से चलकर एमडी. यहां आये, आपसे मिले और वापस अपना ट्रांसफर रद्द करवा करके ले गये? क्या संदेश देना चाहते हैं? किस तरह का कोआपरेटिव मूवमैंट खड़ा करना चाहते हैं?

चूरू से ही नहीं, झुंझुनूं के अन्दर ग्राम सेवा सहकारी समिति मेहरादास, इसके व्यवस्थापक प्यारेलाल को 12.4.2001 को इसलिए आत्महत्या करनी पड़ी कि वहां के बैंक के एमडी. और अधिशासी अधिकारी ने उसको 11 महीने तक तनख्वाह इसलिए नहीं दी कि वह इन अधिकारियों की उदरपूर्ति नहीं कर सकता था। पंखे से लटक कर मर गया। आपके पास, मंत्री महोदय, इसकी भी शिकायत है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, इस तरह के भ्रष्टाचार जो फैले हुए हैं ,जब तक आप इन पर अंकुश नहीं लगाएंगे, तब तक चाहे आप कितना ही सहकार आपके द्वार पर ले जाएं, आप कितना ही कानून संशोधन की बात कर लें, इसका परिणाम नहीं आएगा।

आज सुबह चर्चा हो रही थी, आपने वायदा भी किया है कि परसों पूरा बयान देंगे। राजफैड में जिंसों की खरीददारी हुई, चाहे जौ की हो, सरसों की हो, मुख्य मंत्रीजी ने वाहवाही लेने के लिए कह तो दिया कि सरकार स्वयं के संसाधनों से एक बहुत ही अच्छा निर्णय लेकर सपोर्ट प्राइस पर, गरीब किसानों की जिंस को खरीदेगी, परन्तु हो क्या रहा है? आज राजस्थान में किसी भी कोने में चले जाओ, किसान परेशान है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम बात कह रहा हूं। मंत्रीजी, पहले तो बात थी, "रघुकुल रीति सदा चली आई" वाली, परन्तु आपको तो बात कहकर मुकरना और वह भी बड़े अंदाज में आता है। आप जब से सरकार में आये हैं, मैं तारीख बता रहा हूं, आपने छह बार ऋणदात्री सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन की घोषणा की और फिर आपने ही स्थगन दिया। पहली बार आपने घोषणा की अप्रैल-मई, 1994 में और फिर आपने उसको स्थगित कर दिया। और बहाना क्या बनाया कि राज्य में अकाल की स्थिति होने के कारण ये चुनाव संभव नहीं हैं। दूसरी बार आपने घोषणा की सितम्बर, 1994 में और फिर बहाना क्या बनाया? मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करना चाहता हूं, फिर बहाना बनाया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हैं, इसलिए स्थगित कर दिया। फिर आपने घोषणा की सितम्बर, 1997 में और फिर लोक सभा उप चुनाव और विधान सभा का सत्र होने के कारण से स्थगित कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समय में भी चुनाव स्थगित हुए, उसके पीछे तो वैलिड रीजन हैं परन्तु आपने घोषणा करके चुनाव को बार-बार स्थगित किया, इसके पीछे क्या कारण हैं? इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि...

श्री खेतसिंह राठौड़ : वैलिड रीजन क्या थे? आपने जो चुनाव पोस्टपोन किये थे वे रीजन क्या थे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के कारण स्थगित किये, हमने लोक सभा के उप चुनाव के कारण स्थगित किये, परन्तु आपने किस कारण से किये और इनके चुनाव नहीं कराये? आपने तो घोषणा की थी न कि आते ही हम चुनाव कराएंगे। अब आप सहकारी संस्था के नियमों में संशोधन की बात कर रहे हैं परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, जब तक इन संस्थाओं को चुने हुए लोगों के हाथ में नहीं सौंपेंगे...

श्री उपाध्यक्ष : जब बिल आएगा तब

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...तब तक कोई इसका निर्णय नहीं निकलेगा, इसलिए मैं इसका पूरा विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल सिंगारिया।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की मांग संख्या-36, 19 और 21 के संबंध में चर्चा के अन्दर सुझाव के माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं। 'सहकार आपके द्वार' 'सहकार किसान के द्वार', वास्तविक रूप से राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोतजी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी तब से सहकारिता के अंदर क्रांतिकारी कदम उठाते हुए पूरे राजस्थान के अंदर ठेठ पंचायत समिति तक और पंचायत समिति से ठेठ ग्राम पंचायत 'सहकार आपके द्वार' अभियान चलाया गया। इसके अंदर चुनाव की बात चली। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के राज के अंदर 11 रुपये के अंदर सदस्य बनाया जाता था, लेकिन जिस प्रकार से माननीय सदस्यों ने पहले भी कहा, इसमें भू-माफिया के लोगों ने जो कब्जा कर लिया। इसके चुनाव नहीं हों इसलिए उन्होंने इसके अंदर अमैंडमेंट करके एक सौ ग्यारह रुपये शुल्क रख दिया। गांव का गरीब किसान, गांव का गरीब आदमी इतना शुल्क जमा नहीं कराने के कारण से इसका सदस्य नहीं बन सका। जब चुनाव की बात चली तो उसके अंदर साथ ही यह भी जरूरी हो गया कि वही व्यक्ति इसमें

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

लेवे। जब उन लोगों को लगा कि गरीब आदमी इसके अंदर लोन नहीं ले सकता है और कांग्रेस के तमाम् सदस्यों को चुन-चुन करके जिन लोगों ने ऋण लिया है उसको पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने डिफाल्टर घोषित कर दिया जिसके कारण से बहुत बड़ी अनियमितता हुई और इसके अंदर तमाम् गरीब किसानों को वंचित कर दिया गया। हमने पूर्व सहकारिता मंत्री आदरणीय शक्तावतजी से भी बात की और इस चुनाव को इसलिए रुकवाया कि इसके अंदर तमाम् किसानों के लिए और तमाम् गरीब व्यक्तियों के लिए जो एक सौ ग्यारह रुपये शुल्क किया गया है, इसको वापस कांग्रेस राज की तर्ज पर 11 रुपये किया जाए। मैं आदरणीय वर्तमान सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्व राज के अंदर जो ग्यारह रुपये शुल्क था वही शुल्क रख कर जोर-शोर से सदस्यता अभियान चले ताकि हरेक गरीब आदमी चुनाव के अंदर भाग ले सके।

साथ ही साथ, मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय सहकारिता मंत्रीजी से कि मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के भगवानपुरा के अंदर एक जी.एस.एस. चल रही है, वहां अगर आप जांच करवाते हैं तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा जाएगा। इतना बड़ा घोटाला वहां चल रहा है कि जितनी भी चीनी वहां आती है वह तमाम् चीनी भरे बाजार के अंदर ब्लैक मार्केटिंग होती है और कार्डधारकों के पास तक वह चीनी नहीं पहुंच पाती है। वहां पर आज करीब नौ साल से अस्थाई व्यवस्थापक लगे हुए हैं। हमने कई बार निवेदन किया, अगर अस्थाई व्यवस्थापकों को वहां से हटाएं तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर इसका लाभ तमाम् किसानों को मिल सकता है।

साथ ही निवेदन करना चाहूंगा, आप बिल भी पेश करेंगे, जिस प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं के अंदर, स्थानीय निकाय संस्थाओं के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को आरक्षण दिया गया है उसी प्रकार आने वाले समय के अंदर जब भी आप चुनाव करवाएं इनकी सीटों का बंटवारा आप आरक्षण के आधार पर रखेंगे तो मैं समझता हूं कि सभी वर्ग के प्रतिनिधियों को इसके अंदर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मंत्रीजी को कि पहली बार कांग्रेस के राज के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड लाखों की तादाद के अंदर पूरे राज्य में बांटा गया है जिससे किसानों को फायदा पहुंचा है। किसान अपनी उपज के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बीज और खाद के ऊपर लोन ले सकता है। साथ ही साथ इस अकाल के अंदर हमारे आदरणीय प्रभारी मंत्रीजी के नेतृत्व में अजमेर जिले के अंदर इस चीज को भी तय कर दिया गया है कि कोई भी किसान अगर चारे से संबंधित लोन लेना चाहे तो वह किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उस पर लोन ले सकता है। यह भी कांग्रेस राज का बहुत अहम क्रांतिकारी कदम है।

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

अब मैं निवेदन करना चाहूंगा मांग संख्या-19 के ऊपर। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कटु सत्य है कि पूरे राज्य के अंदर आज जो सड़कों का जाल बिछा हुआ है वह मात्र कांग्रेस राज की वजह से है। पूर्ववर्ती 40-45 साल के कांग्रेस राज की जो सड़कें बनी हैं वह की वह सड़कें अब तक चल रही हैं। पूर्व में भाजपा का जो नौ साल कुशासन रहा उसके अंदर उक्त रोड्स के ऊपर पैच वर्क तक का काम नहीं हुआ। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में श्रीमान् अशोक गहलोतजी की सरकार ने 600 करोड़ रुपये खर्च करके 24 हजार किलोमीटर सड़क बनाने का जो क्रांतिकारी फैसला लिया है, वास्तव में वह धन्यवाद के पात्र हैं और इसके माध्यम से पूरे राज्य के अंदर ज्यादा से ज्यादा सड़कों का जाल बिछेगा। पिछले अकाल के अंदर राजस्थान के आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने अकाल को विकास से जोड़ते हुए सड़कों का जाल बिछाने के लिए नाबार्ड से 144 करोड़ रुपया कर्जा लेकर बी.एम.डब्ल्यू. की जो सड़कें बनवाई हैं, वह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम था।

मैं इसके साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि आपके मार्फत आदरणीय मंत्रीजी से कि केकड़ी एक बहुत बड़ा उपखण्ड है और भविष्य में कभी भी जिला बन सकता है। केकड़ी का जो डाक बंगला

श्रेणी में आप घोषित करते हैं तो चूंकि वहां से राज्य राजमार्ग गुजरता है तथा प्रशासनिक अधिकारी, मंत्रीगण वगैरह वहां से गुजरते हैं, मैं समझता हूं कि उनको भी एक अच्छी सुविधा मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के सरवाड़ के अंदर एक खण्ड कार्यालय इन्होंने और खोला है। साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि सरवाड़ के अंदर जो आपने खण्ड कार्यालय खोला है, जल्दी ही उसके भवन का निर्माण कार्य अगर आप चालू करवाएं तो मैं समझता हूं कि आप द्वारा जो भी काम यहां से स्वीकृत किये जाएंगे उस भवन की मार्फत वे काम ज्यादा से ज्यादा और जल्दी हो पाएंगे।

आदरणीय मंत्रीजी, हमें यह बात समझ में नहीं आती कि जब हम जयपुर से अजमेर जाते हैं, 12 महीने वहां पर डामरीकरण का काम चलता रहता है। यह समझ में नहीं आता कि वह किस सर्वे के आधार पर होता है। उपाध्यक्ष महोदय, उसका एक साइकिल है कि इतने किलोमीटर से लेकर इतने किलोमीटर की सड़क पांच साल बाद बनेगी। अब इसका अभी तक पता ही नहीं पड़ता है कि कौन-सा किलोमीटर कौन-सी साइकिल के अंदर है। जब भी अधिकारियों से सम्पर्क किया जाता है तो इस बात को गोलमाल

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

था। नसीराबाद के बाई-पास रोड का मामला है, वहां से 10 किलोमीटर से लेकर 22 किलोमीटर की दूरी के बीच में उन्होंने दो किलोमीटर की सड़क बनाई। जब मेरा ध्यान वहां गया तो मैंने कहा, दो साल पहले ही पेवरीकरण हुआ है इस रोड का, इसको किस प्रकार से पेवरीकरण कर रहे हैं? तो बोले कि यह साइकिल में आता है। साइकिल का कार्यकाल पूछा तो बोले कि पांच साल का होता है। मैंने उनको कहा कि यह दो साल पहले ही बनी है। मेरा आपसे निवेदन है कि यह सर्वे किस प्रकार से करते हैं? दस किलोमीटर अगर वहां से स्वीकृत सड़क थी, जरूरी नहीं कि वह कंटीन्युअस दस किलोमीटर ही बने। जहां-जहां डेमेज सड़क है वहां पर बननी चाहिए, चाहे वह केन्द्र सरकार का पैसा हो, चाहे राज्य सरकार का पैसा हो। मैं आदरणीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा हाई-वे रोड पर जिस प्रकार का निर्माण कार्य चलता है, आप जरा उनकी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही इस काम को चैक करवाएंगे तो मैं निश्चित तौर पर आपको विश्वास दिलाता हूं, आज भी हम लोग अजमेर से जब आये, अभी भी वहां डामरीकरण चल रहा है। उतरते हुए हमने एईएन. से यह बात पूछी तो बोले कि सर्वे रिपोर्ट की तो हमें जानकारी नहीं, हम तो मौके पर खड़े रह कर सिर्फ गुणवत्ता का थोड़ा ध्यान रख रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि आपका जयपुर और अजमेर के बीच में बाई-पास पर जो काम चल रहा है मेन नेशनल हाई-वे नम्बर आठ पर, उसको कृपया चैक करवाएं कि वह साइकिल के अन्तर्गत आता है या नहीं आता।

साथ ही, निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के अंदर समाज कल्याण का भवन निर्माणाधीन है। आज करीब पांच साल हो गये हैं, केवल प्लास्टर के अभाव में वह बाकी है। पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा उसका कार्य करवाया गया है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, उसके अंदर बजट का अभाव रहा या किसी कारण से वह रुका है तो वह अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग से जुड़ा हुआ मसला है, कृपया उस भवन को भी आप तत्काल प्रभाव से बनवा दें। मैं समझता हूं कि समाज कल्याण के भवन के अभाव के कारण से उन छात्रों की भर्ती नहीं हो पा रही है। तत्काल प्रभाव से वह छात्रावास का भवन पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से अगर बनकर तैयार होवे तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर अनुसूचित जाति के वर्ग को फायदा मिलेगा।

साथ ही निवेदन करना चाहूंगा, आदरणीय मंत्रीजी, केकड़ी के अंदर कई बार अतिक्रमण तोड़ने की बात चली, केकड़ी इतना बड़ा उपखण्ड है, इतने सरकारी कार्यालय हैं कि अंदर से आप अतिक्रमण नहीं तोड़ सकते। अतिक्रमण तोड़ दें तो अरबों रुपये की सम्पत्ति तो राजकीय भवनों की बनी हुई है। इस कारण से मेरा निवेदन है कि घनी आबादी के अन्दर बसे हुए केकड़ी का बाई-पास निकला दिया जाए तो निश्चित तौर पर

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

केकड़ी का भी विकास होगा, केकड़ी उपखण्ड का भी विकास होगा। राजस्थान के अन्दर अगर बाई-पास के लिए बजट में प्रावधान करते हैं और उसमें भी केकड़ी को प्राथमिकता के तौर पर लेंगे तो निश्चित तौर पर उससे मेरे क्षेत्र को लाभ मिलेगा।

साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि केकड़ी से बाहर दिन-प्रतिदिन अतिक्रमण हो रहा है मेन कोटा रोड राजमार्ग पर, उसके अन्दर अगर बीच में आप डिवाइडर बनवा देते हैं तो मैं समझता हूं कि अतिक्रमण पर भी पाबंदी लगेगी और यातायात भी सुगम बनेगा। थोड़ा-सा इस बारे में ध्यान रखें।

एक और निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि मेहरूकलां बहुत बड़ा

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कस्बा है, उसके और सांवर के बीच में एक खारी नदी है, अगर इन दोनों के बीच में पुल बनाते हैं तो मैं समझता हूं कि बारिश के दिनों में बहुत सुविधाजनक होगा। डिलीवरी का केस हो चाहे, बुजुर्ग की चिकित्सा संबंधी मामला हो, वह हमेशा टापू बन कर रह जाता है। चौसला है, चांगतली है, वास्टा है ये हमेशा टापू बन कर रह जाते हैं। अगर इनके और देवली रोड के बीच में पुल का निर्माण करवा दिया जाए तो मैं समझता हूं कि समस्त जनता के आवागमन के लिए एक साधन बनेगा।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा

भी पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा पैचवर्क के काम स्वीकृत होते हैं वह मानसून का समय होता है। मानसून के समय पर ही ये लोग पैचवर्क का काम करते हैं और मानसून की पहली बरसात पड़ते ही पैचवर्क वहां से उखड़ जाते हैं। मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर पाबंदी लगायी जाए। गर्मी के समय में अगर हम लोग पैचवर्क करेंगे तो निश्चित तौर पर वह सूखेगा भी और उसका सदुपयोग भी हो पाएगा।

साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि अभी उच्चाधिकारियों ने बैठ कर आदरणीय मंत्रीजी को जो गुमराह किया बड़ा पैकेज बनाकर कि 'ए' श्रेणी के ठेकेदार द्वारा ही पेवरीकरण का काम किया जाएगा। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अगर इसके अन्दर समस्त ठेकेदारों को शामिल किया जाता है तो मैं समझता हूं कि प्रतिस्पर्धा के कारण रेट भी बिलो जाएगा और उससे राजस्व भी हमारा बचेगा और साथ ही साथ गुणवत्ता और मानकता के अन्दर भी फर्क पड़ेगा। लिहाजा जो बड़े पैकेज हैं उनको तोड़ कर छोटे ठेकेदारों को भी इसका लाभ दिया जाए तो ठीक रहेगा।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, शाहपुरा से आने वाला रास्ता जो कादड़ा होकर केकड़ी गुजर करके मालपुरा से जयपुर गुजरता है, अगर इसको आप किसी भी प्रकार से नेशनल हाई-वे रोड घोषित कर देते हैं तो मैं समझता हूं कि जो अजमेर होकर जयपुर पहुंचते हैं उसके बीच में 80 किलोमीटर

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

चल कर भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से शाहपुरा होते हुए केकड़ी होकर अगर हम वाया मालपुरा जयपुर पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर अहमदाबाद से जयुपर पहुंचने के बीच में 80 किलोमीटर का फायदा होगा। लिहाजा मेरा निवेदन है कि इसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करे तो जनहित में बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा।

साथ ही निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय, कि केकड़ी उपखण्ड ब्यावर के अन्तर्गत आता है। वहां से सवा सौ किलोमीटर दूर ब्यावर पड़ता है और अजमेर हैडक्वार्टर से केकड़ी 80 किलोमीटर दूर पड़ता है, लिहाजा केकड़ी को ब्यावर उपखण्ड से हटा कर अगर डाइरेक्ट अजमेर उपखण्ड से जोड़ दिया जाता है तो हमको 25 किलोमीटर का फायदा होगा। साथ ही साथ एक्सईएन, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर या एडिशनल चीफ इंजीनियर ये लोग कभी भी मौके पर जाकर केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में कोई विजिट ही नहीं करते हैं। चूंकि वहां नाबार्ड के भी काम चल रहे हैं, फेमिन के भी काम चल रहे हैं, इस पर जबरदस्त रूप से मानीटरिंग करेंगे तो मैं समझता हूं कि गुणवत्ता भी आएगी और मानकता भी आएगी।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बृजेन्द्र जी।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी देर से 19, 21 और 36 की मांग पर चर्चा हो रही है। मैं विशेष तौर से मांग संख्या-21 में अपने-आपको सम्मिलित करते हुए अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर व्यक्ति सही रास्ते पर चलना चाहता है। सही रास्ते पर चल कर हिन्दुस्तान का हर व्यक्ति यह चाहता है कि हमारे राजनीतिक जीवन में जितने भी नेतागण हैं, जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं वे सही रास्ता अख्तियार करें। परन्तु केन्द्र के सत्ता पक्ष के राष्ट्रीय नेताओं ने अगर कहीं गलत रास्ता अख्तियार कर लिया है तो उसकी ठोकर इतनी भयंकर पड़ती है कि उसकी मार पूरे हिन्दुस्तान को झेलनी पड़ रही है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज केन्द्र में सत्ता पक्ष के राष्ट्रीय नेता गलत रास्ता अख्तियार नहीं करते तो बांग्लादेश जैसे राष्ट्र ने हमारे हिन्दुस्तान—

श्री उपाध्यक्ष : सड़कों पर बोलें, कहां बांग्लादेश पहुंच गये आप?

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : मैं सड़कों पर ही आ रहा हूं। भूमिका बना रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बांग्लादेश जैसे नाममात्र देश ने आज हमारे...

श्री धर्मपाल चौधरी : बांग्लादेश की भूमिका क्यों बना रहे हो?

एक माननीय सदस्य : बाई-पास से आ रहे हैं।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : बाई-पास से आ रहा हूं, क्यों घबरा रहे हो? चिन्ता मत करो डाइरेक्ट ही आ रहा हूं।

(श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा)

बांग्लादेश जैसे देश ने हमारे हिन्दुस्तान के सैनिकों की जो दुर्दशा की है, जो ठोकर दी है हमारे हिन्दुस्तान को उससे आज पूरा राष्ट्र प्रभावित हुआ है। मैं इस समय कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान की सड़कों की हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में है। पिछली सरकार ने अभी राठौड़ साहब बात कर रहे थे कि 48 हजार किलोमीटर सड़कें बनायीं। समझ में नहीं आता कि वो कहां बनायीं। अभी मेरे से पूर्व माहिर आजाद साहब कह रहे थे, वह बात बिलकुल सत्य है कि कुछ जिले जिनमें अकाल नहीं पड़ता उनमें सड़क की मरम्मत नाममात्र नहीं हुई और नयी सड़कें तो बनी ही नहीं। पिछली सरकार ने अपने 8 साल के शासनकाल में कहीं भी मिट्टी नहीं डलवायी, न कहीं खड्डे भरे। सिर्फ नक्शे पर सड़कें रह गयी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी तरफ से माननीय मंत्रीजी को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अब ढाई साल में भी इन जिलों में कोई मरम्मत नहीं हुई। हमारा दुर्भाग्य है या सौभाग्य कि कभी भी भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, अलवर में अकाल नहीं पड़ता और अकाल...

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : सूपा साहब, आप चिन्ता मत करें, ढाई साल में अब राजस्थान की सड़कें हो जाएंगी हेमामालिनी के गालों जैसी। उपाध्यक्ष महोदय, आप चिन्ता कर रहे हैं, अब सड़कों की

श्री ललित भाटी : मिर्धा साहब, अगर लालू यादव को यह बात पता लग गयी कि आपने उनकी बात को यहां दोहराया है तो एक्सप्लेनेशन काल कर लेंगे आपका।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : मैं माननीय मिर्धा साहब का बहुत आभारी हूं कि आपने हमारी सड़कों के बारे में बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले ढाई साल में भी हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं रहा क्योंकि कभी भी इन 6 जिलों में अकाल जैसी भयंकर आपदा नहीं पड़ी। हम लोगों को रास आती है हमेशा बाढ़ और पश्चिमी राजस्थान में हमेशा रास आता है अकाल। अगर पश्चिमी राजस्थान में अकाल नहीं पड़े तो मेरे खयाल में पश्चिमी राजस्थान के लोगों को चैन नहीं आएगा क्योंकि उनको काम धन्धा नहीं मिलेगा। और हम लोगों के यहां अगर बरसात नहीं हो, बाढ़ नहीं आए तो हम लोगों को भी चैन नहीं आता, हम भी चिंतित रहते हैं। परन्तु इसमें सरकार हमारी सड़कों की तरफ विशेष करके ध्यान दें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो सड़कों की दुर्दशा है उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि कुछ सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग से 1986 में स्वीकृत हुई, जैसे ब्रह्मा से तरसूना वाया थानाडांग 1986 में स्वीकृत हुई। उस वक्त कुछ कार्य प्रारम्भ हुए और फिर वे बंद हो गये। जब सरकार से पूछा

(श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी को सदन में अवगत कराना चाहता हूं कि किसान मुआवजा लेने के लिए बिलकुल तैयार हैं, कभी उन्होंने मना नहीं किया। वे सड़कें बनवाना चाहते हैं जिससे कि उनकी सड़कें पूरी हो सकें। ग्राम पंचायत थानाडांग ग्राम पंचायत हैडक्वॉटर भी है। इसलिए ऐसी सड़क का निर्माण अति आवश्यक है।

(19.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारी तीन सड़कें है। धाधरेन ईंटखेड़ा यह भी उसी समय की स्वीकृत हुई सड़क है। कोटा से सवाईमाधोपुर बार्डर, इनमें से कोटा से सवाईमाधोपुर सड़क पूरी हो चुकी है परन्तु उस पर पुलिया का निर्माण नहीं हुआ। ईंटखेड़ा से धाधरेन वाली सड़क डब्ल्यू.बी.एम. बन चुकी है परन्तु उस पर डामरीकरण नहीं हुआ और वह भी अब बिलकुल जीर्ण-शीर्ण हो गई है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कुछ सड़कें जो पिछली बार स्वीकृत हुई हैं, नाबार्ड की तरफ से हुई हैं उनकी हालत बड़ी दयनीय है। धाधरेन से कपूरामलूका की जो सड़क है वह पूरी नहीं हुई और उसकी हालत भी अब धीरे-धीरे क्षीण होती चली जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो भी सड़कें हैं उन सड़कों की हालत बहुत ही दयनीय है। मैं आपका विशेष तौर से कुछ सड़कों पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। बसेड़ी से मासलपुर जो कि बहुत ही अहम सड़क है, इस सड़क को अगर आप देखें तो सिर्फ नक्शे में सड़क है। मौके पर सड़क के नाम पर वहां कुछ गड्ढे मिल जाएंगे, कुछ गिट्टियां मिल जाएंगी। इसी प्रकार बसेड़ी से बागथर वाली सड़क कांग्रेस के राज में बनी। बी.जे.पी. के राज में उसकी मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उस सड़क की भी यही हालत है, वह भी नाम मात्र की सड़क रह गई। बसेड़ी से सैपऊ वाया ममोदन उसकी भी यही हालत है। धोबी तिवरिया से बड़रिया की भी यही हालत है। माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के राज में जो सड़कें निकली हैं मेहरबानी करके सड़कों की मरम्मत करावें। मैंने पहले भी कहा है कि हमारी तरफ न कभी अकाल पड़ा है न अकाल पड़ने की सम्भावना है। जिससे हमारी तरफ न मरम्मत होती है न हमारे यहां नई सड़कें बन रही हैं।

माननीय मंत्रीजी, मैं सुन रहा हूं कि हमारे यहां 400 किलोमीटर की सड़क की मरम्मत हो रही है, हमारे यहां 500 किलोमीटर सड़क बनायी जा रही है। हम सोचते हैं कि हमारे यहां भी कभी इन सड़कों की मरम्मत होगी। आप भी कभी पधारे हों, छोकरवाड़े होते हुए कभी धौलपुर जाएं, माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं मेरे साथ छोकरवाड़े से बयाना होते हुए धौलपुर पधारे हैं। उन्होंने भी इस बात पर अपनी

(श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा)

चिन्ता व्यक्त की कि यह सड़कों का मुद्दा हमें अलग से लेना चाहिये। दूसरे राज्यों से मिले हुए जो जिले हैं उनमें किसी न किसी तरह से काम कराया जाए। माननीय मुख्य मंत्रीजी का मैंने ध्यान आकर्षित करवाया और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि इन सड़कों पर शीघ्र कार्य चालू करवाया जाएगा। मैं इस समय एक प्रस्ताव भी देना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी, छोकरवाड़ा से धौलपुर स्टेट हाई-वे कर दिया जाए तो उससे हमारे लिए विशेष लाभ होगा। हमारा ही नहीं, बल्कि राजस्थान में जितने भी वाहन हैं वे यू.पी. में नहीं जाएंगे और यू.पी. में नहीं जाने की वजह से उनको टैक्स भी यू.पी. में नहीं भरना पड़ेगा। अगर यह हो जाए तो हम सीधे ग्वालियर के लिए निकल सकते हैं, बाम्बे के लिए निकल सकते हैं। छोकरवाड़ा से धौलपुर बयाना बसेड़ी होते हुए जो मार्ग जाता है उससे किलोमीटर की दूरी भी कम पड़ेगी और यू.पी. के टैक्स से ही हम बचेंगे। माननीय मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी रोडों को आप स्टेट हाई-वे में लें।

मैं एक दूसरा प्रस्ताव भी रखना चाहता हूं कि भरतपुर से हिण्डौन की जो रोड है उसको भी स्टेट हाई-वे में लिया जाए क्योंकि आगरा से हमारी सड़क हिण्डौन पर मिलती है। स्टेट हाई-वे होने की वजह से उसकी मरम्मत भी ठीक हो सकेगी, उससे साधन भी ज्यादा जा सकेंगे। आगरा होते हुए जाना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि इन सड़कों को आप स्टेट हाई-वे में ले।

तीसरा प्रस्ताव मैं और रखना चाहता हूं। रूपवास और माननीय मुख्य सचेतक महोदय का एक गांव है खेड़ला, वहां तक इसको स्टेट हाई-वे किया जाए वाया कलसोड़ इन सड़कों से बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को होगा। जो लोग इधर उधर घूमक कर जाते हैं, इस सीधे रास्ते से जाने से हम सबको फायदा होगा। माननीय मंत्रीजी, कुछ और सड़कों की दुर्दशा है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सूची दे देवें।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : मंत्रीजी को सूची तो दे दी। नोट कर रहे हैं। मैंने कटौती प्रस्ताव भी दिये हैं। कटौती प्रस्ताव में उनका जवाब भी आएगा। माननीय मंत्रीजी, मैं समझता हूं कि जो मैंने राष्ट्रीय राज मार्ग बताये हैं इन पर आप विशेष ध्यान देंगे।

मैं माननीय मंत्री से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि बयाना सब डिविजन हैडक्वार्टर पर उपखण्ड हर विभाग का है। अधिशासी उपखण्ड हमारे बयाना में खोला जाए जिससे कि वहां की सड़कों की दुर्दशा सुधर सके। तहसील वैर, रूपवास और तहसील बयाना इसका एक सब डिवीजन है और उस सब डिवीजन पर आपका खण्ड बहुत ही आवश्यक है। अगर वहां आप खण्ड खोलेंगे तो उससे मुझे पूरा विश्वास है कि वहां की सड़कें

(श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा)

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि कुछ नवीन सड़कों की तरफ भी आप अपने विचार रखें। सड़कों की खाली मरम्मत से काम चलने वाला नहीं है। अगर आप एक विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 60 किलोमीटर या 50 किलोमीटर नई सड़क नहीं बनवा पाएंगे तो बहुत ही गम्भीर समस्या हमारे सामने आएगी। आज भी हम किसी गांव में जाते हैं तो पहली बार घुसते ही वहां के व्यक्ति एक बात पूछते हैं, एम.एल.ए. साहब, आप उसी सड़क से आये हैं क्या जिस सड़क से आप प्रचार करने आये थे। हमारे पास कोई जवाब नहीं बनता। जवाब देने के लिए या तो हम सड़क का निर्माण करवा सकें या जिन गांवों में सड़कें हैं उनकी हम मरम्मत करवा सकें, तो कुछ हमारा यहां आने का औचित्य है। अन्यथा जो हालत उनकी बनी है वही हालत हमारी होने वाली है, यह फैक्ट है। जिस गांव में जाते हैं पहला सवाल गांव का आदमी यही करता है कि श्रीमान्जी आप किस रास्ते से आये हैं। हम क्या करें? ढाई साल निकल गये, अगले दो साल छह महीने बाद फिर चुनाव की तैयारी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद इसलिए देना चाहता कि आपने 24 हजार किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए 600 करोड़ रुपये का जो प्रावधान रखा है, मुझे विश्वास है कि वह सही ढंग से खर्च होगा। जहां सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है, जो दूसरे राज्यों से लगे हुए जिले हैं उनमें विशेष रूप से आप इस अभियान को चलाएंगे। इधर अकाल नहीं पड़ता है और न अकाल पड़ने की सम्भावना है कि जिससे हमारी सड़कों की मरम्मत हो सके। मैं खास तौर से यही कहना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपालजी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में आज मांग संख्या-19, 21 और 36 पर चर्चा हो रही है। इन तीनों मांगों का विकास से संबंध है। आज प्रदेश में विकास के लिए सबसे पहले जरूरी हैं सड़कें। अभी जितने भी माननीय सदस्य पक्ष से या विपक्ष से बोले, उन्होंने सभी ने सड़कों के बारे में चर्चा की। आज गांवों में जाते हैं, तो डेढ़-दो फीट के गड्ढे सड़कों पर हैं। पिछले बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि हम 588 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करेंगे और उसके लिए 268 करोड़ का व्यय करने की घोषणा की लेकिन दिसम्बर तक सरकार ने सिर्फ 52 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। जो घोषणा की थी उसमें सिर्फ 96 किलोमीटर की सड़कें बनीं। 160 गांवों को सड़क से जोड़ने की घोषणा की थी उसमें से सिर्फ 24 गांवों को सड़क से जोड़ा गया। हम सभी को धन्यवाद देना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को जिन्होंने गांवों की ओर सड़कें बनाने के बारे में सोचा और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई जिसमें 2003 तक 1000 आबादी के सभी

(श्री धर्मपाल चौधरी)

गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा और 500 की आबादी के सभी गांवों को 2007 तक जोड़ा जाएगा। उन्होंने कोई थोथी घोषणा नहीं की, 140 करोड़ रुपये अभी दिए। 2804 किलोमीटर राष्ट्रीय मार्गों को पेवर रोड दिया जाएगा। 130 करोड़ रुपये उन्होंने जिन गांवों की संख्या 1000 थी उनके लिए दिये। आज फिर इस बजट में एक बात आई कि आने वाले साल में सड़कों की मरम्मत की जाएगी और जो पुरानी सड़कें खतम हो गई हैं उन्हें दुबारा बनाया जाएगा। आज फिर 600 करोड़ की घोषणा की गयी है। पहले वित्त मंत्रीजी ने 268 करोड़ की जगह आपको 52 करोड़ दिए, अब यह 600 करोड़ रुपये कहां से आएगा, कैसे इन सड़कों की मरम्मत होगी कैसे इन सड़कों का निर्माण होगा, इसका भगवान ही मालिक है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में मैं आपसे भी कई बार मिल चुका हूं देश आजाद हुए 53 साल हो गए, मण्डावर से सीधा जिला हैडक्वार्टर को जोड़ने वाली सड़क जिसकी लम्बाई 45 किलोमीटर है, उस 45 किलोमीटर में सिर्फ 5 किलोमीटर सड़क कच्ची है। एक पुलिया का निर्माण होना बाकी है और पांच किलोमीटर ग्रेवल रोड का डामरीकरण करना है। आज पूरे मण्डावर विधान सभा क्षेत्र में घूमकर जाना पड़ता है 65 किलोमीटर। 20 किलोमीटर की लम्बी दूरी से जाना पड़ता है। जनता

किलोमीटर ज्यादा जाना पड़ता है तो मेरी सबसे पहले आपसे यही मांग है। मैं आपसे कई बार रिक्वैस्ट भी कर चुका हूं, इसमें एक तो पुलिया का निर्माण होना है। 5 किलोमीटर में से एक किलोमीटर सड़क मेवात योजना में स्वीकृत हो चुकी है। चार किलोमीटर उस सड़क को और पांच किलोमीटर उस ग्रेवल रोड का डामरीकरण कर देंगे तो हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा काम होगा।

दूसरी मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो मुख्य सड़कें हैं, एक सड़क सोडावास से अगरका जो पूरे गांव को रेलमार्ग से जोड़ती है, उसकी लम्बाई 23 किलोमीटर है। कई बार बस वालों ने वहां पर हड़ताल की, हम भी धरने पर बैठे लेकिन आज तक उस पर पैचवर्क भी नहीं हुआ। 23 किलोमीटर की दूरी को पार करने के लिए बस ढाई घंटे लेती है। बहरोड से आने वाले माननीय विधायक भी कई बार उस सड़क पर जाते हैं। उस सड़क की जो दुर्दशा है उसको अगर आप कभी जाएं तो देखा नहीं जा सकता। माननीय मंत्री महोदय, आपके पक्ष के ही हमारे बहरोड से आने वाले विधायकजी की सुन लें, हमारी सुन लें और उस सड़क का भी अगर उद्धार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है।

तीसरी सड़क है सोडावास से मेन मण्डावर तहसील हैडक्वार्टर और उससे जाती है खैरथल जाने के लिए हमारे जितने

(श्री धर्मपाल चौधरी)

जरूरत है, आपसे निवेदन है कि उसमें भी कार्य कराने का कष्ट करें।

सहकारिता विभाग के बारे में आज पूरे दिन चर्चा चली। सहकारिता विभाग के बारे में तो इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है, इस सहकारिता विभाग का नाम बदल कर अगर घोटाला विभाग रख दिया जाए तो मेरी समझ में ठीक रहेगा। आज गांवों में सोसायटियों में जो व्यवस्थापक लगा रखे हैं उनको 1200 रुपये तनख्वाह मिलती है। चार-चार ग्राम पंचायतों में एक-एक व्यवस्थापक है, वह कहां-कहां जाएगा? 1200 रुपये लेने वाला कर्मचारी बिना घोटाला किए नहीं रह सकता, इसलिए उसके बारे में भी सरकार सोचे। आज जो बहस हुई थी तो उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि खरीद के बारे में है, जब मांग पर बहस हो तो आप उसके बारे में चर्चा करें। जो हमारे मण्डावर क्षेत्र का माल है वह भी खैरथल मण्डी में जाता है, 16 तारीख से आप लोगों ने खरीद चालू की और 26 तारीख तक वहां पर कितना माल खरीद हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर परसों स्टेटमेंट आएगा डिटेल में, उसके बाद बात करेंगे। बात हो गई, परसों स्टेटमेंट आएगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज की चर्चा में विशेष तैयार के साथ भाषण नहीं देना चाहता था, लेकिन दिन भर की चर्चा से कुछ बातें उभर कर आई हैं वह मैं पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं। एक तो स्टेट हाई-वे है, आप यह एक्सप्लेन कीजिए कि हाई-वे के कुछ नार्म्स भी आपने बनाएं हैं क्या? स्टेट हाई-वे तो मालपुरा से केकड़ी आलरेडी है, दूदू से फलौदी है, लेकिन स्टेट हाई-वे की जो हालत है वह किसी भी स्थिति में डिस्ट्रिक्ट रोड से बेहतर नहीं है। यह मंत्रीजी बहुत आवश्यक है, सदन भी यह जानना चाहेगा क्योंकि आपने रोड पालिसी तो कोई डिक्लेयर की नहीं।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें बी.जे.पी. का और कांग्रेस का सवाल नहीं है हालांकि बी.जे.पी. के वक्त में बहुत सड़कें बनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर सड़कें उपयोगी नहीं बनीं। उन्होंने अपने-अपने हिसाब से सड़क बना दी, कोई चार किलोमीटर, पांच किलोमीटर, लेकिन कोई पालिसी बनाकर सड़क नहीं बनाई। आज मालपुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम तीन सड़कें ऐसी हैं जो 40-40 किलोमीटर की सड़कें हैं जिनमें 4-4, 6-6 किलोमीटर का मिसिंग लिंक है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में ऐसी सैकड़ों सड़कें हैं और करोड़ों रुपये राजस्थान सरकार के खर्च हो चुके हैं, पर आपकी कोई पालिसी उस ओर नहीं है। चार

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

किलोमीटर का मिसिंग लिंक, 10 साल से मिसिंग लिंक है वह रोड काम नहीं आ रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि पहले टाप प्रायोरिटी पर आप मिसिंग लिंक को पूरा कराएं तो आपका पुराने वाला पैसा भी काम आएगा और रोड की उपयोगिता भी बढ़ेगी।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो सड़क आप लेते हैं गांवों से जोड़ने की, यह बहुत अच्छी योजना है। लेकिन गांवों को जोड़ने का आप बनाते हो, चलो तीन किलोमीटर का गांव है जुड़ जाएगा, तो इसको बना दो वह निरर्थक है। वही बी.जे.पी. वाले कर रहे हैं, वही आप कर रहे हो। आपको एक नीति बनानी पड़ेगी। अन्ततोगत्तवा वह सड़क का टुकड़ा कोई लम्बी सड़क का जाकर हिस्सा बनता है। यह जो डवलपमेंट की प्रक्रिया है यह अनवरत प्रक्रिया है, मंत्रीजी आप भी चले जाएंगे, दूसरा भी आ जाएगा, पर सरकार एक निरन्तर प्रक्रिया है, डवलपमेंट एक अनवरत प्रक्रिया है। (व्यवधान) पांच साल के बाद बात करिये। भाटीजी, डवलपमेंट पांच साल में नहीं होता है। आज जो भारतवर्ष आप देखते हैं पण्डित जवाहर लाल नेहरू का बनाया हुआ है, जो राजस्थान देखते हैं मोहनलाल सुखाड़िया का बनाया हुआ है। डवलपमेंट का विजन होता है 50 साल बाद का Man may come and man may go

पीछे? तो मंत्रीजी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता था कि कोई गांव हो जैसे, मैं आपको दृष्टान्त के लिए बताता हूं कि मालपुरा के अंदर एक गांव है घाटी। मैंने आपको पत्र लिखकर अनुरोध भी किया है कि मालपुरा से घाटी 8 किलोमीटर पड़ती है और वह निकालते हैं घाटी से नमक का जोहड़ को तीन किलोमीटर। यह प्रश्न नहीं है। आपको लम्बी योजना बनानी पड़ेगी। घाटी से पूरे 5000 की पापुलेशन जुड़ती है, मालपुरा के पास आती है उधर आपका गलोद है, जकियाजी यहां नहीं बैठी हैं, गलोद का पुल बन जाता है तो फिर यह सड़क आगे जाकर योजना बनती है और टौंक से मालपुरा 30 किलोमीटर कम हो जाता है। दिग्विजय सिंहजी बैठे हुए हैं, उनियारा से सवाईमाधोपुर सड़क को स्ट्रेंथन करते हैं, आप धीरे-धीरे करेंगे, मैं यह नहीं कहता हूं कि एक दिन में कर देंगे। जो ट्रेफिक चलता है अजमेर के लिए वह देवली होकर जाता है। आप उसका सर्वे करा लीजिए। वह अल्टीमेटली मालपुरा से राजपुरा होकर किशनगढ़ जाता है, वहां से बाम, लाव होकर सड़क जाती है। वह स्टेट हाई-वे बन सकता है। उससे आपको खुद को ही लाभ होगा क्योंकि ट्रेफिक कितना है। एक प्रेशर है उस पर, वह डाइवर्ट होगा। मैं तो ये दो-तीन बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूं। यह कुछ पालिसी के तहत आप डिसीजन लें और

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सहकारिता मंत्रीजी से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। खुद इनको पता है, आज इन्होंने कह दिया है, मैं नहीं करूंगा सस्पैण्ड। पहले तो सस्पैण्ड कर दिया और रीइंस्टेट हो गये। मंत्रीजी, विदाउट एप्लीकेशन आफ माइण्ड सस्पैण्ड किया आपने। यहां क्या कहा आपने? कि अब आप नहीं मानते हो तो सस्पैण्ड करता हूं। तो रीइंस्टेट ही होगा फिर तो। यह सदन सर्वोपरि है तो सरकारी नौकर को भी आर्टिकल 11 के अन्तर्गत प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ऐसा थोड़े ही कर सकता है सदन कि फलां को सस्पैण्ड कर दो? वह तो ड्यू इंक्वायरी हो सकती है। और इंक्वायरी सफीशिएंट मटीरियल है। लेकिन आपका माइण्ड एप्लाई हो जाता है तो और वैलिड हो जाता है। मैं तो आपसे यह विनम्र प्रार्थना करता हूं, अनेक प्रकरण हैं, किसी प्रकरण विशेष पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो आपके यहां लम्बित प्रकरण हैं उनको एक्सपिडाइट कराइये। देखिए, दोनों बात सही है, जो दोषी हैं उनका आप चालान पेश कीजिए, कार्यवाही कीजिए। और जो दोषी नहीं है उसको क्यों लटका रखा है? उसको दोष मुक्त कीजिए ताकि उसका आगे का रास्ता साफ हो। इतनी बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घासीलाल मेघवाल।

श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-19 और 21 पर सदन में चर्चा चल रही है। सभी माननीय सदस्यों ने इन पर चर्चा की। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-36 सहकारिता के बारे में अपने आपको शामिल करते हुए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य की एक मात्र सहकारी शुगर मिल केशोरायपाटन, हाड़ौती की शान है और राजस्थान की एक पहचान है। विगत कुछ वर्षों से चाहे कारण कुछ भी हों, घाटे में चल रही थी। उसे मुझे जानकारी मिली है कि एक षड्यंत्र रच कर बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि ऐसा किया जाता है तो यह गलत है। केशोरायपाटन शुगर मिल अब तक राजस्थान सरकार को टैक्स के रूप में 239.70 लाख रुपये अदा कर चुकी है। साथ ही भारत सरकार को 593.16 लाख रुपये, कुल-मिलाकर 832.16 लाख रुपये टैक्स के रूप में दे चुकी है। उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व सहकारिता मंत्री और वर्तमान गृह मंत्री सम्माननीय गुलाब सिंहजी शक्तावत गत वर्ष केशोरायपाटन गये थे और शुगर मिल परिसर में ही क्षेत्र के किसानों की और जन-प्रतिनिधियों की एक बैठक ली थी। राजस्थान सरकार द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 2000 रुपये गन्ना लगाने के लिए सब्सिडी दी गयी थी जिसके कारण क्षेत्रीय किसानों द्वारा आवश्यकता से ढाई गुना ज्यादा गन्ना लगा दिया गया। दुर्भाग्यवश चाहे अकाल का कारण रहा हो या कोई भी कारण रहा हो, इस बार वह मिल नहीं चल पायी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्री महोदय

(श्री घासीलाल मेघवाल)

को, सहकारिता मंत्री महोदय को, कि उन्होंने किसानों के गन्ने के मूल्य और वहां के मजदूरों के भुगतान के लिए चार करोड़ रुपये दिये। साथ ही अभी अकाल राहत मंत्री महोदय द्वारा एक करोड़ रुपये गन्ने को चारे के रुप में खरीदने के लिए दिये गये हैं। लेकिन यह उस मिल के लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस शुगर मिल के नहीं चलने के चाहे कुछ भी कारण रहे हों, वह आर्थिक रूप से दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है और इसके भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है। यह कार्यशील पूंजी के अभाव में काम नहीं कर पा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिनों पूर्व केन्द्र सरकार से एक टोली आयी थी उसने माना है, उसने अपनी रिपोर्ट भी राजस्थान सरकार को पेश की है, जिसमें कहा गया है कि अभी एक कील भी इस मिल में लगाने की आवश्यकता नहीं है। यह मिल चलने की स्थिति में है, फिर भी क्यों इस मिल को बंद करने का षड्यंत्र किया जा रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि अन्य राज्यों में जहां-जहां भी सहकारी शुगर मिल हैं या शुगर मिल हैं वहां पर शुगर मिल के साथ-साथ डिस्टलरी प्लांट लगे हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि इस मिल को घाटे से उबारने के लिए मिल

साथ ही आपके माध्यम से ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए एक अनुरोध करना चाहूंगा कि बूंदी जिले के लिए विशेष पैकेज देने की अत्यन्त आवश्यकता है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम इस कार्य के लिए समन्वित सहकारी विकास योजना (आई.सी.डी.पी.) के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध कराता है जिसमें 90 फीसदी राशि केन्द्र सरकार देती है और 10 फीसदी राशि राज्य सरकार को देनी पड़ती है। इस प्रकार मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि बूंदी जिले का आई.सी.डी.पी. योजना के अन्तर्गत चयन करवाकर इस सहकारी शुगर मिल को जीवनदान प्रदान किया जाए।

अब मैं एक और अनुरोध करना चाहता हूं कि किस प्रकार से केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल में प्रशासक द्वारा भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है और इसका एक जीता जागता नमूना आपके सामने पेश करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल में चीनी भरने के लिए बोरियां कलकत्ता से मंगवाई गयी थीं। वे एकदम नई बोरियां हैं, फ्रैश बोरियां हैं जिनकी संख्या 40,163 है। अभी हाल ही में मुझे जानकारी मिली है, मेरे पास लिस्ट भी है कि इन्होंने 22 आइटम ऐसे निकाले हैं जिनकी नीलामी की जा रही है, जिनमें एकदम फ्रैश बोरियां हैं, नई बोरियां भी हैं। उनकी कीमत इन्होंने कबाड़ियों के यहां बेचने के लिए 30 रुपये रखी है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसकी जांच

(श्री घासीलाल मेघवाल)

ले जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करें।

साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल में विगत दो वर्षों के अंदर नौ एम.डी. बदल दिये गये हैं। यह एक दुर्भाग्य की बात है। जो भी एम.डी. वहां जाता है, मुश्किल से तीन-चार महीने रुकता है, खाऊ-कमाऊ नीति अपनाता है और वापस आ जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए यही अनुरोध करना चाहूंगा कि इस शुगर मिल को चालू रखना राजस्थान के लिए अत्यन्त आवश्यक है। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग और सहकारिता पर अपने विचार रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, 28 तारीख को एक बच्चा जो चौथी क्लास में पढ़ता था, अचानक बीमार हो गया। वहां से हास्पिटल 14 किलोमीटर दूर था। फलौदी से बालोतरा वाया शेरगढ़ जो स्टेट हाई-वे है, वह इतना खराब है कि मोटर साइकिल पर कितनी ही कोशिश की गयी कि हास्पिटल तुरन्त पहुंच जाएं, लेकिन दो-दो फीट खड्डे होने के कारण ज्योंही हास्पिटल के दरवाजे पर इस बीमार बच्चे को ले गये, वहीं उसके प्राण छूट गये। यदि वह रोड ठीक होती तो वह बच्चा डाक्टर्स के हाथ लगता और वह मरता नहीं। यह हालत है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बार मैं रामदेवरा से आ रहा था। गर्भवती महिलाओं की क्या हालत हुई, वह कहानी तो बहुत ही दर्दनाक है, वह सुनाने से भी अब क्या फायदा। मैंने उसी समय कलक्टर को और माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी को लैटर लिखे कि इस प्रकार की जो सड़कों की हालत है, कम से कम रेत से तो बुरा दो। इतने बड़े-बड़े खड्डे हैं। ड्राइवर ने कहा, साहब, मेरे तो पत्ते हमेशा टूटते हैं, यह आज की बात नहीं है, हमेशा टूटते हैं, इसकी मरम्मत होती ही नहीं। इधर सहकारिता मंत्रीजी का क्षेत्र है। फलौदी से घुसते ही देसू के बाद में चौरड़िया, फिर शेरगढ़, फिर मेरा क्षेत्र आ जाता है। यह सिरोही तक का स्टेट हाई-वे है यह बिलकुल ही नष्ट हो गया। यह पहले स्वीकृत था और काम शुरू होने वाला था, सरकार बदली उसके बाद वह बजट कहां गया, कोई पता नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करूंगा, आज हम तीन एम.एल.ए. उस रोड पर रहते हैं। हेमारामजी रहते हैं, मैं रहता हूं और हमारे माननीय सदस्य गोपारामजी रहते हैं। इनको पूछो कि उस रोड की क्या हालत है। हमको लोग यह कहते हैं कि यह सरकार है? मैंने कहा, भाई यह दो तो सत्ता में हैं, और मैं विपक्ष में हूं। (व्यवधान) जब कैसी थी और उसके बाद

(श्री अमराराम चौधरी)

में देखो आप। उस समय ठीक थी। ऐसी बात नहीं है। हमने तो जगह-जगह पेवर रोड करायी थी। कहीं जहां 10 किलोमीटर टूटी हुई थी, ठीक करायी थी। आज सड़क की क्या हालत है? दिन में कितनी गाड़ियां चलती हैं? 20 बसें आती हैं और 20 बसें जाती हैं पाली के बीच में। रोड टूट गयी है, उसकी पटरियां भी नहीं है। लोगों की हालत बड़ी खराब है। धन का अभाव था या क्या मालूम क्या कारण थे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनके बारे में। पहले जो खंडोड़ा हमारी ग्राम पंचायत थी, आज से तीन साल पहले कंक्रीट डाली, ठेकेदार के रोलर पहुंच गये, आज वह कंक्रीट वहीं डाली हुई हैं। यह की यह हालत जोधपुर से बालोतरा रोड की है, वहां से एप्रोच सड़क नेवरी पंचायत मुख्यालय है, वहां भी कंक्रीट डाली हुई है। ठेकेदार का रोलर पहुंच गया लेकिन दो-ढाई साल से वह कंक्रीट वहीं की वहीं पड़ी है। कहीं मैटल सड़क भी बना दी, अभी माननीय सदस्यों ने आपके सामने सारा उसका वर्णन किया कि अगर मैटल सड़क नहीं हो तो और भी अच्छा है। मैटल की है तो डामर करना जरूरी है। आज वहां पर मोटर साइकिल चल नहीं सकती क्योंकि वह तो मैटल सड़क है। एक साल के अन्दर बरसात होने पर कंकर अलग निकल जाएंगे, उसका ग्रेवल अलग निकल जाएगा तो वहां तो पैदल चलना आप कह रहे हो कि इतने करोड़ रुपये आ रहे हैं, पहले तो आप प्रायोरिटी उनको दो जो मैटल सड़क है, कंकर जहां बिखरे हुए हैं। नहीं तो यह मटीरियल वगैरह फिर बाद में तो हाथ लगेगा नहीं और वापस और खर्चा करना पड़ेगा।

श्री परसादी लाल : माननीय सदस्य, आपसे पूछ कर प्रायोरिटी तय करेंगे।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : धन्यवाद। मैं यह कह रहा हूं कि सार्वजनिक रोड को तीन बार मैटल किया गया लेकिन अभी भी डामर नहीं हुआ। यहां तो शिड्यूल्ड कास्ट बहुत ज्यादा हैं, शिड्यूल्ड ट्राइब की बस्ती है, इस गांव को तो हम यह घोषित कर रहे हैं, लेकिन आज दिन तक जो सात किलोमीटर डामर करना था वह नहीं हुआ। सांसद कोटे से, माननीय जसवंत सिंहजी के कोटे से कुछ ऐसी सड़कें उनसे पैसे लेकर करायी भी हैं, लेकिन यह जो मैटल सड़क है वह आज दिन तक वैसी की वैसी है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं निवेदन करूं लोक निर्माण में हमारे हास्पिटल के बारे में। राजकीय नाहरा चिकित्सालय 100 बैड का हास्पिटल है और उसकी ऊपर की मंजिल बनी हुई है। अधीक्षण अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता दोनों ने आज से 6 महीने पूर्व वहां जांच करके रिपोर्ट दे दी कि ऊपर के मंजिल पर मरीजों को रखना खतरे से खाली नहीं है। ऊपर की आर.सी.सी. छत दो साल के अन्दर खराब हो गयी और

(श्री अमराराम चौधरी)

हो गयी। वहां के जिला कलक्टर ने मौका देखा। अनुमानित लागत 35 लाख की आएगी ऊपर की मंजिल की छत को हटाकर दोबारा करने के लिए। वह अभी तक स्वीकृत हुई नहीं। हास्पिटल बहुत छोटा पड़ रहा है, मरीजों को आये दिन तकलीफ हो रही है। यदि बरसात हो गयी और ऊपर से यह छत गिर गयी तो नीचे वाली तो और जाएगी। वह अब दोनों तरफ खतरा हो रहा है। हम पिछले पांच महीने से लगातार यही बात कर रहे हैं। लेकिन वह काम नहीं हुआ है।

मेरा निवेदन है कि फलौदी से लगा कर सिरोही वाला स्टेट हाई-वे है उसको नेशनल हाई-वे घोषित किया जाए। इसमें माननीय सहकारिता मंत्रीजी भी एग्री होंगे क्योंकि ज्यादा फायदा आपको है। जो टूटी हुई है उसको तुरन्त ही रिपेयर, पेवर कराया जाए वरना लोग समय पर जा नहीं सकते हैं, ट्रेक्टर चल नहीं सकता, स्कूटर चल नहीं सकता।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सारा कुछ है, पैसा भी है, उसका उपयोग सही होना चाहिए। उसके लिए आवश्यक एक तेरहपंथी आचार्य तुलसीजी ने कहा है कि "निज पर शासन फिर अनुशासन", यानि आदमी स्वयं यदि अपने आप में विचार कर ले कि मुझे भ्रष्ट नहीं बनना है और मुझे अपनी ड्यूटी करनी है, अपना कर्तव्य करना है तो सारा काम अच्छी तरह से हो जाएगा। वरना हम कितने भी यह ब्यूरो रखें, ए.सी.डी. वाले जाओ या कुछ भी करो, यह परसेंटेज कम होने वाला नहीं है। और जब परसेंटेज कम नहीं होगा तो काम घटिया होगा, यह मान कर चलो। अगर ऊपर वाला ठेकेदार से पैसा खायेगा, मैं नाम नहीं लेता कौन खाता है, तो फिर ठेकेदार क्या और कैसे काम करेगा? बिल्डिंग बने और उसके बाद दो ही साल में खराब हो जाए और 35 लाख का चूना लगे, बहुत ही गम्भीर बात है। रोड बने और साल भर में ही खतम हो जाए तो यह पैसा कहां गया? इस बात का अब ध्यान रखना पड़ेगा। आदमी स्वयं को यह सोचना है। हमारे तो गुरुजी थे जो डी.जी. से रिटायर हुए, नारायण लालजी कालमा माउण्ट आबू के भील। मैं अर्ज कर रहा हूं कि वह डी.जी. से रिटायर हुए। एक पैसा भी उन्होंने हराम समझा। जब मैं उनसे 1974 में मिलने गया। मैंने कहा अभी आप एस.पी. हो, भाभीजी ओर बच्चे इतने सिम्पल क्यों? आपका थानेदार और कई एस.पी. जो हैं ठाट से रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं झोपड़ी से आया हूं और इससे ज्यादा भगवान मुझे क्या देगा। यहां तक मैं पहुंच गया हूं मुझे तो स्वयं को सोचना है। यदि सारे अधिकारी लोग और जन प्रतिनिधि लोग यह सोचने लगे कि अपन को क्या करना है तो अपने इस देश का कल्याण हो जाएगा। यह भावना होनी चाहिए। जब तक यह नहीं होगा तब तक कितने ही बजट करो, कितने ही भाषण दें उससे कोई मतलब नहीं, धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कतिपय बातों पर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मुख्य रूप से राजस्थान सरकार के वर्तमान की योजना की प्रवासी राजस्थानियों को हम यहां निमंत्रित करें वे आकर अपना रोजगार यहां पर फैलाएं। पिछली सरकार में भी इस तरह की बात थी। बी.ओ.टी. और एम.ओ.टी. के माध्यम से इन्होंने एक ऐसा स्वप्न जाल दिखाया जिससे राजस्थान को और हम सबको यह लगने लगा कि अब शायद ही ऐसी कोई सड़क बचेगी जो पैसे के अभाव में पूरी नहीं हो पाएगी। लोग आये भी और कुछ बी.ओ.टी. की सड़कें बनीं। उन बी.ओ.टी. की सड़कों में सीकर में एक बाई-पास बना। मैं यह बात तो बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि वह जो बी.ओ.टी. की सड़क बनी वह शायद राजस्थान में दी बैस्ट सड़कें जो हैं उनमें से एक है, लेकिन साथ ही जब कोटपूतली-सीकर रोड को एम.ओ.टी. और बी.ओ.टी. के माध्यम से दुबारा चर्चा की गयी और एक योजना बनी तो वह योजना धराशायी हो गयी। कारण जानने पर पता चला कि राज्य सरकार के और बी.ओ.टी. के जा एन्टरप्रिन्योर्स थे उनके बीच एक एग्रीमैंट हुआ, उनके बीच कुछ शर्तें तय हुई। राज्य सरकार की इच्छा शक्ति क्यों नहीं जाग्रत हुई यह जानने की कि जो एन्टरप्रिन्योर्स बाहर से आये, जिन्होंने करोड़ों

परेशानी आयीं जिनसे दुबारा वे इधर मुंह करने को तैयार नहीं हैं। इस पर यदि गौर किया जाता तो मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ी योजना साबित होती बिल्ट आपरेट एण्ड ट्रांसफर तथा मेंटेन आपरेट एण्ड ट्रांसफर। इस नाम से हमने नयी सृजनशीलता का एक उपयोग किया वह सारी की सारी धराशायी हो गयी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी भी हालात इतने विपरीत नहीं हुए हैं, इतने खराब नहीं हुए हैं, राज्य सरकार और बी.ओ.टी. के वे लोग जो यहां पर सड़कें संचालित करके अपना कार्य कर रहे हैं उनके बीच नेगोसिएशन होना चाहिए, उनके साथ बैठकर वार्ता होनी चाहिए कि उनकी क्यां समस्याएं हैं, क्यों वे यहां से भागना चाह रहे हैं। सीकर बाई-पास का यहां से गजट नोटिफिकेशन हुआ, अधिसूचना जारी हुई, सैक्रेटरी साहब के भी आर्डर्स गये लेकिन जिला प्रशासन की ओर से उन्हें जो रेस्पांस मिला वह बहुत पुअर था। ऐसे हालात यदि बनते रहे तो भविष्य में सीकर जिले के साथ-साथ अन्य वे जिले भी जहां बी.ओ.टी. के माध्यम से हम बहुत कुछ सृजन कर सकते हैं, उन पर प्रश्नचिन्ह लग जाएगा माननीय मंत्री महोदय, इस पर विशेष गौर फरमाएंगे। ये महती योजनाएं हैं, इन योजनाओं के माध्यम से हम विकास के नये आयाम तैयार कर सकते

(श्री राजेन्द्र पारीक)

आपकी नियमों के विपरीत सड़कें बनना मुश्किल है।

साथ ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ नीतिगत फैसलों के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा। राज्य सरकार की नीति है कि फैमिली प्लानिंग हो, आबादी पर कंट्रोल हो। यह बात सही भी है, जिस द्रुतगति से राजस्थान की आबादी बढ़ी है, यह बड़ा चिन्ता का विषय है। इस बढ़ती हुई आबादी ने हमारे सारे संसाधनों को लील लिया है। सुरसा के मुंह की तरह से बढ़ती जा रही जनसंख्या का लावा फूट पड़ा है और हमारे साधन सीमित होते जा रहे हैं। और हमारी नीतियां क्या हैं? कि जिस गांव की आबादी एक हजार होगी उस गांव में हम सड़क बनाएंगे। सपोज किसी गांव की आबादी 925 या 975 है और सेन्सस में आ गया कि आबादी तो एक हजार नहीं है, तो आप तो इनको प्रेरित कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आबादी बढ़ाओ ताकि आपके गांव सड़क से जुड़ सकें। कैसी विडम्बना है। आपको आदर्श गांव घोषित करने चाहिए कि जिस गांव की आबादी का परसेंटेज, जिस गांव की आबादी का रेशो जितना कम है उन आदर्श गांवों में हम सड़कें, वे सारी सुविधाएं जो एक शहरी आदमी को मिल सकती हैं, उनको देंगे। तभी वे लोग आपसे प्रेरणा लेंगे इस बात की। वरना तो आपने उनको झुनझुना पकड़ा दिया। टंकी नहीं बनेगी क्योंकि आबादी कम है, सड़क नहीं बनेगी क्योंकि आबादी कम है। और दूसरी तरफ फैमिली प्लानिंग पर अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है। तो ये जो विरोधाभासी आपकी बातें हैं उन पर मनोयोग से बड़ा चिन्तन करना होगा कि हम ऐसी क्या आदर्श योजनाएं लागू करें जिनके माध्यम से एक मैसेज दे सकें। मेरा आपसे यह विशेष आग्रह है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कें नेशनल हाई-वे हों या स्टेट हाई-वे हो, वे सड़कें शहरों को क्रोस करके गुजरती हैं। सारा ट्रैफिक उन्हीं सड़कों पर से गुजरता है। विडम्बना यह है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो एक माइल स्टोन है ज़ीरो, वहां से लेकर आगे की सड़क को तो वह अपना मानती है लेकिन उस सड़क के बीच का जो हिस्सा है उसको वह यह कह कर डिनाई कर देते हैं कि यह शहरी क्षेत्र है। आपके जयपुर में तो जे.डी.ए. है, अपार साधन हैं, इन लोगों के पास में, लेकिन मैं उन छोटी नगरपालिकाओं और नगर परिषदों की चर्चा कर रहा हूं जहां साधन सीमित हैं और नेशनल हाई-वे के स्पेसिफिकेशंस के अनुरूप वे अपने साधनों से सड़कें बना नहीं सकते। आप किसी भी शहर से गुजर जाएं, आप जयपुर से चल कर सीकर पहुंचेंगे तो नेशनल हाई-वे की सड़कें तो खूब अच्छी हैं लेकिन जैसे ही आप चौमूं की बाउण्डरी में एन्टर करेंगे तब आपको लगेगा कि जैसे आप कोई बियावान जंगल में आ गये हों या जैसे ही आप रींगस में

(श्री राजेन्द्र पारीक)

घुसेंगे तो आपको लगेगा कि आप बियावान जंगल में आ गये हों। राजस्थान में नेशनल हाई-वे के माध्यम से पी.डब्ल्यू.डी. अरबों रुपये खर्च कर रही है, फिर हम उन सारे शहरी क्षेत्रों को भी जोड़ लें तो मैं समझता हूं कि सौ-दो सौ किलोमीटर से ज्यादा सड़कें नहीं होंगी। फिर उनके रख-रखाव में इस तरह का भेदभाव क्यों? आखिर कौन उन सड़कों को ठीक करेगा? यातायात का बढ़ता हुआ दबाव, नगर परिषद के सीमित साधन और पी.डब्ल्यू.डी. का यह कहना कि यह तो शहरी क्षेत्र में है हमारे उसमें नहीं आता, आपको इस नीति में तब्दीली करनी होगी। हां, इन्टीरियर में जो सड़कें हैं उनको भले ही आप न लें लेकिन मुख्य मार्ग तो लें।

उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही एक समस्या और है, नेशनल हाई-वे से गुजरने वाला सारा पानी जो इक्ट्ठा हो जाता है बरसात का या दूसरा, नालों के माध्यम से सिटी के नालों में डाल देते हैं, सिटी की सड़कों पर डाल देते हैं। और शहर में खर्च के नाम पर जब इनसे बात करें तो इनकी योजनाएं और इनकी नीतियां आड़े आ जाती हैं। आपको इन नीतियों को तत्काल तब्दील करना होगा ताकि शहर की सड़कों के रख-रखाव में हमें सुविधा मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय इसके साथ ही एक

अपनी नीतियां बनायी तब यह था कि जो गांव एक हजार की आबादी का होगा या जो गांव पंचायत मुख्यालय होगा उसे हम सड़कों से जोड़ेंगे। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो बढ़ती हुई आबादी के साथ-साथ पलायन की स्थिति पैदा हो गयी। लोग पंचायत मुख्यालय से अपने खेतों की ओर आबाद होने लग गये। नतीजा यह निकला कि जो सड़कें हमने पंचायत मुख्यालय को जोड़ने के लिए बनायी थीं वे सड़कें तो वीरान हो गयीं। उन सड़कों का उपयोग मात्र इतना-सा रह गया कि वह गांव सड़क से जुड़ा हुआ है, जबकि गांव की पूरी की पूरी आबादी अपने खेतों पर चली गयी क्योंकि उन्होंने वहीं पर अपने काश्त के कुएं बना लिये, वहीं पर परिवार बसा लिया। सारी की सारी आबादी डाइवर्ट होकर गांव तो वीरान हो गये और कोई गांव सीकर से पांच किलोमीटर की दूरी पर हैं तो पूरी की पूरी पांच किलोमीटर की दूरी में जितने भी खेत, फार्म्स हैं उन सब पर आबादी हो गयी। नार्म्स में यह हो गया कि वह गांव सड़क से जुड़ गया। अब उस गांव की आबादी जिस रास्ते को उपयोग में लेती है वह रास्ता तो है बिना सड़क के और आपके नार्म्स यह कहते हैं कि गांव एक बार जब सड़क से जुड़ गया तो वह गांव नहीं जुड़ेगा।

मेरा इसके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना है कि बढ़ती हुई आबादी का लावा शहरों की ओर बह रहा है

(श्री राजेन्द्र पारीक)

शहरों में पीने के पानी की समस्या, शहरों में रहन-सहन की समस्या, शहरों में सीवरेज की समस्या। जगह हमारे पास कम है, आबादी बढ़ती जा रही है। हम यदि अपनी इस योजना, इस नीति में बदलाव लाकर शहर से दस किलोमीटर की पैराफेरी के जो गांव हैं उन गांवों को चारों ओर से सड़कों से जोड़ दें तो उसका नतीजा यह निकलेगा कि शहर पर आबादी का दबाव जो बढ़ रहा है वह कम होगा। जब उस व्यक्ति को अपने गांव में रहते हुए अच्छी सड़क की सुविधा मिलेगी तो वह शहर में रहने के बजाय अपने फार्म पर और अपने खेत पर रहना ज्यादा मुनासिब समझेगा क्योंकि वहां उसको हर सुविधा उपलब्ध हो रही है। इसलिए आपको इस नीति में परिवर्तन करना चाहिए। बार-बार यह कह कर उस बात को टाल दिया जाता है कि फलां गांव सड़क से जुड़ गया। स्टेट हाई-वे से कोई गांव गुजर रहे हैं वे सारे के सारे गांव सड़क से जुड़ गये, लेकिन उस गांव के अन्दर की जो दूरी है पांच किलोमीटर की, दो किलोमीटर की, तीन किलोमीटर वह तो नहीं जुड़ी। आपके नार्म्स में वह आ गया कि सड़क से जुड़ गया लेकिन तीन-तीन किलोमीटर, दो-दो किलोमीटर अन्दर का जो बचा हुआ रास्ता है वह नहीं जुड़ा हुआ है। अब उस पर कोई भी विचार करने को तैयार नहीं। इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और मुख्य रूप से मूल गांव जुड़ा कि नहीं जुड़ा, इस पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसके साथ, उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

खास तौर से सीकर के लिए दो मिनट का समय और लूंगा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : समय हो गया, अब समय ही नहीं है दो मिनट का। समय बढ़ाना है।

श्री उपाध्यक्ष : टाइम तो बढ़ाने दो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं बार-बार इशारा कर रहा था।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन में विचारार्थ मांग संख्या-36, 19 और 21 के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया गया। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बोले ही जाओ।

मांग संख्या-36, 19 व 21 पर विचार

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं ज्यादा वैसे ही नहीं बोलता, उपाध्यक्ष महोदय, और आप जब विराजते हैं तो मैं बड़े सूक्ष्म रूप से ही अपनी बात को कहता हूं।

मैं निवेदन कर रहा था कि कुछ ऐसे गांव हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो दुर्गम स्थान हैं। वहां पर पांच-पांच सौ, सात-सात सौ की आबादी है लेकिन गांव आज आजादी के पचास वर्ष बाद भी सड़क से नहीं जुड़ पाये, क्योंकि जनसंख्या उसमें नहीं आती है। भगवा एक गांव है, डाप पनोरा एक गांव है जहां आज दिन तक लोगों ने गांव में फोर व्हीलर नहीं देखा। जाने का कोई रास्ता नहीं है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे दुर्गम स्थल जहां कहीं भी हों उन्हें सड़क मार्ग से जोड़ा जाना चाहिए ताकि वहां भी मुख्य धारा से लोग जुड़ सकें।

मै एक बात के लिए तो पी.डब्ल्यू.डी. को धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे बड़ी कमी जो आज भी है वह है अकाउंटेबिलिटी की। योजना बनती है, आज उसका आकार होता है पांच करोड़ का या दस करोड़ का लेकिन जिस दिन योजना पूरी होती है उस दिन उसका आकार बढ़कर पांच के बजाय पच्चीस हो जाता है। लेकिन मुझे बड़ा सुखद लगा जब मुझे पता लगा कि मालवीय नगर आर.ओ.बी. उद्घाटन के साथ शुरू हुआ और तेरह करोड़ के बजाय इसमें बारह करोड़ रुपया ही खर्च हुआ है और समय से पूर्व ही यह बन गया। एक मिसाल कायम की। क्यों नहीं हम वैसे ही समयबद्ध कार्यक्रम और आफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी तय करें कि जो योजना जितने रुपये की बनी है, जितने समय के लिए बनी है वह उस निश्चित समय और निश्चित अमाउंट में ही पूरी होगी। हमें इस बारे में ठोस नीतिगत फैसले लेने होंगे।

इसके साथ, उपाध्यक्ष महोदय, बड़े संक्षेप में एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि बी.एस.आर. रेट्स जो हैं उनमें बड़ा वेरिएशन है। कृषि विभाग का अपना अलग है, जे.डी.ए. का और नगरपालिका का अपना अलग है, पी.डब्ल्यू.डी. का देखें तो उनका अलग है, नाबार्ड से इनके जो स्पेसिफिकेशंस आ रहे हैं उनका अपना कुछ अलग है। क्यों नहीं एक जगह बैठ कर इस पर एक राय होकर बी.एस.आर. की एक रेट तय करें। लोगों में संशय और भ्रम की स्थिति बनी हुई है, लोग यह मानते हैं कि एक किलोमीटर सड़क पर कहीं नौ लाख रुपये लग रहे हैं, वही सड़क कहीं सात लाख में बन रही है, वही सड़क कहीं तीन लाख में बन रही है और वही सड़क कहीं पांच लाख में बन रही है। आखिर यह वेरिएशन क्यों है, इस पर गौर किया जाना चाहिए।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

इसके साथ एक निवेदन यह करना चाहूंगा कि सड़कें आगे आगे बनती चलती है और पीछे पी.एच.ई.डी. वाले और टेलीफोन वाले लोग उसको तोड़ते चले आ रहे हैं। आखिर यह गैप आफ कम्युनिकेशन क्यों है? करोड़ों रुपयें इस पर खर्च हो जाते हैं। इस सड़क को पी.डब्ल्यू.डी. बना कर अपने आफिस तक नहीं पहुंचती उसके पहले हमने देखा कि लोग पीछे-पीछे खोदते आ रहे हैं। यह गैप आफ कम्युनिकेशन क्यों है? आप जिस सड़क को आज बना रहे हो उस सड़क को तोड़ने के लिए पीछे-पीछे कोई आदमी आ रहा है और आपको पता तक नहीं चलता। आपको सम्बन्धित विभाग से इस बात का पहले से ही प्रमाण-पत्र लेना चाहिए कि यह सड़क जो हम आज बना रहे हैं इसको आप पीरियड तक नहीं तोड़ेंगे। और यदि आपको तोड़ना है तो आप अपना काम आज ही इस पर चालू करो ताकि भविष्य में इस पर तोड़-फोड़ नहीं हो।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी पीड़ा के साथ एक बात कहना चाहूंगा। विधान सभा के प्रांगण में ही एक संकल्प मैंने लिया था कि जब तक सीकर-नवलगढ़ रोड पर आर.ओ.बी. स्वीकृत नहीं होगा, अन्न नहीं लूंगा। धन्यवाद दूं, मुख्य मंत्रीजी, सत्ताइस माह बाद वह शुभ दिन आया और उसकी स्वीकृति हुई और उसका फाउंडेशन भी रख दिया। दुःख इस बात का है, उपाध्यक्ष महोदय, कि उसकी फाइनेंशल और एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन जारी होने के बावजूद आज भी काम चालू नहीं हुआ। जो योजना 691 लाख की बनी थी वह योजना समय गुजरता जा रहा है उसके आधार पर दस करोड़ की हो जाएगी। फिर समय निकलेगा तो फिर उसका आकार और बढ़ जाएगा। रेलवे से आपका तय हो गया, स्टेट का हो गया फाइनेंशल और एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन निकल गयी उसके बावजूद भी हम जस के तस, जहां के तहां। आखिर हमें कहीं न कहीं तो तय करना होगा। जब मैंने पता किया तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा, बजट नहीं मिला, भई, कैसे बजट नहीं मिला? बजट तो एलोकेशन हो गया। तो कहते हैं कि पर्टिकुलर उस योजना के नाम पर एक करोड़ रुपयों जो हमको देना था वह नहीं दिया। उसमें एक नाम और एड कर देते कि सीकर आर.ओ.बी. के लिए एक करोड़ रुपया हुआ है। इसमें कहां किसको प्राब्लम थी? यदि नहीं किया है तो कितने करोड़ रुपये का आपका बजट है, इसमें इतना सा नाम जोड़ने में क्या तकलीफ थी?

अब मैं, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान विशेष आकर्षित करना चाहूंगा। इन्होंने बड़ी कृपा की कि राजस्थान के

(श्री राजेन्द्र पारीक)

एम.एल.एज. को एक प्रिविलेज दिया कि इनके द्वारा प्रस्तावित सड़कों की मेंटिनेंस होगी, बढ़िया कारपेट होगा और उसकी अनुमानित लागत करीब तीन करोड़ रुपया है। मेरा इस मामले में एक निवेदन है कि इसमें और इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ेगी। जिन सड़कों के रख-रखाव के प्रपोजल स्थानीय पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से एम.एल.एज. को दिखाये गये, एम.एल.एज. को बाध्य कर दिया गया कि ये हमने जो लिख कर दिया है आप इस पर टिक करें। जबकि होना यह चाहिए था कि एम.एल.ए. अपनी प्रायोरिटी तय करें कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ये-ये सड़कें मेरे लिए मुख्य हैं। भले ही वे सड़कें आपकी नीतियों में आती हैं, नहीं आती हैं। भले ही वह सड़क आपके एक हजार की आबादी का गांव है, नहीं है। भले ही वह सड़क पंचायत मुख्यालय है या नहीं है। यदि स्थानीय एम.एल.ए. इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से सोचता है फलां गांव की इस सड़क के बनने से ज्यादा इसकी उपयोगिता होगी तो वह सड़क बननी चाहिए, बजाय इसके कि एक्स.ई.एन. ने आपको यह प्रपोजल थमा दिया और आपसे कह दिया कि आप तो इस पर टिक कर दें। उस पर टिक करने का अर्थ तो यह हो गया कि एक्सईएन जो भी प्रपोजल लेकर आया है दस-बीच-पचास सड़कों का, वह कर ले अपनी मर्जी से। एम.एल.एज. को यह प्रिविलेज दिया जाना चाहिये कि क्षेत्र में 3 करोड़ रुपया जो खर्च किया जा रहा है, उसकी प्राथमिकता वह स्थानीय विधायक तय करे, उसकी उपयोगिता वह देखे उस क्षेत्र में कौनसी सड़क कितनी महत्वपूर्ण है, इसका निर्णय स्थानीय विधायक बेहतर कर सकता है बजाय वहां के एक्सईएन. या एईएन. के। इस पर गौर किया जाना चाहिये।

(20.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, जे.आर.वाई. के माध्यम से, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से, सांसद कोटे से, एम.एल.ए. कोटे से, भिन्न-भिन्न कोटे से बहुत सारी सड़कों का निर्माण होता है। एक ग्रेवल सड़क अकाल राहत से बनी, डब्ल्यू.डी.एम. बन गयी। डब्ल्यू.डी.एम. स्तर तक की वह सड़क चाहे सांसद कोटे से पैसे लेकर बनी या एम.एल.ए. कोटे से बनी, जब तक उसमें तकनीकी रूप से कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई और एक गांव में सड़क का निर्माण डब्ल्यू.डी.एम. तक का हो गया। अब पी.डब्ल्यू.डी. इस बात के लिए एग्री नहीं कर रही है, जिस गांव में डब्ल्यू.डी.एम. सड़क सांसद कोटे से या एम.एल.ए. कोटे से या निबन्ध राशि से या किसी भी योजना के माध्यम से इस स्तर तक बना दी तो चाहे वह पैसा सांसद कोटे का हो, चाहे एम.एल.ए. कोटे का हो, अल्टीमेटली

(श्री राजेन्द्र पारीक)

वह पैसा राज्य सरकार का है और जो कुछ भी बन रहा है उससे राज्य सरकार का अपना वर्चस्व बढ़ रहा है। राज्य सरकार के अपने साधन बढ़ रहे हैं, राज्य सरकार का अपना इफ्रास्ट्रक्चर डवलप हो रहा है। फिर उस सड़क को बी.टी. कराने में कहां, दिक्कत है? यदि उसमें कोई दिक्कत है तो आपको अपने सोच में परिवर्तन करना होगा। आज का वैज्ञानिक सोच यह है कि जहां एक नया पैसा खर्च हुआ है उस एक-एक नये पैसे का हम उपयोग कर सकें। एक-एक पैसे का हम सही ढंग से इस्तेमाल कर सकें, यह ज्यादा जरूरी है बजाय आपकी किताबों में छपी हुई बातों के। 1994 में जो सड़क नीति बनी थी, मुझे पता नहीं उसमें क्या बना दिया, लेकिन सड़क नीति बनना एक अलग चीज है। सैक्रेटेरिएट में बैठकर आपने जो सड़क नीति बना ली, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जिस क्षेत्र से आते हैं, आपको पता है कि वहां की स्थानीय समस्याएं कुछ अलग हैं। नीतियों के सहारे वह नहीं चलने वाली हैं। नीतियों से अलग हटकर आपको खुले रूप से इस बात पर मंथन और विचार करना होगा कि समस्याएं हल करने के लिए एक समन्वित प्रयास करें जिससे इन सारी स्थितियों को हम बेहतर ढंग से लागू कर सकें।

माननीय मंत्री महोदय ने मेरी बात को बड़े गौर से सुना होगा, मैं उम्मीद करता हूं। मैंने अपनी स्थानीय सड़कों के बारे में तो एक का भी जिक्र नहीं किया। मैं समझता हूं कि आपकी कृपा होगी कि आप बहुत जल्दी ही इस पर निर्णय लेकर 3 करोड़ रुपये तक की सड़कों का जो आप कर रहे हैं, इसको आप स्थानीय विधायक के जिम्मे ही छोड़ेंगे बजाय इसके कि एक्सईएन. अपना प्रस्ताव देकर करवाएं।

श्री उपाध्यक्ष : आप अब कृपा करो।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, कोआपरेटिव मंत्री साहब थोड़े नींद-सी ले रहे हैं, मैं इनकी नींद में खलल डालना वैसे तो मुनासिब नहीं समझ रहा था लेकिन डाल दूं। काफी लम्बे समय से और हाउस में भी चर्चा हुई और कोआपरेटिव बैंकों के मामले में कुछ अधिकारी निलम्बित भी हुए। कुछ अधिकारी उसमें से रीइंस्टेट हो गये, कुछ में जांच का परिणाम आया पैंडिंग पड़ा हुआ है। मैं बिना किसी नाम और बिना किसी चार्ज के आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे मामले में खुले मन से विचार होना चाहिये। आप जैसे बुजुर्ग और आप जैसे दयावान आदमी से कुछ को तो न्याय मिल जाए और कुछ को न्याय नहीं मिले, यह मुनासिब नहीं है। न्याय यदि मिल रहा है तो लोगों को यह

(श्री राजेन्द्र पारीक)

लगना चाहिए कि आप वास्तव में न्यायप्रिय हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी संक्षेप में कही हुई बात को आप काफी विस्तार से समझेंगे और इस पर जल्दी ही कोई निर्णय लेकर उस पीड़ित को भी राहत दिलवाएंगे। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलाल गुर्जर। (अनुपस्थित), श्रीमती कमलाजी, आप बोल रही हैं। हां, बोलें।

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज विधान सभा में मांग संख्या-19, 21 और 36 पर चर्चा चल रही है, मैं आपके मार्फत मांग संख्या-21 पर अपने क्षेत्र संपोटरा की सड़कों की जो दुर्दशा है उसकी तरफ मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं मंत्रीजी से शिकायत करूंगी, दुर्भाग्य यह रहा कि सपोटरा करौली जिले का विधान सभा क्षेत्र है, क्या वहां से कांग्रेस का विधायक नहीं है कि पी.एम.जी.वाई. में से एक भी सड़क फर्स्ट और सैकण्ड फेज में नहीं दी गयी? उपाध्यक्ष महोदय, आपके ही मार्फत मैं यह जानना चाहूंगी कि कितने कांग्रेस के विधायक हैं जिनको कि पी.एम.जी.वाई. में एक भी सड़क नहीं मिली फर्स्ट फेज में? क्या कारण रहे कि करौली के चार विधायकों में से तीन विधायकों को किसी को 6 सड़क, किसी को चार सड़क, किसी को 5 सड़क...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : महिला विधायक को तो...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया इनको समाप्त करने दीजिये।

श्रीमती कमला बृजलाल : ऐसा है कि मैं यहां किसी महिला के टिकट पर जीत कर नहीं आयी हूं, श्रीमान् जी, मैं एक एम.एल.ए. की हैसियत से आयी हूं और कोई रिजर्वेशन से नहीं आयी हूं। यह कहना आपका कि मैं एक महिला हूं, यह महिला कोई कमजोर महिला नहीं है जो आपके सामने खड़ी है। यह एक बहुत सक्षम और बहुत दृढ़शक्ति वाली महिला है जिसके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बोले, बोले आप।

श्रीमती कमला बृजलाल : उपाध्यक्ष महोदय, सपोटरा एक डांग क्षेत्र है, इसमें दो तहसीलें हैं— मण्डरायल और सपोटरा। मण्डरायल तहसील जहां माइन्स बहुत ज्यादा हैं, रेवेन्यू सबसे ज्यादा वहां से मिलती है। करौली जिले में आप तलाश करा लें, वहां सिर्फ माइन्स डिपार्टमेंट की एक सड़क है। मण्डरायल रोड से भांकरी, जिसको भी सड़क कहना उसके लिए अपवाद है। एक इंच भी नाम मात्र के लिये डामर नहीं दिखता। आठ

(श्रीमती कमला बृजलाल)

किलोमीटर की दूरी डेढ़-दो घंटे में पूरी की जाती है। वहां जाने पर गाड़ियों की जो दुर्दशा होती है, जयपुर आते ही ठीक करानी पड़ती है।

इसी तरह से मण्डरायल गढ़ी का गांव है जहां से मेरा विधान सभा क्षेत्र चालू होता है, करौली में से एंट्री करनी पड़ती है। गढ़ी का गांव से लेकर मण्डरायल तक सड़क, मण्डरायल से औंड और उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से यह क्षेत्र जुड़ा हुआ है। कैलादेवी पर मध्य प्रदेश से बहुत से पैदल यात्रीगण आते हैं, बसों से आते हैं। लेकिन उस घाटी के बारे में आप जांच करा लें आपके अधिकारीगणों के माध्यम से, मंत्री महोदय क्या उसकी दुर्दशा हो रही है। इसी तरह से कर्णपुर घाटी जहां पर बसें नीचे नहीं उतर सकतीं। ऊपर ही कैलादेवी से चढ़ कर ऊपर की बसें रोकनी पड़ती हैं, नीचे बसें नहीं जा सकती हैं। घाटी की हालत जर्जर हो चुकी है। इसी तरह से कुड़गांव से सपोटरा तहसील हैडक्वार्टर है, उसकी सड़क को आप देखें। बाड़ौती से गंगापुर उसको आप देखें। खड्डे डेढ़-डेढ़, दो-दो फीट के हैं। सड़कों की दुर्दशा के बारे में, खड्डों के बारे में पहले कुछ और लोग भी बोल चुके हैं। सपोटरा में 55 पंचायतें हैं उसमें से 51 पंचायतें डांग में हैं, सिर्फ 4 पंचायतें नहीं हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि इन सड़कों को न डांग विकास बोर्ड के द्वारा बनाया जाता है, न इनको पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा बनाया जाता है, न ये कृषि उपज मण्डी के द्वारा बनाई जाती हैं। किसी भी उसमें नहीं है। 13 पंचायत हैडक्वार्टर तो अभी तक सड़कों से जुड़े ही नहीं हैं। इस सदन में बात की जा रही है कि 500 की जनसंख्या और 1000 की जनसंख्या के जोड़े जाएंगे, मैं इस सदन में आपके मार्फत यह पूछना चाहती हूं कि मेरे यहां सपोटरा के साढ़े 27 सौ की जनसंख्या, ढाई हजार की जनसंख्या के पंचायत हैडक्वार्टर हैं और वे अभी तक नहीं जुड़े, क्या कारण रहा? मैंने बार-बार मंत्री महोदय को कहा, पिछली बार भी इस सदन में कहा। हाड़ौती एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा पंचायत हैडक्वार्टर है जो तीन तरफ से नदियों से घिरा हुआ है—एक तरफ काली सिंध है, एक तरफ मोरेल है, एक तरफ बनास है। मेरे विधान सभा क्षेत्र एकट से 5 किलोमीटर दूरी है और अगर बरसात आ गयी तो सवाईमाधोपुर होकर मलारना होकर ही जाना पड़ेगा। सपोटरा न वे आ सकते हैं, न मैं जा सकती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से सारी पंचायतों की दुर्दशा है। पंचायत हैडक्वार्टर ढाई हजार की जनसंख्या के होते हुए भी नहीं जुड़ रहे हैं सड़क से।

श्री हरेन्द्र मिर्धा (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय सदस्या, मैंने आपको पहले अवगत करा दिया था कि सैकिण्ड फेज में चार सड़कें आपके विधान सभा क्षेत्र के अन्दर ले ली हैं, फिर भी आप इसी बात को गाए जा रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हो गई बात आपकी। आपकी बात पूरी हो गई, अब क्या चाहिए आपको? किसी भी माननीय सदस्य को मंत्री महोदय ने वह नहीं कहा जो आपको कह दिया, और क्या चाहिए आपको?

श्रीमती कमला बृजलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी मांग को कम से कम सदन में तो रखूं। मैं तो कारण जानना चाह रही थी आपके मार्फत से कि क्या कारण रहा, क्यों रहा। ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : कारण में मत जाओ, काम हो गया उसी में जाओ। कारण में जाओगे तो और उल्टा हो जाएगा।

श्रीमती कमला बृजलाल : नहीं, उसके लिए तो मैं धन्यवाद दूंगी बाद में। मैं आपको बताना चाह रही थी कि अभी भी 13 पंचायत हैडक्वार्टर सड़क से नहीं जुड़े हैं। एक हजार की जनसंख्या वाले ही नहीं डेढ़ हजार, ढाई हजार और सत्ताइस सौ तक की जनसंख्या वाले भी नहीं जुड़े हैं। मेरा क्षेत्र डांग क्षेत्र है, उपेक्षित क्षेत्र है और सारा सड़कें मरम्मत मांग रहा है। मैं मंत्री महोदय को इसलिए धन्यवाद दूंगी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि अबकी बार में ले लूंगा। मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं कि आज आपने सदन में बोल दिया है कि चार सड़कें सैकण्ड फेज में दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहती हूं कि चाहे हम सड़कें कम बनाएं लेकिन उन पर रोड़ी डाल कर न छोड़ें। उससे पैसे का दुरुपयोग होता है, आने-जाने वाले चाहे पैदल हों या गाड़ियां, सभी को असुविधा रहती है।

मंत्री महोदय, कुछ क्षेत्र सिर्फ ढाई-तीन किलोमीटर के डामरीकरण के बाकी रह गये हैं, उनके लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगी। खिरकना से भरतून इसके लिए मैं विधायक कोटे से दो लाख रुपए दे चुकी हूं, अब मेरे पास फिलहाल पैसा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगी कि बरसात आने से पहले सिर्फ ढाई किलोमीटर का टुकड़ा खिरकड़ा से भरतून जो बाकी रह गया है उस पर डामरीकरण करवाया जाए। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगी क्योंकि यह ऐसी जगह है जहां मेरा घर है, वहां के लोग बार-बार कहते हैं कि जो अपने घर में ही नहीं करा सके, वह और क्या कराएगी। तो कम से कम यह तो सुनने को नहीं मिले।

मंत्री महोदय, इसी तरह से कुछ सड़कें ज्यादा नहीं दो-दो, चार-चार किलोमीटर की भी आप नयी बनाने के लिए देंगे, इससे क्षेत्र का काफी विकास होगा, काफी दूरियां कम होंगी। कैलादेवी से सपोटरा रोड है, करणपुर उप तहसील भी है, करणपुर के लोग पूरी करौली पार करके सपोटरा पहुंचते हैं। अगर यह सड़क बन जाती है तो जो 80-85 किलोमीटर की इनके बीच की दूरी है वह सिर्फ 20 या 22 किलोमीटर रह जाएगी। इसी तरह से, मंत्री महोदय, मैं जिस सड़क से जाती हूं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं तो पांच ही मिनट लूंगी, आप देख लें।

श्री उपाध्यक्ष : पन्द्रह मिनट तो हो गए।

श्रीमती कमला बृजलाल : नहीं, नहीं, सर, यह तो आप गलत कह रहे हैं।

यहां जयपुर से सरमथुरा रोड वाया गंगापुर जो 130 किलोमीटर है, दौसा करीब 55 किलोमीटर है, वह दूरी एक घंटे में तय हो जाती है और दौसा से गंगापुर के ढाई घंटे लगते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि इस स्टेट हाई-वे रोड पर आप ध्यान देकर हमारी असुविधा को जल्दी से दूर करें। आखिर में मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय जिन्होंने सड़कों पर बजट में प्रावधान रखा और इस साल सड़कों पर ध्यान दिया, उनको धन्यवाद देती हूं। आपने मुझे बोलने दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलाल गुर्जर।

श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो राजस्थान विधान सभा के 200 विधान सभा क्षेत्रों में से सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र। आज वहां गांवों के रास्ते की स्थिति बहुत दयनीय है। हिण्डौली से मेन रोड जाता है जो नैनवां विधान सभा क्षेत्र और हिण्डौली पंचायत समिति की 10 पंचायतों को जोड़ता है। उसमें सरकार ने दो चरणों में दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर के टुकड़े तो बनवा दिये, सात किलोमीटर का टुकड़ा और है, यदि वह भी जोड़ दिया जाए तो तीन विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन, हिण्डौली और नैनवां उससे जुड़ते हैं और 10 पंचायतें जो उधर है, वह डाइरेक्ट पंचायत समिति मुख्यालय से जुड़ जाएगी, अन्यथा लोगों को 40-50 किलोमीटर बूंदी होकर हिण्डौली आना पड़ता है। उस पर अकाल राहत के तहत अभी राज्य सरकार ने 21 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं, यदि मंत्री महोदय थोड़ा ध्यान दे दें तो वह रोड पक्का बनाया जा सकता है।

हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में शकरगढ़-जहाजपुर रोड जा रहा है, वहां पर 7 ग्राम पंचायतें हैं। यदि 7-8 किलोमीटर का टुकड़ा जोड़ दिया जाए तो जहाजपुर और बिजौलिया मेन रोड को जोड़ा जा सकता है। इससे वहां के खनिज एरिया से जो गाड़ियां आती हैं वे डाइरेक्ट जयपुर आ सकती हैं और 100 किलोमीटर के रास्ते की बचत हो सकती है इससे डीजल और समय की बचत होगी और गांवों को जोड़ने में मदद मिलेगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस पर आप आदेश दें।

इसी तरह से निवेदन है कि खीण्या ग्राम पंचायत से बसोली रोड, इस रोड पर बरसों से गिट्टी-पत्थर पड़े हुए हैं लेकिन सरकार ने 25 साल से आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसको पूरा करने से सात ग्राम पंचायतें हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र से डाइरेक्ट जुड़ सकती हैं, जो आज तक नहीं जुड़ पाई हैं। इस पर अभी राज्य सरकार ने 21 लाख रुपए अकाल राहत के तहत स्वीकृत किए हैं। (व्यवधान)

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

उपाध्यक्ष महोदय, नाममात्र के 100-100 मजदूर लग रहे हैं उन पर 21 लाख रुपए की राशि दे दी लेकिन नाममात्र के 100-100 मजदूरों से वह कहां 21 लाख रुपए की राशि लगेगी, यह अभी आगे बताऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज तीन ग्राम पंचायतें ऐसी हैं हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र की, जो अभी तक भी मेन रोड से नहीं जुड़ पाई हैं। अभी हिंण्डौली विधान सभा क्षेत्र का उप चुनाव हुआ, वहां पर राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब इमेण्डी और हिण्डौली रोड पर गये थे। वहां उनकी गाड़ी फंस गई थी। वहां पर वह जनता के बीच में आश्वासन देकर आये थे कि दुबारा मैं हाड़ौती क्षेत्र में तब ही आऊंगा जब यह रोड से जुड़ जाएगा। आश्वासन दिया है। गाड़ी फंस गई उनकी इसी रोड पर। राजस्थान के दस मंत्री और पच्चास विधायक हिण्डौली क्षेत्र के अनेक गांवों में रोड के लिए आश्वासन देकर आये हैं, अभी तक। (व्यवधान) आश्वासन ही नहीं, कसमें खाकर आए हैं, साहब। अनेक मंत्री गांवों में कसमें खाकर आये हैं गंगाजी की चरी पर हाथ रख कर कि यदि हमारा उम्मीदवार जीत जाएगा तो यहां के गांवों को सड़कों से जोड़ देंगे। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री) : अगर हमने वहां वायदा किया होता यह कहा होता कि ये सब सड़कें बन जाएंगी तो आप जीतते नहीं, फिर हम ही जीतते।

श्री नाथूलाल गुर्जर : नहीं, साहब, वे आपके + + + आश्वासनों को बार-बार देख चुके हैं। माननीय मंत्री धारीवालजी वहां से पांच साल तक रहे हैं, इनके आश्वासन को भी देख लिया। आपकी बहन रमाजी वहां से दो बार रह चुकीं, उनके भी आश्वासन देख लिये। आपके + + + आश्वासनों में आने वाले नहीं थे इसलिए आपकी बात उन्होंने नहीं मानी। वह तो कृषि मंत्रीजी राजस्थान सरकार के वहां पर गए थे, यदि वहां पर आपका पूरा मंत्रिमण्डल भी चला जाता तो भी वहां पर कुछ नहीं कर पाते आप, खाली हाथ लौटना पड़ता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बूंदी जिले के अन्दर एक ही सहकारिता मिल है केशोरायपाटन, किसानों का गन्ना मिल ने ले लिया। साल भर तक किसी किसान को फूटी कौड़ी भी नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां पर जन-आन्दोलन हुआ, चार जगह चक्का जाम किया। चार जगह चक्का जाम करने के बाद में राजस्थान सरकार ने वहां के किसानों को तो पेमेंट दिया, लेकिन किसानों के पेमेंट के साथ में उन किसानों को साल भर का ब्याज भी देना चाहिए था वह नहीं दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसी शुगर मिल में ट्रांसपोर्टर संगठन के ट्रकों द्वारा गन्ने का परिवहन किया गया,

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

आज भी 25 लाख रुपया वहां के ट्रांसपोर्टर्स का शुगर मिल की तरह बकाया है। यह सरकार उनको कब तक दिला देगी, इस सदन में यह मुझे आश्वासन दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हिण्डौली की खीणा रोड, बसौली रोड, डबलाणा रोड, सारी रोड में गड्ढे पड़े हुए हैं। वहां पर सही ढंग से पूरे इलाके में जाना चाहे तो एक घंटे के बजाय तीन-तीन घंटों में पहुंचते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इन चारों रोड्स की स्वीकृति इस साल दे दी जाए, वहां उप चुनाव में जो जीत कर आया उसको थोड़ा बहुत तो इनाम माननीय मंत्रीजी देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सहकारिता मंत्रीजी।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट तो मुझे दीजिये। आपने कहा था कि बैठो। अब मैं आपसे भी ले लूं दो मिनट, आपने कहा था।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने तो नहीं कहा।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : आपने नहीं कहा?

श्री उपाध्यक्ष : बोलो न आप बोलना है तो।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-21 के ऊपर सिर्फ तीन मिनट ही बोलूंगा। मार्गों ब्रह्मः, मार्ग ब्रह्म का रूप है और वह सदैव व्यवस्थित रहना चाहिए। अभी क्या स्थिति है सड़कों की, यह सब लोगों ने बता दिया, उसको दुबारा दोहराने की जरूरत नहीं। इन ढाई वर्षों के अन्दर सड़कों की हालत और भी ज्यादा खस्ता हुई है। जगह-जगह खड्डे पड़े हुए हैं, कहीं मरम्मत नहीं हो रही है और नयी सड़क होने का तो सवाल ही नहीं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस ग्यारहवीं विधान सभा में जब सबसे पहले मुझे यह तोहफा दिया गया कि मेरे क्षेत्र की 13 सड़कें जो स्वीकृत थीं, उनको निरस्त कर दिया गया, उस वक्त सभी की सहानुभूति थी और मुझे यह आश्वासन दिया गया था कि हम इनको ठीक कर देंगे। तो मेरी 13 सड़कों को तो आपने ठीक किया नहीं, न स्वीकृत कीं। मैंने उस वक्त कह दिया था कि आप निरस्त कर रहे हो तो अगला बजट दूसरा ही पेश करेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद है सन् 1983, जब मेरे जिले की सब तहसीलों को पांच-पांच, छह-छह सड़कें दी गयीं थीं और मैंने निवेदन किया था कि मुझे तीन साल यहां आये हुए हो गये, मुझे कम से कम तीन फुट सड़क तो दो। तो तत्कालीन जो पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि देखेंगे। देखेंगे तो मैंने कहा कि अगली बार विधान सभा नहीं देखोगे। उपाध्यक्ष महोदय, 1980 से 1985 तक...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप कृपा करो, दूसरे के लिए मत कहना कुछ।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : थारै के लागे है? सब सुणनै न तैयार है जणा थारै के दर्द होवे है।

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सन् 1980 से 1985 तक सिर्फ एक मांग की थी कि मुझे रतनगढ़ में एक कालेज दे दो और मुझे खुशी है कि मेरे इस औचित्यपूर्ण प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष, सब एकमत थे, लेकिन मुझे कालेज नहीं मिला। तो, उपाध्यक्ष महोदय, नाभि से निकल गया कि रतनगढ़ में कालेज नहीं दोगे तो मुख्य मंत्री आप भी नहीं रहोगे। यह तो मैंने पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर को कह दिया था कि मैं तो नहीं आउंगा क्योंकि मुझे तीन वर्ष में तीन फुट सड़क नहीं मिली, लेकिन आप भी दर्शक दीर्घा में आओगे, इस गोल चक्कर में नहीं आओगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आज इस गोलचक्कर में बैठा हूं सोनियाजी की कृपा से, अशोकजी की मेहरबानी से, जनता के आशीर्वाद से। आपको याद दिला दूं, आपकी बड़ी कृपा हुई मेरे पर, उस वक्त आप कृषि उपज मण्डी के मिनिस्टर थे और आपने बड़ी दया करके मुझे कहा कि आप मुझे दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर की सड़कों के टुकड़े दे दो। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे तीन गांवों को जोड़ दिया और उसी का प्रतिफल है कि आज इस कुर्सी की आप शोभा बढ़ा रहे हो। मैं आपको कहता हूं, मुझे सड़कों की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि मेरी 13 स्वीकृत सड़कों को आप लोगों ने कैंसिल किया तो मैंने सकारात्मक जवाब दिया, मैंने अपने शहर में 14 सड़कें बनायीं। और अब आप क्या कहते हो? दोगे या नहीं दोगे, यह बताओ। अब आप यह बताओ कि दोगे या नहीं दोगे?

विद्या विनय सम्पन्ने ब्राहमणे गवि हस्तिनि।
सुनी चै व सुपाके च, पण्डितः समदर्शिनः॥

आप सब यहां बैठे हुए हो, सब विद्या के धनी हैं। पढ़े-लिखे हो, नहीं तो आपको यहां कोई नहीं भेजता। आप सब से कम पढ़ा-लिखा हुआ मैं हूं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो बात मुंह से कहो उस पर कायम रहो। जिस व्यक्ति की बात मर गयी वह इन्सान मर गया। अब मैं सूत्र, मैं कहता हूं, सूत्र में समझिये। मंत्रीजी, आपने मुझे कहा था कि पण्डितजी, आपकी बात का मुझे ध्यान है। ध्यान है न? बस ठीक है, धन्यवाद। मुझे और कुछ नहीं कहना।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : पण्डितजी, मुझे सब ध्यान है। मैंने सारे प्रस्ताव बना कर महीने-डेढ़ महीने पहले वित्त को भिजवा दिये हैं, जैसे ही बजट सत्र खतम होगा, जो मैंने आपसे वायदा किया था वह पूर्ण हो जाएगा।

एक माननीय सदस्य : अब तो आशीर्वाद दो।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : सुनो। मैं इयां कोनी दयूं आशीर्वाद। आशीर्वाद आनै शुरू पोत मैं पहली मीटिंग में दियो कि मेरी टीम का सब आदमी नौजवान है एक-दो न छोड़कर। एक दो को छोड़कर सब नौजंवान हैं और सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। काम को समझ रहे हैं और आगे जाकर दृढ़ता के साथ काम

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

करेंगे। अब देखो, काम कोई तो कम करता है, कोई ज्यादा करता है। लेकिन मैं एक बात कह दूं—

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सहकारिता मंत्रीजी। बिराजिये प्लीज।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : एक बात सुन लो। थारै के जल्दी है तो? टाइम म्हे और बढ़ा देहां। समर्पण का मतलब कमजोरी मत समझ लेना।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सहकारिता मंत्रीजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के 20 माननीय सदस्यों का बहुत ही आभारी हूं जिन्होंने आज इस डिबेट में भाग लिया और सहकारिता विभाग के बारे में उन्होंने कई अच्छे-अच्छे सुझाव दिये। मान्यवर, सहकारिता वह विभाग है जो किसान का सबसे ज्यादा हितकारी और उसका [illegible] करने वाला है। मान्यवर, आजादी के पहले यदि हम वह दिन देखें तो आपको मालूम होगा कि उन दिनों में किसान के पास में पूरे कपड़े पहनने को नहीं थे और खाने को धान भी बहुत कम था। तिहाई मार से मर रहा था, अंग्रेज का राज, राजा का राज, जागीरदार का राज और उस पर भी हासल वगैरह सब लगते थे। मैंने वह हाल देखा है अपनी जिन्दगी में, इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि उन दिनों के किसान और आज के किसान में रात और दिन का फर्क पड़ गया है।

मान्यवर, मैं इस बात को भी जानता हूं कि जब अंग्रेज हमको छोड़कर गये, हम आजाद हुए उसके बाद में न हमारे पास में कपड़े थे, न हमारे पास में खाने को धान था। इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट से लाल मांइलो सरकार ने लिया था। जिन इलाकों के अन्दर धान की कमी थी वहां लाल माइलो से हमने अपने वर्ष निकाले थे। लेकिन धीरे-धीरे पण्डित नेहरू के राज में पण्डितजी ने सहकारिता पर ध्यान दिया, तेग साहब को हमारा मिनिस्टर बनाया, उन्होंने दौरे शुरू किये, जगह-जगह सहकारिता बनना शुरू हुई और उससे किसान का आर्थिक स्तर ऊंचा बढ़ा। सिक्सटीज और सैवनटीज के दरम्यान और 75 तक मुझे याद है कि उन वर्षों के अन्दर जितना किसान आगे बढ़ सका उतना पहले कभी नहीं बढ़ा [illegible] गांवों में जहां पर कहीं पर भी बैलगाड़ी और ऊंट के सिवाय या बैलगाड़ी और बैलों के सिवाय कुछ नहीं था, उन गांवों के अन्दर ट्रैक्टर आ गये, उन गांवों के अन्दर फव्वारा सैट आ गये, उन गांवों के अन्दर कुएं खुदने शुरू हो गये और हालात दिन पर दिन इस तरह से बदले कि किसान की माली हालत अच्छी हो गयी। आज कई ऐसे किसान भी हैं जिनकी हालत इतनी अच्छी हो गयी कि वह न कोआपरेटिव

(श्री खेतसिंह राठौड़)

बैंक के पास जाते हैं, न किसी और के पास जाते हैं, अपने स्वयं के साधनों से ही अपनी खेती भी कर लेते हैं, अपने बेटों को भी पढ़ा लेते हैं। ऐसे किसान भी हैं कि जहां राजाओं के बेटे पढ़ते थे वहां किसानों के बेटे पढ़ते हैं, चाहे वह कोई भी हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि परिवर्तन आया और इस परिवर्तन के अन्दर सबसे बड़ा योग सहकारिता का रहा है। इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा कि उसी के कारण यह हुआ है।

आज हमारे इस सहकारिता डिपार्टमेंट की प्रगति के बारे में थोड़ा-सा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज छोटी-मोटी 20 हजार सहकारी संस्थाएं यहां काम कर रही हैं। 8 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कार्य पूंजी हम इसमें लगा रहे हैं, 7 करोड़ रुपये की हिस्सा पूंजी का नियोजन हुआ है, 1400 करोड़ रुपये से ज्यादा सहकारी कर्जे वितरित किये गये हैं, 230 करोड़ रुपये की उपभोक्ता वस्तुओं का व्यवसाय किया गया है, 980 करोड़ रुपये का सहकारी विपणन व्यवस्था में किया गया है। यह सब यह बताता है कि हमने बहुत तरक्की की है, काफी आगे बढ़े हैं, बढ़ने की हमारी इच्छा है। हम चाहते हैं कि दिन प्रतिदिन करके वह दिन आ जाए कि हमारा एक भी किसान किसी का मोहताज न रहे। पिछले कुछ वर्षों के अन्दर थोड़ी-सी किसान के ऊपर चोट पड़ी। आपने स्वयं ने देखा है कि पिछले वर्षों में जो धान के भाव गिरे उससे किसान पर बहुत भारी प्रभाव पड़ा है। डीजल महंगा हो गया है, ट्रैक्टर की खड़ाई महंगी हो गयी, मजदूरी महंगी हो गई, सारे धान-वान खरीदना, बीज महंगा हो गया। सारी महंगाइयों के होते हुए जब किसान ने फसलें बोई तो जहां पर पहले रायड़े के भाव या सरसों के भाव ढाई हजार थे वे गिर कर हजार रुपये पर आ गये, 1100 रुपये पर आ गये। गेहूं का भाव गिर गया, हर जिंस का भाव गिर गया और भाव भी इतना गिरा कि उसने जो लागत लगायी वह लागत भी उसे पूरी नहीं मिली। अब हम यह सुन रहे हैं कि आने वाले महीनों के अन्दर आस्ट्रेलियन और कनेडियन गेहूं आना शुरू हो जाएगा। बाहर से लोग हैं—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्रीजी, आपको जानकारी जिस विषय पर हो उसी पर बोलिये। अमेरिकन कहीं नहीं आएगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अमेरिका का कहा नहीं है, मैंने कनाडा और आस्ट्रेलिया का कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप गेहूं की बात कर रहे हैं या सरसों की?

श्री खेतसिंह राठौड़ : सरसों की बात मैं नहीं कह रहा हूं। आप इस तरह से बोल रहे हैं जैसे शांताकुमार आप ही हैं भारत के कृषि मंत्री। इच्छा तो बहुत होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कामर्स मिनिस्टरी का काम आपके ही हाथ में आ गया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मान्यवर, मैं इस मौके पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमने काफी प्रयास किये हैं पिछले एक वर्ष के अन्दर। हमारे कई साथियों ने और मित्रों ने यह बात कही है और उन्होंने भूरि-भूरि इसकी प्रशंसा की है। जो हमने अभियान चालू किया वह बहुत ही कामयाब रहा। आप माननीय सदस्य में से अगर उन अभियानों में जाते तो निश्चित तौर पर मैं यह कह सकता हूं कि आप स्वयं भी यह फरमाते कि नहीं, आपका अभियान बहुत ही कामयाब रहा है। उस अभियान के दरम्यान मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमने कुलमिलाकर राजस्थान के अन्दर 5242 ग्राम सभाएं कीं, वहां पर लोगों को शामिल किया। हमारी इन मीटिंगों में मैं आपको सही कह रहा हूं कि पांच सौ से लगाकर हजार तक आदमी शामिल हुए। वे इंटरेस्टेड थे, वे चाहते थे। उनमें से जो सहकारिता के मैम्बर नहीं थे, वे मैम्बर बनना चाहते थे। कई और भी अपनी समस्याओं को लेकर आये थे। इसलिए कैम्प हमारे अच्छे हुए। नये सदस्य हमने 2,62,197 बनाये। दो लाख मैम्बर बनाना कोई...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई बुरी बात नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कभी-कभी तो आप थोड़ा सा कहा करो, साहब, अच्छा। किसान कार्ड और उनके वितरण के लिहाज से, मान्यवर, इसमें आप निश्चित मानेंगे, विपक्ष के नेता महोदय, कि हमने 3,20,516 किसान कार्ड बनाये और आज मुझे खुशी है कि राजस्थान के अन्दर साढ़े 14 लाख किसान कार्ड हैं। (व्यवधान) बने हुए नहीं हैं, दिये जा चुके हैं। किसानों को दिये जा चुके हैं। मैं थोड़े दिन पहले लखनऊ गया था, वहां पर मैं मंत्रीजी से मिला, उन्होंने कहा कि हमारे तो टोटल ही साढ़े तीन लाख बनते हैं। और कहां राजस्थान और कहां उत्तर प्रदेश। तो हमने तरक्की की है। कभी-कभी जो अच्छा काम हो उसके लिए हम जब विपक्ष में थे तो मानते थे, आप विपक्ष में होते हुए भी नहीं मानते, यह आप में और हमारे में फर्क है।

मान्यवर, लेखों का मिलान व पास बुकों की पूर्ति के लिए हमने 3,32,983 इस तरह से एडजस्टमैंट किये हैं। इसी प्रकार से, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि विवादों का निस्तारण 245 केसेज का किया और करीब 3,95,000 रुपये का इसमें आपस में एडजस्टमैंट बैठा है। पैक्स, केन्द्रीय सहकारी बैंक के ऋणों के बारे में इसी प्रकार से हमने भूमि विकास बैंकों और धारा 74 के अन्दर जो केसेज आते थे उनको मिलाकर जल्दी से जल्दी इस अभियान के अन्दर सारे काम किये और उसके अन्दर मैं यह कह सकता हूं कि बहुत लोगों को लाभ हुआ। उस अभियान के कारण ही हमको मुख्य मंत्रीजी ने यह भी कहा कि आपको यह अच्छा काम हुआ है, इसलिए आप कोई और भी इस तरह के अभियान चलाएं जिससे किसानों को और फायदा मिल सके। मुझे इस बात की खुशी है कि जब हमने अभियान शुरू किया जालौर के अन्दर तो मुख्य मंत्रीजी ने

(श्री खेतसिंह राठौड़)

हमको समय दिया, वे वहां पधारे उस रोज मैं आपसे कह सकता हूं, 20 हजार आदमियों की गैदरिंग थी, कोआपरेटर्स आये थे। उसके अन्दर औरों को हमने इंवाइट नहीं किया था, केवल कोआपरेटर्स को साथ लेकर हमने अभियान शुरू किया। उस अभियान में टोटल मिलाकर आखिरी मीटिंग हमने झालावाड़ कस्बे के अन्दर की और वहां पर भी इसी प्रकार से हममें कामयाबी मिली। मैं आपसे इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बाद में भी हमारा लगातार प्रयास यह रहा है कि सहकारिता का कार्य आगे से आगे बढ़ना चाहिए। हमने रामनिवासजी मिर्धा जो हमारे भारतीय कांग्रेस के मैम्बर हैं, उनसे निवेदन किया। उन्होंने हमारे यहां एक आयोजन करवाया। उस आयोजन के अंदर भारत के कोआपरेटिव में जो ताल्लुक रखते हैं, जो पहले कोआपरेटिव में रहे हैं, जो नेशनल कोआपरेटिव यूनियन के मैम्बर्स रहे हैं उन सबको हमने इंवाइट किया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सहकारिता मंत्रीजी, मेरी एक बात सुन लेंगे? आप कागज ढूंढ लीजिए मैं इसीलिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपसे यह जानकारी करना चाहता हूं कि आपने जो कैम्प्स लगाये, उस कैम्प्स में क्या आपके पास इस बात की बहुत ज्यादा शिकायतें आई हैं कि अल्पकालीन ऋण के ऊपर ऋण से ज्यादा ब्याज वसूल किया गया है, नम्बर एक? दूसरी शिकायत आपके पास यह आयी है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उन अधिकांश शेयर होल्डर्स को अभी तक डिवीडेंड नहीं मिला है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जवाब में दोनों सवालों का दूंगा, लेकिन मैं यह निवेदन जरूर करूंगा कि इस हाउस की परम्परा यह रही है कि जब मंत्री अपना स्टेटमैंट देता है तब सभी शांति से सुनते हैं, स्टेटमैंट खतम होने के बाद कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। लेकिन माननीय विरोधी दल के नेता ने यह सवाल उठाया है तो मैं इसमें कहता हूं, यह बात सही है कि कई लोगों ने यह शिकायत की कि हमारे पास आपने जो रकम हमको दी उससे ज्यादा ब्याज हमसे ले लिया, पैनल इंटरेस्ट भी ले लिया। तो उनका हमने सैटलमैंट भी किया है। ऐसी बात नहीं है। हमने सैटलमैंट भी काफी किये हैं, काफी लोगों को राहत दी है। हम इस बात को मानते हैं कि अगर वही प्रवृत्ति हम रखेंगे तो हमारा विश्वास डे-बाई-डे कम होता जाएगा और कामर्शियल बैंक हमारी जगह ले लेंगे। लेकिन उस ओर हमारा पक्का इरादा है कि किसान को किसान के पास ही आना चाहिए और किसान के ही बैंक में आना चाहिए। इसलिए हमने कई सुविधाएं उनके लिए मुहैया की हैं और कर रहे हैं ताकि जो किसान का विश्वास है वो पूरा हमारी तरफ रहे और किसान कहीं दूसरे बैंक में न जाकर सीधा हमारे बैंक में आए जिससे कि उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बीच में नहीं कहूंगा, लेकिन डिवीडेंड की बात भी कह जाइए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : डिवीडेंड का अभी मुझे पूरा ध्यान नहीं है, गलत बात मैं कहता नहीं हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे यहां पर मीटिंग हुई थी जिसके अंदर रामनिवासजी मिर्धा साहब पधारे थे, उसमें सवाई सिंहजी सिसोदिया जो अध्यक्ष हैं एनसीयूआई. (भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ) के श्री सुरेन्द्र कुमारजी जाखड़ इफ्को के अध्यक्ष हैं, श्री चंद्रपाल सिंहजी अध्यक्ष हैं कृभको के, श्री अजीत कुमार सिंहजी अध्यक्ष हैं नाफेड के, इस तरह से ये बड़े-बड़े लोग जो कोआपरेटिव में काम करते हैं, जिनके पास में काफी फण्ड्स भी रहते हैं उन लोगों को हमने आमंत्रित किया था और उससे हमें काफी लाभ मिला है। आगे भी हमको जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी लोन लेने की तो उसमें हमको इन लोगों के आने की वजह से सहूलियत रहेगी। तो यह कैम्प भी हमारे लिए काफी अच्छा रहा है कांग्रेस का कैम्प। आई एम सारी, कांग्रेस तो बार-बार आ जाता है मेरे ध्यान में, सहकारिता कांग्रेस। सहकारी कांग्रेस में हम काफी कामयाब रहे और सब लोगों ने जो उसमें भाग लिया था, माहिर आजाद साहब वहां पधारे थे, आपने आजाद साहब के भाषण में सुना ही होगा इन्होंने हमारे उस कैम्प की बहुत तारीफ की। उन्होंने यहां तक कहा कि बहुत कामयाब हुआ है और ऐसे कैम्प लगने चाहिए जिससे और लोगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा इसकी भावना बढ़े।

मान्यवर, सबसे बड़ा काम हमने इन दिनों में यह किया है कि हमने एक नया कानून बनाया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमको यह आदेश दिया। राजेन्द्रजी साहब, आपने पहले कई सवाल पूछे थे, आपने कहा चुनाव हुआ और आप एक के बाद एक तारीखें बदलते गये। कुछ तारीखें तो आपके वक्त की थीं और कुछ तारीखें हमारे वक्त की थी। आपने कहा कि आप इस तरह से बदलते जाते हैं तो चुनाव होंगे या नहीं होंगे। इसीलिए वह ठीक कहा है आजाद साहब ने, इसीलिए तो इस बार मैंने खुद ने यह बात न कहकर मुख्य मंत्रीजी के मुख से कहलवाया कि हम अक्टूबर में चुनाव करेंगे ही। इसका मतलब यह है कि इस सत्र में ही मुझे वह कानून लाना पड़ेगा। मैं बिल पेश कर रहा हूं परसों या तरसों, उसके बाद में वह बिल एक्ट के रूप में आप द्वारा पास होगा। उसके बाद जल्दी से जल्दी, विदिन सिक्सथ मंथ्स में चुनाव कराना चाहता हूं ताकि वह 9-10 साल से पड़ा हुआ पानी, आप जानते हैं यह अपने आप गंदा हो जाता है, उसमें बदबू हो जाती है। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में भी बहता रहना चाहिए। इसलिए मेरी शुरू से ही यह इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी हम चुनाव करा दें जिससे कि चुने हुए रिप्रजेंटेटिव्स आ जाएं। नये लोग आएंगे, नये खयाल हों, नये काम करने के तरीके होंगे उससे यह सहकारिता का डिपार्टमेंट और सहकारिता के लिहाज

(श्री खेतसिंह राठौड़)

से पूरे राजस्थान के लोगों को लाभ मिलेगा।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस बार हमने लेडीज की अलग से सोसायटीज बनायी हैं जो पहले नहीं थीं। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके वक्त में यह बात नहीं आ सकती, आप तो रिएक्शनरीज में थे। एनी वे यह हुआ और हमने करीब 1400-1500 लेडीज की सोसायटीज बनायी हैं। उनसे हम यह उम्मीद कर रहे हैं, उनको हम थोड़ा-थोड़ा लोन पहले देंगे, कुछ वो अपना खुद का करेंगे और धीरे-धीरे हम 50 हजार तक दे देंगे। अच्छा काम होगा और उनकी बिक्री भी हो जाएगी। आजकल आपने देखा हो तो हमारे जैसे चौहटन के अन्दर मुस्लिम लेडीज हैं, वे बहुत काम करती हैं। वो छोटे-छोटे कांच लगाकर इस तरह की राली बनाती हैं, हम तो वहां उसको राली कहते हैं, वह राली बनाती हैं जिसको विदेशी बहुत पसंद करते हैं और उसको खूब खरीद करते हैं। इसी प्रकार से कई छोटे-मोटे काम आजकल ऐसे अपने हाथ से आप बनाकर दो तो उसको विदेशी लेने को भी तैयार होते हैं, बिकता है। उससे एक मार्केट मिलता है और उससे आपको विदेशी धन भी प्राप्त होता है। इस ओर हमारा ज्यादा प्रयास है कि हैण्डलूम की तरफ ज्यादा ध्यान दें और हैण्ड से काम करने से ज्यादा ध्यान दें, ऐसी सोसायटीज बनें कि वह ज्यादा से ज्यादा काम करें और लोगों को लाभ मिले।

मैं, श्रीमान्, कुछ बातें और भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारे डिपार्टमेंट ने उसके बाद में दो-तीन योजनाएं और बनायी हैं, उन योजनाओं के तहत हम कार्य करना चाहते हैं। उससे पहले मैं दूसरी बात आपको कह देता हूं, बाद में वह बता दूंगा। आपने यह बात कही कि आपके पास में काटन काम्प्लैक्स और 5-6 यूनिट्स हैं, ये सारे के सारे घाटे में हैं। और आप इसको चला नहीं पा रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे गंगानगर का काटन काम्प्लैक्स काफी घाटे में है और काफी समय से बंद पड़ा है। उसके अंदर ऐसे-ऐसे बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वहां पर कोई एक बड़ी यूनिट ली है ठण्डी हवा देने के लिए। 60 लाख या 70 लाख का, ऐसा मेरा खयाल है। इसी तरह से अनाप-शनाप रुपया खर्च करके उसको धीरे-धीरे बर्बाद करते गये और हमारा हाल यह है कि उनकी सैलेरी चढ़ी हुई है, वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है, सारा मिलाकर 19 करोड़ 60 लाख का घाटा है। अब 19 करोड़ 60 लाख कोई देने वाला मुझे लगता नहीं है। काफी हमने प्रयास किये कि कोई इस यूनिट को चलाने के लिए तैयार हो जाए, कोई बैंक हमको लोन दे दे ताकि हम इसको चालू कर दें। लेकिन सबने देखकर यह कहा कि नहीं, इतना धन हम नहीं दे सकते। राधेश्यामजी, एम.एल.ए. आज आए नहीं, उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि मेरे पास ऐसी पार्टी है, मैं लाऊंगा, अगर आप उनको लीज पर दे दें। तो हमने यह भी कहा है कि हम

(श्री खेतसिंह राठौड़)

लीज पर दे देंगे। यह यूनिट कोई हमारी नहीं है, राजस्थान की है और आपका भी दायित्व उतना ही है। यदि इस यूनिट को कोई भी लीज पर ले या खरीद ले। अगर कुछ भी नहीं होगा तो फिर नीलाम होगी। इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। यह मैं आपसे खासतौर से निवेदन करना चाहता हूं। बात को कहूं कि नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं और वह प्रयास सफल होता दिखता नहीं। इसलिए मैं आपको साफ ही कह रहा हूं यह मामला इस तरह का है।

जहां तक केशोरायपाटन मिल के बारे में सवाल है, दो माननीय सदस्यों ने बहुत जोर से बात कही। उन्होंने कहा कि यह तो बूंदी की शान है, हिण्डौली की आन है। उस आन और शान को हम मेंटेन करना चाहते हैं, यह बात नहीं कि हम नहीं चाहते हैं, हम भी यह चाहते हैं यह शान रहे। लेकिन इसकी हम वाइबिलिटी देख रहे हैं कि आया यह चलायी जा सकती है और इसमें कितने धन की आवश्यकता होगी। हमने सब पता लगाया है। इसमें भी काफी घाटा है लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है क्योंकि इसके पास जमीन बहुत काफी है, मशीनरी भी इतनी पुरानी नहीं है। इसलिए हम सोचते हैं कि शायद चल पाएगी। मजदूरों की मजदूरी वगैरह भी हमने चुका दी है। इसमें हमारे फेमिन मिनिस्टर साहब ने बहुत मदद की; जो ईख खड़ी थी उसको बिकवा दिया जिससे हम किसानों को पैसा दे सके। बाकी हमारे खुद के राजफैड में कुछ पैसा था, उससे देकर हमने मजदूरों की मजदूरी चुका दी। अब हम इस पोजीशन में हैं कि अब हमें कुछ लोन मिल जाए तो हम इस मिल को वापस चला दें।

मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये जितने भी चाहे तिलम् संघ हो, चाहे स्पिन फैड हो, चाहे केशोरायपाटन मिल हो और चाहे गंगानगर का काटन काम्प्लैक्स हो, कोआपरेटिव सैक्टर में राजस्थान तो कामयाब नहीं हुआ, और जगह तो कामयाब हुआ बताते हैं। मैंने तो देखा नहीं लेकिन कहते हैं कि महाराष्ट्र में काफी कामयाबी इसको मिली है। हमारे यहां इसमें इतनी कामयाबी नहीं मिली, जितनी कि मिलनी चाहिए कि ये सारे प्रोफिट में होते और अच्छी तरह से चलते। न मालूम कोई ऐसे मौके पर चालू किये गये कि इनकी यह दशा ही ऐसी थी या चालू करने वाले महाशय थे, बड़े आदमी थे। यूं तो चीफ सैक्रेटरी से रिटायर हुए लेकिन उन्होंने सूझबूझ नहीं दिखाई और उसी के कारण आज हम भुगत रहे हैं। मजदूर रोजाना, चौथे दिन मेरे पास आ जाते हैं, उसको आश्वासन में लिखकर भेजता हूं। मुख्य मंत्रीजी के पास भेजूं तो इनका और मूड बिगड़ जाए, इसलिए मैं ही अभी तक तो काम चला रहा हूं। लेकिन मामला यह बड़ा संगीन है और बड़ी मुश्किलों से हम गुजर रहे हैं। यह मैं आपसे इन सारी यूनिट्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

इसके बाद में जैसा आपने पूछा था बीच में एक बार, माननीय उपाध्यक्ष

(श्री खेतसिंह राठौड़)

महोदय, कोआपरेटिव मिनिस्टर्स की एक कांफ्रैंस हुई थी दिल्ली में, वहां पर मैं भी एज कोआपरेटिव मिनिस्टर गया था। हमने वहां पर एक सवाल रखा था कि हमारे ऊपर कर्जा बहुत है इसलिए आपकी इसमें भागीदारी होनी चाहिए। काफी बहस हुई। उस समय नीतिश कुमारजी मंत्री थे, उन्होंने प्रस्ताव को माना। उन्होंने यह कहा कि हम इसके अन्दर आपको करीब इतने करोड़ रुपये देंगे। इसमें भी हमको सक्सेज मिली है। फिगर्स बता देता हूं, ठीक रहेगा। नहीं तो कहेंगे कि...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हो गया, मान लिया। मान लिया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, मान लिया न। (व्यवधान) इसके बाद मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, 6000 करोड़ रुपये का वहां पर तय हुआ था, सारे कंट्री के बैंक्स को देने की बात कही थी, उसमें हमारा भी हिस्सा हमको मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब यही था कि अपनी स्टेट का मिनिस्टर वहां पाया गया तो बिलकुल सुन्न होकर नहीं आया, कुछ उसने कामयाबी हासिल की।

अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के मामले में बहुत ज्यादा बातें कही हैं। ज्यादा तो नहीं, इस बार ज्यादा नहीं कही हैं लेकिन कही जरूर है। सबसे ज्यादा हमारे चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपको कुछ मालूम नहीं है, आप अंधेरे में पड़े हैं, कितना गजब हो गया, 4-4 आफिसर्स यहां से गये और विदेशों में घूमकर आये, किस-किसकी परमिशन से गये और कितना उन्होंने खर्चा किया और क्या अपने को लाभ हुआ। यह करके उन्होंने सवाल उठाये...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गलत बात है। माननीय सहकारिता राज्य मंत्रीजी को वहां पर बैठकर सहयोग करना चाहिए, हंस रहे हो और आप। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक तो दुर्गासिंह उन दिनों में अध्यक्ष थे, स्टेट लैण्ड मोरगेज बैंक के अध्यक्ष थे। एक ओ. पी. सैनी उन दिनों में रजिस्ट्रार थे और एक श्री जाखड़ उन दिनों में एम.डी. थे। ये तीनों गये थे। इनके बारे में आप जानना चाहते थे कि ये तीनों गये तो किन-किन देशों में गये और इन्होंने क्या किया। ये गये थे यहां से जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैण्ड, मलेशिया, बैंकाक और सिओल। इतने देशों में ये गये, वापस यात्रा करके ये आये और उन्होंने एक रिपोर्ट दी। वहां पर जो कोआपरेटिव सिस्टम है उसको एग्जामिन करने गये थे, देखने के लिए गये थे। लेकिन उस सिस्टम में और अपने सिस्टम में बहुत बड़ा फर्क है। वह यहां लागू होने में भी गुंजाइश कम है। लिहाजा उनकी रिपोर्ट तो आ गई लेकिन इसमें ज्यादा कार्यवाही नहीं हो सकी। ये गये थे कोई इनका राष्ट्रीय फैडरेशन है, भूमि विकास बैंक का राष्ट्रीय फैडरेशन है, उसमें हम भी

(श्री खेतसिंह राठौड़)

चंदा देते हैं, हर स्टेट चंदा देती है और उस चंदे की मार्फत ये तय करते हैं कि अब कितने आदमी जाएंगे। तो ये गये थे तथा इनके साथ में 17 आदमी और स्टेट्स से भी गये थे। टोटल 17 थे, तीन हमारे थे, बाकी दूसरों के थे— आन्ध्रा के थे, महाराष्ट्र के थे। सबके हैं मेरे पास... (व्यवधान) तो ये इस तरह से गये थे, स्टडी ट्यूर ही समझ लीजिये। उनको भेजने वाली वह बाडी थी जिसने खर्चा दिंया, कुछ खर्चा इनका लगा नहीं था। इसलिए आप यह नहीं सोचे कि राजस्थान के खर्चे से गये। राजस्थान के खर्चे से जाकर उन्होंने पैसों की बरबादी की है, वह क्वेश्चन नहीं आया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फैडरेशन में राजस्थान की ओर से भी पैसा जमा कराया जाता है, उसी खर्चे से गये थे। मैं एक जानकारी और दे दूं आपको, शायद बताया नहीं होगा। पिछले साल वर्षों से इस फैडरेशन मैं पैसा जमा नहीं कराया गया था। इस जाने की तैयारी के संबंध में ही आपकी ओर से पैसा जमा कराया गया था।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पैसा जमा तो कराना ही था और वह पैसा जमा कराया। यह बात सही है कि पैसा जमा कराया तभी उनको शायद लिया इसमें कि आप लोग भी इस टीम में आ जाओ, आपको भेज देते हैं। लेकिन वह चंदा तो हरेक स्टेट जमा कराती है। हमने इतने रोज जमा नहीं कराया तो वह बढ़ता गया। आखिर में जाकर हमने जमा करा दिया, उसका इन्होंने थोड़ा बहुत वह एडवांटेज ले लिया कि ये चले गये, यूं आपका मतलब है? (व्यवधान) ऐसा हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा, आपकी अनुमति थी या नहीं, जाने की?

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, मेरे से पहले की बातें हैं। मैं उन दिनों में मिनिस्टर नहीं था। यह मेरे से बहुत पहले की बातें हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसी मंत्री की अनुमति ली है क्या? ये तो मंत्री बैठे हैं गुलाब सिंहजी थे, आपसे अनुमति ली है क्या या बिना अनुमति के गये हैं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : ये फिगर्स मेरे पास नहीं हैं, कौन मंत्री थे। मैंने कहा था कि मेरे से पूर्व ही यह काम हुआ। जब मुख्य मंत्रीजी ने मुझे यह विभाग सौंपा, इसमें काफी पहले ही ये ट्यूर करके वापस आ चुके थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही तो कह रहा हूं आपसे पहले गुलाब सिंहजी थे, इनसे अनुमति ली थी क्या?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब गुलाब सिंहजी वाला कागज मेरे पास नहीं है। गुलाब सिंहजी से ली अथवा नहीं, वह पहले थे अपने अलवर वाले सुजान सिंहजी यादव, हुआ तो उन्हीं दिनों में था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं, उनके जमाने का नहीं है। नहीं, उन दिनों में नहीं था।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उन दिनों में नहीं हुआ था? हां, यह नेशनल फैडरेशन का यहां पर भी जो अधिवेशन हुआ था इसमें हमारा एक पैसा नहीं लगा था। वह सब भारत सरकार ने पैसा दिया था, जिसके आधार पर सारे कोआपरेटर्स को दो दिन के लिए बुलाया, उन्हें सारी बातें बताई। सहकारिता का ज्यादा से ज्यादा लोगों के अन्दर प्रचार हो, प्रसार हो...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक व्यवस्था है कि कोई विदेश जाए तो सरकार की अनुमति चाहिए। मैंने आपसे सीधा प्रश्न पूछा है, आपके नाम से नहीं, उन्होंने जाने से पहले सरकार से अनुमति ली है क्या?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जी हां, उन्होंने सरकार से अनुमति ली है। उन दिनों में गुलाब सिंहजी शक्तावत मंत्री थे और इन्हीं की परमिशन से वे गये। मान्यवर, भ्रष्टाचार के बारे में माननीय राजेन्द्र सिंहजी ने पांच-चार बातें कहीं।

(21.00 बजे)

श्री रामस्वरूप : इन्हीं की बात का जवाब दे दो।

मोहम्मद माहिर आजाद : सब ने ही कही है थोड़ी-थोड़ी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, ज्यादा भ्रष्टाचार पर यही बोले थे। बाकी आप लोगों ने भी जनरल यों कहा था...

श्री रामनारायण चौधरी : कहां है भ्रष्टाचार?

श्री खेतसिंह राठौड़ : कहां है भ्रष्टाचार, मैं नहीं कहता। अब एक-एक माननीय एम.एल.ए. साहब जो बोले हैं उनका जरूरी तो नहीं है, लेकिन पहले तो संयम लोढ़ाजी ने यह कहा था कि आपके जितने भी अरबन बैंक्स हैं इनके अन्दर बड़ी गड़बड़ी होती है। अवसायन होने के बाद में वे परवाह आपकी करते नहीं, मरजी आये जो लोन देते हैं। सिरोही बैंक ने भी दारू वाले ठेकेदार को अनाप-शनाप पैसा दे दिया। तो ऐसे कई जगह रूलियारे हुए हैं। हमने यह सोचा जरूर है और हम इसके लिए एक नोट भी बना रहे हैं, केबिनेट में भी लाने की इच्छा हमारी है कि ये जितने भी बैंक्स हैं इनके ऊपर कुछ न कुछ तो सुपरविजन होना ही चाहिए। बिलकुल आप इनको आजाद छोड़ देंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी और जो पैसा जमा कराएंगे उनका पैसा आने में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आखिर में बदनामी हमारी ही होती है क्योंकि उसमें अरबन कोआपरेटिव बैंक है। बाद में यह कहते हैं हम तो अवसायन हो गये, अब आपका और हमारा क्या लेना-देना? आपसे तो हम एक कौड़ी लेते नहीं, तो आप हमारे ऊपर अफसर कैसे लगाएंगे? (व्यवधान) हां, उन्मुक्तता आ जाती है। इसलिए हमने यह सोचा है कि इसके बारे में कुछ निर्णय लिया जाए। हम जल्दी ही सोच-विचार करके मुख्य मंत्रीजी से डिस्कस करके कुछ कार्यवाही करेंगे। मेरा खयाल

(श्री खेतसिंह राठौड़)

है कि आप सभी इसमें सहमत होंगे कि यह कुछ तो होना चाहिएं। बिलकुल आजाद करने से तो और ज्यादा हल्ले होंगे और ज्यादा ऐसे गबन होंगे।

हीरासिंहजी साहब ने यह फरमाया था कि आप चुनाव भी करा देंगे, आप तो बार-बार यह कहते रहते हैं कि चुनाव हो जाएंगे, वह हो जाएंगे, लेकिन कुछ भी आपने चुनाव वगैरह अभी तक कराये नहीं। उसके बारे में जैसा कि पहले ही कह चुका हूं, अब चुनाव निश्चित होंगे और अक्टूबर के अंदर हम आपके चुनाव करवा देंगे। आपने यह फरमाया था कि पिछले चुनाव के अंदर बड़ी गड़बड़ियां हुई और लोगों ने मनमाने तरीके से चुनाव करा दिये। इस बार नये कानून के अंदर बहुत हमने इसके प्रावधान अच्छे रखे हैं, उसके अंदर गड़बड़ी होने की कोई सम्भावना नहीं होगी। चुनाव में अच्छे लोगों को आप लाइये जिससे सहकारिता को बल मिले और गांव के लोगों को भी खाद-बीज ढंग से सस्ते दामों पर मिल सके।

हरचन्द सिंहजी ने गंगानगर काटन काम्पलैक्स के लिए फरमाया जो मैंने आपसे कह ही दिया कि हमारे पास हालात नाजुक हैं, आप कुछ मदद दीजिये। कुछ हो सके तो अपन करने को तैयार हैं। दूसरा आपने कहा था कि सरदारशहर के अंदर एक सहकारी समिति बनी और उसमें आपने खट से लेकर प्रशासक लगा दिया। वह सहकारी समिति पहले तो डूबी हुई थी और उसके बाद में डिपार्टमेंट ने ही कोशिश करके उसको वापस रिवाइव किया। अब उसके बाद में पहली दफा ही सीधे हम चुने हुए आदमी को, चुनाव तो उसमें हुआ था नहीं, नोमिनेटेड बाडी है, नोमिनेटेड बाडी में तो प्रशासक ही रहेगा, और इसलिए हमने प्रशासक को रखा है चुनाव अब जल्दी हो जाएंगे, उसमें आप जिसको उचित समझें उसको लाने का प्रयत्न कीजिये।

रामस्वरूपजी साहब ने यह कहा था कि दस हजार रुपये का कर्जा माफ हुआ था। वह माफ हुआ था देवीलालजी के वक्त में और उसका बहुत उल्टा असर पड़ा है। ठीक है आप उस वक्त राजी जरूर हो गये होंगे, लेकिन मैं आपको ईमान से कहता हूं कि लोगों की आदत पड़ गई थी। मैं भी कोआपरेटिव बैंक में कई बार रहा हुआ हूं डाइरेक्टर, तो मुझे मालूम है कि बीच में लोगों के यह हो गया कि नहीं, अपने तो दो मत, नहीं देंगे तो अपने आप माफ होगा। सरकार माफ कर देगी बाद में, वह आदत पड़ गई। कई वर्षों तक उनका सोच-विचार यह रहा। दूसरी बात है कि सरकारी कर्जा माफ होकर, दस हजार रुपये माफ होने से कौन-सा गजब हो जाता है। लोग तो लोन लेते हैं लाखों में, कोई पांच-चार हजार का तो लोन मिलता नहीं है। इसलिएं मैं तो उसको ठीक नहीं समझता कि दस हजार रुपये का कर्जा इस तरह से फिर माफ कराया जाय।

दूसरा आपने कहा महा अभियान के बारे में, आपने स्वयं ने यह बात मानी कि

(श्री खेतसिंह राठौड़)

बहुत अच्छा हुआ और बड़ा कामयाब आपका रहा।

श्री रामस्वरूप : इनको दोबारा भी चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, बहुत अच्छा है यह।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप चाहेंगे तो अवश्य कराएंगे। आप सभी चाहेंगे तो निश्चित कराएंगे।

श्री रामस्वरूप : सब चाहते हैं, सर।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माहिर आजाद साहब ने यह कहा था कि चुनाव अक्टूबर में करा देंगे कि नहीं। हमने कहा कि निश्चित करा देंगे। दूसरा आपने कहा किसान की माली हालत सुधारने के बारे में। मैंने खुद ने आपको सारा इतिहास पहले सुना दिया है कि माली हालत तो तब सुधरेगी जब भारत सरकार यह सोचे और जो इम्पोर्ट हो कोई भी चीज उस पर ज्यादा टैक्स लगावे। अब वह इम्पोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे तो मालूम नहीं लेकिन मैंने सुना यह है कि बाहर से गेहूं आ रहा है। विपक्ष के नेता महोदय कह रहे हैं कि कोई चीज नहीं आ रही है। पहले बीच में आप देखो पाम आयल कितना आया और उससे कितने भाव गिर गये। ऐसा आयल आता है पास की कन्ट्रीज से...(व्यवधान) मलेशिया से आया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आने-जाने का मामला, यह डब्ल्यू.टी.ओ. के कारण से हुआ जिस पर हस्ताक्षर नरसिंह रावजी के जमाने में हुए थे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां-हां, उनके वक्त में हुए, प्रेशर पड़ा होगा और हो गये। अभी आप होते तो आप पर भी यही होता। वर्ल्ड का अगर प्रेशर पड़ता है तो वह नरसिंहरावजी हों या अटल बिहारीजी हों...

श्री रामनारायण चौधरी : आज की सरकार ने भी इसका भारी समर्थन किया है। डब्ल्यू.टी.ओ. का आज की सरकार ने भारी समर्थन किया है, यशवन्त सिन्हा साहब ने किया है। डब्ल्यू.टी.ओ. का भारी समर्थन किया है वर्तमान भारत सरकार ने, वाजपेयीजी ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, यह सही है।

श्री रामनारायण चौधरी : और जिसका आर.एस.एस. ने विरोध किया है। इस समय सबसे बड़ी रिफ्ट चल रही है भारत सरकार वर्सेज आर.एस.एस. में, आर.एस.एस. कहता है कि यह डब्ल्यू.टी.ओ. को तोड़ो और भारत सरकार समर्थन कर रही है। हमारे जमाने में, नरसिंहरावजी के जमाने में जो हुआ था उसमें तो बहुत राइडर्स लगे हुए थे, वे राइडर्स सब आपने हटा दिये अब। राइडर थे, उस समझौते के साथ राइडर्स थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं आप उसको देख लीजिये, इम्पोर्ट के संबंध में इस वर्ष के बाद में किसी प्रकार के रेस्ट्रिक्शन नहीं हो सकते। यह उस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

समझौते में है। डब्ल्यू.टी.ओ. का जो समझौता हुआ है उसमें रेस्ट्रिक्शन एक ही हालत में लगा सकते हैं कि जिस समय हमारे पास फोरेन एक्सचेंज का बैलेंस डाउन हो, जो सीमा निर्धारित है उसके नीचे हो। अब फोरेन एक्सचेंज की पोजीशन ठीक है, रेस्ट्रिक्शन लगा नहीं सकते। अब की बार जितने रेस्ट्रिक्शन लगाये हैं उसके पहले रेस्ट्रिक्शन नहीं थे। लेकिन एक बात मैं रामनारायणजी को बताना चाहता हूं...

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, आप बात थोड़ी करेक्ट कर लें...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी बात तो सुनो।

श्री रामनारायण चौधरी : रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं वह है समझौते में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी बात तो सुनो आप। अब जो बांडेड रेट है उसके आगे हम कोई भी मात्रा के अन्दर, क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। यह सारी व्यवस्था पाम आयल के लिए कर रहे हैं। सोयाबीन पर 45 प्रतिशत के हिसाब से ही क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। और चीजों पर तो छूट है, उस छूट के कारण से आगे बढ़ गये, लेकिन सोयाबीन अमेरिका में बहुत ज्यादा पैदा होता है। आप अमेरिका की बात कह रहे थे इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए उसमें 45 प्रतिशत का यह है। बाकी के सौ और दो सौ तक पहुंच सकते हैं लेकिन सोयाबीन के मामले में हम नहीं पहुंच सकते। यह उस समय की वीकनेस रही हुई है। अब आप विचार कर लीजिये कि कोई भी आदमी आज यह नहीं चाहेगा कि डब्ल्यू.टी.ओ. से विदड्रा कर लिया जाए, क्योंकि विड्रा करने से कितने इम्प्लीकेशंस होते हैं। इसका अंदाज लगाने के बाद में हमारी क्या स्थिति होगी, अगर उस स्थिति की जानकारी करें तो बहुत ही भयावह होगी।

डा. श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो यह बात रखी है कि कोई भी यह नहीं चाहेगा कि डब्ल्यू.टी.ओ. से विदड्रा करें, कांग्रेस ने इसको प्रारम्भिक रूप से सिग्नेचर किया जिसको मौजूदा सरकार ने तस्दीक किया। उसके बाद कितना समय बीता, कितने वर्ष बीते, हमें यह एंटीसिपेट करना चाहिए था कि आने वाले समय में बाहर के देशों का हमारे बाजार पर हमला होगा। हम किस प्रकार से उस हमले को मीट-आउट करें, कैसे हम अपनी इकोनोमी को सेल्फ-सस्टेंड रख सके, उसके लिए जितने इन्फ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करनी चाहिए थी, जितने टैक्निकल नो-हाउ का इंतजाम करना चाहिए था, जितना हमारे पास सब्सिडीज का या लेटेस्ट टेक्नोलोजी का इंतजाम करना चाहिए था उसके बारे में कभी गवर्नमेंट ने सोचा नहीं और खुला करते गये। पहले सात सौ वस्तुओं को खुला किया, अब सात सौ वस्तुओं को और खुला कर दिया और कोई भी इंतजाम इस तरह का नहीं है। चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे अनाज हो, चाहे कपड़ा हो,

(डा. श्रीमती कमला)

चाहे तेल हो, किसी भी चीज का हमारे कन्ट्री का जो उत्पादक है वह किस प्रकार से मीट आउट करेगा, यह हमारी सरकारों ने कुछ नहीं किया। दूसरी कंट्रीज की सरकारों ने कम से कम 80-90 कंट्रीज ने 4-5 वर्ष पहले ही अपनी इस तरह की टैक्निकल टीम्स भेजीं मार्केट रीडिंग के लिए कि कौन-से देश में कौन-सा सामान किस तरह से हम अपना बेच सकते हैं और वहां के मार्केट पर कब्जा कर सकते हैं। इसलिए जो मौजूदा सरकार है उसने सबसे बड़ी गलती यह की है कि उन्होंने किसी प्रकार से एंटीसिपेट करके उसका कोई इंतजाम नहीं किया जबकि बाहर के देशों में आज भी सब्सीडिज उस बड़े पैमाने पर दी जा रही हैं कि वे सस्ते दामों में हमारे बाजार में आ रहे हैं। हम सब्सिडी को बिलकुल जीरो करने पर लगे हुए है, टेक्नोलोजी हमने दी नहीं है, कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर हमने क्रियेट किया नहीं है और जहां बाहर के देशों में हम अपने उत्पादन को भेज सकते थे, निर्यात कर सकते थे उसका कोई ग्रेड वर्क नहीं किया गया जिसके कारण आज यह सारी इकोनोमी कालेप्स होने वाली हो रही है। 2003 में इनको ओपन करना चाहिए था, आज 2001 में ही उन्होंने ओपन करने का किसलिये फैसला किया? मैक्सिमम इसके ऊपर जो चार्ज लगा सकते हैं वह भी इन्होंने नहीं लगाया। तो बहुत सारी ऐसी गलतियां हमारे से हो रही हैं जिससे देश की इकोनोमी और खास तौर से रूरल इकोनोमी, एग्रीकल्चर की है वह सब का सब कालेप्स होने की स्थिति में आ रहा है। हमारे देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। आज भी अगर बड़े पैमाने पर त्वरित गति से गवर्नमेंट करे तो बहुत कुछ बचाया जा सकता है, ऐसी स्थिति बन सकती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विषय आ गया इसलिए मैं कह रहा हूं कि 1990 में लिबरलाइजेशन की पालिसी बनी थी। 1990 से लेकर 1994 तक क्या-क्या चीजों का इम्पोर्ट हो सकता है, किस प्रकार का व्यापार होगा, उस समय सारी चर्चाएं हुई। 1994 में इसके ऊपर हस्ताक्षर किये गये। 1998 तक आपका राज था उस समय लोगों को यह भी जानकारी नहीं थी सिवाय कुछ लोगों के, जिनके पास डब्ल्यू.टी.ओ. में जो सारा रजिस्ट्रेशन हुआ एग्रीमेंट का उसकी कापी हो। आप बता दीजिये कि 4 वर्ष में कभी भी आपकी सरकार ने इसकी पब्लिसिटी की क्या कि हमने यह समझौता किया है, उस समझौते के कारण से स्माल स्केल इंडस्ट्रीज पर ये फर्क पड़ेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर ये फर्क पड़ेगा, ट्रेड की एक्टीविटीज पर ये प्रभाव पड़ेगा। बिलकुल नहीं किया। पहली बार जब वाजपेयीजी की सरकार आयी उस समय इसके सारे रिपरकशंस क्या हो सकते हैं उसके पर्चे बनाये, स्टेटमेंट दिये, लोगों को इसके लिए जागरूक किया और जागरूक करने के बाद

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हमने कुछ मामलों को लेकर डब्ल्यू.टी.ओ. की कोर्ट में मामला पेश किया। उस समय उस कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दिया। अब उस फैसले के कारण से और जो कुछ हमने एग्रीमेंट कर लिया उसका तो पालन करना पड़ेगा। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। यदि आपकी यह राय हो कि उस एग्रीमेंट को नहीं माना जाए, डब्ल्यू.टी.ओ. से हम विदड्रा करें तो वह स्थिति होने वाली नहीं है।

डा. श्रीमती कमला : यह सेंटेंस दुहरा कर आप क्या कहना चाहते हैं? ये एक्सक्यूजेज भी काम नहीं देंगी। हम जानते हैं कि आप फाल्ट पर रहे, उस फाल्ट को कैसे मेकअप किया जाए इसको सोचने की जरूरत है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह कोर्ट हमारी बनायी हुई नहीं है। आपके जमाने की कोर्ट है।

डा. श्रीमती कमला : बनायी हुई है। हम कब कह रहे हैं। हमने नहीं साइन किये? हम कहते हैं कि हमने किये, लेकिन यह सोच कर किये कि वर्ल्ड के अन्दर अगर सारी कंट्रीज डब्ल्यू.टी.ओ. में मैम्बर बन रही हैं तो हिन्दुस्तान भी अलग नहीं रह सकता। लेकिन साइन करने का तात्पर्य यह थोड़े ही है कि इनकमिंग जो गवर्नमेंट्स हैं वह कोई भी प्रायर प्रिप्रेशंस नहीं करें, कोई भी फ्यूचर का फोरसी नहीं करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं रह सकता। हां, वह सब समझ गया मैं। एग्रीमेंट को देखेंगे आप, उस एग्रीमेंट से बाहर आज हिन्दुस्तान में कोई चीज का इम्पोर्ट नहीं किया जा रहा है। एग्रीमेंट से हम पाबंद है उस पाबंदी से हम...(व्यवधान)

डा. श्रीमती कमला : अभी जो लिस्ट जारी हुई है वह आपने भी देखी है, सब लोग देख रहे हैं, उसमें गेहूं भी है, चावल भी है, मकई भी है, तेल भी है, कपड़ा भी है। घर-गृहस्थी की छोटी-मोटी सारी चीजें इन सब चीजों में हैं और हमने उसके मार्केट के हमले को मीट आउट करने के लिए कोई इंतजाम और तैयारी नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सहकारिता मंत्रीजी, मैं समझता हूं कि आपने सबका जवाब दे दिया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक-दो बातें और कहनी थीं।

श्री उपाध्यक्ष : सब माननीय सदस्य सम्पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं आपके जवाब से।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ठीक है। मेरा प्रस्ताव है कि इस डिमाण्ड को पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, जवाब तो आने दो।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न जवाब। आपसे तो पहले ही हो गयी बात, अब क्या होगी। आर्डर, आर्डर।

श्री ललित भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट का समय लूंगा। एक बात बहुत इम्पोर्टेंट थी जो मैंने उठायी थी नियमों में रजिस्ट्रेशन के मामले की कि जो सरकारी कर्मचारी हैं आई.ए.एस., आर.ए.एस., आई.पी.एस. और आर.पी.एस. के नियमों के अन्तर्गत बगैर डी.ओ.पी. से छूट लिये हुए किसी भी संस्था में पद ग्रहण करते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसके ऊपर मंत्री महोदय जरूर बात करें। जवाब दें कि इस तरीके से कोई जो बने हुए हैं तो वह उसके ऊपर क्या कार्यवाही करेंगे। यह बहुत इम्पोर्टेंट बात है, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : याद रह जाएगा क्या? पहले उनका उत्तर देना चाहते हैं क्या?

श्री खेतसिंह राठौड़ : इनका उत्तर तो इतना सा ही है, ये चाहते हैं कि जो अजमेर के अन्दर एक सोसायटी बनी हुई है, वे क्लब के मैम्बर हैं। क्लब के मैम्बर्स में आपका यह कहना है कि क्या कलक्टर और कमिश्नर और ये जितने भी आफिसर्स हैं ये भी उस क्लब के मैम्बर हो सकते हैं? कुछ उसमें दूसरे भी हैं और कुछ ये भी हैं। हमने मालूम किया तो हमारा काम तो एक रजिस्ट्रेशन करने का है। ये क्लब के मैम्बर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसके बारे में तो डी.ओ.पी. आपका जवाब दे सकती है। हम डी.ओ.पी. को लिख देंगे कि ये मैम्बर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इस पर कार्यवाही की जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब थोड़ा ध्यान से सुन लें। पहला प्रश्न आपसे मैंने किया था कि एक्ट की मंशा के विपरीत मूल धन से ज्यादा ब्याज की वसूली की गयी। आपने कहा कि इस प्रकार की शिकायतें आयी हैं। लेकिन यह आम शिकायत है, इस शिकायत को आप किस प्रकार से डिस्पोज आफ करेंगे? क्या जो मूल धन से ज्यादा ब्याज वसूल किया गया उसका भुगतान वापस काश्तकार को किया जाएगा? चारों एक साथ ही बता देता हूं। दूसरा आपसे मैंने पूछा था कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिवीडेंड नहीं मिलता। डिवीडेंड नहीं मिलता, यह बात तो है ही लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके शेयर का इंटरेस्ट भी आप उनको नहीं देते। डिवीडेंड भी नहीं मिलता और जो शेयर मनी है उसका इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि काश्तकारों को जो आप ऋण देते हैं उसका ब्याज 18% है जबकि कामर्शियल बैंक्स से यही रुपया 13% के ऊपर मिल सकता है। अब 18% से यह जो ढांचा बना हुआ है उस ढांचे को यदि आप तोड़ दें तो 13% पर स्वतः आ सकते हैं। पहले आप नाबार्ड से रुपया लेते हैं, नाबार्ड से बाद में अपैक्स बैंक में रुपया आता है, अपैक्स बैंक से सी.सी.बी. में आता है और सी.सी.बी. से सोसायटीज में आता है। हर एक इस रुपये के ऊपर अपनी एस्टेब्लिशमेंट कास्ट निकालते हैं। इस सारे सिस्टम में कोई आमूलचूल परिवर्तन किया जाकर यह व्यवस्था की जाए कि इंटरेस्ट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रेट किसानों को कम देनी पड़े और 13% से ही किसानों को हम ऋणों का भुगतान कर सकें। इस प्रकार की बात होनी चाहिए।

चौथी बात मैं कहना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी बैठे है, कि इन चीजों की आडिट होती रहती है। एक रिवाज है, एक साल में एक बार आडिट होती है। लेकिन आडिट के संबंध में यह कहना चाहूंगा कि आप किसी तरह से इस आडिट के संबंध में कोई एक इंडिपेंडेंट बाडी बनाएं जो आडिट रिपोर्ट्स आती है उनके ऊपर एक्शन ले, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करे और गवर्नमेंट को रिपोर्ट के साथ ही विधान सभा को रिपोर्ट करे। उपाध्यक्ष महोदय, आवश्यक यह ऐसे है कि बाकी जो आंडिट रिपोर्ट्स आती हैं वे तो पी.ए.सी., पी.यू.सी. में चली जाती हैं लेकिन इस प्रकार की आडिट रिपोर्ट्स न पी.ए.सी. और न पी.यू.सी. में जाती हैं और उन पर किसी प्रकार का पार्लियामेंट्री कंट्रोल नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे चाहूंगा कि यदि आप इस प्रकार की व्यवस्था कर दें तो उस व्यवस्था की जो रिपोर्ट होगी वह पार्लियामेंट के या विधान सभा के कंट्रोल में आ सकेगी और जो शिकायतें आ रही हैं वे शिकायतें इस प्रकार ठीक होंगी।

अब आपकी जितनी भी स्कीम्स हैं— स्कीम्स तो आपके पास 23 के करीब हैं, जिनके नाम कोई भी अकेला चाहे डायरेक्टर हो, चाहे आपका रजिस्ट्रार हो, चाहे सैक्रेटरी हो, चाहे वह मंत्री हो, कोई भी 23 स्कीम्स बता नहीं सकता एक साथ। कागज देख कर ही बता सकता है। इतनी स्कीम्स की इस मल्टीप्लीसिटी के कारण से भी के कई जो काम हम करना चाहते हैं वे नहीं कर पाते और इससे एस्टेब्लिशमैंट कास्ट बढ़ती है। इस स्कीम्स का यह इंचार्ज होगा, इस स्कीम का यह इंचार्ज होगा, इसके कारण से ये सारी चीजें बढ़ती हैं। इस पर विचार करें। मुख्य मंत्रीजी कि इन 23 या 24 नम्बर में ये सारी स्कीम्स आती हैं, उन स्कीम्स में किस प्रकार से काम किया जा सकता है।

मैं एक आखिर में बात कहना चाहता हूं कि इसकी टोटल गवर्नेंस के ऊपर मैं समझता हूं कि विधान सभा की एक कमेटी बनायी जाए। आप अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, मैं इसके बारे में नहीं जा रहा हूं। लेकिन मेरा अपना असेसमैंट है, मैं आज बोला नहीं, मैं आपको बता देता कि इस सारे कर्जे के कारण से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर कितना असर पड़ा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स तो स्टेटिक हैं, बरसात हो जाएगी तो अच्छी हो जाएगी, बरसात नहीं होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं। जैसे आप कह रहे थे कि 14 हजार करोड़ रुपये का लोन हमने दिया है, 14 हजार करोड़ रुपये का लोन देने के बाद हमारी एक्सपैक्टेशन क्या थी? इसका आडिट नहीं होता है, न इसकी कोई जानकारी आती है। हर क्षेत्र में जितना भी आप इन्वेस्टमैंट करेंगे बैस्ट गवर्नेंस के लिए, गवर्नेंस के लिए मैं नहीं कहता कि आप सारा ढांचा बदल दें लेकिन नियंत्रण

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इस प्रकार का कर लें क्योंकि यह एक डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से चलता है। डिपार्टमेंट चलता है कमिटमेंट और कंविक्शन से। जिनका कमिटमेंट है कोआपरेटिव सैक्टर के प्रति, जिनका कंविक्शन है वे निश्चित रूप से उसमें फ्रूट्स लाएंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : प्रतिपक्ष के नेता महोदय...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप दो मिनट बाद में बोल लेना।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आपको हस्तक्षेप करना मुनासिब समझता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठ जाइए, आप बाद में बोल लेना। नही, मैं नहीं बैठूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या + + + है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप जिधर बढ़ रहे हैं वह पूरा सरकारीकरण है। (व्यवधान) आप तो पूरा सरकारी तंत्र की तरह वकालत कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप इनको बोल लेने दीजिए फिर बाद में बोल लेना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं वकालत नहीं कर रहा हूं। सरकारी तंत्र की वकालत नहीं कर रहा हूं, सरकारी तंत्र पर नियंत्रण रखने के लिए हमें गवर्नेंस की कोई व्यवस्था करनी चाहिये। उसमें चाहे आप रामनारायण जी को लगा दो, मुझे आपत्ति नहीं है। और किसी विधायक को लगा दो, एम.पी. को लगा दो, पब्लिक के चार आदमियों को लगा दो लेकिन गवर्नेंस के संबंध में हमें निश्चित रूप से विचार करना चाहिये क्योंकि यह कमिटमैंट और कंविक्शन का मामला है। अगर कोआपरेटिव सैक्टर में 14 हजार करोड़ रुपय का लोन देते हैं तो उसके परिणाम सामने आने चाहिये। आपकी जितनी भी कम्पनीज हैं, कारपोरेशंस हैं, छोटी-मोटी संस्थाएं हैं सब घाटे में चली गई। यदि ठीक प्रकार की गवर्नेंस होती— यह स्कीम चलने वाली है इसको चलाओ, यह स्कीम नहीं चल सकती उसको बंद करने का सुझाव आये तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले ले। गवर्नमेंट को एक्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं हो, अगर इंडिपेंडेंट बाडी इस प्रकार की बनती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, ये इतनी बातें हैं इन पर विचार करके फिर आप कह देना।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं यही कह रहा हूं, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं, उन पर हम विचार करेंगे और निश्चित तौर पर कोई पार्टी में ही ऐसी बाडी बनाएंगे जो सारी जानकारी करे। किस प्रकार से हम लोन के ऊपर ब्याज लेते हैं उसको कम कर सकें, किस प्रकार से आडिट का काम निष्पक्ष करा सकें, ये सारी बातें जो आपने कही हैं इन पर हमारा भी ध्यान है और हम सोच भी रहे हैं। आपने अच्छे सुझाव दिये हैं उनके ऊपर हम और विचार करेंगे।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : और आप दोनों आपस में बात कर लें। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी।

श्री हरेन्द्र मिर्धा (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-19 और 21 लोक निर्माण और पथ एवं पुल के आगामी वर्ष की अनुदान मांगों में माननीय सदस्यों ने जो चर्चा में भाग लिया उनका मैं बहुत आभारी हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जो मुद्दे माननीय सदस्यों ने सदन में रखे और करीब 200 कट मोशन आपके माध्यम से महकमे को प्राप्त हुए हैं, इसको देखते हुए यह लगता है कि इस महकमे में माननीय सदस्यों की गहरी रूचि है। उपाध्यक्ष महोदय, जो भी कट मोशन आये हैं, मैं इस बात की व्यवस्था करूंगा कि समस्त कट मोशन का एक-एक का जवाब दिया जाए। माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार यहां रखे हैं उन सबके आधार पर आगे आने वाले वर्ष में विभाग के जो महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, इन सब पर विचार करके उचित निर्णय लिये जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सड़कें आधारभूत आवश्यकता है। माननीय सदस्यों के साथ हमारी सरकार विद्यमान सड़क प्रणाली के विकास एवं उसके सुचारू रख-रखाव के लिए चिन्तित है एवं सतत् प्रयासरत है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा राज्य देश में प्रथम स्थान रखता है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। एक तरफ तो अपने प्रदेश के पश्चिमी भाग में रेगिस्तानी इलाका है जहा दूर-दराज तक छोटे-छोटे गांव और ढाणियां बसी हुई हैं। वहीं दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी अंचल में पहाड़ी क्षेत्र है जहां छोटे मजरों और टेकरियों में विभिन्न जनजातियों के हमारे भाई-बहन निवास करते हैं। इन दूर-दराज इलाकों को जब तक विकास की रेखाओं से नहीं जोड़ सकेंगे, तब तक मैं समझता हूं कि हमारे प्रान्त का विकास अधूरा ही रहेगा। मैं क्षेत्रफल की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में जहां सड़कों की उपलब्धि का राष्ट्रीय औसत 74.90 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है, वहीं हमारे राज्य में यह औसत अब तक 43.60 किलोमीटर तक ही पहुंच पाया है। इससे ही यह बात स्पष्ट होती है कि हमें देश के अन्य विकसित राज्यों की पंक्ति में खड़ा होने के लिए अभी और कितना प्रयास करना बाकी है। यद्यपि राज्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित एवं संधारित सड़क प्रणाली की कुल लम्बाई इस समय 86000 किलोमीटर है, परन्तु केवल राष्ट्रीय औसत तक आने के लिए हमें अभी भी कम से कम एक लाख किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का निर्माण और करना होगा। इतना बड़ा काम पूरा करने के लिए पर्याप्त समय और साधन दोनों की आवश्यकता होगी। इस संदर्भ में राज्य सरकार सड़क क्षेत्र में पर्याप्त विकास करने के लिए प्रयासरत है।

(श्री हरेन्द्र मिर्धा)

सड़क तंत्र किसी भी राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की आधारभूत आवश्यकता है। यह विकास की गति, ढांचे एवं तरीके को प्रभावित करता है। इस परिप्रेक्ष्य में सड़कों के निर्माण एवं संधारण पर राशि के निर्धारण पर विचार किया जाना चाहिये। वित्तीय संसाधनों की विशाल आवश्यकता, निवेश के उपरान्त सामाजिक एवं आर्थिक समृद्धि में लगने वाला लम्बा समय, लाभ प्राप्ति में अनिश्चितता एवं आधारभूत ढांचे के साथ जुड़े सकारात्मक एवं नकारात्मक बाह्य तत्वों को मद्देनजर रखते हुए निजी निवेश की सम्भावनाएं सीमित हैं। अतः सड़क तंत्र के समुचित विकास हेतु राजकीय कोष से राशि का आबंटन अत्यन्त आवश्यक है।

इस संदर्भ में सड़कों व उस हेतु धनराशि की आवश्यकता के आंकलन हेतु माननीय सदस्यों के सम्मुख मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। वित्तीय वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में रोड टैक्स से 688 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ जिसके विरुद्ध 374 करोड़ रुपया सड़क तंत्र पर व्यय किया गया जो कि पथ-कर राजस्व का लगभग 54 प्रतिशत है। परन्तु वित्तीय वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में 950 करोड़ रुपये पथ-कर राजस्व के विरुद्ध 326 करोड़ रुपये का ही सड़क तंत्र पर व्यय हुआ। यह राजस्व का लगभग 34 प्रतिशत है। राजस्व प्राप्ति में होने वाली बढ़ोतरी मुख्यतया वाहनों की बढ़ती हुई संख्या के कारण है। इसी अनुपात में निवेश न होने से सड़क तंत्र की आवश्यकता पूर्ण नहीं हो रही है। न केवल सड़कों की लम्बाई ही कम पड़ रही है, बल्कि संधारण के अभाव में सड़कों की गुणवत्ता का भी वर्ष दर वर्ष ह्रास हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग परियोजना के लिए जो विश्व बैंक से लोन लेने का प्रयास किया था, उसके संबंध में चर्चा की थी। राज्य सरकार ने 1560 करोड़ रुपये लागत की राजस्थान उच्च मार्ग परियोजना हेतु विश्व बैंक से ऋण लेने का निर्णय लिया था। इस परियोजना में सड़कों की प्रति किलोमीटर लागत...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के उत्तर को पढ़ा हुआ मान लिया जाए, हम पूर्णतः संतुष्ट हैं।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : मैं तो आपके एक-एक पाइंट का बता रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह परिपाटी अब सदन में होने लगी...

श्री हरेन्द्र मिर्धा : आप सुन तो लो।

श्री उपाध्यक्ष : जो माननीय सदस्य बोले उनका जवाब देंगे। माननीय सदस्य, यह तो पालिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके बाद माननीय सदस्यों का जवाब देंगे।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : आपने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा है, आपने वर्ल्ड बैंक के लोन के बारे में चर्चा की है तो कम से कम आपको संतुष्ट करने का प्रयास करने का मौका दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम पूर्ण संतुष्ट हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कंटीन्यू कीजिए। विराजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य रोज जीरो आवर में जितना भी कुछ बोलते हैं वह अधिकारियों द्वारा लिखित एक परिपत्र होता है जिसको पूरा का पूरा यह रोज पढ़ते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजो।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : राज्य सरकार ने 1560 करोड़ रुपये लागत की राजस्थान उच्चमार्ग परियोजना हेतु विश्व बैंक से ऋण लेने का निर्णय लिया था। इस परियोजना में सड़कों की प्रति किलोमीटर लागत भारतीय सड़क कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार एवं बी.ओ.टी. परियोजना के अन्तर्गत आ रही लागत की तुलना में कहीं अधिक आ रही थी। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा लोन की जो शर्तें थीं उसके हिसाब से प्रति वर्ष 340 करोड़ रुपये का बजट होना इसमें आवश्यक था और यह 340 करोड़ रुपये का प्रावधान लोन अमाउंट के अतिरिक्त था। इन सारी बातों को देखते हुए और अपना जो सड़क तंत्र है, अपनी जो आर्थिक स्थिति है इसको देखते हुए राज्य हित में यह निर्णय लिया गया कि विश्व बैंक से लोन नहीं लिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस काम को पूरा करने के लिए अल्टरनेटिव सोर्स आफ इन्वेस्टमेंट ढूंढना बहुत आवश्यक था। इसलिए राज्य सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि बी.ओ.टी. के माध्यम से, स्टेट बजट से और इन्स्टीट्यूशन फाइनेंस के माध्यम से इन सब कामों को कराया जाए। सड़क बनाने के हिसाब से और जो पुरानी सड़कें हैं उनकी मरम्मत के हिसाब से तीनों मुख्य बिन्दु अपने सामने हैं। सबसे पहले तो नई सड़कों की राशि प्रधानमंत्री रोजगार ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अन्य जिलों की सड़कें हैं, ग्रामीण सड़क के निर्माण हेतु वहां से उपलब्ध हो रही है। केन्द्रीय सड़क नीति से राज्य उच्चमार्ग एवं मुख्य जिलों की सड़कों को चौड़ा करने व उनके सुदृढ़ीकरण करने हेतु रकम यहां से हासिल हो रही है। राष्ट्रीय उच्चमार्ग के नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण के संसाधन हेतु नेशनल हाई-वे अथारिटी से पैसा यहां उपलब्ध हो रहा है। उपरोक्त मरम्मत के लिए केवल राष्ट्रीय उच्चमार्ग पर ही धन उपलब्ध हो रहा है, अतः अन्य राज्य सड़कों के संधारण के लिए विशेष रूप से धनराशि की व्यवस्था करना प्रस्तावित है। पी.एम.जी. एस.वाई.के. —

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने राज्य सरकार की नीति बनाई है क्या?

श्री हरेन्द्र मिर्धा : वह तो 1994 में पहले से बनी हुई चल रही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपकी रोड पालिसी...

श्री हरेन्द्र मिर्धा : रोड पालिसी है न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : स्टेट हाई-वे के क्या नार्म्स है आपके उसमें?

श्री हरेन्द्र मिर्धा : कौनसे स्टेट हाई-वे के?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप जो अभी पढ़ रहे हो 1065 रुपये...

श्री हरेन्द्र मिर्धा : अभी आया हूं, स्टेट हाई-वे के तो जैसे-जैसे ट्रैफिक बढ़ता है तो एम.डी.आर. को स्टेट हाई-वे कन्वर्ट करते हैं और स्टेट हाई-वे को नेशनल हाई-वे कन्वर्ट करते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नेशनल हाई-वे वाला तो सब ठीक है, मंत्रीजी, मेरा अनुरोध यह है कि स्टेट हाई-वे के नार्म्स प्रेस्क्राइब्ड हैंच कहीं आपने स्टेट हाई-वे डिक्लेयर कर रखा है। कहीं नार्म्स की कम्प्लायंस् नहीं है, यह बता दीजिए आप।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब आप चर्चा कर रहे थे तो शायद यह प्रश्न आपने उठाया था। पिछले पांच साल से रोड का अपग्रेडेशन नहीं किया गया है, कम से कम छह साल पहले रोड को चेंज किया था। अप्रैल में ट्रैफिक सेन्सस चल रहा है ट्रैफिक सेन्सस के बाद में जिस रोड पर जितना ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक के हिसाब से स्टेट हाई-वे में, एम.डी.आर. में, ओ.डी.आर. में जो भी परिवर्तन करना उचित होगा उस वक्त अपन बैठकर इस पर निर्णय ले सकेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : स्टेट हाई-वे के जो रिक्वायरमैंट्स हैं अब आप विचार करके पूरा कर देंगे, यही मतलब है न कमिटमैंट आपका। स्टेट हाई-वे का...

श्री हरेन्द्र मिर्धा : अगर वह नार्म्स में आते हैं जितना उनको ट्रैफिक चाहिए तो...

श्री सुरेन्द्र व्यास : अभी तक तो पूरा नहीं किया। सिर्फ डिक्लेयर कर रखा है। अब आप उस पर विचार करके उस रिक्वायरमैंट को पूरा कर देंगे।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। अप्रैल के अंदर ट्रैफिक सेन्सस चल रहा है उसके बाद इस सम्बन्ध में कोई निर्णय अपन लेंगे।

मार्च, 2000 तक 1991 की जनसंख्या के अनुसार अपने राज्य में 10776 गांवों में से 8886 गांवों को डामर सड़क से जोड़ दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2000-2001 के अन्तर्गत एक नवीन राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के

(श्री हरेन्द्र मिर्धा)

तहत 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को वर्ष 2003 तक जोड़ दिया जाना है और 500 से 1000 तक की आबादी के गांवों को वर्ष 2007 तक पक्की सड़कों से जोड़ा जाना है। माननीय सदस्यों को बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि राजस्थान राज्य ने देश में सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के तहत 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 2001 के अन्दर 144 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। आवश्यक निविदाएं आदि के उपरान्त लगभग आधे कार्यक्रम प्रारम्भ किये जा चुके हैं, शेष शीघ्र शुरू कर दिए जाएंगे। इससे लगभग 380 गांवों को 1290 किलोमीटर डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, 2001-2002 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 130 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। इस परियोजना पर कार्य शुरू होने से राज्य के वासियों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। अकाल की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए इन सभी कार्यों पर केवल स्थानीय श्रमिकों को लगाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पी.एम.जी.एस.वाई.के नार्म्स हैं जो दिल्ली से सीधे हमको बताये गये हैं, यहां नार्म्स को चेंज करने की स्थिति में हम लोग नहीं हैं। कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया था कि पंचायत हैडक्वार्टर को भी इसके अंदर लिया जाए, सड़कों के जो मिसिंग लिंक हैं उनको भी लिया जाए। इस स्कीम के जो प्रावधान हैं और स्कीम की जो गाइड लाइन हमको दिल्ली से मिली है उसके अनुरूप ही हम लोगों को चलना होगा। अभी फिलहाल 1000 से बड़े आबादी वाले गांव और पंचायत हैडक्वार्टर हैं तो उसको प्रायोरिटी में लेने की हम लोग कोशिश और प्रयास कर रहे हैं।

दूसरी सड़कों के लिए आर.आई.डी.एफ. के 2, 3, 4 के अन्तर्गत 187.60 करोड़ की लागत से 431 कार्य स्वीकृत किये गये थे जिनमें से 268 कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष कार्य प्रगति पर है। इन कार्यों को पूरा करने के लिए 2001-2002 के अन्दर 28.71 करोड़ रुपये के बजट प्रस्तावित हैं। आर.आई.डी.एफ. के 2, 3, 4 के जो काम चल रहे हैं जो पूरे नहीं हो पाए हैं, इस फाइनेंशल ईयर में इनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सड़कों का विस्तार जितना आवश्यक है उतनी ही आवश्यकता इस बात की भी है कि पूर्ण निर्मित सड़कों के संधारण की ओर भी

(श्री हरेन्द्र मिर्धा)

उचित ध्यान दिया जाए। सभी माननीय सदस्य मेरे से सहमत होंगे कि राज्य में सड़कों की दुर्दशा के बारे में कुछ कहने की बजाय वित्तीय संसाधन जुटाना अति आवश्यक है, निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़कों के संधारण एवं रख-रखाव के लिए आवश्यक राज्य की साम्यता उपलब्ध नहीं होती। हमारी सरकार ने सड़कों के नियमितीकरण एवं रख-रखाव की ओर प्राथमिकता के आधार पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है। गत 2 वर्ष में 6255 किलोमीटर सड़कों का रख-रखाव, नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने के प्रावधानों में से 3368 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण या सुदृढ़ीकरण किया गया है। 189.3 करोड़ रुपये के प्रावधान में से 131.64 करोड़ के व्यय किए गए। माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस कड़ी में राज्य सरकार ने आगे भी दो वर्षों में लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत से 24000 किलोमीटर सड़कों का रख-रखाव व नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराने का निर्णय लिया है। वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 में प्रति वर्ष सार्वजनिक निर्माण विभाग से 75 करोड़ रुपये, कृषि विपणन बोर्ड एवं कृषि उपज समितियों से 50 करोड़ रुपये एवं वित्तीय संस्थाओं से 175 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने आशंका व्यक्त की थी कि यह पैसा कहां से आएगा, क्या कुछ करेंगे, इसलिए मैं आपके सामने ये फैक्ट्स रख रहा हूं। नाबार्ड से बात हो चुकी है और इनप्रिंसिपल नाबार्ड ने सहमति दे दी है कि वह रोड्स के लिए यह लोन देने को तैयार है। बाकी जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, 75 करोड़ रुपया तो प्लान का होगा और बाकी 50 करोड़ रुपये कृषि विपणन बोर्ड के मण्डियों के हैं, वह पैसा भी सड़कों के साथ जोड़ा जाएगा। खास बात यह है कि इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जिलेवार विस्तृत कार्य योजना की तैयारी प्रगति पर है, करीब-करीब सारी एम.एल.ए. कांस्टीट्यूएंसी का एक चार्ट तैयार कर लिया गया है। इनमें से जो सबसे खराब सड़कें हैं जो बी.टी. रोड्स थीं, जिनका रिनुअल साइकिल अब आ गया है वह चार्ट बनाकर हम लोग आपके समक्ष पेश कर देंगे। इस संबंध में सभी माननीय सदस्यों से विचार विमर्श करने के बाद इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। (व्यवधान) आप भी तो आते हैं माननीय सदस्य में, सभी आते हैं माननीय सदस्य में।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सदस्य कहा है, यह थोड़े ही कहा है कि कांग्रेस के सदस्यों से करेंगे। आप अपने आपको क्यों नहीं मानते, अपन भी हैं उसमें।

श्री रामस्वरूप : अपने आपको हमारे लिए मान रहे हो क्या? (व्यवधान)

श्री हरेन्द्र मिर्धा : सैंट्रल रोड फण्ड के अन्तर्गत पैट्रोल एवं डीजल पर लगाए गए अधिभार पर प्राप्त होने वाली आय में से राज्य के हिस्से के रूप में प्रतिवर्ष...

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैंने निवेदन किया था आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को।

श्री उपाध्यक्ष : वह जवाब दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : जो प्राथमिकताएं आपके डिपार्टमेंट का एक्सईएन. तय कर रहा है, बेहतर होता कि वे सारी प्राथमिकताएं विधायक अपने क्षेत्र की तय करता कि उसे कौनसी सड़क बनानी है और कौनसी सड़क...

श्री उपाध्यक्ष : यही तो कहा है इन्होंने।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : मैं आपसे कह चुका हूं कि कांस्ट्रीट्यूएंसी की प्रत्येक सड़क जो बी.टी. रोड पहले से थी, जो रिपेयर के लायक हो गई है जिसका रिपेयर आवश्यक हो गया है, जिसका रिनुअल साइकिल हो गया है वह सब आपके समक्ष रख देंगे। उनमें से आपकी क्या चोइस है...

श्री राजेन्द्र पारीक : नई सड़कों की बात कर रहे हैं।

श्री ललित भाटी : जो प्लान बनाया है, वह रिकास्ट होगा या नहीं?

श्री राजेन्द्र पारीक : नई सड़क ही विधायक तय करे उस क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण सड़क है, जो आज तक नहीं बनी, वह बने....

श्री हरेन्द्र मिर्धा : नई सड़कों का अलग प्रश्न है। बिलकुल वह तो प्लान में कितने पैसे का प्रावधान होगा, उसके हिसाब से देखेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : इसको आप डाइवर्ट कर दीजिए। यह जो 600 करोड़ रुपये आप खर्च करने जा रहे हैं, इस पैसे को आप इसमें काम में ले लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : इस पर तो वित्त मंत्रीजी निर्णय ले सकते हैं, इसमें मैं कहने में सक्षम नहीं हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : इसमें कहां फैसले में झगड़ा है? आप बैठकर इसमें तय कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मिसिंग लिंक के बारे में बता दीजिए। जो रोड्स के मिसिंग लिंक्स हैं उनके बारे में बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनको बात करने दीजिए।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : मिसिंग लिंक बाद में दे देंगे। पहले मैं बात कर लूं फिर उसके बाद आप पूछ लेना।

प्रति वर्ष 75.82 करोड़ रुपये की राशि मिलना अपेक्षित है। इसके तहत 152.25 करोड़ रुपये लागत के सड़क कार्यों के प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवा दिये गये हैं। इन प्रस्तावों के अन्तर्गत 1416 किलोमीटर राज्य उच्चमार्गों एवं मुख्य जिला सड़कों को चौड़ा करने, सुदृढ़ीकरण करने एवं नवीनीकरण करने का कार्य लिया जाएगा। इन प्रस्तावों में से 53 करोड़ रुपये की लागत के 27 कार्यों की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। इन कार्यों को भी शीघ्र शुरू किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सड़क के सुधार एवं मरम्मत हेतु अगले 10 वर्षों में सात हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए सिर्फ स्टेट प्लान के ऊपर या स्टेट रिसोर्स के ऊपर डिपेंड होना बड़ा मुश्किल है। इतनी बड़ी राशि मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के पास आगे आने वाले टाइम में भी शायद उपलब्ध नहीं हो। इसीलिए यह प्रयास और कोशिश की गयी है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्दर बहुत आवश्यक है। हमने पिछले दो-ढाई वर्ष से काफी प्रयास किये हैं कि बी.ओ.टी. के माध्यम से प्राइवेट एन्टरप्रिन्योर्स को राजस्थान में इंवाइट करें। इसके सफलतापूर्वक परिणाम आये हैं। मार्च, 2000 तक 74.55 करोड़ रुपये की लागत से 84 किलोमीटर की सात परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 47 करोड़ रुपये लागत की सात परियोजनाएं 200 किलोमीटर सड़क पर कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो जाएगा। इन पर एग्रीमैंट साइन हो गये हैं और मैं समझता हूं जल्दी से कार्य शुरू हो जाएगा। 19 करोड़ रुपये लागत की चार परियोजनाएं 56.50 किलोमीटर बी.ओ.टी. के आधार पर राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं।

माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए हर्ष होता है कि राज्य सरकार द्वारा आगामी दो वर्षों में 450 करोड़ रुपये का निजी निवेश बी.ओ.टी. के आधार पर करवाने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य सरकार द्वारा सड़कों के पूर्ण विकास को तत्परता से, योजनाबद्ध तरीके से करने व उस कार्य को गति देने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य सड़क विकास व निर्माण निगम का गठन किया गया है। बी.ओ.टी. की पद्धति के आधार पर आवंटित कार्यों पर निगम अपने बलबूते पर वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर काम करेगा। इससे राज्य सरकार पर सड़कों के विकास में पूंजी निवेश का भार नहीं पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में 18 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर जोन-डी बाई पास की चौड़ाई बढ़ाने एवं

(श्री हरेन्द्र मिर्धा)

सुदृढ़ीकरण करने का कार्य भी राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण द्वारा निगम को आंबंटित किया गया है। इसका कार्य जून, 2001 तक पूर्ण हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय उच्च मार्गों के विकास के लिए गोल्डन कोआर्डिनेटर का कार्य भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण को दिया गया है। भारत राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण द्वारा निम्न कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह सब तो प्रतिवेदन में है।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : कहां है प्रतिवेदन? जो भी पिछले साल के अचीवमेंट हैं नेशनल हाई-वे आथोरिटी के...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुन लो न आप।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : नेशनल हाई-वे आथोरिटी आफ इण्डिया द्वारा हरियाणा सीमा से गुजरात सीमा; बहरोड़, जयपुर, किशनगढ़, नसीराबाद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर व रतनपुर तक 677 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय उच्च मार्ग को चार लेन करना प्रस्तावित है। उक्त कार्य के लिए भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण ने किशनगढ़ से उदयपुर आगे राज्य सीमा तक के लिए 2100 करोड़ रुपये की लागत वाली आठ कार्यों की निविदाएं आमंत्रित कर ली हैं। इस कार्य को 2004 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इस प्रकार ईस्ट-वैस्ट कोरिडोर जो कि गुजरात सीमां से पिंडवाड़ा-उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, बारां, शिवपुरी को जाती है, को चार पथीय कराना प्रस्तावित है। 640 किलोमीटर लम्बी इस सड़क का कार्य 2007-2008 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर गत दो वर्षों में 2404 किलोमीटर का सतह सुधार का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष 1472 किलोमीटर का सतह सुधार काम शीघ्र करवाना प्रस्तावित है। इसके प्रपोज़ल भेज़ दिये हैं नेशनल हाई-वे आथोरिटी को। जैसे-जैसे वहां से एप्रूव होकर आएंगे, वैसे-वैसे काम आगे शुरू कर लिये जाएंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : नेशनल हाई-वे नम्बर-19 पर स्टाफ ही नहीं लगाया है आपने अभी।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : अभी उस पर आ रहा हूं। जरा आप दो मिनट रुकिये।

श्री हीरासिंह चौहान : टेबल पर रख दो, हम तो पढ़ा हुआ मान लेंगे। पढ़ा हुआ मान लिया जाए। टेबल पर रख दो, हम देख लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये-बिराजिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय सदस्य सुनना ही नहीं चाहते, मंत्रीजी तो पूरे सदन को सन्तुष्ट करना चाहते हैं। मैंने तो आपसे पहले ही निवेदन किया कि

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

अभी आप देखना, ढाई साल में राजस्थान की सड़कें हेमामालिनी के गालों जैसी नहीं हो जाएं तो। आप यूं ही व्यर्थ में चिन्ता कर रहे हैं।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : राष्ट्रीय उच्च मार्गों को चौड़ा करने, सुदृढ़ करने तथा संधारण पर गत वर्ष में 129 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। इसके तहत 843 किलोमीटर में सतह सुधार का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 82 किलोमीटर का एक पथीय से दो पथीय में परिवर्तन का कार्य सम्पन्न हो चुका है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या-11 पर सेवर के पास रेलवे क्रासिंग पर पुल का निर्माण कराया गया है एवं राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या-12 पर तालेड़ा एवं काली सिंध नदी पर उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण वर्ष 2000-01 में पूर्ण कराया गया है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या-12 पर धार एवं मेज नदी पर उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण कार्य एवं राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या-8 पर परसाद ग्राम के निकट पुल को चौड़ा करने का कार्य प्रगति पर है। गत वर्ष राज्य के 100 किलोमीटर लम्बाई के बारां-अकलेरा राज्य उच्च मार्गों को राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या-9 में घोषित किया गया है। इसे सम्मिलित करते हुए राज्य में मार्च, 2001 तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग की लम्बाई 4,553 किलोमीटर कर दी गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह घोषित तो इन्होंने कर दिया है पर हमारे बार-बार कहने के बाद भी नेशनल हाई-वे इस रोड के लिए फण्ड्स अवेलेबल नहीं करा रहा है। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस संबंध में कोशिश करें। हम तो बार-बार उनको कह ही रहे हैं।

भारत सरकार के अनुदान के सहयोग से सड़क परिवहन उच्च मार्ग मंत्रालय द्वारा गुजरात और आन्ध्र प्रदेश के चार लेन करने के लिए दो परियोजना स्वीकृत की हैं और राजस्थान में भी उन्होंने कहा है कि हम इसी सब्सिडी के तहत आपको बी.ओ.टी. के तहत प्रोजेक्ट देने को तैयार हैं। जिसकी कंडीशन यह है कि मिनिमम 20 हजार पैसेंजर कार यूनिट पर-डे वहां से निकलनी चाहिये। इसके लिए हमने सर्वे किया है और 600 किलोमीटर का राष्ट्रीय उच्च मार्ग इसके अंदर विचाराधीन है। जैसे ही इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन मिलेगी, डिटेल टैक्निकल स्टेडी इसके बाद ही सम्भव हो सकेगी।

राज्य में संचार तंत्र के विकास हेतु आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। इस कार्य को गति प्रदान करने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो कि प्रस्ताव प्राप्त होने से लगभग एक माह के भीतर अनुमति देती है। अभी तक लगभग चार हजार

(श्री हरेन्द्र मिर्धा)

किलोमीटर आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की अनुमति दी जा चुकी है। संचार के आधारभूत ढांचे को बनाने तथा उसके सुदृढ़ीकरण में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कि राज्य में आर्थिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विकास हेतु आवश्यक कदम है।

उपाध्यक्ष महोदय, विभाग ने राज्य विधान सभा के नवीन भवन का निर्माण नवम्बर, 1994 में विधायक नगर, जयपुर में प्रारम्भ किया था। राजस्थानी स्थापत्य कला पर आधारित यह भवन 16 एकड़ क्षेत्रफल भूमि पर स्थित है। इस पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और 27 मार्च को 11वीं विधान सभा का षष्ठम् सत्र नवीन विधान सभा भवन में आहूत किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि विभाग के इन इरादों एवं प्रयासों को सदन के अन्दर और बाहर पूरा समर्थन मिलेगा। विभाग के समस्त कार्य-कलापों को जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप लाने में हमारी सरकार भरसक प्रयासरत है और अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुझे आशा है कि हमारे इस प्रयास में माननीय सदस्यों का बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं पूर्ण सहयोग निरन्तर मिलता रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान मांगें हमने पेश की हैं उसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इसको पास करें।

मांग संख्या-36 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या-36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 43,89,00,000 (रुपये तैंतालिस करोड़ नवासी लाख) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-19 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-19 लोक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,15,17,68,000/- (रुपये तीन अरब पन्द्रह करोड़ सत्रह लाख अड़सठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-21 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,91,96,63,000/- (रुपये तीन अरब इक्यानवे करोड़ छियानवे लाख तिरेसठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 01 मई, 2001 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.51 बजे मंगलवार; 01 मई, 2001 के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

विलायती बबूल से क्षति

124. श्री अमीन खान (शिव) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विलायती बबूल किसानों/पशुओं के लिए गांवों में परेशानी पैदा करने वाला साबित हो रहा है ?

(2) क्या सरकार उक्त जहरीले बावलिए को नष्ट कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं। विलायती बबूल की लकड़ी से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन की मांग की पूर्ति होने से खेजड़ी, धौक, बबूल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियों के कटान का दबाव कम हुआ है। साथ ही इसकी फलियों से भेड़, बकरियों की उदर पूर्ति भी हो रही है। ऐसे में इसे जहरीला अथवा अनुपयोगी वृक्ष कहा जाना उचित नहीं होगा। कृषक अपनी भूमि से इस वृक्ष को बिना किसी रोक टोक के हटा सके, इस दृष्टि से राज्य सरकार ने नियमों में आवश्यक शिथिलता प्रदान कर दी है। अतः राज्य सरकार इसे नष्ट करना आवश्यक नहीं समझती।

नगर परिषद् देवली में हुई अनियमितताओं की जांच

125. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद् देवली श्री रमेश जिन्दल ने पद पर रहते हुए नगरपालिका को लाखों रुपयों का नुकसान पहुंचाया है? क्या यह निधि अंकेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1995-96 में दर्शाया है? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अंकेक्षण रिपोर्ट में 22 लाख 49 हजार रुपयों का नगरपालिका को नुकसान पहुंचाना दर्शाया है जिसमें विशेष तौर पर पूर्व अध्यक्ष पर आरोप लगाया है व सचिव को भी शामिल माना है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त मामले की शिकायत होने पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में भी मुकदमा दर्ज हुआ था? यदि हां, जांच की क्या स्थिति है? क्या सरकार ने अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रति प्राप्त की है?

(4) उक्त प्रकरण की जांच पूर्ण होने के पश्चात् भी सरकार द्वारा अब तक क्यों नहीं कार्यवाही की गई ?

(श्री दिग्विजय सिंह)

(5) क्या यह सही है कि अब उक्त प्रकरण को रफा-दफा करने की कोशिश की जा रही है? यदि नहीं, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जो कब तक पूर्ण हो जावेगी?

उत्तर

(1) जी, हां। आडिट रिपोर्ट वर्ष 1995-96 की प्रति सदन के पटल पर रखी दी गई है।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां। जांच पूर्ण हो चुकी है। जी, हां। अंकेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

(4) प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में विभागीय स्तर पर जांच कराई जा रही है।

(5) जी, नहीं। शेष बिन्दु का उत्तर बिन्दु संख्या-4 में निहित है।

राजस्थान सरकार

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर

1.	जांच प्रतिवेदन संख्या : 742	:	वर्ष 1995-96
2.	संस्था का नाम	:	नगरपालिका, मण्डल, देवली
3.	वित्तीय वर्ष जिसका अंकेक्षण किया गया	:	1994-95
4.	आक्षेप संख्या	:	2
5.	जांच में लिया गया समय	:	16.10.1995 से 14.12.1995 तक

खांचा भूमि नजूल दरों पर अनधिकृत रूप से बेचान करने एवं आवासीय भूखण्डों की नीलामी वर्ग गजों की गई एवं कीमत वर्ग मीटरों में करके एवं व्यवसायिक खांचा भूमि को आवासीय दरों पर विक्रय करने से नगरपालिका को सारी हानि पहुंचायी रुपये 22,49,508.60 पैसे।

नगरपालिका मण्डल ने आलोच्य वर्ष 1994-95 में पालिका की बेहिसाब कीमती खांचा भूमियों को नजूलदरों पर मनमाने ढंग से अनधिकृत रूप से बेचा गया है जिसके कारण से नगरपालिका को भारी हानि हुई है। खांचा भूमियों के बेचान में निम्नप्रकार की अनियमितताएं, धोखाधड़ी एवं हेराफेरी के मामले पाये गये हैं जो स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित करते हैं कि नगरपालिका मण्डल के अध्यक्ष महोदय एवं अधिशासी अधिकारी श्री नारायण वर्मा ने राजस्थान नगरीय भूमि निष्पादन नियम, 1974 में बतलाई गई प्रक्रियाओं एवं नियमों को ताक में रख कर इस प्रकार से आबंटन किये हैं जैसे नियमों की पालना एवं नियमों के उद्देश्यों की पूर्ति आवश्यक ही न हो। ऐनकेन प्रकारेन खांचा भूमियों को संबंधितों को देकर अप्रत्याक्षित रूप से लाभान्वित करना ही एकमात्र ध्येय रहा है।

(क) राजस्थान नगरीय भूमि निष्पादन नियम, 1974 के नियम (231) के तहत खांचा भूमि बेचान के लिए जो नियम बनाये हुए हैं उनमें से निम्न की पालना नहीं की गई है।

1. खांचा भूमि बाजार भाव से बेची जानी चाहिए थी और उसका निर्धारण पूर्व में बेची गई खांचा भूमि एवं वर्तमान बाजार भाव एवं स्थिति को ध्यान में रखकर की जानी चाहिये लेकिन यहां तो खांचा भूमियां नजूल दर पर अनधिकृत रूप से बेच दी गई हैं।

2. जब दो व्यक्ति खांचा भूमि लेने को तैयार हो तो उसकी नीलामी की जानी चाहिये जिसके लिए सार्वजनिक सूचना जारी करना आवश्यक था लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।

3. जो भूमि जिस कार्य के उपयोग हेतु उपयुक्त हो उसका निर्धारण कर उसको उसी रूप में बेचान पर कार्य में लिया जाना चाहिये। बाजार में ऐसी खांचा भूमि जो दुकानों/व्यापार के उपयोग में लाई जा सकती है उसका स्ट्रीप आफ लैण्ड मानकर पड़ोस वाले व्यक्ति को ही नहीं बेचा जा सकता है। लेकिन यहां जो भूमि एक ही व्यक्ति के लाभ के लिए बेची गई है।

4. कोई भूमि खांचा भूमि में आती है या नहीं इसकी उपखण्ड अधिकारी से बेचने से पूर्व सहमति लिया जाना चाहिए। इस नगरपालिका में उपखण्ड अधिकारी की सहमति प्राप्ति के लिए प्रयास ही नहीं किये गये हैं। टिप्पणियों में यह जरूर लिया है कि उपखण्ड अधिकारी की सहमति लेवें। लेकिन कुछ दिन बाद में आबंटन आवश्यक एवं सार्वजनिक हित में बतलाये जाकर अधिशासी अधिकारी एवं अध्यक्ष महोदय ने स्वीकृत कर आनन-फानन में नजूल दर से राशियां जमा करा ली गई हैं जो पालिका हित के बिलकुल विरुद्ध थी।

(ख) खांचा भूमि बेचान में जो विभिन्न प्रकार की अन्य अनियमिततायें पाई गई हैं ये निम्न प्रकार की है।

(ग) अगर पालिका हित में सोच कर निम्न खांचा भूमियों को नीलामी से बेचा जाता तो पालिका को बहुत भारी राशि प्राप्त होती :—

परिशिष्ट का आइटम संख्या	आवंटी का नाम	वार्ड संख्या	क्षेत्रफल	वि.वि.
63.	श्रीमती उर्मिला/ओमप्रकाश गोयल	9	26.66 व.गज	—
64.	श्री पीयूष गोयल/ ओमप्रकाश गोयल	9	35.555 व.गज	—
65.	रमेशचन्द/माधोलाल	10	13.11 व.गज	—
66.	रमेशचन्द/माधोलाल	2	59.45 व.गज	—
67.	श्रीमती मुन्नी देवी	9	73.55 व.गज	—
68.	श्री गणपत कुमार/किशोर	5	6.00 व.गज	—
69.	श्री गोपीलाल/लादूराम	9	13.89 व.गज	उपखण्डाधिकारी की सेवा, विधिक मानी है।
70.	श्री रमेशचन्द्र/नन्दलाल	5	12.65 व.गज	
75.	श्री गोवर्धन लाल/गोयल	9	31.66 व.गज	
76.	श्री कांताप्रसाद गुप्ता	3	16.72 व.गज	
77.	वेदप्रकाश/प्रेम प्रकाश जिंदल	2	77.33 व.गज	उपखण्ड अधिकारी ने दि. 31.3.87 को विक्रय प्रस्ताव देय कर दिया।
78.	श्री जसोदा देवी/भंवरलाल	2	27.87 व.गज	—"—

(ii) उपनगर नियोजक द्वारा पारित प्लान जो कृषि उपज मण्डी समिति के रास्ते के दोनों ओर 17-17 फीट की जगह छोड़ी गई थी। उस 17-17 फीट को खांचा भूमि मान कर पालिका ने बेचा है जिसे किसी भी प्रकार से सही नहीं माना जा सकता है।

(iii) व्यावसायिक खांचा भूमियों को आवासीय माना जाकर नजूल दर की आवासीय दर वसूल कर पालिका को भारी हानि पहुंचाई गई है जिसमें निम्न खांचा भूमियां आती हैं।

परि. का क्र.सं.	आबंटी का नाम	वार्ड संख्या	क्षेत्रफल
63.	श्रीमती उर्मिला/ओमप्रकाश	9	26.66 वर्ग गज
64.	श्री पीयूष गोयल	9	36.555 वर्ग गज
65.	श्री रमेशचन्द/माधोलाल	10	13.11 वर्ग गज
66.	श्री रमेशचन्द्र/माधोलाल	2	59.45 वर्ग गज
67.	श्रीमती मुन्नी देवी	9	75.55 वर्ग गज
68.	श्री गणपत कुमार	5	6.00 वर्ग गज
69.	श्री मोतीलाल/लादूलाल	9	13.89 वर्ग गज
70.	श्री रमेश/नन्दलाल	5	12.65 वर्ग गज
73.	गोवर्धन लाल गोयल	9	$10 \times 28\frac{1}{2}$ वर्ग गज
76.	श्री कांता प्रसाद गुप्ता	3	16.72 वर्ग गज
77.	श्री वेदप्रकाश/प्रेम प्रकाश जिन्दल	2	64.00 वर्ग गज
78.	श्रीमती जसोदा देवी/भंवर लाल	2	27.87 वर्ग गज

(ii) परिशिष्ट के आइटम संख्या (72) पर दर्ज 10 × 88 वर्ग फीट 97.7 वर्गगज को खांचा भूमि बतलाया जाकर श्री ताराचन्द गुप्ता को उनके भूमि के उत्तर की ओर दी गई और आइटम संख्या (73) पर दर्ज खांचा भूमि उनके भू-खण्ड के पश्चिम की ओर 1788 वर्ग मीटर दी गई। जो कृषि उपज मण्डी को जाने वाले मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित है एवं जो उपनगर नियोजक द्वारा तैयार किये प्लान के मुताबिक था। उसे भी आवासीय भूमि ही बतलाया जाकर दिया गया है।

(iii) परिशिष्ट के आइटम संख्या (62) पर दर्ज खांचा भूमि वार्ड संख्या (4) में श्री दिनेश कुमार गोयल/श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल को कोटा बूंदी रोड के दक्षिण के भाग में दी गई बतलाई गई है। (अंकेक्षण दल को पत्रावली नहीं दी गई है क्योंकि वह अधिशासी अधिकारी द्वारा मिसिंग बतलाई गई है) उनके साथ-साथ अन्य भूमि भी उन्होंने निम्न प्रकार से आबंटन कराई है।

1. भू-खण्ड संख्या (17) का क्षेत्रफल 14 × 30 वर्ग फीट 46.66 वर्ग गज को राशि रुपये 1100/- प्रति वर्ग गज से कुल राशि रुपये 51133/- में बेचा गया है। पत्रावली उपलब्ध नहीं है लेकिन परिशिष्ट के आइटम संख्या (62) एवं अन्य नक्शों से सही स्थिति स्पष्ट रूप से दिखलाई देती है।

2. भू-खण्ड संख्या (17) का क्षेत्रफल 19 × 30 वर्ग फीट 63.33 वर्ग गज को यानि 52.95 व.मी. की राशि रु. 3006/- प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल राशि रुपये 159168/- में दिनांक 15.6.1995 को नीलामी में दिनेश कुमार गोयल को बेचा गया है।

3. भू-खण्ड संख्या (18) का क्षेत्रफल 19 × 30 वर्ग फीट 63.33 वर्ग गज का यानि 52.95 वर्ग मीटर को राशि रुपये 7251/- प्र. वर्ग. मी. की दर से कुल राशि रुपये 383940/- में दिनांक 15.6.1995 की नीलामी में श्री दिनेश कुमार गोयल/श्री रामेश्वर लाल गोयल को ही बेचा गया है।

नीलामी में भूमि बेचान में राजस्थान नगरीय भूमि निष्पादन नियम, 1974 के नियम (14) के नीचे परिशिष्ट (ए) के (जी) के अनुसार नीलामी की बीड (बोली) मण्डल के अध्यक्ष द्वारा ही स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार है। जब नीलामी के मौके पर अध्यक्ष महोदय ने अंतिम बोली स्वीकार कर 1/4 राशि जमा करवा कर भूमि आबंटन के आदेश दे दिये जाते हैं। जब आबंटी को बोली स्वीकृति के उपरान्त 3/4 राशि जमा कराने के लिए सूचित किया जाना और आबंटी के सूचित होकर राशि जमा कराने की प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अतः इन मामलों में अध्यक्ष महोदय ने नीलामी बोलियां स्वीकृत की है और बोली लगाने वाले को मौके पर ही कह दिया गया था। अतः ब्याज एवं शास्ति नीलामी की बोली स्वीकृति देय है।

अतः अधिशासी अधिकारी द्वारा बोली स्वीकृति की आबंटी को सूचना देना एवं सूचित होने को रोकना कोई मायने नहीं रखता है।

(ग) परिशिष्ट के आइटम संख्या (79) से 95 तक दर्ज आवासीय भू-खण्डों की नीलामी पत्रावलियां जो उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन फोटो स्टेट के अनुसार नीलामी बोली प्रपत्र पर छपे वर्ग गज लगाई गई प्रतीत होती है लेकिन राशियां वर्ग मीटर की दर से ली गई जो या तो कलम से लिखा है या फिर टाइप किया हुआ है। जब भू-खण्डों के क्षेत्रफल वर्ग फीट एवं वर्ग गजों में थे तो नीलामी वर्ग मीटरों में किया जाना भी संदेहाप्रद है इसलिए पालिका को भूमियों को नीलाम वर्ग गजों में करके राशि वर्ग मीटरों में लेने से भी भारी हानि हुई है जो राशि रु. 339957/- की है।

निम्न विवरणों से खांचा भूमि के बेचान एवं भू-खण्डों की नीलामी में निम्न हानि पालिका को पहुंचाई है।

1. खांचा भूमि बेचान में हानि राशि रु.	19,19,551.60
2. भू-खण्ड नीलामी में रुपये	3,29,957.00
योग	**22,49,508.60**

सुझाव है कि श्री रमेश जिन्दल, अध्यक्ष नगरपालिका, देवली एवं संबंधित अधिशासी अधिकारी द्वारा राजस्थान नगरीय भूमि निष्पादन नियम, 1974 में निर्धारित प्रक्रियाओं की अवहेलना करके पालिका की भूमियों/खांचा भूमियों का बेचान किया है। जिससे पालिका को भारी हानि हुई है। अतः राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग का ध्यान संबंधितों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु निदेशक महोदय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा लिया जाना चाहिए।

ह०/-

संयुक्त निदेशक

सूजस पत्रिका के पारिश्रमिक वितरण में अनियमितता

126. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सूजस पत्रिका के प्रकाशन पर अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? वर्ष 1992 से फरवरी, 2001 तक व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सूजस पत्रिका में अग्रलिखित लेखों के लिए पारिश्रमिक दिया जाता है? यदि हां, तो पारिश्रमिक देने के क्या मानदण्ड हैं तथा पारिश्रमिक देने के लिए कौन अधिकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सूजस के सम्पादक मण्डल के सदस्य भी पारिश्रमिक ले सकते हैं? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूजस पत्रिका के प्रकाशन पर अब तक रु. 98,55,537/- की राशि व्यय की जा चुकी है। वर्ष 1992 से फरवरी, 2001 तक व्यय की गयी राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। पारिश्रमिक देने के मानदण्ड संबंधी आदेश की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। पारिश्रमिक देने के लिए सम्पादक एवं निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकृत हैं।

(3) जी, हां। नियमों की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

सूजस पत्रिका के प्रकाशन पर वर्ष 1992 से फरवरी, 2001 तक व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण

क्र.सं.	वर्ष	व्यय की गई राशि रु.	क्र.सं.	वर्ष	व्यय की गई राशि रु.
1.	1992	8,70,433	6.	1997	13,77,506
2.	1993	10,00,200	7.	1998	12,89,405
3.	1994	11,51,044	8.	1999	7,22,547
4.	1995	11,65,186	9.	2000	7,45,293
5.	1996	13,18,758	10.	2001	2,06,163
			कुल योग रु.		98,55,537

परिशिष्ट "ब"

राजस्थान सरकार
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

क्रमांक : प.11(9)साहि./संपर्क/91/92/1/ जयपुर, दिनांक :

आदेश

सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रकाशित की जा रही त्रैमासिक पत्रिका "राजस्थान सूजस" में प्रसारित-प्रस्तुत लेख, रचना, चित्र, पारदर्शिता, कथा-कार्य आदि कार्यों के पारिश्रमिक का भुगतान निम्नलिखित रूप से करने की संसद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जानी है :

1. लेख, फीगर आदि : न्यूनतम रुपये 50/- प्रति पृष्ठ अथवा सम्पादक के विवेक के अनुसार अधिकतम 500/- रुपये
2. कहानी, कविता एवं अन्य ललित रचनाएं : न्यूनतम रुपये 100/- (अनुमानतः 50/- रुपये प्रति वाक्य)
3. चित्र, अनुवृत्तियां इत्यादि : न्यूनतम रुपये 50/-
4. चित्रकारी (आर्टवर्क डिजाइनिंग) : कार्य के अनुसार (सम्पादक के विवेक पर)
5. पारदर्शियां : आवरण- 300/- रुपये प्रति
अन्य - 150/- रुपये प्रति

6. रंगीन चित्र : आवरण- 300/- रुपये प्रति

अन्य - 50/- रुपये प्रति

7. श्वेत श्याम चित्र : 50/- रुपये प्रति

8. अन्य : सम्पादक के विवेकानुसार।

विशिष्ट लेखक, कलाकार, छायाकार आदि की किताबों/चित्रों आदि के पारिश्रमिक की राशि का निर्धारण (गुणवत्ता के आधार पर) प्रधान संपादक एवं निदेशक स्वयं करेंगे। किन्तु एक अंक के लिए दिये जाने वाले पारिश्रमिक की कुल राशि 7,000/- तक से अधिक नहीं होगी।

राज्य सरकार एवं उनके अधीन गठित निगमों/बोर्डों के कर्मचारी (राजस्थान सूजस के सम्पादकीय विभाग सर्विस) भी पारिश्रमिक ग्रहण कर सकेंगे। यदि प्रकाशित लेखन/छायांकन आदि का यह कार्य उनके निर्धारित राजकीय दायित्व अथवा दायित्व या अंश नहीं हो।

पारिश्रमिक या अन्य निम्नांकित बजट मद से लिया जावेगा :—

2220 — सूचना एवं प्रचार

60 — अन्य परिव्यय

110 — प्रकाशन

(5) — विज्ञापन व्यय एवं प्रचार व्यय

("राजस्थान सूजस" या प्रकाशन) (आयोजना व्यय)

यह स्वीकृति वित्त विभाग (व्यय-2) की सहमति कार्य डी.सं.2060 दिनांक 14.9.1992 के अन्तर्गत जारी थी जो "राजस्थान सूजस" पत्रिका के प्रथम अंक में लागू होगी।

ह०/-

विशिष्ट शासन सचिव

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,

राज. जयपुर

जिला हनुमानगढ़ में निजी बस आपरेटर्स से बकाया कर की वसूली

127. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला हनुमानगढ़ में सरकार द्वारा निजी बस आपरेटर्स को विभिन्न रुटों पर परमिट जारी किए हुए हैं? यदि हां, तो किस-किस को और कौन-कौन से रुट पर? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त परमिट धारियों की तरफ सरकार की कर के रूप में काफी राशि बकाया है? यदि हां, तो किस-किस में कितनी राशि बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त बकाया राशि को शीघ्र वसूल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि जिला हनुमानगढ़ में विभाग द्वारा निजी बस आपरेटर्स को विभिन्न रुटों पर परमिट जारी किए हुए हैं। मार्ग एवं परमिट धारियों की सूची संलग्न परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) जी, हां। उक्त परमिट धारियों के विरुद्ध कर की राशि रुपये 39,41,909/- बकाया है। बकाया राशि का विवरण संलग्न परिशष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(3) जी, हां। कर वसूली विभाग की नियमित प्रक्रिया का अंग है। यह कार्य सतत् जारी रहता है।

(सूची व विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

कृषि उपज मण्डी समिति रिडमलसर (गंगानगर) द्वारा निर्मित सड़कें

128. श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, रिडमलसर तहसील पदमपुर जिला, गंगानगर की गत वर्ष की वार्षिक आय क्या है? क्षेत्रफल एवं कृषि उपज के अनुसार क्या यह आय सही है?

(2) उक्त मण्डी समिति द्वारा गत वर्ष में कितनी सड़कों का निर्माण करवाया गया? क्या उक्त कृषि उपज मण्डी समिति क्षेत्र में बोर्ड की सड़क नीति में आने वाले सभी गांवों को पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, रिडमलसर की गत वर्ष की आय 18.65 लाख रु. है। मण्डी में कृषि उपज की आवक के अनुसार आय सही है।

(2) उक्त मण्डी समिति द्वारा गत वर्ष किसी भी सड़क का निर्माण नहीं कराया गया। इस मण्डी क्षेत्र में सभी 14 पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़े हुए हैं। सड़क

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

नीति के तहत इससे निचली वरीयता के गांव वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर जोड़े जा सकेंगे।

उपखण्ड मुख्यालय सांचौर में खण्ड कार्यालय की स्थापना

129. श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार सांचौर उपखण्ड मुख्यालय पर जलदाय विभाग का खण्ड कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी, हां। उपखण्ड मुख्यालय सांचौर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का खण्ड कार्यालय खोलने का प्रस्ताव विभाग के खण्डीय कार्यालयों के पुनर्गठन प्रस्तावों में सम्मिलित कर लिया गया है जो कि विचाराधीन है।

पंचायत समिति बिछीवाड़ा (डूंगरपुर) में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना

130. श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार जिला डूंगरपुर की पंचायत समिति, बिछीवाड़ा में मुंसिफ कोर्ट स्थापित करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला डूंगरपुर की पंचायत समिति, बिछीवाड़ा में सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ-खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय (मुसिंफ न्यायालय) स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

राज्य में किसी स्थान पर नवीन सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ-खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय (मुंसिफ न्यायालय की स्थापना उस क्षेत्र के 1700-2000 प्रकरण लम्बित होने पर, न्यायालय हेतु भवन एवं पीठासीन अधिकारी हेतु आवासीय भवन उपलब्ध होने पर तथा माननीय उच्च न्यायालय की सहमति प्राप्त होने पर ही की जा सकती है।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में अल्प बचत योजना के तहत पूंजी निवेश

131. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या अल्प बचत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अल्प बचत निदेशालय स्थापित हैं? यदि हां, तो इसके क्या-क्या कार्य हैं? जिले में कहां-कहां पर इसके कार्यालय स्थापित कर रखे हैं? वर्ष 2000 से फरवरी, 2001 तक कुल कितने रुपयों की पूंजी का निवेश किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग ने पूंजी निवेशकर्ताओं को इसमें पूंजी लगाने हेतु कई प्रकार की योजनाएं चालू

(श्री रामस्वरूप)

कर रखी हैं? यदि हां, तो कौनसी, सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में उक्त किस-किस योजनाओं के माध्यम से कितनी राशि अल्प बचत के माध्यम से जमा की गई है? उक्त राशि किन-किन व्यक्तियों द्वारा किन-किन विभागों से एकत्र की गई उनमें से कितने व्यक्तियों को ईनाम दिये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। अल्प बचत निदेशालय के निम्नलिखित कार्य हैं :—

i. घरेलू बचतों को राष्ट्रीय बचत योजनाओं में विनियोजन कराने हेतु योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना।

ii. राष्ट्रीय बचत संगठन डाक विभाग एवं लोक भविष्य निधि जमाएं स्वीकार करने वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ समन्वय स्थापित करना।

iii. इस विभाग के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कार्यालय स्थापित है।

iv. डाक विभाग के सूचनानुसार राष्ट्रीय अल्प बचत योजनाओं में राज्य में जनवरी, 2000 से फरवरी, 2001 तक 5518.50 करोड़ रुपये का कुल सकल संग्रहण हुआ है।

(2) जी, नहीं।

(3) राष्ट्रीय अल्प बचत योजनाएं भारत सरकार द्वारा बनाई जाती है तथा इन योजनाओं की राशि डाकघर में जमा होती है टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में जमा की गई राशि किस-किस योजनाओं के माध्यम से एवं किन-किन व्यक्तियों से एकत्रित की गई और यह हिसाब डाकघर द्वारा रखा जाता है। डाकघर भारत सरकार का कार्यालय है यह सूचना राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करना सम्भव नहीं है। डाकघर में राशि स्वयं निवेशकर्ता अथवा अभिकर्ता के माध्यम से जमा की जाती है अतः विभागों द्वारा राशि एकत्र नहीं की जाती है। इसलिए राशि एकत्रित करने वाले व्यक्तियों को ईनाम देने का प्रश्न नहीं उठता।

पीड़ितों की सहायता राशि में वृद्धि

132. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अग्नि, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से किसानों की फसलों, बाड़ों या खलिहानों में नुकसान होने पर सरकार सहायता देती है? क्या सरकार ने जिला कलक्टरों हेतु रिवोल्विंग फण्ड की सुविधा दे रखी है? यदि हां, तो प्रत्येक जिले में दिनांक 15 मार्च, 2001 को कितनी-कितनी राशि उपलब्ध थी?

(2) क्या गत पांच वर्षों में विभिन्न जिलों में उक्त प्रकार के नुकसान की जानकारी सरकार को है? यदि हां, तो

(श्री सांवर लाल)

किस-किस व्यक्ति का क्या-क्या नुकसान जिला अजमेर के अन्तर्गत हुआ और उसको कितनी सहायता राशि उपलब्ध करानी थी?

(3) क्या उक्त सभी को भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो किस-किस को?

(4) क्या सरकार अब अविलम्ब उक्त सहायता उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। अग्नि, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से किसानों की फसलों, बाड़ों या खलिहानों में नुकसान होने पर सरकार सहायता देती है। यह सही है सरकार द्वारा जिला कलक्टरों हेतु रिवोल्विंग फण्ड की सुविधा दे रखी है। जिलों में 15 मार्च, 2001 को उपलब्ध राशि के विवरण का परिशिष्ट-I के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी, हां। जिला अजमेर में जिन-जिन व्यक्तियों का नुकसान हुआ है तथा जो सहायता राशि स्वीकृत की गई है उसका विवरण परिशिष्ट-II पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) नियमों के अन्तर्गत आने वाले सभी दावों का भुगतान कर दिया गया है।

(4) भुगतान करना शेष नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

खनिज विकास निगम एवं खान एवं खनिज निगमों का विलय

133. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान खनिज विकास निगम एवं राजस्थान खान एवं खनिज निगम वर्तमान में दोनों निगम कार्यरत हैं? क्या सरकार उक्त निगमों को प्रतिस्पर्द्धा के कारण करोड़ों रुपये की राजस्व हानि को रोकने के लिए इनका विलय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त दोनों निगम राक फास्फेट खनिज का खनन एवं बेचने का कार्य अलग-अलग करते हैं और उक्त दोनों के अलग-अलग कार्य करने से करोड़ों रुपये की राजस्व हानि हो रही है?

(3) क्या सरकार ने दिनांक 20 नवम्बर, 1999 को निर्णय कर 6 राजकीय उपक्रमों/विभागों का बिलय करने का निर्णय किया है? यदि हां, तो उक्त निगम कब तक विलय कर दिये जावेंगे और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि राजस्थान खनिज विकास निगम एवं राजस्थान खान एवं खनिज निगम वर्तमान में दोनों निगम कार्यरत हैं। राज्य सरकार द्वारा दोनों निगमों के आमेलन का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में कार्य योजना

(राज्य मंत्री, खनिज)

बना ली गई है। तदानुसार विलय की प्रक्रिया 31 मार्च, 2002 तक पूरी करना प्रस्तावित है।

(2) जी, हां। दोनों निगम राक फास्फेट खनिज का खनन एवं बेचने का कार्य अलग-अलग करते हैं। किन्तु इससे राजस्व की हानि होनी सही नहीं है। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम द्वारा (आर.एस.एम.एम.) 31 प्रतिशत P2O5 व बेनिफिशियेटेड राक फास्फेट जिसकी गुणवत्ता लगभग 34 प्रतिशत होती है का ही उत्पादन किया जाता है। जबकि राजस्थान खनिज विकास निगम (आर.एस.एम.डी.सी.) मुख्यतः 18-20, 22-24, 25-27 प्रतिशत व बहुत कम मात्रा में 31 प्रतिशत का भी उत्पादन किया जाता है। आर.एस.एम.एम. के 31 प्रतिशत के उत्पादन की तुलना में आर.एस.एम.डी.सी. का उत्पादन मात्र 5 प्रतिशत से भी कम है। अतः आर.एस.एम.डी.सी. द्वारा बाजार को किसी भी प्रकार से प्रभावित कर पाना सम्भव नहीं है। राक-फास्फेट खनन क्षेत्र में बाजार दरें मुख्यतः आयातित राक फास्फेट से निर्धारित होती हैं।

(3) जी, हां। राज्य सरकार ने 18-19 नवम्बर, 1999 को निम्न विभागों/निगमों का पुनर्गठन/समायोजन/समाप्तिकरण का निर्णय लिया है :—

1. पशुपालन विभाग।

2. भेड़ व ऊन विभाग।

3. सेटलमेंट विभाग।

4. आर.एस.एम.डी.सी.।

5. आर.एस.एम.एम.एल.।

6. आर.टी.डी.सी. एवं होटल कारपोरेशन।

पशुपालन विभाग एवं भेड़ व ऊन विभाग का विलिनीकरण राज्य सरकार की आज्ञा दिनांक 18.12.2000 से किया जा चुका है। शेष के सम्बन्ध में कार्यवाही जारी है।

रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट में सुविधाएं

134. **श्रीमती यासमीन अबरार** (सवाई-माधोपुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट सवाई-माधोपुर में ताजा गणना के अनुसार किस-किस श्रेणी के कितने-कितने जानवर हैं?

(2) सरकार ने रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट में आने वाली भीषण गर्मी के मौसम व अकाल को दृष्टिगत रखते हुए वहां के जंगली जानवरों के पीने के पानी के लिए क्या व्यवस्था की है?

(3) उक्त प्रोजेक्ट के जानवरों को किसी बीमारी अथवा महाभारी से बचाने के लिए सरकार के पास क्या-क्या उपाय हैं? उक्त जानवरों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए सरकार के पास क्या-क्या उपाय हैं तथा भीषण गर्मी में वहां कोई महामारी ना फैले इसके लिए सरकार क्या कर रही है?

(श्रीमती यासमीन अबरार)

क्या जंगली बबूल से कुछ जानवरों के मरने का मामला सरकार के सामने आया है? यदि हां, तो कब?

उत्तर

(1) रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट सवाई-माधोपुर में नवीनतम गणना, जो कि वर्ष 1999 में की गयी थी, के अनुसार श्रेणीवार जानवरों की संख्या परिशिष्ट "क" में प्रस्तुत है। आने वाली भीषण गर्मी के मौसम व अकाल को दृष्टिगत रखते हुए जंगली जानवरों के पीने के पानी के लिए निम्नलिखित कार्य किये गये हैं :—

(2) पीने के पानी के लिए निम्नलिखित कार्य किये गये हैं :—

1. नालों में गड्ढ़े खुदवाकर 20 स्थानों पर टैंक बनाये गये हैं जिनमें उतर कर वन्य जीव पानी पी सकते हैं।
2. कुओं से पानी निकलाकर 8 खैलों में पानी भरवाया जा रहा है।
3. लाहपुर के आसपास क्षेत्रों से ट्रैक्टर से पानी मंगवाकर जेलखो, खटोला खो एवं परीत बाबा आदि स्थानों पर जहां पानी नहीं है पहुंचाया जा रहा है।
4. दो सौर ऊर्जा से चलने वाले समर्सिबल पम्प दो कुओं में लगाये जा रहे हैं जिससे पानी उपलब्ध हो सके।

(3) रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट के जानवरों की किसी प्रकार की बीमारी अथवा महामारी से बचाने के लिए प्रोजेक्ट क्षेत्र के आस-पास के ग्रामों के पशुओं का टीकाकरण किया जाता है। प्रोजेक्ट के आस-पास जिला सवाईमाधोपुर व करौली में किये गये टीकाकरण की सूचना परिशिष्ट "ख" में प्रस्तुत है। बाघ परियोजना क्षेत्र में जंगली बबूल से किसी भी जानवर के मरने का मामला सामने नहीं आया है।

परिशिष्ट "क"

रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट सवाईमाधोपुर में वर्ष 1999 की वन्य जीव गणना अनुसार श्रेणीवार वन्य जीवों की संख्या की सूची

क्र.सं.	किस्म वन्य जीव	संख्या
1.	टाइगर	31 से 36
2.	पेन्थर	53 से 63
3.	स्लेथ बीयर	368
4.	स्पाटेड डीयर	8893
5.	सांभर	6040
6.	ब्लूबुल (रोजड़ा)	3922
7.	चिंकारा	1420
8.	वाइल्ड बोर	3196
9.	जैकाल	2520
10.	हाइना	864
11.	केराकल	25

परिशिष्ट "ख"

राजस्थान सरकार

कैयर वैटेनरी यूनिट-बाघ परियोजना रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर

वार्षिक प्रगति पत्र माह अप्रैल, 2000 से फरवरी, 2001 तक

क्रमांक : .... दि. 2.3.2001

क्र.सं.	पार्ट-1	टीकाकरण कार्य	ग्राम	कुल टीकाकरण
1	2	3	4	5
1.	श्रीमान जिला पशुपालन अधि. सवाईमाधोपुर के सहयोग से माह अपैल-मई-जून में टीका कार्य किया गया :— कौरसैल की सीमा से 5 k.m. परिधि	एच.एस.वैक्सीन कार्य	51 ग्रामों में	10249 टीका
	वन्य जीवों एवं ग्रामीण पालतू पशुओं के स्वास्थ्य निरीक्षण कौरसैल एवं बफर सैल			
2.	राष्ट्रीय उद्यान कौरसैल के वन्य जीवों का स्वास्थ्य निरीक्षण किया गया दि. 25.7.200 से 28.7.2000 तक बफर सैल करौली 9.8.2000 से 11.8.2000	वन्य प्राणियों का स्वास्थ्य निरीक्षण के दौरान सही पाया गया वन्य प्राणियों एवं पालतू पशुओं का निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सही पाया गया।		डा. एस.के. गर्ग जिला पशुपालन अधिकारी स.माधोपुर को साथ लेकर गया वाहन 4780 डा. कमल प्रकाश भारद्वाज को साथ लेकर पशुओं का स्वास्थ्य निरीक्षण किया गया वाहन 1363
3.	**पशु चिकित्सा शिविर**	**औषधियों के अभाव में नहीं लगाये गये।**		
4.	**जल प्रदूषण कार्य**	**औषधियों के अभाव में जल प्रदूषण कार्य नहीं हो सका।**		
5.	पशुपालकों की गोष्ठी आयोजन कौर क्षेत्र	श्रीमान् जि.प.पा. अधि. को साथ लेकर पशु पालकों की गोष्ठी का आयोजन किया वाहन-4780	1. बस्सों कलां 2. बस्सों खुर्द 3. श्यामपुरा 4. कुण्डेरा	4 गोष्ठी का आयोजन

1	2	3	4	5
6.	वन्य जीवों की चिकित्सा कार्य	11.7.2000 से 15.7.2000 तक 14.8.2000	1 चितल की चिकित्सा की गई डा. डी.पी. सिंह 1 नीलगाय का बच्चा जोगी महल घोड़ा गया खता ग्राम से लाया गया	
7.	खून की जांच 13.7.2000	जयपुर जिला रोग पशु अनु.प्र.शा. एवं पुश राज्य रोग रागु प्र.शा. जयपुर	1 चीतल के खून की जांच	

8.	**कैयर वैटेनरी यूनिट के द्वारा किये गये पोस्टमार्टम कार्य विवरण**			**पो.मा. किया गया**
16.7.2000	1 चीतल का पो.मा.	जोगीमहल	1	डा. डी.पी. सिंह
4.8.2000	1 हनुमान बन्दर का पो.मा.	सिंहद्वार	1	डा. डी.पी. सिंह डा. विशाल अरोरा
25.8.2000	1 नीलगाय नर का पो.मा.	गाडाडूब	—	डा. गोयल प्रभारी अधि. प. धि. आलनपुर
23.11.2000 कुण्डेली रेंज में	1 चीतल 1 (चीतल मादा गर्भवती)	लक्कडदा जोगीमहल	— —	डा. विशाल अरोरा डा. डी.पी.सिंह
23.2.2001	1 साभर नर	बागदानाला	—	डा. विशाल अरोरा
1.3.2001	1 चीतल नर	मालिक तलाव जोगीमहल	—	डा. गोयल साहिब प्रभारी प.चि.आलनपुर

ह०/-

प्रभारी
कैयर वैटेनरी यूनिट
बाघ परीक्षण, स.माधोपुर

कार्यालय सहायक निदेशक पशुधन विकास समिति

क्रमांक/विकास/6600 दिनांक 11-2-2001

श्रीमान उपवन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक
(सांभर) बाघ परियोजना रणथम्भौर करौली

विषय : कैला देवी अभ्यारण्य के आसपास बसे ग्रामों में टीकाकरण के सम्बन्ध में।

प्रसंग : आपका पत्रनुभाग F8/तक/उपक्ष/2000/466 दि. 1.2.2001

उपरोक्त विषय में लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचना निम्नप्रकार भेजी जा रही है। गांववाइज सूचना एकत्रित कर भेज दी जावेगी।

क्र.सं.	नाम	H.s. (गलकोट्)	B.g. (वार्डसूचना)
1.	पशु चिकित्सालय, सपोटरा	1579	120
2.	पशु चिकित्सालय, कटककर	5100	960
3.	पशु चिकित्सालय, बांगरा	936	—
4.	पशु चिकित्सालय, कैलादेवी	1346	—
5.	पशु चिकित्सालय, भंडरायल	1334	114
6.	पशु सेवा संस्थान गदौरी	1420	—
7.	पशु सेवा संस्थान जीरोता	986	—
		12701	**1194**

ह०/-
सहायक निदेशक
पशुधन विकास
करौली (राजस्थान)

नगरपालिकाओं एवं नगर निगमों को दिये जाने वाला अनुदान

135. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने नगरपालिकाओं/नगर निगमों के टैक्स बंद किये हैं? यदि हां, तो राज्य में टैक्स बंद होने से सरकार को वार्षिक कितनी राशि की क्षति हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में नगरपालिकाओं एवं नगर निगमों को दिया जाने वाला अनुदान किस नीति से दिया जाता है? क्या नगर पालिकाओं और नगर निगमों का अनुदान एक समान है? यदि हां, तो कितना-कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा नगरपालिकाओं/नगर निगमों के सभी टैक्स बन्द नहीं किये हैं, केवल चुंगी कर एवं टी.पी. कर की वसूली दिनांक 1.8.1998 से बन्द कर दी गई है। उक्त करों के बन्द किये जाने पर राज्य की नगरपालिकाओं/परिषदों/निगमों को राज्य सरकार द्वारा बदले में दी जा रही पुनर्भरण की राशि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) राज्य में नगर निगमों/परिषद/पालिकाओं को दिये जाने वाला अनुदान वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर आवंटित किया जाता है। नगरपालिकाओं और नगर निगमों को दिये जाने वाले अनुदान का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

पुनर्भरण की राशि का विवरण :

क्र.सं	वर्ष	अनुदान की राशि
1.	1998-99	19433.60 लाख रुपये (आठ माह की अवधि का)
2.	1999-2000	32066.00 लाख रुपये
3.	2000-2001	35272.60 लाख रुपये

नगरपालिकाओं/परिषदों/निगमों को दिये जाने वाले अनुदान का विवरण :—

नगर निगम/परिषद को 12.50 रुपया प्रति व्यक्ति, द्वितीय श्रेणी की पालिकाओं को 25.00 प्रति व्यक्ति, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की पालिकाओं को 37.50 रुपया प्रति व्यक्ति अनुदान दिया जाता है।

समाचार पत्रों की कतरन पर व्यय

136. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो वर्षों में राज्य सरकार द्वारा अखबार की कतरनें इकट्ठा करने एवं

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

निष्पक्ष सूचनाएं तथा उनका विश्लेषण उपलब्ध कराने के लिए किस-किस कम्पनी को कब-कब कितनी-कितनी राशि का अनुबन्ध किया गया है?

(2) उक्त कम्पनियों में किस-किस तरह की सूचनाएं व अखबार की कतरनें अब तक सरकार को उपलब्ध करवाई और इस हेतु कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस-किस कम्पनी को किस-किस कार्य हेतु कब-कब दिया गया?

(3) क्या उक्त अखबारों की कतरनें इकट्ठा करने व सूचनाएं एकत्रित करने हेतु जन सम्पर्क एवं सूचना निदेशालय के पास पहले से ही कोई अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत नहीं है?

(4) क्या उक्त कार्य पहले से ही जन सम्पर्क विभाग तथा अन्य विभाग अनवरत रूप से कर रहे थे? यदि हां, तो उक्त प्रकार लाखों रुपयों का अनुबन्ध उक्त कम्पनियों को क्यों दिया गया?

उत्तर

(1) इस विभाग द्वारा इस प्रकार का कोई अनुबंध नहीं किया गया है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

बाड़ी से फिरोजाबाद बस सेवा

137. श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला धौलपुर के बाड़ी उप खण्ड से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसों को घाटे के कारण बन्द कर दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बाड़ी से फिरोजाबाद व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम द्वारा चलायी जा रही बस को घाटे में दर्शा कर स्थानीय जनता को बस सेवा की सुविधा से वंचित किया गया है? क्या सरकार उक्त बस सेवा को पुनः चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या बाड़ी से फिरोजाबाद चलने वाली निगम बस के दर्शाये घाटे से अधिक घाटे वाली बसों को बाड़ी मार्ग से अन्य स्थानों हेतु संचालित किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) बाड़ी से फिरोजाबाद मार्ग की बस सेवा को घाटे के कारण बन्द नहीं किया गया है, अपितु दिनांक 26 एवं 27.5.2000 को उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगमों के मध्य तैयार किए गए

(यातायात मंत्री)

समझौता प्रस्तावों में सहमति नहीं होने के कारण, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के अधिकारियों द्वारा संचालन में व्यवधान किए जाने के कारण, इस सेवा का संचालन बन्द कर दिया गया है। इस मार्ग पर पुनः वाहन संचालन उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अन्तरराज्यीय परिवहन करार किए बिना सम्भव नहीं है।

(3) बाड़ी के फिरोजाबाद सेवा को घाटे के कारण बन्द नहीं किया गया है, अतः अन्य मार्गों की घाटे वाली सेवाओं को बन्द कर दिए जाने की तुलना उक्त मार्ग से किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

कृषि उपज मण्डियों में आढ़त वसूली

138. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कृषि उपज मण्डियों में आढ़त के वर्ग दलाल द्वारा आढ़त क्रेता से वसूल करने का प्रावधान नियमों में है? यदि हां, तो क्या इसकी पालना राज्य की सभी मण्डियों में हो रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में ऐसी मण्डियां भी है जहां आढ़त विक्रेता से वसूल की जाती है? यदि हां, तो कौन-कौनसी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार को विक्रेता से आढ़त वसूल करने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी, हां। इसकी पालना कराई जा रही है।

(2) जी, नहीं। यदा कदा ऐसी शिकायतें अथवा प्रकरण प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(3) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

परिशिष्ट "अ"

मण्डियों में विक्रेता से आढ़त वसूली के संबध में प्राप्त शिकायतों एवं की गई कार्यवाही का विवरण

क्र. सं.	मण्डी	प्राप्त शिकायत का विवरण	शिकायतकर्ता का विवरण	कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5
1.	फुलेरा	किसानों से अनधिकृत आढ़त	अध्यक्ष, किसान संघ, फुलेरा	जांच उपरान्त शिकायत तथ्यहीन
2.	लालकोठी (फल सब्जी मण्डी)	अनधिकृत कटौती एवं विक्रय पर्ची जारी नहीं करना।	श्री सत्यनारायण, कृषक, ग्राम शिकारपुरा, तह. सांगानेर, जयपुर	मै. सुवालाल एण्ड क. के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में दि. 20.11.2000 को चालान प्रस्तुत किया
			1. श्री जगदीश पुत्र श्री कल्याण सहाय मीणा, हीरावाला, तह. बस्सी, जयपुर	
			2. श्री रमेश पुत्र श्री कानाराम यादव, हीरावाला, तह. बस्सी, जयपुर	मै. कुरेशी एण्ड कं. के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में दि. 20.11.2000 को चालान प्रस्तुत किया
			3. श्री गणपत पुत्र श्री रामनाथ रतनपुरा तह. बस्सी, जयपुर।	
			श्री शंकरपुरी गोस्वामी पुत्र श्री जगदीश पुरी, ग्राम हनुमानपुरा तह. बस्सी, जयपुर	मै. कल्याण सहाय शंकरलाल के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में दि. 20.11.2000 को चालान प्रस्तुत किया

1	2	3	4	5
			श्री रामप्रसाद पुत्र श्री प्रभु नारायण बागड़ा, निवासी विमलपुरा, तह. सांगानेर, जयपुर	मै. फकीर मोहम्मद बाबू खां के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में दि. 20.11.2000 को चालान प्रस्तुत किया
			श्री राधामोहन पुत्र श्री कन्हैया लाल बागड़ा, लूणियावास, तह. सांगानेर, जयपुर	मै. कालूराम गुलजी के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में दि. 20.11. 2000 को चालान प्रस्तुत किया
			1. श्री रामकुवांर पुत्र श्री श्योजी राम, ग्राम ब्रजनाथपुरा, तह.चाकसू, जयपुर	
			2. श्री सीताराम चौधरी पुत्र श्री सेवाराम, ब्रजनाथपुरा, तह. चाकसू, जयपुर	मै. जौहरीलाल चन्दालाल का अनुज्ञापत्र 7 दिवस के लिए दि. 05.11.2000 से 11.11.2000 तक निलम्बित किया एवं फर्म के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में दि. 20.11.2000 को चालान प्रस्तुत किया
			3. श्री गोपालाल जाट उदयपुरिया, तह. चाकसू, जयपुर	
3.	जोधपुर (फल सब्जी)		मंत्री भारतीय किसान संघ, देसूरी	मै. हरीराम नारूमल से अनधिकृत कटौती के 527/- रु. एवं शास्ति के 100/- रु. वसूल किये
4.	देसूरी, रानी		मंत्री, भारतीय किसान संघ, देसूरी	दि. 13.07.2000 को एक माह के लिए निम्न चार व्यापारियों के अनुज्ञापत्र निलम्बित किये

1	2	3	4	5
				1. मै. प्रतापराम नेमाजी कोर 2. मै. भंवरलाल गुलाबजी 3. मै. गुलाबचन्द रामजी 4. मै. बाबूलाल किस्तुरजी दि. 01.03.2001 को निम्न चार फर्मों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में पांच चालान प्रस्तुत किये : 1. मै. गमनाराम मोहनजी 2. मै. दीपाराम कुपाजी 3. मै. कमलेश कुमार बनाराम 4. मै. गमनाराम मोहनजी 5. मै. कर्ण फुड सेन्टर निम्न फर्मों के विरुद्ध भी अनुज्ञापत्र निलम्बन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है : 1. मै. गुलाबचन्द रामजी 2. मै. भंवरलाल गुलाबजी 3. मै. प्रतापराम निमाजी 4. मै. अनाराम राणाराम 5. मै. बाबूलाल किस्तुरजी
5.	सोजत रोड	अनधिकृत कटौती	स्थानीय सब्जी विक्रेता काश्तकारों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन दि. 27.01.2001	1. सभी व्यापारियों को नोटिस जारी 2. दि. 17.03.2001 को 7 दिवस के लिए निम्न दो फर्मों के अनुज्ञापत्र निलम्बित किये : 1. मै. राजेन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी 2. मै. कालूराम ढगरा
			पुनः ज्ञापन दि. 22.03.2001	व्यापारियों को आरोप पत्र जारी, अनुज्ञापत्र निलम्बन/निरस्त की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
6.	आबू रोड	कृषकों से आढ़त वसूल करने बाबत।	भारतीय किसान संघ, सिरोही	जांच उपरान्त शिकायत तथ्यहीन
7.	राजसमन्द	अनधिकृत कटौती	मंत्री, भारतीय किसान संघ, देसूरी की शिकायत की जांच दौरान उपलब्ध हुई जानकारी	निम्न दो फर्मों को नोटिस जारी किये गये है : 1. मै. द्वारकेश सब्जी भण्डार, कांकरोली 2. मै. बंशीलाल राधेश्याम, आमेट

जिला कलक्टर कोटा को पेयजल हेतु राशि

139. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला कोटा में सरकार ने हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान कब से प्रारम्भ किया? नवम्बर, 2000 से फरवरी, 2001 तक कितने हैण्ड पम्प के लिए पाइप कितनी-कितनी लम्बाई के उपलब्ध करवाये तथा किस-किस माह में कितने-कितने हैण्ड पम्प ठीक किये गये?

(2) क्या उक्त जिले में कुछ गांव ऐसे भी थे जहां टैंकरों से पानी पहुंचाना था किन्तु नहीं पहुंचाया गया? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से गांव थे तथा उनमें पानी क्यों नहीं पहुंचाया गया?

(3) उक्त जिले में पेयजल के लिए जिला कलक्टर को कितनी-कितनी राशि कब-कब उपलब्ध करवाई गई?

उत्तर

(1) कोटा जिले में सरकार द्वारा 27 वां हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान 7.12.2000 से प्रारम्भ करना प्रस्तावित था लेकिन इस कार्य हेतु वांछित गाड़ियों की और स्पेयर पार्ट्स की व्यवस्था के बाद जिला कोटा में मरम्मत अभियान 12.12.2000 से प्रारम्भ किया गया। माह नवम्बर, 2000 से फरवरी, 2001 तक जिला कोटा में 1745 हैण्ड पम्पों के लिए 32 एम.एम. व्यास के 8361 मीटर जी.आई. पाइप उपलब्ध करवाये गये। जिला कोटा में दिसम्बर, 2000 में 228 हैण्ड पम्प जनवरी, 2001 में 697 हैण्ड पम्प फरवरी, 2001 में 820 हैण्ड पम्पों की मरम्मत की गई।

(2) जी, हां। जिला कोटा में वर्ष 2001 की गर्मियों के लिए पेयजल समस्या के निराकरण हेतु प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार ग्रामीण खण्ड कोटा के 17 ग्राम एवं रामगंजमण्डी खण्ड के 11 ग्राम इस तरह कुल 28 ग्रामों में टैंकर द्वारा पेयजल परिवहन की आवश्यकता आशंकित की गई थी। फरवरी, 2001 तक सर्विस लेवल शून्य होने के कारण टैंकरों से खण्ड रामगंजमण्डी के तीन ग्रामों में पानी पहुंचाया जा रहा है। शेष 25 ग्रामों जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है, में हैण्ड पम्प आदि से पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध होने के कारण पानी टैंकरों द्वारा पहुंचाने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई।

(3) सहायता विभाग द्वारा पेयजल के लिए जिला कलक्टर कोटा को माह दिसम्बर, 2000 में 10 लाख रु. राशि उपलब्ध करवायी गयी तथा जिले में रु. 50 लाख तक के आपातकालीन कार्य स्वीकृत करने हेतु अधिकृत किया गया है।

परिशिष्ट "अ"

ग्रीष्म 2001 में जल परिवहन हेतु सम्भावित ग्रामों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड सं.	तहसील
जिला ग्रामीण खण्ड कोटा			
1.	मोहनपुरा	169	लाडपुरा
2.	सोहनपुरा	160	लाडपुरा
3.	नीमखेड़ा	164	लाडपुरा
4.	बिलोद	166	लाडपुरा
5.	जोधपुर	116	लाडपुरा
6.	बक्सपुरा	163	लाडपुरा
7.	पाचनकुई	82	लाडपुरा
8.	रानपुर (मंजरा पुनिया देवरी)	83	लाडपुरा
9.	कोलाना	91	लाडपुरा
10.	हनोतियां	113	लाडपुरा
11.	सिंहपुरा	176	लाडपुरा
12.	डोलिया	119	लाडपुरा
13.	चांद बावड़ी	138	लाडपुरा
14.	गोपालपुरा	175	लाडपुरा
15.	उम्मेदपुरा	157	लाडपुरा
16.	बालापुरा	75	दीगोद
17.	संग्रामपुरा	36	पीपल्दा
खण्ड रामगंजमण्डी			
18.	सोहन खेड़ा	68	रामगंजमण्डी
19.	जामुनिया	83	रामगंजमण्डी
20.	झिलारा	103	रामगंजमण्डी
21.	कुम्भ कोट	140	रामगंजमण्डी
22.	नालोदियों	141	रामगंजमण्डी
23.	जुल्मी	153	रामगंजमण्डी
24.	गोला	161	रामगंजमण्डी
25.	देवली खुर्द	142	रामगंजमण्डी
26.	बढोदिया आंतरी	104	रामगंजमण्डी टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है।
27.	नुरपूरा	114	रामगंजमण्डी टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है।
28.	छतरपुरा	164	रामगंजमण्डी टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है।

श्रीगंगानगर काटन क़ाम्पलेक्स में घाटे की आपूर्ति

140. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार श्री गंगानगर काटन काम्पलेक्स को घाटे से उबारने तथा इसे चालू करने हेतु कोई कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार उक्त काटन काम्पलेक्स को चालू रखने के लिए अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करने का विचार रखती है? उक्त काटन काम्पलेक्स को सुचारू रूप से चलाने हेतु क्या सरकार इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व किस प्रकार?

उत्तर

(1) एवं (2) संस्था के बारे में निर्णय लिये जाने हेतु मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

अल्प बचत योजना में हुई अनियमितताओं की जांच

141. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या अल्प बचत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान सरकार अल्प बचत योजना एच. नं. 582 रामगंज बाजार, जयपुर आर.जी. नम्बर 351/11/86 जारी किये गये हैं? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना में हुई अनियमितता के विरुद्ध प्रस्तुत वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क. ख) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर पूर्व, शहर जयपुर ने अपने हुकुमनामा दिनांक 10 मई, 1999 द्वारा लाटरी खोले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति एवं उसकी अनुपालना में की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत प्रोपराइटर को किस-किस तारीख की लाटरी खोले जाने का अधिकार था एवं प्रोपराइटर द्वारा कौन-कौनसी तारीख की लाटरी कब-कब खोली गई? क्या उक्त लाटरी बिना सदस्यों की अनुमति से प्रोपराइटर द्वारा बीच में ही बन्द कर सदस्यों को भुगतान नहीं किया गया एवं उनके साथ धोखाधड़ी कर उनकी राशि हड़प ली गई? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी प्रोपराइटर के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने एवं सदस्यों को भुगतान करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या उक्त अनियमितता की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब-कब, किस-किस द्वारा? प्राप्त

(श्री कुबेर सिंह)

शिकायतों की प्रति एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या प्रोपराइटर बिना सदस्यों की पूर्व अनुमति प्राप्त किये लाटरी बीच में ही बन्द कर सकत है? यदि नहीं, तो उसने ऐसा किस-किस नियम एवं अधिकार से किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(5) प्रश्न नहीं उठता।

बिजली समस्याओं से संबंधित दर्ज मुकदमे

142. श्री अमराराम (धोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बिजली की समस्या को लेकर आन्दोलन करने वाले किसानों पर नागौर, सीकर, झुंझुनूं, जयपुर एवं भरतपुर जिले में मुकदमे दर्ज किए गए हैं? यदि हां, तो कितने? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने मुकदमों में चालान पेश कर दिया गया है तथा कितने अन्वेक्षपणाधीन हैं?

(3) क्या सरकार उक्त मुकदमों को राज्य हित में वापस लेने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। एक जनवरी, 2000 से 15 मार्च, 2001 तक किसानों द्वारा बिजली की मांग को लेकर किये आन्दोलन के संबंध में नागौर में 5, सीकर में 10, झुंझुनूं में 35, जयुपर में 8 एवं भरतपुर में 2 अभियोग सहित कुल 60 अभियोग दर्ज किये गये। अभियोगवार सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) उक्त में से 17 अभियोगों में आरोप पत्र किता किया जाकर 8 अभियोगों में चालान संबंधित न्यायालयों में पेश किये गये हैं तथा 34 अभियोग अन्वेषणाधीन हैं। सूचना परिशिष्ट "अ" में अंकित हैं।

(3) इस संबंध में सभी मुकदमों में एकसा निर्णय सम्भव नहीं है। किसी भी मुकदमें के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर समुचित निर्णय लिया जाएगा।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला करौली के खनन क्षेत्र में लीजधारी के विरूद्व बकाया राशि की वसूली

143. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भरोसी लाल)

(1) जिला करौली में कौन-कौनसा खनिज कितने-कितने क्षेत्र में निकलता है? खनिजवार खनन क्षेत्र की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में किस-किस व्यक्ति के नाम किस-किस खनिज की लीज कितने क्षेत्र में कितने समय के लिए कितनी-कितनी राशि कब की कब से दी गई है? लीजधारी का नाम, खनिज, खनिज क्षेत्र, समयावधि, लीज राशि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त खनिज क्षेत्र में किस-किस लीजधारी के ऊपर कितनी-कितनी राशि कब-कब से बकाया है और राशि बकाया रहने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के कुछ लीजधारियों ने विभिन्न न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त कर रखे हैं? यदि हां, तो किस-किस ने कब-कब से?

(5) उक्त स्थगन आदेशों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त लीजधारियों से बकाया राशि वसूल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला करौली में खनिज सिलिकासेण्ड, सोपस्टोन, व्हाइट क्ले, चायना क्ले, सेण्डस्टोन, मिलस्टोन, मेसेनरी स्टोन, लाइमस्टोन एवं बजरी उपलब्ध है। खनिजवार क्षेत्र एवं खनन क्षेत्र की सूची प्रपत्र एक एवं दो में संलग्न है।

(2) करौली जिले में जिन व्यक्तियों को खननपट्टे स्वीकृत किये हुये हैं, उन पट्टेधारियों के नाम, खनिज, खनिज क्षेत्र का नाम, समयावधि, लीजराशि अर्थात् स्थिरभाटक की प्रपत्र तीन में संलग्न है।

(3) करौली जिले में वर्तमान में जिन लीजधारकों के विरुद्ध राशि बकाया है। बकाया की अवधि एवं खनिज का विवरण प्रपत्र-4 में संलग्न है।

(4) जी, हां। कुछ लीजधारियों ने बकाया की वसूली के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों से स्थगन प्राप्त कर रखे हैं। जिनका विवरण प्रपत्र-5 में संलग्न है।

(5) जिन लीजधारियों ने स्थगन आदेश प्राप्त कर रखे हैं, उनके विरुद्ध विभाग द्वारा जो कार्यवाही की गई है। प्रकरणवार विवरण प्रपत्र-6 में संलग्न है।

(6) जी, हां। बकाया राशि वसूल करने हेतु विभाग लेण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही कर रहा है, एवं वसूली शीघ्र करने का प्रयास किया जा रहा है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला करौली में वन विकास कार्यक्रम

144. श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला करौली का कितना क्षेत्र वन क्षेत्र में आता है? उक्त क्षेत्र में गत वर्ष में कितने पेड़ लगाये गये तथा उन पर कितनी राशि व्यय की गई?

(2) सरकार ने वन क्षेत्र में काम कर रहे व्यक्तियों पर कितने प्रकरण बनाये और उनसे कितनी राशि वसूल की गई?

(3) क्या वन क्षेत्र में पेड़ लगाने व वन क्षेत्र को बचाने का कार्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी का है अथवा मात्र खनिज क्षेत्र में काम करने वालों से राशि वसूलने का कार्य ही रह गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) करौली जिले मे 1804.09 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इस जिले में वन विभाग द्वारा गत वर्ष (1999-2000) वन क्षेत्र में 960 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कर 4.81 लाख पौधे लगाये गये तथा उन पर 66.88 लाख रुपये व्यय किये हैं।

(2) वन विभाग द्वारा करौली जिले के वन क्षेत्रों में अवैध खनन करते हुये पाये जाने पर वर्ष 2000-2001 में अब तक 206 प्रकरण दर्ज कर 204 प्रकरणों में 13.801 लाख रुपये का मुआवजा राशि वसूल की गयी है तथा दो प्रकरणों में न्यायालय में शिकायत प्रस्तुत की गई है।

(3) वन विभाग का दायित्व वृक्षारोपण के साथ ही वन क्षेत्रों की सुरक्षा करना एवं वन अपराध को रोकथाम करना है। वन अपराध करते पाये जाने पर अपराध करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही विभागीय अधिकारी/कर्मचारी करते हैं। वन क्षेत्रों में खनन कार्य बिना केन्द्र सरकार की अनुमति के नहीं किया जा सकता। अतः वन क्षेत्रों में अवैध खनन कार्य न हो इसकी व्यवस्था का दायित्व वन विभाग का है।

नगर निगम, जयपुर द्वारा जब्त सामान की नीलामी

145. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर निगम जयपुर द्वारा फरवरी, 2001 में अस्थाई अतिक्रमण हटाने पर जब्त किये गये सामान की नीलामी की गई है? यदि हां, तो नीलामी का निर्णय किस स्तर पर लिया गया और नियमानुसार निर्णय करने के लिए कौन अधिकृत है?

(2) क्या उक्त प्रकरण की जांच करवाई गई है? यदि हां, तो किस स्तर के अधिकारी से? क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है? इसमें कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही

(श्री भंवरलाल शर्मा)

की गई? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। नीलामी का निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर के स्तर पर लिया गया। प्रचलित नियमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आयुक्त ऐसे निर्णयों के लिए अधिकृत है।

(2) जी, नहीं।

विधान सभा क्षेत्र मण्डावर का प्रस्तावित यात्री विश्राम गृह

146. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करें :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मण्डावर के मुख्यालय पर यात्री विश्राम गृह का निर्माण किया हुआ है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार मण्डावर में यात्री विश्राम गृह निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार यात्री विश्राम गृह के लिए विभाग को राशि आबंटित करती है? यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में उक्त हेतु कुल कितनी राशि आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त आबंटित राशि में से विभाग द्वारा कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। विधान सभा क्षेत्र मण्डावर के मुख्यालय पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का यात्री विश्राम गृह नहीं है। निगम के पास सीमित वित्तीय संसाधन होने तथा वर्तमान में निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के फलस्वरूप विश्राम गृह निर्माण की कोई योजना/प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी, नहीं। निगम के पास सीमित वित्तीय संसाधन होने तथा वर्तमान में निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के फलस्वरूप विश्राम गृह निर्माण की कोई योजना/प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी, नहीं।

(4) जी, नहीं। आबंटित राशि का प्रावधान नहीं किए जाने के कारण व्यय करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

कृषि उपज मण्डी श्रीगंगानगर से प्राप्त राजस्व

147. श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (करणपुर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी श्री गंगानगर में जिले की अन्य मण्डियों के कृषकों की जिन्सें विक्रय हेतु

(श्री गुरमीत सिंह कुन्नर)

आती हैं? क्या उससे प्राप्त राजस्व सरकार संबंधित मण्डियों को विकास हेतु देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या विपणन बोर्ड इसके एवज में बोर्ड की तरफ से कोई सहायता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या मण्डी समितियों ने आढ़त का काम करने के लिए व्यापारिक लाइसेंस देने पर रोक लगा रखी है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार अब लाइसेंस देने की रोक हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) उक्त कृषि उपज मण्डी समिति में कृषकों की सहभागिता के लिए सरकार क्या चुनाव कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य का किसान अपनी उपज कहीं भी ले जाने हेतु स्वतंत्र है, किन्तु मण्डी समिति को प्राप्त होने वाली आय राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम के प्रावधानुसार अन्य मण्डी समिति क्षेत्र में व्यय नहीं की जा सकती। कृषि विपणन बोर्ड के मण्डी विकास निधि से कमजोर मण्डी समितियों के विकास हेतु धन राशि उपलब्ध कराई जाती है।

(2) जी, नहीं।

(3) मण्डियों का चुनाव संबंधी मामला विचाराधीन है।

भटपुरा एवं मूण्डिया (भरतपुर) की प्रस्तावित पेयजल योजना

148. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला भरतपुर की भटपुरा एवं मूण्डिया पेयजल योजनाएं कब-कब स्वीकृत हुई थीं और कब तक पूरी होनी थीं एवं अब तक पूरी क्यों नहीं हुई, इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है? अब उक्त योजनाएं कब तक पूर्ण कर दी जावेंगी?

(2) गत तीन वर्षों में उक्त जिले में पेयजल आपूर्ति हेतु कौन-कौन से साधन लगाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) चालू वित्तीय वर्ष में पंचायत समिति नगर व कामां में पेयजल की आपूर्ति हेतु कौन-कौन सी नई योजनाएं स्वीकृत की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला भरतपुर के कस्बा नगर की पेयजल योजना हेतु भटपुरा स्रोत से एक योजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दि. 9.9.1996 को अनुमानित लागत रु. 224.91 लाख की जारी की गयी। योजना की तकनीकी स्वीकृति दिनांक 21.11.1997 को अनुमानित राशि रु. 174.71 लाख की जारी की गयी। योजना को पूर्ण करने की अवधि 30 माह

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

थी। स्रोत एवं मुख्य पम्प हाउस पर विद्युत संबंध में विलम्ब तथा संवेदक द्वारा स्रोत से नगर तक मुख्य पाइप लाइन का कार्य समय पर पूर्ण न करने जैसे, अपरिहार्य कारणों से योजना को पूर्ण करने में विलम्ब हुआ है। भटपुरा स्रोत से पुराने पम्प हाउस तक मुख्य पाइप लाइन का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा विद्युत संबंध भी हो चुका है पाइप लाइन की टैस्टिंग का कार्य किया जा रहा है। अतः उक्त स्रोत से नगर कस्बे को आने वाली गर्मियों में पेयजल सुलभ हो सकेगा।

मूण्डिया गांव की पेयजल योजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दि. 27.6.1998 को अनुमानित राशि रु. 4.37 लाख की जारी हुई तथा तकनीकी स्वीकृति अनुमानित राशि रु. 3.75 लाख की दि. 18.7.1998 को जारी की गयी। कार्य पूर्ण करने की सम्भावित समय एक वर्ष था। योजना को पूर्ण करने में देरी का एक मात्र कारण रेलवे लाइन के नीचे से पाइप लाइन नहीं डल पाना रहा है। रेलवे की मांग के अनुसार विभाग द्वारा वांछित राशि सितम्बर, 2000 में जमा करा दी गयी है। पाइप लाइन की क्रासिंग हेतु रेल विभाग से सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। योजना पर अन्य कार्य पूर्ण हो चुके हैं। रेलवे क्रासिंग के तत्काल बाद योजना को चालू करना सम्भव हो सकेगा।

(2) भरतपुर जिले में गत तीन वर्षों में पेयजल आपूर्ति के स्रोत साधनों के अन्तर्गत कुल 44 केविटी बोर, 61 नलकूप तथा 1181 हैण्ड पम्प का निर्माण किया गया है। वर्षवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) चालू वित्तीय वर्ष में पंचायत समिति नगर में एक पम्प एवं टैंक योजना तथा पं.सं. कामां में एक पम्प एवं टैंक योजना तथा चार क्षेत्रीय योजनाएं स्वीकृत की गयी है। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

भरतपुर जिले में गत तीन वर्षों में पेयजल आपूर्ति हेतु विकसित किये गये स्रोत साधनों का विवरण

जिला भरतपुर

वर्ष	**केविटी बोर**	**नलकूप**	**हैण्ड पम्प**
1997-98	15 नग	16 नग	454 नग
1998-1999	20 नग	33 नग	261 नग
1999-2000	9 नग	12 नग	466 नग
	44 नग	**61 नग**	**1181 नग**

परिशिष्ट "ब"

चालू वित्तीय वर्ष में पंचायत समिति नगर/कामां में स्वीकृत पेयजल योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	योजना का नाम	लाभान्वित गांव के नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)
1.	कामां	हैण्ड पम्प से क्षेत्रीय जल योजना में परिवर्तित योजना नागल धोलेट सहलपुर	1. नागल 2. धोलेट 3. दाघेट 4. सहालपुर 5. गांधानर 6. धीमरी 7. भोजाका 8. धीसेडा 9. घाटम्रीका 10. झण्डीपुर	122.50 लाख
2.	कामां	हैण्ड पम्प से क्षेत्रीय जल योजना में परिवर्तित योजना अकात ऊंदाका	1. अकात 2. ऊंदाका	16.29 लाख
3.	कामां	हैण्ड पम्प से क्षेत्रीय जल योजना में परिवर्तित योजना लेवरा, अकबरपुर	1. लेवरा 2. अकबरपुर	7.86 लाख
4.	कामां	हैण्ड पम्प से क्षेत्रीय जल योजना में परिवर्तित योजना बडोदा, दांतका	1. बड़ोदा 2. दातका	5.58 लाख
5.	कामां	हैण्ड पम्प एवं टैंक योजना कोतका	1. कोतका	5.98 लाख
6.	नगर	पम्प एव टैंक योजना से परिवर्तित पाइप्ड योजना कैथवाडा	1. कैथवाडा	23.98 लाख

चूरू में सहकार आपके द्वार के अन्तर्गत बनाये गये सदस्य

149. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवाने की कई बार घोषणा की गई थी? यदि हां, तो चुनाव क्यों नहीं करवाये गये? क्या सरकार सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार नया सहकारी संस्था विधेयक लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? क्या चुनाव भी संशोधित सहकारी संस्था विधेयक अनुसार करवाने का सरकार का विचार है?

(3) राज्य में सहकार आपके द्वार महा अभियान अन्तर्गत कितने नये सदस्य बनाये, कितने किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गये व कितना ऋण किसानों को मौके पर दिया गया?

(4) विधान सभा क्षेत्र चूरू में सहकार आपके द्वार महा अभियान में कितने अवधि पार सहकारी ऋणों के चुकाने के लिए एक मुश्त समझौते हुए कितना दण्डनीय ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज व वसूली शुल्क में छूट प्रदान की गई?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य में प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के चुनावों की घोषणा कई बार की गई। चुनावों की घोषणा तथा उनके स्थगन का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। जी, हां। सरकार उक्त चुनाव शीघ्रातिशीघ्र करवाये जाने का विचार रखती है।

(2) जी, हां। नया सहकारी संस्था विधेयक वर्तमान विधान सभा सत्र में लाया जाना प्रस्तावित है। जी हां, चुनाव नये सहकारी संस्था अधिनियम के अनुसार करवाये जाने का विचार है।

(3) राज्य में सरकार आपके द्वार महा अभियान के दौरान जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 2,62,197 नये सदस्य बनाये गये, 3,20,516 किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गये व 501.95 लाख रुपये के ऋण किसानों को मौके पर दिये गये।

(4) विधान सभा क्षेत्र चूरू में सहकार आपके द्वार महा अभियान में 96 मामलों में 2,23,831/- रु. के अवधिपार सहकारी ऋणों के चुकाने के लिए एक मुश्त समझौते हुए। जिनमें 31,044/- रु. की दण्डनीय ब्याज एवं मृत सदस्यों के मामलों में 1,31,935/- रु. की साधारण ब्याज कुल 1,62,979/- रु. की छूट ऋणियों को प्रदान की गई। चक्रवृद्धि ब्याज व वसूली इन ऋणियों में बकाया नहीं होने के कारण कोई छूट नहीं दी गई।

परिशिष्ट "क"

प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन की घोषणाएं एवं स्थगन का विवरण

क्र.सं.	निर्वाचन की घोषणा	निर्वाचन स्थगन के कारण
1.	अप्रैल-मई, 1994	राज्य में अकाल की स्थिति होने के कारण कतिपय विधान सभा सदस्यों की मांग के कारण।
2.	सितम्बर, 1994	पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव होने के कारण।
3.	सितम्बर, 1995	महाराष्ट्र-गुजरात राज्य की निर्वाचन प्रक्रिया का अध्ययन कराने का निर्णय लेने के कारण।
4.	फरवरी-मार्च, 1997	लोक सभा/विधान सभा के उप चुनाव एवं विधान सभा सत्र होने के कारण।
5.	नवम्बर, 1997	बारहवीं लोक सभा का निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित होने के कारण।
6.	दिसम्बर, 1999	राज्य के प्रमुख सहकार बन्धुओं के सम्मेलन में चुनाव प्रक्रिया के सरलीकरण/पारदर्शिता के संबंध में दिये गये सुझावों के क्रियान्वयन में लगने के कारण।

झील चौकी ढहरा कोड (भरतपुर) का क्रमोन्नयन

150. श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषप्रद नहीं है? यदि हां, तो इसमें सुधार लाने हेतु सरकार क्या-क्या कदम उठाने जा रही है?

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र नदबई में थाना नदबई, झील चौकी ढहरांकोड को क्रमोन्नत किया जावेगा? यदि हां, तो कब-तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। वर्ष 1998, 1999 एवं 2000 में भारतीय दण्ड संहिता के क्रमश: 167463, 168189, 160983 अभियोग पंजीबद्ध हुए हैं। वर्ष 1998 की तुलना में इस वर्ष 3.86 प्रतिशत व 1999 की तुलना में 4.28 प्रतिशत कम अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। वर्ष 2000 में डकैती, हत्या एवं लूट जैसे गम्भीर अपराधों सहित नकबजनी, चोरी एवं बलवा के अपराधों में तथा अनु. जाति/जनजाति अत्याचार के मामलों में भी पिछले वर्षों की तुलना में कमी आई है।

(2) जी, नहीं। राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है।

जामसर (बीकानेर) में जिप्सम की खाने

151. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय उपक्रम राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड की जामसर व धीरेरा (बीकानेर) की जिप्सम खानों की लीज कौन-कौनसी तारीखों में समाप्त कर दी गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अभी भी पचासों हजार टन जिप्सम के भण्डार जामसर की जिप्सम खानों में मौजूद है?

(3) बीकानेर जिले के जामसर पुलिस थाने में गत दो वर्षों में जिप्सम की अवैध खनन व चोरी के संबंध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर व तारीखों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त रिपोर्ट्स की तफतीश में क्या कोई चालान अब तक पेश हुआ है? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध कौनसी तारीखों में? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त खान की लीज को किसी निजी व्यक्ति या फर्म को देकर अपनी आय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(6) उक्त संबंध में अब तक क्या कोई कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड जामसर एवं धीरेरा (जिला बीकानेर) के जिप्सम खानों की लीज को समाप्त अथवा खण्डित किया गया है। उपरोक्त क्षेत्रों में उक्त निगम को जिप्सम के निम्न खनन पट्टे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये थे जिनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :—

(क्षेत्र हैक्टेयर में)

क्र. सं.	क्षेत्र	मूल क्षेत्र	अध्यर्पण किया गया क्षेत्र	वर्तमान में स्वीकृत क्षेत्र	अन्य विवरण
1.	जामसर	1105.91	1092.91	13.00	इस क्षेत्र में निगम खनन पट्टे के तृतीय नवीनीकरण के तहत कार्यरत है।
2.	धीरेरा	130.56	130.56	शून्य	निगम द्वारा इस क्षेत्र का सम्पूर्ण अध्यर्पण कर देने से दिनांक 21.3.1978 से अध्यर्पण स्वीकृत किया जा चुका है न कि राज्य सरकार ने इसे समाप्त किया है।

(राज्य मंत्री, खनिज)

(2) इन दोनों क्षेत्रों में विभाग द्वारा पूर्वेक्षण कार्य नहीं करने से भण्डारों की जानकारी देना सम्भव नहीं है मगर उक्त निगम के अनुसार इस क्षेत्र में कुल जिप्सम के अनुमानित भण्डार 88.20 लाख टन स्थापित किये गये थे जिनका उत्पादन कर निर्गमन किया गया।

(3) गत दो वर्षों में बीकानेर जिले के पुलिस थाना जामसर में खनिज जिप्सम की कुल 14 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है। जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) परिशिष्ट "अ" में वर्णित 14 प्रथम सूचना रिपोर्ट में से 13 में सम्बन्धित न्यायालय में मुलजिमान के विरुद्ध पुलिस द्वारा चालान प्रस्तुत कर दिये गये हैं तथा एक में अनुसंधान जारी है। विस्तृत विवरण तथा मुलजिमान के नाम व चालान पेश करने की तारीख आदि परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है।

(5) आवेदनकर्ता रुपये 10.00 लाख की लागत से जिप्सम पर आधारित इण्डस्ट्रीज लगाने को तैयार हो तो केप्टिव माइन्स के रूप में जिप्सम का खनन पट्टा स्वीकृत करने की राज्य सरकार की नीति है।

(6) क्षेत्र जामसर, धीरेरा व अन्य के लिए कुल 8 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनकी सूची परिशिष्ट "ब" पर स्थित है। प्राप्त आवेदन पत्रों पर नीति एवं नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि. अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बीकानेर

गत दो वर्षों में पुलिस थाना जामसर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण

क्र. सं.	क्र.सू. रि. संख्या	दिनांक	नाम मुलजिमान	चालान प्रस्तुत करने की दिनांक
1.	89	23.6.99	श्री नूरमोहम्मद पुत्र श्री अकबरशाह मुसलमान नि. जामसर	6.9.99
2.	36	8.4.2000	श्री जाकिरशाह पुत्र फतेहशाह मुसलमान निवासी, जामसर	22.5.2000
3.	37	8.4.2000	श्री जाकिरशाह पुत्र युसुफशाह मुसलमान नि. जामसर	22.5.2000
4.	71	22.6.2000	श्री असगरशाह पुत्र लतीफशाह मुसलमान निवासी जामसर	20.7.2000
5.	72	22.6.2000	श्री भंवरशाह पुत्र युसुफशाह मुसलमान निवासी जामसर	27.7.2000
6.	73	22.6.2000	श्री सवाई शाह पुत्र गुलामशाह मुसलमान निवासी जामसर	12.7.2000
7.	84	14.7.2000	श्री युसुफशाह पुत्र लतीशाह मुसलमान निवासी जतालसर	27.9.2000
8.	103	2.8.2000	रामसिंह पुत्र जस्सू सिंह राजपूत निवासी मकोड़ी जिला नागौर	4.10.2000
9.	107	11.8.2000	मोहनराम पुत्र श्री सोनाराम नायक निवासी जतालसर	22.9.2000
10.	114	20.8.2000	श्री मुश्ताकशाह पुत्र फकीरेशाह मुसलमान निवासी जतालसर	29.9.2000
11.	121	6.9.2000	श्री हुसैनशाह पुत्र फकीरशाह मुसलमान निवासी जतालसर	19.9.2000
12.	122	9.9.2000	श्री सवाईशाह पुत्र श्री हाजीशाह मुसलमान निवासी जतालसर	27.9.2000
13.	11	3.2.2001	ट्रक नं. अरजे. 07-बी-3753 का ड्राइवर वा-9-10 अन्य	अनुसंधान जारी है।
14.	96	27.7.2000	श्री मोहनराम पुत्र श्री सोनाराम जाति नायक, नि. जतालसर	22.9.2000

परिशिष्ट "ब"

राजस्थान सरकार

निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

ग्राम धीरेरा जामसर व अन्य खनिज जिप्सम कि खनन पट्टों/पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन-पत्रों का विवरण

क्र. सं.	आवेदन पत्र सं./दिनांक	पार्टी का नाम	क्षेत्र का नाम	आवेदित क्षेत्रफल
1.	ख.प. 6/94 दिनांक 29.6.94	आर.एस.एम.एम. लिमिटेड	धीरेरा तहसील लूणकरणसर	5 हैक्टेयर
2.	ख.प. 7/94 दिनांक 29.6.94	आर.एस.एम.एम. लिमिटेड	धीरेरा तहसील लूणकरणसर	5 हैक्टेयर
3.	पू.अ.प. 12/2000 दिनांक 15.12.2000	श्री संजय कुमार जैन	धीरेरा तहसील लूणकरणसर	480.937 हैक्टेयर
4.	ख.प. 12/2000 दिनांक 16.11.2000	आर.एस.एम.एम. लिमिटेड	खिचिया (जामसर)	105 हैक्टेयर
5.	ख.प. 13/2000 दिनांक 16.11.2000	आर.एस.एम.एम. लिमिटेड	जनालसर (जामसर)	36 हैक्टेयर
6.	ख.प. 5/2001 दिनांक 7.3.2001	श्री उपेन्द्र शर्मा	खिचिया (जामसर)	5 हैक्टेयर
7.	ख.प. 6/2001 दिनांक 7.3.2001	श्री ललित दफ्तरी	खिचिया (जामसर)	5 हैक्टेयर
8.	ख.प. 7/2001 दिनांक 7.3.2001	श्री देवकीनन्दन व्यास	खिचिया (जामसर)	100 हैक्टेयर

ह०/-

अधीक्षण खनि. अभियन्ता (तृतीय)

उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ के अधीन कार्यरत वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियां

152. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्धं समितियों के गठन के लिए जिले के मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले अधिक से अधिक गांवों में प्राथमिकता से समितियों के गठन का दायित्व दिया गया है? यदि हां, तो उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ के क्षेत्र में वन अधिकारी/उप वन संरक्षक ने वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में कितने ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों का गठन किया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ के क्षेत्राधिकार में वर्ष 1998-99 से पूर्व कितनी ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियां कार्य कर रही थीं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ के क्षेत्राधिकार में वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में कुल 25 ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों का गठन किया गया है। सूची परिशिष्ट "अ" अनुसार सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ के क्षेत्राधिकार में वर्ष 1998-99 से पूर्व में 71 ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियां कार्य कर रही थीं। सूची परिशिष्ट "ब" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गयी है।

परिशिष्ट "अ"

उप वन संरक्षक के क्षेत्राधिकार में वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में गठित वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों की सूची

क्र. सं.	ग्राम्य वन सुरक्षा समिति का नाम	रेंज
1	2	3
1.	रातीखाड्यां	धरियावद
2.	नया खेड़ा	प्रतापगढ़
3.	कालाखेत	देवगढ़
4.	कुण्डालिया	देवगढ़
5.	जोलर	देवगढ़
6.	वान्दन खोरा	देवगढ़
7.	पहाड़ा (गंगातपला)	बांसी
8.	लसाड़िया	बांसी
9.	बेव (कानगढ़)	प्रतापगढ़
10.	आम्बीया (वीरपुर)	प्रतापगढ़
11.	कालिकामाता (वीरपुर)	प्रतापगढ़
12.	मगनोमहारा (वीरपुर)	प्रतापगढ़
13.	नारदा	प्रतापगढ़
14.	कुण्डला	प्रतापगढ़
15.	रतनपुरिया	प्रतापगढ़
16.	रूपपुरीया	प्रतापगढ़
17.	मालिया	प्रतापगढ़
18.	महुखेड़ा	प्रतापगढ़

1	2	3
19.	सरवानिया	छोटी सादड़ी
20.	उमरोकावेला	बांसी
21.	कचूमरा	बांसी
22.	आकोला	बांसी
23.	गुजरोकाबड़ा	बांसी
24.	सिहाड़	धरियावद
25.	डाबीयाखेड़ा	धरियावद

परिशिष्ट "ब"

उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ (राज.) के क्षेत्राधिकार में वर्ष 1998-99 से पूर्व गठित ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों की सूची

क्र. सं.	ग्राम्य वन सुरक्षा समिति का नाम	रेंज
1	2	3
1.	साडनी	प्रतापगढ़
2.	आडावेला	देवगढ़
3.	टीला	देवगढ़
4.	बलीचा	बांसी
5.	कोतवाल	प्रतापगढ़
6.	मेहनदीखड़ा	प्रतापगढ़
7.	गागदा	प्रतापगढ़
8.	दतियार	प्रतापगढ़
9.	पण्डावा	प्रतापगढ़
10.	अम्बीराया	प्रतापगढ़
11.	रायपुर	प्रतापगढ़
12.	रायपुर	देवगढ़
13.	कमलाकुड़ी	देवगढ़
14.	चिकलाड़	देवगढ़
15.	खेटगढ़	देवगढ़
16.	लालपुरा	देवगढ़
17.	गमेत	देवगढ़
18.	धरणी	देवगढ़
19.	ताबाखेड़ा	देवगढ़
20.	केसरपुरा (झांतला)	देवगढ़
21.	भाव	बांसी
22.	मोजपुर	धरियावद
23.	सातकुड़ी	धरियावद
24.	अणत	धरियावद
25.	आड़े	धरियावद
26.	गोपालपुरा	धरियावद
27.	आरामपुरा	धरियावद
28.	तलाया (लालगढ़)	प्रतापगढ़
29.	मेवाड़ी	प्रतापगढ़
30.	प्रतापपुरा	प्रतापगढ़
31.	मनोहरगढ़ (मोमा)	प्रतापगढ़
32.	नान्दीखेड़ा	प्रतापगढ़
33.	हमीरपुरा	प्रतापगढ़
34.	सादडियों का माल	प्रतापगढ़
35.	मालियों का खेड़ा	प्रतापगढ़
36.	मवाली	प्रतापगढ़
37.	रिछड़ी	प्रतापगढ़
38.	पादरियों का खेड़ा	प्रतापगढ़
39.	पटेलिया	प्रतापगढ़
40.	बुझपाड़ला	धरियावद

1	2	3
41.	झड़ोली	धरियावद
42.	चरी	धरियावद
43.	लोहागढ़	धरियावद
44.	दासगुड़ा	धरियावद
45.	धाधरी	धरियावद
46.	जायखेड़ा	धरियावद
47.	मानपुर	धरियावद
48.	पारसोला	धरियावद
49.	धोरीमगरी	देवगढ़
50.	खण्डाई खेड़ा	देवगढ़
51.	मधुरा तालाब	देवगढ़
52.	सेवरा	देवगढ़
53.	ऊटाखेड़ा	देवगढ़
54.	हरमरफूला	देवगढ़
55.	बुजागांव	देवगढ़
56.	सिजनखेड़ा	देवगढ़
57.	महुडोखेड़ा	देवगढ़
58.	भूत्यावाड़	देवगढ़
59.	तलाया	देवगढ़
60.	सियाखेड़ी	छोटी सादड़ी
61.	जोडामहुड़ा	छोटी सादड़ी
62.	सज्जनपुरा	छोटी सादड़ी
63.	पाडलिया	बांसी
64.	पायरो का खेड़ा	बांसी
65.	धार	बांसी
66.	गोपालपुरा	बांसी
67.	नागलिया मगरेट	बांसी
68.	फुसरिया	बांसी
69.	लकुकालेवा	बांसी
70.	शकरकन्द	धरियावद
71.	मौखमपुरा	धरियावद

जयपुर शहर की बहुमंजिली इमारतों में अग्नि शमन यंत्र

153. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर शहर में बहुमंजिले भवन/सिनेमाघर व अन्य प्रकार के भवनों में अग्नि शमन यंत्र लगाना आवश्यक है? यदि हां, तो ऐसी अनिवार्यता की शर्तें व भवनों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर शहर में ऐसे कितने बहुमंजिले परिसर हैं जिनमें उक्त वैधानिक आवश्यकता की पालना नहीं की गई है? क्या राज्य सरकार इस विषय में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। अनिवार्यता की शर्तों एवं विशिष्ट प्रकार के भवनों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) नगर निगम, जयपुर में उपलब्ध सूचना के अनुसार जयपुर शहर में ऐसे 110 बहुमंजिले परिसर हैं, जिनमें उक्त वैधानिक आवश्यकता की पालना नहीं की गई है। नगर निगम, जयपुर द्वारा इन सभी बहुमंजिले परिसरों में एक माह में अग्नि शमन यंत्र लगाने की आवश्यकता की पूर्ति करने का नोटिस दिया जा रहा है। उक्त अवधि में ऐसा नहीं करने पर उल्लंघनकर्त्ता के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अवैध वाहनों के संचालन से निगम को हानि

154. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1983-84 से 1996-97 तक वर्ष 1990-91 को छोड़ कर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लाभ में चल रहा था? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1996-97 के बाद में निगम लगातार घाटे में चल रहा है और वह भी प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त घाटे का कारण राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी वाहनों के अवैध संचालन एवं राष्ट्रीयकृत परमिटों के वाहनों का चलना है? क्या उक्त दुरुपयोग अधिकारियों की मिलीभगत से किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार पथ परिवहन निगम को लाभ में चलाने के लिए ठोस कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम विगत वर्षों के हानि के समायोजन के पश्चात् वर्ष 1983-84 से वर्ष 1987-88 तक लाभ में रहने के पश्चात् वर्ष 1988-89 से 1990-91 तक हानि में रहा है। तत्पश्चात् वर्ष 1991-92 से वर्ष 1996-97 तक लगातार लाभ में रहा। इस अवधि में लाभ में रहने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :—

1- राज्य में बड़ी लाइनों का विस्तार कम होना।

2- डीजल आदि की दरों में अत्यधिक एवं बार-बार बढ़ोतरी न होना।

3- समय पर किराया दरों में उचित वृद्धि करना।

4- राज्य में निगम की बसें ही प्रमुख यातायात का साधन होना।

5- वर्ष 1993-94 तक राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा पूंजी अंशदान/पूंजी ऋण दिया जाना जिससे समय पर आवश्यकतानुसार नयी बसें खरीदना।

(यातायात मंत्री)

6- इस दौरान कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनमान आदि में अप्रत्याशित वृद्धि न होना।

वर्ष 1988-89 से 1990-91 में निगम के घाटे में रहने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :—

1- केन्द्र एवं राज्य सरकार के अनुरूप दिनांक 1.9.1988 से निगम कर्मचारियों को भी नये वेतनमान का लाभ दिया जाना।

2- डीजल की दरों क्रमशः दिनांक 1.4.1990, 14.10.1990, 20.12.1990 से वृद्धि होना।

3- निगम में दिनांक 19.9.1990 से दिनांक 28.11.1990 तक कर्मचारियों की हड़ताल का होना।

(2) जी, हां। वर्ष 1997-98 से निगम लगातार घाटे में चल रहा है। घाटे में रहने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है :—

1- वर्ष 1996-97 से केन्द्र एवं राज्य सरकार के अनुरूप निगम कर्मचारियों को नये वेतनमान का लाभ दिया जाना।

2- केन्द्र सरकार द्वारा डीजल की दरों में बार-बार वृद्धि किया जाना।

3- राज्य सरकार द्वारा विशेष सड़क कर की गणना प्रणाली में दिनांक 1.4.1997 से परिवर्तन करने के परिणामस्वरूप निगम पर विशेष सड़क कर का अत्यधिक भार पड़ना।

4- राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए निगम की बसों में निःशुल्क एवं रियायती यात्रा सुविधा प्रदान करवाना।

5- राज्य में लगातार सूखे की स्थिति से यात्रीभार में कमी होना।

6- राज्य में बड़ी रेल लाइनों का अत्यधिक विस्तार होना एवं रेल यात्री भाड़े में मामूली वृद्धि/वृद्धि नहीं होना।

7- निगम द्वारा रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी बाजार से ऋण लिए जाने से ब्याज की राशि का अत्यधिक भार पड़ना।

8- राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा योजनागत आर्थिक प्रावधान प्रदान नहीं करने के कारण एवं वर्ष दर वर्ष हो रहे घाटे के कारण पुरानी बसों के स्थान पर आवश्यकतानुसार नई बसें नहीं खरीद पाना।

9- इस दौरान कल पुर्जों एवं बसों की कीमत में बढ़ोतरी होने के कारण।

10- इस दौरान दिल्ली में अन्तरराज्यीय बस अड्डे से निगम की बसों के संचालन पर रोक लगाने से यात्रीभार में कमी होना।

(यातायात मंत्री)

(3) जी, नहीं। निगम के घाटे का एक मात्र कारण वाहनों का अवैध संचालन एवं राष्ट्रीयकृत परमिटों की वाहनों का संचालन नहीं है। यह घाटे के विभिन्न कारणों में से एक हो सकता है। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 74 एवं 88 के अन्तर्गत कान्ट्रेक्ट कैरिज परमिट प्राप्त कर परमिटों की शर्तों के अनुसार निजी वाहनों का संचालन अवैध नहीं है किन्तु जब वाहनें उक्त परमिट की शर्तों का उल्लंघन करती है अथवा स्टेज कैरिज के रूप में चलती पायी जाती हैं तो इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। इस अवैध संचालन में परिवहन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत होना नहीं माना जा सकता।

विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा की प्रस्तावित सड़कें

155. श्रीमती पूनम गोयल (लाडपुरा) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? गत वर्षों में उपज मण्डी द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत के लिए क्या प्रावधान किया गया है?

उत्तर

जी, हां। सड़कों की मरम्मत का उत्तरदायित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग का है।

विधान सभा क्षेत्र डेगाना के खराब हैण्ड पम्पों की मरम्मत

156. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में गत दो वर्षों के दौरान कुल कितने हैण्ड पम्प कहां-कहां पर किस-किस योजनान्तर्गत खोदे गये? ग्रामवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खोदे गये हैण्ड पम्पों में से कितने चालू हालत में हैं और कितने बन्द हैं। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की किल्लत को देखते हुए वर्ष 2001-2002 के दौरान कुल कितने हैण्ड पम्प खोदने की योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न योजना के तहत कुल 36 हैण्ड पम्प खोदे गये हैं सूची परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(2) उक्त खोदे गये हैण्ड पम्पों में से 33 हैण्ड पम्प चालू हालत में हैं एवं हाल

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

ही में खोदे गये तीन हैण्ड पम्पों को चालू करने की कार्यवाही की जा रही है। विवरण परिशिष्ट "क" पर अंकित है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की किल्लत को देखते हुए वर्ष 2001-02 के दौरान कुल 20 हैण्ड पम्प खोदने की योजना स्वीकृत है। विवरण परिशिष्ट "ख" में अंकित है।

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	वर्ष	योजना का नाम/ ग्राम का नाम	हैण्ड पम्प की संख्या	योजना मद एआरपी/ एमएनपी आदि	वर्तमान में हैण्ड पम्प चालू या बंद
1	2	3	4	5	6
1.	1999-2000	बुढियों की ढाणी, कालनी	एक	एम.एन.पी	चालू
2.	1999-2000	राइको की ढाणी, आलनियावास	एक	एम.एन.पी.	चालू
3.	1999-2000	श्मशान घाट, आलनियावास	एक	एम.एन.पी.	चालू
4.	1999-2000	बणजारों की ढाणी, बाड़ीघाटी	एक	एम.एन.पी.	चालू
5.	1999-2000	आसन राताटूण्डा	एक	एम.एन.पी.	चालू
6.	1999-2000	डेरा बेरा की ढाणी, ढाणीपुरा	एक	एम.एन.पी.	चालू
7.	1999-2000	रावतों की ढाणी, देवगढ़	एक	एम.एन.पी.	चालू
8.	1999-2000	चोयलों की ढाणी, भैरूंदा	एक	एम.एन.पी.	चालू
9.	1999-2000	जगजी की ढाणी, हरसोर	एक	एम.एन.पी.	चालू
10.	1999-2000	मावरो की ढाणी, थांवला	एक	एम.एन.पी.	चालू
11.	1999-2000	राइकों की ढाणी, डोडियाना	एक	एम.एन.पी.	चालू
12.	1999-2000	खातियों का बास, पीपलिया	एक	एम.एन.पी.	चालू
13.	1999-2000	जाटों का बास, ठाटा	एक	एम.एन.पी.	चालू
14.	1999-2000	राइकों की ढाणी, भैरून्दा	एक	एम.एन.पी.	चालू
15.	1999-2000	सिपाहियों का बास, हरसोर	एक	एम.एन.पी.	चालू
16.	1999-2000	ईटावड़ा उदवाली की ढाणी, थांवला	एक	एम.एन.पी.	चालू

1	2	3	4	5	6
17.	1999-2000	मेघवालों का बास, डोडियाना	एक	ए.आर.पी.	चालू
18.	1999-2000	अनु. जाति मौहल्ला, सतीमाता, थांवला	एक	ए.आर.पी.	चालू
19.	1999-2000	मेघवाल बस्ती, कल्याणपुरा	एक	ए.आर.पी.	चालू
20.	1999-2000	रेगरबस्ती ढाणीपुरा	एक	ए.आर.पी.	चालू
21.	1999-2000	बावरियों की ढाणी ढाणीपुरा	एक	ए.आर.पी.	चालू
22.	1999-2000	गुजरों की ढाणी किला	एक	ए.आर.पी.	चालू
23.	1999-2000	करवालों, मुण्डेलों, माठों की ढाणी, थांवला	तीन	ए.आर.पी.	चालू
24.	1999-2000	टंकीपुरा मौहल्ला, थांवला	एक	विधायक मद	चालू
25.	1999-2000	शाहपुरा	एक		चालू
26.	1999-2000	टाडामार्ग की ढाणी, जाजुण्डा की ढाणी, ढेरो की ढाणी मोड़ीकलां	तीन	ए.आर.पी.	चालू
27.	1999-2000	खारचिया बेरा की ढाणी, आवंतलों की ढाणी, काकड़ बेरा की ढाणी निम्बोला, बिस्वा	तीन	ए.आर.पी.	
28.	2000-01	कालां की ढाणी, पटेल बेरा की ढाणी, रावतखेड़ा	दो	ए.आर.पी.	ये हैण्ड पम्प हाल ही में खोदे गये हैं चालू करने की कार्यवाही की जा रही है।
29.	2000-01	कल्याणपुरा	एक	एम.एन.पी.	यह हैण्ड पम्प भी हाल ही में खोदा गया है चालू करने की कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट "ख"

क्र. सं.	स्वीकृति वर्ष	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वी. सं. एवं दिनांक	हैण्ड पम्पों की संख्या	मद
1	2	3	4	5	6
1.	2000-01	धोदा बेरा की ढाणी, थांवला	अमुअ/247/ 18.8.2000	1	एम.एन.पी.
2.	2000-01	गोदारों की ढाणी	अमुअ/248/ 18.8.2000	1	एम.एन.पी.
3.	2000-01	राजीव गांधी स्कूल कोतो की ढाणी भैरून्दा	अमुअ/249/ 18.8.2000	1	एम.एन.पी.
4.	2000-01	लाडपुरा	अमुअ/251/ 18.8.2000	1	एम.एन.पी.
5.	2000-01	कोड	अमुअ/252/ 18.8.2000	1	एम.एन.पी.
6.	2000-01	मालियों की ढाणी आलनियावास	अमुअ/253/ 18.8.2000	1	एम.एन.पी.
7.	2000-01	राइकों की ढाणी डोडियाना	अमुअ/254/ 18.8.2000	1	एम.एन.पी.
8.	2000-01	शेखपुरा	अमुअ/255/ 18.8.2000	1	एम.एन.पी.
9.	2000-01	ठाटा	अमुअ/256/ 18.8.2000	1	एम.एन.पी.
10.	2000-01	जाटों का बास, नया गांव की ढाणी, रावतखेड़ा	अमुअ/239/ 18.8.2000	2	ए.आर.पी.
11.	2000-01	सर्वधन ज.यो. डोडियाना	अमुअं/425/ 17.1.2001	2	ए.आर.पी.

1	2	3	4	5	6
12.	2000-01	संवर्धन ज.यो. आलनियावास	अमुअ/426/ 17.1.2001	1	ए.आर.पी.
13.	2000-01	बनवाड़ा	अमुअ/427/ 17.1.2001	3	ए.आर.पी.
14.	2000-01	राजलोता	अमुअ/428/ 17.1.2001	1	ए.आर.पी.
15.	1999-2000	राइकों की ढाणी, सूरजगढ़	डीआरडीए/1540 7/13.3.2000	1	विधायक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
16.	1999-2000	माताजी का स्थान सूरपुरा	डीआरडीए/1540 7/13.3.2000	1	विधायक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
		कुल योग		**20**	

परिशिष्ट-2

(अतारांकित प्रश्न संख्या-218 की सूचना)

परिशिष्ट "1"

विभिन्न विभागों के अन्तर्गत गत वर्षों के व्यय का विवरण

(राशि लाखों में)

मद		1997-98				1998-99				1999-2000			
		आयोजना भिन्न	आयोजना	योग	कुल बजट का प्रतिशत	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग	कुल बजट का प्रतिशत	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग	कुल बजट का प्रतिशत
1. सिंचाई	B.E.	43321.23	42191.07	85512.30		45743.75	56502.23	102245.98		57012.54	56573.6	113586.14	
	Actuals	42107.26	44136.90	86244.16	5.32	54935.86	50139.96	105075.82	6.07	5705.85	41218.30	98414.15	4.39
2. शिक्षा	B.E.	194375.48	24092.53	218468.01		262970.71	31709.53	294680.24		26485.58	43091.09	307676.67	
	Actuals	192148.47	20107.32	212255.79	10.10	248942.52	26964.68	275907.20	15.93	27211.18	35265.71	307776.89	13.74
3. ऊर्जा	B.E.	26538.05	17959.97	44498.02		19972.26	17987.00	37959.26		223.36	20706	43489.36	
	Actuals	26788.55	96959.96	123748.51	7.64	29371.44	25881.92	55253.36	3.19	477.42	20856.11	68233.53	3.05
4. चिकित्सा	B.E.	45272.61	12855.31	58127.92		58793.86	13929.33	72723.19		628.29	16990.3	79378.58	
	Actuals	42926.28	11098.70	54024.98	3.34	58253.50	9611.56	67865.06	3.92	59.94	9003.07	68733.01	3.07
5. सड़क	B.E.	15062.5	21256	36318.50		15993.96	24655.69	40649.65		06.6	38192	52598.64	
	Actuals	14410.76	20070.26	34481.02	2.13	18084.84	18928.31	37013.15	2.14	15.13	9611.80	24996.93	1.12
6. पेयजल	B.E.	36350.76	28211.31	64562.07		50345.35	31720.00	82065.35		52.68	32776	88048.68	
	Actuals	45492.28	27133.49	72625.77	4.48	56910.91	37804.16	94715.07	5.47	61.58	21578.03	82609.61	3.69
7. कृषि	B.E.	9690.73	17226.36	26917.09		12843.12	18249.18	31092.30		1239	13807.9	26607.29	
	Actuals	9370.00	11233.00	20603.00	1.27	12740.00	12136.00	24876.00	1.44	1300	9255.00	22351.00	1.00

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-222 का विवरण)

वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में नगरपालिका, चूरू द्वारा स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना तथा राष्ट्रीय कच्ची बस्ती विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि का विवरण

01. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

वर्ष	स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय की गई राशि (लाखों में)
1999-2000	18.20	4.29
2000-2001	—	5.08
योग	**18.20**	**9.37**

02. राष्ट्रीय कच्ची बस्ती विकास कार्यक्रम

वर्ष	स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय की गई राशि (लाखों में)
1999-2000	4.59	2.80
2000-2001	22.86	7.70
योग	**27.45**	**10.70**

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-225 की सूची)

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सांगानेर में वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में कराये गये सड़क के पेच मरम्मत कार्य की सूची निम्नप्रकार है

1. शिकारपुरा रोड
2. हरिजन बस्ती, सांगानेर
3. सांगानेर रेलवे स्टेशन रूपा रामपुरा तक
4. मालपुरा गेट से रेलवे स्टेशन
5. रेलवे स्टेशन रोड से महावीर कालोनी
6. रामद्वारा कालोनी
7. कोहिनूर सिनेमा हाल से कच्ची बस्ती
8. नामदेव कालोनी (अमानीशाह के नाले के पास)
9. दादा बाड़ी क्षेत्र
10. नगर निगम आफिस रोड
11. राजेश्वर का रास्ता
12. बगरेटो का मौहल्ला
13. बगरेटो के मौहल्ले से पूर्व की तरफ
14. पूर्वियों का मौहल्ला एवं चौक से पूर्व में
15. नागमणी कालोनी
16. सांगानेर तहसील रोड
17. व्यासों की गली
18. सिंधी कालोनी
19. बालाजी स्वीट्स व टेलीफोन एक्सचेंज वाली गली
20. बिजली कुआं चौक
21. टेम्पो स्टेण्ड से पोस्ट आफिस रोड
22. कम्युनिटी सेंटर के पास

23. टिक्की वालों का रास्ता
24. थाने की तरफ मुख्य सड़क
25. जैन मन्दिर के पास
26. मालपुरा गेट से मैन रोड
27. नानक चौक
28. बाबरी का मौहल्ला
29. बस स्टेण्ड से जैन मन्दिर
30. मालपुरा गेट से नामदेव चौक के पास
31. हरजी नगर चौराहा से टेम्पो स्टेण्ड व नामदेव चौक के पास वाली गली
32. राधावल्लभ मार्ग से बागड़ों का रास्ता
33. शिकारपुरा रोड से टेम्पो स्टेण्ड (दाईं तरफ) मुख्य बाजार की तरफ
34. नगर निगम के आफिस वाली गली
35. नाहरी वाली गली
36. डा. सत्यनारायण पशु चिकित्सक वाली गली
37. कागजी मौहल्ला
38. मस्जिद की तरफ जाने वाली रोड
39. कागजी मौहल्ले में मस्जिद के सामने वाली गली
40. कागजी मौहल्ला चौक से पूर्व में जाने वाली गली
41. कशीदा वालों की गली

ह०/-
जोनल अभियन्ता (सी-1)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सांगानेर जोन में टूटी हुई सड़कों की मरम्मत पर व्यय की गई राशि विवरण

क्र. सं.	स्थान का नाम	राशि (लाखों में)
1	2	3
1.	**सांघी के मन्दिर के सामने**	0.10 लाख
	योग	0.10 लाख
2.	**टेलीफोन लाइन व सीवर लाइन कट**	
	(अ) किसान कालोनी (भोमियोंजी के स्थान से मालपुरा गेट तक)	0.80 लाख
	(ब) स्टेडियम के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में (स्टेडियम के मुख्य सड़क के गली के अन्तिम छोर तक)	0.25 लाख
	(स) विकास पथ पर नगर निगम कार्यालय तक	0.25 लाख
	(द) वगरेठ का चौक से विकास पथ	0.30 लाख
	(य) जैन मन्दिर से फव्वारा सर्कल तक	0.40 लाख
	योग	2.00 लाख
3.	**मानसरोवर की सड़क पर 8.00 लाख की सूची**	
	भास्कर मार्ग मानसरोवर	0.91 लाख
	112/173 के सामने सड़क	0.14 लाख
	112/564 वाली गली	0.17 लाख
	124/238 वाली गली	0.31 लाख
	124/437 वाली गली	0.06 लाख
	हाजरीगाह वाली गली	0.16 लाख
	शिप्रा पथ थाने वाली गली	1.37 लाख
	117/503 से 516 वाली गली	0.12 लाख
	119/503 से 545 वाली गली	0.28 लाख
	तेजाजी पार्क के पास	0.18 लाख
	सैक्टर 8 न्यू सांगानेर रोड	0.48 लाख
	लक्ष्मण पथ मानसरोवर	0.85 लाख

1	2	3
	123/148 के सामने वाली सड़क	0.29 लाख
	123/362 के सामने वाली सड़क	0.33 लाख
	123/227 के पास वाली गली	0.39 लाख
	123/225 के पास वाली गली	0.21 लाख
	45/133 के पास	0.35 लाख
	123 से 129 तक	0.65 लाख
	123/74 से 75	0.24 लाख
	123/224	0.12 लाख
	123/264 के सामने	0.10 लाख
	पार्क वाली गली	0.09 लाख
	40.81/32 से 40 तक	0.06
	117/379 से 289 तक	0.09
	119/135	0.11
	योग	8.00 लाख

4. प्रताप नगर की सड़कें 6.50 लाख

1.	80/314 से 80/153 तक	0.50
2.	81/116 से 109 तक	0.06
3.	81/118 से 124 तक	0.06
4.	81/59 से 66 तक	0.06
5.	81/51 से 58 तक	0.06
6.	81/1 से 8 तक	0.06
7.	80/388 से 385 तक	0.23
8.	80/385 से 320 तक	0.24
9.	81/15 से 105 तक	0.24
10.	81/98 से 310 तक	0.24
11.	80/294 से 310 तक	0.06
12.	80/225 से 233 तक	0.06
13.	80/285 से 295 तक	0.06
14.	80/326 से 334 तक	0.06

1	2	3
15.	80/275 से 219 तक	0.15
16.	80/186 से 344 तक	0.15
17.	80/344 से 352 तक	0.06
18.	80/269 से 259 तक	0.06
19.	80/258 से 250 तक	9.06
20.	80/197 से 189 तक	0.06
21.	80/183 से 168 तक	0.60
22.	हंसपाल मार्ग 85/701 से 433	0.45
23.	50/398 से 371 तक	0.09
24.	50/295 से 370 तक	0.18
25.	50/135 से 155 तक	0.27
26.	50/210 से 184 तक	0.20
27.	50/231 से 245 तक	0.20
28.	50/223 से 230 तक	0.09
29.	50/318 से 326 तक	0.10
30.	50/328 से 337 तक	0.17
31.	50/278 से 265 तक	0.17
32.	50/66 से 48 तक	0.22
33.	51/438 से 429 तक	0.20
34.	51/427 से 417 तक	0.17
35.	32/178 से 69 तक	0.35
36.	32/76 से 95 तक	0.30
37.	85/174	0.06
38.	85/379 से 371 तक	0.06
39.	81/31 से 27 तक	0.06
40.	81/32 से 40 तक	0.06
41.	81/85 से 80 तक	0.06
	कुल योग	**6.50 लाख**

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-229 की प्रति)

क्षेत्रीय कार्यालय (दक्षिण)
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
5, पर्यावरण मार्ग, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : रापनिम/क्षे.का.ज/शिकायत/1084-85 दिनांक : 25.10.2000

श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
नगर निगम, लालकोठी, टोंक रोड,
जयपुर।

विषय : मैसर्स आर.के.मेट्ल्स फिनीशर्स, धोबियों का मौहल्ला, सम्राट सिनेमा के पास, सुभाष चौक, जयपुर द्वारा किये जा रहे लोक अप्रदूषण की रोकथाम के संदर्भ में।

सन्दर्भ : विधान सभा अतारांकित प्रश्न-711 दिनांक 19.10.2000 द्वारा की भंवरू खान।

महोदय,

विषयान्तर्गत आपका ध्यान दिनांक 13.12.1991 की पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर में सम्पन्न जयपुर में सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयों की ओर आकर्षित किया जाता है। उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे उद्योग जो नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत हैं इन उद्योगों के लोक न्यूसेंस अप्रदूषण शिकायत मिलने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही नगर निगम द्वारा ही की जायेगी।

इस क्रम में लेख है मैसर्स : आर. के. मेट्ल्स फिनीशर्स, जयपुर के द्वारा किये जा रहे लोक प्रदूषण के संबंध में इन कार्यालय को : विधान सभा सदन शिकायत प्राप्त हुई है।

उक्त उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया को मध्य नजर रखते हुये इस उद्योग से लोक अप्रदूषण की सम्भावना रहती है।

चूंकि उक्त उद्योग नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत है। अतः आपसे निवेदन है कि सन्दर्भित उद्योग के विरुद्ध नगरपालिका अधिनियम की धारा 233/248 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करके उद्योग से हो रहे न्यूसेंस को रुकवाने का श्रम करें एवं इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय
ह०/-
क्षेत्रीय अधिकारी (दक्षिण)

सिटी/102/838-401 19.3.2001

श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

नगर-निगम,

लालकोठी, टोंक रोड,

जयपुर।

विषय : मैसर्स आर.के. मेट्ल्स फिनीशर्स धोबियों का मौहल्ला, सम्राट सिनेमा के पीछे सुभाष चौक जयपुर द्वारा किये जा रहे लोक अप्रदूषण की रोकथाम।

सन्दर्भ : (1) विधान सभा आश्वासन संख्या 4/2000

(2) मंडल पत्रांक 1084 दिनांक 25.10.2000

महोदय,

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र की ओर आपका ध्यान पुनः आकृष्ट कर लेख है कि उपरोक्त उद्योग के विरुद्ध विधान सभा में तारांकित प्रश्न प्राप्त हुआ था। उक्त उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया को मध्य नजर रखते हुए इस उद्योग से लोक अप्रदूषण की सम्भावना रहती है। चूंकि उक्त उद्योग नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत है।

अतः आपसे निवेदन है कि सन्दर्भित उद्योग के विरुद्ध नगर-निगम अधिनियम की धारा 233/240 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करके उद्योग से हो रहे लोक अप्रदूषण को रुकवाने का श्रम करें एवं इस संबंध में की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का श्रम करें।

भवदीय

ह०/-

क्षेत्रीय अधिकारी (द.)

कार्यालय आयुक्त हवामहल जोन पूर्व, जयपुर नगर निगम, जयपुर

क्रमांक

दिनांक : 27.3.2001

(1) **मैसर्स राजीव जैन पुत्र श्री बिरधी चन्द जैन, (मैसर्स आर. के. मेटल्स) मकान नं. 86, धोबियों का मौहल्ला, सम्राट के पास, सुभाष चौक**

विषय: पर्यावरण दूषित करने वाली एवं जहरीली गैस छोड़ने वाली मशीनों को बन्द करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपको सूचित किया जाता है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने 16.1.1996 द्वारा कारखाने मालिकों को नोटिस जारी कर श्री देव नारायण सिंधी, गोपीराम कुमार अण्डर दी प्रोविजन दी आफ सैक्शन 31 ए आर्म दी एक्ट 1981 द्वारा नोटिस जारी कर सूचित किया था कि उक्त कारखानें आप तत्काल बंद कर दें। अन्यथा उक्त एक्ट के तहत $1\frac{1}{2}$ वर्ष से 6 वर्ष तक सजा का प्रावधान है।

अतः आपको जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि प्रदूषण युक्त कारखानों को बंद करदे या प्रदूषण रहित कर दें अन्यथा आपके विरुद्ध धारा 233 व 248 नगरपालिका अधिनियम, 1959 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आप द्वारा की गई कार्यवाही से हस्ताक्षरकर्ता को 3 दिवस में सूचित करें।

ह०/-
आयुक्त
हवामहल जोन पूर्व,
जयपुर नगर निगम

श्रीमान आयुक्त महोदय,
(हवामहल जोन) पूर्व,
नगर निगम, जयपुर।

विषय : जवाब सूचना,

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक 74 दिनांक 27.3.2001

मैसर्स : राजीव जैन पुत्र बिरधी चन्द जैन (मैसर्स-आर.के.मेट्ल्स) 86, धोबियों का मौहल्ला, सम्राट के पास, सुभाष चौक, जयपुर।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी उक्त फर्म का मालिक है। प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा सूचना दी गई है कि आप द्वारा उक्त कार्य से पर्यावरण दूषित करने वाली एवं जहरीली गैस छोड़ने वाली मशीनें लगी हुयी हैं। जिसके सम्बन्ध में यह निवेदन है कि प्रार्थी के उक्त कार्य व्यवसाय से ऐसा कोई व्यवधान नहीं है कि जिससे उक्त कार्य से पर्यावरण दूषित हो रहा है। यदि फिर भी आपके विभाग द्वारा ऐसा पाया जाता है, तो प्रार्थी उक्त स्थान पर अपना कारखाना हटाने को तैयार है। जिसके लिये प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा दो माह का समय दिया जावे। जिससे प्रार्थी अपनी व्यवस्था करके उक्त कारखाना को हटा सकें, तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जावे।

अतः जवाब अन्दर अवधि श्रीमान् की सेवा में प्रस्तुत है।

भवदीय
ह०/-
फर्म- आर. के. मेट्ल्स
मैसर्स - राजीव जैन पुत्र श्री बिरधी चन्द जैन,
86, धोबियों का मौहल्ला, सम्राट के पास,
सुभाष चौक, जयपुर।

कार्यालय आयुक्त हवामहल जोन पूर्व, जयपुर नगर निगम, जयपुर

क्रमांक : 1055/सवाट/2001 दिनांक 3.3.2001

(1) मैसर्स राजीव जैन, पुत्र श्री बिरधी चन्द जैन
मैसर्स आर.के. मेट्ल्स
मकान नं. 86, धोबीयों का मौहल्ला
सम्राट के पास, सुभाष चौक

विषय : पर्यावरण दूषित करने वाली, जहरीली गैस छोड़ने वाली मशीनों को बन्द करने हेतु एक माह का समय और दिया जाता है।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपका जवाब इस कार्यालय को प्राप्त हुआ जिसमें आपने उक्त फैक्ट्री मैसर्स आर.के. मेट्ल्स, को दो माह में बन्द करने का अनुरोध किया है। अतः आपको एक मांह का समय और दिया जाता है। आपको दिये गये समय में अपनी इस फैक्ट्री को अन्यत्र स्थापित कर लें। अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही नगरपालिका अधिनियम 1959 के धारा 233 व 248 में आपके विरुद्ध कार्यवाही स्वतः ही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

ह०/-
आयुक्त
हवामहल जोन पूर्व
जयपुर नगर निगम

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-232 की सूची)

आवासीय परिसरों को व्यवसायिक परिसरों में किये गये की सूची

1. कल्याण टावर चौधरी भवन म.नं. 41 बाराहजी की गली।
2. कौशिक कटला म.नं. 40 बाराह जी की गली।
3. शांति सदनं, म.नं. 39 बाराह जी की गली।
4. शांति काम्प्लेक्स म.नं. 37-38 बाराहजी की गली।
5. समराई भवन, म.नं. 77 बाराह जी की गली।
6. भट्टाचार्य मेन्टेंस म.नं. 108 बाराह जी की गली।
7. कन्हैया भवन म.नं. 110 बाराह जी की गली।
8. चौधरी हाउस म.नं. 109 बाराह जी की गली।
9. अग्रसेन भवन, म.नं. 31 बाराह जी की गली।
10. समराई भवन म.नं. 104 रा. दीनानाथ जी का
11. माधोपुरिया का चौक, रास्ता दीनानाथ जी का

ह०/-
आयुक्त
हवामहल जोन (पश्चिम)
नगर निगम, जयपुर

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-238 की प्रति)

राजस्थान नगरपालिका कानून

232. अन्य न्यूसेंस का प्रतिषेध— (1) नगर में कोई व्यक्ति—

(क) किसी सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक स्थान में :

(i) स्वयं विश्राम नहीं करेगा या अपने प्रभाराधीन बारह वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को विश्राम नहीं करने देगा, या

(ii) जनता की दृष्टि में आने वाला खुला मांस नहीं ले जायेगा, या

(iii) पशुओं को नहीं बांधेगा या बैलगाड़ियां इकट्ठी नहीं करेगा, या

(iv) इस अधिनियम के या उसके अधीन नियम या उपविधि के अनुसरण में लगाये गये या प्रदर्शित किये गये किसी विज्ञापन, नोटिस या अन्य दस्तावेज को न तो हटायेगा, न नष्ट करेगा, न बिगाड़ेगा या अन्यथा मिटायेगा, या

(ख) इस प्रयोजन हेतु अलग न रखे गये स्थान पर कोई कब्र मकबरा या स्मारक नहीं बनायेगा या किसी शव को नहीं जलायेगा या नहीं गाड़ेगा, या

(ग) किसी पशु को इस प्रकार खुला नहीं छोड़ेगा जिससे या लापरवाही से पशु को किसी व्यक्ति को क्षति, खतरा भय या खीज उत्पन्न नहीं करने देगा, या

(घ) जो स्थान शौचालय के लिए आशयित नहीं है ऐसे किसी स्थान का शौचालय के रूप में प्रयोग नहीं करेगा और न करने देगा, या

(2) जो कोई उपधारा (1) में उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करता है, जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पच्चीस रुपये तक का हो सकेगा।

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-242 की सूची)

बस्सी तहसील से प्राप्त एन.ओ.सी. प्रकरणों की सूची

क्र. सं.	आवेदक का नाम मय ग्राम	प्रस्तुत दिनांक	निर्णय का विवरण
1	2	3	4
1.	श्रीमती लक्ष्मीदेवी, ग्राम हरध्यानपुरा	10.08.98	एन.ओ.सी. दिये जाने का निर्णय लिया।
2.	श्री जयकुमार एवं अन्य ग्राम हरध्यानपुरा	03.09.98	एन.ओ.सी. दिये जाने का निर्णय लिया।
3.	श्रीमती गीता पत्नी श्री विष्णुकिशोर ग्राम बीलवा खुर्द	21.08.98	रेकार्ड के अभाव में प्रकरण स्थगित किया।
4.	श्री बिहारीलाल ग्राम बीलवा खुर्द	21.08.98	रेकार्ड के अभाव में प्रकरण स्थगित किया।
5.	श्री राजीव शर्मा ग्राम हरध्यानपुरा स्टोन क्रेशर हेतु	03.09.98	एन.ओ.सी. दिये जाने का निर्णय लिया।
6.	श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री ओमप्रकाश ग्राम कानोता में एग्रो उद्योग हेतु	28.08.98	रेकार्ड के अभाव में प्रकरण स्थगित किया।
7.	श्री रविकुमार ग्राम कानोता में डेयरी उद्योग हेतु	07.09.98	एन.ओ.सी. दिये जाने का निर्णय लिया।
8.	श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री हनुमान ग्राम कानोता में उद्योग हेतु	09.12.98	एन.ओ.सी. दिये जाने का निर्णय लिया।
9.	श्री भोरयां, व अन्य ग्राम हरध्यानपुरा आवासीय प्रयोजनार्थ	16.03.99	रिकार्ड के अभाव में पेंडिंग।
10.	श्रीमती भानूकंवर ग्राम हीरावाला	16.03.99	रिकार्ड के अभाव में पेंडिंग।

1	2	3	4
11.	श्री रेवडिया पुत्र महादेव, ग्राम कानोता ढाबा हेतु	08.01.98	एन.ओ.सी. नहीं दी गई।
12.	श्री नवीन डांगी पुत्र बुद्धराम, ग्राम हरध्यानपुरा ईंट भट्टा हेतु	04.04.99	एन.ओ.सी. नहीं दिये जाने का निर्णय।
13.	श्री नारायण प्रसाद मीणा ग्राम बस्सी में स्कूल भवन हेतु	10.05.99	एन.ओ.सी. नही दिये जाने का निर्णय।
14.	श्री बेणीचन्द पुत्र श्री कृष्णाचन्द ग्राम कानोता में सिनेमा भवन हेतु	31.05.99	एन.ओ.सी. दी गई।
15.	श्री सिराज अहमद ग्राम कानोता सिनेमा भवन हेतु	31.05.99	एन.ओ.सी. नहीं दिये जाने का निर्णय।
16.	श्री जयदीप अग्रवाल एवं अनिता ग्राम मानसर में उद्योग हेतु	07.07.99	एन.ओ.सी. दिये जाने का निर्णय लिया।
17.	श्री गोविन्द नारायण पटेल ग्राम बस्सी में औद्योगिक हेतु	07.07.99	रिकार्ड के अभाव में पेडिंग।
18.	श्री कैलाश चन्द शर्मा को ग्राम बस्सी में सिनेमा हेतु	—	भू-उपयोग परिवर्तन हेतु स्थगित।
19.	सुमन होटल एवं रिसोर्ट प्रा.लि. ग्राम कानोता में पर्यटन इकाई	14.02.00	एन.ओ.सी. दिये जाने का निर्णय लिया।
20.	श्री रामबिलास पुत्र श्री माधेलाल ग्राम टेकचन्दपुरा में खनन हेतु	24.05.00	रिकार्ड के अभाव में स्थगित।
21.	श्री रामराय शर्मा को ग्राम कानोता में रिसोर्ट हेतु	22.09.00	एन.ओ.सी. दिये जाने का निर्णय लिया।

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-247 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

पंचायत समिति बामनवास को क्षेत्रीय जलयोजना बानोर-सफोपुरा के अन्तर्गत सम्मिलित 6 समस्याग्रस्त ग्रामों में वर्तमान तथा ग्रीष्म 2001 में प्रस्तावित पेयजल व्यवस्था का विवरण

क्र.सं.	ग्राम का नाम	1991 की आबादी	वर्तमान पेयजल व्यवस्था	रीजनल स्कीम का सेवा स्तर	हैण्ड पम्प कुल	हैण्ड पम्प चालू	ग्रीष्म 2001 में प्रस्तावित कार्य
1.	श्यामपुरा (33)	205	स्थानीय कुएं एवं हैण्ड पम्प द्वारा	शून्य	1	1	पेयजल परिवहन प्रस्तावित है
2.	रानीला (34)	1118	स्थानीय कुएं एवं हैण्ड पम्प द्वारा	शून्य	2	2	स्थानीय स्रोत एवं हैण्ड पम्प द्वारा
3.	ठिकरिया (30)	257	स्थानीय कुएं एवं हैण्ड पम्प द्वारा	शून्य	1	1	पेयजल परिवहन प्रस्तावित है
4.	सराय (58)	902	स्थानीय कुएं एवं हैण्ड पम्प द्वारा	शून्य	4	2	पाइप लाइन से जोड़कर जल्दी ही चालू कर देना प्रस्तावित है
5.	गण्डाल (59)	2102	स्थानीय कुएं एवं हैण्ड पम्प द्वारां	शून्य	5	5	पाइप लाइन से जोड़कर जल्दी ही चालू कर देना प्रस्तावित है
6.	नागतलाई (65)	843	स्थानीय कुएं एवं हैण्ड पम्प द्वारा	शून्य	1	1	पेयजल परिवहन प्रस्तावित है

परिशिष्ट "ब"

पंचायत समिति बामनवास के वर्णित ग्रामों की वर्तमान स्थिति तथा प्रगतिरत सुधार कार्यों का विवरण

गांव का नाम	जनसंख्या	हैण्ड पम्प की संख्या		वर्तमान योजना से सर्विस लेवल हैण्ड पम्प शामिल नहीं लीटर/व्यक्ति दिन	टिप्पणी
		स्थापित	चालू		
1	2	3	4	5	6
चांदन होली	1093	14	13	—	रीजनल स्कीम चांदन होली बिछोछ 2/97 में रु. 38.81 लाख हेतु स्वीकृत हुई थी। कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। विद्युत डिमाण्ड नोट जमा करवा दिया गया है। विद्युत कनेक्शन प्राप्त होते ही पाइप लाइन टैस्ट कर योजना चालू होना सम्भव होगा।
बिछोह	3222	26	25	—	
खेडली	1987	24	20	शून्य	पुराना नलकूप सूख गया। वर्ष 2000 में नया नलकूप स्वीकृत करवाकर बनवा लिया गया है। विद्युत कनेक्शन शिफटिंग होना बाकी है जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नलकूप मई-2001 में चालू करवाना लक्षित है।
रिंवाली	3408	25	23	15	एक नलकूप चल रहा है। दूसरा नलकूप 2000 में स्वीकृत करवाकर बनवा लिया गया है। विद्युत कनेक्शन 1 माह पूर्व सप्लाई कर दिया गया है। डिमाण्ड नोट आते ही भुगतान कर नलकूप चालू कर दिया जावेगा।

1	2	3	4	5	6
लिवाली	3777	11	10	20	3 कुओं में से 2 सूख गए। एक का डिसचार्ज कम हो गया था। नया नलकूप मार्च-2001 में चालू कर दिया है। एक स्थानीय कुएं (प्राइवेट) से भी पानी सहभागिता के रूप में लेकर वितरित किया जा रहा है।
कोहली-प्रेमपुरा	648	3	3	—	योजना रामपुरा रामनगर डोसी योजना का कार्य समाप्ति पर है। योजना से इसी माह में जल वितरण सुचारू हो जावेगा। भूतल जलाशय चालू करना बाकी है।
सीतापुरा	743	3	3	10	यह लाडपुरा नागर हेडा क्षेत्रीय योजना से जुड़ा गांव है। यह अंतिम छोर का गांव है।
रामनगर डोसी	484	3	2	—	यह गांव योजना रामपुरा रामनगर डोसी में शामिल है। कार्य समाप्ति पर है। भूतल जलाशय जुड़ना है। इसी माह में जल वितरण सुचारू हो जावेगा।

परिशिष्ट-10

प्रपत्र "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-249 की सूची)

नये डी.सी.बी. लगाने वाले शहर/गांव

क्र.सं.	शहर/गांव का नाम	कुल डीसीबी
1.	भादरा शहर	1
2.	उत्तरादा बास	3
3.	गांधी बड़ी	1
4.	उदरान	1
5.	जोगीवाला	1
6.	करणपुरा	1
7.	सरदारपुरा बास गांधी	1
	योग	9

पुराने डी.बी.सी. चालू करना

1.	मलखेड़ा	1
2.	साहुवाला	1
3.	निनाण	1
4.	छानीबड़ी	2
5.	सागड़ा	1
6.	भादरा वितरिका (ग्रामीण योजना अनुप शहर शोराटाडा के 16 गांव हेतु)	3
	योग	9

प्रपत्र "अ"

पुरानें कुओं को चालू करना

क्र.सं.	गांव का नाम	कुओं की संख्या
1.	जाटान	1
2.	घेऊ	1
3.	डाबड़ी	1
4.	मोजाना	1
5.	रतनपुरा	1
6.	शेरडा	1
7.	मेहरिया	1
8.	श्योदानपुरा	1
9.	आसन	1
10.	गढंडा	1
11.	झीलोदा	1
12.	भानगढ़	1
13.	रासलाना	1
14.	बीवीपुर	1
	कुल	**14**

परिशिष्ट-11

राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग, राज. उदयपुर

खनिज चेजा पत्थर के वन क्षेत्रों में पड़ने वाली खननपट्टों की सूची

क्र.सं.	नाम पट्टाधारी	निकट ग्राम	तहसील	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
जिला भरतपुर				
1.	श्री राजीव कुमार अग्रवाल	नावली	बयाना	6 है.
2.	श्री राजीव कुमार अग्रवाल	पिदावली	बयाना	6 है.
3.	श्री बैजनाथ तिवाड़ी	दमदमा	बयाना	151.08 है.
4.	श्री विनय कुमार अग्रवाल	कनावर	बयाना	1 है.
5.	श्री सुरेन्द्र कुमार	मालीपुरा	बयाना	1 है.
6.	श्री छिद्धीराम	इमलिया	बयाना	1.125 है.
7.	श्री द्वारका प्रसाद	जरखोर	बयाना	50 है.
8.	श्री श्यामसुन्दर	लोटवाड़ा	बयाना	19.95 है.
9.	श्री ओमप्रकाश/पाच्याराम	त्यौहारी	बैर	42 है.
10.	श्री ओमप्रकाश/मनमोहन	उमोड़	बैर	0.75 है.
11.	श्रीमती बुद्धिमति	पहाड़ताल	डीग	392 है.
जिला सवाईमाधोपुर				
1.	श्री रामकिशोर मीना पुत्र श्री रामखिलाड़ी मीना	ताजपुर छावा	गंगापुरसिटी	3940 वर्ग मीटर
2.	श्री हरजी मीना पुत्र श्री जगन्या मीना	ताजपुर छावा	गंगापुरसिटी	9.96 है.

1	2	3	4	5
3.	श्री विक्रम देव सैनी पुत्र श्री सागरमल सैनी	बिचपुरी	बामनवास	140 × 40 वर्ग मीटर
4.	श्री रामप्रकाश कलाल	छापाघाटी	सवाईमाधोपुर	1.11 है.
5.	श्री नवीन चन्द	जती जी की बावड़ी	सवाईमाधोपुर	1.08 है.
6.	श्री रवी शंकर	जती जी की बावड़ी	सवाईमाधोपुर	0.72 है.
7.	श्री अब्दूल जलील	शंकर चौधरी की बावड़ी	सवाईमाधोपुर	2.30 है.
8.	श्री ब्रज मोहन जैन	शंकर चौधरी की बावड़ी	सवाईमाधोपुर	0.72 है.
9.	श्री जगदीश प्रसाद भोपा	नीमली खुर्द	सवाईमाधोपुर	10.80 है.
10.	श्री अलीमुद्दीन खां	रावण डूंगरी	सवाईमाधोपुर	8.72 है.
11.	श्री सिराज रसूल जैदी	जीवराज जी की बावड़ी	सवाईमाधोपुर	0.87 है.
12.	श्री बृज मोहन जैन	जीवरांज जी की बावड़ी	सवाईमाधोपुर	0.744 है.
13.	मे. अग्रवाल स्टोन क्रेशर	आलनपुर	सवाईमाधोपुर	2.00 है.
14.	श्री बशीर अली	सारसोप	चौथ का बरवाड़ा	6.60 है.
15.	श्री गोविन्द नारायण	सारसोप	चौथ का बरवाड़ा	6.60 है.
16.	श्री राम निवास मीणा	सारसोप	चौथ का बरवाड़ा	1.26 है.
17.	श्री गणपत राम सैनी	सारसोप	चौथ का बरवाड़ा	1.26 है.

ह०/-

अधिक्षण खनि. अभियन्ता (तृतीय)

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-271 का विवरण)

परिशिष्ट "1"

खण्डवा ग्राम सेवा सहकारी समिति की आडिट रिपोर्ट वर्ष 1999-2000 के आक्षेप संख्या-3, 6, 7, 12, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 37, 51 व 59 की अनुपालना प्रतिवेदन का विवरण, जो कि समिति की आम सभा दिनांक 8.2.2001 में की गई है

क्र. सं.	आक्षेप संख्या	आक्षेप का विवरण	की गई अनुपालना का विवरण
1	2	3	4
1.	3	गत आडिट आक्षेपों की पूर्ण पालना नही की गई है।	आडिट आक्षेपों की पालना कर दी गई है।
2.	6	वर्ष में आम सभा व वार्षिक अधिवेशन नहीं बुलाया गया है।	समिति में वार्षिक आमसभा का आयोजन दिनांक 15.9.2000 को कर दिया गया है।
3.	7	समिति का सदस्य रजिस्टर अपूर्ण है।	व्यवस्थापक समिति को सदस्य रजिस्टर पूर्ण करने की हिदायत दी गई।
4.	12	समिति में हिस्सा रजिस्टर प्रचलित नहीं है।	व्यवस्थापक समिति ने साधारण सभा को जानकारी दी कि हिस्सा रजिस्टर प्रचलित कर रखा है।
5.	16	बैंक हिस्सा राशि में 16,250/- रुपये का अन्तर है। विनियोग राशि के हिस्सा प्रमाण-पत्र समिति में नहीं है।	व्यवस्थापक समिति को हिस्सा राशि में अन्तर निकालने व विनियोजन राशि के हिस्सा प्रमाण-पत्र संबंधित से प्राप्त करने हेतु पाबन्द किया गया।
6.	17	गेहूं बिक्री राशि रोकड़ बही में जमा नहीं है, की 5,250/- रु. श्री हरलाल, अध्यक्ष से मय 18% ब्याज के वसूली की जावें।	इस सम्बन्ध में अध्यक्ष को वसूली हेतु पाबन्द किया गया।

1	2	3	4
7.	18	श्री हरलाल अध्यक्ष द्वारा रोकड़ पोता राशि उपभोक्ता रोकड़ 13,392.49 रुपये मय 18% ब्याज के वसूली योग्य है।	व्यवस्थापक समिति ने बतलाया कि रोकड़ पोता राशि 13,992.49/- रुपये व ब्याज 2873/- रुपये दिनांक 5.2.2001 को समिति कोष में जमा हो चुके हैं।
8.	20	अनियमित वेतन सहायक व्यवस्थापक को 6,600/- रु. श्री भागचन्द, व्यवस्थापक से वूसल किया जावे।	सहायक व्यस्थापक को अनियमित गत वर्षों का यात्रा भत्ता भुगतान 6,126/- रु. श्री हरलाल, अध्यक्ष से वसूल किये जावें।
		अध्यक्ष समिति ने अवगत कराया कि सहायक व्यवस्थापक ने समिति में कार्य किया है। उसकी ऐवज में ही वेतन दिया गया है, जिसकी सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।	सहायक व्यवस्थापक ने समिति की आवश्यकतानुसार ही यात्रा की है और उसी के अनुसार यात्रा भत्ता दिया गया है, जिसकी सर्वसम्मति से पुष्टि की जाती है।
9.	24	बैंक ऋण खाते में 19,885.86/- रुपये का अन्तर है।	व्यवस्थापक समिति को पाबन्द किया गया कि बैंक के ऋण खातों की पास-बुक प्राप्त कर अन्तर का मिलान शीघ्रताशीघ्र किया जावे।
10.	25	सदस्यों पर बकाया ऋण में 7061.89/- रु. का अन्तर चला आ रहा है।	सदस्यों के खातों व बैंक खातों का मिलान कर लिया गया है। कोई अन्तर नहीं रहा है। यह व्यवस्थापक ने साधारण सभा को जानकारी दी गई।
11.	37	सदस्यों पर बकाया अवधिपार ऋण का वर्षवार वर्गीकरण नहीं किया गया।	व्यवस्थापक समिति ने बतलाया कि बकाया अवधिपार ऋण वार्षिक वर्गीकरण कर लिया गया है।

1	2	3	4
12.	51	गत 31.03.99 के स्टाक की सूची प्राप्त कर अन्तर राशि संबंधित से वसूल की जावे।	व्यवस्थापक ने बतलाया कि गत 31.03.99 के स्टाक की सूची उपलब्ध करवाने हेतु पूर्व व्यवस्थापक श्री भागचन्द को लिया गया है। प्राप्त होते ही संबंधित से वसूली की जावेगी।
13.	59	क्रमांक-59 पर विशेष ध्यान दिया जावे एवं सन्तुलन चित्र पर टिप्पणी की पूर्ति की जावे।	क्रमांक-59 पर विशेष ध्यान देने हेतु व्यवस्थापक को पाबन्द किया गया व सन्तुलन चित्र पर टिप्पणी की पूर्ति हेतु भी व्यवस्थापक को पाबन्द किया गया।

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-274 का विवरण)

परिशिष्ट "1"

प्रश्न के बिन्दु संख्या-1 में वर्णित अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों एवं की गई कार्यवाही का विवरण

क्र.सं.	अधिकारी का नाम जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई	शिकायतकर्त्ता का नाम	शिकायत का विवरण	शिकायत पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1.	श्री सोहन लाल लखानी	चेनाराम नागरिक, जालौर	श्री सोहन लाल लखानी, प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., जालौर ने बैंक को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है, जिसकी जांच कराने बाबत् ।	विभाग के पत्र दिनांक 11.7.97 द्वारा संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जोधपुर से जांच कराई जा रही है ।
2.	श्री सोहन लाल लखानी	अनाम, दुखी व्यवस्थापक, जालौर	केन्द्रीय सहकारी बैंक, जालौर के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध शिकायत बाबत् ।	प्रबन्ध निदेशक, जालौर केन्द्रीय सहकारी बैंक के पत्र दिनांक 11.2.97 के द्वारा उक्त शिकायत की जांच कराई जा रही है ।
3.	श्री सोहन लाल लखानी	सहकारी संस्था के कर्मचारी बैंक स्टाफ व्यापारी एवं लघु उद्यमी	केन्द्रीय सहकारी बैंक, जालौर में प्रतिनियुक्ति प्रबन्ध निदेशक श्री सोहनलाल लखानी के विरुद्ध भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी एवं गैर कानूनी कार्यों के विरुद्ध उन्हें पद से हटाकर मुकदमा दर्ज करवाकर जांच कराने बाबत् ।	भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, सिरोही में उक्त शिकायत परिवाद संख्या-408/97 दर्ज होकर मुख्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के आदेश क्रमांक-989 दि. 7.4.98 द्वारा नत्थीवद्ध किया जा चुका है ।

1	2	3	4	5
4.	श्री सोहन लाल लखानी	के.एस.जांगीड़, वरिष्ठ पत्रकार	जालौर, केन्द्रीय सहकारी बैंक में की जा रही अनियमितताओं की जांच के क्रम में।	प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, जालौर से पत्र दिनांक 2.6.98 के द्वारा वस्तुस्थिति की रिपोर्ट चाही गई है।
5.	श्री सोहन लाल लखानी	—	फव्वारा योजना के ऋण अनुदान पाइपों के दुगने दाम के कोटेशन मंगवाकर खुद रिश्वत लेने, व्यवस्थापकों के स्थानान्तरण में काफी रिश्वत लेने, आई.आर.डी.पी. के ऋण में भारी रिश्वत लेने, ग्राम सेवा सहकारी समिति से रिश्वत लेकर नार्म्स पूरे न करने पर भी ऋण देना, ऋण वसूली व एडजस्मेंट।	श्री लखानी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांक 18.5.96 को संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जोधपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 16.7.96 के द्वारा तथ्यपूर्ण बताये जाने पर प्राप्त शिकायत को ड्राप किया गया।
6.	श्री सोहन लाल लखानी	रविन्द्र सिंह बालावत	भवन किराये पर लेने में अनियमितताएं, फव्वारा संयंत्रों के ऋण वितरण में अनियमितताएं, व्यवस्थापकों की प्रोत्साहन राशि हड़पना, रानीवाड़ा चोरी काण्ड के दोषी कर्मचारियों पर कार्यवाही ना कर पदोन्नति देना।	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जोधपुर से जांच कराई गई है। जांच रिपोर्ट प्रक्रियाधीन है।
7.	श्री सोहन लाल लखानी	कपूराराम, श्रवणराम, अनिल कुमार	फव्वारा सैट ऋण विरतण में रिश्वत लेना, व्यवस्थापकों के स्थानान्तरण में रिश्वत लेना, आई.आर.डी.पी. में रिश्वत लेना, ग्राम सेवा सहकारी समिति से रिश्वत लेकर नार्म्स के अनुसार ऋण नहीं देना।	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जोधपुर से जांच कराई गई है। जांच रिपोर्ट प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-275 की सूची)

जिला बाड़मेर व जैसलमेर में स्वीकृत कार्य व चालू कार्यों की सूची

नाम जिला	नाम तहसील	चालू कार्यों की संख्या	नियोजित श्रमिक
बाड़मेर	बाड़मेर	12	750
	बायतू	20	1247
	पंचपदरा	21	1460
	गुढ़ामालानी	10	500
	चौहटन	19	625
	शिव	20	945
	सिवाना	30	1965
	रामसर	3	100
	योग	**135**	**7592**
जैसलमेर	जैलसमेर	25	1331
	पोकरण	28	1130
	फतेहगढ़	7	380
	योग	**60**	**2841**

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-278 की सूची)

FINANCIAL EXPENDITURE SAMVAT 2056
(C.R.F. + R.I.D.F.-VI + P.M. Fund)

S.No.	District	Amount
1	2	3
1.	Ajmer	3578.68
2.	Alwar	215.64
3.	Banswara	2605.06
4.	Barmer	5169.40
5.	Bhilwara	3147.86
6.	Bikaner	3050.40
7.	Bundi	293.49
8.	Chittorgarh	1433.90
9.	Churu	2996.75
10.	Dausa	930.40
11.	Dungarpur	2300.42
12.	Ganganagar	77.89
13.	Hanumangarh	335.15
14.	Jaipur	2574.41
15.	Jaisalmer	1651.41
16.	Jalore	2610.76
17.	Jhunujhunu	1202.37

1	2	3
18.	Jodhpur	3317.06
19.	Nagaur	3434.21
20.	Pali	2409.68
21.	Rajsamand	2586.26
22.	S.Madhopur	202.35
23.	Sikar	3238.41
24.	Sirohi	1601.64
25.	Tonk	1536.62
26.	Udaipur	4094.76
	Total	**56594.71**

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या-279 की सूची)

वर्ष 1999-2000 अकाल राहत कार्यों के तहत कराये गये अर्थवर्क एवं ग्रेवल कराये गये कार्यों की सूची

क्र. सं.	सड़क का नाम	अर्थ वर्क लम्बाई (कि.मी.)	ग्रेवल लम्बाई (कि.मी.)	व्यय राशि (लाखों में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	ग्रेवल सड़क टांपी से निम्बज	2.00	1.00	4.11	अपूर्ण
2.	ग्रेवल सटोल से लूणीयासर	2.00	—	1.11	अपूर्ण
3.	ग्रेवल पुर वाढ़ा वाया करेवी ढाणी	—	1.50	1.87	अपूर्ण
4.	ग्रेवल सम्पर्क सड़क रतौड़ा	—	2.00	4.35	पूर्ण
5.	ग्रेवल ईटादा वमन	—	0.35	0.65	पूर्ण
6.	ग्रेवल चिमडा से बडसल वेरी	3.00	—	2.51	अपूर्ण
7.	ग्रेवल दांतिया से सुथाना	—	2.70	5.20	पूर्ण
8.	ग्रेवल झाब से आम्बा का गोलिया	0.75	—	0.35	अपूर्ण
9.	ग्रेवल लियादरा से भादरूणा जी.एस.एस.	2.00	—	0.42	अपूर्ण
10.	ग्रेवल केसूरी से बिछावाड़ी	2.00	2.00	5.54	अपूर्ण
11.	ग्रेवल दूढवा से टेम्बी	1.30	1.30	4.72	अपूर्ण
12.	ग्रेवल सरवाना से भवाना	4.00	—	2.06	अपूर्ण
13.	ग्रेवल साकड़-पालड़ी दवड़ान	0.20	0.10	0.39	अपूर्ण
14.	ग्रेवल सागउंवा आमली वाया हिण्डवाड़ा	4.00	0.50	3.41	अपूर्ण

1	2	3	4	5	6
15.	ग्रेवल काछेला से बिछावाड़ी	1.25	1.00	2.56	अपूर्ण
16.	ग्रेवल जोरादर कुकडिया वाया भवातड़ा	0.75	1.25	2.32	अपूर्ण
17.	ग्रेवल आरवा रांची	2.00	—	1.01	अपूर्ण
18.	ग्रेवल पुर वोढ़ा वाया किलूपिया	0.75	—	1.01	अपूर्ण
19.	ग्रेवल अनरवोल वमल	2.30	—	2.04	अपूर्ण
20.	ग्रेवल रवासरवी-रांची	—	1.80	9.89	अपूर्ण
21.	ग्रेवल गलीफा मेठा	1.50	1.35	4.44	अपूर्ण
22.	ग्रेवल मेढा भाटवास	2.75	—	1.85	—
23.	ग्रेवल छजारा प्रजापति नगर	4.00	—	1.58	अपूर्ण
24.	ग्रेवल होथीगांव मरहवा	1.00	1.00	2.74	अपूर्ण
25.	ग्रेवल जोरादर मोड़ से खेजड़याली	1.10	1.90	3.23	अपूर्ण
26.	ग्रेवल भडवल वासन चौहान	3.00	—	1.13	अपूर्ण
27.	ग्रेवल गुन्दाऊ-वाड़ा	—	2.00	2.64	पूर्ण
28.	ग्रेवल सड़क हाउचा रतनपुर वाया हिण्डवाड़ा	2.50	—	1.32	अपूर्ण
29.	ग्रेवल सम्पर्क सड़क मैलावास, तेतरोल हेमागुडा सड़क	1.00	2.00	2.81	अपूर्ण
30.	ग्रेवल रवारा से पमाणा	1.50	2.00	2.85	अपूर्ण
31.	ग्रेवल सम्पर्क सड़क खामराई, केरिया बाखासर सड़क से	1.20	—	0.84	अपूर्ण
32.	ग्रेवल लालपुर, केरिया-बाखासर सड़क से	2.50	—	2.09	अपूर्ण

1	2	3	4	5	6
33.	ग्रेवल वीरावा-फाटा से मालियों का गोलिया	1.50	2.00	2.59	अपूर्ण
34.	ग्रेवल अरनाम गोलिया से झेरोल	0.75	1.25	2.96	अपूर्ण
35.	ग्रेवल सूथडी से फोगड़वा	—	0.90	2.03	पूर्ण
36.	ग्रेवल सूवडी से भवातड़ा	0.80	—	0.86	अपूर्ण
37.	ग्रेवल केसूरी भादरूण	—	0.60	1.99	पूर्ण
38.	ग्रेवल धनेरिया से झाब	—	0.50	1.21	पूर्ण
39.	ग्रेवल लियादरा खेड़ा रोड से जवारा नाड़ी	—	1.80	2.78	पूर्ण
40.	ग्रेवल डेडवा से सांगडवा वाया जागुओं की ढाणी	—	1.10	2.84	अपूर्ण
41.	ग्रेवल हलीबाव से मनौर जी.एस.एस.	0.40	1.60	4.39	अपूर्ण
42.	ग्रेवल एन.एच. 15 से गिरधर धोरा रा.प्रा.वि.	—	1.50	4.15	अपूर्ण
43.	ग्रेवल गोमी ईसरोल	3.00	—	1.87	अपूर्ण
44.	ग्रेवल सरनाऊ से पुर	0.25	2.25	5.92	पूर्ण
45.	ग्रेवल पांचला से वणदेव	0.50	1.50	3.38	पूर्ण
46.	ग्रेवल देवड़ा से भूतेल	—	2.50	6.04	अपूर्ण
47.	ग्रेवल वेडिया से भीमगुडा वाया कलजीबेरी	—	1.40	3.35	अपूर्ण
48.	ग्रेवल डूंगरी से निम्बज	—	1.80	2.94	अपूर्ण
49.	ग्रेवल गरडाली से पीर की जाल	—	1.60	3.82	पूर्ण

1	2	3	4	5	6
50.	ग्रेवल पादरली से तेतरोल हेमागुड़ा सड़क	1.40	1.00	2.78	पूर्ण
51.	ग्रेवल हेमागुड़ा से भादुओं की ढाणी	0.20	1.30	4.20	अपूर्ण
52.	ग्रेवल चौरा भादरूणा मालियों कागोलिया	1.00	—	1.14	अपूर्ण
53.	ग्रेवल ईरादा से तांतड़ा	0.70	—	0.94	अपूर्ण
54.	ग्रेवल छोटी विरोल से गुजरात राज्य सीमा तक	1.50	0.10	1.82	अपूर्ण
55.	ग्रेवल बावरला से विष्णुनगर	—	3.00	5.30	अपूर्ण
56.	ग्रेवल बावरला से विष्णुनगर	—	3.00	5.30	अपूर्ण
57.	ग्रेवल बालेरा से भाटकी	2.00	—	1.27	अपूर्ण
58.	ग्रेवल बालेरा से खासरवी	0.40	0.10	2.25	अपूर्ण

ह०/-
अधिशासी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड, भीनमाल

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या-287 का विवरण) परिशिष्ट "1"

धौलपुर आगार को आबंटित वाहनों का मार्गवार विवरण

क्र.सं.	मार्ग का नाम
1	2
1.	ग्वालियर-देहली
2.	ग्वालियर-मथुरा
3.	ग्वालियर-भरतपुर
4.	ग्वालियर-जयपुर
5.	धौलपुर-मथुरा
6.	ग्वालियर-अलीगढ़
7.	धौलपुर-जयपुर वाया आगरा
8.	ग्वालियर-आगरा
9.	धौलपुर-जयपुर वाया सैंपऊ
10.	जयपुर-धौलपुर वाया राजाखेड़ा
11.	धौलपुर-सौरों
12.	धौलपुर-तिजारा
13.	धौलपुर-आगरा
14.	धौलपुर-सामईखेड़ा
15.	धौलपुर-हरिद्वार
16.	धौलपुर-बाह वाया सैया
17.	धौलपुर-जोधपुर
18.	धौलपुर-बाह वाया राजाखेड़ा

1	2
19.	धौलपुर-अलीगढ़
20.	मथुरा-मुरेना
21.	धौलपुर-भरतपुर वाया आगरा
22.	धौलपुर-भरतपुर वाया सेपऊ
23.	धौलपुर-इटावा
24.	धौलपुर-फर्रुखाबाद
25.	धौलपुर-कायमगंज
26.	धौलपुर-अलवर वाया सैपऊ
27.	धौलपुर-देहली
28.	राजाखेड़ा-आगरा
29.	धौलपुर-राजाखेड़ा वाया आगरा
30.	जयपुर-धौलपुर वाया अलीगढ़
31.	राजाखेंडा-मुरेना
32.	बसेड़ी-पोरसा
33.	धौलपुर-जयपुर वाया बयाना
34.	धौलपुर-बयाना
35.	धौलपुर-कैलादेवी
36.	धौलपुर करौली
37.	धौलपुर-राजाखेड़ा
38.	धौलपुर-बाडी
39.	बाडी-फिरोजाबाद
40.	खोरागढ-फिरोजाबाद

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या-289 की सूची)

परिशिष्ट "1"

विधान सभा क्षेत्र भादरा के ऐसे गांव जो निगम बस सेवा से जुड़े हुये हैं

क्र.सं.	मार्ग	भादरा विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले गांव	
1	2	3	
1.	भादरा-नोहर-रावतसर	1.	मुनसरी
		2.	सरदारगढ़िया
		3.	करणपुरा
		4.	सिकरोही
2.	भादरा-साहवा-तारानगर	1.	डूंगराना
		2.	बोझला
		3.	मलसीसर
		4.	कुंजी
		5.	घोटडा
3.	भादरा-राजगढ़	1.	डोबी
		2.	उतरादावास
		3.	भनाई
		4.	भाडी मोडक
		5.	चारणों की ढाणी
4.	भादरा हिसार वाया बालसमन्द	1.	पटना
		2.	जोगीवाला
		3.	अमरपुरा
		4.	सरतपुरा
		5.	भिरानी

1	2	3	
		6.	डाबड़ी
		7.	भोजाणा
5.	अनूपगढ़-देहली अनूपगढ़-भादरा	1.	थालडका
		2.	टोपरिया
		3.	भगवान
		4.	देईदास
		5.	भुकरका
		6.	नोहर
		7.	मोड़
		8.	खातियों की ढाणी
		9.	ढाणियां
		10.	परलीका
		11.	रामगढ़
		12.	15 डीपीएम
		13.	गोगोमेड़ी

परिशिष्ट-19

(अतारांकित प्रश्न संख्या-291 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में जनवरी, 2000 से जनवरी, 2001 में निर्मित सम्पर्क सड़कों का विवरण

क्रमांक	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	व्यय (लाखों में)	संवदेक का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	सम्पर्क सड़क बाईपास रोड से 6 एलएनपी	1.00	4.34	मै. रमेश कुमार बंसल, श्रीगंगानगर	कार्य प्रगति पर है। केवल डामरीकरण शेष है।
2.	सम्पर्क सड़क बाईपास रोड से चक महाराजका	4.00	29.68	मै. रमेश कुमार बंसल, श्रीगंगानगर	3.900 कि.मी. सड़क का निर्माण पूर्ण हा चुका है। 0.10 कि.मी. में केवल डामरीकरण शेष है।
3.	सम्पर्क सड़क रिको से 17 एम.एल.	1.50	11.86	मै. रमेश कुमार बंसल, श्रीगंगानगर	सड़क निर्माण पूर्ण हो चुका है।
4.	सम्पर्क सड़क 3 एलेनपी से 1 एलएनपी	0.50	4.46	मै. सुमेर सिंह चौधरी, श्रीगंगानगर	सड़क निर्माण पूर्ण हो चुका है।

1	2	3	4	5	6
5.	सम्पर्क सड़क कीकरचक रोड से 22 एनएलपी	3.50	5.17	मै. सुमेर सिंह चौधरी, श्रीगंगानगर	कार्य प्रगति पर है।
6.	सम्पर्क सड़क साधुवाला से ठाकरावाली	1.25	9.94	मै. सुमेर सिंह चौधरी, श्रीगंगानगर	सड़क निर्माण पूर्ण हो चुका है।
7.	सम्पर्क सड़क हिन्दुमलकोट रोड से तीन पुली से एनएच 15	1.80	0.11	मै. रमेश कुमार बंसल, श्रीगंगानगर	माह फरवरी में सिंचाई विभाग से नहरी सीमा में सड़क निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। अभी कार्य शुरू किया जाना है।
8.	सम्पर्क सड़क नेनेवाला से 5 एमएल	2.50	0.12	मै. रमेश कुमार बंसल, श्रीगंगानगर	सिंचाई विभाग से नहरी सीमा में सड़क निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होनी शेष है। अतः कार्य शुरू नहीं हुआ है।

परिशिष्ट "ब"

विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में जनवरी, 2000 से जरवरी, 2001 में निर्मित पुलियाओं का विवरण

क्रमांक	चक	कार्यों पर जनवरी 2000 से जनवरी 2001 तक व्यय (लाखों में)	विशेष विवरण
1.	16 एलएलपी		
2.	16 एलएलपी		
3.	16 एलएलपी		
4.	14 एलएलपी		
5.	13 एलएलपी		
6.	14 एलएलपी		
7.	15 एलएलपी	1.78	
8.	15 एलएलपी		
9.	15 एलएलपी		
10.	15 एलएलपी		
11.	15 एलएलपी		
12.	15 एलएलपी		
13.	15 एलएलपी		

परिशिष्ट-20

(अतारांकित प्रश्न संख्या-294 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

(Amt. in lacs)/(Length in km.)

S. No.	District	Actual Length	Adm. Sanct.	Exp. Upto 2/2001
1	2	3	4	5
1.	AJMER	31.00	327.31	142.25
2..	ALWAR	10.18	135.28	44.18
3.	BARAN	47.25	509.77	145.08
4.	BARMER	8.00	58.00	.10
5.	BHARATPUR	10.10	73.04	15.68
6.	BHILWARA	28.35	183.46	31.64
7.	BIKANER	63.30	559.85	196.18
8.	BUNDI	30.90	284.03	81.06
9.	CHITTORGARH	20.63	143.10	6.55
10.	CHURU	1.00	5.75	1.96
11.	DAUSA	32.10	281.37	76.03
12.	HANUMANGARH	21.25	231.75	123.32
13.	JAIPUR	51.63	498.48	181.63
14.	JHALAWAR	10.30	106.90	34.92
15.	JHUNUJHUNU	1.60	13.20	10.52

1	2	3	4	5
16.	JODHUPR	90.88	553.45	361.28
17.	KOTA	45.38	459.29	242.92
18.	NAGAUR	107.70	651.84	339.05
19.	PALI	58.03	561.95	311.93
20.	SAWAI MADHOPUR	15.65	163.31	46.52
21.	SIKAR	5.70	41.78	16.92
22.	SRIGANGANAGAR	144.40	1587.79	927.97
23.	TONK	27.56	285.89	75.61
24.	UDAIPUR	21.15	153.38	64.06
TOTAL		**884.04**	**7869.97**	**3477.36**

परिशिष्ट "ब"

ABSTRACT OF RIDF PHASE-V

S. No.	District	Ist Phase		Exp. 4/2000-11/2000	Total exp. upto date
		Length in Km.	Adm. Amt. in lacs		
1	2	3	4	5	6
1.	Ajmer	4.89	47.86	9.12	31.01
2.	Alwar	19.62	183.55	86.23	135.80
3.	Baran	8.90	87.28	43.79	74.12
4.	Banswara	—	—	—	—
5.	Barmer	32.75	234.88	56.65	140.03
6.	Bharatpur	27.80	340.21	90.25	171.02
7.	Bhilwara	59.25	262.35	110.45	270.54
8.	Bikaner	14.85	105.06	31.99	50.39
9.	Bundi	19.08	205.47	31.13	124.60
10.	Chittorgarh	32.68	226.23	58.93	136.55
11.	Churu	27.75	246.90	31.07	92.44
12.	Dausa	35.37	412.96	67.53	180.43
13.	Dholpur	16.00	168.52	55.75	92.60
14.	Dungarpur	23.25	143.87	109.01	122.93
15.	Hanumangarh	9.00	89.25	35.96	60.22
16.	Jaipur	17.31	182.12	30.29	56.70

1	2	3	4	5	6
17.	Jaisalmer	9.30	59.66	29.88	43.65
18.	Jalore	35.75	380.44	106.63	258.53
19.	Jhalawar	99.51	984.93	313.7	578.07
20.	Jhunujhunu	47.95	354.76	112.3	209.56
21.	Jodhpur	96.10	527.22	135.81	316.11
22.	Karauli	62.27	658.03	84.71	220.52
23.	Kota	6.55	77.01	30.82	68.21
24.	Nagaur	69.70	407.91	19.18	283.01
25.	Pali	11.05	77.65	23.26	53.18
26.	Rajsamand	21.26	112.38	26.01	42.33
27.	Sawaimadhopur	27.05	313.51	60.19	140.53
28.	Sikar	74.33	622.30	171.38	396.94
29.	Sirohi	22.76	156.84	22.59	58.94
30.	Sriganganagar	—	—	—	—
31.	Tonk	35.84	281.42	84.65	176.91
32.	Udaipur	87.04	629.65	107.89	379.93
Total		**1064.87**	**8680.22**	**2287.15**	**4964.80**

परिशिष्ट-21

(अतारांकित प्रश्न संख्या-295 की प्रति)

डा. किरोड़ी लाल
सदस्य
राज. विधान सभा
क्षेत्र-बामनवास (स.मा.)

3/80, एस.एफ.एस., अग्रवाल फार्म
सुभाष चौक, बोस मार्ग, मानसरोवर
जयपुर, राजस्थान।
फोन : 0141-395007
दिनांक : 25.10.2000

आवश्यक

माननीय श्री दीपेन्द्र सिंहजी शेखावत,
कृषि विपणन मंत्री,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय : आपके 30 प्रतिशत आरक्षित कोटे से मेरे क्षेत्र बामनवास (जिला सवाईमाधोपुर) में सड़क स्वीकृत किये जाने बाबत।

संदर्भ : पत्रांक कृषि ग्रुप-2/94/111, 8 जुलाई, 1999.

मान्यवर,

उपरोक्त सन्दर्भ में निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र सड़कों की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यह क्षेत्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तथा सम्पर्क सड़कों का निर्माण नहीं होने के कारण क्षेत्र का पिछड़ापन बरकरार है। आपकी सरकार ऐसे वर्ग के इतने पिछड़े क्षेत्र का प्राथमिकता से विकास कराने की दृष्टि से कटिबद्ध है।

अतः निवेदन है कि आपके 30 प्रतिशत कोटा से अधोलिखित सड़कों की स्वीकृति प्राथमिकतानुसार प्रदान करने का श्रम करें।

1. मिसिंग लिंक एवं पुलिया निर्माण गांलद कलां रोड से कोड़ाई ग्राम की हथाई तक 2 कि.मी.,
2. सम्पर्क सड़क मलारना चौड़ से लाडौता 2 कि.मी.

अतः जनहित में उपर्युक्त दोनों सड़कों को स्वीकृत करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह०/-
(डा. किरोड़ी लाल)

परिशिष्ट-22

(अतारांकित प्रश्न संख्या-297 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

तहसील क्षेत्र हिण्डौन सिटी में विपणन बोर्ड द्वारा गत पांच वर्षों (1995-96 से 1999-2000) में स्वीकृत सड़कों की सूची

क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई	प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक/दिनांक	राशि	वर्तमान स्थिति	पूर्ण न होने का कारण
1.	शेष लम्बाई स.स. कारवाड़ से टोडूपुरा	0.700	31090-95/9.6.98	6.00	इस सड़क पर डब्ल्यू.डी.एम. कार्य पूर्ण है लेकिन नाली व डामरीकरण कार्य नहीं हुआ है।	यह सड़क सम्पूर्ण लम्बाई में ग्राम के भाग में पड़ती है ग्रामीणों द्वारा नाली के लिए जगह न दिये जाने एवं विवाद करने के कारण सड़क निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका।
2.	शेष लम्बाई स.स. सूरौठ से फतेहपुर सिंह पुरा	0.550	31090-95/9.6.98	8.31	कार्य पूर्ण है।	–
3.	स.स. महू ब्रिज से घोंसला	1.500	33787-94/29.6.98	18.60	कार्य पूर्ण है।	–
4.	स.स. फेली का पुरा से गुनसार	1.000	33787-94/29.6.98	6.00	कार्य पूर्ण है।	–
5.	शेष लम्बाई स.स. बयाना रोड से बनकी	2.000	63677-82/31.10.95	13.50	कार्य पूर्ण है।	–